1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 21वां दिवस [संख्या : 14

सोमवार

16 जुलाई, 1990

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री हेमराज।

कोटा जिले में प्रतिनियुक्त- आयुर्वेदिक चिकित्सक

350. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में कई आयुर्वेद चिकित्सक अपने मूल पदस्थापन स्थान के बजाय अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो कहां-कहां पर नियुक्त चिकित्सकों को कहां-कहां प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार इनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त करके इनके मूल नियुक्ति स्थान पर भेजने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) (आयुर्वेद मंत्री के स्थान पर) : (1) जी नहीं। केवल एक आयुर्वेद चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर लगाया हुआ था।

(2) श्री भारत भूषण बागला, आयुर्वेद चिकित्सक, राजकीय आयुर्वेद औषधालय मवासा को राजकीय आयुर्वेद औषध वितरण केन्द्र, कोटा में औषध वितरण की व्यवस्थार्थ प्रतिनियुक्ति पर लगाया हुआ था।

(3) जी हां। उक्त चिकित्सक को पदस्थापन स्थान पर भेजने के आदेश कर दिये गये हैं। अब कोई भी प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को यह जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे शाहबाद क्षेत्र के अन्दर बीलखेड़ा डांग, बमनगवां और राजपुर तीनों स्थानों के लिए आयुर्वेदिक वैद्य हैं। यह प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र लगे हुए हैं। हो सकता है प्रतिनियुक्ति विधान सभा का प्रश्न आने पर स्थगित कर दी हो। यह मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरा, एक दयाकृष्ण आयुर्वेदिक वैद्य है जो दाणा के अन्दर प्रतिनियुक्ति पर लगा हुआ है वह भी शाहबाद औषधालय का है। दूसरा, मेरा सवाल है कि 24.7 88 को जिला आयुर्वेद अधिकारी ने आयुर्वेद औषधालयों में 6 फोर्थ क्लास की नियुक्ति की थी जिनके नाम निम्नानुसार हैं :-

(श्री हेमराज)

गिरिराज–सीताराम	रामगंजमण्डी
जगदीश–जयलाल	जुलमी
सुरेश–चौथमल	ननावता
रामचन्द्र–भैंरूलाल	खण्डेला
प्रहलाद–देवीलाल	बमोरी घाटा

इनको पोस्टिंग दिये हुए 18 महीने हो गये हैं परन्तु अभी तक इनको न तो वेतन दिया गया है, न इनको नौकरी से निकाला गया है और न ही इनको स्थायी किया गया है। माननीय मंत्री महोदय से मैं जानकारी चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लास फोर्थ का जो सवाल है, प्रतिनियुक्ति का सवाल है या अन्य सवाल है वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यकायक कोई सूचना मेरे पास नहीं है, फिर भी आपने जानकारी दी है उस आधार पर विभाग से बातचीत की जायगी। आपने कुछ वैद्यों के बारे में कहा कि वह प्रतिनियुक्ति पर हैं। जो मेरे पास उपलब्ध सूचना है आज तक की, उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है फिर भी जिन वैद्यों के बारे में आप यह बता रहे हैं अभी भी वे प्रतिनियुक्ति पर हैं, उसके बारे में जानकारी करेंगे और यदि वह प्रतिनियुक्ति पर हैं तो उनको यथास्थान भेज दिया जायगा।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल और है। राजस्थान में आयुर्वेदिक विभाग के जो ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालय हैं उनको पिछले एक माह से वेतन नहीं दिया गया है। पंचायत राज और आयुर्वेदिक विभाग के बीच में झंझट चल रहा है, उसके कारण से उनको वेतन दिया नहीं गया है, सब कर्मचारी बहुत परेशान हैं, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह सम्बन्धित नहीं है। नेक्स्ट – श्री निर्भयलाल।

रूपवास तहसील में विद्युतीकरण कार्य

351. श्री निर्भयलाल (रूपवास) एवं श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील रूपवास में वर्ष 1980 से 1984 व 1989 के दौरान विद्युतीकृत गांवों के लिये ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो उक्त गांवों में विद्युत की समुचित आपूर्ति हेतु कब तक ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

(2) चालू वर्ष में उक्त तहसील के किन-किन गांवों में विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती सुमित्रा सिंह) :
(1) जी नहीं। रूपवास तहसील के वित्तीय वर्ष 1980 से 1984 व वर्ष 1989-90 में विद्युतीकृत किये गये ग्रामों में से केवल 26 ग्रामों में ट्रान्सफार्मर नहीं लगाये जा सके हैं। इनमें से जिन 9 ग्रामों में माह दिसम्बर, 1988 के बाद कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें ट्रान्सफार्मर लगा कर कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है। शेष 17 ग्रामों में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इनमें आवेदन पत्र प्राप्त होने पर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मांग के अनुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर लगाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) वर्ष 1990-91 में ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। अतः रूपवास तहसील के किन-किन गांवों को चालू वर्ष की विद्युतीकरण योजना में चयन किया जावेगा, इसके बारे में फिलहाल बताना सम्भव नहीं है।

श्री निर्भयलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। 26 गांवों में से 9 के लिए मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 9 गांवों में ट्रान्सफार्मर पहुंच गये हैं। 9 में से तीन गांवों में ट्रान्सफार्मर पहुंचे हैं और 6 तो सरपंचों के घर पर रखे हुए हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों की मांग है कि जिन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है कम से कम उन गांवों में ट्रांसफार्मर तो दिये जायं। मेरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है। वहां पर राजस्थान में सब से कम विद्युतीकरण हुआ है फिर भी 26 गांवों का हुआ है और 26 में से 9 का बताया है कि 9 में ट्रान्सफार्मर पहुंचे हैं। 9 में से तीन में ही ट्रांसफार्मर पहुंचे हैं, 6 ट्रान्सफार्मर कहीं सरपंचों के घर पर रखे हुए हैं या कहीं आफिसों में रखे हुए हैं। मन्त्री जी, रूपवास क्षेत्र के साथ में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। रूपवास क्षेत्र की जनता तो यह आकांक्षा लगाये बैठी थी कि जनता सरकार का राज आया है और क्षेत्र में कम से कम विद्युतीकरण तो हो।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप। आपका सवाल हो गया। इन्दलिया जी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : आपने एग्री किया है कि रूपवास के 26 गांवों में विद्युतीकरण कर दिया गया। क्या यह सही है कि 26 में से 6 गांवों के अन्दर ट्रान्सफार्मर लगाया गया है? बाकी गांवों में आज तक नहीं लगाया गया? मन्त्री महोदया, आप यह भी कह रही हैं कि वहां के लोग प्रार्थना पत्र देवें, जब गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है, बिजली की लाइन खींच दी गई है तो उपरोक्त गांवों में कब तक आप ट्रान्सफार्मर भेजने की व्यवस्था करेंगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को और सभी माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी देना चाहूंगी कि जो गांव विद्युतीकृत होता है उसमें ट्रान्सफार्मर लगाया जाता है, तभी वह विद्युतीकृत की परिभाषा में आता है। लेकिन भरतपुर में विशेष असामान्य परिस्थितियां हैं। वहां तार की चोरी बहुत होती है और वहां पर ट्रांसफार्मर में से तेल निकालने की वारदातें बहुत होती हैं। इस लिए जब तक वहां पर किसी की एप्लीकेशन नहीं आती है, अपना कनेक्शन लेने के लिए, तब तक वहां पर ट्रान्सफार्मर नहीं लगाये जाते, इसलिए ये गांव पड़े हुए हैं। जैसे-जैसे हमारे पास एप्लीकेशन्स आ रही हैं वैसे-वैसे ट्रान्सफार्मर लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, खेद की बात है आप ग्रामीणों के खिलाफ इस तरह के चार्जेज लगा रही हैं कि तार की चोरी होती है। या तो आपको

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

साफ कह देना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हम टालम-टोल कर रहे हैं। यह चोरी का क्लेम क्यों लगा रहे हो आप ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सही लगा रही हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या इस सम्बन्ध में केस दायर हुए हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भरतपुर के अन्दर बहुत केसेज हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कोई पकड़ा गया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तारों की चोरी के, बिजली के उपकरणों के, एक नहीं अनेक केसेज हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह कोई तर्क नहीं है। (व्यवधान)

श्री निर्भयलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र क्या चोर है ? आपने चोरी के लिए कहा है। प्रार्थना पत्र दे रखे हैं और आप कह रही हैं कि रूपवास क्षेत्र में चोरी होती है, भरतपुर में चोरी होती है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप प्रार्थना पत्र मुझे या मन्त्रीजी को बता दीजिये, ट्रांसफार्मर लग जायेंगे। नेक्स्ट, श्री चम्पालाल जैन।

मगरा (ब्यावर) क्षेत्र में उद्योग

352. **श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार को विदित है कि मगरा क्षेत्र ब्यावर में सैनिकों के परिवार रहते हैं, लेकिन इनके परिवारों की आर्थिक स्थिति बेरोजगारी के कारण दयनीय है ?

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र में कोई सरकारी उद्योग लगाना चाहती है ?

(3) यदि हां, तो कौनसा उद्योग स्थापित करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री कृष्णकुमार गोयल):
(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार स्वयं उद्योग न लगाकर उद्योगपतियों को ही उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई सवाल पूछना है आपको ?

श्री चम्पालाल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था सैनिक परिवारों द्वारा उद्योग लगाने के सम्बन्ध में। यह मगरा क्षेत्र के हैं। निजी उद्योग कोई लगाने वाला हो या जैसा भी हो। मगरा क्षेत्र के लोग ज्यादातर फौज में रहते हैं। उनके परिवारों की दशा बहुत दयनीय हो रखी है अतः मैं निवेदन करता हूं कि यहां कोई सरकारी उद्योग लगाया जाय।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है....

श्री अध्यक्ष : आप इसमें जांच करा लीजिये। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो करिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वित्त निगम द्वारा कुल मिलाकर किसी भी कारखाने को लगाने के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी होती है, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह मार्जिन मनी केवल 10 प्रतिशत है। यानि 15 प्रतिशत सीड कैपिटल स्वयं राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन अपने पास से लगाता है। इसी प्रकार से जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं उनको 12.5 प्रतिशत ब्याज के ऊपर ऋण दिया जाता है पिछड़े क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में 13.5 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। जबकि दूसरे लोगों को जो रकम दी जाती है उस पर ब्याज ज्यादा होता है। इसी प्रकार से रीको के द्वारा जो भूमि का अलाटमेंट होता है उसमें भी कीमत पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है और दो प्रतिशत भूखण्ड एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व किये जाते है। इस प्रकार की सुविधा है और इस आधार पर कई लोगों ने इसका लाभ उठाया है। इसके अलावा कई योजनाएं सोल्जर बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं जिनमें प्रमुख रूप से पेंकशन योजना, सैफेक्स योजना, सैफिक्स द्वितीय योजना कई योजनाएं हैं जिनका लाभ एक्स सर्विस मैन ने उठाया है। हर प्रकार के साधन उपलब्ध किए हैं।

श्री प्रेमसिंह बहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जालोर जिले में रीको के लिए भूतपूर्व सैनिकों को........

श्री अध्यक्ष : जालोर कहां से आ गया सवाल मगरा क्षेत्र का ही पूछा गया है।

श्री प्रेमसिंह बहिया : भूतपूर्व सैनिकों का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो भूतपूर्व सैनिकों को जो सुविधायें दी जाती है वह बता दी।

श्री प्रेमसिंह बहिया : सुविधाओं के बारे में ही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वह सुविधायें नहीं मिल रही हैं, सिर्फ कागजों पर ही हैं। मैं जानकारी लेना चाहता हूं। जालोर जिले के अन्दर भूतपूर्व सैनिकों ने रीको से प्लाट के अलाटमेंट के लिये जो प्रार्थना पत्र दिये थे, उनको अलाटमेंट नहीं हुआ है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इसकी पूरी जानकारी मुझे दे दें मैं इसकी पूरी छानबीन कराऊंगा और अगर लगता है कि उनकी किसी प्रकार से उपेक्षा की गई है तो प्राथमिकता से उनको पलाट दिलाये जाने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरीश झामनानी।

राजस्थानी भाषा का विकास

353. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हरीश भामनानी)

(1) राजस्थानी भाषा के विकास के लिए राज्य सरकार ने अब तक मुख्यतया क्या-क्या प्रयास किए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार प्रौढ़ शिक्षा और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सम्पर्क भाषा के रूप में राजस्थानी के प्रयोग की इच्छा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार प्रान्त में राजस्थानी भाषा भाषियों की संख्या को देखते हुए राज-काज की द्वितीय भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा को अपनाने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित कराने हेतु केन्द्र सरकार से मांग करेगी ? यदि हां, तो किस रूप में कब तक ?

(5) क्या राज्य की प्रत्येक स्कूल में सरकार राजस्थानी भाषा के अध्ययन की व्यवस्था करने को तैयार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) :
(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) स्थानीय स्तर पर प्रभावी संचार माध्यम के रूप में स्थानीय बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसमें राजस्थानी भी एक है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्तमान में यह प्रश्न राज्य सरसरकार के विचाराधीन है।

(5) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री हरीश भामनानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा और अदब से माननीय मुख्य मन्त्री जी भी हैं उनसे भी जानकारी करना चाहूंगा। क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जब जोधपुर में लगभग द्वितीय सप्ताह में पधारे थे तो माणक पत्रिका को एक भेंट में राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए जोरदार प्रयास करने की राज्य सरकार ने घोषणा की थी ? मैं इस सम्बन्ध में जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

दूसरी, यह जानकारी लेना चाहता हूं कि पूर्व में यह जो मन्त्रिमण्डल रहा है, उन्होंने भी सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करके केन्द्र को भेजा है कि राजस्थानी भाषा को 8 वीं सूची में जोड़ा जाये। उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई हैं, क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : संविधान की 8 वीं सूची में शामिल करने का काम केन्द्र सरकार के ऊपर है। इस बारे में कई विद्वानों ने और संस्थाओं ने हमको पत्र लिखे हैं वे राज्य सरकार के विचाराधीन है उन पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थानी भाषा में बनने वाली फिल्मों को कर मुक्त करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : जो राजस्थानी पिक्चर्स दिखाई जाती है उन पर मनोरंजन कर नहीं लिया जाता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान में जो राजस्थानी तस्वीरें दिखाई जाती हैं उनसे मनोरंजन कर नहीं लिया जाता है यह शायद सदन को गलत तथ्य बता रहे है। मैं उनको सभ्य भाषा में यही कह सकता हूं कि आप तथ्यों की जानकारी कर लें। जो सूचना दी है वह गलत सूचना है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : राजस्थानी भाषा में जो फिल्में दिखाई जाती है उसके लिए कोई छूट का आवेदन देता है उसको दी जाती है (व्यवधान)। एटोमैटिक तो नहीं है ना ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नई फिल्मों के लिए एप्लाई किया गया है लेकिन अभी तक उनको छूट नहीं दी गई है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह शिक्षा मंत्री से सम्बन्धित ही नहीं है। कर से मुक्ति देना शिक्षा मन्त्री से सम्बन्ध नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो सेल्स टैक्स विभाग के मन्त्री जी इसका उत्तर दे दे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि आपने जो उत्तर में दिया है कि सारे मामले हमारे विचाराधीन है तो क्या आप जो प्रयास कर रहें हैं उसके लिए सन्तुष्ट हैं, क्या वह प्रयास पर्याप्त हैं ? दूसरा यह है कि प्रत्येक प्रान्त की अपनी भाषा है और 8 वीं सूची में मान्यता रखती है। राजस्थान में पिछली बार जो प्रस्ताव दिया था, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगी कि राजस्थानी भाषा को 8 वीं सूची में शामिल कराने के लिए आप कोई प्रयास करेंगे या केवल केन्द्र की मर्जी पर छोड़ेगे ? इसका आप समुचित जवाब दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात केवल केन्द्र की मर्जी पर ही है....

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह सरकार ही केन्द्र की मर्जी पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने आपसे जवाब नहीं मांगा। आप चुप रहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले का मुख्य मन्त्री केन्द्र की मर्जी पर ही था यह बात बिल्कुल सही है। अभी आपने जो बात कही है जितने भी पत्र आये, मैं भी इस सम्बन्ध में प्रयास करूंगा भारत सरकार को पुनः लिखूंगा कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्रीमती कमला भील। (अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 354 आगे देखिए)

नेक्स्ट श्री भंवर लाल। (अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 355 आगे देखिये)

श्री नाथूराम आहारी (डूंगरपुर) : मैं पूछ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं; आपके पास यदि अधिकार हो तो बात करिए। लिखित में है क्या आपके पास ?

नैक्स्ट। श्री रखबचन्द मीणा।

प्रतापगढ़ क्षेत्र का विद्युतीकरण

356. श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र की तहसील प्रतापगढ़ और अरनोद के कितने ग्राम विद्युतीकृत किये जाने शेष हैं ? तहसील व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण करने का सरकार का विचार है ?

(4) तहसील अरनोद के ग्राम दलोठ में 33 के. वी. विद्युत लाइन का कार्य किन कारणों से रुका हुआ है ? दलोठ में 33 के. वी. केन्द्र को कब तक पूरा करने का विचार है और कब तक 33 के. वी. लाइन से विद्युत प्रवाह चालू कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती सुमित्रा सिंह) : (1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में 212 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। ग्रामवार सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत तहसील प्रतापगढ़, जो पंचायत समिति प्रतापगढ़ और पंचायत समिति अरनोद से बनती है के, 188 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना शेष हैं इसमें से 171 ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत है तथा शेष 17 ग्राम अस्वीकृत हैं। ग्रामों की सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) शेष ग्रामों का विद्युतीकरण योजना मद में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आगामी वर्षों में किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) पंचायत समिति अरनोद के ग्राम दलोठ के लिए प्रस्तावित 33 के. वी. लाइन चुपनादलहोठ का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। दलोठ में 33 के. वी. उपकेन्द्र का कार्य प्रगति पर है तथा इसे चालू वित्तीय वर्ष में 1990–91 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके पूर्ण होने के साथ ही लाइन एवं उप केन्द्र में विद्युत प्रवाह प्रारम्भ हो जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

श्री रखब चन्द मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। खण्ड (1) मैं मंत्री महोदय ने बताया कि 212 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है जबकि 180 ग्राम ही विद्युतीकृत हैं। खण्ड (4) में आपने बताया है कि 33 के. वी. लाइन

(श्री रतबचन्द मीणा)

चुपना-दलोठ का 3 वर्षों से काम चल रहा है। वह क्वार्टर पूरे होने के बाद ही चालू होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगी कि जैसा कि उन्होंने कहा, मेरे पास जो सूचना है वह 212 ग्रामों की है। वह कहते हैं कि मौके पर जाकर उन्होंने देखा है तो मैं इसकी जांच करूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जहां पर कनेक्शन के लिये किसी ने एप्लाई ही न किया होगा, हो सकता है वहां पर उनको कोई कमी नजर आई हो। इस लिये थोड़ा इस बात को भी असर्टेन कर लें। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं इस बात की जांच करा लूंगी।

33 के.वी लाइन के बारे में जो उन्होंने कहा है वह काम पूरा हो गया है, यदि विद्युत प्रवाह केवल स्टाफ क्वार्टर नहीं बनने की वजह से ही रुका हुआ है तो स्टाफ क्वार्टर इसमें बाधा नहीं बनेगा और इसमें विद्युत प्रवाह कर दिया जायेगा, लेकिन विद्युत प्रवाह करने के लिये ट्रान्सफार्मर लगना और बाकी सारा काम पूरा होना चाहिये। स्टाफ क्वार्टर की वजह से विद्युत प्रवाह नहीं रोका जायेगा, यह मैं सदन को भरोसा दिलाती हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री जनार्दन सिंह गहलोत। (अनुपस्थित)

(कृपया प्रश्न संख्या 357 आगे देखिये)

नैक्स्ट, श्री किशन गोपाल कोगटा।

उत्तर पुस्तकों की व्यवस्था

358. **श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा छात्रों को उत्तर पुस्तकें उपलब्ध करवाने की क्या व्यवस्था है ? क्या यह (अ) पंचायत समिति स्तर (ब) तहसील स्तर (स) जिला स्तर पर व्यवस्था की जा रही है ?

(2) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तक उत्तर पुस्तकें पहुंचाने की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है ?

(3) क्या उत्तर पुस्तकों की सरकारी स्तर या अनुबन्ध द्वारा बिक्री की व्यवस्था की जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि उत्तर पुस्तकों को ब्लैक द्वारा बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो उसको रोकने के सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(5) विधान सभा क्षेत्र मसूदा का अधिकांश भाग पर्वतीय है, वहां पर उत्तर पुस्तकें सरकार द्वारा पहुंचाने की क्या व्यवस्था है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य):

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रत्येक परीक्षा हेतु, उत्तर पुस्तिकाएं हर परीक्षा केन्द्र को सीधे ही उपलब्ध कराई जाती हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) जी नहीं।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) पर्वतीय क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों पर भी उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा से पूर्व उपरोक्तानुसार उपलब्ध करवा दी जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । कुछ नहीं बोलना ।

नेक्स्ट श्री हेतराम बेनीवाल ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : पूछिये, पूछिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न संख्या 359 ।

श्री अध्यक्ष : 359, यह तो आपके मतलब का नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, आपने कह दिया है, आपने चाहें गलती से कह दिया हो, आपने हां कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने देखा आप पिछले प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान् आपने हां कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने पुकारा ही नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब आपके हां निकलने के बाद आसन का अनर्थ हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं तो पिछला....

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह धौलपुर का मामला है, थर्मल पावर स्टेशन का, बड़ा महत्वपूर्ण है । अगर आप इसमें इजाजत दे दें ।

एक माननीय सदस्य : यह पूरे राजस्थान का भी मामला है, केवल गंगानगर का ही नहीं है ।

सूरतगढ़ एवं धौलपुर थर्मल पावर हाउस

359. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) की अनुपस्थिति में यह प्रश्न **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) द्वारा पूछा गया । क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में प्रस्तावित थर्मल पावर हाउस के बारे में राज्य सरकार ने क्या निर्णय किया है एवं केन्द्रीय जांच दल ने धौलपुर व सूरतगढ़ में से किसको चुना है और किस आधार पर ?

(2) धौलपुर के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने ताजमहल के सन्दर्भ में क्या राय दी है ? क्या धौलपुर थर्मल पावर हाउस को लगाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगी ?

(3) क्या सूरतगढ़ थर्मल पावर हाउस की योजना रद्द हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ? नहीं, तो कब प्रारम्भ होगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती सुमित्रा सिंह) :

(1) राज्य सरकार सूरतगढ़ तापीय योजना को शीघ्र स्वीकृत कराने हेतु प्रयत्नशील है । वर्तमान में इस योजना का प्रतिवेतन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । केन्द्रीय जांच दल द्वारा धौलपुर व सूरतगढ़

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में से किसी एक को चुनने के बारे में जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। राज्य सरकार द्वारा दोनों ही, सूरतगढ़ व धौलपुर तापीय योजनाओं को स्वीकृत कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने धौलपुर तापीय योजना के लिए किसी और स्थान का चयन करने की सलाह दी थी, क्योंकि इस परियोजना से निकलने वाली गैस से आगरा स्थित ताजमहल पर प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना थी। धौलपुर तापीय योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है। धौलपुर तापीय योजना के लिए पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन कराया जा रहा है। केन्द्र की सलाह के अनुसार धौलपुर में ही अन्य स्थलों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने 11 जून, 1990 को इन प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया है एवं उनके द्वारा वांछित अतिरिक्त सूचनाएं भेज दी गई हैं। उनका निर्णय अपेक्षित है।

(3) जी नहीं। इस परियोजना के लिए कोयला अनुबन्ध 8 वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान ही दिलाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। कोयले का अनुबन्ध होने व योजना आयोग से पूंजी विनियोजन की स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही इस परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। निर्माण कार्य शुरू होने के करीब 5 वर्ष पश्चात् इस ताप विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है। वैसे इस योजना को पूर्ण होने में 56 महीने लगते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल। आप यह पूछ लें। वह आ गये हैं। अच्छा आप तैयारी कर लीजिये। श्री प्रद्युम्नसिंह जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं, पहला सवाल यह है कि सर्वप्रथम भारत सरकार ने धौलपुर में थर्मल पावर स्टेशन की योजना को कब रद्द किया था और यदि रद्द नहीं किया था तो राजस्थान सरकार ने इस साल में अल्टरनेटिव साइट का प्रपोजल धौलपुर में ही लगाने का दिया था। इस बात को कितना समय हो गया है? इस बात का उत्तर दे दें, माननीय मंत्री महोदया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, पहले इनका जवाब दे दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजस्थान सरकार ने 1987 में इसको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा था, सी.ई.ए. को। और उसके बाद चूंकि इसके लिए कई क्लियरेंसेज चाहिये जैसे पर्यावरण की, उसके ऊपर यह रुका हुआ था। इसे कैन्सिल नहीं किया गया था लेकिन इसे क्लियर भी नहीं किया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसका अभिप्राय यह हुआ कि सन् 87 से यह योजना केन्द्रीय सरकार में विचाराधीन पड़ी हुई है। जैसा आपने कहा कि इस योजना को निरस्त नहीं किया गया था और न ही मंजूर किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि सन् 1987 से यह योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ी थी। क्या राजस्थान सरकार अब से पहले जो 11 जून को टीम आई थी,

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

उसके पहले राजस्थान सरकार ने क्या कोई अल्ट्रेटिव साइट का प्रपोजल दिया था ? वह कौनसी साइट थी ? यह बताने का कष्ट करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इससे पहले साइट चेंज करने के बारे में सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : भारत सरकार ने कभी जब इसके बारे में कोई मजूरी नहीं दे रही थी तो उसके बारे में कोई खतो-खिताबत तो हुई है आपके पास से, कुछ कोरेस्पोन्डेन्स इत्यादि के पेपर्स हों तो यदि दे सके और इसका अवलोकन करके बता दें क्योंकि सन् 1987 से तीन साल हो गये, साइट को लेकर ही झगड़ा है। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि न तो इसे कैन्सिल किया गया था न ही एक्सेप्ट किया गया था। यह अधरझूल में लटक रही थी। यह कहा जा रहा था कि ताजमहल की सुन्दरता के ऊपर थर्मल पावर स्टेशन लगने के कारण एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो वो अल्ट्रेटिव साइट की बात थी। अब क्या माननीय मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि राज्य सरकार ने कोई अल्टरनेटिव साइट प्रपोज्ड कर दी है क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जी, प्रपोज्ड कर दिया है और हमें उम्मीद है कि उस साइट को उन्होंने मान लिया है और शायद इसकी क्लियरेन्सेज भी मिल जायेगी। साइट वहां से थोड़ी दूर है।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय मंत्री महोदया ने अभी बताया है कि 85 से ये दोनों परियोजनाएं विचाराधीन हैं। 11 जून, 1990 को सर्वे टीम आई। उसने धौलपुर के बारे में कुछ आब्जेक्शन्स रेज किये और अल्टरनेटिव साइट प्रपोज्ड की। क्या सूरतगढ़ में इस तरह की कोई अड़चनें आई। वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी भी है। वहां कोई पर्यावरण का या अन्य कोई कम्यूनिटी झगड़ा भी नहीं है। उसकी मंजूरी में क्या दिक्कत आ रही है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सूरतगढ़ की तो बिल्कुल मंजूर है। सूरतगढ़ में कोई दिक्कत नहीं है। सूरतगढ़ केवल कोल लिंकेज की वजह से रूका हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना में कोल लिंकेज की बात कही गई थी और अब 8वीं पंचवर्षीय योजना में कोल लिंकेज की बात को सिन्द्धाततः स्वीकार कर लिया गया है लेकिन 8वीं पचवर्षीय योजना में भी हम चाहते हैं कि 1993-94 में ही हमें मिल जाय। बस केवल झगड़ा इतना है कि 94-95 में मिले या 93-94 में मिले। बाकी सब तरह से यह योजना क्लियर है।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मंत्री महोदया क्या यह बताने का कष्ट करेंगी यह जो सूरतगढ़ परियोजना है, वास्तव में हमसे ज्यादा दूरी पर पजाब के थर्मल पावर स्टेशन्स काम कर रहे हैं। खासतौर से भटिण्डा जो 85 कि.मी. दूर है, उसके बावजूद भी इसमें कोल लिंकेज का सवाल उठा, क्या राज्य सरकार ने अपना केस प्लीड करते वक्त इन सारे पाइन्ट्स को जो थर्मल पावर स्टेशन्स बनाये हैं नोर्थ इण्डिया में, जितने भी प्रस्तावित हैं या बने हुए हैं

(श्री हेतराम बेनीवाल)

या चालू हैं, उन सबकी पूरी हिस्ट्री उनके सामने प्रस्तुत नहीं की। यही वजह है कि आपका जो जवाब है, मैं समझता हूं यह जवाब बिल्कुल ही इस तरह का है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप यह क्लियर कहती हैं केन्द्रीय जांच दल द्वारा धौलपुर या सूरतगढ़ में से किसी एक को चुनने की जानकारी नहीं है। क्या यह हो सकता है कि जो सरकार अपना पावर स्टेशन्स लगाना चाहती है, उसको यह जानकारी नहीं हो कि केन्द्र सरकार का क्या विचार है इन दोनों के बारे में ? उसके बाद आपकी यह राय कि इसकी स्वीकृति के प्रयास किये जा रहे हैं। इसका मतलब है यह है कि वह हवा में है अभी तक। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि पावर की सोर्जेज को राजस्थान में देखते हुए विशेष तौर से नोर्थन और वेस्टर्न पार्ट है, उस समय यह बहुत वेल्युबल है और भटिण्डा में थर्मल पावर स्टेशन्स काम कर रहे हैं पंजाब में जिसको 85 कि.मी. दूर है, यह बताने का कष्ट करेंगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य मैंने स्पष्ट कहा है कि सूरतगढ़ सब एंगल से क्लियर है एक्सेप्ट कोल लिकेज के, और वह कोल लिकेज निश्चित तौर से 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिल जायेगा। प्रश्न केवल 93-94 में मिले या 94-95 में मिले इसका ही है। इसलिए इसके न स्वीकृत होने का प्रश्न नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर यह जवाब क्यों दिया ? फिलहाल आप यह कहती कि यह स्वीकृत होगा और कोल लिकेज का मामला हमने उठाया है। आपने तो कोल लिकेज का मामला तो उठाया नहीं राज्य सरकार में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसा है, मैंने इस प्रश्न का जवाब पहले इसलिए दिया है कि आपको केन्द्रीय सरकार से जब तक कोल लिकेज का प्रश्न नहीं सुलझ जाता है और जब तक कोल लिकेज के बारे में अफरमेटिव रिप्लाई नहीं मिल जाता है तब तक क्या पता केन्द्र का क्या मन हो ? कौन से को चुन ले ? कौनसी को पहले कोल लिकेज दे दे ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मुद्दा तो कोल लिकेज का है ही नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका मैंने जवाब दिया है। लेकिन मुझसे जो स्पेशिफिक पूछा गया, उसका मैंने बिल्कुल स्पेशिफिक कहा कि सूरतगढ़ की तापीय योजना सारे दृष्टिकोण से क्लियर है और केवल कोल लिकेज के लिए रुकी हुई है। बाकी सब क्लियर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके सवाल बहुत हो गये। और भी पूछेंगे अपने सवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं अर्ज करना चाहता हूं, इसमें कोल लिकेज का जो मामला है डेफिनेटली धौलपुर जो है, वह सूरतगढ़ की बजाय....

श्री अध्यक्ष : जब इन्होंने इतना साफ कह दिया है। वह कह रहे हैं लिकेज का झगड़ा नहीं है, ईयर का झगड़ा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : कोल लिकेज का जवाब नहीं दिये।

श्री अध्यक्ष : वो कह रही हैं कि कोल लिकेज क्लियर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कोल लिकेज के बारे में बता दूं, आप जो कह रहे हैं माननीय सदस्य....

श्री हेतराम बेनीवाल : भटिण्डा में कोल लिकेज....

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये, सुनिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने कोल लिकेज के बारे में कहा कि भटिण्डा को जहां से बिहार से कोल सप्लाई होगा, वह आपके सूरतगढ़ से 85 कि.मी. नजदीक है उनके। अपन उनसे 85 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन वहां पर ब्राडगेज है, अपने यहां ब्राडगेज नहीं है। इसमें एक प्राब्लम ब्राडगेज की भी है।

श्री अध्यक्ष : सूरतगढ़ में तो है ब्राडगेज।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्राडगेज है, बीकानेर में ब्राडगेज है।

श्री अध्यक्ष : देवेन्द्रसिंहजी पूछ रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 85 किलोमीटर पहले है हमसे।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। हां, वह पहले हैं, भटिण्डा होकर ही सूरतगढ़ में है ब्राडगेज।

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, धौलपुर से मुख्य मंत्रीजी आते हैं इसलिये वह हो ही जायगा, सूरतगढ़ का क्लियरेंस हो गया। माण्डलगढ़ का क्या हुआ, यह बताइये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माण्डलगढ़ का तो पूर्ववर्ती सरकार देगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इसका जवाब शिवचरणजी माथुर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, माननीय विश्नोई जी।

श्री देवेन्द्रसिंह : शिवचरणजी माथुर क्यों देंगे, यह देंगे जवाब। अभी तो आप दो ना जवाब ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह शिवचरण जी माथुर दे गये उसका जवाब। उसका जवाब शिवचरणजी माथुर दे गये। देंगे नहीं दे गये।

श्री देवेन्द्रसिंह : क्या दे दिया ? आप रिपीट कर दीजिये ना वह दे गये तो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बता देती हूं, कर देती हूं रिपीट।

श्री देवेन्द्रसिंह : या तो आप यह मान कर चल रहे हैं कि दो महीने बाद वापस हम यहीं से जवाब देंगे, हम आ रहे हैं उधर इसलिये। या फिर आप गवर्नमेंट में हैं, आप जवाब दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : धौलपुर की बात करते-करते आप चित्तौड़गढ़ पहुंच गये। चित्तौड़गढ़ का भी जवाब दे देती हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप पहले की बात करते हो, पहले मुंह धो आओ अपना।

श्री देवेन्द्रसिंह : यह कोई जवाब थोड़े ही है आपका, शिवचरणजी दे गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सुनिये, जवाब देती हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूर्ववर्ती सरकार ने चित्तौड़गढ़ का सब तरीके से क्लियर होने के बाद उसका लाइसेंस दे दिया था सैंचुरी मिल बिड़ला को, पर दो साल पूरे हो जाने के बाद भी अभी तक उन्होंने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं दी है।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं माण्डलगढ़ का पूछ रहा हूं, आप चित्तौड़ का दे रही हैं।

श्री अध्यक्ष : माण्डलगढ़ का।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माण्डलगढ़ का अलग से प्रश्न है इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है आप अलग से पूछिये, मैं आपको जवाब दूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई जी।

फलोदी तहसील के गांवों में पेयजल की समस्या

360. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील फलोदी जिला जोधपुर के ग्राम रावरा गायणों की ढाणी, ग्राम जैसलां, सींगड़ों का बेरा, ग्राम लोहावट एवं धंटियाली गांव पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं पर विभाग की लापरवाही से कई महीनों से उनको पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है ?

(2) क्या सींगडों की ढाणी के बेरे पर लगी मशीन दो माह से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या रावला गांव के प्रभावशाली लोग अपने व्यक्तिगत टांके इस गांव की पाइप लाइन से भर देते हैं जिससे सार्वजनिक नल पर जल नहीं पहुंचता और अनुसूचित जाति के लोग पेयजल हेतु कष्ट उठा रहे हैं ?

(4) क्या सरकार इन बस्तियों की समस्या की आकस्मिक जांच करा कर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना चिन्नू-बाप से जुड़े हुए ग्राम रावरा, गायणों की ढाणी की पाइप लाइन तोड़ दिए जाने के कारण अल्पकाल तक जल वितरण नहीं हो सका, जिसे ठीक किया जाकर व्यवस्था पुनः कर दी गई है। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना नोखरा-चारणा के स्रोत ग्राम से जुड़े ग्राम जैसलां के नलकूप पर लगे पम्प खराब हो जाने के कारण वितरण में दस दिन का व्यवधान हुआ था। वितरण अब सामान्य है। ग्राम लोहावट की ढाणी सींगड़ों का बेरा में स्थानीय स्रोत के लगभग डेढ़ माह तक बन्द रहने के कारण व्यवधान हुआ, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। क्षेत्रीय योजना भोजासर-धंटियाली से लाभान्वित ग्राम धंटियाली में स्थित नलकूप का पम्प खराब हो जाने के कारण लगभग दस दिन का व्यवधान उत्पन्न हुआ था वितरण अब सामान्य है।

(2) सींगड़ों की ढाणी में स्रोत पर लगा पहले तो पम्प सैट व उसके पश्चात्

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जनरेटर सेट खराब हो जाने के कारण वितरण में लगभग डेढ़ माह का व्यवधान रहा। ढाणी में अब पिछले 15 दिन से नियमित जल वितरण हो रहा है।

(3) वितरण पाइप लाइन से कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से जल प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आवश्यक प्रबन्ध कर दिए गए हैं।

(4) इस सम्बन्ध में आकस्मिक जांच हेतु आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। जांच के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें एक ही समस्या है कि मरुस्थल में पेयजल के स्रोत ढाणियों वगैरह से दस से पन्द्रह किलोमीटर दूर पड़ते हैं। जैसा चार पांच उदाहरण मैंने दिये थे उनमें किसी में 15 दिन, किसी में महीने, किसी में डेढ़ महीने तक पम्प खराब रहे और उसकी व्यवस्था नहीं की गई तो मेरा नम्र निवेदन है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में चाहे पम्पिंग सैट हो, चाहे जैनरेटर हो, चाहे दूसरी मशीनें हों, उनकी आल्टरनेटिव व्यवस्था रखें तो लोगों को तकलीफ नहीं हो। यही मेरा नम्र निवेदन है।

प्रश्न संख्या 361

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री उम्मेदसिंह। (अनुपस्थित) (कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 362

नैक्स्ट श्री लक्ष्मीलाल। (अनुपस्थित) कृपया आगे देखें।

श्री हीरासिंह ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्राब्लम यह हो रही है जुलूस निकल रहा है, आ ही नहीं सकते लोग। अभी पौन घंटा तो हमें रुकना पड़ा था।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आना तो चाहते हैं सब, पर, अनुपस्थित हो रहे हैं। हमारा खुद का क्वेश्चन है इससे वंचित रह गये क्योंकि पौन घंटे से जुलूस में फंस रहे वहां पर।

श्री अध्यक्ष : मैं इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : महंगाई के खिलाफ जुलूस निकल रहा है, वी. पी. सिंह वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। क्या करें, हम कैसे आयें।

श्री अध्यक्ष : माननीय हीरासिंह जी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 जुलाई, 1990)

पाली जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

174. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरासिंह चौहान)

(1) वित्तीय वर्ष 1989-90 में राज्य के किस-किस जिले में कौन-कौन से स्थानों पर माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक की छात्र संख्या कक्षावार क्या थी ? सूची विद्यालयवार सदन की मेज पर रखें।

(3) शहरी क्षेत्र को छोड़कर पूर्व में विद्यमान माध्यमिक व सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय उपलब्ध होते हुए 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर किस-किस जिले में कौन-कौन से विद्यालय क्रमोन्नत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कम छात्र वाले अनुपयोगी विद्यालयों को बन्द कर पाली जिले में कानूजा, कालीयाणा, नानणा तथा तालवकलां विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) विद्यालय अनुपयोगी नहीं होते हैं। इस वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नति करने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। अतः पाली जिले के ग्राम कानूजा, कालीयाणा, नानणा तथा तालवकलां को इस वर्ष क्रमोन्नत करने का विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री अध्यक्ष : सब ना ही ना है, क्या जवाब लोगे आप।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रथम प्रश्न तो मेरा यह है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में करने के लिए कम से कम अष्टम कक्षा में कितनी छात्र संख्या चाहिये ? दूसरा मेरा निवेदन है, उस गांव की आबादी कितनी होनी चाहिए ? तीसरा, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक जहां विद्याध्ययन कर रहे हैं, उदयपुर मण्डल में कुछ विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं उसके बारे में माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, उदयपुर मण्डल में 89 90 में जो माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं उसमें नड़द में कक्षा 6 से 9 तक कुल 51 छात्र हैं, बरवाड़ा में कक्षा 6 से 9 तक कुल 40 छात्र है, कालीभीत में कक्षा 6 से 9 तक कुल 62 छात्र हैं, जैतारण में कुल 54 छात्र है, सुन्दरवास में कुल 44 छात्र हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां पर हजारों रुपये खर्च होते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय में एक साल का लाखों रुपयों का बजट होता है, जहां पर कक्षा 6 से 10 तक अगर छात्र संख्या 80 से भी कम पायी जाती है तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता

(श्री हीरासिंह चौहान)

हूं, ऐसे अनुपयोगी विद्यालय जिनके पड़ोस में भी विद्यालय चल रहे हैं और जहां पर छात्र संख्या कक्षा 9 और 10 में पांच-पांच, छह-छह है 6-7-8 में 13–14–15 कुल मिलाकर 60 छात्र संख्या होती है, इस प्रकार अन्धाधुन्ध....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप....

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन है, हुकुम, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : निवेदन नहीं, आप सवाल करिये। आपकी आदत है, कृपया इस समय भाषण कम दें। आपके सवाल में कुछ है नहीं, आप सवाल तो पूछते नहीं, भाषण दे रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस प्रकार के अनुपयोगी विद्यालय पहले की सरकार ने खोल दिये हैं क्या सरकार उनको ठीक करने की मंशा रखती है या नहीं ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि नए विद्यालय क्रमोन्नत करने के लिए छात्रों की संख्या और दूसरे मापदंड क्या हैं। खास तौर से आपने कानूजा, कालीयाणा, नानणा और तालवकलां आदि विद्यालयों के बारे में बात कही है। इस विषय में निवेदन करना चाहूंगा, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के लिए विद्यालय भवन की व्यवस्था, छात्र संख्या, अन्य खुले विद्यालयों से जहां पर खोले जाना वाला है, वहां की दूरी, क्षेत्रीय मांग आदि सारी बातों के गुणावगुण के आधार पर ही विद्यालय खोले जाते हैं। जहां तक इन चार विद्यालयों का सवाल है खोलने का, उसकी छात्र संख्या वगैरह सब हमारे पास आई हुई है, इन बातों की जब पूर्ति हो जाएगी और सरकार जब नये क्रमोन्नति के ऊपर भी हम विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री चुन्नीलाल खण्डार।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा एक सवाल और है।

श्री अध्यक्ष : अब सवाल क्या है इसमें।

श्री हीरासिंह चौहान : मतलब राजस्थान सरकार का लाखों रुपयों का बजट....

श्री अध्यक्ष : आप फिर भाषण दे रहे हो।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तो बोलिए क्या सवाल है आपका।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं यह कह रहा हूं, यहां की छात्र संख्या आ जाएगी क्या ? इस प्रकार अनुपयोगी विद्यालय जो पहले से क्रमोन्नत हैं, जहां पर छात्र संख्या नहीं के बराबर हैं उनमें कुछ परिवर्तन करने का सरकार विचार रखती है या नहीं रखती है ? यह मेरा सवाल।

श्री अध्यक्ष : बस बिराजिये। मन्त्री जी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह सारी बात जो आप बता रहे हैं यह देखने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा आपने जो चार स्कूलें बताई है उनकी छात्र संख्या छठी, सातवीं और आठवीं क्लास की सब हमारे पास आएगी ...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री चुन्नीलाल धण्डीर (अनुपस्थित)

(तारांकित प्रश्न सं. 363)
(कृपया आगे देखें)।

श्री बालचन्द आर्यवीर।

भवानी मण्डी में निगम का उप-आगार

364. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार भवानी मण्डी की जनसंख्या, व्यापार व उद्योग केन्द्र तथा उप जिला केन्द्र होने की दृष्टि में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का उप-आगार कार्यालय खोलने का विचार रखती है?

(2) यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

यातायात मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) उप आगार का प्रावधान ही नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में भवानीमण्डी उप जिला केन्द्र है और उद्योग का केन्द्र है और व्यापार की मण्डी भी है इसलिए इसका प्रावधान क्यों नहीं किया, कारण बतावें और क्या आने वाले वर्षों में उप आगार बनाने के लिए प्रावधान होगा?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, आप इस पर विचार करें।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया। इन्होंने उप आगार की बात तो नहीं कही, आगार की बात कह रहे हैं। भवानीमण्डी में रात्रि के वक्त 6 वाहन विश्राम करते हैं और नये आगार में कम से कम 30 वाहनों के विश्राम करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा झालावाड़ और बारां के आगार में 40 फी चक्र और दो फी चक्र होते हैं जहां से भवानीमण्डी होकर बसें संचालित होती हैं। तो जब तक 30 वाहनों की संख्या नहीं होती तब तक आगार खोलना सम्भव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय (अनुपस्थित) तारांकित प्रश्न सं. 365 (कृपया आगे देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई (अनुपस्थित) : तारांकित प्रश्न सं. 366 (कृपया आगे देखें)

जगतसिंह दायमा (अनुपस्थित) : तारांकित प्रश्न सं. 367। (कृपया आगे देखें)

श्री मदनलाल सैनी।

वित्त निगम द्वारा कम्प्यूटर उद्योग हेतु ऋण

368. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मदनलाल सैनी)

(1) राजस्थान वित्त निगम मुख्यालय जयपुर द्वारा कम्प्यूटर स्टेशनरी उद्योग हेतु कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के ऋण पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत किये गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उद्योग चालू है ? यदि हां, तो कितने हैं, यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

(3) क्या इन उद्योगों हेतु आयातित मशीनें मंगाई गयीं ? यदि हां, तो कितने मूल्य को ? क्या इसकी तकनीकी जांच की गई ? यदि हां, तो खरीदने में अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि उक्त उद्योगों को ऋण वितरण में अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हां, तो जांच एवं हुई कार्यवाही का विवरण मेज पर रखें।

उद्योग मन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) राजस्थान वित्त निगम, मुख्यालय जयपुर ने गत तीन वर्षों 87-88 88-89, एवं 89-90 में कम्प्यूटर स्टेशनरी उद्योग हेतु कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदनलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, एक तो यह मेरा सवाल ही नहीं है कि वर्ष 87-88, 88-89, 89-90 में कम्प्यूटर स्टेशनरी के लिए ऋण स्वीकृत हुआ या नहीं। मेरा मूल प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार का ऋण स्वीकृत हुआ और हुआ तो उसकी जांच हुई और जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? मेरा कहना है कि समाचार पत्रों में बड़ी खबरें भी छपी हैं जिनके अनुसार कम्प्यूटर स्टेशनरी में एक करोड़ का घोटाला हुआ है और मन्त्री महोदय ने कह दिया कि ऐसा कोई लोन ही नहीं दिया गया है मेरा कहना है कि मैसर्स प्रेस्राइज पेपर प्रिंट प्रा. लि., मैसर्स एबल कम्प्यूटर फार्म लि. और राजस्थान डेटा यू. सी. फार्म्स प्रा. लि. और मैसर्स सिद्धि विनायक प्रा. लि. इन चार इण्डस्ट्रीज को 99.58 लाख का ऋण दिया गया है। इसकी जांच भी हुई और जांच को दबा दिया गया। उसके बाद फिर मैनेजर, फाइनेंस ने भी गोपनीय रिपोर्ट दी उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिजीकल वेरीफिकेशन में यह बात साफ आई है कि जो बिल्डिंग है वह ठीक नहीं है और मशीनरी नहीं ली गई और बिना फिजीकल वेरीफिकेशन के एक करोड़ का घोटाला इसमें हुआ है ! क्या मन्त्री महोदय बताना चाहेंगे कि कभी यह लोन दिया या नहीं दिया और दिया तो जांच हुई और जांच हुई तो दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई या नहीं ? फिजीकल वेरीफिकेशन आपके विभाग ने किया या नहीं किया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गत तीन वर्षों में कोई ऋण दिया गया या नहीं यह प्रश्न पूछा था इसके आधार पर उत्तर दिया है। लेकिन जैसी माननीय सदस्य ने जानकारी

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

चाही है, यह सत्य है कि पांच यूनिट्स मैसर्स प्रेस्राइज पेपर लि., प्रिंट प्रा. लि., भिवाड़ी को 20 लाख की स्वीकृति 22.5.86 को हुई थी जिसके अगेन्स्ट में 18.95 लाख का ऋण दिया गया। दूसरी मैसर्स सिद्धि विनायक क्रोम प्रिंट, जैतपुरा को 24.46 लाख की स्वीकृति हुई थी 15.1.87 को और इनको 24.34 लाख का ऋण दिया गया। तीसरी यूनिट है मैसर्स एबल कम्प्यूटर फार्म्स प्रा. लि., भिवाड़ी को 16.8.87 को 23.77 लाख के मुकाबले में 22.14 लाख रुपये दिये गये। चौथी, मैसर्स राजस्थान डेटा यू. सी. फार्म्स प्रा. लि., भिवाड़ी को 31.3.87 को 24 लाख की स्वीकृति के अगेन्स्ट में 20.15 लाख दिये गये। पांचवी यूनिट मैसर्स कान्सेप प्रा. लि, बहरोड को 9.2.87 को 55 लाख की स्वीकृति के मुकाबले में 55 लाख रुपये दिये गये हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा यह बात सत्य है कि इन पांचों यूनिट्स में मेसर्स कान्सेप प्रा. लि, बहरोड चालू है। बाकी चारों इकाइयां बन्द हैं। इसलिए राजस्थान वित्त निगम ने अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत इनको अधिग्रहण कर लिया है। मै. एबल कम्प्यूटर फार्म्स को 14.6.81 को, मैं प्रेस्राइज पेपर प्रा. लि. को 6.7.88 को, मै. राजस्थान डेटा यू. सी. फार्म्स को 31.3.89 को, मै. सिद्धि विनायक क्राम प्रिंट को 16.12.88 को अधिग्रहण कर लिया है। इस सारे मामले में जांच करवाई गई है और जांच करवाने के बाद, नई सरकार आने के बाद महाप्रबन्धक वित्त श्री डी. के. जैन को प्रथम दृष्टया ऋण वितरण में अनियमितता का दोषी मानते हुए राज्य सरकार को उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु 23.4.90 लिखा जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण लाल मीणा।

सीता माता वन्य जीव अभयारण्य

369. **श्री नारायणलाल मीणा** (लसाड़िया) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या उदयपुर जिले में आदिवासी क्षेत्र में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में तेन्दु पत्ता की तुड़वाई सरकार की स्वीकृति से की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या यह कार्य ठेकेदार एवं अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है ? दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(2) क्या उक्त अभयारण्य में इटों के भट्टे चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो कब से बन्द हैं ? यदि चल रहे हैं तो सरकार दोषी अधिकारियों एवं भट्टा चलाने वालों के विरुद्ध क्या कदम उठाने जा रही है ?

(3) क्या वन विभाग ने पारसोला वनपाल क्षेत्र में जंगल की सुरक्षा के लिए कोट बनाया, वह पत्थरों का कोट मौके पर मौजूद है ? यदि नहीं, तो वनपाल एवं मुख्य वन रक्षक, पारसोला (उदयपुर) के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? भविष्य में कोट सुरक्षित रहे इसका सरकार क्या पुख्ता इन्तजाम कर रही है ?

Page No. 22

(22)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) (वन मन्त्री, श्रीमती मदनकौर के स्थान पर) : (1) जी नहीं। कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध पत्ता तोड़ने के प्रकरण दर्ज किये गये हैं। अत लापरवाही बरतने के अपराध में एक वनपाल को निलम्बित किया गया है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। कुछ व्यक्तियों के नियमों के अन्तर्गत एवजाना भी वसूल कर लिया गया है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता

(3) जी हां। चराई के अत्यधिक दबाव के कारण कोट क्षतिग्रस्त हुई है। इसमें कर्मचारियों का दोष नहीं पाया गया। कोट संधारण उपलब्ध बजट के अनुसार किया जाता है।

श्री नारायण लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. दो के उत्तर में बताया है कि प्रश्न ही नहीं उठता। जबकि वहां ईंटों के भट्टे आज भी मौजूद हैं क्या उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जानकारी देंगे तो जांच निश्चित रूप से करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भरोसीलाल।

कोटा संभाग के सिंचाई खण्डों में खरीद की अनियमितताएं

370. **श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) एवं श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 89-90 में कोटा संभाग में किन-किन सिंचाई खण्डों में किस-किस सामान की खरीद फरोख्त की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त खरीद फरोख्त में अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक की जाएगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री विजयसिंह झाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना नहीं आई है इसलिए इसे स्थगित करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाता है।

श्री महिपाल यादव (अनुपस्थित) : तारांकित प्रश्न स. 371 (कृपया आगे देखें)

श्री सालिगराम (अनुपस्थित) तारांकित प्रश्न सं. 372 (कृपया आगे देखें)

श्री बहादुर सिंह।

बांसवाड़ा जिले में लगे हैण्ड पम्प

373. **श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 89-90 में विभाग द्वारा कितने एवं कहां-कहां हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम आबापुरा पंचायत समिति तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा में सर्वे आफ इण्डिया ने ट्यूब वैल खोदा है ? यदि

Page No. 23

(श्री बहादुर सिंह)

हां, तो विभाग द्वारा क्या इसका उपयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 89-90 में स्वीकृत 495 हैण्डपम्पों की सूची संलग्न है।

(2) सन्दर्भित ग्राम में केन्द्रीय भूजल मण्डल द्वारा एक नलकूप खोदा गया था जिसके असफल होने के कारण उपयोग में लेना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न सं. दो का जवाब दिया है मंत्री महोदय ने। उनके विभाग ने सही जानकारी नहीं दी। क्योंकि केन्द्रीय भूजल विभाग की तरफ से जो सर्वे हुआ उसमें ट्यूबवैल खोदा गया जो आबापुरा गांव के बिल्कुल निकट था, नाले में इतना बढ़िया, मीठा पानी और ज्यादा पानी निकला है। उसकी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उस हैण्डपम्प में पानी ही नहीं निकला, वह बिल्कुल गलत रिपोर्ट पेश की गई है। क्योंकि आबापुरा में विस्थापित लोग रहते हैं और वहां पर पुराने भी गांव है, कम से कम दो-ढ़ाई हजार की जनसंख्या है जबकि उनको वह पानी काम में आ सकता है। वहां पर मीठा और ताजा पानी है। लेकिन विभाग के ऑफिसरों ने इसको गलत बतलाया है। इसको ड्राई बतलाया है. यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि वह हमारे निकट ही है और रोज आना-जाना पड़ता है। जिस समय यह पार्टी वहां ट्यूबवैल खोद रही थी तो हम लोग वहां रोजाना जाकर देखते थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी दुबारा जांच करवाई जाए और स्पष्टतया इसकी रिपोर्ट ली जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही शुभ सूचना दे रहे हैं। अगर वहां पर पानी पीने योग्य और अच्छा उपलब्ध है तो उसका निश्चित रूप से उपयोग करेंगे। यह सूचना किसने गलत दी, यह भी मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, माननीय कल्ला जी।

सार्वजनिक उपक्रमों की उपयोगिता

374. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की उपयोगिता की समीक्षा कर इन्हें अविलम्ब बन्द करने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो किन-किन उपक्रमों को बन्द किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के कौन-कौन से उपक्रम घाटे में चल रहे हैं ? उसके सुधार हेतु क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ? राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में विगत 5 वर्ष के हानि-लाभ के आंकड़ों की सूचना सदन

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

की मेज पर रखें। हानि हेतु किन-किन की जिम्मेदारी तय की गई ?

(3) ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज के इन निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में कब-कब क्या-क्या प्रतिवेदन दिये हैं और उनका सार सक्षेप में क्या है ? प्रतियां सदन की मेज पर रखें ?

(4) राज्य सरकार का इन पर कितना प्रभावी नियन्त्रण है एवं किस प्रकार है ? यदि नहीं है तो किस प्रकार से इन सार्वजनिक उपक्रम पर नियन्त्रण रख कर इन्हें लाभ की स्थिति में लाने का प्रयास किया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय राजकीय उपक्रम मंत्री जी।

राजकीय उपक्रम मन्त्री (श्री कृष्ण-कुमार गोयल) : (1) समय-समय पर की गई समीक्षा के फलस्वरूप राजस्थान स्टेट टैनरीज लिमिटेड, टोंक को बन्द कर बेचने की कार्यवाही चल रही है। राजस्थान राज्य वन विकास निगम लि. को राजस्थान भूमि विकास निगम में विलय कर राजस्थान वन एवं भूमि विकास निगम के नाम से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है।

(2) ऐसे उपक्रम जो कि वित्तीय वर्ष 1988–89 के कार्य परिणामों के आधार पर घाटे में हैं की सूची परिशिष्ट "क" पर है। राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के विगत 5 वर्षों के हानि-लाभ के आंकड़ों की सूचना परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है। राजकीय उपक्रमों के कार्य परिणामों में सुधार हेतु सरकार ने समय-समय पर कदम उठाये हैं। राजकीय उपक्रम ब्यूरो जिसका कि पुनर्गठन 1984 में किया गया, का उद्देश्य भी मुख्य रूप से उपक्रमों के कार्य कलापों का मूल्यांकन कर इनको सुझाव एवं मार्ग दर्शन प्रदान करना था तथा इनके घाटे की स्थिति को उभारने एव उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यक सुझाव/मार्गदर्शन देना है। ब्यूरो द्वारा अभी तक 32 राजकीय उपक्रमों के कार्य-कलापों का मूल्यांकन कर इनकी उत्पादकता बढ़ाने, लाभदेयता में वृद्धि करने आदि से सम्बन्धित सुझाव उपक्रमों को भिजवाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 13 उपक्रमों का द्वितीय मूल्यांकन भी किया जा चुका है। राजकीय उपक्रमों, जिनका कि ब्यूरो द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है की सूची परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है। सुझावों की अनुपालना हेतु इन राजकीय उपक्रमों से त्रैमासिक रिपोर्ट भी प्राप्त की जाने की व्यवस्था है।

मूल्यांकन के अतिरिक्त ब्यूरो द्वारा उपक्रमों की कार्य-प्रणाली, वेतन संरचना एवं अन्य प्रबन्धकीय पहलुओं पर भी समय-समय पर मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिनका उद्देश्य उपक्रमों की व्यवस्था में सुधार लाना, खर्चों में कमी एवं वित्तीय अनुशासन की दिशा में कदम उठाना है। उपक्रमों के अधिकारियों की दक्षता में सुधार की दृष्टि से विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय-समय पर आयोजित किये गये हैं।

राजकीय उपक्रमों में हानि हेतु किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।

(3) राजकीय उपक्रमों के बारे में ब्यूरो

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

द्वारा प्रति वर्ष एक प्रतिवेदन "पब्लिक एन्टरप्राइजेज प्रोफाइल" के नाम से तैयार किया जाता है। वर्ष 1983-84 से वर्ष 1987-88 तक कुल पांच प्रोफाइल तैयार किये जा चुके हैं जिनकी प्रतियां विधान सभा को भी भेजी गई है। वर्ष 1987-88 की प्रोफाइल की प्रतियां विधान सभा को दिनांक 30 6.90 को भेजी जा चुकी है।

पब्लिक एन्टरप्राइजेज प्रोफाइल 1987-88, जिसमें 1984-85 से 1987-88 तक की सूचना अन्तर्विष्ट है का सार संक्षेप में निम्न प्रकार से है :-

1. सार्वजनिक उपक्रमों में वर्ष 1987-88 के अन्त में कुल 2,392 करोड़ रुपये का विनियोजन था।

2. 1987-88 के अन्त में कुल विनियोजन राशि में से 473 करोड़ रुपये संचित हानि के रूप में ह्रास हो चुकी थी।

3. 1985-86 से 1987-88 की कालावधि में राज्य सरकार द्वारा विनियोजित राशि (पूंजी एवं कालावधि ऋण) उपक्रमों द्वारा इस अवधि में प्राप्त अतिरिक्त राशि का 42.4% था।

4. कुल 39 उपक्रमों में से, जिनसे संबंधित सूचनाएं प्रोफाइल में संकलित की गई है, 19 उपक्रमों में 1987-88 में लाभ अर्जित किया गया।

5. वर्ष 1987-88 में राजकीय उपक्रमों द्वारा उठाये गये कुल नुकसान का 87% राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कारण था।

6. 39 उपक्रमों में से 18 उपक्रमों ने वर्ष 1987-88 में अपने वित्तीय परिणामों में सुधार (लाभ की मात्रा में बढ़ोतरी या हानि में कमी) किया।

7. वर्ष 1987-88 में राजकीय उपक्रमों द्वारा विभिन्न मदों जैसे एक्साइज ड्यूटी, आयकर तथा पूंजी पर ब्याज आदि के रूप में राज्य कोष में 130.19 करोड़ रुपये जमा किये।

8. वर्ष 1987-88 में 5 राजकीय उपक्रमों ने लाभांश घोषित किया।

9. राजकीय उपक्रमों में कुल 1,04,042 व्यक्ति नियोजित थे।

(4) राजकीय उपक्रमों पर राज्य सरकार का पूर्ण प्रभावी नियंत्रण है। राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग एवं ब्यूरो के माध्यम से समय-समय पर निर्देश एवं मार्गदर्शन देती है। इसके अलावा राज्य सरकार प्रबन्धक-मण्डलों का गठन करती है अथवा प्रबन्धक मण्डलों में प्रतिनिधि नियुक्त करती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपने जो उत्तर दिया है, उसके अनुसार पांच पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम हैं वे लाभ की स्थिति में है और बाकी सभी घाटे की स्थिति में चल रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, उसके लिए सरकार

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

क्या व्यवस्था करने जा रही है और किस तरीके से, क्या वह उनके प्रशासनिक व्यय में कटौती करके अथवा किस तरीके से उन को लाभ में लाने की कोशिश करेंगी अथवा उनको बन्द करेंगी ? दूसरा प्रश्न, जो सार्वजनिक उपक्रम राज्य में काम कर रहे हैं, उनमें फिजूलखर्ची जैसे वाहनों पर खर्चा, टेलीफोन एस टी.डी. पर, टेलीफोन लाइन पर जितना खर्चा होता है और इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारी उसमें काम करते हैं, उनके लिए जो फिजूलखर्ची हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या आप उपाय कर रहे हैं ? उस के बाद में दूसरे प्रश्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उस का उत्तर बहुत ही विस्तृत रूप में आपके सामने आया। यह सच है कि जो राज्य उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, उससे सरकार काफी चिन्तित है। अरबों रुपया राज्य सरकार का और दूसरी वित्तीय संस्थाओं का इसमें उलझा हुआ है। उन्हें किस प्रकार से वायबल बनाया जाए और क्या इनमें से कुछ उपक्रमों को वापस चालू किये जाने की स्थिति बन सकती है ? सरकार इस पर समय समय पर विचार कर रही है और अभी भी विचार चल रहा है ताकि इस पर शीघ्र निर्णय लेकर अलग कदम उठाये जा सकें। आपने जो खर्चों की कमी की बात कही है वह भी हरेक यूनिट के साथ-साथ ब्यूरो ऑफ एन्टरप्राइजेज भी उसका सर्वेक्षण करती है, ऐनेलेसेस करती है, अपनी रिपोर्ट देती है और अभी इस समय आपने देखा कि माननीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, वह भी इन सारे प्रश्नों पर विचार कर रही है। इन प्रश्नों के आधार पर जहां-जहां आवश्यक होगा जहां-जहां भी कटौती करनी होगी, वह सारी कटौती की जायेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ब्यूरो पब्लिक एन्टरप्राइजेज ने जो प्रतिवेदन समय-समय पर दिये हैं, क्या उनकी रिकमण्डेशन्स को आप लागू करेंगे ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : ब्यूरो ऑफ एन्टरप्राइजेज से जो भी रिपोर्ट, प्रतिवेदन आते हैं वे सम्बन्धित विभाग को तुरन्त उनकी पालना हेतु भेजे जाते हैं और सिर्फ भेजे नहीं जाते हैं, उन्हें मोनिटरिंग भी किया जाता है कि जो कुछ भी उन्होंने प्रतिवेदन दिया है, जो कुछ भी उन्होंने रिपोर्ट दी है उसकी अक्षरशः पालना की जाए और उस पालना की हर सम्भव प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं अन्तिम प्रश्न यह करना चाहता हूं कि जो पब्लिक सेक्टर के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, उनमें क्या आप घाटा कम करेंगे या उनको बन्द करेंगे ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस पर तत्काल जवाब देना उचित नहीं होगा। किसी को भी बन्द करना बहुत आसान है। पूरे प्रयास किये जायेंगे कि उन उपक्रमों को चलाया जाए। लेकिन अगर यह देखा जाता है कि उनको चलाना निरर्थक है, ये केवल भार बने हुये हैं तो आवश्यक

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

समय आने पर यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि इनको बेचा जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

माही नहर, डूंगरपुर

354. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला डूंगरपुर में माही नहर के कार्य को पूर्ण करने पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धन राशि का प्रावधान रखा गया है?

(2) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए माही व बजाज सागर परियोजना के लिए कुल प्रावधान 120 करोड़ रुपये का है जिसमें से लगभग 60 करोड़ रुपये एक्सटेन्डेड कमाण्ड में लगाये जा सकेंगे।

(2) जितनी धनराशि उपलब्ध हो सकी उसी के अनुरूप प्रावधान रखा गया है।

सुजानगढ़-रतनगढ़ राष्ट्रीयकृत मार्ग

355. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या डीडवाना-सरदारशहर रूट पर आने वाली सुजानगढ़-रतनगढ़ सड़क जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है, पर पड़ने वाले छापर कस्बे के पूर्व और रेल्वे स्टेशन होकर बाईपास सड़क है?

(2) क्या यह सही है कि इस बाईपास सड़क से होकर बसें चलाई जावें तो दूरी में 3 कि. मी. की कमी होगी? यदि हां, तो फिर क्यों नहीं निगम की बसों को वाया तालछापर रेल्वे स्टेशन होकर चलाई जावे ताकि रेलों से उतरने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिल सके?

(3) क्या निगम यात्रियों की सुविधा के लिये स्पेशल बस स्थायी रूप से बीदासर-तालछापर रेल्वे स्टेशन के बीच रेलगाड़ियों के समय के मुताबिक चलाने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक बसें चालू कर दी जावेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि छापर कस्बे के नागरिकों, विभिन्न संगठनों और जन-प्रतिनिधियों ने पिछले एक साल से लगातार विभाग के अधिकारियों को निगम की बस बीदासर-तालछापर रेल्वे स्टेशन से होकर चलाने के लिये प्रार्थना-पत्रों के जरिये निवेदन भी किया था?

(5) क्या यह भी सही है कि हैड आफिस जयपुर द्वारा इस बाबत बस चलाने के लिये रोडवेज डिपो, सीकर व सरदारशहर को निर्देश दिये थे? यदि हां, तो अब तक इतने लम्बे अर्से तक भी बस की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? अब कब तक बीदासर-तालछापर रेल्वे स्टेशन के बीच निगम की बसें रेलों के समय के मुताबिक चालू कर दी जावेंगी?

उत्तर

(1) बाई पास नहीं है। सड़क जो स्टेशन जाती है वह कस्बे के अन्दर से निकलती है।

(2) जी हां। यह मार्ग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं है।

(3) जी हां। सुजानगढ़, तालछापर, बीदासर राष्ट्रीयकृत मार्ग के अनुज्ञापत्रों का वृद्धिकरण तालछापर रेल्वेस्टेशन तक कराये जाने हेतु उपमहा प्रबंधक बीकानेर को निर्देशित किया जा चुका है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा वृद्धिकरण किये जाने पर ही तालछापर रेल्वे स्टेशन तक बस सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी हां।

(5) जी हां। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा निगम के अनुज्ञापत्रों का वृद्धिकरण तालछापर रेल्वे स्टेशन तक कर दिये जाने पर रेल्वे स्टेशन तक सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव होगा।

करौली में औद्योगिक क्षेत्र

357. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील करौली में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके लिए कहां स्थान उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या इस हेतु उद्यमियों ने वांछित अपेक्षाएं पूरी कर दी है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) तहसील करौली के ग्राम बूरखेड़ा की 12 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की योजना रीको के विचाराधीन है।

(2) तहसील करौली जिला सवाई माधोपुर में उद्योग लगाने हेतु 51 उद्यमियों द्वारा मय धरोहर राशि 500/ रु. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से कुछ उद्यमियों ने सादा कागज पर आवेदन किया है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना न होने के कारण कुछ उद्यमियों द्वारा पंजीयन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, साइट प्लान इत्यादि अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा भूमि अवाप्ति होने के पश्चात् ही उक्त उद्यमियों को उनसे निर्धारित आवेदन पत्र एवं वांछित कागजात प्राप्त कर, भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।

सोडियम सल्फेट प्लांट, डीडवाना

361. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में सोडियम सल्फेट प्लांट मैसर्स डीडवाना केमिकल को लीज पर 10 साल के लिए दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि नमक के क्यारों में बनने वाला क्रूड सल्फेट राज्य

(श्री उम्मेद सिंह)

सरकार का है ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नमक उत्पादकों के साथ समझौते में हैं फिर भी 1984 में नया अनुबन्ध उक्त फर्म से करके कूड सल्फेट उन्हें दे दिया गया ? क्या यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि मैसर्स डीडवाना केमिकल में लगभग 2 करोड़ रुपये किराये इत्यादि के पेटे बाकी हैं ? यदि हां, तो इसकी वसूली की क्या प्रगति है ?

(4) क्या यह सही है कि अब दूसरी पार्टी को यही एरिया मात्र नमक बनाने के लिए लीज पर दिये जाने की कार्यवाही चल रही है ?

(5) क्या सरकार ऐसी स्थिति में इस 103 एकड़ जमीन में विभागीय स्तर पर नमक बनाने का विचार रखती हैं ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। मैसर्स डीडवाना केमिकल्स को वर्ष 1984 में कूड देने हेतु अनुबन्ध की शर्तों के तहत पंच फैसले में निर्णय हुआ था। इसी के अनुरूप वर्ष 1984 में पूरक अनुबन्ध कर उक्त फर्म को कूड सोडियम सल्फेट दिया गया था। निर्णय पट्टे की शर्तों पर आधारित था जो आपसी सहमति से किया गया था।

(3) मैसर्स डीडवाना केमिकल्स तथा राज्य सरकार में किराये के बारे में पंचाट निर्णय हेतु प्रकरण लम्बित है। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से न्यायालय में उनके विरुद्ध वसूली का दावा प्रस्तुत किया हुआ है। कुल देय राशि निर्णय के उपरान्त ही तय हो सकेगी।

(4) जी हां। उक्त इकाई का विक्रय तथा 103 एकड़ नमक क्षेत्र नई पार्टी को लीज पर दिया जाना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) जी नहीं। सरकार के पास पहले ही करीब 400 एकड़ भूमि में नमक उत्पादित होता है। इस नमक में काफी मात्रा में अखाद्य नमक उत्पादित होने के कारण उसके विक्रय की समस्या बनी हुई है, ऐसी स्थिति में सरकार और अधिक नमक उत्पादन करने की इच्छुक नहीं है।

प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक

362. श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बी. एड. एवं एस. टी. सी. के प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उनकी कितनी-कितनी संख्या है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन प्रशिक्षित बी. एड./एस. टी. सी. अध्यापकों को राज्य के विद्यालयों में सैकड़ों रिक्त स्थानों पर नियोजित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बी. एड. अध्यापक

(शिक्षा मन्त्री)

36646 तथा एस. टी. सी. प्रशिक्षित अध्यापक 13623 पंजीकृत है।

(2) जी हां। रिक्त पदों के अनुसार पदों को भरने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

सवाई माधोपुर खण्डार रेंज में वृक्षारोपण

363. श्री चुन्नीलाल (खण्डार): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1989-90 व 1990-91 में सामाजिक वानिकी रेंज सवाई माधोपुर खण्डार में वृक्षारोपण हेतु कितनी-कितनी राशि खंडार व सवाई माधोपुर रेंज के लिए स्वीकृत हुई और कितने-कितने वृक्ष कहां-कहां लगाने का लक्ष्य था ? उक्त लक्ष्यों की पूर्ति की स्थिति क्या है ?

(2) स्वीकृत राशि में से वृक्षारोपण हेतु किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? कितने वृक्ष लगाये गये ?

(3) पौधे किस नर्सरी में तैयार किये गये और प्लान्टेशन हेतु बीज पोलीथिन बैग खाद उर्वरक आदि किस-किस फर्म से कितनी मात्रा व मूल्य में किस प्रक्रिया से खरीदे गये ?

(4) क्या यह सही है कि मार्च 1989 व मार्च 1990 में खरीदे गये पोलीथिन बैंक स्टाक में फर्जी बिल बनाकर अंकित किये गये जिसे बाद में सम्बन्धित रेंज कर्मचारी व अन्य से काम में लेने की रसीदें लेकर कागजों की पूर्ति कर राजकोष का दुरुपयोग किया गया ? क्या उक्त सामग्री खरीद के स्टाक का विभागीय स्टोर सत्यापन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 89-90 व 90-91 में सामाजिक वानिकी रेंज सवाई माधोपुर एवं खण्डार में वृक्षारोपण हेतु स्थलवार स्वीकृत राशि वृक्ष लगाने के लक्ष्य एवं लगाये गये वृक्षों का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) स्थल वार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जिन-जिन नर्सरियों में पौधे तैयार किये गये उनका विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार एवं प्लांटेशन हेतु खरीदे गये बीज, पोलीथिन बैग, खाद उर्वरक आदि का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। उक्त सामग्री खरीद के स्टाक का सत्यापन किया गया है। रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सवाई माधोपुर जिले के औषधालय

365. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई माधोपुर जिले में कितने ऐसे आयुर्वेदिक औषधालय हैं जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है ? अब तक औषधालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न लगाने का क्या कारण है तथा कब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त कर दिये जावेंगे ?

(2) सवाई माधोपुर जिले में कुल कितने औषधालय हैं तथा उनमें प्रति वर्ष कितनी औषधियां प्रत्येक औषधालय में 1985 से 1990 तक दी गई ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में स्वीकृत आयुर्वेद औषधालयों में से 8 औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नवीन नियुक्ति पर, राज्य सरकार प्रतिबन्ध के कारण यह पद रिक्त है। प्रतिबन्ध समाप्त होने पर नवीन नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) सवाई माधोपुर जिले में 177 आयुर्वेदिक, 9 यूनानी, तीन होम्योपैथिक कुल 189 औषधालय/चिकित्सालय स्वीकृत है। वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक इन औषधालयों को वितरित की गई औषधियों का विवरण (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

लूणी पंचायत समिति का विद्युतीकरण

366. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना कब प्रारम्भ हुई ? इसके अन्तर्गत अब तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है एवं कितने ग्राम शेष हैं तथा शेष रहे ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि जिन ग्रामों में विद्युतीकरण हुआ है, उनमें से काफी ग्रामों में ट्रांसफार्मर तक नहीं लगे हैं जिसके अभाव में कई ग्रामों में एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है ?

(3) यदि हां, तो विद्युतीकरण योजनान्तर्गत लिए गए ग्रामों में कब तक ट्रांसफार्मर लगाकर इन ग्रामों में विद्युत कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की प्रथम योजना मार्च, 1979 में प्रारम्भ हुई। पंचायत समिति के कुल 105 ग्रामों में से विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं के अन्तर्गत 66 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अब स्वीकृत 15 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष है। 24 ग्राम पंचायत समिति लूणी की प्रथम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना

(ऊर्जा मंत्री)

के आरम्भ होने से पूर्व में ही विद्युतीकृत किये जा चुके थे। शेष रहे ग्रामों का विद्युतीकरण राज्य सरकार द्वारा योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप आगामी वर्षों में किया जा सकेगा।

(2 व 3) जी हां। विद्युतीकृत ग्रामों में से 7 ग्रामों में ट्रान्सफार्मर नहीं लगाये हुये हैं। इन सात ग्रामों में से 5 ग्रामों में आवेदन पत्र अभी हाल ही में प्राप्त हुये हैं तथा शेष 2 ग्रामों में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं। जिन ग्रामों में आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं उन ग्रामों में ट्रान्सफार्मर लगाकर विद्युत कनेक्शन देने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। शेष 2 ग्रामों में आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

ग्राम सैदपुर (तिजारा) के किसानों को मुआवजा

367. **श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा तहसील तिजारा के ग्राम सैदपुर के किसानों की अधिग्रहण की गई जायदाद का पूरा मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ? किन-किन किसानों को मुआवजे की कितनी-कितनी राशि होगी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त जायदाद रीको से यू.आई.टी. ने खरीद ली है ? यदि हां, तो किस दर से व रीको ने किसानों से किस दर से ली थी ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम सैदपुर तहसील तिजारा में निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिये अधिग्रहण की गई भूमि का पूरा मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी, किशनगढ़बास के यहां जमा करा दिया गया है। मुआवजा भुगतान करने के सम्बन्ध में निगम के स्तर पर कोई विलम्ब नहीं है।

(2) जी हां। उच्च स्तर पर हुए समझौते के आधार पर ग्राम सैदपुर में कुल 150 बीघा 18 बिस्वा भूमि यू.आई.टी., अलवर को 65000/ प्रति एकड़ की दर पर हस्तान्तरित की गई है। उक्त भूमि रीको द्वारा किसानों से 32000/– प्रति एकड़ चाही भूमि एवं बारानी भूमि 24000/– प्रति एकड़ की दर से प्राप्त की गई थी।

अनधिकृत बसें

371. **श्री महीपाल यादव (बहरोड़) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार राज्य में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ कितनी अनधिकृत बसें किस-किस रूट पर चल रही है ? इस सम्बन्ध में क्या जिला व राज्य स्तर पर समय-समय पर विचार हुआ है ? यदि हां, तो विचार-विमर्श में लिये गये निर्णयों के सन्दर्भ में कितनी सफलता मिली है और इससे राजकोष में कितनी वृद्धि हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महीपाल यादव)

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के फलस्वरुप उक्त अनधिकृत वाहनों के मालिकों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों? राज्य सरकार की उक्त अवैध बसों के चलन की रोकथाम हेतु क्या भावी योजना है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के अलावा अनधिकृत रुप से बसों का संचालन चैकिंग के दौरान पाया गया है। अनधिकृत बसें किस किस रुट पर कितनी चल रही है, निश्चित संख्या बताना संभव नहीं है। अनधिकृत संचालन को रोकने के सम्बन्ध में राज्य एवं जिला स्तर पर समय समय पर विचार हुआ है और रोकथाम की कार्यवाही भी हुई है। वर्ष 1889-90 में चैकिंग दलों द्वारा कुल 89578 वाहन चैक किये गये हैं। जिसमें अनधिकृत बसें भी शामिल हैं। 22748 वाहनों के चालान किये गये एवं 6234 वाहन सीज किये गये जिसके फलस्वरुप 285.84 रु० राशि वसूल की गई जिसमें संधारित राशि 88.87 लाख वसूल की गई है। अप्रेल 90 से जून 90 46467 वाहनों को चैक किया गया, 23695 वाहनों के चालान किये गये एवं 2729 वाहन सीज किये गये जिसके फलस्वरुप 85.44 लाख रुपये की राशि वसूल की गई, जिसमें संधारित राशि 31.56 लाख रुपये भी सम्मिलित हैं।

(2) जी हां। अनधिकृत वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर अप्रेल 89 से जून 90 तक 371.28 लाख रुपये, 121.20 लाख रुपये संधारित राशि भी सम्मिलित बतौर जुर्माने वाहन मालिकों से वसूल की की गई है। राज्य सरकार की उक्त अवैध बसों के संचालन को रोकने हेतु नियमित चैकिंग के अतिरिक्त समय समय पर विशेष अभियान चलाकर प्रभावी चैकिंग करने की योजना है।

निजी क्षेत्र में विद्युत् परियोजनाएं

372 श्री सालिगराम नेता (बयाना) एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार राज्य में विद्युत संकट को देखते हुए निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार को अभी तक किन-किन क्षेत्रों के लिए किन-किन से व कहां-कहां से प्रस्ताव प्राप्त हुए है ?

(2) उक्त प्रस्तावित परियोजनाओं से कितनी मेगावाट विद्युत आपूर्ति की सम्भावना है ?

(3) इन योजनाओं का परीक्षण एवं अनुमोदन कर किन-किन शर्तों पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। अभी तक राज्य सरकार को केवल मात्र एक प्रस्ताव मैसर्स सैंचुरी टैक्सटाइल्स एवं इण्डस्ट्रीज लिमि. बम्बई से निजी क्षेत्र में तापीय बिजली घर के लिए प्राप्त हुआ है जिसके चितौड़गढ़ में स्थापित किये जाने की संभावना हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त प्रस्तावित परियोजना से 2×210 मेघावाट विद्युत की आपूर्ति प्रस्तावित है।

(3) राज्य सरकार द्वारा इसे स्थापित करने के लिए दिनांक 22.4.88 को अनुज्ञा पत्र की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। परियोजना को तकनिकी-आर्थिक स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा पूंजी विनियोजन स्वीकृति योजना आयोग द्वारा प्रदान की जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मध्यम आय वर्ग के मकानों का आवंटन

558. श्री रामनारायण बैरवा (निवाई): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर के लिये वर्ष 1979 की सामान्य योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "ब" श्रेणी के मकानों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र हाउसिंग बोर्ड में प्राप्त हुए हैं ?

(2) उक्त प्रार्थना पत्रों में कितने प्रार्थियों ने एक मंजिले मकान मासिक किश्त पद्धति पर आवंटन के लिये मांग की थी ?

(3) प्रश्न के भाग दो में से कितने प्रार्थियों को मकान आवंटन कर दिये और कितने प्रार्थियों को मकान आवंटन करना शेष है ? शेष प्रार्थियों के नामों की प्राथमिकता क्रम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 में मध्यम आय वर्ग (ब) श्रेणी का एक भी मकान किश्त पद्धति पर जयपुर शहर में आवंटित नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो किन-किन को उक्त श्रेणी के मकान आवंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त तीन वर्षों में जयपुर शहर में स्ववित्त योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "ब" के कितने मकान आवंटन किये गये ?

(6) उक्त अवधि में हाउसिंग बोर्ड के इसी आय वर्ग के कितने कर्मचारियों को जयपुर शहर में मकान आवंटन किये गये ?

(7) सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को मध्यम आय वर्ग "ब" श्रेणी के एक मंजिले मकान किश्त पद्धति पर आवंटन करना बन्द क्यों किया गया और क्या सरकार हाउसिंग बोर्ड से जयपुर शहर में मध्यम आय वर्ग "ब" श्रेणी के एक मंजिले मकान किश्त पद्धति पर देना पुनः प्रारम्भ करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्ष 1979 की सामान्य योजना में पंजीकृत व्यक्तियों को उनकी जमा राशि ब्याज सहित वापिस लौटायेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के लिए सामान्य पंजीकरण योजना वर्ष 1979 के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "ब" की श्रेणी में कुल 5345 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(2) आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में कहीं भी एक मंजिल अथवा बहुमंजिले मकानों के आवंटन का विकल्प नहीं दिया

Page No. 35

(आवासन मंत्री)

गया। 5345 पंजीकृत आवेदकों में से 4402 आवेदकों ने मासिक किश्त पद्धति पर आवास आवंटन हेतु विकल्प दिये हैं।

(2) प्रश्न के भाग दो में अंकित किसी भी आवेदक को किराया क्रय पद्धति पर आवास आवंटन नहीं किया गया है। चूंकि किसी भी आवेदक को आवास आवंटन नहीं किया गया है, अतः सूची सदन की मेज पर रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखे जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(5) वित्तीय वर्ष 1986-87, 87-88, 88-89 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग 'ब" के क्रमशः 143,48 एवं 123 कुल 324 मकान आवंटित किये गये।

(6) इसी आय वर्ग को उक्त अवधि में बोर्ड कर्मचारियों को किराया क्रय पद्धति में कोई आवंटन नहीं किया गया।

(7) सामान्य श्रेणी के मध्यम आय वर्ग "ब" के आवेदकों को एक मंजिले आवास किश्त पद्धति पर आवंटन करना बन्द नहीं किया है। आवंटन मकानों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। अगर कोई पंजीकृत आवेदक अपनी जमा राशि वापिस लेना चाहता है तो उसे नियमानुसार देय ब्याज सहित राशि लौटायी जाती है।

नियोजन कार्यालय से नाम मंगवाने की अनिवार्यता

559. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा के गत सत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 27-3-1990 को रोजगार कार्यालयों से नाम मंगवाने की अनिवार्यता समाप्त करने की घोषणा की गई थी ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस सम्बन्ध में पूर्व में ही आदेश दिनांक 29-1-90 को जारी किये जा चुके हैं (प्रति संलग्न है)।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

उप मुख्य अभियन्ता कार्यालय

560. श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मंडल का उप मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सीकर का बीकानेर, झुन्झुनूं का जयपुर एवं नागौर का जोधपुर है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त तीनों जिलों के बीच में स्थित सीकर शहर में उक्त अभियन्ता का कार्यालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर वृत का उप मुख्य अभियंता कार्यालय बीकानेर में है। झुन्झुनूं वृत का

(ऊर्जा मन्त्री)

उप मुख्य अभियन्ता कार्यालय जयपुर में है। नागौर का अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय जोधपुर में है।

(2) जी नहीं। सीकर शहर में उप मुख्य अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव प्रशासनिक व मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन नहीं है।

बीसलपुर परियोजना का वन क्षेत्र

561. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र में कितने भवनों का निर्माण हुआ, कितनी लम्बी सड़कें बनीं ? इन भवनों एव सड़कों के क्षेत्र में कितनी खानें वैध हैं और कितनी अवैध हैं ?

(2) क्या वन सरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इन सबके लिए स्वीकृति ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? बिना इजाजत निर्माण से कितनी राजस्व आय की हानि हुई है, और उसमें कौन दोषी है ?

(3) क्या बीसलपुर बोटूण्डा वन खण्ड में भीषण आग लगी थी ? यदि हां, तो कितनी वन सम्पदा का नुकसान हुआ ? क्या हजारों पेड़ों के जल जाने अथवा झुलस जाने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या इसकी जांच की गई है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीसलपुर परियोजनान्तर्गत 42.21 हैक्टेयर वन भूमि निर्माण कार्यों में तथा 315.42 हैक्टेयर हेतु वन भूमि डूब क्षेत्र में आयेगी। प्रयोग शाला, फील्ड होस्टल, बेचिंग प्लान्ट हेतु 0·40 हैक्टेयर; लेबर हैटस, आवासीय क्वार्टर व वाटर टैंक हेतु 1.20 हैक्टेयर तथा 22 किलो मीटर सड़कों के निर्माण में 30.9 हैक्टेयर वन भूमि का उपयोग हुआ है। इस परियोजना के कार्यों हेतु पत्थर निकालने में 1.50 हैक्टेयर वन क्षेत्र का उपयोग हुआ है। बीसलपुर से टोडा रायसिंह तक के वन क्षेत्र में 166 खानें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के विपरीत हैं जिसमें से 26 न्यायालय के आदेशों से खनन कार्य जारी रखे हुए तथा 140 खानें विभाग द्वारा बन्द करवाई गई हैं।

(2) जी नहीं। 20.13 हैक्टेयर वन भूमि अनारक्षित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भिजवाये गये थे। परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा पुनः आंकलन कर 358 हैक्टेयर वन क्षेत्र अनारक्षित किये जाने के संशोधित प्रस्ताव भिजवाये गये हैं, जो स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भिजवाये जा रहे हैं।

(3) जी हां। 150 हैक्टेयर क्षेत्र में स्वतः ही आग लगी थी जिसमें अधिकांशतः स्थानीय लापला घास एवं पांच से सात हजार वृक्षों की छाल एवं पत्ते जले हैं। आग लगने के कारणों की जांच करवाई जा रही है।

कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति

562. श्री निर्भयलाल (रूपवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1990 एवं 24 फरवरी, 1990 को कुछ कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति दी गई थी ? यदि हां, तो कब-कब, कितने कितने अभियन्ता नियुक्त किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का ध्यान रखा गया है ? यदि हां, तो इन वर्गों के चयनित अभियन्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि 24 मार्च, 1990 को जारी की गई सूचियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक भी आशार्थी चयनित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सर्वश्री बृजेश कुमार वर्मा, किशोर एवं के. एल. वर्मा साक्षात्कार में सम्मिलित हुए थे ? यदि हां, तो 24 मार्च, 1990 की सूची में आरक्षण कोटा पूरा क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इन तीनों आशार्थियों को नियुक्ति देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत मण्डल के आदेश दिनांक 14.2.1990 द्वारा 21 व आदेश दिनांक 24.3.1990 द्वारा 15 व्यक्तियों को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियुक्ति दी गई थी। नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया था एवं 3 अनुसूचित जाति एवं 3 ही जनजाति के व्यक्तियों को चयनित किया गया। इस वर्ग के चयनित अभियन्ताओं के नाम उपरोक्त सूची "अ" में दर्शा दिये गये हैं।

(3) जी हां, यह सही है कि 24 मार्च, 1990 को जारी किये गये आदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक भी आशार्थी नहीं था क्योंकि चयन समिति द्वारा चयनित समस्त अभियन्ताओं को नियुक्ति आदेश दिनांक 14.2.1990 के द्वारा पूर्व में ही दे दी गई थी।

(4) इनमें से केवल बृजेश कुमार वर्मा ही साक्षात्कार में सम्मिलित हुये थे। चयन समिति द्वारा इन्हें चयन के योग्य नहीं पाये जाने के कारण इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी। चयन समिति ने इन वर्गों के जिन अभ्यर्थियों का चयन किया उन सभी को नियुक्ति दी जा चुकी है। जिन्हें चयनित नहीं किया गया उन्हें नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट- 4 देखें)

जोधपुर नगर सुधार न्यास के मकान

563. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास के

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

पास अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास हेतु न्यास के अपने कितने मकान हैं ?

(2) क्या यह सही है कि न्यास के एक मकान में अभी तक न्यास के पूर्व अध्यक्ष एवं एक अन्य मकान में न्यास के पूर्व सचिव रह रहे हैं ?

(3) यदि हां, तो न्यास ने यह मकान किस प्रावधान के तहत अभी तक खाली नहीं करवाये ?

(4) क्या उपरोक्त वर्णित मकानों का किराया नियमित रूप से वसूल किया जाता रहा है ?

(5) यदि नहीं, तो अब तक पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सचिव से कितनी-कितनी राशि वसूल की जानी बाकी है और न्यास इस राशि को वसूल करने एवं अपने मकान खाली करवाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास के पास अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये 3 बंगले एवं 3 क्वाटर्स हैं।

(2) यह सही है कि न्यास के एक मकान में अभी तक न्यास के पूर्व अध्यक्ष रह रहे हैं एक अन्य मकान में न्यास के पूर्व सचिव रह रहे थे। जो दिनांक 7.6.90 से न्यास के सचिव पद पर पुनः पदस्थापित हुए हैं।

(3) न्यास के मकान खाली करवाने के सम्बन्ध में राजस्थान पब्लिक प्रिमेसेज (इविक्शन आफ अन आथोराइड आकंयूपेन्टस) एक्ट 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में पूर्व अध्यक्ष से मकान खाली करवाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(4) न्यास के सचिव से भवन का किराया नियमित रूप से वसूल किया जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष से भवन का किराया वसूल नहीं हो रहा है।

(5) अब तक पूर्व अध्यक्ष में 2,13,640 रु. (दिनांक 11.6.81 से 10.7.90) बकाया है। इस राशि को वसूल करने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। मकान खाली करवाने के लिये जिलाधीश, जोधपुर को लिखा गया है। पूर्व सचिव न्यास में पुनः सचिव पद पर पदस्थापित हो गये हैं। अतः उनके मकान खाली करवाने का सवाल ही नहीं होता है।

ग्राम विलावलो (झालावाड़) का
आंगन वाड़ी केन्द्र

564. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) एवं श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की पंचायत तलावली के ग्राम बिलावलो में जो आंगन बाड़ी केन्द्र चलता है उसमें दिनांक 5.6.1990 को 2 कट्टे दलिया ब्लैक करते हुए पकड़ा गया ? क्या राज्य सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवा

Page No. 39

(39)

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

कर कड़ी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डग के आंगन बाड़ी केन्द्र के अधिकारी श्री गुप्ता सुपरवाइजर से 100/- रु. प्रति माहवार तथा आंगन बाड़ी केन्द्र की अध्यापिकाओं से 50/- रु. प्रति माहवार लेता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

( ) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों में स्टाफ

565. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1989-1990 में, जिला कोटा, बून्दी एवं झालावाड़ में कहां-कहां आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले गये ?

(2) क्या उन सभी चिकित्सालयों पर यथेष्ठ स्टाफ लगा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक स्टाफ लगा दिया जायेगा ?

(3) क्या उक्त चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाइयां, सर्जरी सामान, स्टेशनरी (रजिस्टर, रोगी पर्चियां) पट्टियां, रूई इत्यादि आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 में जिला कोटा में तीन आयुर्वेदिक औषधालय एवं एक होम्योपैथी औषधालय, जिला बून्दी में दो आयुर्वेदिक औषधालय तथा जिला झालावाड़ में दो आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत किये गये हैं। स्थानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) इन औषधालयों में स्टाफ पदस्थापित करने का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है। चिकित्सक का पद सभी औषधालयों में भरा हुआ है।

नर्स/कम्पाउण्डर का पद एक औषधालय में रिक्त है, जिसे शीघ्र ही भर दिया जावेगा। परिचारक के पद नवीन नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने से रिक्त हैं। प्रतिबन्ध हटने पर नवीन नियुक्ति से पद भर दिये जावेंगे।

(3) सकतपुरा (कोटा), उदयपुरिया (कोटा) एवं रमायदलपत (झालावाड़) के औषधालय को छोड़कर शेष सभी औषधालयों को औषधियां (रूई, पट्टियों सहित) सर्जिकल सामान, स्टेशनरी आदि की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर दी गई है। जिसका विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है। बारां (कोटा) के होम्योपैथिक औषधालय को अभी सर्जिकल सामान नहीं भेजा गया है। इन औषधालयों को यह सामान

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

औषधालय आरम्भ होने पर उपलब्ध करा दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

ग्राम कारोठ (अलवर) का बस स्टैण्ड

566. श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजगढ़ (अलवर) कस्बे में बसों के आवागमन को सुव्यवस्थित करने हेतु एवं यात्रियों की सुविधा के लिये ग्राम कारोठ के समीप लगभग 13 लाख रुपये व्यय कर बस स्टेण्ड का निर्माण कराया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उसको प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? बस स्टैण्ड का शीघ्र प्रारम्भ करने का सरकार का अब कब तक विचार है ? नही, तो क्यों ?

(3) क्या इतनी राशि का विनियोजन करने के उपरान्त भी बस स्टैण्ड चालू नहीं होने से विनियोजित राशि व्यर्थ सिद्ध हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजगढ़ कस्बे की एक प्रमुख आवश्यकता को एवं ग्राम नागरिकों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए नगरपालिका राजगढ़ (अलवर) द्वारा अपनी आय में से लगभग 6 लाख रुपये व्यय कर एक नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण कराया गया है, जिसका 90% काम सम्पूर्ण हो चुका है। शेष 10% कार्य जैसे गेट लगाना, फिनिसिंग आदि होना शेष है।

(2) बस स्टैण्ड का कुछ कार्य जैसे गेट लगाना, फिनिसिंग आदि होना शेष है तथा नगरपालिका द्वारा राजस्थान पथ परिवहन निगम से अनुबन्ध करने व सार्वजनिक निर्माण विभाग से मूल्यांकन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने पर बस स्टैण्ड प्रारम्भ किया जावेगा।

(3) जी नहीं।

अजमेर जिले में बस सुविधायें

567. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या निम्नांकित राष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थानीय बसों के मार्ग के आस पास 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों को आवागमन के साधन से जोड़ने का राज्य सरकार विचार रखती है :–

1. भिनाय-अजमेर बसों को वाया भटियानी, देराठू
2. ब्यावर-नसीराबाद चलने वाली बसों को बिच्चियावास

(2) क्या यह सही है कि अरांई से अजमेर वाया तिहारी, कानपुरा, श्रीनगर चलने वाली मिनी बसें समय पर नहीं चलती हैं और बसों की हालत अत्यधिक

(श्री सांवरलाल)

खराब होते हुए भी निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां भर ली जाती हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार की भराई से अजमेर वाया तिहारी-कानपुर-श्रीनगर मार्ग को राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत सम्मिलित करने का प्रस्ताव इसी वर्ष में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस मार्ग पर काफी बड़े-2 गांव आते हैं जिनसे राज्य सरकार को निगम की बसें चलाने से लाभ होगा और जनता को आवागमन की सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध हो सकेगी ?

उत्तर

(1) अजमेर से भिनाय राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने वाली निगम की बसों को वाया देरात-भटियानी ग्रामों में होकर चलाने का विचार नहीं है। क्योंकि इससे इस मार्ग की दूरी 7 कि मी. बढ़ जायेगी जिससे अजमेर से भिनाय जाने वाले सीधे यात्रियों को न केवल यात्रा समय अधिक लगेगा अपितु अधिक किराया भी वहन करना पड़ेगा जिससे जन असन्तोष बढ़ेगा।

ग्राम बिकियावास ब्यावर-नसीराबाद राष्ट्रीयकृत मार्ग पर 2 कि. मी. अन्दर की ओर स्थित है जिससे होकर निगम द्वारा वर्तमान में 2 अप एवं 2 डाउन परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं।

(2) इस मार्ग पर कोई मिनी बस नहीं चलती है। जो बसें चलती है अच्छी हालत में है। चैकिंग के दौरान स्वीकृत सीमा से अधिक सवारी पाने पर इन बसों के विरुद्ध चालान बनाए जाते हैं।

(3) इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना का प्रकाशन दिनांक 30-11-87 को किया जा चुका है लेकिन निजी वाहन स्वामियों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय से दिनांक 7-3-90 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण इस योजना पर प्राप्त आक्षेपों की सुनवाई पूर्ण नहीं की जा सकी है। स्थगन आदेश निरस्त हो जाने के पश्चात् आक्षेपों की सुनवाई पूर्ण कर योजना का अन्तिम रूप से प्रकाशन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी हां।

सागवाड़ा क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर

568. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर तकनीकी अभाव के कारण व्यर्थ पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों व कितने समय से ? क्या यह टेकनीकल व्यक्तियों के अभाव के कारण बन्द हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में भारी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कोई भी बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर तकनीकी या तकनीकी व्यक्तियों के अभाव के कारण व्यर्थ नहीं पड़ा है। 33/11 के. वी. ए. 5 एम. वी. ए. ट्रांसफार्मर को लगाने का

(ऊर्जा मन्त्री)

प्रस्ताव था लेकिन अब द्विस्तरीय ट्रांसफार्मेशन के स्थान पर 132/11 के. वी. का ही एक ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव है जिससे ऊर्जा क्षति कम हो सके।

(2) जी हां, 6.3/8 एम. वी. ए. 132/11 के. वी. ट्रांसफार्मर 1990-91 में लगाने का प्रस्ताव है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 569

(स्थगित)

नागौर जयपुर डीलक्स बस

570. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय से जयपुर शहर के बीच रात्रिकालीन डीलक्स अथवा सुपर डीलक्स सेवा कई वर्षों से चलाई जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि मात्र नागौर से जयपुर के बीच कोई भी रात्रिकालीन डीलक्स सेवा नहीं है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर कब तक डीलक्स बस चलाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल 12 जिला मुख्यालयों से ही जयपुर के लिए रात्रि कालीन सुविधा वाहन सेवाएं चलाई जा रही हैं।

(2) जी हां। वर्तमान में नागौर से जयपुर संचालित सेवाओं में पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध नहीं है। अतः पर्याप्त यात्री भार के अभाव में सुविधा वाहन चलाना सम्भव नहीं है।

आयुर्वेद कम्पाउन्डर द्वारा अनियमिततायें

571. श्री मनोहर सिंह (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री पीथाराम कम्पाउण्डर जो कि वर्तमान में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय तेंवरा (नागौर) में कार्यरत हैं, पूर्व में रोडू में कार्यरत थे, उक्त कम्पाउण्डर के विरुद्ध अनाधिकृत एलोपैथिक चिकित्सा का कार्य करने एवं औषधालय में अनुशासनहीनता सम्बन्धी शिकायतें सरकार को की गई थीं ? शिकायतों पर क्या कार्यवाही, की गई ? यदि नहीं करवाई, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कम्पाउण्डर के विरुद्ध पुलिस थाना जसवन्तगढ़ में औषधालय की फर्जी सील बनाने तथा वैद्य के उस पर फर्जी हस्ताक्षर करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने इसको जिले से बाहर स्थानान्तरित किया था ? क्या इसे पुनः जिले में ही पदस्थापित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर को नियुक्त किया हुआ है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(आयुर्वेद राज्य मन्त्री)

(2) यह सही है कि उक्त कम्पाउण्डर के विरूद्ध पुलिस थाना जसवन्तगढ़ में दिनांक 4–11–88 को एक मुकदमा दर्ज किया गया था, किन्तु यह सही नहीं है कि इनका स्थानान्तरण नागौर जिले से बाहर इसी कारण किया गया था। श्री पीथाराम का नागौर जिले से बाड़मेर जिले में स्थानान्तरण दिनांक 15–8–89 को एवं पुन: नागौर जिले में आदेश दिनांक 31–12–89 द्वारा प्रशासनिक कारणों से लगाया गया है।

जयपुर मण्डावा बस मार्ग

572. श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जयपुर से मण्डावा तक संचालित बस को गत एक माह से बन्द किया जाकर जयपुर से बिसाऊ वाया मण्डावा कर दिया गया है ? यदि हां, तो जयपुर से बिसाऊ वाया मण्डावा बस संचालित करने का अनुज्ञा-पत्र आर.टी.ओ. द्वारा कब जारी किया गया ? यदि नहीं, तो बिसाऊ तक बस किस अनुबन्ध-पत्र के आधार पर संचालित की जा रही है।

(2) क्या यह भी सही है कि विगत 10 वर्षों से संचालित जयपुर से मण्डावा के लिए एक मात्र बस को बिसाऊ तक बढ़ाने से सवारियों की संख्या में वृद्धि एवं आगमन एवं पहुंच के समय में वृद्धि से जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो दुविधापूर्ण कार्यवाही के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त बस को पुन: जयपुर से मण्डावा तक ही संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सेवा को बन्द नहीं किया गया है तथापि इसका वृद्धिकरण सीधे यात्रियों की सुविधार्थ बिसाऊ तक किया गया है। इस हेतु सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर द्वारा दिनांक 8–5–90 को अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। जनहित को दृष्टि में रखते हुए ही जयपुर से मण्डावा तक संचालित बस सेवा को बिसाऊ तक बढ़ाया गया है जिसका लाभ जयपुर से मण्डावा जाने वाले यात्री यथावत उठा रहे हैं।

राज्य में केन्द्रीय विनियोजन

573. श्री हजारीलाल (खेतड़ी) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में केन्द्र सरकार का विनियोजन कितना प्रतिशत है ?

(2) अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का कौन सा स्थान है ?

(3) केन्द्रीय सरकार के विनियोजन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य के उद्योगों में केन्द्रीय सरकार का विनियोजन लगभग 2 प्रतिशत है।

(उद्योग मन्त्री)

(2) भारत सरकार द्वारा करवाए गए पब्लिक एन्टरप्राइजेज सर्वे के आधार पर राजस्थान का 14 वां स्थान है।

(3) केन्द्रीय सरकार के विनियोजन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के विवरण की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 574

(स्थगित)

बालसमन्द एवं कायलाना झील जोधपुर

575. **श्रीमती सूर्यकांता व्यास** (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर की बालसमन्द व कायलाना झीलों के केचमैंट क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से इन झीलों में वर्षा के पानी की आवक बन्द हो गई है ?

(2) यदि हां, तो इन झीलों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा का पानी पहुंचे इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जोधपुर शहर में पेयजल के पारम्परिक जल स्रोतों के रख-रखाव के लिए सरकार ने अब तक क्या-क्या प्रयास किये हैं ?

(4) क्या इनमें से कुछ जल स्रोतों का उपयोग बन्द कर दिया गया है ?

(5) क्या इनका उपयोग पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद में किया गया ? क्या वैकल्पिक स्रोतों से जोधपुर शहर की आवश्यकतानुसार पेयजल की आपूर्ति हो रही है ?

उत्तर

(1) खनन के फलस्वरूप पूर्व की तुलना में आवक में कमी होने का अनुमान है।

(2) भविष्य में खनन कार्य में कमी तथा वर्तमान में इससे प्राप्त मलबे को जल के बहाव मार्ग में डाले जाने पर नियन्त्रण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) पेयजल से सम्बन्धित पारम्परिक स्रोतों एवं इनसे जुड़ी हुई नहरों का रख-रखाव सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार किया जाता है।

(4) सामान्यता स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है परन्तु पीने योग्य जल नहीं होने, न्यायालय में मामले लम्बित होने अथवा मालिकों द्वारा नहीं दिये जाने के कारण कुछ स्रोतों का उपयोग बन्द करना पड़ा है।

(5) जिन स्रोतों का जल पीने योग्य नहीं है. उन्हें काम में नहीं लिया जा रहा है।

बून्दी जिले की नगरपालिकाओं में कार्यरत कर्मचारी

576. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(1) बून्दी जिले की कापरेन, केशवरायपाटन एवं लाखेरी नगरपालिकाओं में वर्तमान में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन सभी पदों पर आरक्षण कोटेनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति की हुई है ? यदि हां, तो कितनी शेष आरक्षित कोटे को कब तक भर दिया जायेगा ? उक्त नगरपालिका में किन-किन पदों पर कौन-कौन से व्यक्ति आरक्षित कोटे से पदस्थापित हैं ? विवरण नाम सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका कापरेन, केशवरायपाटन एवं लाखेरी में कुल 251 कर्मचारी कार्यरत हैं। पदवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इन पदों पर आरक्षित कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्तियां आंशिक रूप से की गई है शेष पदों पर नगरपालिका अपनी आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकतानुसार शीघ्र ही नियुक्तियां करेगी। इन नगरपालिकाओं में जिन-जिन पदों पर आरक्षित कोटे के व्यक्ति पदस्थापित है उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अदेयता प्रमाण-पत्र देने में विलम्ब

577. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटियों को आवंटित मकानों का अदेय प्रमाण-पत्र देने में विलम्ब करने के क्या कारण है ?

(2) क्या अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पूर्व आवंटी को स्वयं अपनी जमा राशि का ब्योरा प्रस्तुत करने को बाध्य करना यह सिद्ध करता है कि बोर्ड ने आवंटियों के खाते सूक्ष्मता से संधारित नहीं किये ?

(3) आवासन मण्डल में खातों का समुचित समायोजन न किए जाने की जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों की है एवं बोर्ड ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या राजस्थान आवासन मण्डल किराया क्रय पद्धति पर आवंटित मकानों की आवंटियों से मासिक किश्त के रूप में वसूली का लक्ष्य रखता है ? यदि हां, तो वर्तमान में कितनी राशि वसूल हो रही है ? दोषी आवंटियों को चिन्हित करने हेतु मण्डल प्रशासन क्या कार्यवाही करता है ?

(5) क्या आवंटियों को जमा राशि का वार्षिक लेखा जोखा प्रति वर्ष भेजा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु मण्डल प्रशासन ने क्या कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में आवंटियों को अदेय प्रमाण-पत्र देने में विलम्ब के निम्न कारण रहे :–

1– वर्ष 1986 से पूर्व में आवंटी

(आवासन मंत्री)

राजस्थान में अधिकृत किसी भी बैंक में राशि जमा करवा सकता था, इसी कारण उसके खाते बैंक में जमा राशि से मिलान करने में अत्यधिक समय लग जाता है।

2- आवंटियों द्वारा जमा कराई गई राशि का विवरण जो आवंटी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसमें तथा मण्डल द्वारा कम्प्यूटर से तैयार कराये गये खातों की राशि में अन्तर होने के कारण।

(2) आवंटी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सन् 1986 में खाते संधारण का विकेन्द्रीकरण खण्ड कार्यालय स्तर पर करने का प्रयास किया गया। सन् 1987 तक के खातों को कम्प्यूटर द्वारा भी तैयार कराये गये, परन्तु बहुत से मामलों में मण्डल के रिकार्ड तथा आवंटी की जमा राशियों में अन्तर पाये जाने के कारण यह उचित समझा गया कि आवंटी से तो उसकी जमा राशि का विवरण प्राप्त किया जावें, ताकि उसका मिलान मण्डल के रिकार्ड से किया जाकर अदेय प्रमाण पत्र देने सम्बन्धित कार्यवाही उचित रूप से की जा सके।

(3) खातों के संधारण सम्बन्धित सभी सम्भव प्रयास समय-समय पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी स्तर पर किये गये हैं तथा बची हुई कमियों को सुधारने के प्रयास निरन्तर जारी है, अतः इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा।

(4) जी हां। वर्तमान में प्रतिमाह 470 लाख रुपये किश्त के रूप में वसूल हो रहे हैं। जिन आवंटियों के खाते ठीक ढंग से संधारित है उनकी मासिक किश्त प्राप्त न होने पर उन्हें नोटिस दिये जाते हैं। शेष आवंटियों के खाते भी पूर्ण करवाने की कार्यवाही की जा रही है। उसके पश्चात् भी चिन्हित कर नोटिस दिये जावेंगे।

(5) वार्षिक लेखों की प्रति आवंटियों को वर्ष 1987 तक प्रेषित कर दी गई है अब आवासन मण्डल में कम्प्यूटर स्थापित किया जा चुका है, जिससे शीघ्र आवंटियों के बकाया खाते बनाकर प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 578

(स्थगित)

अवैध दुकानों का नियमितिकरण

579. श्री रामनारायण बैरवा (निवाई): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत 6 माह में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कितनी दुकानों का अवैध निर्माण हुआ ?

(2) इनमें अब तक कितनी अवैध निर्मित दुकानों को तोड़ा गया व कितनी दुकानें अभी बरकरार हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इन अवैध निर्मित दुकानों को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किन नियमों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) पिछले 6 माह में जयपुर विकास

(नगरीय विकास मंत्री)

प्राधिकरण क्षेत्र के विभिन्न भागों में लगभग 3000 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया है।

(2) प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने लगभग 150 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया है। शेष बरकरार हैं।

(3) मामला सरकार के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 580

(स्थगित)

पीलीबंगा क्षेत्र में पेयजल योजना

581. श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कितने ग्रामों में पेयजल योजना कार्यरत नहीं है?

(2) उक्त क्षेत्र में कितने ग्रामों में पेयजल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं व इन्हें कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

(3) शेष ग्रामों को कब तक पेयजल योजना से लाभान्वित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सन्दर्भित क्षेत्र में 145 ग्रामों में पेयजल योजनाएं संधारित नहीं है।

(2) उपरोक्त में से वर्तमान में 19 ग्रामों हेतु योजनाओं के कार्य प्रगति में है जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

(3) शेष ग्रामों को धन उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वित करना सम्भव होगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 582

(स्थगित)

रामगढ़ क्षेत्र की सलालपुर डूंगर जल योजना

583. श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में सलालपुर डूंगरी नल योजना कौन से वर्ष में स्वीकृत हुई थी व कितनी राशि स्वीकृत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजना के निर्माण कार्य के शुरू होने से अब तक कौन कौन अधिशाषी अभियन्ता व अन्य अधिकारी कार्यरत थे। पद व नाम सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त योजना किन-किन गांवों के लिये बनाई गई थी व अब तक कितने गांवों को इस नल योजना से पीने का पानी उपलब्ध करा दिया गया?

(4) क्या इस योजना में पानी की टंकी बनाने का प्रावधान रखा गया था? यदि हां, तो क्या टंकी वर्तमान में चालू है?

(5) उपरोक्त योजना का कार्य किससे

(श्री जगजीत सिंह)

करवाया गया व अब तक कितनी राशि लगाई गई ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में सलालपुर डूंगरी क्षेत्रीय जल योजना 12·256 लाख रु. अनुमानित लागत पर वर्ष 1978 में स्वीकृत हुई थी। जिसके अनुमान का मुख्य विवरण प्रपत्र "क" पर संलग्न है।

(2) सन्दर्भित अवधि में कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची प्रपत्र "ख" पर संलग्न है।

(3) योजना निम्नलिखित गांवों हेतु बनाई गई थी :–

1. रामबास 2. झोरडा 3. भजेडी 4. डाबरी 5. दोगडी 6. वास दोगडी 7. रतनाकी 8. सलारपुर

सभी गांवों में आंशिक रूप से पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया गया है।

(4) जी हां। जलाशय वर्तमान में चालू नहीं है।

(5) उपरोक्त योजना में नलकूपों का निर्माण भूजल विभाग से डी. सी. बी. का निर्माण मै एम. के. कान्ट्रैक्टर से, उच्च जलाशय एम. पी. एजेन्सी से तथा पाइप लाइन डलवाने का कार्य रामप्रसाद ठेकेदार से करवाये गये हैं। योजना पर 14·887 लाख रु. की राशि व्यय की जा चुकी है।

(विवरण व सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

बारां नगर को पेयजल

584. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बारां नगर की जनसंख्या एवं विस्तार को देखते हुये वर्तमान पेयजल योजना पर्याप्त है ?

(2) यदि नहीं, तो पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक होगी ?

उत्तर

(1) बारां नगर में वर्तमान में लगभग 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की मात्रा वितरित की जा रही है जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संतोषजनक है।

(2) संवर्धन योजना के प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाये गये है, जिनकी क्रियान्विति धन उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।

राजस्थान पथ परिवहन निगम को आय

585. श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विगत 5 वर्षों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं डीलक्स बसों से राज्य सरकार को प्रति किलोमीटर कितनी आय हुई है ? पृथकशः वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में दोनों प्रकार की

(श्री अर्जुनदास मदान)

बसों पर कितना व्यय हुआ, आय हुई एवं लाभ एवं हानि का क्या प्रतिशत रहा ? वर्षवार पृथकशः विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिवहन निगम को डीलक्स एवं साधारण बसों में वर्ष 1985-86 से वर्ष 1989-90 में हुई प्रति किलोमीटर आय का विवरण निम्न है :-

वर्ष	डीलक्स सेवाओं से प्राप्त आय प्रति कि.मी. (पैसों में)	साधारण/द्रुतगामी सेवाओं से प्राप्त आय प्रति कि.मी. (पैसों में)
1985-86	493	423
1986-87	495	446
1987-88	488	455
1988-89	601	489
1989-90	575	535

(2) निगम द्वारा डीलक्स, साधारण, द्रुतगामी वाहनों की आय/व्यय का लेखा-जोखा अलग-अलग संधारित नहीं किया जाता है।

उपरोक्त अवधि में निगम को दोनों प्रकार की सेवाओं की कुल आय, व्यय एवं लाभ-हानि का प्रतिशत निम्न है :-

आय (लाखों में)	व्यय	लाभ/हानि (+ -) (लाखों में)			प्रतिशत
10169·89	9944·08	(+)	225·81		2·22
11654·85	11436·11	(+)	218·74		1·88
13136·11	13073·10	(+)	63·01		0·48
14313·40	14298·18	(+)	15·22		0·11
16083·70	16718·56	(-)	634·86	(-)	3·95

वर्ष 1985-86 से वर्ष 1988-89 के आंकड़े संशोधित लेखों के अनुसार है तथा इन आंकड़ों में पिछले वर्षों की आय एवं व्यय सम्मिलित नहीं है। वर्ष 1989-90 के आंकड़े प्रोविजनल लाभ-हानि खातों के आधार पर हैं।

प्रतापगढ़ में सब डिवीजन डिपो की स्थापना

586. श्री रतनचन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रखबचन्द मीणा)

(1) क्या सरकार प्रतापगढ़ से जयपुर एवं प्रतापगढ़ से उदयपुर तक निगम बस सेवा प्रारम्भ करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रतापगढ़ सब डिवीजन डिपो खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(3) प्रतापगढ़ बस स्टेण्ड पर कितनी रोडवेज बसें कहां-कहां से आती हैं एवं कहां-कहां जाती हैं? सूची मय आगमन व प्रस्थान सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्रतापगढ़ बस स्टेण्ड पर पीने के पानी की माकूल व्यवस्था है? यदि नहीं; तो सरकार इसकी क्या व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रतापगढ़ से जयपुर वाया छोटी सादड़ी–चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा-नसीराबाद–अजमेर मार्ग का प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी तक का भाग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं है। निगम द्वारा प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना का प्रकाशन दिनांक 12.8.87 को किया जा चुका है लेकिन इस मार्ग के निजी वाहन स्वामियों द्वारा दिनांक 9.4.90 को राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण आक्षेपों की सुनवाई पूर्ण नहीं हो सकी है। वर्तमान में निगम द्वारा अध्याय चतुर्थ के अन्तर्गत अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त कर एक वापसी सेवा का संचालन बांसवाड़ा से जयपुर वाया घाटोल–प्रतापगढ़-छोटी सादड़ी-चित्तौड़गढ़–भीलवाड़ा–अजमेर होते हुए किया जा रहा है।

प्रतापगढ़ से उदयपुर मार्ग का प्रतापगढ़-धरियावद बांसी तक का भाग राष्ट्रीयकृत नहीं है। निगम द्वारा वर्तमान में अध्याय चतुर्थ के अन्तर्गत अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त कर 3 वापसी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इस मार्ग पर बस सेवाओं में वृद्धि किये जाने हेतु वर्तमान में कोई मांग विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। आर्थिक संसाधनों की उपलब्धी होने पर प्रतापगढ़ में आगार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रतापगढ़ बस स्टेण्ड पर निगम की बसों का गमन/आगमन विवरण दर्शाते हुये सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। स्थानीय नगर पालिका पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की हुई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 587

(स्थगित)

सागवाड़ा क्षेत्र में पोलीटेकनिक कालेज

588. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार आदिवासी क्षेत्र सागवाड़ा में पोलीटेकनिक कालेज खोलने का इरादा

(श्रीमती कमला भील)

रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्ष 1990-91 के बजट में पोलिटेक्नीक खोलने का प्रावधान नहीं है।

राष्ट्रीय परमिट योजना

589. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय परमिट-योजना के अन्तर्गत किस-किस राज्यों के भारी वाहन स्वामियों के कितने कितने रकम के ड्राफ्ट कब-कब प्राप्त हुए? राज्य वार वाहनों की संख्या व ड्राफ्ट की राशि की सूची, सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग के खाते में उपरोक्त ड्राफ्टों की रकम कब-कब जमा हुई?

(3) क्या यह सही है कि करोड़ों रुपया विभाग का बैंकों में ही पड़ा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत भारी वाहन स्वामियों की ओर से विभिन्न राज्यों के माध्यम से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुए हैं, उनकी सूची, जिसमें राज्यों के नाम, वाहनों की संख्या एवं प्राप्त ड्राफ्टों की संख्या प्राप्ति का दिनांक अंकित है (परिशिष्ट "अ") संलग्न है।

(2) दिनांक 1.4.89 से 31.3.90 तक विभाग के खाते में ड्राफ्टों की रकम जमा कराई गई है। इसकी सूची (परिशिष्ट "ब") पर संलग्न है।

(3) जी नहीं, राज्यों से ड्राफ्ट प्राप्त होते ही उन्हें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, ब्रांच जयपुर में जमा करा दिये जाते हैं। दिनांक 31.3.90 को एक भी ड्राफ्ट जमा कराना शेष नहीं था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 के वृक्ष

590. श्री गोपीराम जाट (आमेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सूखे हुए वृक्षों का क्या किया जाता है? सूखे वृक्षों को यदि, बेचा जाता है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 पर सैकड़ों की संख्या में सूखे पेड़ों के बेचने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सूखे वृक्षों के विक्रय से विगत 3 वर्षों में सरकार को प्रति वर्ष कितनी आय हुई? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभागीय तौर से नियमानुसार स्वीकृति के उपरान्त सूखे वृक्षों का पातन किया जाता है, तथा पातन के पश्चात् विभागीय बिक्री केन्द्रों पर कटी हुई लकड़ी का परिवहन किया

(यातायात मन्त्री)

जाकर फुटकर एवं खुली निलामी से विक्रय किया जाता है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूखे वृक्षों की कटी हुई लकड़ी के विक्रय से विगत तीन वर्षों में सरकार को निम्न प्रकार आय हुई :-

1987-88	210646.00
1988-89	453441.00
1989-90	667192.00

राज्य के उद्योगों में केन्द्रीय पूंजी निवेश

591. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के उद्योगों में केन्द्र के पूंजी निवेश का अखिल भारतीय स्तर पर क्या प्रतिशत है ?

(2) राज्य सरकार केन्द्र से अधिक पूंजी निवेश करवाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के उद्योगों में केन्द्र के पूंजी निवेश का अखिल भारतीय स्तर पर औसत लगभग दो प्रतिशत है।

(2) केन्द्र से राज्य में अधिक पूंजी निवेश करवाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के विवरण की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अजमेर जिले के वैद्यों एवं कम्पाउण्डर्स को वेतन

592. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में पदस्थापित कितने और किन-किन वैद्यों एवं कम्पाउन्डर्स को विगत 8-10 माह से वेतन नहीं मिल रहा है और किस कारण ? नामजद कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) समय पर वेतन मुगतान नहीं करने के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की तो क्यों ? अब दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ?

(3) उक्त वैद्यों को अब कब तक वेतन भुगतान करवा दिया जायेगा ?

(4) भविष्य में समय पर वेतन मिले इस हेतु सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ?

(5) क्या वेतन के साथ उस पर देय ब्याज भी दिलाया जायेगा और ब्याज की वसूली सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में मैनपुर आयुर्वेद औषधालय में पदस्थापित चिकित्सक श्री गजानन्द शर्मा को नवम्बर, 1989 से वेतन का मुगतान, निरन्तर अपने कर्त्तव्य से अनु-

Page No. 53

(आयुर्वेद राज्य मन्त्री)

स्थित रहने के कारण, नहीं किया जा रहा है।

(2) समय पर वेतन भुगतान नहीं होने आयुर्वेद राज्य के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं है, अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) आयुर्वेद चिकित्सक श्री गजानन्द के कार्य पर उपस्थिति होने एवं अनुपस्थिति की अवधि का निर्णय होने पर ही वेतन भुगतान करना सम्भव हो सकेगा।

(4) अभी भी वेतन समय पर ही दिया जा रहा है तथा आगे भी समय पर वेतन भुगतान करने हेतु राज्य सरकार व विभाग कटिबद्ध है।

(5) जी नहीं। नियमों में ब्याज दिलाने का कोई प्रावधान नहीं है और जब तक किसी अधिकारी की कोई गलती न हो तब तक ब्याज की वसूली सम्बन्धित अधिकारी के वेतन से करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

महिला एवं बाल पोषाहार केन्द्र

593. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या महिला एवं बाल पोषाहार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने बच्चे एवं महिला पोषाहार केन्द्र हैं ?

(2) वर्ष 1985 से 1989 तक इन केन्द्रों पर कुल कितना स्टाफ कार्यरत रहा ? उक्त समय में प्रति वर्ष कुल कितना व्यय पोषाहार कार्यक्रम पर किया गया ?

(3) उक्त अवधि में खर्च में से कुल कितनी राशि विदेशों से प्राप्त हुई ?

(4) क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त पोषाहार कार्यक्रम से बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा है या नहीं ? यदि हां, तो स्वास्थ्य की जांच व जानकारी कब-कब करवाई गई ? नहीं, तो क्यों ?

(5) पोषाहार केन्द्रों हेतु विदेशों से प्राप्त राशि प्रत्येक जिले में कितनी कितनी व्यय की गई ?

उत्तर

(1) राज्य में स्वीकृत 111 बाल विकास परियोजनायें हैं जिनमें से 99 परियोजनायें कार्यरत हैं। इनमें 11636 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं।

(2) 1985 से 1989 तक इन केन्द्रों पर स्टाफ की स्थिति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी सहायिका
1985-86	4706	4706
1986-87	7225	7225
1987-88	9627	9627
1988-89	10215	10215
1989-90	11636	11636

प्रतिवर्ष पोषाहार कार्यक्रम पर व्यय निम्नानुसार हुआ है :-

वर्ष	व्यय (राशि लाखों में)
1985-86	523.27
1986-87	756.36

54

(महिला एवं बाल पोषाहार राज्य मन्त्री)

1987-88	1084 05
1988-89	1203.20
1989-90	1401.18

(3) उपरोक्त अवधि में विदेशों से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी हां। सरकार की जानकारी में है कि पोषाहार कार्यक्रम पर बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। प्रति माह आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य जांच डाक्टर्स, एल. एच. वी. एवं ए. एन. एम. द्वारा की जाती है।

(5) विदेशों से पोषाहार केन्द्र हेतु धनराशि प्राप्त नहीं की गई। अतः व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति झालरापाटन के ग्रामों का विद्युतीकरण

594. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले की झालरापाटन पंचायत समिति में कितने ग्रामों में बिजली की मन्जूरी हो चुकी है, तथा कितने ग्राम शेष रहे हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या राज्य सरकार शेष ग्रामों को इस वर्ष बिजली पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) झालावाड जिले की झालरापाटन पंचायत समिति में कुल 319 ग्रामों में से 318 ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनमें से 238 गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं। सिर्फ एक ग्राम विद्युतीकरण हेतु अस्वीकृत शेष है। सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी नहीं। सीमित वित्तीय साधनों के कारण विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत 80 ग्रामों में इस वर्ष बिजली पहुंचाना संभव नहीं है। आगामी वर्षों में योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप इन ग्रामों में बिजली पहुंचाया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खींवसर (नागौर) में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

595. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कितने उपभोक्ताओं पर कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता पद स्थापित किये जाते हैं ?

(2) नागौर शहर, खींवसर व बासनी में विभिन्न प्रकार के कितने उपभोक्ता हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उपभोक्ताओं की संख्या की दृष्टि में खींवसर में सहायक अभियन्ता का कार्यालय स्थापित करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल द्वारा 1969 में जारी ओ. एण्ड एम. पैटर्न के अनुसार अन्य शर्तों के साथ तीन से पांच कनिष्ठ अभियन्ताओं पर 5000 से 12000 उपभोक्ता होने पर एक वितरण उपखण्ड स्थापित किया जाता है। वितरण उपखण्ड स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करते समय मापदण्डों के साथ-साथ प्रशासनिक सुविधा, भविष्य में कार्यभार का विस्तार, सम्भावित राजस्व में बढ़ोतरी, वित्तीय भार एवं मण्डल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जाता है।

(2) वर्तमान में नागौर शहर, वासनी एवं खींवसर में विभिन्न श्रेणी के क्रमशः 8741, 1667 एवं 311 उपभोक्ता हैं।

(3) जी नहीं, क्योंकि ओ. एण्ड एम. पैटर्न के अनुसार खींवसर के उपभोक्ताओं की संख्या कम है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 596

(स्थगित)

डेड रेन्ट व रायल्टी की वसूली

597. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) "डेड रेन्ट" व "रायल्टी" की वसूली न करने अथवा कम वसूली करने के कुल कितने मामले दिनांक 31.3.90 को राज्य सरकार में विभिन्न स्तरों पर लम्बित है ? सूची स्तरवार सदन की मेज पर रखें।

(2) इन मामलों में कुल कितनी राशि फंसी हुई है ? इसको वसूल करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

उत्तर

(1) डेड रेन्ट व रायल्टी की बकाया के दिनांक 31.3.90 को विभिन्न स्तरों पर 5,672 मामले लम्बित हैं।

(2) बकाया के इन मामलों में कुल राशि रुपये 4,87,89,095/- है। इसमें से रुपये 2,77,25,308/- की वसूली राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत रुपये 22,65,212/- की वसूली पी. डी. आर. एक्ट के तहत की जा रही है जिन बाकीदारों के नाम कोई सम्पत्ति नहीं होने से बकाया राशि वसूल नहीं हो पाई उनको अपलेखन की कार्यवाही की जा रही है। इस तरह रुपये 4,54,952/- के अपलेखन कार्यवाही चल रही है। रु. 40,78,181 की राशियों की वसूली विभिन्न न्यायालयों से स्टे हैं व शेष राशि विभागीय कार्यवाही में है।

राजगढ़ (अलवर) के आयुर्वेदिक औषधालय

598. श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजगढ़ (अलवर) की पंचायत समिति रैणी और पंचायत समिति राजगढ़ में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? इनमें कितने पद कब से रिक्त हैं और इन्हें कब तक भर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजगढ़

(श्री श्रीराम मीणा)

(अलवर) की ग्राम पंचायत मुंडिया के मंडोडा औषधालय में भी वैद्य का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अलवर जिले की राजगढ़ तहसील की पंचायत समिति रैणी में 11 तथा पंचायत समिति राजगढ़ में 15 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है। पंचायत समिति रैणी के किसी भी औषधालय में कोई पद रिक्त नहीं है। पचायत समिति राजगढ़ के औषधालय खोह (दरीबा) में केवल परिचारक का पद 20.6.90 को ही रिक्त हुआ है। शेष औषधालयों में अन्य कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) राजगढ़ (अलवर) की ग्राम पंचायत मुंडिया के मंडोडा नाम के किसी ग्राम में कोई राजकीय आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत नहीं है।

नसीराबाद क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन

599. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में किसानों द्वारा कुओं और आवास के लिए विद्युत कनेक्शन के लिए पिछले 5-6 माह से डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा कराने के उपरान्त भी कनेक्शन नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ? यदि दिये गये तो क्या क्रम तोड़ा जाकर अनियमित तरीके से दिये जा रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इस मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कृषि के 2 एवं घरेलू के 67 आवेदन पत्र डिमाण्ड नोटिस की राशि पिछले 5-6 माह से जमा होने के बाद विचाराधीन हैं। कृषि के कनेक्शन आवेदकों द्वारा "एल" फार्म 31.3.1990 तक नहीं दिये जाने के कारण मार्च, 1990 तक नहीं दिये जा सके। कृषि कनेक्शन पर रोक लगी होने के कारण इस वर्ष अभी कनेक्शन नहीं दिये जा सके। घरेलू कनेक्शन देने के लिये विभिन्न ग्रामों में लगभग 15 एल.टी. पोल का कार्य करना था जिसके सामान आदि की व्यवस्था करने में तथा सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण होने के कारण कार्य करने में विलम्ब हुआ है। अतः कनेक्शन नहीं दिये जा सके। ग्रामवार वरीयता क्रम को तोड़ कर कनेक्शन नहीं दिये गये हैं।

(2) चूंकि उपरोक्त दिये गये विद्युत सम्बन्धों में अनियमितता का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है अतः कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

डूंगरपुर जिले में कृषि कनेक्शन

600. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर जिले में कितने कृषि उपयोगार्थ कितने विद्युत कनेक्शन के

(श्रीमती कमला भील)

आवेदन विचाराधीन हैं तथा इन्हें कब तक विद्युत कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

(2) कृषि विद्युत कनेक्शन के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? क्या जनसंख्या मानदण्ड का आधार है ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में मार्च, 1990 तक कृषि उपयोगार्थ 1660 विद्युत कनेक्शन के आवेदन विचाराधीन हैं। ये विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता एवं वित्तीय एवं तकनीकी साध्यता के आधार पर तथा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में दिये जा सकेंगे। अत: निश्चित समयावधि बताना सम्भव नहीं है।

(2) कृषि कनेक्शन के लिये ग्राम स्तर पर प्राथमिकता, वित्तीय एवं तकनीकी साध्यता एव निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों अनुसार दिये जाते हैं। जनसंख्या मानदण्ड का आधार नहीं है।

अटरू में सहायक अभियन्ता कार्यालय

601. **श्री मदन दिलावर (अटरू) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।–

(1) क्या अटरू कस्बे में पूर्व में राज्य विद्युत मण्डल का सहायक अभियन्ता कार्यालय था ? यदि हां, तो वहां से उक्त कार्यालय क्यों स्थानान्तरिक किया गया ?

(2) सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने हेतु जो मापदण्ड निर्धारित किए गये हैं, उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, अटरू में पूर्व में विद्युत मण्डल का सहायक अभियन्ता (ग्रा.वि) का कार्यालय था। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समाप्ति पर उक्त कार्यालय का सहायक अभियन्ता (ग्रा. वि.) छबड़ा कार्यालय में विलीनीकरण कर दिया गया।

(2) सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा मण्डल आदेश सं रा.रा.वि.मं./प (1) भाग-II/ओ. एण्ड एम./सं. 546 दिनांक 6.11.1969 द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं जिनकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। उपखण्ड स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करते समय मानदण्ड के साथ-साथ प्रशासनिक सुविधा, भविष्य में कार्य भार का विस्तार, सम्भावित राजस्व में बढोतरी, वित्तीय भार एवं मण्डल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है।

(आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

बांसवाड़ा जिले में विद्युत विभाग की गाड़ियां

602. **श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के विद्युत विभाग के सब-डिवीजन घाटोल व सब-डिवीजन पीपल खूंट के पास जीप गाड़ियों की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या जीप गाड़ियां चालू हालत में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गत कई

Page No. 58

(58)

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

महीनों से विद्युत विभाग की जीप गाड़ियां बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार बन्द पड़ी जीप गाड़ियों को चालू कराकर पीपल खूंट व घाटोल विद्युत सबडिवीजनल अधिकारियों को सुविधा दिलायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। घाटोल सब डिवीजन की जीप चालू हालत में है लेकिन सब-डिवीजन पीपल खूंट की जीप खराब है।

(2) पीपल खूंट की जीप जो खराब है उसकी सर्वे रिपोर्ट बनाई जा रही है। इस उपखण्ड को आवश्यकता व उपलब्धि के अनुसार जीप आवंटित करने के प्रयास किये जायेंगे। घाटोल उप-खण्ड अधिकारी के पास जीप उपलब्ध है।

कृषि कुओं पर कनेक्शन

603. श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसानों के द्वारा डिमाण्ड नोटिस जमा कराने के पश्चात् भी काफी समय तक कृषि कुओं पर बिजली कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब कानून में संशोधन करके अधिकारियों को डिमाण्ड नोटिस जमा होने के पश्चात् एक माह में कुए का कृषि कनेक्शन देने के लिए पाबन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार अनपढ़ किसानों को बिजली समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपाल पर फैसले करने का कार्यक्रम निश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डिमाण्ड नोटिस में दर्शाई गई राशि व अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद फिटिंग सही पाये जाने पर वरीयता क्रम में वांछित सामान उपलब्धि के अनुसार यथा शीघ्र कनेक्शन दे दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कभी-कभी अधिक समय भी लगता है। कनेक्शन यथा शीघ्र देने के प्रयास किये जाते हैं, परन्तु उपभोक्ता द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने, कनेक्शन देने हेतु आवश्यक सामान उपलब्ध होने एवं अन्य प्रक्रिया के कारण डिमाण्ड नोटिस जमा होने के बाद एक माह की अवधि में कनेक्शन देने के लिये पाबन्द करना वर्तमान परिस्थितियों में व्यावहारिक नहीं है।

(2) मण्डल द्वारा कृषि व औद्योगिक कनेक्शन देने व अन्य मामलों के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जाने सम्बन्धी आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं जिनमें मण्डल अधिकारियों के अतिरिक्त उस क्षेत्र के संसद सदस्य, विधायक, जिला कृषि अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी आदि सदस्य होंगे जो उस क्षेत्र से सम्बन्धित कृषकों को कनेक्शन देने का निर्णय लेंगे व विभिन्न समस्याओं का निराकरण करेंगे। अतः ग्राम चौपाल पर अलग से फैसले हेतु कार्यक्रम निश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अलवर में उद्योगों द्वारा विद्युत की चोरी

604. श्री जीतमल जैन (अलवर) : ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में अलवर जिले में कौन-कौन से उद्योग बिजली की चोरी करते पकड़े गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 के दौरान सतर्कता दल द्वारा 11 उद्योगों में बिजली चोरी के मामले पकड़े गये हैं जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "य" में दी गई है।

(2) इन सभी उपभोक्ताओं के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 39 के तहत सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थानों में प्रथम सूचना दर्ज करवाई गई हैं व नियमानुसार राजस्व निर्धारण किया जाकर सम्बन्धित खण्ड अधिकारी को उपभोक्ता से वसूली हेतु प्रस्तावित कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

लखूवाली हैड को क्षति

605. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या लखूवाली हैड पर बने जल विद्युत परियोजना पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण क्षति हुई ?

(2) क्या इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या सरकार द्वारा सूरतगढ़ में थर्मल प्लांट लगाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो कब तक कार्य चालू किया जायेगा व कब तक तैयार होकर सप्लाई चालू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) मुख्य अभियन्ता (सिविल) द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच के अनुसार यह क्षति अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई है।

(2) कमेटी द्वारा प्रारम्भिक जांच के आधार पर एक अधिशासी अभियन्ता (सिविल) तथा एक सहायक अभियंता (सिविल) को मण्डल द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हैं।

(3) जी हां। सूरतगढ़ तापीय योजना 420 मेगावाट (प्रारम्भिक) को केन्द्र सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया गया हैं योजना के लिये कोयले के अनुबन्ध की स्वीकृति नहीं मिली है जिसकी स्वीकृति तथा योजना आयोग से योजना की पूंजी विनियोजन की स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। योजना प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृति मिलने के बाद 5 वर्ष में इस योजना का कार्य पूरा किया जा सकेगा।

महाविद्यालयों का क्रमोन्नयन

606. श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस वर्ष कुछ महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत कर रही है ? क्या राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (अलवर) को क्रमोन्नत करने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है ?

(2) क्या सरकार उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ को कब तक क्रमोन्नत करने का इरादा रखती है और किस-किस विषय की पी. जी. कक्षाएं चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? जबकि छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए यहां से 50 किलोमीटर दूर अलवर शहर में जाना पड़ता है। जिसके कारण गरीब छात्र पी. जी. कक्षा के अध्ययन से वंचित रह जाते हैं।

(3) स्नातक महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने के क्या-क्या मानदण्ड हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (अलवर) स्नातकोत्तर स्तर क्रमोन्नत करने की मांग समय-समय पर आई है।

(2) इस वर्ष स्नातक स्तर के महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव नहीं है। अलवर एव दोसा के स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जो राजगढ़ से क्रमश: 36 एवं 53 कि. मी. की दूरी पर स्थित हैं।

(3) मानदण्डों के अनुसार वित्तीय साधन, क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं, स्नातक स्तर पर छात्रों की संख्या, भवन की उपलब्धि आदि की जांच के उपरान्त स्नातकोत्तर विषय खोले जाते हैं। दूर-दराज के छात्रों एवं पिछड़ा इलाका आदि के सम्बन्ध में विचार उदारतापूर्वक किया जाता है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 जून, 1990)

पिंडवाड़ा बाल विकास परियोजना द्वारा खरीद

38. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 में बाल-विकास परियोजना अधिकारी पिंडवाडा जिला सिरोही द्वारा स्थानीय खाद्य सामग्री के लिए निविदायें आमन्त्रित की गई थी ? यदि हां, तो किस तिथि को किस-किस पार्टी से निविदायें प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आमन्त्रित निविदायें स्वीकृति के लिए निदेशालय को भिजवाई गई थीं ? यदि हां, तो किस दिनांक को ?

(3) क्या निदेशालय से निविदाओं के आधार पर खाद्य सामग्री क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृत आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो, इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1983-84 में बाल विकास परियोजना अधिकारी पिण्डवाड़ा द्वारा स्थानीय खाद्य सामग्री की निविदायें आमन्त्रित नहीं की गई।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विद्यालय

104. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले के टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में किस-किस विषय के कितने किस-किस तिथि से पद रिक्त हैं रिक्त पदों व अध्यापकों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ऐसे रिक्त पदों को कब तक भरने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। रिक्त पद विद्यालयवार, विषयवार तिथि कब से रिक्त है एवं विद्यालय में अध्यापकों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. सर्व श्री रामनारायण वर्मा, बी. डी. कल्ला एवं श्री परसराम मोरडिया सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी जिले में अनुसूचित जाति के लोगों पर पुलिस द्वारा अत्याचार किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री बी.डी. कल्ला एवं श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले में किसानों की खातेदारी भूमि पर सेना द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत, मांची के सरपंच द्वारा राजकीय कोष के दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य विधान सभा की ओर से करौली शहर की दो प्रमुख बीड़ी निर्माता कम्पनियों द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह व उनके मन्त्रिमण्डल

(श्री अध्यक्ष)

के सदस्यों द्वारा इस्तीफे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री सुनील कुमार विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले के विजयनगर थानाधिकारी द्वारा थाने में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा ..

श्री अध्यक्ष : पहले आप पूरी व्यवस्था सुनिए। जब मैं खड़ा हूं-आप पहले पूरी व्यवस्था सुन लीजिये। सारी भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद बोलिये।

1. श्री हेतराम बेनीवाल एवं श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज, प्रा. लि., अलवर को सोल एजेन्ट बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से आज दि. 16-7-90 वक्तव्य दिया जा रहा है। प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है, अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

2. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधानसभा की ओर से राज्य में किसानों को फसली ऋण उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है। राज्य में कृषक सदस्यों को फसली ऋण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से सम्बन्धित जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक उपलब्ध कराते हैं। राज्य में यह व्यवस्था 26 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 5262 फैक्स द्वारा की जाती है। चालू खरीफ, 1990 के लिए ऋण वितरण की अवधि 1-4-90 से 30-9-90 तक निश्चित की है। खरीफ 90 के लिए 1-4-90 से 29-6-90 तक राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से 23.56 करोड़ रुपये फसली ऋण के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराये हैं। कृषकों को फसली/ऋण उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किये हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऋण लेने हेतु मात्र कृषक ऋण से वंचित किसी भी हालत में न रहें और वे अपनी भूमि खरीफ में सहकारी साख प्राप्त कर जोत सकें।

चूंकि राज्य में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कोताही नहीं हो रही है और कृषि आदान भी निर्धारित दरों से कम दरों पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसलिए यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

3. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर एवं श्री जुबेर खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में फसल बीमा योजना को पुनः लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जानकारी दी है। राज्य अधिकतर अकाल एवं सूखे से प्रभावित रहता है जिसमें बाजरा जैसी फसल मुख्य है जिसकी औसत उपज में काफी उतार-चढ़ाव रहता है। यदि समूचे राज्य में यह योजना लागू की जाय

(श्री अध्यक्ष)

तो पांच वर्षों में 700 करोड़ रुपये देय होने का अनुमान है। इस राशि में राज्य सरकार को लगभग 334 करोड़ का भुगतान करना होगा। इस देय राशि में क्षतिपूर्ति एवं प्रीमियम पर अनुदान राशि भी सम्मिलित है। यदि इस योजना का लाभ केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों तक ही सीमित किया जावे तो कुल देय राशि घटकर 103 करोड़ रुपये होगी जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 54 करोड़ रुपये ही होगा।

इस विकल्प योजना के सभी तरह के विस्तृत अनुमान बनाये जा चुके हैं। कृषि विभाग व सहकारिता विभाग का वार्षिक बजट 10–12 करोड़ रुपये के लगभग है। इस बजट में फसल बीमा योजना लागू नहीं की जा सकती है। अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

4. श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से नई तबादला नीति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने जानकारी दी है। राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं उस सम्बन्धी दिशा-निर्देश एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। राज्य सरकार के स्थानान्तरण सम्बन्धी दिशा-निर्देश की प्रतिलिपियां सभी माननीय सदस्यों को वितरित कर दी है। इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं माननीय सदस्य को 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

5. सर्व श्री हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, परसराम मदेरणा, जगन्नाथ पहाड़िया, प्रद्युम्न सिंह, चन्दनमल वैद एवं श्री प्रेमसिंह दहिया द्वारा दिये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में इसी सत्र में बहस हो चुकी है एवं दिनांक 18–7–90 को इसी विषय पर मांग पर विस्तार से चर्चा होगी इसलिए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं किन्तु प्रस्तावकों को इस विषय पर 2·2 मिनट तक बोलने की अनुमति होगी।

श्री रतनाराम चौधरी : साहब मेरा....

श्री अध्यक्ष : पहले सुन लीजिए आप, प्लीज सिट डाउन। जब मैं खड़ा हूं तो आप क्यों खड़े होते हैं ? आप नियम नहीं जानते क्या ? सुन लीजिए, मैं व्यवस्थाएं दे रहा हूं।

व्यवस्था

मन्त्रीमण्डल के सदस्य के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव

प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत माननीय श्री कुन्दनलाल मिगलानी, राज्य मन्त्री, समाज कल्याण के खिलाफ प्रस्ताव आया था उसके बारे में माननीय सदस्यों के इस प्रस्ताव की गहराई से जांच की गई। नियम 119 का भी मैंने गहराई से अध्ययन किया है। नियम 121 सब नियम 6 के अन्तर्गत लिखा है कि उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जायेगी जिस पर इसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। चूंकि इस विषय पर इसी सत्र में माननीय सदस्य डॉ. हरिसिंह ने नियम संख्या 295 के अन्तर्गत चर्चा उठा रखी है इसलिए मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं और उपरोक्त प्रस्ताव को नियम संख्या 121 सब सेक्शन 6 के अधीन अस्वीकार करता हूं। फिर भी मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देने की अनुमति होगी।

Page No. 64

(64)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से रानीवाड़ा जिला जालौर में आई भीषण बाढ़ से जन-धन की भारी क्षति होने के सम्बन्ध में।

2. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत सहायक आचार्यों की सेवाओं को स्थायी करने के सम्बन्ध में।

3. श्री किशनाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती जसोदा की पी. बी. एम. अस्पताल में डाक्टरों की लापरवाही से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।

4. श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर जिले में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री रामकिशोर सैनी सदस्य, विधान सभा की ओर से पब्लिक हैल्थ सेन्टर, बसवा (बांदीकुई) में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

6. श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, बाली में सरकारी इमारतों की जर्जरावस्था की ओर जे.ई.एन. का ध्यान आकर्षित किये जाने के बावजूद भी इन इमारतों की मरम्मत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री घासीलाल चोपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील टोडाराय सिंह में चारागाह भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

8. श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से शेखावाटी में निजी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

9. श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में किसानों को कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकी जानकारी नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित स्टेनोग्राफर (सचिवालय) को नियुक्ति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

11. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से वनपालकों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

12. श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत राज एवं जिला परिषद से शिक्षा को मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास।

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 295 के तहत उल्लेखित विषय पर उसी सत्र में अन्य प्रस्ताव के माध्यम से पुनः चर्चा

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सेंसर मोशन रिजेक्ट किया है उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप पहले उस पर बोलिये जिस पर मैंने व्यवस्था दी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं पहले इसी पर बोलूंगा अध्यक्ष महोदय, आप रिजेक्ट कर नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी व्यवस्था को चैलेन्ज कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं। मैं आपके नोटिस में डाल रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : तो मैं, जब यह आयेगी, यह आयेगा क्योंकि मंत्री इस पर स्पष्टीकरण देने वाले हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मंत्री का स्पष्टीकरण हो नहीं सकता अध्यक्ष महोदय। यह नहीं हो सकता।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : हमारा सैंशर मोशन रखे बिना ही मंत्री किस बात का स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सदन की परम्पराओं का....

श्री हीरालाल इन्दौरा : और रिकार्ड के आधार पर सब बातें प्राइमाफेसी बनती है ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको इस पर अलाउ करना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मंत्री महोदय का वक्तव्य क्या मतलब रखता है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह सम्भव नहीं है, अध्यक्ष महोदय, कि आप आसन पर विराज करके सदन की परम्पराओं का पालन न करें। इसमें माननीय नेता महोदय खुद जानते हैं – पांच दफा इस सदन के अन्दर निन्दा प्रस्ताव के ऊपर बाकायदा बहस हो चुकी है और मेरे प्रस्ताव को आपने किस प्रकार से यह ठहराया है कि नियम 295 में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया, वह एक अलग मसला है, उन्होंने रेज कर दिया लेकिन मेरा सबस्टेंटिव मोशन 119 में है। सीधी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोल की बचत के लिए एक ऑर्डर निकाल करके पैट्रोल पम्प्स के आवर्स को रेगूलेट करने का नोटिफिकेशन निकाला और मंत्री महोदय ने एक जुलाई को गंगानगर में जाकर शाम को छह बजे गुरुनानक पैट्रोल पम्प पर, पहले तो खुद पैट्रोल पम्प के लिये घूमे, जब पैट्रोल पम्प नहीं मिला तो थानेदार को बुलवाया। बालाराम थानेदार को बुलवाया और गुरूनानक पैट्रोल पम्प पर जाकर पैट्रोल पम्प खुलवाया, कलक्टर से बात करवा कर पैट्रोल डलवाया। इस सरकार के अन्दर जनता दल भागीदार है और जनता दल की ही सरकार ऊपर है और उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने यह व्यवस्था दे दी कि इस पर चर्चा हो चुकी है। चर्चा इस पर नहीं हो चुकी है, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह उठाया होगा लेकिन, मेरा सबस्टेंटिव मोशन है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था सदन की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। इसलिये आप इस मोशन को मुझे पेश करने की इजाजत दें। मोशन निश्चित रूप से पेश किया जायेगा। यह 20.8.1974 का है–"किसी मंत्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व का विषय होने पर प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है। श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को यह सूचित

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

किये जाने पर कि उन्हें मुख्य मंत्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत सदन में प्रस्तुत करने के लिये अनुमति प्रदान कर दी है और नियम 129 के अन्तर्गत उस पर वाद-विवाद के लिये समय सीमा निर्धारित कर दी है, श्री शंकरलाल(पाली) ने व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियम 119 के अन्तर्गत केवल लोक हित का ही कोई प्रश्न चर्चा में आ सकता है। प्रस्तुत विषय लोक हित का नहीं है और, नियम 121 (4) के अनुसार किसी हाल ही में घटित विषय से सम्बन्धित नहीं है परन्तु आपने अनुमति दे दी है तो भविष्य में इस का प्रिसिडेन्स कायम नहीं होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी :–

"... जहां तक सवाल सेंश्योर मोशन का है, इसके लिये कोई रूल लोक सभा में भी नहीं है और दूसरी स्टेट्स में भी नहीं है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव और सेंसर मोशन दोनों ही भिन्न-भिन्न हैं। इसलिये नो कान्फिडेंस की शर्त इस पर लागू नहीं होती है।

सदन में सेंसर मोशन पर वाद-विवाद हो सकता है ऐसी मेरी मान्यता है।

जहां तक मैं समझता हूं रूल 119 के तहत, मेरी मान्यता है कि पब्लिक इम्पोर्टेन्स से सम्बन्धित कोई सेंश्योर मोशन आ सकता है।....इस सदन में पूर्व में भी कई बार इस प्रकार के मोशन आ चुके हैं। तो सदन की परम्परा रही है'। मैं समझता हूं कि यह रूल 119 के तहत आ सकता है।

जहां तक सवाल यह है कि इसका प्रिसिडेन्स कायम नहीं होगा इसके लिये मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं। ... मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह कह दूं कि भविष्य में सेंश्योर मोशन सदन में नहीं आवे।"

अध्यक्ष महोदय, 119 के अन्दर एडमिट करके इस पर बाकायदा डिबेट करायी है।

गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने आदेश निकाला—

"Copy of the order dated No. JDO/SLC dated 22.6.1990 received from V.S. Verma, Chief Divisional Manager-cum-State lavel Co ordinator, Indian Oil Corporation Limited, S-35, B, Radha Baugh, Behind Raj Mandir Cinema Jaipur. Addressed to Food Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur. We reproduce below the contents of Ministry of Petroleum letter No 321017/8/90/district/ dated June 18, 1990 for strict compliance with effect from 24th June, 1990.

All retail pump houses will remain closed on Sunday. The working hours for all other days will be from 7 A.M. to 7 P.M. These orders will only apply in Municipal town, areas and within a radius of 20 kms from the limits of the Municipal areas. Please ensure strict compliance and confirm action. Thanking you."

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पैट्रोल पम्प डीलर्स और इण्डियन पैट्रोल कॉर्पोरेशन के बीच जो एग्रीमेंट होता है उस के तहत यह आदेश निकाला गया था और इसकी शर्तों में शिथिलीकरण का राजस्थान सरकार को कोई पावर नहीं है। कलक्टर का तो प्रश्न ही नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट को भी पावर नहीं है। अब आप मंत्री महोदय से वक्तव्य दिला रहे हैं, प्रश्न यह है....

श्री हेतराम बेनीवाल : गुरुनानक पैट्रोल कम्पनी का पैट्रोल पम्प है और आर.जे.-14 ए 0379 कार का नम्बर है।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं या यह बोल रहे हैं? आप बैठ जाइये। प्लीज सिट डाउन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बैठ रहा हूं। मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस मोशन को रिजेक्ट नहीं करें और इस पर पुनर्विचार कर डिबेट करायें। ऐसा हाउस का कोई प्रिसिडेंस नहीं है। +++ 295 में तो कोई डिस्कशन होता ही नहीं है। आप 295 भी जरा पढ़ लें।

"A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix." He can only raise; it has not been debated. Moreover, Mr. Speaker may kindly now read 121 (vi) :

"It shall not revive discussion of a matter which has been discussed in the same session."

आप इसको डिस्कशन मानते हैं? 295 के तहत तो सिर्फ इश्यू रेज होता है, वह हाउस के बेनेफिट के लिए है? मेरा सब्सटेंटिव मोशन है, निन्दा प्रस्ताव है। आप उसको इस तरह से 295 के इक्वेल डील नहीं कर सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको स्वीकार करें। आपने गये सप्ताह सब प्रस्तावों को अधरझूल में लटका कर आज एक साथ सब पर व्यवस्था दे दी। अब इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करना भी मुश्किल है कि कौन सा मोशन पहले लें और कौन सा बाद में लें। लेकिन मैं समझता हूं कि आज राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के इस सदन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है तो यह है कि राजस्थान मंत्रिमण्डल के अन्दर एक ऐसा मंत्री बैठा है जिसने खुल्लमखुल्ला कानून का उल्लंघन किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी शुरू से बार-बार यह कहते हैं कि हम कानून की पालना करने वाले हैं। प्रश्न यह नहीं है। अगर आज आप पैट्रोल पम्प खुलवा कर मंत्री गाड़ी में पैट्रोल लेगा....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह चुके।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं चाहूंगा कि इस पर डिबेट करायें। मेरा आग्रह है, मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर डिबेट करायें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक मंत्री महोदय एक तारीख को गुरुनानक पैट्रोल पम्प से 27 लीटर पैट्रोल लेते हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दोनों एक साथ ही बोलेंगे ?

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : मैं इस सिलसिले में तथ्य पेश कर रहा हूं। मैंने आपके सामने रसीद पेश की है। मैं हाउस के सामने यह कहना चाहता हूं – मैं खुद उस पैट्रोल पम्प पर गया हूं, उस पैट्रोल पम्प पर पैट्रोल देने वाले वर्कर से मिला हूं, मैनेजर से मिला हूं। इन दोनों ने बताया है कि हम ने पैट्रोल नहीं दिया जब जीप और कार आयी, उसके बाद मंत्रीजी खुद आये और शाम के छह बजे मंत्रीजी ने खुद खड़े होकर उस पैट्रोल पम्प को खुलवाया है। क्या पब्लिक में, आम जनता के सामने हमारे सत्ता में बैठे लोगों का यह आचरण इस लायक है कि हम जो कुछ भी उपदेश लोगों के रहे हैं, वह देवें। उस जगह जहां पैट्रोल पम्प किसी मरीज के लिए नहीं खुलता है, अस्पताल जाने के लिए नहीं खुलता है और आपका मंत्री जाकर उसको खुलवा ले। यह किस तरह का आचरण मंत्रीजी ने किया है। उस पर चर्चा न करके हम लीपापोती करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर सारे प्रशासन पर होगा। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर चर्चा करायें और जो हम जिक्र कर रहे हैं अगर सच्चाई है तो निश्चित तौर पर हाउस में डिसीजन होना चाहिए कि हमारे जो लोक नायक हैं उनका चरित्र जनता के सामने क्या हो ? मैं आपसे अर्ज करूं कि हम ने वहां ऐसे नजारे देखे हैं कि 10-10 कारें एक साथ चलती हैं, तेज रफ्तार से चलती हैं। एक तरफ हमारी सरकार यह निर्देश देती है कि पैट्रोल की बचत करो, पैट्रोल इस्तेमाल नहीं करें और मंत्री महोदय जाते हैं तो उन के साथ पांच-पांच गाड़ियां होती हैं पुलिस की। मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि पांच गाड़ियां उनके साथ एस्कोर्ट में चलती हैं। मेरी समझ में हिन्दुस्तान में कोई भी नेता नहीं होगा जिसके साथ पांच गाड़ियां एस्कोर्ट में चलती हों। इस तरह का व्यवहार जिन मंत्री का उस जिले में है उनके आचरण पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। यह हमारा प्रस्ताव है। इससे सम्बन्धित डाकूमेंट्स फोटोज और उसकी रसीद बुक है वह मैं आपके सामने पेश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर पुनः विचार करेंगे। जो आदेश दिया है उस पर पुनः विचार कर इस पर चर्चा अलाऊ करेंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हमारा यह सेंश्योर मोशन बहुत महत्वपूर्ण मोशन है और एक माननीय मंत्री के आचरण से सम्बन्धित है। ऐसे आचरणों को लेकर पहले कई मंत्री त्याग पत्र दे चुके हैं। मंत्री महोदय ने एक तारीख को कोशिश की और जग्गाराम थानेदार को लेकर कई पैट्रोल पम्पों पर पैट्रोल लेने गये, कोतवाली के पास वाले पैट्रोल पम्प पर भी गये लेकिन वहां उसके मालिक ने मना कर दिया। तब सूरतगढ़ रोड पर गुरुनानक पैट्रोल पम्प से 27 लीटर तेल उन्होंने लिया और डालने

Page No. 69

(69)

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

वाला नौकर मालीराम था। इस प्रकार का आचरण एक तारीख को किया गया जो निन्दनीय है। इसलिए सैंश्योर मोशन बहुत आवश्यक है और ऐसे आचरण को लेकर आप जानते हैं कि माननीय मन्त्री महोदय को सदन से त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, जो यह प्रस्ताव आया है, उसको आये 8 दिन हो गये हैं। जब भी आपसे निवेदन किया इस सैंश्योर मोशन के लिए तो आपने हमेशा यह कहा है कि सरकार से इसका जवाब मांगा जा रहा है। आज आपने व्यवस्था दी है कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य 295 पर बोल चुके हैं। वह बात तो माननीय सदस्य ने बता दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें निश्चित तौर पर आपके पास सरकार से जानकारी आयी है, जो जानकारी आपने मंगायी थी वह निश्चित तौर पर आपके पास आयी है। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी कि माननीय मंत्री महोदय को पैट्रोल जबरन डलवाने की आवश्यकता पड़ गयी जबकि आने के अन्य बहुत से साधन थे। क्या राज्य सरकार ऐसा कारण बता सकती है कि उनको उस वक्त 27 लीटर पैट्रोल जबरन डलवाने की, पुलिस से धौंस दिलवाकर लेने की क्या आवश्यकता पड़ी ? उस रोज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी थी जब कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से पैट्रोल पम्प बन्द होने के बावजूद उनको पैट्रोल लेने की आवश्यकता पड़ गयी। एक तो यह जानकारी दें। दूसरा निश्चित तौर पर सरकार का जवाब आया है +++। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य की 295 वाली बात तो आप चार दिन पहले भी बता सकते थे। लेकिन आपने अधरझूल में रख रखा है। मैं चाहता हूं कि यह निश्चित तौर से हमारी भावनाएं हैं, सदन की भी ऐसी भावनाएं हैं कि इस पर चर्चा करायी जाये और मंत्री महोदय से नहीं, सरकार से जवाब लिया जाये। मैं चाहूंगा कि सब मुद्दों पर सोच समझ कर आप अपनी व्यवस्था पर पुनः व्यवस्था देंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट यह है कि मेरा मोशन मैंने पहले टेबल किया है, आपने 295 में परमिशन बाद में दी है। अगर इस पर चर्चा का इतना ख्याल था तो आप 295 में परमीशन विदहेल्ड करते। 295 और 119 को आप एट पार नहीं कर सकते। 295 में चर्चा नहीं होती है, यह अलहदा विषय है लेकिन आपने जो इसका कारण सदन के अन्दर आज बताया है तो आप कृपया तारीख का अवलोकन करें। मैंने 9 तारीख को मोशन दिया है, और चर्चा इन्होंने 295 में संभवतः 12 को की है, थर्ड डे की है, तो आप विदहेल्ड करते। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत विचित्र और तकलीफ वाली बात क्या हो गई है कि यह एग्रीमेंट में है, 44 है--

"The dealer undertake faithfully.... (interruption) the rules given or made from time to time by the corporation for the proper

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

carrying on of the dealership of the Corporation. The dealer shall scrupulously observe and comply with the rules and regulations.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्य ग्राप एक मिनट जरा शांति रखिये। माननीय सदस्य, ग्रापने जो सवाल या पाइण्ट उठाया''''(व्यवधान) एक मिनट। एक मिनट, प्लीज। ग्रापने जो कहा है, पहली बात तो यह है कि ग्रध्यक्षीय व्यवस्था के बाद उस व्यवस्था को इस सदन में चुनौती नहीं दी जाने के सम्बन्ध में बार-बार इस सदन में व्यवस्थायें हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी यदि ग्राप ग्रध्यक्षीय व्यवस्था को चुनौती देते हैं ग्रौर जो सवाल ग्रापने यहां उठाये हैं उनका उत्तर चाहते हैं, तो मैं उनका उत्तर ग्रापको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ग्रध्यक्षीय व्यवस्था को चुनौती देने वाली बात को स्वीकार नहीं करूंगा ग्रौर यह व्यवस्था जो परम्परा से चली ग्रा रही है, उस व्यवस्था को कायम रखूंगा। माननीय सदस्य, यदि ग्राप व्यवस्था की डिक्सनरी उठाकर देखें, मेरे पास दस डिक्सनरीज, हैं, मैंने इनमें देखा है कि चर्चा का मतलब क्या होता है, डिस्कशन का मतलब क्या होता है। डिस्कशन का मतलब टू एग्जामिन भी होता है, टू राइट ग्राफ भी होता है, लिखने मात्र से हो जाता है। 295 में ग्रापने जो सवाल उठाया है उसका जवाब सरकार की ग्रोर से दिया जायेगा, यह नियमों में प्रावधान है। जब किसी सवाल को उठाया जाता है ग्रौर उसका जवाब दिया जाता है तो इट्स कम ग्रन्डर डिस्कशन यह व्यवस्था की डिक्सनरी में ग्रौर ग्रन्य डिक्सनरियों में डिटेक्शन शब्द की परिभाषा दी है। उस परिभाषा को स्वीकार करके मैंने, चूंकि, पहली बात तो यह है कि सेंसर ग्राफ मोशन नाम की कोई चीज'' (व्यवधान) एक मिनट प्लीज''''

श्री शिवचरण माथुर : 295 का जवाब सदन में नहीं ग्रायेगा। 295 का जवाब सदन में नहीं ग्राता है।

श्री अध्यक्ष : ग्राप बैठिये तो सही। एक मिनट माथुर साहब, मुझे सुन तो लीजिए। ग्रापने जो सवाल उठाया है। मुझे सुन तो लीजिए। पहली बात तो यह है कि सेंश्योर मोशन नाम का कोई प्रावधान न पालियामेण्ट में है न इस हाउस में है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से 119 का मोशन सेंश्योर में है, यह मान लिया जाता है। वैसे कोई प्रावधान सेंश्योर ग्राफ मोशन बोलकर नहीं है। वह मान लिया जाता है। ग्राप पहले सुन तो लीजिए। 119 (c) subject to 121, 119 राइडर 121 का है कि 121 की शर्तों के मुताबिक ही 119 में मोशन स्वीकार किया जाता है ग्रौर चूंकि 121 के सब सेक्शन 6 में, सब रूल 6 में साफ लिखा हुग्रा है कि उसमें किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं चलायी जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। मैंने ग्रापको पहले भी बताया कि डिस्कशन शब्द का''''(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्राप प्लीज बैठिये। मैंने ग्रापको पहले भी बताया है कि इस डिस्कशन शब्द की परिभाषा क्या है, इसके लिए मैंने विभिन्न प्रकार की डिक्शनरीज को

(श्री अध्यक्ष).

कनसल्ट किया है और उन डिक्शनरीज में आप यदि इस डिस्कशन शब्द के मामले में, इसकी ओरिजन में जायें तो आपको मैं ओरिजन बता सकता हूं कि लेटिन के अन्दर जब कर्जदार से कोई कर्ज का रुपया मांगता था, दावा करता था, तो उस वक्त में दावा करने वाले को यह मौका दिया जाता था कि वह लेटर का जवाब ले ले। बस वह डिस्कशन का मतलब उसको या जवाब लेने के बाद उसका दावा स्वीकार किया हुआ हो जाता, उसको डिसीजन मानते थे। 295 में आपने जो भी वहां पर प्रश्न उठाया, उसका जवाब आपको मिलेगा, यह तो निश्चित बात है। सदन में मिले या न मिले....

श्री हेतराम बेनीवाल : हाउस में नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : आप वर्ड पर जा रहे हो, यह तो डिस्कशन का वर्ड है उसी का प्रयोग होगा, इसमें दूसरा हो नहीं सकता है। आप उसको परम्परा के रूप से ले नहीं सकते। मैंने उस डिस्कशन के शब्द की जो परिभाषा समझी है, उसी को समझकर के मैंने अपना निर्णय दिया है, मैंने अपनी व्यवस्था दी है कि यह 121 के सब नियम 6 के अन्तर्गत आता है। अब यह मेरी व्यवस्था ठीक है या गलत है इसकी चुनौती देने का यहां सवाल नहीं है, मगर इस पर आप बहस करना चाहें तो कभी किसी और मौके पर बहस करिये। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में मन्त्री जी अपना स्पष्टीकरण दे दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसलिए मैंने मन्त्री जी स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप इस पर स्पष्टीकरण नहीं लेंगे और अपनी बात कहेंगे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपनी बात कहते जाइये। मैंने जो व्यवस्था दी है; उस व्यवस्था को अभी बदलने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता और मेरी व्यवस्था कायम है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्थाओं को चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि सदन में अध्यक्ष ने कोई व्यवस्था दी है तो उस व्यवस्था को चैलेन्ज नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन इन्टरप्रिटेशन का आ गया। आपने 295 को एक तरह से इन्टरप्रेट किया है और उस को 121 (6) के अन्दर यह मान कर कि सदन में उस पर एक बार इस सत्र में डिस्कशन हो चुका है, इसलिए दुबारा इस विषय पर इस सदन में इस सत्र में विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता। 121 (6) में यह दिया हुआ है, यह सही बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय 295 में जो क्वेश्चन यहां रेज किया जाता है, उसको आपने डिस्कशन की तरह से लिया है। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि इस पर आप दुबारा विचार करें। क्योंकि आपकी यह रूलिंग एक महत्वपूर्ण रूलिंग होगी, जो हमेशा-हमेशा आगे के लिए काम आयेगी। इसलिए ऐसी रूलिंग स्थापित न हो जाये, जिससे यहां पर माननीय सदस्यों के बोलने के अधिकार के ऊपर भी कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो। इस पर मेहरबानी करके आपको पुनः विचार करना चाहिये। 295

(श्री हीरालाल देवपुरा)

का डिसक्शन, डिसक्शन में नहीं आ सकता। आपने कहा है कि 295 में माननीय सदस्य ने क्वेश्चन रेज कर दिया, पढ़ कर यहां पर सुना दिया। आपने यह फरमाया है कि उसका जवाब आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसका जवाब सदन में आये तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि वह सदन के अन्दर डिस्कशन मान लिया जायेगा। जब सरकार की ओर से कोई जवाब आयेगा तो माननीय सदस्यों को यह अधिकार होगा कि उस पर कोई एतराज है, कोई सवाल है या स्पष्टीकरण चाहें तो उसका ले सकते हैं। लेकिन 295 का जवाब उस सम्बन्धित माननीय सदस्य को ही मिलता है जिस सदस्य ने क्वेश्चन रेज किया है। इसलिए वह सदन के अन्दर जवाब आया हुआ नहीं माना जा सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण रूलिंग देने से पूर्व आप इस पर पुन: विचार करें। क्योंकि इस रूलिंग का असर केवल इसी एक विषय पर नहीं होगा, इस रूलिंग का असर कई मामलों के अन्दर रोशनी डालने वाला होगा। इसलिए मैं आपसे पुन: आग्रह करना चाहूंगा कि इस रूलिंग पर आप मेहरबानी करके पुन: विचार करें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, अगर 295 को चर्चा में शुमार कर लिया गया तो फिर जितने भी अनस्टार्ड क्वेश्चन हम पूछते हैं उन अनस्टार्ड क्वेश्चन से सम्बन्धित जितने भी मामले आयें और उनके जवाब यहां आ गये, इसका मतलब उनके बारे में भी हम चर्चा नहीं कर सकते। आप इस बात को सोचिये, कि यह जो निर्णय है यह कितना दूरगामी निर्णय है। इससे तो फिर हम अगर चाहे, सत्ता पक्ष चाहे तो किन्हीं भी विषयो पर 2-4 अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछ लें या 295 के क्वेश्चन पूछ लें और उनको सदन के दायरे से बाहर करवा दें। आप सोचिये, इसका कितना दूरगामी असर होगा। इस वास्ते मैं समझता हूं कि आपको अपने निर्णय पर दुबारा सोचना चाहिये कि इससे इस पर, इस सदन के सारे डिस्कशन पर कितना दूरगामी असर होने वाला है और कितना दूर तक यह जाने वाला है। इसको आप मेहरबानी करके सोचने की कृपा करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मान लीजिए एक इनडिवीजुअल मन्त्री ने कानून के खिलाफ कोई आचरण किया, उस पर यहां सेंश्योर मोशन आया, परन्तु कोई सत्ता पक्ष का सदस्य 295 पर चर्चा करायेगा तो विपक्ष का अधिकार तो समाप्त हो गया। पूर्व में भी यहां पर सेंश्योर मोशन आये हैं। 295 पर कोई बेन तो है नहीं। सत्ता पक्ष का कोई सदस्य 295 में इस विषय पर चर्चा उठा दे और आपकी यह व्यवस्था कायम रही तो भविष्य में किसी भी मन्त्री के आचरण के खिलाफ यहां कुछ कहने को विपक्ष के पास रह ही नही जायेगा, वह तो किसी मैटर पर कह ही नहीं पायेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो व्यवस्था दी है कृपया उस के ऊपर पुनर्विचार करें, नहीं तो इस से लोकतन्त्र का गला घोंटा जायेगा, लोकतन्त्र का हनन होगा और मंत्रियों की मनमानी पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। कुछ कर आइये और बचने के लिये 295 का उधर से उठवा दीजिए तो सत्ता पक्ष के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

खिलाफ कोई कुछ कह ही नहीं पायेगा क्योंकि उसके ऊपर तो चर्चा हो चुकी है। सदन कोई एक-डेढ़ महीने के लिये बैठता है साल में, तो गयी एक साल की गाड़ी। आप को इस मामले के ऊपर पुन: विचार करना पड़ेगा, यह मेरी आप से गुजारिश है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी है कि 295 पर चर्चा हो गयी इसलिये इस विषय को दुबारा नहीं उठाया जा सकता। मेरा नम्र निवेदन है कि डिस्कशन वह है जिसमें सभी माननीय सदस्यों को उस पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर हो। 295 में यदि दूसरे माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो क्या 295 में वह अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं? नहीं, कोई नहीं कर सकते। केवल जिसने 295 का मोशन दिया है वही अपनी बात एक सीमित दायरे में जो लिख कर दिया है वह पढ़ सकते हैं, उस तक ही सीमित है इसलिए वह डिस्कशन की तारीफ में नहीं आता। डिस्कशन वह है जिसमें सभी माननीय सदस्यों को अधिकार हो अपनी बात कहने का। 295 में ऐसा अधिकार नहीं है इसलिए वह....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उसको विपक्ष की ओर से चुनौती दी जा रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं है, पुनर्विचार है। नेता महोदय, यह आपके लिए शोभा नहीं देता कि आप हमारी बात को, अनुग्रह को, प्रार्थना को भी अध्यक्ष जी को कह रहे हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान) एक बात है, जनतन्त्र का अधिकार यह नहीं है। हम अध्यक्ष महोदय से अनुरोध भी कर सकते हैं। (व्यवधान) 295 का बहाना लेकर आप रुकवा दें और हम अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना भी न करें, ऐसा नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तब हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन नही कर सकेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री मदनलाल सैनी : विपक्ष के सदस्य बार-बार मांग कर रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप किस विषय को उठायें, उस पर आप भी जरा पुनर्विचार करिये कि जिस विषय पर एक बार चर्चा हो चुकी और अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दे दी। आप बार बार दुराग्रह कर रहे हैं। यह आपका आग्रह नहीं है, यह तो दुराग्रह है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप माननीय मुख्य मंत्री जी को नहीं बोलने देंगे? व्यास जी, आप कुछ संयम रखिये। वह खड़े होकर बोल रहे थे और खड़े हो गये ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने सिर्फ अनुरोध किया है।

श्री अध्यक्ष : यू स्टुड।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आई सैड कि हमने चुनौती नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : वह बोल भी नहीं सकते? आप जो चाहें बोलें? लैट हिम स्पीक। आप चुप रहिये न।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय

(श्री हीरालाल देवपुरा)

नाराज मत होइये, मेहरबानी करके नाराज मत होइये ।

श्री अध्यक्ष : मैं नाराज नहीं हो रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आसन की तरफ से विपक्ष संरक्षण चाहता है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कब मना किया ? आप सब बोले, किसी को रोका नहीं मगर जब सदन के माननीय नेता खड़े हुए, फिर वह खड़े हो गये । इसकी कोई मर्यादा नहीं है ? इसकी भी एक मर्यादा है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : इतना अधिकार तो हमारा भी है....

श्री अध्यक्ष : माननीय देवपुरा जी, मैंने आपके अधिकार को चैलेंज नहीं किया है । जितने लोगों ने बोलना चाहा, लेकिन जब वह खड़े हो गये तो सुन लीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : चुनौती शब्द के लिए कहा है केवल....

श्री अध्यक्ष : आप पूरा सुन लीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : केवल चुनौती शब्द पर एतराज किया है....

श्री अध्यक्ष : फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री जगतसिंह दायमा : यह तो चर्चा का विषय ही नहीं है, इस पर तिल का ताड़ बना रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय देवपुरा जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप भी इस सदन के अध्यक्ष रहे हैं । आपका गुस्सा भी हमने कई बार सहा है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : गुस्सा तो मैंने नहीं किया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरे भूतपूर्व माननीय अध्यक्ष बैठे हैं, इनको भी कई बार गुस्सा आया है ।

श्री चन्दनमल बैद : इस वास्ते सबको गुस्सा करने का अधिकार हो गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह बात नहीं कह रहा, लेकिन उस गुस्से को हमने सहा है । इसलिए मैं समझता हूं, यदि बार-बार एक ही चीज पर आग्रह करने के कारण किसी को गुस्सा आ भी जाता है तो कम से कम आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए ।

श्री हीरालाल देवपुरा : सही है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने जब दुबारा चुप रहिये कहा तब मुझे खड़ा होकर कहना पड़ा, +++

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है कि मैंने कई बार इस विधान सभा में निन्दा प्रस्ताव रखे हैं और उन पर चर्चा हुई है । निन्दा प्रस्ताव रखने का माननीय सदस्यों को अधिकार है, उस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता, न अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था में उस अधिकार को समाप्त किया है न हमारी इस प्रकार की मांग है कि

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निन्दा प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जाय। लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि कोई भी प्रस्ताव, विशेष तौर से निन्दा प्रस्ताव अध्यक्ष की कन्सेन्ट से ही हाउस में पेश किया जा सकता है, बिना कन्सेन्ट के पेश नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय ने अपनी कन्सेन्ट नहीं दी। नहीं देने के बाद उस पर चर्चा करें, पुनर्विचार की मांग करें, समझ में आ सकती है बात, लेकिन मैटर का अध्यक्ष महोदय की कन्सेन्ट के साथ निर्णय हो चुका कि अध्यक्ष महोदय ने अपनी इस प्रकार की व्यवस्था दे दी। मैं एक माननीय सदस्य से, जो सामने बैठे हैं, निवेदन करना चाहूंगा कि किस मामले पर आप निन्दा प्रस्ताव रख रहे हैं? कोई मामला होता तो निश्चित रूप से आप निन्दा प्रस्ताव रखते। मामला क्या है, एक मिनट सुनिये। निन्दा प्रस्ताव यह है कि मिनिस्टर महोदय ने किसी पैट्रोल पम्प से पैट्रोल ले लिया। मैंने मन्त्री महोदय से जानकारी की तो उनका जवाब यह था कि न मैं पैट्रोल पम्प पर गया और न मैंने पैट्रोल पम्प से तेल लिया। यह काम मन्त्रियों का नहीं होता कि वह पैट्रोल पम्प पर जाकर पैट्रोल डलवायें। यह ड्राइवर का काम होता है, ड्राइवर को ही मोटर गैराज से पैसे मिले हुए होते हैं और वही जाकर पैट्रोल लेता है। मेरी समझ में नहीं आता कि सारा विपक्ष एक ड्राइवर के पीछे पड़ गया?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ड्राइवर के पीछे नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो और मतलब क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने ड्राइवर पर डाइवर्ट कर दिया।

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर मंत्री महोदय नहीं गये हैं तो हम वापस ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोले तो मैं बीच में नहीं बोला। मेरी बात तो सुनें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह मैं विपक्ष के ऊपर ही छोड़ता हूं... (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप विराजिये तो सही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विपक्ष पर ही छोड़ना चाहता हूं कि निन्दा प्रस्ताव ड्राइवर के खिलाफ लाने से क्या उनकी शोभा बढ़ेगी?

श्री हेतराम बेनीवाल : ड्राइवर का सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात तो सुन लीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जो आप तथ्य रख रहे हैं, ड्राइवर का नाम ही नहीं है।

श्री हीरालाल इन्दोरा : आप बात घुमाने में तो माहिर हैं, उसका क्या करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय हेतराम जी, आपके अलावा तीनों जो बोल रहे हैं माननीय सदस्य, वह मन्त्री रहे हुए हैं। क्या आपकी जानकारी में है कि आपने कभी जाकर पैट्रोल पम्प पर पैट्रोल लिया हो सरकारी गाड़ी में? मैं तो एक बात उनसे पूछ रहा हूं जो मन्त्री रहे हैं, आप तो नहीं रहे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने लिया है। हम दौरे पर रवाना होते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपका बहुत अदब करता हूं; आप कृपया बात को न घुमायें। पचासों दफा मन्त्री गाड़ी में होता है और मन्त्री के सामने पैट्रोल लिया जाता है। पचासों दफा लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि विपक्ष को शोभा देता है कि ड्राइवर के खिलाफ इस सदन में निन्दा प्रस्ताव लाया जाय.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह ड्राइवर के खिलाफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, एक मिनट बैठिये। आप मेरे आर्ग्यूमेण्ट को सुन नहीं रहे। आपने इतने आर्ग्यूमेण्ट दिये हैं, बड़े समझदार लोगों ने। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसके महत्व को कम नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जो दिया है उसका आधार भी तो आपको समझना चाहिए। मैंने कोई हवा में नहीं दिया है अपनी रूलिंग को।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ड्राइवर को पैट्रोल मिलता तो वह भारत पैट्रोलियम के पहले पैट्रोल पम्प से ले लेता।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, फिर देवपुरा जी कहेंगे कि आप नाराज हो रहे हैं। मैं खड़ा हूं। आप मन्त्री रहे हैं, पुराने हैं। आप भी जानते हैं कि जब आसन पैरों पर हो तो खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। यह वैब्स्टर की डिक्शनरी है जिसमें डिस्कस शब्द की व्याख्या दी गयी है। इसमें डिस्कस शब्द की व्याख्या में.... (व्यवधान) आप सुन लीजिए। अब आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? (व्यवधान) देवपुरा जी, क्या कहूं? हाथ जोड़ूं इनको? आप बताइये, हाथ जोड़ूं?

एक माननीय सदस्य : इनके स्प्रिंग लगी हुई है वह स्प्रिंग निकलवा दीजिए जरा।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे फिर दुबारा कहना पड़ रहा है मजबूर होकर। मैं आसन के प्रति कोई बात कहना चाहता क्योंकि आसन की गरिमा को मैं भी समझता हूं। विभिन्न अवसरों पर, जैसा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा, मुझे भी आसन की गरिमा को निभाने का अवसर मिला है। मैं उसकी गरिमा को कम नहीं करना चाहता हूं। लेकिन बार-बार आप मुझे सम्बोधित कर यह कहेंगे कि देवपुरा जी, हाथ जोड़ूं, मैं क्या करूं, मैं समझता हूं कि यह भी आप नाराजगी की बात ही कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं नाराजगी की नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं निवेदन करता हूं। अब आप सुन लीजिए। (व्यवधान) अब मेरी बात सुन लीजिए।

श्री जगतसिंह दायमा : पिछले सत्र में रामपाल उपाध्याय के प्रकरण में दो माह तक अनुमति नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : दायमाजी, प्लीज बैठिए। यह डिस्कशन शब्द की व्याख्या है। अब इसमें मैंने जनरल क्लोजेज एक्ट देख लिया, मैंने सारे रूल्स देख लिए, एक्ट देख लिए।

(श्री अध्यक्ष)

कहीं पर भी डिस्कशन शब्द को डिफाइन किया हुआ नहीं है। यदि हो और आपको किसी भी लॉ में डिस्कस शब्द या डिस्कशन की लीगल डेफिनेशन आप मुझे लाकर बता दें तो आप मेरे चेम्बर में आइए। मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं।
(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से इस संबंध में डिस्कस कर सकते हैं लेकिन जो डिस्कस शब्द की व्याख्या इस डिक्शनरी में लिखी है, मैं समझता हूं कि वेब्स्टर की बहुत अच्छी डिक्शनरी है, बहुत महत्वपूर्ण है और आप सब जानते हैं कि इसमें डिस्कस शब्द में लिखा है कि- "to consider or examine by argument comment etc. talk over or write about...." "Write about, talk over, क्या 295 में लिखा नहीं जाता? क्या 295 में talk over होता नहीं है? आप सुन लीजिए। जो मैंने इन्टरप्रिटेशन किया है कि उसमें राइट अबाउट, जिसके बारे में आप लिखते हैं उसको भी डिस्कस की परिभाषा में वेब्स्टर ने लिखा है। इसमें लिखा है 'राइट अबाउट'। जिसके बारे में आप लिखित में दे देते हैं, यह इस वेब्स्टर की डिक्शनरी में डिस्कस की परिभाषा उसकी व्याख्या में है। मैंने इस व्याख्या को स्वीकार किया है। 'कि जिसके बारे में लिखा गया है' इस व्याख्या को स्वीकार करके मैंने अपनी रूलिंग दी है। अब यदि आप उससे भिन्न किसी भी एक्ट में या किसी जनरल क्लोज एक्ट में या और किसी एक्ट में डिस्कशन की कोई भिन्न लीगल परिभाषा मुझे लाकर बता देंगे तो मैं इस पर दुबारा विचार करने के लिए तैयार हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने मोशन पहले दिया था....

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमारा तो आग्रह एक ही था। हम चेम्बर में डिस्कस कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : इनको तो वाक आउट करना है। थोड़ी-बहुत देर....

श्री हीरालाल देवपुरा : हम डिस्कस कर लेंगे। चेम्बर में डिस्कस करने का आप टाइम तय कर लें लेकिन हम यह चाहेंगे कि अगर डिस्कशन न हो तो आपको इस पर पुनर्विचार करने के लिए अपना अधिकार रखना चाहिए। इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे कन्वींस करेंगे, डिस्कशन की परिभाषा बतायेंगे (व्यवधान) आप मुझे डिस्कशन शब्द की कोई लीगल परिभाषा कहीं भी बता दीजिए। हो गई बात। अब क्लियर हो गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो मुद्दों पर विचार नहीं किया आपने....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह डिस्कशन का सवाल नहीं है। मैंने जो मुद्दा उठाया था आपके समक्ष, सवाल वह है। मान लीजिए कि 'एक' मंत्री ने कोई कानून के खिलाफ आचरण किया। सत्ता पक्ष की तरफ से 295 में इस प्रश्न को उठा दिया तो विपक्ष

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

क्या करेगा यहां पर बैठा हुआ ? यह तो मिलीभगत हो जाएगी कि तुम इस मामले को पहले उठा दो, सेशन में यह मामला आयेगा नहीं। फिर होगा क्या अध्यक्ष महोदय ? सफल रूप से लोकतंत्र चल सकेगा ? (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : कोई गम्भीर मुद्दा नहीं है। कोई जान-माल की बात हो तो बात भी हो। जान-माल पर तो चर्चा नहीं करते....

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो मुद्दों पर आपने विचार नहीं किया। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे यह हैं, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि....

श्री जगतसिंह दायमा : जहां भ्रष्टाचार हुआ उस पर तो कहते नहीं हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह भ्रष्टाचार ही है और क्या है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तो क्या हुआ ? यह तो पैट्रोल ही लिया है, कोई गबन तो नहीं किया।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें विलम्ब किया तो ये वाक आउट करेंगे। जल्दी करो, कुछ करना है तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वाक आउट क्यों करेंगे, चर्चा करेंगे।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, यहां पैट्रोल में कोई कमीशन की बात नहीं है। जहां चर्चा होनी चाहिए, उन पर कराइए। बोफोर्स पर कराइए, और विषय पर कराइए। पैट्रोल लिया है, पैसा दिया है। वह भी ड्राइवर का काम है, सीधे उसमें मंत्री महोदय नहीं है। यहां मंत्री महोदय की बात नहीं है।

श्री जगतसिंह दायमा : यहां बरसात नहीं हो रही है। इस पर कराइये कुछ न कुछ।

श्रीमती रमा पायलट : हो रही है।

श्री जगतसिंह दायमा : कहां हुई ? हमारे अलवर में हुई ? उस पर चर्चा करवाइए।

श्रीमती रमा पायलट : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुद्दा गम्भीर ही नहीं है सारा स्पष्ट हो गया है। सब जानते हैं कि ड्राइवर लाया करता है पैट्रोल, सभी जानते हैं। अब ड्राइवर कैसे लाया, क्यों लाया, ले आया, उसके लिए सदन का समय बर्बाद कर रहे हो। कोई गम्भीर मुद्दा ही नहीं है। सब तरह से स्पष्ट हो गया। इसके बावजूद भी बराबर बार-बार मुद्दे को उठाये जा रहे हैं।

श्रीमती रमा पायलट : आप सारे एक साथ खड़े हो जाते हो और भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास करते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में, जैसा पहले किया, अनेक डिक्शनरीज को कंसल्ट किया है। मुझे कहीं इसकी लीगल डेफिनेशन मिली नहीं, आपको मिलती है तो मेरे चेम्बर में डिस्कशन कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर तो व्यवस्था दे दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने दो बिन्दुओं पर विचार नहीं किया। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठिए। आप बैठें तो मैं बोलूं। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)।

श्री जगत सिंह दायमा : पाइन्ट आफ इनफोर्मेशन, सर।

श्री अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश गुप्ता। माननीय ओम प्रकाश जी गुप्ता बोल रहे हैं।

श्री मदनलाल सैनी : आज तक जितने पैसे कमाए हैं, सब भ्रष्टाचार से कमाए हैं, उसकी जांच करवाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री ओमप्रकाश जी गुप्ता बोल रहे है।

श्री जगत सिंह दायमा : जिस बात पर चिन्ता होनी चाहिए सदन में, उस पर चिन्ता नहीं हो रही है। हमारे उपाध्यक्ष महोदय का बहुत ही ज्यादा एक्सीडेन्ट हो गया, सीरियस अवस्था में है। उसको तो देखने नहीं पहुंच रहे हैं। (व्यवधान)।

श्रीमती रमा पायलट : अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूं कि वह ऐसा उदाहरण पेश करें, अपनी गलती को मान लें और राजस्थान के लोगों को ऐसा विश्वास जताए कि हमसे गलती होती है तो उसे स्वीकारते हैं तथा आइन्दा न हो, ऐसा प्रयास करते हैं। (व्यवधान)।

श्री मदनलाल सैनी : इसमें गलती का कोई सवाल नहीं है। उस गरीब ड्राइवर के पीछे काहे पड़े हो ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। आप मुझे सुनिए। माननीय सदस्य, 11-7-90 को डा. हरिसिंह ने यहां पर नियम 295 के तहत मुद्दा उठाया, उसमें जिन जिन सदस्यों ने भाग लिया उन सबके नाम गिना रहा हूं। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री रामकिशन, श्री सम्पत सिंह....(व्यवधान)। चर्चा हुई है इस पर लम्बी-चौड़ी। श्री गोपीराम।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : इन्होंने केवल इस चीज को पढ़कर सुनाया है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : यह हुई है। अब आप ही तो कह रहे हैं। यह रिकार्ड कह रहा है। इस रिकार्ड में चर्चा भी हो गई। (व्यवधान) आप कह रहे थे इस पर तो चर्चा भी हो गई। इतने लोग उस पर बोले हैं। उत्तर-प्रत्युत्तर हुए हैं।

डा. हरि सिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन मैंने इसको 295 में उठाया। कोई रिमार्कस पास करना ही चर्चा नहीं है। दूसरी, एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अंग्रेजी की वेब्स्टर डिक्शनरी का इन्टरप्रिटेशन, डिस्कशन का इण्टरप्रिटेशन आपने पढ़कर सुनाया। उसके डिस्कशन में उसका जो क्रोनोलोजिकल आर्डर है शब्दों का, किस वक्त कौन सी

(डा. हरिसिंह)

सेन्चुरी में कब, कौन-सा मतलब होता है वह सारा पढ़ने से होता है। आपने तो डिस्कशन पर रिफ्रेंशन कांट्रेक्स्ट, कांट्रेक्स्ट एक चीज होती है।

श्री अध्यक्ष : मैंने सारा पढ़ा है। जो शुरू में उन्होंने दिया है वह भी पढ़ा है और जो आर्ग्यूमेंट है वह भी पढ़ा है। मैंने इसमें कुछ छिपाया नहीं है। इसमें जो भी आया, चर्चा है। जितने डिस्कशन के अर्थ हो सकते हैं डिक्शनरी में वह सारे डिस्कशन के अर्थ मैंने पढ़े हैं और उसी को पढ़कर लागू किया है, उसमें टू राइट अबाउट भी है, 'टू एक्जामिशन' भी है, इक्वेश्चन एण्ड आन्सर्स भी है, विथ आर्ग्यूमेंट्स भी है, विथ डिबेट्स भी है, यह सारी चीजें उसमें है इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था। कि चूंकि कोई लीगल डेफिनेशन मुझे नहीं मिली। मैंने जनरल क्लाजेज एक्ट देख लिया, मैंने इस एक्ट को भी देख लिया, मैंने पालियामेंट के एक्ट को भी उठाकर देख लिया, और एक्ट्स को भी देख लिया। फिर भी शायद मुझे पता न चला हो, आपको यदि लगता है कि आप इसको कहीं से ढूंढकर ला सकते हैं डिस्कशन की डेफिनेशन, जो इस सन्दर्भ में यही होगी, तो मैं डिस्कस करने को तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो कॉमन सेन्स की बात है। अध्यक्ष महोदय, डिस्कशन हो गया लेकिन डिस्कसन की आपकी इस व्याख्या से बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा अनर्थ होगा जो लोकतंत्र के लिये बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय भी बोलना चाहते हैं।....श्री ओमप्रकाश जी बोलना चाहते हैं। इनको भी सुनिये। आप बैठिए। आपके आर्ग्यूमेण्ट सुने, दोनों तरफ के सुनने दीजिए। इनके आर्ग्यूमेण्ट भी सुनने दीजिए। दोनों तरफ से हो जाए।.... आप बोल लेना। पहले इनको भी सुन लीजिए। आपको तो सुन ही रहा हूं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय श्री व्यासजी ने एक निर्णय का उल्लेख किया। एक निर्णय इस सम्बन्ध में पहले विधान सभा में हुआ था। (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : आप साफ-साफ क्यों नहीं कह देते हैं कि उनसे गलती हुई है। आप गलती को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : गलती किसने की है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सदस्य, सुनने का साहस रखिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, 20.8.1974 का यह निर्णय है। (व्यवधान) माननीय सदस्य मैं बोल रहा हूं। आप सुनिए।

श्री अध्यक्ष : उनको भी आप सुनिए। सब को हक है बोलने का।

Page No. 81

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार के कारनामों के खिलाफ हुआ था 1974 में, उस समय जो माननीय अध्यक्ष थे उन्होंने एक निर्णय दिया और जो माननीय श्री सुरेन्द्रजी ने आधा सुनाया।

जहां तक सवाल सेंसर मोशन का है, इसके लिये कोई रूल लोक सभा में भी नहीं है और दूसरी स्टेट्स में भी नहीं है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव और सेंसर मोशन दोनों ही भिन्न-भिन्न हैं। इसलिए नो-कॉन्फिडेन्स की शर्तें इस पर लागू नहीं होती हैं।

....सदन में सेंसर मोशन पर वाद-विवाद हो सकता है ऐसी मेरी मान्यता है।" यहां तक पढ़ा आपने। आगे पढ़िए—

"....जहां तक सवाल यह है कि इसका प्रिसिडेन्स कायम नहीं होगा इसके लिये मैं कोई आथोरिटी नहीं हूं। ... मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह कह दूं कि भविष्य में सेंसर मोशन सदन में नहीं आवे।" उन्होंने यह कहा ... (व्यवधान) मेरा निवेदन सुन लीजिए। एक पर्टीकुलर मामले को लेकर उन्होंने मूव किया और उन्होंने साबित किया कि — This cannot be the precedence of the House. प्रिसिडेन्स आफ दी हाउस नहीं है। अब आपने 119 में जो यह उठाया -"Discussion on a matter of public interest. Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules," or you are to see whether it is provided in the Constitution or in other rules; "no discussion on a matter of general public interest shall take place except on a motoin made with the consent of the Speaker." Consent of the Speaker is essential.

अब उसके बाद आप देखिए, 122 में जो रूलिंग है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं—

"The Speaker shall decide whether a motion or a part thereof is or is not to be admitted under these rules and may disallow any motion or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of involving a motion or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is incontravention of these rules."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब बहुत ही अनुभव प्राप्त लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब एक मोशन को डिस अलाऊ कर दिया तो आप फिर कौन से रूल के तहत बोल रहे हैं, कौन से नियम में इसको री-ओपन करने के लिए कह रहे हैं ? अगर वह कोई रूल है तो कृपया वह रूल पहले आप कोट करें और अगर आप रूल कोट नहीं कर सकते हैं तो स्पीकर महोदय की जो आथोरिटी है उसके अन्तर्गत जो अभी उन्होंने व्यवस्था दी है वह सदन की अन्तिम व्यवस्था है और उसके ऊपर कोई भी री-ओपन नहीं हो सकता है और न हो वह अलाउ किया जा सकता है। (व्यवधान)

82

श्री हेतराम बेनीवाल : यह किसने कहा है, यह अधिकार आप को कैसे हो गया ? आप सुपर स्पीकर हैं ? स्पीकर के ऊपर स्पीकर हैं ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे इतना ही निवेदन है कि सैंसर मोशन का वेट कुछ भी हो लेकिन आपने जो व्यवस्था दी है .. (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह आप कौन से नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ? बता दें। (व्यवधान) कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं ? आप पहले नियम बतायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री विश्नोईजी कुछ कह रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हमने जो सैंसर मोशन दिया था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई जी बोल रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, डिस्कशन वह होता है जब कोई प्रस्ताव सदन के समक्ष कन्सीडरेशन के लिये आये और वह मोशन के द्वारा होता है। यहां पर 119 में कोई भी प्रस्ताव दिया जाता है तो वह मोशन की परिभाषा में होता है और उस मोशन पर ही कन्सीडरेशन हो सकता है। नियम 295 में कोई मोशन नहीं होता है और न सदन के कन्सीडरेशन के लिये या विचारार्थ रखा जाता है। एक-दो जनों ने बोल दिया वह तो अलग बात है लेकिन उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, न वह मोशन है। अन्य जितने भी प्रस्ताव कन्सीडरेशन के लिये या चर्चा के लिये आते हैं या डिस्कशन के लिये आते हैं वह मोशन्स होते हैं। 119 में वह मोशन है। इसलिये नियम 295 में किसी माननीय सदस्य ने कोई कह दिया, ना तो कोई उसमें दूसरे को बोलने का अवसर होता है, न कोई प्रस्ताव होता है कि इसको विचारार्थ लिया जाय, न अन्य किसी माननीय सदस्य को, सिवाय इसके कि 295 में बात कहनी है, अवसर होता है। इसलिये वह डिस्कशन की परिभाषा में नहीं आता है। आप यह तो मानेंगे कि डिस्कशन डिस्कस करें, चर्चा करें तो वह एक से अधिक व्यक्तियों की कल्पना करता है। डिस्कशन मीन्स एक से अधिक। यह नहीं कि कोई लिखकर बोल दे तो कोई डिस्कशन होता है। जहां तक वेबस्टर डिक्शनरी का सवाल है तो उसमें कई तरह के अलग-अलग सन्दर्भ में अलग-अलग तरीके से अर्थ पढ़े जा सकते हैं। यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले श्री माहिर आजाद बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिस्कशन की परिभाषा का सवाल है, मैं एक परिभाषा आपके सम्मुख रख रहा हूं —

डिस्कशन को परिभाषित करते हुए सेक्रेट्रीज ने कहा है- "There is only one way to know what was right and just is to talk and discuss."

अगर हम सच्चाई और वास्तविकता का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिये तर्क-वितर्क करना चाहिए। अब यहां वास्तविकता का पता लग गया कि मंत्री महोदय

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

ने पेट्रोल नहीं डलवाया, ड्राईवर जाकर पेट्रोल डलाकर लाया है तो मुद्दा ही समाप्त हो गया। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि अब किस व्यवस्था के ऊपर चर्चा हो रही है? कौन सी परिभाषा ढूंढना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : पाइन्ट आफ ऑर्डर। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्रीजी ने नहीं डलवाया था....

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जिस ड्राइवर के बारे में यहां विचार कर रहे हैं वह सदन में नहीं है....

श्री अध्यक्ष : पहले पाइन्ट आफ ऑर्डर सुन लीजिए।

एक माननीय सदस्य : कोई पाइन्ट आफ ऑर्डर नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पहले आता है। माननीय सदस्य, आप पूरा सुन लीजिए। आप नहीं सुनेंगे तो वह भी नहीं सुनेंगे। फिर वह झगड़ा होगा। एक बार सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : ना पक्ष के दरवाजे खोल दिये जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिए एक बार। पाइन्ट आफ ऑर्डर पहले आता है। आप पूरा सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : मुझे जानकारी है कि उस ड्राइवर का झगड़ा माननीय सैनीजी से हुआ था, उस ड्राइवर के खिलाफ उसको नौकरी से निकलवाने पर तुले हुए हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह गलत है, कन्फ्यूजन कर रहे हैं, इसकी जांच करवायी जानी चाहिए।

(1.00 म.प.)

श्री अध्यक्ष : आप पूरा सुनिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह गलत कन्फ्यूज कर रहे हैं। इसकी जांच करवा लीजिए (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : ऐसा महसूस होता है कि ड्राइवर से सैनी साहब की पुरानी रंजिश है। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने सदस्यों को थोड़ा नियंत्रित रखें।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। आपका पाइन्ट ऑफ ऑर्डर बोलिए। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : ड्राइवर की बात कहां आती है? कोई ड्राइवर की बात नहीं है। हमारा ड्राइवर से कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान) उस ड्राइवर को तो बख्शिये। उसके भी परिवार है, उसके भी बीवी, बच्चे हैं। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : सैनी साहब का नाम कल अखबार में आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने श्री ग्रोम जी को पाइन्ट ग्राफ ग्रॉर्डर रखने के लिए अलाउ किया है। ग्रोम जी बोल रहे हैं एक बार सुन लो थोड़ा। सैनी जी, ग्राप बैठ कर सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री ग्रोमप्रकाश गुप्ता : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कई इस तरह के प्रस्ताव ग्राये हैं ग्रापके पास। ग्राज भी जो रिजेक्ट किया है इसमें जो इस सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं उनके बारे में ग्रापके यहां प्रस्ताव ग्राये हैं। माननीय सैनी जी ने भी एक ऐसा ही प्रस्ताव रखा है जिसको ग्रापने शायद रिजेक्ट कर दिया या विचार के लिये भेज दिया होगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ग्रापको कैसे मालूम कि मेरा प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया है ?

श्री ग्रोमप्रकाश गुप्ता : ग्रभी पढ़ कर सुनाया था। (व्यवधान) That is a public document. माननीय वी.पी. सिंह जी के बारे में लिखा है जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ग्राप गलत बता रहे हो। (व्यवधान) जो प्रस्ताव ग्राया है वह हमारा स्थगन प्रस्ताव है ग्रौर स्थगन प्रस्ताव देना हर माननीय सदस्य का ग्रधिकार है। मेरा कोई निन्दा प्रस्ताव स्थगित नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मन्त्री को ड्राइवर मत बनाइए ग्राप। इस हाउस में प्रचार किया जा रहा है कि ड्राइवर था मन्त्री नहीं थे। हम सारे इस बात के लिये तैयार हैं कि इसकी जांच करवा लें। ग्रगर मन्त्री जी नहीं गए हम सारे प्रस्ताव खत्म कर लेंगे। जो मुख्य मन्त्री जी ने कहा वह बिल्कुल ग्रसत्य बात कही है। ड्राइवर के साथ मंत्रीजी थे इसकी हाजिरी सैकड़ों ग्रादमियों के सामने हुई है ग्रौर गंगानगर का बच्चा-बच्चा इस बात को जानता है। इसकी जांच ग्रगर कोई भी कमेटी करेगी तो उससे पता लग जायेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह एवीडेंस का मौका है। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य ने मन्त्री जी को पैट्रोल भरवाते हुए देखा था ? (व्यवधान)

सूचना

समाचार-पत्र के सम्पादक को धमकी

श्री रामकरण सिंह : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ इन्फार्मेशन। माननीय ग्रध्यक्ष जी, ग्रभी-ग्रभी मुझे मालूम पड़ा है कि कूट युद्ध नामका सायंकालीन एक ग्रखबार निकलता है। उसके सम्पादक को ऐसी थ्रेटनिंग दी गयी है कि उसके परिवार को वे खत्म करना चाहते हैं। माननीय ग्रध्यक्ष जी, मैं ग्रापकी मार्फत यह कहना चाहता हूं कि जो ग्रखबार के सम्पादक हैं, पत्रकार हैं उनकी हालत यह होती जा रही है ग्रौर उसमें किसी प्रकार का कोई भी समाचार सही नहीं छप सकेगा। ग्रगर इस तरह की व्यवस्था ग्रापके माध्यम से सरकार न कर सकी तो पत्रकारों की रक्षा हम न कर सकेंगे। इसलिये मेरा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो कुछ मसला

(श्री रामकरण सिंह)

चल रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह पत्रकारों का है। जितने भी पत्रकार हैं उनके बारे में आपको विचार करना चाहिये ताकि स्वच्छ परम्परा, स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ जीवन हिन्दुस्तान के हर नागरिक का बन सके। ये पत्रकार ही एक ऐसे माध्यम हैं जिनके जरिए हर माननीय सदस्य को दूसरी तरफ से एक चीज रखने की अनुमति होगी। इसलिये मैं आपको इन्फार्मेशन के बतौर यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पर विचार कर लें। (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुनील विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मसला हमारे सामने आज है, बड़ा गम्भीर है। इसकी सीरियसनैस का का आप अन्दाजा नहीं लगा रहे हैं। गवर्नमेंट आफ इण्डिया के कानून के इन्सट्रक्शन्स का उल्लंघन आम नागरिक द्वारा नहीं किया गया है, इसकी धज्जियां एक मन्त्री द्वारा उड़ाई गई हैं ...(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : ड्राइवर द्वारा।

श्री अमृतलाल परमार : ड्राइवर गया था, मन्त्रीजी नहीं गये थे। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : मन्त्रीजी कभी पैट्रोल डलवाने के लिये जाते हैं क्या? ड्राइवर गया था मंत्रीजी नहीं गये थे।(व्यवधान) यह इतना बड़ा कोई गबन का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री गोपाल सिंह : यह बात भी बिल्कुल गलत है कि वह पैट्रोल की गाड़ी थी। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि किसी भी गाड़ी का इन्चार्ज ड्राइवर होता है या मन्त्री होता है? (व्यवधान) उसकी जवाबदारी ड्राइवर की होती है या मंत्री की होती है? (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को समझायें कि वे विपक्ष में नहीं हैं। आप लोग पक्ष में हैं इसका ध्यान रखें। (व्यवधान) चर्चा हुई मंत्री जी की, आप ड्राइवर को ले रहे हो। ड्राइवर कहीं भी इस कार्यवाही में नहीं है। ड्राइवर को काहे को ले रहे हो?

श्री बालचन्द आर्यवीर : +++ इसीलिये वहां भेजा है आपको। खा गये पूरे राजस्थान को, इसीलिये उधर भेजा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसमें कहीं ड्राइवर का नाम नहीं है मात्र मंत्री का नाम है। आप लोग बौखलाओ मत। कानून का उल्लंघन किया है, सरासर कानून का उल्लंघन किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं इस पर बहुत डिस्कशन हो गया है (व्यवधान) मैं जब खड़ा होता हूं तो आप बीच में खड़े होते हैं। तो मैं बैठ जाऊं। मेरी बात तो सुन लीजिए। काफी डिस्कशन हो गया है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

इस सम्बन्ध में डिस्कशन की परिभाषा के बारे में आप मेरे से चेम्बर में बैठकर.... (व्यवधान) हां तो अब आप बात वहीं करिये। यहां होगा नहीं। आप वहीं बैठ कर मुझे बताइये विद ओपन माइन्ड। मैं विद ओपन माइन्ड आपको कह रहा हूं कि इस विषय पर आप मेरे से बैठकर डिस्कशन करिये। क्योंकि अभी तक तो मैंने जो कानून की परिभाषा के सम्बन्ध में रूलिंग दी है। फैक्ट बताने के लिये मैंने मंत्री जी को कहा था, मेरे पास जवाब आया हुआ था। मैंने परसों कहा था कि मैं आपको व्यवस्था दूंगा और परसों शाम को मेरे पास जवाब आ गया था। दो दिन की छुट्टी आ गई। आज मैंने व्यवस्था दी और इस जवाब में जो लिखा हुआ है, आखिर मुझे अपना निर्णय जवाब को देखकर ही देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एकतरफा दूं। मैंने आपका मोशन भी देखा है और जवाब भी देखा। जवाब में उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ड्राइवर लाता है मुझे पता नहीं। मंत्री महोदय ने यह कहा है। पैट्रोल कहा से भरते हैं, गैराज वाले पैसा देते हैं कि ड्राइवर अरेन्ज करता है। (व्यवधान) Please, hear me when I am standing. प्लीज। आप सामान्य नियमों को नहीं निभा सकते हैं? जब मेरे पास जवाब आया कि मुझे पता नहीं ड्राइवर पैट्रोल लाया था, ड्राइवर को रुपये गैरेज के लोग देते हैं, ड्राइवर पैट्रोल कहां से लाते हैं कहां से नहीं लाते हैं, हमको पता नहीं। हम तो गाड़ी में कहां जाना है ड्राइवर को बताते हैं। यह मुझे पता नहीं कि ड्राइवर कहां से पैट्रोल लाया। इसकी–जांच वे–ड्राइवर से कर रहे हैं। अब जब मेरे पास में यह जवाब आया है तथ्यात्मक, तो इसकी लाइट में जब यह जनरली सब जानते हैं, आप लोग भी मंत्री रहे हैं कि पैट्रोल लाने का काम मंत्री नहीं करता। इसके सम्बन्ध में मंत्री जनरली डाइरेक्शन देते भी नहीं, पता भी नहीं चलाते हैं। मैं बता रहा हूं इन तथ्यों को ध्यान में रख कर, आपके मोशन और जवाब दोनों को ध्यान में रख कर। जो डिस्कशन शब्द का इन्टरप्रिटेशन है उसको ध्यान में रख कर मैंने अपनी व्यवस्था दी है। डिस्कशन शब्द के बारे में आप कोई और मुझे लाकर देंगे, तो ओपन माइन्ड, ओपन हर्ट, मैं विचार करूंगा। श्री सुरेन्द्र व्यास, नाउ आई क्लोज। माथुर साहब बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह जो समस्या सदन के सामने मौजूद है उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसके बारे में नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो बहुत सिद्धान्त और बहुत ही मुद्दे की बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसकी ओर आपका ध्यान हमारे माननीय सदस्यों ने भी आकर्षित किया। प्रश्न यह है कि आप जो व्यवस्था देंगे वह दिशा बताने वाली व्यवस्था होगी। अभी एक दूसरी व्यवस्था पर विपक्ष के नेता महोदय, माननीय पहाड़ियाजी और सब लोगों ने बाढ़ के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी नियम 50 के अन्तर्गत। उस पर आपने कहा कि 10 तारीख को उस पर चर्चा हो चुकी। हमने 10 तारीख की चर्चा का हवाला देते हुये उसमें लिखा है कि 10 तारीख की चर्चा हुई। मंत्री महोदय ने उसके बाद करीब–

(श्री शिवचरण माथुर)

घंटे भर तक व्यवस्था दी और कहा कि बहुत-सी व्यवस्था वहां पर की है। हम चार-पांच दिन की यात्रा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो कुछ भी कहा गया वह बिल्कुल असत्य था उसमें सच्चाई नहीं थी। पर जो कुछ भी वहां बात कही गयी वह मौके पर नहीं मिली। उसके सम्बन्ध में आपने कहा कि 10 तारीख को चर्चा हो चुकी है और, आने वाली 18 तारीख को फिर इसमें विवाद होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक-एक दिन, एक-एक घंटा लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। हम देख कर आये हैं, लाखों आदमी बेघर पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये इस पर।

श्री शिवचरण माथुर : आपने इसको भी डिसअलाउ कर दिया और कहा कि दो-दो मिनट बोल सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर दो-दो मिनट बोलने की बात कही जबकि मै समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी को इसमें खुद सामने आकर चर्चा के बारे में आफर करना चाहिए जैसा हमेशा पहले करते रहे हैं। लेकिन आपने दो-दो मिनट कहने के बाद समाप्त कर दिया।

उसी प्रकार से प्रश्न यह है, आप अगर डिसकशन की यह व्याख्या ले करके और उसमें समाप्त करने की बात कहेंगे तो हमारे अधिकारों पर तो हमेशा कुठाराघात होगा और वह हमेशा आपकी व्यवस्था के अनुकूल होगा और कोई चर्चा नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके समग्र चिन्तन के आधार पर जो श्री व्यास ने प्रश्न उठाया है उसी को नहीं ले कर इसके समुचित दृष्टिकोण को ले कर आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें और यह कहें कि 295 के अन्तर्गत जो कुछ माननीय सदस्य यहां पढ़ते हैं वह सही मायने में चर्चा नहीं होती है। महत्वपूर्ण विषय हो तो एक बार चर्चा होने के बाद उस पर दुबारा चर्चा करायी जा सकती है। मैं कहूंगा कि इस पर आप पुनर्विचार करें और एक व्यवस्था दुबारा देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में जो भी इसके सम्बन्ध में लीगल आग्युमेंट हैं मुझे दे दीजिए, मुझे समझा दीजिए। यदि मुझे लगेगा कि इस पर पुनर्विचार होना जरूरी है तो आपके आग्युमेंट सुन कर के I will think over it.

श्री हरिदेव जोशी : (नेता प्रतिपक्ष) अध्यक्ष महोदय, इसके माने यह हुए कि आपने जो व्यवस्था दी उसको वापस ले लिया है आपने।

श्री अध्यक्ष : नो, मैंने स्टे दिया है। पुनर्विचार करेंगे आपके आग्युमेंट सुनने के बाद। मैं सोचूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए या नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : यह महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो क्या व्यवस्था दे दी आपने? उस व्यवस्था को एजिटेट कर रहा हूं कि वह व्यवस्था उचित नहीं है। अगर आप यह कहते हैं कि आपने कोई व्यवस्था नहीं दी और ओपन इश्यू है तो हम आपके साथ बैठ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे दी है। मैंने जिस आधार पर व्यवस्था दी है उसके बारे

(श्री अध्यक्ष)

में आप आग्युमेंट देना चाहें और आपके आग्युमेंट सुन कर ही मुझे लगे कि उस पर पुनर्विचार करना जरूरी है तो I'll do it.

श्री हरिदेव जोशी : इसी में पक्ष और विपक्ष के और सदन के ......

श्री अध्यक्ष : आप तो लीगली बता रहे हैं, डिसकशन पर ही चलें। सारे शब्द डिसकशन पर चल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अगर आप इसको ओपन रख रहे हैं तो ......

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी और मैं ओपन नहीं रख रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई पाइन्ट आप नहीं देंगे तो नया इश्यू आयेगा, नये रूप से उसमें व्यवस्था देंगे तो ही होगा, तो फिर आप पुनर्विचार किस पर कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसको एग्जामिन करा लेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : व्यवस्था दे दी इस पांइट पर फिर इसमें तो कोई विवाद होगा नहीं, दुबारा कोई ऐसा पांइट आवे और उस पर व्यवस्था देने का मौका मिले तभी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार करेंगे कि व्यवस्था आने के बाद ओपन हो सकता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सबजैक्ट पर कोई मोशन आए उस मोशन को जरूरी नहीं है कि इसी रूल के अन्तर्गत व्यवस्था दें। कई रूल्स, हैं प्रावधान हैं जिस पर किसी रूलिंग को रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट फर्मा सकते हैं और किसी को अलाउ करना चाहें तो अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि इसी आधार पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है। यह जो पाइण्ट दिया। इस पर हमारी आपत्ति थी, पर हमने आपको निवेदन किया। हम चाहते हैं कि आप उसको रिजर्व रखें।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको देने की बात कही है चूंकि डिस्कशन लीगल हो गए हैं, लेकिन मेरे सामने सरकार का जवाब भी है। आखिर मैंने सरकार के जवाब को कन्सीडर किया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा ही नहीं करता हूं और मोशन को मैं ओपन ही नहीं करना चाहता। मुझे समझ में नहीं आया कि जब आपने व्यवस्था दे दी तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ माननीय सदस्य, सब लोगों ने इस मोशन पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि उस पर आप व्यवस्था देंगे।

श्री अध्यक्ष : वे तथ्य तो इधर से आके थे, माननीय सदस्यों ने इधर से तथ्य रखें हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सब्सटेन्टिव मोशन सैन्सर का रूल 119 में जो माननीय सदस्यों ने दिया उस पर आपने व्यवस्था दी। उस व्यवस्था पर पुन:विचार करने के लिए यह एक घण्टे भर से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपने रूल 295 का हवाला दे दिया। चूंकि विषय आ गया। इस पर मेन्शन हो चुका है, इस

(श्री परसराम मदेरणा)

मेन्शन को आधार मानते हुए आपने अपनी व्यवस्था दे दी है और मेन्शन के अन्दर कुछ उद्धरण भी पेश किए। अभी 11 तारीख को कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया। तो क्या सदन यह मानकर चले कि 295 में अगर उस दिन कुछ लोगों को अनुमति दे दी गई है क्वेश्चन पूछने की या उस पर क्लेरीफिकेशन सीक करने की या फरदर इन्फर्मेशन प्राप्त करने की तो 295 में देंगे फ्यूचर में भी? जब-जब मेन्शन नहीं होंगे उस पर चर्चा हो सकेगी? यह आपने अपनी अरलियर रूलिंग को ओवर-रूल किया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं यहां जितना भी विचार-विमर्श होता है वह इनकम्पलीट होता है। जब सरकार जवाब नहीं दे, उस परिस्थिति में विचार कीजिये। मन्त्रिमण्डल का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हो और हम जितने 170 बचे हुए माननीय सदस्य हैं वह उस पर चर्चा कर रहे हैं तो वह चर्चा थोड़े ही मानी जायेगी। यहां तो सरकारी काम काज पर चर्चा होती है और सरकार की ओर से उत्तर देते हैं। इसलिये जिस भी विषय पर चर्चा हो गई हो लेकिन सरकार को अवसर दे दीजिए। उत्तर नहीं दिया तो और बात है लेकिन सरकार को जब तक उत्तर का अवसर नहीं हो तब तक यहां पर डिस्कशन कम्पलीट नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : 295 में उत्तर दे दिया सरकार ने।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप चर्चा और डिस्कशन के मायने अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मिनिस्टर को ड्राइवर मत बनाओ, मन्त्री रखो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उसको ड्राइवर नहीं बना रहा हूं लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने 119 के अन्दर नोटिस दिया और इसको आप अपनी मर्जी से सैंसर मोशन कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूल में लिखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल में बतायें आप, कहां लिखा है। रूल में नहीं है। आपने अपनी तरफ से मर्जी आए जो लिख दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सब्सटेन्टिव मोशन तो है ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 119 में आपने नोटिस दिया है, कोई सैंसर मोशन नहीं है। अगर आप इस धारणा से काम कर रहे हैं कि सैंसर मोशन है तो मैं आपको कह सकता हूं कि नहीं है। मैं मानता हूं, आप इसको सैंसर मोशन क्यों कहते हैं। यदि आप इको सैंसर मोशन मानते हैं तो इसका 50 में रिफ्कंशन क्यों हुआ है? कोई भी यह मोशन रख सकता है। यह इधर के लोग भी रख सकते हैं। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि आप ऐसे मसले के ऊपर इस प्रकार की बातें करके कि सैंसर मोशन ला रहे हैं यह कोई सैंसर मोशन नहीं है। आपने मोशन मूव किया, अध्यक्ष महोदय ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यह उनकी उदारता है कि आपने जब डिस्कशन के मामले में कहा कि डिस्कशन इस-इस प्रकार से हो सकते हैं तो उन्होंने कहा कि आप मुझे डिस्कशन की परिभाषा और बता देंगे तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं इस निर्णय के ऊपर करने के बारे में अपना निर्णय ले सकूंगा।

श्री शिवचरण माथुर : अब स्थिति क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसकी क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : आज के निर्णय की पोजिशन आपने साफ कर दी, आज का निर्णय क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज का निर्णय उन्होंने रिजेक्ट....

श्री हरिदेव जोशी : एक बार निर्णय फाइनली दे दिया फिर पुनर्विचार किस बात का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुनर्विचार नहीं कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : पुनर्विचार कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल नहीं कहा। यह बात अध्यक्ष महोदय ने नहीं कही। उन्होंने केवल यह कहा है कि डिस्कशन के आधार पर मैंने इसको रिजेक्ट किया है। यदि डिस्कशन की परिभाषा आप दूसरी देते हैं तो मैं इस प्रश्न के ऊपर विचार दूंगा। अब इसमें कहां आ गया ? लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। यह चाहे आप मिगलानी जी के खिलाफ ले आये और पेट्रोल डलवा लिया पेट्रोल पम्प से इस बात को लेकर आधार बनाये, लेकिन इतना मैं कह दूं कि 119 इस सारी किताब के अन्दर सबसे ज्यादा खतरनाक नियम है। यह डबल एजेड है यह सिंगल एजेड नहीं है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : धमकी दे रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पहले भी माननीय अध्यक्ष पूनमचन्दजी विश्नोई जिस समय बैठे थे उस समय भी मैंने इन शब्दों को, आप चाहे प्रोसीडिंग्स से निकाल ले, मैंने मेरे पक्ष के सदस्यों को कहा था। आज तो मैं कह रहा हूं आपको, तब मैंने अपने ही पक्ष के सदस्यों को कहा था कि 119 को कोई इतना हल्का फुल्का रूल मत समझो। यह डबल एजेड है, इसका कोई भी उपयोग कर सकता है। आपने प्रश्न उठाया, सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया। अब आप इसमें चाहते क्या हैं मेरी समझ में यह नहीं आया (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था कर दी। एक बार नहीं, यह दूसरे अध्यक्ष बैठे हैं, वह मुझे बता दें कि आपने अपने जीवनकाल में कोई व्यवस्था दी है उसको बदला है क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पुनर्विचार किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन बदला नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : खुद ही कह रहे हैं अध्यक्ष, आसन से यह व्यवस्था हो रही है न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन की व्यवस्था हो गई। दो पूर्व विधान सभा के अध्यक्ष यह कह रहे हैं कि आप इसको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बदलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने अध्यक्षीय काल में कभी व्यवस्था को बदला है ? आपने बदला नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई उस वक्त।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देवपुरा जी, कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है। यह आप मत कहो कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। लेकिन आप जैसे वरिष्ठ सदस्य यदि इस परम्परा को डालें या अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को आप चुनौती दे जायं। चुनौती जब तक स्वीकार नहीं की जाय, तब तक हाउस की कार्यवाही नहीं चलने दें, यह अनुचित है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : न तो किसी की यह भावना है कि अध्यक्ष महोदय के निर्णय को चुनौती दी जाय, न किसी ने इस बात को कहा है। प्रश्न यह है कि एक मसले को रखा गया और दूसरे पक्ष को सुना नहीं गया। गवर्नमेंट का लिखा हुआ कागज आप के सामने आया। मुख्य मंत्रीजी, अगर आप सुन लें, आपने जो बात कही है। मैं अपनी बात कहूं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव का एक पक्ष यह है कि आपने उसको गवर्नमेंट को भेज दिया, गवर्नमेंट का लिखित रिप्लाई आपके पास आ गया और उसके आधार पर आपने विचार करके उसको रिजेक्ट कर दिया। जब कि दूसरा पक्ष जो है उसको आपके सामने रखा ही नहीं गया। उन्होंने तो अपना मोशन ही मूव किया, जब इस आधार के ऊपर आपने रिजेक्ट कर दिया तो कौन से तथ्यों के आधार पर आपने रिजेक्ट कर दिया? आपने दूसरे को तो सुना ही नहीं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको एजिटेट किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : अब मुझे थोड़ा सुनेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक बार फैसला हो जाय कि अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को आप लोग चुनौती दे रहे हैं क्या ? एक बार फैसला कर लीजिये ? (व्यवधान) नहीं है तो बैठ जाइये। (व्यवधान) हाउस को चलने दीजिये। ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान) नहीं, तो आप बैठ जाइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप हमारे....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बैठ जाइये। (व्यवधान) शान्ति से बैठ जाओ आप।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था आ गई तो इस प्रकरण को समाप्त कीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। आप जरा बैठिये। माननीय जोशीजी ने जो कहा और मैंने जो व्यवस्था दी, उसमें थोड़ा अन्तर है। मैंने मोशन रिजेक्ट नहीं किया और मैंने मोशन मूव करने की इजाजत नहीं दी, इसमें

(श्री अध्यक्ष)

अन्तर है। मोशन रिजेक्ट होता है आफ्टर डिस्कशन लेकिन मैं डिस्कशन नहीं करवाना चाहता हूं। जो तथ्य मेरे सामने दोनों तरफ से आए हैं उन दोनों तरफ के तथ्यों को देखकर, फिर 121 के अन्तर्गत डिस्कशन की परिभाषा तो लीगल है। आखिर मैंने कन्सेन्ट नहीं दी है। दोनों तरफ के तथ्यों को देखा। तथ्य कोई लम्बे-चौड़े नहीं हैं।

श्री शिवचरण माथुर : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : अब आप मुझे सुन लीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : तथ्यों को देख कर आप रिजेक्ट कर सकते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : रिजेक्ट नहीं, I have not rejected it.

श्री शिवचरण माथुर : आप उसको मूव करने की इजाजत नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : एग्जक्टली यह है।

श्री शिवचरण माथुर : अभी जो सिद्धान्त आपने अपनाया है, एक बार 295....

श्री अध्यक्ष : अब आप मुझे सुनेंगे नहीं तो फिर अब....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूं। माननीय विश्नोई जी कह रहे हैं कि 295 का डिस्कशन नहीं माना जायगा। मैं आप की व्यवस्था बताऊं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नेता महोदय, डिस्कशन वह है, यहां जब सदन में बैठते हैं तो सरकार की तरफ से आफीशियली उत्तर आवे, केवल वही डिस्कशन है। बाकी बात है। ठीक है, उसको बात कह दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय विश्नोई साहब, मैं यह पूछना चाहता हूं, 295 में कई बार माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये, मैंने कई का जवाब दिया उसको आप क्या मानेंगे ? (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह तो ठीक है....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह आरग्यूमेण्ट मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले मेरी व्यवस्था पूरी सुन लें, मैं जब कह रहा हूं। आप मुझे फिर कहोगे, आप जोर से बोल रहे हो। पहले मेरी बात सुनिये। इस प्रश्न के दो भाग हैं। आप इसको समझिये। एक भाग तो है इसका लीगल, मैंने जो आप को अभी बार-बार कहा है। आप जो 295 के बारे में उठा रहे हैं, उसी के लिए मैंने कहा है कि डिस्कशन शब्द की परिभाषा आप मुझे बता दोगे तो 295 में वह आड़ आयेगी या नहीं आयेगी, इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : हां, तो मैं उसी को कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : I am open for that. मैंने जो यहां व्यवस्था दी है उस व्यवस्था पर दुबारा विचार करने की बात नहीं कह

(श्री अध्यक्ष)

रहा। 295 के बारे में आप जो शंकायें यहां रख रहे हैं उनके लिये ही तो मैं कह रहा हूं। एक पक्ष तो लीगल है लेकिन इस प्रश्न का दूसरा ग्रास्पेक्ट जो है वह है तथ्यात्मक। मैंने जो कन्सेन्ट नहीं दी है वह दोनों ओर से तथ्यों को देखकर दी है। मुझे लगा नहीं कि यह मोशन यहां पर डिस्कस किया जाना चाहिए। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य नहीं हैं। दोनों ओर से जो जवाब मुझे मिला। इसलिये मैंने कन्सेन्ट नहीं दी है वह तथ्यों के आधार पर है। लेकिन यदि लॉ के अन्दर डिस्कशन, इसीलिये बार-बार कह रहा हूं कि डिस्कशन शब्द की परिभाषा यदि आप मुझे दूसरी बता देंगे और उसकी वजह से 295 में कहीं आड़ आयेगी तो that I will consider. I am ready to consider. I am ready.

श्री हीरालाल देवपुरा : उसी की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : I am prepared. I accept. I am prepared.

श्री सुरेन्द्र व्यास।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : ऑन ए पाइन्ट आफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : अब आप इसमें नहीं। Now this is completed. This is finished now. (व्यवधान) चर्चा के विषय में बोलेंगे। आप बोलिये। सुरेन्द्र व्यासजी, बैठिये। बाढ़ पर, श्री हरिदेव जोशी। (व्यवधान) Please sit down. जोशीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान) इसी पर बोल रहे हैं जोशीजी।

डा. हरिसिंह : पहले मेरा पाइन्ट आफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये पहले। माननीय जोशीजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान के पश्चिमी इलाके में बाढ़ से क्षति

श्री हरिदेव जोशी (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी इलाके में विशेषकर जालोर बालोतरा के इलाके में भयंकर बाढ़ आई और बहुत नुकसान हुआ है। बाढ़ पहली बार नहीं आई है अनेक बार राजस्थान में इस प्रकार की घटनायें घटी हैं और काफी नुकसान हुआ है। यह बाढ़ रेगिस्तान के इलाके में आई जहां के लोग इतनी बरसात के आदि भी नहीं थे इस से जो जन धन की क्षति हुई है वह अपूरणीय है, मैं यह कह सकता हूं, सरकार जितना भी पैसा खर्च कर दे। इतने लोग मर गये, इतने पशु मर गये और जो जनधन की हानि हुई उसका कोई अन्दाजा नहीं हो सकता। इसमें सरकार को उदारता पूर्वक सहायता देनी चाहिये और एक काम करना चाहिये। सारी पोलिटिकल पार्टीज के लोग और सरकार के नुमाइंदे फील्ड में गये और सरकार ने सहायता की। सहायता दो तरह की बात है एक तो तात्कालिक सहायता, जिनके घर उजड़ गये उन लोगों को आपने एक कैम्प में रखा, खाना दिया और कुछ ओढ़ने-बिछाने को दिया। वह तो तात्कालिक सहायता है। दूसरी उनको रिहैबिलीटेट करने का जो प्रश्न है वह बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक जो सूचनायें आ रही हैं वह

(श्री हरिदेव जोशी)

सूचनायें ऐसी नहीं हैं जिससे यह लगे कि सरकार ने जिस तरह कि जितनी मदद देनी चाहिये उतनी दी। एक तो एक आदमी को सामान्यत: आग लगने पर 500 रुपये मदद कर देते हैं। और दूसरी मदद उनको जो बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया है जैसे जयपुर में पिछली बार बाढ़ आई थी, लोगों के कुए कहा थे मालूम नहीं, सारे रेवड़ के रेवड़ बह गये। यह जो स्थिति पैदा हुई है वह अनप्रिसिडेन्टेड है। इसको परोक्ष में राज्याधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि बहुत ही इनएडीकेट और अनमने ढंग से सहायता दी गई है। हमारे जो साथी गये, दूसरे भी लोग थे उन सबके ऊपर यह इम्प्रेशन है कि सरकार को अधिक उदारतापूर्वक सहायता देनी चाहिये। लोगों को रीहैविलिटेट करने के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। अजीब सी स्थिति है कि लोग तो जीपों में जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं अधिकारी हेलिकाप्टर से जाते हैं और ड्राप करके आ जाते हैं। इसमें कई लेप्सेस हैं। उन लेप्सेस को देखना चाहिये और पूर्ण सहायता करनी चाहिये। अनुभव यह है कि जितनी सहायता चाहिये, उतनी सहायता नहीं दी गई है। माननीय मंत्री महोदया भी दौरा करने के लिये गई, उनको खुद को यह लगा कि जो बातें मैं सुनता हूं कि हमारी ओर से जितना किया जाना चाहिये था उतना नहीं किया गया। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको देखें। केवल कानूनी आधार पर नहीं चला जा सकता। मानवीय मसलों में आपके पास उस मद में कितना रुपया है, यह सैकण्ड्री चीज है। मानव जीवन की रक्षा करना, पीड़ित आदमी को सहायता दिलाना यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है और केवल एक सरकार का ही नहीं, आस-पास के रहने वाले और जिनकी हैसियत है उन लोगो का भी यह कर्तव्य है। सरकार को सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर प्रयत्न करके इस बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं उनको ठीक तरह से रीहैबिलिटेट करना चाहिये जो अभी तक नहीं हुआ है, वह उचित नहीं है, ऐसी हमारी मान्यता है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणजी माथुर।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 10 जुलाई को जो बाढ़ राजस्थान के पश्चिमी आंचल जालौर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर जिलों में आई उस सम्बन्ध में यहां पर राहत मंत्री द्वारा एक बयान दिया गया और हमने समझा कि जिस भावना से उन्होंने वक्तव्य दिया है उस भावना में सरकार की मंशा यह है कि जो कठिनाई आई है जो विपत्ति हमारे सामने है उसका मुकाबला सब ओर से किया जाना चाहिये। चर्चा के बाद में मुख्य मंत्री जी ने बहुत लम्बा वक्तव्य यहां पर दिया, मैं उसकी सदाशयता पर शक नहीं करता। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा कि इसमें न कोई धन की बात है न कोई और बात है जो ह्यूमैन मिजरी हमारे सामने है उसका मुकाबला करने के लिये और जो पीड़ित लोग हैं उनको सहायता पहुंचाने के लिये कोई कसर नही रखी जायेगी। हमने मुख्य मंत्री जी से कहा कि हम लोग वहां जाना चाहते हैं उन्होंने भी कहा आप जाइये देखिये और देखकर जो बात हो मुझे बताइये। मैं, माननीय

(श्री शिवचरण माथुर)

पहाड़ियाजी और उस क्षेत्र से आने वाले दो माननीय सदस्य प्रेमसिंह जी दहिया और श्री गोपाल सिंह जी जिनका इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है और दूसरे कांग्रेस के हमारे कुछ साथी 10 तारीख की शाम को यहां से गये और जाने के बाद उन सभी इलाकों का बड़ा विस्तृत दौरा किया। जहां पर बाढ़ की विभीषिका से लोगों के ऊपर बहुत जबर्दस्त विपत्ति आई थी। अध्यक्ष महोदय, हम पाली जिले में सबसे पहले जहां पर गये मुझे जानकर यह बड़ा दुःख हुआ कि जो घोषणायें यहां पर की गई थीं जो बात मुख्य मंत्री जी ने और राहत मंत्री जी ने कहीं उसके विपरीत बात हमने देखी। सूकड़ी नदी के किनारे पर बसे हुए दो गांव पुलथाना और अंथुली, एक तरफ पुलथाना बसा हुआ है दूसरी तरफ अंथुली बसा हुआ है। सूकड़ी नदी जोर से उफान में आई और उसने दोनों गांवों को तबाह किया कि वहां पर किसी गांव में 250 घर बर्बाद हो गये, किसी गांव में दो सौ घर बर्बाद हो गये। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि वहां कोई मकान रहा नहीं होगा। नींव का पता नहीं, मकान का पता नहीं। हम जब गये थे तब 7 दिन के करीब हो चुके थे। हमने अधिकारियों से पूछा खाने-पीने की क्या व्यवस्था की? अधिकारियों ने एक बात तो पाली जिले में बताई। कलक्टर से मैंने पूछा तो कहने लगे मैं परसों आया हूं और पहले वाले कलक्टर का तबादला हो चुका है। उसके बाद न ए. डी एम. और न ही एस. डी. एम. वहां पर मौजूद थे। जितने भी जिले के अधिकारी थे उनका सब का तबादला हो चुका था। कलक्टर ने दो दिन पहले ज्वाइन किया था ज्वाइन करने के बाद उनको भी पूरी जानकारी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, उस गांव के अन्दर स्थिति यह थी कि 200-250 घर बर्बाद हो चुके थे और वह भी गरीब आदमियों के घर थे। उसमें 80 प्रतिशत, मैं अगर कहूं 90 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह खुले आकाश के नीचे पड़े हुए थे। न उनके खाने की व्यवस्था थी। अधिकारियों ने एक बात हमको कही कि हमने यहां पर वालंटेरी एजेन्सीज की मार्फत काम करवाया है। मैं कहना चाहता हूं और उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने स्वतः अपनी प्रेरणा से लोगों ने सामान इकट्ठा किया, अनाज इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठे किये, बरतन इकट्ठे किये और लोगों ने स्वय की प्रेरणा से वहां जाकर बांटा। मैं यह भी कहना चाहता हूं इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं था मैं इसको पार्टी की दृष्टि से भी नहीं लेना चाहता। जो विपत्ति आई थी उसमें हमारे लोगों ने मदद की, दूसरे लोगों ने मदद की और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे मौके पर लोगों की सहायता की और लोगों को राहत देने का काम किया।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए दुःख है, हमने बार-बार पूछा लोगों से कि सरकार की ओर से आपको क्या सहायता दी गई है। मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर कहा था ग्रेचुइटस रिलीज के तौर पर हम चार रुपये वयस्क को और दो रुपये बच्चे को देंगे। हमने पूछा कि आपको पैसा मिला है क्या? हमको कहीं पर लोगों ने यह नहीं कहा कि हमको पैसा मिला है। उस वक्त करीब-करीब 8-9 दिन हो चुके थे। उस

(श्री शिवचरण माथुर)

हिसाब से भी लोगों को यदि पैसा मिल गया होता तो पूरी राहत उनको मिलती। अधिकारियों से पूछा, उन्होंने कहा अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है।

हम जालौर जिले में पहुंचे, वहां के कलक्टर ने अपने इनीशियेटिव से और दूसरे लोगों ने अपने इनीशियेटिव से यह बात कही कि हमको ऐसे आदेश तो आये हैं वह हमारी जानकारी में हैं, रुपया हमारे पास नहीं आया है, न डी.आर.डी.ए. से पैसा इकट्ठा करके कुछ उनको देना चाहते हैं। केवल एक जालौर जिले में हमको देखने को मिला बाकी कहीं पर वह चार रुपये और दो रुपये के हिसाब से जो ग्रेचुइट्स रिलीफ की बात यहां पर मुख्य मंत्रीजी ने कही थी वहां पर कहीं भी किसी व्यक्ति को नहीं दी गई। जोधपुर में हम पहुंचे तो जोधपुर के कलक्टर से, कमिश्नर से मैंने पूछा कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं? उन्होंने कहा, हमें इसकी जानकारी नहीं है। अब आर्डर आ जायेंगे तो हम इसका तखमीना बना रहे हैं, एस्टीमेट बना रहे हैं, उसके हिसाब से हम पेमेन्ट कर देंगे। एक बहुत सीधी बात जिस को मैं प्राथमिक सहायता के तौर पर मानता हूं, जो सरकार की तरफ से दी जानी चाहिये थी वह वहां नहीं पहुंची। कहीं फूड पैकेट बांटने का सवाल आता है, मुझे लोगों ने बतलाया कि हेलीकाप्टर से जितनी भी शार्टीज भरी गई, जितनी भी शार्टीज दी गई वह शार्टीज ज्यादातर बालोतरा के बाड़मेर के इलाके में आ गई। सांचौर के इलाके के आस-पास जालौर में कहीं पर हेलीकाप्टर नहीं पहुंचा, कहीं पर भी फूड पैकेट ड्राप नहीं किये गये। लोगबाग खाने के अभाव में, यदि वालिन्टरी एजेन्सी या वहां के आस पास के लोग सहायता नहीं करते तो मुख्य मंत्री जी मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां पर बाढ़ से, भूख से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई होती। यह तो लोगों ने मौके पर स्थिति को संभाला। जहां बड़े-बड़े गांव थे वहां उन्होंने कई दिन तक लोगों को अपने मकानों में रखा। हम कई गांवों में गये, वहां हमने देखा, चांदराई गांव में हम गये, वहां देखा कि एक घर में करीब सौ-डेढ़ सौ आदमी रह रहे थे, दूसरे घर में दो सौ आदमी रह रहे थे, लोगों ने अपने घरों में उनको शरण दी और उनको खाना खिलाया और उनको सब तरह की सहायता दी। लेकिन सरकार की तरफ से वहां पर कोई व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिली। यह ठीक बात है कि वहां अधिकारी पहुंचे कई जगह, बहुत जगह तो पहुंच ही नहीं पाये थे। सब जगह जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, वहां गवर्नमेंट की एजेन्स कई जगह ऐसा मैंने देखा, कोई भी नहीं मालूम पड़ रही थी।

हम पाली जिले के आगे जालौर जिले में जब पहुंचे, अध्यक्ष महोदय, वहां एक सेथली गांव आता है। उसके पास एक भाखली का बहुत बड़ा तालाब बंधा हुआ है। उस भाखली से करीब 30 एकड़ जमीन की पिलाई होती है। उस भाखली में बाढ़ आने का कारण कोई नदी का नहीं था। भाखली नदी पर एक प्रोटेक्शन बांध बंधा हुआ था उसका पानी ओवर फ्लो होता था तो उसके बाइवाश से ले जाकर के पीछे की तरफ उस पानी को बहने की इजाजत मिल जाती थी, तो वहां के लोगों ने एक प्रोटेक्शन बांध बनाया हुआ था, इरिगेशन डिपार्टमेंट

(श्री शिवचरण माथुर)

का एक प्रोटेक्शन बांध बनाया हुआ था उस प्रोटेक्शन बांध को कभी भी सिंचाई विभाग ने बाढ़ के आने के पहले सम्भालने की चेष्टा नहीं की। नतीजा यह हुआ कि भाखली बांध का जो प्रोटेक्शन बांध था वह एक जगह से टूटा और टूट कर उसका पानी सेथली गांव में आया और सारे गांव को नष्ट करता चला गया। वहां एक जागीरदार का घर था उस घर में सब लोगों ने थोड़ी देर तक शरण ली। उस पर भी जब पानी ज्यादा आने लगा तो लोग पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गये। उस पहाड़ी पर बैठ कर उन्होंने रात निकाली। बड़ी मुश्किल से चार-पांच घंटे के बाद वारिश थमी तो धीरे-धीरे लोग नीचे आये और नीचे आने के बाद वह आज भी आकाश के नीचे पड़े हुए हैं।

एक जैतपुरा गांव में हम गये, अध्यक्ष महोदय। वहां भी इस प्रकार की स्थिति थी। केवल एक जागीरदार का घर बचा हुआ था। उसमें जाकर लोगों ने शरण ली। उसके बाद कहीं पर भी एक घर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस चांदराई गांव में हम गये, साढ़े तीन सौ घर वहां पर बरबाद हो गये। वह बरबाद बाढ़ से नहीं हुए, वहां एक तालाब था पुराना, वह तीन जगह से टूट गया। उस तालाब के टूटने के कारण सारा गांव जो निचला इलाका था, गरीबों के मोहल्ले थे उनमें पानी पहुंच गया और वहां एक मकान भी नहीं बचा। ऐसा लगता नहीं था कि यहां पर किसी जमाने में कोई मोहल्ले रहे हों या मकान रहे हों। सारी नींव समाप्त हो गई. अंग्रेजी में जिसको रेज्ड टू दी ग्राउण्ड कहते हैं इस प्रकार की स्थिति वहां पर मकानों की थी।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से न कोई शैल्टर शैड वहां पर पहुंचाये गये। यह सोचा जाना चाहिए था, हमने लोगों से पूछा, अधिकारियों से पूछा, कम से कम आप इतना तो कर सकते थे, कुछ टीन शैड मंगा कर इन लोगों के शैल्टर का इन्तजाम कर सकते थे ताकि यह लोग पानी से बच जाते और आगे इनको कुछ और राहत दे सकते थे। उन्होंने कहा, टीन शैड हमारे पास नहीं हैं हमारे पास कोई फण्ड नहीं हैं, सरकार के कोई निश्चित आदेश हमारे पास नहीं हैं मुझे मालूम है, पहले जब इस प्रकार की स्थितिया आती थीं तो हम जिलाधीश को यह आदेश दिया करते थे कि आप मौके पर जो कुछ भी उचित समझें आप उसमें खर्च कर दीजिये बाद में गवर्नमेंट से रिएम्बर्स करा लीजिये। लेकिन किसी भी जिले के अधिकारी को, कलक्टर को यह अधिकार नहीं था कि वह स्वतः अपने इनीशियेटिव पर जो परिस्थिति उसके सामने है उसका मुकाबला करने के लिये कुछ काम कर सके, कुछ कदम उठा सके। मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासन ने अपने तौर पर लोगों को मोटिवेट भी किया, कई जगह लोगों को लेकर भी गये और वहां उन्होंने अपनी प्रजेन्स दिखाई। लेकिन उन्होंने एक बात हमें साफ कही कि जब तक राज्य सरकार से स्पष्ट आदेश हमको किसी प्रकार के नहीं मिलते हैं तब तक हम बड़ा कदम उठाने की स्थिति में नहीं हैं। हर जिले के अधिकारी का एक ही जोर था कि किसी न किसी प्रकार से वालियन्टरी एजेन्सी को मोटिवेट करके लोगों की सहायता की जाय। यही उनको एक रिलीफ वर्क मानते थे। हमने जिनसे भी पूछा उन्होंने एक ही बात कही, हमने फलां

(श्री शिवचरण माथुर)

एजेन्सी को मोटिवेट किया और उन्होंने लोगों को रिलीफ दी।

अध्यक्ष महोदय, सूकड़ी नदी और जवाई नदी आगे जाकर जालौर जिले में एक हो जाती हैं। इतना बड़ा पाट उनका बन जाता तीन-चार किलोमीटर तक लगातार उस पानी का फैलाव हुआ। जालौर जिले की भीनमाल पंचायत समिति के अन्दर एक चैनपुरा गांव है। एक चैनपुरा पुराना है, एक चैनपुरा नया है। उस गांव में रात को बाढ़ आई। उस बाढ़ से बचने के लिये वहां के करीब 50 व्यक्ति एक रोहड़े के पेड़ पर चढ़ गये। रोहड़े के पेड़ पर चढ़ने के बाद उन्होंने समझा कि हम सुरक्षित रह जायेंगे। पेड़ काफी मजबूत था लेकिन बहाव इतना तेज था उस बहाव में वह रोहड़े का पेड़ गिरा, 50 के 50 लोग उसमें गिर गये और 25 व्यक्ति उस रोहड़े के पेड़ पर चढ़े हुए मृत्यु के शिकार हो गये एक परिवार में 11 व्यक्ति मारे गये, एक परिवार के 9 व्यक्ति मारे गये, एक परिवार के पांच व्यक्ति मारे गये। अध्यक्ष महोदय, उनकी दारुण कथा देखी नहीं जाती। हम लोग जब वहां गये उनमें से एक व्यक्ति बिल्कुल पागल जैसी स्थिति में था। उन्होंने कहा, मुझ से बात मत कीजियेगा, मैं भविष्यवाणी करने वाला हूं कल यह होने वाला है। विक्षिप्त अवस्था में, उसकी पागल जैसी स्थिति बनी हुई थी। उसके घर में एक साथ 11-11 व्यक्तियों की मौत हो जाय, छोटे बच्चों की मौत हो जाय, आप अन्दाज लगा सकते हैं उस परिवार की क्या स्थिति होगी ? उसमें भी सरकार ने केवल पांच हजार रुपये के हिसाब से लोगों को राहत दी। यह बात जरूर है पांच हजार रुपये के हिसाब से तो लोगों को राहत पहुंची लेकिन उनको कहां बसाया जाना चाहिये, इस बारे में कोई आज तक सरकार की ओर से वहां पर व्यवस्था नहीं है।

चैनपुरा गांव में बड़े-बड़े कुएं थे जिनमें मोटरें लगी हुई थीं, इंजिन लगे हुए थे, पाइप लाइन लगी हुई थी। और इतनी अच्छी जमीन थी वह सारी की सारी नदी की रेत से भर गई। कुएं रेत से भर गये। उनमें पाइप लाइन का पता नहीं, उनमें इंजिन का पता नहीं, उनमें मोटरों का पता नहीं। तो सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय उनके लिये यह था कि घर जाकर हम खायेंगे क्या ? यह स्थिति चैनपुरा में देखी। इसके बाद सांचौर में इसी प्रकार की गांवों की स्थिति थी। बालोतरा में अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से लूणी नदी ने उस कस्बे को घेर लिया था। जसोल की तरफ तो बहुत बड़ी बाढ़ नहीं आई थी लेकिन जोधपुर की तरफ जोजरी और लूणी नदी का पानी एक मिल करके पचपदरा की तरफ एक जबर्दस्त बाढ़ का कारण वहां पर बन गया। वहां की स्थिति इतनी खराब थी, जितनी भी गरीब बस्तियां थी करीब करीब प्राय: समाप्त हो गई थी। हम उन गरीब बस्तियों में गये। एक शास्त्री नगर वहां पर बस्ती है जिसमें कीर लोग रहते हैं, दूसरी नेहरू नगर बस्ती है जिसमें भील, चमार और शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं। वहां हमने पूछा कि यहां पर आप का कोई अधिकारी आया। वहां तो उन्होंने यह कहा, अधिकारी ही नहीं आया। उन्होंने

(श्री शिवचरण माथुर)

कहा, साहब, चूंकि हम लोग बाहर से आये हुए हैं, हमारा राशन कार्ड नहीं है इसलिये हमको कोई सहायता नहीं दी गई। हमने एस.डी.एम कलक्टर को कहा, भाई, कम से कम यह बात तो आप ध्यान में मत रखियेगा। इस वक्त तो जो भी लोग हों, उनको सबको आपको मदद करनी चाहिये। उन्होंने कहा, साहब, हमारी भूल हो गई, हमने अभी तक इसमें नहीं पहुंचाई है, आगे हम यह राहत पहुंचायेंगे। यह स्थिति मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी, अगर आप वहां स्वयं जायं तो आप भी देखेंगे, आप गये वहां पर और ठीक बात है कि मुख्य मंत्री जी जाकर सारे इलाके में पहले हेलीकाप्टर से ही देख सकते हैं, आप ने जो कदम उठाया उचित उठाया था, लेकिन आप अगर कहीं पर भी एक जगह मौके पर जाकर देखते तो आपको मालूम पड़ता स्वयं, किस प्रकार की विपत्ति वहां पर लोगों के सामने आई है।

चतुर्वेदी जी वहां पर गये, पुष्पाजी वहां पर गईं, आपके अध्यक्ष जी वहां पर गये। उससे भी अलग-अलग तरह से बात हुई थी वहां पर। कोई भिन्नता नहीं थी। जहां तक स्थिति का सवाल था, सब लोग मानते थे कि बहुत भयंकर स्थिति है। और यह बात भी मानते थे कि जितनी सहायता पहुंचनी चाहिये थी उतनी सहायता नहीं पहुंची। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूं और बिना किसी हिचक के कहना चाहता हूं कि जिस भावना से मुख्य मंत्री जी ने यहां पर 10 जुलाई को अपना वक्तव्य दिया था और जो लोग वहां सरकार से आशा करते थे, उस आशा के विपरीत लोगों को कोई राहत नहीं मिली। कोई उनकी खाने-पीने की व्यवस्था नहीं की गई, उनके मकान बनाने की व्यवस्था नहीं की गई। हमने अलग-अलग जिलों के कलक्टर से पूछा कि आपके अन्दाज से कितने घर बरबाद हुए हैं, उन्होंने कहा अभी तो इसका हिसाब लगाया जा रहा है लेकिन मोटे तौर पर अकेले जालौर जिले में दो-ढाई लाख घरों की बर्बादी का उन्होंने अनुमान बतलाया। इसी प्रकार जोधपुर में एक लाख के करीब घर गिरे, इसी प्रकार पाली में भी घर गिरे। जहां 2–3–4 लाख मकान गिरे हों, और वो जमीन पर आकाश के नीचे बैठे हों, सरकार से यह पूछना चाहता हूं आखिर आपने सोचा क्या है? सरकार की ओर से घोषणा की गई कि जो कच्चे मकान हैं, आंशिक रूप से गिर गये हैं, उनको 200 रुपये की सहायता दी जायेगी, पूरे गिर गये हैं उनको 500 रुपये की सहायता दी जायेगी और जो केलू के मकान है उनको 1000 रुपये दी जायेगी और पक्के मकान है उनको 1750 रुपये सहायता दी जायेगी। आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इस 1000 या 1750 रुपये में टीन शेड की चद्दर भी नहीं आती आजकल। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मकानों की आप व्यवस्था कर पायेंगे? मैं यह भी मानता हूं कोई भी सरकार सम्पूर्ण रूप से कम्पन्सेट नहीं कर सकती है, इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन यह तो हो ही सकता है आप उनको अलग-अलग तौर से अलग-अलग स्कीमों के अन्तर्गत, अलग-अलग योजनाओं में लेकर के उनको इतनी राहत दें कि वो मकान दुबारा बनाकर खड़ा कर सकें। हमने पहले किया है 1981 की बाढ़ में, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये। जो

(श्री शिवचरण माथुर)

बाढ़ की सहायता का पैमाना है; जो मापदण्ड है वो एक तरफ रखा गया। उसके अलावा जितनी भी स्कीम चालू हो सकती थी, शिड्यूल्ड कास्ट कार्पोरेशन से जो राहत मिल सकती थी वो, इन्दिरा आवास योजना उस वक्त तो नहीं थी लेकिन उसके बाद आज तो है, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, गरीब को छप्पर योजना के अन्तर्गत, शिड्यूल्ड कास्ट कार्पोरेशन के अन्तर्गत जो सहायता दी जाने वाली है, उस सहायता को लेकर के और फिर उसके बाद जो बचता है, मुख्य मंत्री सहायता कोष से पैसा दे कर के आप निश्चित रूप से एक-एक मकान को खड़ा करने की व्यवस्था कर सकते हैं।

मेरा ऐसा अन्दाज है, अध्यक्ष महोदय, कच्चे से कच्चे मकान को भी जो गिरा है केलू पर से उसको 5000 रुपये से कम की आप व्यवस्था करेंगे तो वो भी मकान नही बना सकता। हमने कहा, 5000 रुपये से 10000 रुपये तक की व्यवस्था की जानी चाहिये, अलग-अलग तरह से मकान की स्थिति को देखेंगे तब जाकर लोगों को महसूस होगा कि कहीं पर बसने वाली बात आती है। अध्यक्ष महोदय, कई जगह ऐसी स्थिति आई कि सीधा गांव बाढ़ की चपेट में था। अगर नदी थोड़ा सा भी उफान में आती है। 1979 में भी उन गांवों में बाढ़ आई तो लोगों ने हमसे कहा कि साहब हम ऊपर जाकर बसना चाहते हैं। ऊंकली गांव पाली जिले में आता है। मैंने आपसे कहा कि वहां पर केवल एक जागीरदार का मकान बचा हुआ था, बाकी सब मकान ध्वस्त हो गये थे। उन लोगों ने हमसे कहा कि हमको ऊपर बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिये और जगह भी उन्होंने इस प्रकार तय की लेकिन वहां पर कोई गोचर का सवाल नहीं आता है, दूसरे आदमी के कब्जा होने का सवाल आता है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि इस समय आप उन नियमों में भी अगर शिथिलता करके उनको अगर गोचर भूमि में बसाने का सवाल आता हो, उनको उचित जमीन पर बसाया जाना चाहिये। अगर वो आज नहीं बसाये जायेंगे तो कल जाकर के फिर बाढ़ आयेगी। अभी तो यह बरसात की पहली बारिश थी और अभी भी अखबारों में आज मैंने पढ़ा कि पश्चिमी राजस्थान में फिर से भी एक वार्निंग दी गई है हेवियर इन्फाल की। यदि पश्चिमी राजस्थान में फिर बाढ़ की स्थिति बनती है तो मैं समझता हूं आज जो लोग परेशान हैं उससे ज्यादा परेशानी वहां पर लोगों को होगी। तो जो लोग नीचे बसे हुए हैं, उनको ऊपर बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। पाली शहर में वहां की कुछ कच्ची बस्तियों में हम लोग गये। मुझे पता नहीं मुख्य मंत्री जी ने कहा है या नहीं, पुष्पाजी ने यह बात कही नहीं लोग कहने लगे साहब हमको यह कहा गया कि यहां बसे ही क्यों? आप लोग और यहां मरने के लिए बसने के लिए क्यों आ गये? मैं समझता हूं मैं ऐसा नहीं मानता कि मुख्य मंत्री जी ने ऐसी बात कही होगी। ये दूसरे संदर्भ में ऐसी बात आपने कही होगी लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि यदि नाजायज तौर से बसे भी हों, किसी प्रकार से, बगैर परमिट के ही बसे हों तो भी सरकार की जिम्मेदारी यह है कि उनको आप राहत दें। उनको अच्छी अल्टरनेटिव जगह दे कर के उनको बसाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिये।

(श्री शिवचरण माथुर)

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं बालोतरा कस्बे में जो बाढ़ आई, उसमें जहां लोगों को नुकसान हुआ, मकान गये, आदमियों की भी मृत्यु हुई लेकिन उसके साथ-साथ छोटे उद्योगों को भी भारी नुकसान हुआ, और उसके साथ-साथ बालोतरा तहसील के कुछ गांवों में हम गये। एक कालीना गांव था, वहां पर हम गये। वहां के हमने जावों को देखा, जमीनों को देखा, कुओं को देखा। कल्पना नहीं कर सकते कि अच्छे किसान, सम्पन्न किसानों की जमीन वहां पर बर्बाद हुई है, जो कुए बर्बाद हुए हैं, आज उनकी भी हैसियत नहीं है कि वो उन कुओं को वापस सही कर सके या उस जमीन को खेती लायक बना सके। वो भी यह कहते थे क्या होगा कल हमारा, अगर सरकार हमको राहत नहीं देती है। मैं कहना चाहूंगा कि आज सरकार को बड़े पैमाने पर जमीन को ठीक करने के लिए जैसा कि अकाल के वक्त किया जाता था, 1988 के अकाल में हमने किया, उस वक्त मवेशी बहुत मर गये थे, जानवर नहीं थे, बैल नहीं थे, सरकार ने अपने तौर पर ट्रैक्टर्स की व्यवस्था बुवाई के लिए कर के दी तो आज मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा आज उन किसानों की जिनकी जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिनकी आज जमीन पर बोने लायक स्थिति बनी नहीं है, आज उनको ट्रैक्टर्स से, बुलडोजर्स से उस जमीन को आप समतल कराने की कोशिश कीजिये और बड़े पैमाने पर उनको राहत देने की बात आपको करनी चाहिये। यदि यह भी नहीं हो सके, यदि इतना भी सम्भव नहीं हो, आज ऐसी स्थिति है वो शायद इतना करने के बाद भी वह जमीन फिर भी ठीक नहीं हो। मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि उनको कहीं न कहीं अल्टरनेटिव प्लेस दिया जाना चाहिये। आज अगर उनको इस जगह उस जिले में अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उस जिले में भी अगर आप दें तो मैं समझता हूं कि उनके लिए माकूल राहत होगी। यदि उस जिले में जमीन नहीं हो तो और जगह, इन्दिरा गांधी कैनाल में उस जगह आपको उन लोगों को जमीन देनी चाहिये। ताकि वह उनकी जीविका का आधार बने और वो इस बाढ़ से राहत पा सके।

अध्यक्ष महोदय, कई जगह हमने देखा कि पानी भर गया, 5-5, 6-6 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। भादराजून के पास हमने देखा कि 6-7 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। वहां के लोगों ने कहा साहब ये पानी जब सूखेगा 2 महीने के बाद में, रबी की फसल आयेगी, हमारे लिये वरदान सिद्ध हो सकता है लेकिन इसमें सरकार हमको अगर खाद के लिए, बीज के लिए पैसा दे और उस जमीन को आंकने के लिए हमको मदद दें तो यह बाढ़ भी एक प्रकार से वरदान सिद्ध हो सकती है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कर्ज आप माफ नहीं कर सकते, अलग बात है। आप को दिक्कत है, चुनाव में आपने वायदा किया, उस वायदे को आप निभा नहीं सकते, या आपने कोई अलग बात सोची है....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वो यह माननीय सदस्य जब बोल चुके तो मुझे बोलने का मौका देंगे क्योंकि इन्होंने जो 1981 का हवाला

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

देकर यहां बात कही है, वो बिल्कुल असत्य है और मैं भी उनकी भुक्तभोगी हूं, इस बारे में बात करना चाहूंगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय उजला जी, यह एडजोर्नमेंट मोशन है। आप बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये अपनी पीठ ठोक लें और कबूल करें नहीं। यहां असत्य बातों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगी। (व्यवधान) सन् 1981 में.... अध्यक्ष महोदय, कहां इतना पैसा देना चाहिये, ये कहना चाहिये, मेरे 110 बन्धे टूटे पड़े हैं, एक पैसा नहीं लगाया, कहते-कहते मैं थक गई और वो और जो कच्ची बस्तियों को पैसा दिया है, उसमें यह कहा गया कि 300 रुपया जो देंगे, उसका समायोजन जमीन में कर लेना।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज तक वो पैसा नहीं दिया आपने। काहे की वाहवाही लेना चाह रहे हो। 300 रुपये का समायोजन....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वो जमीन कच्ची बस्ती में दी है। उस मूल्य में रख लेना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, कोई पैसा नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष : माथुर साहब।

श्री शिवचरण माथुर : यह कोई दलील नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह नहीं कहती कि वहां नहीं होना चाहिये पर यह कह करके हमने ऐसा किया था, मैं समझती हूं असत्य सम्भाषण नहीं होना चाहिये। शेष आप बोले, उसमें मददगार है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह बोखला रही हैं। इनको मंत्रिमण्डल में ले लें। फिर यह सक्षम हो जायेंगी, जवाब देने के लिये।

श्री अध्यक्ष : सैनी जी अब आप बोलने दीजिये ना।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने तो यह कहा है कि जो कुछ भी दिया गया था, किया गया था वह आपके रिकार्ड में है, उसको देख लीजिये। यह कोई दलील नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उजला जी, नो डिबेट प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारी दुखती रग मत छेड़िये। काम किया नहीं और वाहवाही लूटना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो कोई दलील नहीं हुई कि उस वक्त हमने नहीं किया, तो आप भी नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ....कि आप जो कह रहे हैं, कि यह होना चाहिये, उसमें हम लोग साथ हैं, लेकिन जब जो नहीं किया, उसको नहीं कह सकते आप....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बिराजें आप।

श्री शिवचरण माथुर : आपने सुना नहीं मैंने यह कहा था ..

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने 1981 में बाढ़ का हवाला देकर 5000 रुपये कच्चे मकान की देने की बात कही थी, मैंने उस बात पर कही है बात....

श्री अध्यक्ष : उजला जी बिराजें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने 300 रुपये नहीं दिये।

श्री शिवचरण माथुर : यह कोई दलील नहीं हुई कि उस वक्त नहीं दिया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने केन्द्र से मिलने वाली राशि में से भी नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इनको पूरा करने दीजिए, माननीय उजला जी....

श्री अमृतलाल परमार : इन्होंने क्या-क्या किया वह मैं बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : जो आये थे उस समय उनको ऊंट की सवारी दी थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में चर्चा न करें। माननीय अमृत जी, बिराजें।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो व्यावहारिक रूप से मानवीय दृष्टिकोण से बात रख रहा हूं और मैं मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि अपना जवाब देते समय हमारे सुझावों को ध्यान में रख कर जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और भी बोलने वाले 5-6 माननीय सदस्य हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी इस मौके पर रुपयों की ओर देखने वाली बात न करें क्योंकि अकाल के वक्त में हमारे समय में भी ऐसी स्थिति आ जाती थी तो सरकार से जो भी कार्यवाही होती थी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अपनी बात ही और थी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माथुर साहब आपके कार्यकाल में सोजत विधान सभा क्षेत्र के माण्डावास में 25 मकान गिर गये, एक औरत व एक बच्ची दब गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि पहले भारत सरकार की टीम आया करती थी और उसके द्वारा जायजा लेने के बाद मदद मिलती थी। आज तो राजस्थान सरकार के पास में सारे साधन उपलब्ध हैं। नेशनल कलेमिटी फण्ड में नाइंथ फाइनेंस कमीशन ने जो व्यवस्था दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय अमृत जी, बिराजिए।

(109)

श्री शिवचरण माथुर : आपके समझ में नहीं आएगा।

एक माननीय सदस्य : आपके वश का रोग नहीं है। 4–4 साल अकाल पड़ जाय तो आपको नानी याद आ जाएगी।

श्री शिवचरण माथुर : मैं मुख्य मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि 5 वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के पास जो क्लेमिटी फण्ड में 620 करोड़ रुपये हैं उसमें से 124 करोड़ रुपये की इस साल व्यवस्था की गई है जिसमें 93 करोड़ रुपये भारत सरकार की ओर से मिलेंगे और 36 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार अपनी ओर से देगी। यह बात आपने ही कही है।

आपने पिछले साल के अकाल में जो साल 1990 के मार्च में खत्म हो गया उस में मुझे क्षमा करेंगे, अकाल की बात तो आपने कही लेकिन कहीं पर भी काम शुरू नहीं हुआ और जहां करवाया तो जवाहर योजना के अन्तर्गत करवाया। इसलिए वह पिछली साल का पैसा भी आपके पास अवेलेबल है उसमें 20–25 करोड़ रुपये आपने खर्च किये हो तो 100 करोड़ आपके पास है और इस साल का 124 करोड़ रुपये आपके पास अवेलेबल है। तो इस प्रकार करीब सवा दो सौ करोड़ रुपये सरकार के पास उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भी क्या कारण है कि इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी यह सोच कर खर्च नहीं कर रहे हैं कि आगे कहीं और विपत्ति आ जाएगी। तो आगे फिर कौनसी विपत्ति का आप इन्तजार कर रहे हैं। मैं समझता हूं उस इलाके के लोगों के लिए इससे बड़ी विपत्ति कभी नहीं हो सकती। उनके घर, उनकी जीविका का आधार सब नष्ट हो गये, लोग उनके मर गये आगे क्या होने वाला है यह भी उनको मालूम नहीं ऐसी विपत्ति पर भी पता नहीं आपका क्या आधार है कि आप उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

मैं स्पष्ट रूप से मुख्य मन्त्री जी 4–5 बातें कहना चाहूंगा। एक तो सर्वे का काम मेहरबानी करके जल्दी पूरा करिये। जो गति आपकी चल रही है उससे मुझे नहीं लगता कि महीने डेढ़ महीने में भी हो सकेगा। आपके जिले के अधिकारियों ने भी सतही तौर पर सर्वे किया है। डिटेल सर्वे अभी करना बाकी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जोधपुर के पास में थोम गांव में गये उसके पास रोइचा कलां गांव भी था। हमको जिलाधीश ने कहा कि जोधपुर जिले में 21 मौतें हुई है। लूनी तहसील में हम जहां पर गये। 2–3 मौतें वहां पर मिली। एक मकान में एक लड़की तीन साल की दबी हुई मिली थी उसका पता जिले के अधिकारियों को नहीं था। इसी तरह एक मेघवाल के मकान में दो दिन पहले मलबे में दबा हुआ शव मिला उसकी मृत्यु हो गई थी उसकी जानकारी भी जिले के अधिकारियों को नहीं थी। तो जितनी भी मृत्यु के समाचार जिले के अधिकारियों के पास है उससे ज्यादा जानकारी लोगों को हैं। इसलिए सर्वे का पूरा काम एक हफ्ते में हो जाना चाहिये यह आप अधिकारियों को कहें क्योंकि 10 दिन पहले ही निकल चुके हैं। आपने जो सचिव सर्वे के लिये भेजे हैं वह भी इस बात के लिये इम्प्रेस नहीं कर रहे है कि जल्दी सर्वे हो। सर्वे तत्काल होना चाहिए और अधिक से अधिक एक हफ्ते में पूरा करना चाहिये।

(श्री शिवचरण माथुर)

एक मेरा सुझाव है कि ग्रेच्यूशन रिलीफ आपने 15 दिन के लिये कही हैं उसको कम से कम एक महीने तक चालू रखें। दो चार रुपये अभी तो एक व्यक्ति को भी नहीं मिले हैं लेकिन कम से कम पहले महीने में यह चालू रखें ताकि थोड़ा उनको आधार मिल जायेगा।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि यह तो पहली बरसात थी। अभी भी खतरा बना हुआ है। तालाबों में जो ब्रीचेज हो हो गये हैं अगर वह प्लक नहीं किये गये तो दूसरी थोड़ी सी बरसात गांवों का नाश कर सकती है। बांकली में तालाब का सारा हिस्सा टूटा हुआ है। थोड़ा सा भी पानी आया तो गांव बह जायेगा। रोइचां कला के पास में सनेचा के ऊपर ...

एक माननीय सदस्य : आप बांकली पधारे भी नहीं, आप बात कर रहे हैं ?

(2.08 म. प.)

(माननीय श्री जीतमल जैन, सभापति पदासीन)

श्री शिवचरण माथुर : आपके मुख्य मन्त्री जी को इतनी चिन्ता है। आज सवेरे 11 बजे उनका पत्र मिला। आते वक्त, मैं उनसे बात करता, वह इस बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। आखिर बहुत बड़ी विपत्ति एक क्षेत्र पर आई है। मेरा सुझाव है उन टूटे हुए तालाबों को फौरन प्लक किया जाना चाहिए चाहे सड़क का काम 15 दिन बाद करें ताकि आने वाले फ्लड से उनका बचाव हो सके। अगर यह नहीं किया गया तो मैं निश्चित रूप से चेतावनी देता हूं कि जहां टूटे तालाबों के रास्ते बन चुके हैं उनसे और बरबादी होगी। इनको बचाने के लिये युद्ध स्तर पर काम हो। कहीं नहीं लगा कि नीचे के प्रशासन के अधिकारियों में कहीं युद्ध स्तर पर काम करने की भावना आई है। एक सरसरी तौर पर आटा दे दिया, फूड पैकेट बांट दिये इसके सिवाय और कोई रिलीफ का काम उनके दिमाग में नहीं आ रहा है।

एक मेरा सुझाव है कि गिरे हुए मकानों की मरम्मत करने के लिए उनमें रहने वालों को मजदूरी पर लिया जाना चाहिए। जैसे रिलीफ में हमने कुएं खोदने के लिए लोगों को उन्हीं के कुओं पर काम दिया था और सरकार से मजदूरी दी गई थी। उसी प्रकार इन लोगों के गिरे हुए मकानों पर दुबारा काम करने के लिए मजदूरी दी जाये।

सभापति महोदय, आज तक इन इलाकों को प्रभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। लोगों की आम तौर से मांग थी कि इनको बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाय ताकि रिलीफ के कार्य उस आधार पर चलें। लोगों को कर्जा देने की बात आयेगी। अगर फ्लड इफेक्टेड एरिया घोषित नहीं किया गया तो इन लोगों को राहत नहीं मिल सकेगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बाढ़ग्रस्त घोषित करने से क्या अतिरिक्त सहायता मिलेगी ?

श्री शिवचरण माथुर : उनके कर्जे की वसूली बन्द हो जायेगी। वहां कई लोगों ने मांग की है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दिक्कत नहीं है वसूली कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : उनके कर्जे की जो वसूली है वह रूक जायेगी। उनकी लैण्ड रेवेन्यूज है वह रूक जायेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मन्त्री) : निश्चित रूप से की गई थी। मैंने भी उनसे पूछा कि इस मांग से निकलेगा क्या ? कर्जे की जो वसूली है वह सब तो स्थगित होने ही वाली है। वह बहुत बड़ी बात नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : कानूनी दृष्टि से आप नहीं कर सकते हैं। कानूनी दृष्टि से जब तक आप फ्लड अफेक्टेड एरिया घोषित नहीं करते है तब तक आप नहीं कर सकते। आपको उनमें करने में क्या दिक्कत हैं ? कर दीजिये आप....।

श्री शांतिलाल चपलोत : इसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : प्राइवेट आदमी का जो ऋण है वह भी रूक जायेगा। अगर आप इसको फ्लड इफेक्टेड एरिया डिक्लेयर करेंगे तो। डिक्लेयर नहीं कर सकते आप। कोई भी सूट है मनीसूट, वह कोर्ट में रूक जायेगा। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो नहीं रूकेगा।

श्री शिवचरण माथुर : मैने जैसा कहा कि मकानों को बनाने के लिये सभी स्कीमों को करटेल करके और पैसा इकट्ठा करके अगर मकानों की सहायता दी जाये। माननीय मुख्य मन्त्री जी पांच हजार रुपये से कम में आप कोई मकान तो क्या एक टूटी हुई झोपड़ी भी बनाने वाली बात सोचते हैं तो नहीं बन सकता। मिनिमम पांच हजार रुपये और अधिकतम दस हजार रुपये तक की सहायता दीजिये। मैं नहीं कहता कि कोई लाख रुपये का मकान गिर जाये तो आप लाख रुपये की मदद कीजिये। हण्डरेड परसेन्ट कम्पनसेट तो गवर्मेंट कर नहीं सकती यह सच्ची बात है। परन्तु जो गरीब लोग हैं उनके रहने के लिये मकान बन जाये, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। मैं ऐसा मानता हूं कि सभी स्कीम्स को यदि आप इकट्ठा करेंगे तो आपका बहुत पैसा भी रूक जाता होगा। इस पैसे को इकट्ठा करके आप लोगों की सहायता करने वाली बात कीजिये। जिन किसानों के कुएं तथा जमीन खराब हो गई है उनको अनुदान और कर्जा दिया जाना चाहिये। उनकी जमीन को लेवल करने के लिये, उनकी जमीन को दुबारा खेती लायक बनाने के लिये ट्रैक्टर हैं, बुलडोजर हैं इनको ठीक करने के लिये सरकार प्रबन्ध करें और निःशुल्क प्रबन्ध करें। क्योंकि यदि आप बुलडोजर भेज देंगे वह हरेक से पांच हजार रुपये या दस हजार रुपया वसूली करेगा तो कहीं पर भी उनकी पैसा खर्च करने की हैसियत नहीं है। सरकार बुलडोजर्स का इन्तजाम करें, ट्रैक्टर्स का इन्तजाम करें और उन जमीनों को ठीक करने को व्यवस्था करें। यदि वे ठीक नहीं हुई तो इतने बड़े इलाके में जो अच्छी पैदावार का इलाका था, जो ग्रीनबेल्ट था उस इलाके का, वह करीब-करीब नष्ट हो जाये। इसको रिहबिलाइटेड करने के लिये सरकार को बड़े पैमाने पर उसके ऊपर काम करना चाहिए। पुराने कर्जों की कैप को हटा करके इनको फसली लोन देने वाली

(श्री शिवचरण माथुर)

व्यवस्था करनी चाहिये। अगर आज उनको नोर्मल तरीके से पैसा देने वाली बात करेंगे, सब डिफाल्टर्स हैं। कर्जे की मुक्ति का फैसला आपने पूरी तौर से नहीं किया है। कर्जा किस प्रकार से छोड़ा जायेगा पुराना दस हजार रुपये तक का उसके बारे में आज स्पष्टता नहीं है। उसके अभाव में आज स्थिति यह बनी हुई है कि ये सब डिफाल्टर्स है और डिफाल्टर्स होने के नाते वे आगे फसली लोन नहीं ले सकते। इस खरीफ का लोन नहीं मिलेगा और आगे आने वाली रबी का लोन नहीं मिलेगा इसलिये पुराने कर्जे को अलग छोड़ करके और यह समझ करके की बाढ़ग्रस्त इलाकों में खूब सारी तकलीफ आई है, मुसीबत आई है, आप इनको फसली लोन की व्यवस्था कीजिये। ताकि उनकी आगे की फसल का इन्तजाम हो सकें।

सभापति महोदय, मवेशी इतने मरे हैं, इसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। बड़े मवेशी कम मरे हैं, ठीक बात है। लेकिन भेड़ व बकरियां तो लाखों की तादाद में मरी है, रेवड़ के रेवड़ साफ हो गये। बल्कि वे तो रेत के नीचे दब गये। जो रेवड़ रखते हैं, ऐसी मवेशी रखते हैं, उनका तो जीवन का आधार होता है। आज वे पूरी तरह से जमीन पर आ गये हैं। उनके लिये चाहे आप आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत लीजिये या और कोई योजनाओं के अन्तर्गत में उनको तुरन्त गति से सर्वे करवा कर लाभ देने वाली बात आपको करनी चाहिये। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैंने जो लघु उद्योगों की बात कही, वहां पर मुझे बतलाया गया कि दस करोड़ और पन्द्रह करोड़ के लगभग का नुकसान हुआ है। उन लोगों को आप थोड़ा डेफर कीजिये और लोन देने की व्यवस्था की जाये। बिजली के कनेक्शन्स, हमने जोधपुर में जिलाधिकारियों से पूछा कि अभी तक आपने क्या किया? तो कहा हमने तो इन्फास्ट्रेक्चर रेस्टोर करने की बात सबसे पहले की। मैंने पूछा कि आपने क्या इन्फास्ट्रेक्चर रेस्टोर किया? तो उन्होंने कहा कि हमने बिजली को पूरी तरह से रेस्टोर कर दिया। पीने के पानी की जो स्कीम थी, उनको पूरी तरह से रेस्टोर कर दिया। हम लोग जिस गांव में गये, वहां के लोगों ने कहा कि बिजली तो जब से बाढ़ आयी है तब से आयी ही नहीं। नतीजा उसका यह हुआ है कि वहां ड्रिंकिग वाटर की जो स्कीम है वह सारी फेल हो गयी है। क्योंकि ड्रिंकिग वाटर के लिये बिजली जरूरी है। कुओं से पानी निकालने के लिये ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिये बिजली चाहिए। उन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं रही है। ग्राउण्ड लेबल रिजर्वस भी आज खाली पड़े हुये है। लोग वहां पर बरसात के पानी को पी रहे है। वहां पर गांव के लोगों ने हमको बतलाया कि साहब बिजली के अभाव में चक्की नहीं चल पा रही है। घरों में इनकी जो चक्कियां थी वह बह गयी। अब आटा पीसने के लिये वस्तु स्थिति यह है, कि यह वास्तविकता है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक रुपया किलो आटे की पिसाई का वहां पर लोगों ने दिया है।

कानीना गांव में हम गये, वहां पर एक रुपया किलो आटे की पिसाई लोगों ने दी। रोहिता कलां में वहां लोग हम से कह

(श्री शिवचरण माथुर)

रहे थे कि एक रुपया किलो के हिसाब आटे की पिसाई देनी पड़ रही है। तो इन्फास्ट्रेक्चर रेस्टोरेशन की जो बात जिलाधिकारी कहते है मैं समझता हूं कि यह सही बात नहीं है। बिजली रेस्टोर नहीं हुई है, पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं हुई है। एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के आधार पर, यह टाइम बाउण्ड प्रोग्राम कोई बहुत लम्बा नहीं, दो-तीन दिन के अन्दर में यह बिजली रेस्टोर की जानी चाहिए। पीने के पानी की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको चालू की जानी चाहिए। जब तक बिजली की व्यवस्था नहीं होती है, फेयर प्राइस सोप के मार्फत आप कम से कम उनको गेहूं भेज दीजिए, आटा भेज दीजिए, दाल भेज दीजिए। बहुत से लोग गांव में ऐसे हैं जो सरीखें से खाना चाहते हैं लेकिन उनके पास में कोई चीज नहीं है, आटा नहीं है, अनाज नहीं है और दुकान की व्यवस्था नहीं है। कृपया आप फेयर प्राइसेस सोप के जरिये यह पहुंचा दे तो मैं समझता हूं कि कम से कम पैसा खर्च करके बहुत से लोग अपनी दिक्कत को दूर कर सकते हैं। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ की चपेट में आने पर आप यह प्ली ले सकते हैं कि आपने बाढ़ की चपेट में आने पर यहां पर बसने वाली बात क्यों की? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह एक मानवीय प्रश्न है। इस पर आप अल्ट्रानेट रूप से प्ली कीजिए, उनके बसाने की व्यवस्था कीजिए। पाली के अन्दर में, जालौर के अन्दर में और बालोतरा के अन्दर में बहुत सी कच्ची बस्तियां नष्ट हो गई हैं। उनको बसाने की व्यवस्था के बारे में आपको सोचना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा गया कि हमने टीम्स बहुत सी भेज दी। टीम हमको रास्ते में मिली। इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर्स भी मिले, उनके साथ में उनके सहायक कम्पाउण्डर्स भी मिले, लेकिन वह एक तरह से राउण्ड लेकर चले जाते हैं। राउण्ड लेकर उनका जो मरीज है उस जगह तो चले जायेंगे लेकिन कहीं पर भी उनको बड़े पैमाने पर राहत देने वाली बात नहीं की है। हमसे लोगों ने कहा कि साहब, खुजली की बीमारी होनी शुरू हो गई है और बुखार भी होना शुरू हो गया है। वहां पर जब टीम आती है तो पूछ कर चली जाती है। एक जगह हमको कहा था कि गोली दे रहे हैं हमको, लेकिन पानी को साफ करने के लिए हमारे पास तो कोई बरतन भी नहीं है, इस पानी को कैसे साफ करेंगे। यह आप की जो टीम जाती है, दौरा कर रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन बड़े पैमाने पर उनको इलाज के लिये राहत दी जानी चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि वह नहीं दी जा रही है। माननीय चतुर्वेदी जी आपने भी इस बात को महसूस किया होगा। आप अब गहराई से एक मंत्री की तरह नहीं, एक सार्वजनिक कार्यकर्ता की दृष्टि से आप इस बात को देखें तो मैं समझता हूं कि आपको एक बात मालूम पड़ेगी, महसूस होगा। आपके लोगों ने हमको कहा कि साहब, दवाइयां हैं लेकिन लोग बाग उनको पहुंचा नहीं पा रहे हैं। लोगबागों को दवाइयां नहीं दे पा रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा के बारे में तो गोलियों का वितरण, इसके साथ जल की शुद्धि,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उसके साथ-साथ लगातार प्रिवेन्टीज मेथड्स मक्खियां जो हो रही है उनके उपचार के लिए प्रबन्ध, आगे महामारी नहीं हो इस दृष्टि से, पशुओं के बारे में विशेष रूप से उनको गाड़ कर नहीं, जलाया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था। यह तो कितनी नम्बर ऑफ टीम्स भेजी है, इन्होंने। कोई गांव नहीं छोड़ा, जिसमें प्रवास नहीं किया हो।

श्री शिवचरण माथुर : ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उन गांवों में आप नहीं पहुंचे होंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन गांवों के नाम जरूर बतायें जहां पर टीम नहीं पहुंची। उसका प्रत्युत्तर दूंगा, तब बताऊंगा आपको।

श्री शिवचरण माथुर : मेरे साथ चलिए मैं बताऊं आपको। आप हमारे साथ चलिये हम बतायेंगे कि किन गांव में पहुंची और किन गांव में नहीं पहुंची। लेकिन मैं समझता हूं कि इस विवाद में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोगों ने जो कहा है वह बता रहा हूं आपको। मैं नहीं कहता कि आपने नहीं भेजी। टीम भी गई है लेकिन टीम जाकर के आ जाती है लोगों को राहत उस से नहीं हो रही है। आपने मवेशियों के जलाने और गाड़ने वाली बात कही। माननीय श्री चतुर्वेदी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी जगह हमको मरे हुये मवेशी मिले हैं। बहुत सी जगह हमको खुले में मवेशी मिले हैं, सड़े हुए मवेशी मिले हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो मतलब ही नहीं....।

श्री शिवचरण माथुर : क्या मतलब नहीं है इसका? (व्यवधान) उन मवेशियों को गाड़ने की व्यवस्था के बारे में पंचायत के सरपच ने कहा कि उनको गाड़ने की व्यवस्था मस्टररोल पर लेकर के की है, उन्होंने पैसे देकर के मस्टररोल पर यह व्यवस्था की है। आज भी मवेशी बहुत से पड़े हुए हैं। इनके डिस्पोजल की आप व्यवस्था कीजिये। पीने के पानी की योजना की व्यवस्था शीघ्र चालू करनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं लूणी नदी के किनारों पर दोनों तरफ इम्बेंकमेंट बनाने वाली योजना बहुत दिनों से चल रही है। कई जगह उसके इम्बेंकमेंट बने। तटबंध उसके बने। लेकिन उन कामों को अभी भी बहुत तेजी से करने की जरूरत है। एक दूबरया गांव है वह केवल इसलिए बच सका कि वहां पर तटबंध था। उस लूणी नदी का तटबंध था। अब वह सारा टूट गया है। उस लूणी नदी के तटबंध को बनाने की स्कीम को आप ज्यादा मंजूरी दीजिए। ताकि लोगों को राहत मिले। और फिर से जो खतरा टूटने का हो वह नहीं बने। यही मेरा आपसे कहना है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य महोदय, उस गांव में एक नहीं बल्कि तीन स्थानों पर बांध बनाने पड़ेंगे। तीन स्थानों से धाराएं....

श्री शिवचरण माथुर : हां, तो बनाइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रयास

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कर रहे हैं। वहां के सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं को यह कहा गया है कि इस का पूरा नोट बना कर भिजवायें, राज्य सरकार उसको अवश्य मंजूर करेगी।

श्री शिवचरण माथुर : चतुर्वेदी साहब, नोट बनाने वाली बात आपके आने तक, बात करने तक होगी लेकिन कम से कम उस वक्त तक की तो व्यवस्था कीजिये मेहरबानी करके ताकि आज बाढ़ रुक सके....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य, टेम्परेरी व्यवस्था के तौर पर वहां सीमेंट के बोरे पहुंचा दिये हैं। आपके जाने के दस घंटे बाद ही मैं उस गांव में पहुंचा हूं, इसलिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। कौन से गांव में गये थे आप ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बबूड़िया गांव है वह, एक्चुअली तो उसकी स्पेलिंग क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन चैनपुरा जाते समय है, जिसमें आप पधारे, 31 लोगों की मृत्यु हुई, उस स्थान की बात कर रहा हूं, जहां तीन नदियां आकर मिलती हैं, इम्बेंकमेंट थोड़ा टूट गया है, तीन जगह बनाना आवश्यक है। यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : वह तो आप चांदलाई की बात कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं-नहीं बबूड़िया करके कोई गांव है।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, बबूड़िया में नहीं है। खैर, वहां पर हमने देखा कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी और मैं समझता हूं कि दुबारा दूसरा पानी लूनी में आयेगा और वही रास्ता पकड़ेगा तो फिर वह गांव बरबाद होगा। इन बातों को ध्यान में रख कर आप व्यवस्था कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो कुछ भी कहा, अगर उसके अनुसार काम करेंगे – वरना अभी तक तो हमें लगा नहीं, आज बारह दिन होने के बाद भी सरकार की ओर से कोई भी व्यवस्था हमें वहां पर देखने को नहीं मिली। सिवाय इसके कि स्वयंसेवी संस्थाओं के मार्फत थोड़ा-बहुत काम हुआ है, उसकी लोग सराहना करते थे। बालोतरा में जितनी भी शार्टीज भरी गई, हेलीकॉप्टर का स्थान जरूर बना दिया गया, वहां हेलीपैड बना दिया गया। लेकिन लोगों ने कहीं पर भी उससे राहत पाई हो, मुझे लगता नहीं है। उसके अलावा बालोतरा के सिवाय और जगह बहुत कम लोगों ने फूड ड्रापिंग किया। मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने इलाके को बचाने के लिए वहां पर किया। वहां पर भी कुछ राजनीति बीच में आई। मुझे दुःख हुआ, जब लोगों ने मुझे यह कहा कि यहां पर तो राहत का बहुत काम हुआ मगर हमारे यहां पर कुछ काम नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे। मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि इस भयंकर विभीषिका के अन्दर में, इस भयंकर बाढ़ के अन्दर में लोगों ने काम किया है लेकिन सरकार ने बहुत कम काम किया है और जो अपेक्षा सरकार से थी उस अपेक्षा के मुताबिक सरकार ने वहां काम नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप आज लाखों लोग बाढ़ से

(श्री शिवचरण माथुर)

परेशान हैं, और कितने दिन तक आप उन को आकाश के नीचे रखना चाहते हैं ? यह बात हम सरकार से पूछना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी हमने कहा, उस पर आप विचार करेंगे और उस मुताबिक राहत पहुंचाने की आप योजना बनायेंगे और उसको पहुंचाने की चेष्टा करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री परसराम जी मदेरणा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोल लिये। एक ही मामले पर क्या बोलेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : मुख्य मंत्री जी, मैं सिर्फ दो-तीन मुद्दे आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। अभी माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य माथुर साहब ने बहुत डिटेल में कहा, क्योंकि वह प्रभावित क्षेत्र में जाकर आये हैं और वहां के विधान सभा सदस्य भी उनके साथ में थे। आज लूणी के विधान सभा सदस्य भी अपने क्षेत्र के अन्दर दौरा कर रहे हैं। मेरी उनसे प्रातः काल बात हुई थी और रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी आपके सम्मुख अलग से एडजोर्नमेंट मोशन रखा है, वह भी इस पर अपने विचार रखेंगे लेकिन जैसा कि राहत मंत्रीजी ने दस तारीख को वक्तव्य दिया था और उस वक्त मैंने कुछ सुझाव दिये थे। मुख्य मंत्री जी, मैंने सबसे पहली बात यह कही थी कि जब भी फ्लड से लोग अफेक्टेड होते हैं, सरकार पहला कार्य तो शेल्टर देने का करती है, दूसरा कार्य जिसको फॉवर्स के अन्दर करती है, एक दिन या चौबीस घटे भी नहीं बीतते हैं, वह फ्री राशन देती है और फ्री राशन देने के अन्दर मुझे अब जानकारी मिली है, जैसा कि मुझे भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, तेरह-चौदह दिन की अवधि व्यतीत होने के बाद में, तीन तारीख को तो टोरेंशल रेन हुई है, डाउन फाल हुआ है, जो कुछ भी नुकसान होना था वह चार तारीख को बारह बजे तक हो गया है, लोग मरे उसके बाद में है, जिस चैनपुरा की अभी चर्चा यहां पर आई थी, वह लोग रोहिड़े के पेड़ पर थे। यह तथ्य अखबारों में भी आ गया है। सब इन्सपेक्टर ने जाकर के, वह अकबर का लड़का था, उसने जाकर यह बात कही कि हम सब घिर गये हैं चालीस आदमी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, उसने कहा हम यहां पहुंच नहीं सकते। अकबर का लड़का चैनपुरा गांव में दुबारा गया और उसने अपने परिवार को निकाला है। अगर वह अपने बच्चों को निकाल सकता है तो उस वक्त थोड़ी मुस्तैदी से पुलिस के अधिकारी काम करते तो शायद उनको निकाल सकते थे।

अभी माननीय चिकित्सा मंत्री जी यों अंगुली हिला रहे हैं, आप कोई इंजेक्शन वगैरह दे दीजिए बीमारों को, यह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1973 के अन्दर जब सांचौर में बाढ़ आई थी, लूणी में अब नहर में इतना फैलाव नहीं हुआ है उससे 73 में बहुत ज्यादा हुआ था, वहां पर लोगों ने ढोल बांध कर 200 आदमियों को लोगों ने स्वयं बचाया है और वह जानते हैं। यह नाव वगैरह कुछ नहीं है। ढोल बांध कर, लम्बे लम्बे लकड़ों के ऊपर उनको आप किसी करंट के सामने भी दे दें, तो भी वह उलटेगा नहीं। लेकिन वह बात छोड़िये।

(श्री परसराम मदेरणा)

जो कुछ घटना घटी, वह घट गई। लेकिन अभी तक आपने राशन क्यों नहीं वितरित किया? आज अभी माथुर साहब कह रहे थे कि कहीं पर भी आपने फ्री राशन नहीं दिया है। आपके फेमिन कोड के अन्दर इस बात का प्रावधान है कि सात दिन का राशन देंगे। लेकिन ऐसी जब परसीबिटेज होती है, सिचुएशन काफी वर्सन हो जाती है तो हमेशा 15 दिन का राशन दिया गया है। उनके पास में चक्की नहीं है, बिजली नहीं है। आटा लोगों को दो रुपये, तीन रुपये, चार रुपये किलो के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है। कल मुझे मालूम हुआ कि कुछ गेहूं वितरित कर रहे हैं। उसकी घूघरी तो खा लेंगे, लेकिन उनको आटा क्यों नहीं दे रहे हैं? हमेशा तो आटा दिया करते थे। आप को राशन देना चाहिए।

दूसरा, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अखबारों में बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है कि हमने सर्वे करा लिया है। काहे का सर्वे करा लिया? सर्वे क्या कर रहे हैं आप? सर्वे तो आपने हेलीकॉप्टर से कर लिया, जो करना था। आज जो आउस कोलेप्स हो गये हैं, पार्शियली हुए हैं, टोटल हुए हैं, उन हाउसेज को मदद देने की बात आपको तुरन्त करनी चाहिए क्योंकि आज फोरकास्ट है और हम यहां पर सदन में बैठे हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, आज ऊपर से झाड़ गिरे और उसकी सम्भावना है कि हो जाय तो आपमें क्या बीतेगी? वह आज केनोपी के नीचे, आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर छप्पर नहीं है और ऊपर से यह वार्निंग दी गई है कि बाढ़ आने वाली है। बाढ़ आने में भी जब लाखों लोग इस तरह से डेमेज हो गये हैं तो मैं समझता हूं कि तुरन्त शेल्टर की व्यवस्था करने के लिए अभी एश्योरेंस देना चाहिए कि जिन-जिन गांवों के अन्दर ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों के छप्पर नहीं है, या तो वह धूप में बैठे हैं अगर सूर्य निकला है तो, या वह आसमान के नीचे हैं, उनको तुरन्त राहत दी जानी चाहिए। वह अभी तक नहीं दी गई है।

एक बात अभी यहां पर कही गई कि यह रेगिस्तान का क्षेत्र है। इसमें पूना के मेटीयोरोलोजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ आंकड़े दिये हैं, वह भी अखबारों में आये होंगे, आपने पढ़े होंगे कि चालीस-पचास-साठ साल पहले कहां-कहां पर किस तरह की बाढ़ आई है। लेकिन एक दफा बाढ़ आती है, बाढ़ के नुकसान करने के बाद में मान लो, दूसरी रेन भी नहीं आई, आज ड्रिंकिंग वाटर के टैंक्स टूट गये जिनसे नुकसान हुआ है। आज बालोतरा में जो नुकसान हुआ है या बालोतरा का पानी पचपदरा में आया है, यह कोरना से लेकर रागोड़ाई तक के जो कड़वे पानी के गांव हैं, जिनके बड़े-बड़े तालाब हैं पीने के पानी के, जिनकी ऊंचाई मैं समझता हूं कि तीस-तीस फीट की होगी, बन्धों की तरह दिखते हैं। एक के बाद एक, जब एक टैंक टूटता है तो चैन ऑफ टैंक्स ब्रीच होती है और चैन ऑफ टैंक्स जब ब्रीच होती है तो पीने का पानी भी नहीं रहेगा। इसलिए इनका रेस्टोरेशन, ब्रीच का रेस्टोरेशन तुरन्त ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स के लिए करना चाहिए। जो इरिगेशन के बन्धे हैं वह टूट गये हैं और वहां फ्लो इरिगेशन है, यहां पेटाकास्ट है, वह इरिगेशन के टैंक अगर अब आप रेस्टोर नहीं करेंगे और उस

(श्री परसराम मदेरणा)

के बाद में एक-आध बरसात आती है तो वह अगली बरसात तक खेती से महरूम रह जायेंगे। इसलिए माननीय मंत्रीजी, आपको ब्रीच टैंक तुरन्त रेस्टोर करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो एक दूसरा अकाल और पड़ जायेगा। यह सरकार के लेप्सेज की वजह से है। मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो एस्केपिसिटी अफेक्टेड एक्ट के नीचे इसको डिक्लेरेशन की बात कही है, इसमें मनी सूट भी नहीं होते हैं लेकिन जैसे कि आपने जो स्कीम बजट में प्रस्तुत की हैं, राइट ऑफ लोन की, उसमें कैटेगरी 2 में आपने जो कण्डीशन लगाई है कि एक अप्रैल, 1986 के बाद से लेकर के 2 अक्टूबर, 1989 तक अगर कोई स्केयरसिटी ईयर है तो राइट ऑफ होगा अगर स्केयरसिटी का साल नहीं है तो राइट ऑफ नहीं होगा। जिनका ड्यू हो गया है 2 अक्टूबर, 1982 को उनको अदायगी करनी चाहिए और फिर लोन लेना चाहिए। आप स्केयरसिटी की घोषणा कर देते हैं तो शोर्ट टर्म लोन टोटली मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाता है और उनको बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। उस राहत से वह वंचित रह जायेंगे। आप उस एक्ट को देखिए चार-पांच सैक्शन का एक्ट है। है तो चार-पांच सैक्शन का ही, लेकिन यह कानून का राज है जंगल का राज नहीं है, मनमाने तरीके से इसको रेफर नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक्ट को प्रवोक कीजिए और डिक्लेरेशन कीजिए।

अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि कुवे नदियों के किनारे पर जो वैल होते हैं वे इरिंगेशन वैल होते हैं, यह आप मानकर चलिए। वह भी सैंकड़ों हजारों वैल बह गये होंगे कोलेप्स हो गये होंगे, वापस उनको रिपेयर करनी होगी। उन पर बिजली के कनेक्शन लिये हुए होंगे। 1979 और 1981 में जो फ्लड आया था उसमें मिनिमम चार्जेज आर.एस.ई.बी. ने एकदम डेफर कर दिये थे। वह आपको इमीजिएटली डेफर करना चाहिए। इस तरह के आदेश अब तक आपने नहीं दिये हैं।

अन्त में सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी से मैंने एक प्रार्थना की थी कि उम्मेद नगर में करीब 75 ढाणियां हैं वहां 6-7 ट्रेक्टर सात-आठ फुट पानी के अन्दर फंसे रह गये हैं और ट्रेक्टर्स को साल्वेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ट्रेक्टर डेढ़ लाख की कीमत का है। अगर वह वहां रहेंगे तो किसी कीमत के नहीं रहेंगे। उन की कीमत 20 हजार की भी नहीं होगी। इसको भी जल्दी से जल्दी साल्वेज करना चाहिए। मुझे मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था इनको साल्वेज करने का मैं आदेश दे रहा हूं, यहीं सदन के अन्दर दिया था। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय के आश्वासन के ऊपर जिला कलक्टर को वहां के जिला प्रमुख ने एक पत्र दिया है भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जब साल्वेशन का प्रश्न उठाया तो मुख्य मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया है और उसकी अनुपालना में कलक्टर को तुरन्त इन ट्रेक्टर्स को साल्वेज करना चाहिए, लेकिन आज सुबह 11 बजे तक कलक्टर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। तेल डाले हुए बैठा है। ट्रान्सफर हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि करीब करीब सभी सीनियर आफिसर अण्डर ट्रान्सफर इसलिए उन्होंने

(श्री परसराम मदेरणा)

कोई इनीशियटिव नहीं लिये और न आज सरकार ले रही है। यह बड़ी बिडम्बना है और आश्चर्य हो रहा है कि नेचुरल क्लेमेटिज के वक्त आप कण्टीनजेंसी फण्ड से बजटरी रूल्स हैं जिसमें कलक्टर को करने का अधिकार है वह अधिकार आपने ट्रान्सफर नहीं किये तो बहुत बड़ी गलती की है और बहुत बड़ा लेप्स सरकार का है। सरकार को तुरन्त कलक्टर को अथोराइज करना चाहिए। हमेशा इस प्रकार के फ्लड आदि में पावर्स कन्फर्ड करने चाहिए और किये गये हैं और उन्होंने कण्टीन्जेंसी फण्ड से तुरन्त आवश्यक धनराशि उठायी है। इस सरकार ने जो स्टेप्स लिये हैं उसमें केवल सर्वे और वह भी हैलीकोप्टर से किया है। मैंने प्रश्न किया था एक आदमी की जान भी हैलीकोप्टर ने नहीं बचायी। अभी माथुर साहब कह रहे थे कि जो वर्स्ड अफेक्टेड एरिया है, भीनमाल और सांचोर का एरिया है वहां पर एक भी पैकिट नहीं डाला फ्रीराशन आरम्भ नहीं किया। डेमेजका एस्टीमेट आपने नहीं किया और आप जरूर वहां कम से कम दिन में तो गये हैं लेकिन राहत मंत्रीजी चैनपुरा पहुंची रात को 12-1 बजे और 1 बजे संवेदना प्रकट करने के लिए उनको उठाया कि आपके जो मौत हो गयी थी उसके लिए संवेदना प्रकट करनी है। उनको दिन में जाकर देखना चाहिए था। 10 तारीख को डिबेट थी दूसरे दिन गयीं और रात को जाकर कहा तो लोग सो गये थे गांवों में लोग जहां बिजली नहीं होती है सो जाते हैं, बिजली नहीं होती तो आठ साढ़े आठ बजे सब सो गये। उन को उठाया, दरवाजा खटखटाया कि उठो, संवेदना प्रकट करने के लिये आये हैं। आप दिन को जाइये। रात को न डेमेज दिखता है न कोई बात मालूम पड़ती है। राहत मंत्री जी उस वर्स्ड एरिया में रात को पहुचते हैं तो मैं समझता हूं कि क्या एस्टीमेट किया होगा और क्षति का क्या आंकलन किया है, यह इस सदन की विवेचना का और मैं समझता हूं कि परीक्षण का प्रश्न है। इन्हीं शब्दों के साथ सरकार ने जो अभी तक सीरियसली स्टेप्स नहीं लिये हैं और अखबारों में लिख दिया कि युद्ध स्तर पर कार्यवाही कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर आप छोड़िए पीस टाइम की कोई कार्यवाही अब तक नहीं कर रहे हैं और लोगों को राहत देने का कोई प्रश्न नहीं है और अब तक आपने कोई राहत नहीं दी है। यह बताइये कि जो पक्के मकान कोलेप्स हो गये उनको एक हजार रुपये देने वाली बात है, जो कच्चे मकान कोलेप्स हो गये उनको पांच सौ रुपये देने वाली बात है। क्या उनको दिये हैं? हम सरकार से जानना चाहेंगे कि 13-14 दिन हो गये हैं और वह आसमान के नीचे बैठे हुए हैं उनके पास रहने को कुछ नहीं है। वहां कच्ची बस्ती थी वहां आपने कितने लोगों को मकान वापस रिपेयर करने के लिए अब तक अनुदान प्रोवाइड कर दिया है। अब तक कुछ नहीं किया है।

अब सरकार जो स्टेप्स ले रही है उसमें मैं समझता हूं कि गोलियों वाले लोग गये होंगे, आप गोली बांटकर आये, किसी को जरूरत नहीं थी तो भी बांट दी, वहां लोग बता रहे थे कि उनको गोलियां दे दी है लेकिन काहे की गोली है? यह पता नहीं है। दो-तीन तरह की गोलियां थीं। मुझे माननीय सदस्य बता रहे थे और मैंने भी

(श्री परसराम मदेरणा)

देखी है जब मैं बाबूपुरा गया था.... (व्यवधान)

मुझे आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता होती तो मैं ले लेता। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वह मेरी गोली आपके आर-पार हो रही है और वह इसलिए हो रही है कि आपके बाढ़ में बहुत बड़े लेप्स हैं और अब तक आपने प्रभावित लोगों की कोई सुध नहीं ली है।

सरकार के पास में बहुत बड़ी मशीनरी है और इस मशीनरी को गियर अप करके कोई सरकार नाम की, वर्क दी नेम है तो तीन दिन के अन्दर पूरी मशीनरी को गियर अप करके आप्रेशन में डाल सकते हैं अगर आप्रेशन में नहीं डाला है तो यह सरकार अपने कर्त्तव्य से विमुख रही है।

श्रीमती उजंला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं माननीय मदेरणा साहब से जानना चाहती हूं कि कांग्रेस के राज में आपने किसी पक्के मकान वाले को कभी कोई एक नया पैसा भी देने का प्रावधान रखा था क्या? मुझे आप जानकारी दें, माननीय मदेरणा साहब। किसी पक्के मकान वाले को कभी एक नया पैसा भी कांग्रेस सरकार ने दिया है क्या? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी कभी दिया है क्या? (व्यवधान)

मैं सिर्फ जानकारी चाहती हूं। आपको जानकारी लेने देने की भी बुद्धि नहीं है तो मैं क्या करूं? (व्यवधान)

ईश्वर की सौगन्ध, मैं ईश्वर से बात नहीं करती हूं। मैं मदेरणाजी से जानना चाहती हूं। मदेरणाजी मुझे बतायें।

श्री सभापति : आप बैठिये। माननीय सदस्या बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा : क्या आपका स्थगन प्रस्ताव है ?

श्रीमती उजंला अरोड़ा : एक नया पैसा भी आपका देने का प्रावधान नहीं था।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे मानो पिछले वर्षों में सब कुछ देते रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यह कोई बात है ? हम भी कर रहे हैं आप भी करते रहे होंगे लेकिन जिस प्रकार का चित्रण पेश कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आप ही गरीबों को देखने वाले हैं। इस प्रकार की स्थिति नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (कठूमर) : माननीय सभापति जी, जिस विभीषिका की हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी कल्पना बिना आंखों से देखे नहीं हो सकती। सभापति जी बाढ़ें आती रहती हैं और इत्तफाक से मैं उस इलाके से आता हूं, जहां सामान्य वर्षा होती है। कभी-कभार बाढ़ का दृश्य देखने को मिल जाता है। लेकिन रेगिस्तान के मारवाड़ के उस इलाके में बाढ़ का इतना भीषण तांडव हुआ, जिसमें न केवल सैकड़ों, हजारों गांव प्रभावित हो जायेंगे, बल्कि

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सैकड़ों जानें चली जायेंगी। इसकी कल्पना मैं आंखों से देखे बिना नहीं कर सकता। सामान्यतया बाढ़ में 10, 20, 50 घरों की क्षति होती है। कभी कभार कुछ जानें चली जाती हैं। लेकिन गांव के गांव बह जायें, कहां घर थे इस बात का अन्दाजा न लगे, केवल मिट्टी के ढेर देखने को मिले, कई स्थानों पर कहां खेत थे, इस बात का अन्दाजा न लगे और जहां नदी थी, वहां बड़े टीबे बन जायें, या टीबे थे, नदी बन जाये, इस दृश्य की कल्पना मुझे नहीं थी। और इसीलिए जब यहां पर हमारी तरफ से कुछ बातें उठायी गई, उसका जवाब सरकार ने दिया। मुझे ऐसी आशा थी कि जो बात सरकार यहां पर कह रही है, शायद पूरी जांच-पड़ताल के बाद कह रही हो। आम तौर से गांवों से समाचार आते हैं, सरकारी, गैर सरकारी एजेन्सियों के जरिये से आते हैं, वह सही होने चाहिये। लेकिन हमको यह भी जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत सारी बातें जो माननीय सदस्यों ने इधर से कहीं थी, उन बातों में सत्यता थी। सरकार ने जो कुछ कहा उसमें बहुत कुछ सत्य नहीं था। मैं मानता हूं उनके पास समाचार शायद देर से आया होगा। यह भी हो सकता है कि अति उत्साह में या वाहवाही लेने के लिए कई अफसरान ने समाचार जल्दी में भेज दिया होगा। जो नहीं होना चाहिए था। और इसलिए श्रीमन् उस टीम के साथ में जो कि लगातार 5 दिनों तक इन क्षेत्रों में दौरा करने के लिए गई थी, मैं भी गया था और सबसे पहले पाली पहुंचे। जहां पर सुल्ताना, पूपली, राथन, डेगारा व देवान इत्यादि गांवों में हम गये। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, कहां पर कितनी जानें गई, कहां पर कितने माल का नुकसान हुआ, कहां पर कितने घर बह गये हो सकता है हमको जो समाचार मिले थे, उनमें भी थोड़ा बहुत डिवीयेशन हो सकता है। क्योंकि समाचार तो लगातार नये आते जा रहे हैं। परसों तक हम जोधपुर में थे। परसों एक समाचार मिला कि अभी तक लाशें मिल रही हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे जानवर सड़क के किनारे पर ही पड़े हुए हैं, कुछ तो लाशें विक्षिप्त होने लगीं, कुछ जानवरों की। कुछ जानवरों की तो हैं ही, इन्सानों की भी मिलती जा रही हैं। ऐसा सम्भव हो सकता है कि मिट्टी से दब गये हो, पानी से धीरे-धीरे आज निकल रहे हों। लेकिन जो सूचनाएं यहां पर दी गई थी, उसमें काफी अन्तर है। इसलिए मैंने कहा है कि हम पाली जिले में सुल्ताना, पूपली, राथन, डेगाना व देवान गये थे। वहां की बहुत सारी बातों की चर्चा माथुर साहब ने कर दी है, मै उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। हमको सुनने को मिला, फिर हम जालौर गये, वहां सेलड़ी, जोगली, जैतपुरा, चांदराई, आलासन, दिराना, सायला, बाबोड़ा इत्यादि-इत्यादि गांवों में हम गये और वहां न केवल लोगों से हमने जबानी सुना, बल्कि अपनी आंखों से वह दृश्य देखें, जिसकी चर्चा हमने उन लोगों से सुनी।

उसके बाद में श्रीमन् हम और आगे बढ़े और आगे जाकर रानीवाड़ा पहुंचे। वहां पर हमको बतलाया गया कि ग्राम करवाड़ा, कोटड़ा, दांतवाड़ा इत्यादि में बहुत भारी नुकसान हुआ है। 5 बांधों की चर्चा हमने सुनी थी, वहां पर 3 की होती

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

है। जिनमें करवाड़ा. दांतवाड़ा, साथरूल, बल्दर और कूरड़ बांध पूरी तरह से टूट गये हैं। उसके बाद में हम बाड़मेर से पचपदरा होकर बालोतरा आये। वहां पर बालोतरा के कस्बे, उसके आस-पास के गांवों को देखा. बालोतरा की शास्त्री नगर और नेहरू नगर इत्यादि बस्तियां और मण्डी के पास शायद नयी बस्ती, ग्राम कनाना, पारलू सालाबाद, सरेचा इत्यादि गांवों को हम जाकर के देख कर आये हैं। इसके बाद तो हम जोधपुर जिले में आये। जोधपुर शहर के पास बसे हुए बाऊपुरा गांव के अलावा सरेचा, रोहिचीकला इत्यादि गांवों में गये। मैंने आपको पहले भी कह दिया है, इन बातों की चर्चा मेरे से पूर्व माथुर साहब ने कर दी, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। सामान्य बात है कि बहुत सारी जानें गयीं, बहुत सारे जानवर बह गये. लोगों की जान और माल की क्षति का यहां बैठकर के अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। गांव के गांव बह गये, कच्चे घर गिरते तो बात समझ में आती थी, बहुत से पक्के घर भी गिरे। और जब घर गिरता है, श्रीमन् तो उसके अन्दर जो भी कुछ था, उसका खाने-पीने का सामान था, उसका बर्तन था, कोई कपड़ा था, यानी जो भी कुछ उसके पास था, वह सब उसके अन्दर दब गया या बह गया। आज स्थिति यह है कि इन्सानों को बैठने को कोई छाया नहीं है। एक जिस बात की चर्चा, कल्पना हम कर सकते हैं, अगर 1968 की बरसात आ जाये, तो इनका क्या होगा, वह हम सोच नहीं सकते। धूप निकलती है, बहुत तेज, उनका साया नहीं है, पेड़ भी वहां पर नहीं रहे। लोग खाटों का कई बार साया कर लेते हैं, खाटें भी नहीं रही। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे आने से पहले शायद टेण्ट टीम पहुंच जायेगी, कुछ इन्तजाम हो जायेगा। हमने सुना है, कुछ इन्तजामों की चर्चा हो रही है। लेकिन हमने देखा है, नहीं है और यह बात मैं जब कहता हूं तो मैं परसों तक की बात करता हूं। हो सकता है, सरकार ने अब कुछ व्यवस्था कर दी हो। मैं ऐसा मानकर के चलता हूं कि जो गांव वालों ने बतलाया और जो हमने आंखों से देखा, तब तक का तो सही है और अगर वह सही है तो हमें बहस में जाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी स्ट्रांग तरीके से सरकार को काम करना चाहिये, सरकार ने काम नहीं किया है। तत्काल जो कदम उठाये जाने चाहिये थे, वह कदम नही उठाये गये। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे के लिए हन सबको इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि भविष्य में ऐसे प्राकृतिक प्रकोप न हों, कोशिश इस बात की की जानी चाहिये। लेकिन प्राकृतिक प्रकोप हो ही जाये तो पहले से इस बात का इन्तजाम रखना चाहिये कि कम से कम क्षेत्रों में क्षति जान और माल की हो। मैंने आपको कहा, गांवों की चर्चा बहुत हुई, जिसमें कच्चे घर गिरे, पक्के घर गिरे, पुल वगैरह गिरे, जिस के अन्दर जानें गयी, जानवर बहे, लोगों के कपड़े गये, अनाज गये, खाटें गई, बर्तन गये, जो कुछ था वह सब कुछ चला गया। लेकिन जब तक आंखों से देखो नहीं, तब तक हमारी कृषि भूमि का क्या हुआ, इसका अन्दाजा लगाना भी मुश्किल है। मैंने आपको कहा, बहुत उपजाऊ जमीन थी, आज वहां रेत के टीबे बन गये या बहुत सारे गड्ढे पड़ गये, बहुत सारे कुएं थे, बरबाद हो गये, कुओं में

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इन्जन बह गये, बहुत सारे ट्रैक्टर बिल्कुल बेकार हो गये, उनमें मिट्टी भर गई, पूर्व में जिसकी चर्चा अभी मदेरणा साहब आपके सामने कर रहे थे। और वह जमीन ठीक हो सके 2, 4, 5 साल में सामान्य तरीके से यह सोचना मुश्किल है। इसलिए कहां कितने लोग मरे, कहां कितने जानवर बहे, कितना नुकसान हुआ, उसका तखमीना सरकार भी कर रही है। हमारे पास में विस्तार के साथ कुछ विवरण में हैं। अगर सरकार चाहेगी, जैसा मुख्य मंत्रीजी ने हम को पत्र लिखा, अभी सुबह ही आते समय मिला कि वह चर्चा करना चाहते हैं, तो चर्चा करते समय उनको हम सारे विवरण दे देंगे। लेकिन हम उनको भी पूर्णतः सही मान कर चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो इस मौके पर नहीं मिले, लापता हैं। कई लोग जो अभी मर गये हैं, उनको लिखा गया है। जो लापता हैं, उनका अभी पता नहीं है। हम परसों गये वहां हमको पता लगा कि वहां अभी भी कुछ लाशें निकल रही हैं मकानों में दबी हुई। इन सब बातों का धीरे-धीरे अन्दाजा लग जायेगा। हम कोई डिस्पुट पैदा करना नहीं चाहते, इतना कहना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ वह प्राकृतिक प्रकोप था, सरकार को तुरन्त इन्तजाम करना चाहिए वह इन्तजाम सरकार ने किया नहीं, सरकार उसमें पूरी तरह से फैल हुई। खास तौर से यह सरकार जो अपने आपको संवेदनशील कहती है और खास तौर से मुख्य मंत्री जी से हम आशा करते थे कि वह सारा कार्य अपनी टीम में इस तरह वितरित कर देंगे कि होने वाले कामों में कुछ प्रोम्प्टनेस आयेगी, जल्दी से जल्दी वह काम कर दिये जायेंगे, लेकिन मैंने आपको निवेदन किया कि हमको सन्तुष्टि नहीं हुई। हम सन्तुष्ट हों या न हों, जो लोग प्रभावित हुए हैं वह सन्तुष्ट नहीं थे। उनसे हमने जगह-जगह पूछा कि आपको राहत का कुछ कार्य मिला। तो लोग कहते थे, हां साहब, कुछ खाने को मिला। हमने पूछा, किसने बांटा। तो कहा, साहब, वह तो कोई सहकारी संस्थाएं आई थीं। आप जानते हैं वह कैसे कहते हैं, उनकी भाषा में कह रहा हूं। वह सहकारी संस्थाएं नहीं वह स्वयंसेवी संस्थाएं थीं। उन्होंने कुछ काम किया है। बाद में पता लगा कि कहीं-कहीं पर हैलीकाप्टर से कुछ राशन, पके हुए खाने के पैकेट्स डाले गए। लेकिन वह सब जगह नहीं डाले गए। वह स्थान हमने नोट किये हैं जहां पर हमको बताया गया कि कोई पैकेट नहीं गिरे। हैलीकाप्टर आये और गये। हैलीकाप्टर की उड़ानें, हम को बताया गया कि सवा सौ से डेढ़ सौ घंटे तक की गयीं। अगर वह सारे के सारे खर्चे हम बांट लें तो हमें ऐसा लगता है कि सारा राहत कार्य तो उससे हो सकता था। हमें एतराज नहीं, हैलीकाप्टर जाने चाहिए, जैसी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति की जानी चाहिए, लेकिन उस हैलीकाप्टर से लोगों को राहत मिलनी चाहिए, उस हैलीकाप्टर का सदुपयोग होना चाहिए। वह नहीं मिली। हमको सुनने को यह भी मिला कि कहीं-कहीं पैकेट गिरे और कहीं-कहीं बिना पैकेट के भी हैलीकाप्टर गये। मैं मानता हूं, कई बार बिना हैलीकाप्टर के भी जाना पड़ता है, लोगों की जान बचाने के लिए शायद जाते हैं। लेकिन ऐसा तो कहीं पर हुआ नहीं। बल्कि सुनने को यह मिला वहां पर हमको कि वहां अफसरों को हैलीकाप्टर से एक-

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

आज जगह इसलिए डाला गया कि वहां कोई अफसर काम करने वाला था नहीं। इसके मायने क्या हुए ? कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नहीं थी, उसको इस बात का आभास ही नहीं था। आभास हो गया तो हम तो एक हफ्ते बाद गये थे, एक हफ्ते बाद भी वहां पर कोई अफसरान नहीं थे। हमारे जाते-जाते अफसर पोस्ट किये जा रहे थे। चलो, अच्छी बात है, किसी वजह से भी सही वहां पर भेजे जा रहे थे। लेकिन हमें ऐसी आशा थी कि तुरन्त कोई कार्यवाही की जायेगी। नहीं की गयी, इस बात के लिए हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जो आप अपने काम में फेल हुए उस बात का आपको अहसास होना चाहिए, भविष्य में ऐसी घटना न घटे इस बात की कोशिश करनी चाहिए। घट जाय, मान लो, तो तुरन्त उनको राहत पहुंच सके, इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं उन सब बातों में अब नहीं जाना चाहूंगा, मैं आपको कुछ सुझाव अपनी तरफ से, कुछ तो कह दिये गये, हो सकता है उस में से कुछ दोहरा भी दिये जायं लेकिन मेरी कोशिश होगी कि वे दोहराये नहीं जायें, उन बातों की चर्चा करना चाहूंगा। आम तौर से यह बाढ़ आयी वह आयी लूणी, सूकड़ी, जवाई, बांडी और जोजरी नदियों के बेसिन में। ऐसा लगता है शायद सारा मारवाड़ का इलाका इन नदियों से प्रभावित होता होगा। हमारा सबसे पहला सुझाव तो यही होगा कि जहां-जहां बाढ़ का प्रकोप हुआ है उसमें भी और जहां नहीं हुआ है उसमें भी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सारे राजस्थान का सर्वे होना चाहिए कि कहां-कहां पर बाढ़ की सम्भावना हो सकती है। खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के उस इलाके का, जिस को मारवाड़ का इलाका कहते हैं, जिसमें पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर जिले जो अभी प्रभावित हुए, आते हैं, इनका सर्वे तो तुरन्त होना चाहिए। इन नदियों में, जिनके नाम मैंने आपको बताये – लूणी, सूकड़ी, जवाई, बांडी और जोजरी, इनकी ट्रिब्यूटरीज में पूरी तरह से क्या-क्या हमको करना चाहिए, इसकी व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिए।

श्रीमान्, जैसा कहा गया, मकान तो बहुत गिर गये। मकानों को राहत देते हैं, लेकिन तुरन्त आवश्यकता मकानों के साथ शेड डालने की है। पक्के मकान देर से बनते हैं, कच्चे भी देर भी बनते हैं, लेकिन तुरन्त कोई न कोई कामन शैल्टर तो हो। अब तक हमको कोई कामन शैल्टर देखने को नहीं मिला। कहीं-कही लोगों ने त्रिपाल डाले। हमने कहा, त्रिपाल कहां से आये। कि, साहब, कोई स्वयंसेवी संस्थाओं ने दिया, या स्वयं वहां के लोगों ने व्यवस्था की है। सरकार की ओर से तो कोई टीन की या इस तरह के त्रिपाल की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए तुरन्त इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि केवल शैल्टर देने से काम नहीं चलेगा। अभी कहा गया कि राशन की वितरण व्यवस्था शुरू हो गयी है। एक-आध जगह हमने सुना था कि व्यवस्था की जा रही है। माननीय परसराम जी ने बताया कि अभी आर्डर्स आये हैं। हमने सर्वे किया है, कौन-कौन गांव के अन्दर क्या-क्या आवश्यकता है, कितने लोग मरे हैं, कहां-कहां कितना नुकसान

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

हुआ, किस-किस को देना है। श्रीमन् इसके लिए तो मेरे ख्याल से इन्तजार नहीं करना चाहिए, यह तुरन्त होना चाहिए। चार रुपये, दो रुपये के हिसाब की चर्चा बहुत हुई। हमने तो नहीं सुना, वहां किसी ने बांटा हो। एक-आध-दो जगह सुना जरूर था, कि हां, अब लिस्ट बन रही है जिनको बांटा जायेगा। एक बड़ा गम्भीर मुझे लग रहा है, जिसकी परिभाषा मैं नहीं जानता। जो लोग हैं वे इसको बतायेंगे या सरकार बतायेगी, कि वहां कुछ अफसरों ने हमको बताया कि अतिवृष्टि और बाढ़ में अन्तर करके चलना पड़ता है। बाढ़ से जो लोग प्रभावित होते हैं उनको राहत दी जाती है, उनके लिए राहत कार्य किये जाते हैं और अतिवृष्टि में शायद नहीं दी जाती है सहायता या कम दी जाती है। मुझे मालूम नहीं, इसको देख लें। आखिर नुकसान तो नुकसान है, क्षति तो क्षति है। मरने वाला चाहे बाढ़ से मरता है चाहे अतिवृष्टि से मरता है, घर चाहे बाढ़ से गिरता है चाहे अतिवृष्टि से गिरता है, नुकसान जान-माल का, बर्तन का, अनाज का चाहे बाढ़ से होता है चाहे अतिवृष्टि से होता है। अगर उसमें अन्तर है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर है तो उसको देखा जाना चाहिए, इसको अन्तर में बांटना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसके साथ-साथ एक निवेदन मैं आपको करना चाहूंगा कि खाना तो आयेगा, वह आप देंगे। आप नहीं देंगे तो लोग अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। कुछ संस्थाओं ने की भी है। लेकिन अभी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी का हाल मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं था तब तक मैं कल्पना नहीं कर सकता था। हमने अपनी आंखों से देखा कि लोग जो पानी भरा है गांव के आस-पास गन्दा, अब कुछ शुद्ध भी हो रहा होगा धीरे-धीरे करके, लेकिन उसी को पी रहे हैं। वहां जो व्यवस्था थी, जो पानी के सोर्स थे वह भर गये, जो बनाये हुए थे सारे के सारे, या टूट गये थे शायद इसलिये। हमने कहा कि भई, पीने के पानी की व्यवस्था तो करो। कि साहब, टैंकर नहीं जा सकता है, कई रास्ते बन्द हैं। तो उन्होंने कहा हम गोलियां बांट रहे हैं पानी में डालने को। हमने लोगों से पूछा, गोलियां मिलीं तो? लोगों ने कहा साहब, गोलियां मिल जायेंगी लेकिन गोलियां डालें किस में, हमारे पास तो बर्तन भी नहीं हैं पक्के बर्तन की बात तो छोड़ दीजिए कच्चे बर्तन भी नहीं हैं। पानी को ठीक करने के लिए गोली डालें किसमें? अनाज के साथ, आटे के साथ, दवाई के साथ यह व्यवस्था तो अतिआवश्यक है। अगर सरकार के नार्म्स में नहीं है बर्तन बांटना तो सारी पार्टियों की एक कमेटी बन सकती है, मुख्य मंत्री राहत कोष से दे सकते हैं लेकिन पीने के पानी के कुछ न कुछ बर्तनों को तो वहां तुरन्त पहुंच जाना चाहिए ताकि वे पानी पी तो लें। मुख्य मंत्रीजी अभी आये हैं, उनको शायद यह लगता है कि दवाइयां बहुत बांटी जा रही हैं। लोगों ने हमको कहा, दवाइयां तो बांट रहे हैं लेकिन दवाइयां डालें किसमें? बर्तन नहीं हैं हमारे पास। कच्चे बर्तन भी नहीं हैं, पक्के बर्तन तो बह गये, टूट गये या फूट गये। इसलिए इस बात की व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिए। जैसे-जैसे हवा चलती है वैसे-वैसे बीमारियां फैल रही हैं। कई लोगों को सर्दी लगना शुरू हो गया है। हमने कई बच्चों को देखा, कई बड़े लोगों को देखा।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

उनके पास कपड़े ही नहीं हैं। मैंने कहा, अगर सरकारी प्रावधान हो सकता है तो बहुत अच्छी बात हैं वर्ना इस बात के लिए हम पीछे रहने वाले नहीं है, आपका साथ पूरी तरह से देना चाहते हैं, हम तो करेंगे ही जो हमसे बन पड़ेगा। कपड़े और बर्तन की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिये। एक बात आपको कहना चाहूंगा कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो गयी है। वह स्वाभाविक है बाढ़ के अन्दर। अगर ठीक हो सकती है तुरन्त तो उसका इन्तजाम किया जाना चाहिए। नहीं हो सकती हो तब तक कम से कम कैरोसिन पहुंच जाय। हमने गांव-गांव पूछा कैरोसीन की कोई व्यवस्था हुई क्या। उन्होंने कहा, साहब, कोई व्यवस्था नहीं हुई। लोग ला सकते हैं, लाना चाहते हैं पर कोई दुकान नहीं है, जाने के रास्ते नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि जहां बिजली ठीक हो सके वहां बिजली को ठीक करें वर्ना कैरोसिन की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करें। बीमारियों की रोकथाम के लिए मैंने आपको कहा कि दवाइयां पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। बीमारी के कारण क्या बन रहे हैं उनकी भी रोकथाम आपको करनी पड़ेगी। जहां पानी भरा, मच्छर पैदा होना शुरू हो गये हैं। जहां जानवर मरे पड़े हैं वहां कीटाणु पैदा हो रहे हैं। धीरे-धीरे करके गन्दगी का साम्राज्य हो रहा है, नयी-नयी बीमारियां फैलने का अन्देशा है। वहां डाक्टरों की टीम मिली, कहीं-कहीं मिली सब जगह नहीं। उन्होंने बतलाया कि बहुत जल्दी एपीडेमिक फैल सकता है, बहुत मैसिव तरीके से इसको किया जाना चाहिए। अभी तो डी. डी. टी. का पाऊडर भी बहुत से लोगों को नहीं दे पाये। उन्होंने कहा, व्यवस्था हो रही है, आ रही है। बहुत देर अगर हो जायेगी तो बहुत जल्द बीमारियां फैल सकती हैं।

श्रीमान, एक तथ्य और मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, जो मुझे बताया गया, कि जो दवाइयां भेजी गई हैं उनमें कई दवाइयां ही नहीं हैं, कि यह तो ताकत की दवाइयां हैं जो भेज दी जाती हैं आम तौर पर खाने के लिए, उनमें कोई बीमारी की दवाइयां नहीं हैं। इस बात को चैक किया जाना चाहिये। अगर दवाइयां बीमारी की नहीं पहुंची हैं तो उस बीमारी की दवाइयां वहां पर पहुंच जाये। इसके साथ-साथ, श्रीमान जैसा मैंने कहा, मवेशी बहुत मरे पड़े हैं। वह तो मरे पड़े ही हैं, टाइम लगता है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन अभी कोई व्यवस्था इसमें नहीं हो पायी है। हमने देखा नहीं कि वहां उनको गाड़ा जा रहा हो या जलाया जा रहा हो। इतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है. सबको हम गाड़ भी नहीं सकते, जला भी नहीं सकते। कोशिश कर रहे हैं। हमारा निवेदन यह है कि वहां पर आदमी नहीं मिल सकते तो यहां से या बाहर से या राजस्थान के बाहर से भी आदमी भेजे जा सकते हैं जो उन मवेशियों को गाड़ने का या जलाने का काम करें। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा, उसमें पता नहीं कितना रेलेवेण्ट है, कितना इररेलेवेण्ट है, हो गया है उसका तो हो नहीं सकता लेकिन कुछ मवेशी ऐसे हैं, जैसा लोगों ने हमको कहा कि इनका चमड़ा निकाल कर काम में लाया जा सकता है। अगर ऐसा हो सकता हो,

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

या हड्डी की खाद बन सकती हो। हो गया जो होना है, वह तो वापस नहीं आ सकते जानवर, लेकिन लोगों ने कहा कि मल्टी परपज यह काम हो सकता है, तुरन्त भी हो सकता हैं। ऐसी कुछ एजेंसिया हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो इस काम को कर सकती हैं तो उनकी मदद भी ली जानी चाहिये। राहत कार्यों के बारे में मैंने निवेदन कर दिया। मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, इतना ही कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी बांट सकेंगे उसका फायदा होगा, वर्ना अब तो लोगों को भूखे मरने की आदत हो गयी है। अब तक तो कुछ संस्थाओं ने खाने--पीने का इन्तजाम किया था लेकिन अब उन संस्थाओं ने बन्द कर दिया। वह देख रहे हैं कि सरकार आ जायेगी। सरकार कब आ जायेगी? हमको आती नहीं लगती। जब तक हम वहां पर थे सरकार वहां नहीं पहुंची थी। हमारी ऐसी आशा है कि जितनी जल्दी हो सके राहत बांटना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन चार रुपये, दो रुपये देकर काम नहीं चलेगा, जैसा हमेशा होता आया है। जैसा लोगों ने बतलाया, जैसा माथुर साहब ने बताया कि मजदूरी के काम जब तक आप नहीं चलाओगे तब तक लोग अपने राहत के कामों को पूरी तरह से नहीं कर पायेंगे। आप खाने को और दे देंगे, अनाज भी दे देंगे लेकिन मकान कैसे खड़े करेंगे, छप्पर कहां से डालेंगे, इसलिए कम से कम मजदूरी के काम शुरू हो जाये और अपने घर को बनाने में मजदूरी उसको मिल जाये तो शायद मैटेरियल की व्यवस्था वह कर लेंगे। मैं समझता हूं कि जल्दी काम हो सकेगा वरना जितनी देर हो जायेगी उतना ही नुकसान आपको, हमको और सबको होने वाला है। हमारे समाज को और सारे राजस्थान को होने वाला है।

(3.00 म.प.)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह कुछ सुझाव हैं जो तुरन्त करने हैं। नम्बर दो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ कुछ ऐसे काम हैं जो स्थायी तौर पर हमको करने पड़ेंगे। जैसे मैंने सर्वे की बात कही जिन-जिन नदियों के मैंने नाम बतलाये उनके साथ-साथ सारे राजस्थान का सर्वे हमको करना पड़ेगा। जिससे कि आगे इस तरह का कोई नुकसान न हो और हो भी जाये तो उसका इन्तजाम तुरन्त हो सके। उसके साथ-साथ इस बात की कोशिश भी हम करें कि कौन-कौनसी योजनाओं को मिला करके केवल कच्चे घर दुबारा बन जाये। कम से कम एक कमरा हर व्यक्ति के लिये पक्का बन सके वह चाहे सरकारी मदद से हो, गैर सरकारी मदद से हो चाहे दोनों मिलकर कुछ भी करें। सरकारी, गैर सरकारी और व्यक्ति मिलकर करें ऐसा कुछ हो जाये तो आगे कम से कम उन को जिन्दगी में हाथ का काम मिल जाएगा, ऐसा करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उस के लिए श्रीमन् जो मकान देते हैं वह ज्यादातर वही मकान लेते हैं जो नीचे बस्तियों में बसे होते हैं और जो नीचे बस्तियों में बसे होते हैं वह ज्यादातर शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं और गरीब लोग भी होते हैं। अब मुश्किल क्या आ रही है कि उनको उठाकर वहीं बसाया गया जैसा हमने अफसरों से पूछा कि इनका क्या

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

करेंगे। अव्वल तो झगड़ा यह पड़ेगा कि मकान कई जगह इन्टरमिक्स हो गए उनका पता नहीं है। इनकी बाउण्ड्री कितनी है इसका झगड़ा हो जाएगा। खैर उसको तो निपटा लेंगे लेकिन दुबारा फिर इनको बसा दिया तो इस बात का खतरा फिर है कि कभी बाढ़ आ गई तो फिर वह गिर जायेंगे। इसलिए जहां पर ऊंचाई पर जमीन मिलती हो तो ऊंचाई पर ले जाकर के इनको बसा दें तो मैं समझता हूं यह काम स्थाई हो जायेगा आगे बाढ़ का खतरा नहीं रहेगा और उसमें कोई अड़चन आती हो तो जंगलात की जमीन या कोई दूसरी मुश्किल आती हो तो मैं समझता हूं सरकारी तौर पर इसको करेक्ट किया जाना चाहिए इसको नीचे के स्तर पर नहीं छोड़ना चाहिये। एक यूनिफोर्म फार्मूला बनाकर जो नीचे की बस्तियां बसी हुई हैं, जो ढह गई हैं पानी से, बह गई है और जो नुकसान हुआ है वह दुबारा वहां न बसे, दूसरी जगह बसे तो इनका इन्तजाम होना चाहिये। मैं समझता हूं ऐसा इन्तजाम होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा वह यह कि बहुत से लोगों के खेत जो खराब हो गये वहां जल्दी नहीं कर पायेंगे लेकिन जो ठीक हैं उनको बो नहीं पायेंगे। उनके पास बोने के साधन नहीं हैं। बैल भी नहीं है, हल भी नहीं है, ट्रैक्टर भी नहीं है, उनके पास बीज भी नहीं है तो यह व्यवस्था यदि आप जल्दी नहीं करा पायेंगे तो लोग अपने खेतों को ठीक नहीं करा पायेंगे। हमको कई लोगों ने चलते चलते कहा कि हमारे मारवाड़ में तो एक कहावत होती है "नुकसान एक फायदे अनेक"। मारवाड़ में बहुत सारी फसल अच्छी हो जाती हैं, मैं मानता हूं। लेकिन तुरन्त जब तक बीज का, हल का, ट्रैक्टर का इन्तजाम नहीं होगा, और उसके साथ-साथ कुछ लोगों ने बताया कि इनमें नई-नई बीमारियां बहुत जल्दी पैदा हो जाती हैं। इस तरह की जब बात आती है, नई-नई चीजें आ जाती हैं तो साथ की साथ पेस्टीसाइड का इन्तजाम हो जाए तो मैं समझता हूं व्यवस्था ठीक रहेगी।

इसके साथ ही श्रीमन् एक बात मुझे और कहनी है जो कह दी गई है यहां पर, केवल दोहराना ही पड़ेगा कि कर्जे के बारे में लोग बड़े चिंतित हैं। लोग कहते हैं कि साहब, कहीं से पैसा मिल जाये। अब मुश्किल क्या हो रही है कि ज्यादा देर हो जायेगी तो सरकार से या सहकारी बैंकों या और किसी संस्थाओं से पैसा मिलेगा नहीं और लोग महाजनों के चंगुल में फंस जायेंगे। महाजन तैयार बैठे हैं वह देंगे लेकिन मुश्किल यह है कि कितने कर्जे में वह दब जायेंगे। अब तक हमें उम्मीद थी कि वह कर्जे से निकल जायेंगे लेकिन वह निकल नहीं पाए हैं। इसलिये जितना जल्दी हो सके इसमें जितनी भी खामियां हों, कमियां हों, कानूनी अड़चनें हों उनको तुरन्त दूर कर देना चाहिये तो कुछ राहत मिल सकेगी। अगर बहुत देर इसमें हो गई तो लोग महाजनों के चंगुल में फंस जायेंगे। जो पैदावार करेंगे वह उनके घरों से चली जायेगी इसलिए वह गरीब के गरीब ही रह जायेंगे।

इसके साथ-साथ एक बात मुझे और कहनी है। हमें जगह-जगह बतलाया गया कि कहीं पर भी कोई वार्निंग नहीं दी गई। अब यह मौसम विभाग का मामला है

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सरकार वार्निंग देती है या मौसम विभाग देता है हम इस बात में नहीं जाना चाहेंगे। हम तो सरकार से चाहेंगे कि अगर मौसम विभाग कोई अलग चीज भी है तो, है तो सरकार का ही। जल्दी-जल्दी उससे समाचार लेकर के उनको ताकीद करें उनको सूचना मिल जानी चाहिये जिससे गांव-गांव के अन्दर इस तरह की वार्निंग हो जाया करें। कम से कम जो फोकल पाइन्ट्स हैं, बंधे हैं, तालाब हैं, जहां पर यह लगता है कि तेज नदी आ जायेगी तो उन स्थानों पर तो यह वार्निंग जल्दी हो जाया करे। एक बात और देखने को मिली कि जब पानी नदियों में बह रहा था, बाढ़ में लोग बह रहे थे, उस समय कई लोग नये पहुंचे इसलिये पहुंचे कि तटबंध में नदियों में पानी भरा हुआ था लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि नदी यहां पर गहरी हो गई है, गड्ढा पड़ गया है इसलिये लोग उसमें चल दिये, कई पैदल चल दिये, कई वाहन के साथ चल दिये। वाहन उसमें डूब गये और कई लोग वहां मर गये। अगर वहां वार्निंग की तुरन्त व्यवस्था हो जाती जिससे वहां पता लग जाता कि यहां पर पानी गहरा हो गया मत जाओ तो मैं समझता हूं कि उससे जानें बचाई जा सकती थीं। मेरी आशा है कि भविष्य में इस बात का इन्तजाम किया जायेगा कि जहां पर नदियां बह रही हैं उन पर कम से कम बाड़ लगा दी जाये और जो भी निशान लगा सकते हैं कि इसमें इतना गहरा पानी है, उसकी व्यवस्था हो जाये तो मेरे ख्याल से इस बात का अंदेशा कम रहेगा कि लोग डूब कर मरें।

इसके साथ-साथ बहुत सारे फ्लड प्रोटेक्शन के जो डेम बनाये गये थे वह टूट गये हैं, उनकी तुरन्त मरम्मत कराई जाये। लेकिन इसमें एक मुश्किल है कि बहुत सारे लोग यह भी चाहते थे कि जो खड़िन्द हमारे बनाये गये थे उनकी वजह से भी फ्लड आया। उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। लोगों ने अपने नाम के लिये, अपने काम के लिये वह बना लिये। अगर कोई उपयोगिता है तो रखें और उपयोगी नहीं है तो मैं समझता हूं उनकी मरम्मत कराना, उनको दुबारा बनाना मुनासिब नहीं है।

एक बात मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जहां भी हम गये दो बातों को जानकर बहुत दुःख हुआ। एक तो यह कि अफसर नहीं है अफसर के अभाव में इस बात का इन्तजार किया जा रहा है कि जब कोई माकूल अफसर आयेगा तो वह इन्तजाम करेगा। तो कम से कम बरसात के पहले तबादले हो जाया करें और बरसात के समय तबादले नहीं हो तो बात ज्यादा ठीक रहेगी। उसके साथ-साथ वहां राजनीति की बात सुनने को बहुत मिलीं। वहा पार्टियों की चर्चा हो रही थी कि कौन पार्टी आ रही है और कौन पार्टी जा रही है। श्रीमन्, यह तो एक ऐसा काम था जो मानवता के आधार पर किया जाना चाहिये और सरकार भी यदि राजनीति करेगी तो विरोधी पार्टी के लिये यह लाजिमी हो जाता है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहां तो ताज्जुब हुआ हमको फॉलो सरकार कर रही है। हम आगे-आगे जा रहे हैं, सरकार पीछे-पीछे जा रही है। राहत कार्य मंत्री जी भी जा रहे हैं वहां पर, उसके बाद में पी डब्ल्यू डी. मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं। मुख्य मंत्री जी की चर्चा भी सुनी थी वह गये तो थे

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

लेकिन हेलीकाप्टर से गये थे। किन्तु जब तक नीचे नहीं उतरे तब तक हेलीकाप्टर से इन सब बातों की जानकारी नहीं मिल सकती थी। हमारी ऐसी ग्राशा है, मैं मानता हूं कि सब जगह मुख्य मंत्री जी का जाना जरूरी नहीं है लेकिन जो बातें सामने ग्रा गई उन बातों की जानकारी करके कुछ राहत के कार्य कर सकें तो यह ग्रापकी ही वाहवाही होगी। ग्राप बहुत स्टेटमेंट देते थे। हमको जगह-जगह लोगों ने एक ही बात कही श्रीमन् कि जो शेखावत साहब मुख्य मंत्री बनने से पहले कहा करते थे उनको तो पूरा करा दें। हमने कहा उनको जाकर याद दिलायेंगे। उन्होंने कहा कि साहब, एक बार नहीं उनको ग्रनेक बार याद दिलाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने वह बातें बहुत बार कही हैं इसलिये याद भी बहुत बार दिलाना पड़ेगा ग्रौर इसीलिये मैं इन बातों को रिपीट कर रहा हूं हालांकि मेरे पूर्व वक्ताग्रों ने कह दिया है। इसलिये रिपीट कर रहा हूं कि लोगों ने कहा कि शेखावत साहब मुख्य मन्त्री बनने के पहले बहुत बार कहा करते थे लेकिन ग्राज वह इन बातों को भूल गये इसलिये उन्होंने कहा कि याद दिलाने में एक बार से काम नहीं चलेगा ग्रनेक बार याद दिलाना पड़ेगा। इसलिये ग्रापको बार-बार याद दिला रहे हैं जो बातें ग्रापने मुख्य मंत्री बनने से पहले कही थीं लोगों को राहत पहुंचाने की....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : ग्रापको तो यह भी कहा कि ग्राप ग्राये ही क्यों हैं? ग्रापको तो 1981 में देखा, 1990 में देखा, 1986 में देखा, 1987 में देखा, ग्रब ग्राप क्यों ग्राये हो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह कल्पना करके वाक्य जाल में फंसाकर भ्रमजाल में डालना ग्रापको बहुत ग्रच्छी तरह से ग्राता है। जैसे सुबह स्पीकर साहब को कोई चेतावनी दी गई, चुनौती नहीं दी गई ग्राप तो चुनौती दे रहे हैं। ड्राइवर का नाम ही नहीं था ग्रौर ग्राप ड्राइवर को ले रहे हैं यह तो ग्राप ग्रच्छी तरह से जानते हैं। कम से कम मुझे किसी ने नहीं कहा ग्रौर 1981 में जो हमसे बना था वह हमने किया था, 1981 में भी किया था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमको किसी ने कहा कि पहाड़िया जी को यह बात कही।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : ग्राप मेरे बाद तो गये ही नहीं तो ग्रापको कह कहां से दिया? शायद ग्रापने सपना देखा होगा। चलो ग्रगर ऐसा भी है तब भी ठीक है। हमने कोई गलती की, हमसे कोई बात हुई, हमने पूरी नहीं की तो इसके मायने यह तो नहीं होता कि ग्राप इसको पूरा नहीं करें। हम तो ग्रापको याद दिला रहे हैं। हम सत्ता में थे तब ग्रापने भी याद दिलाई। ग्रगली बार सत्ता में थोड़े दिनों बाद ग्राये तो फिर याद दिला देना तो ग्रापका मामला ताजा हो जायेगा। इसलिये....

एक माननीय सदस्य : यह तो समय बताएगा। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन् इसके साथ एक सुझाव मैं ग्रापको ग्रौर देना चाहूंगा वह यह कि राज्य सरकार इस बात की कोशिश करती है कि कोई भी पार्टी राज के ग्रन्दर हो वह तुरन्त राहत के कार्य करें। इसके बाद भी वहां के ग्रफसरान जो तुरन्त

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

मौके पर होते हैं वह सरकार की तरफ देखते हैं। मेरा सुझाव यह है कि सम्भव हो सके तो विचार करने की बात है। पंचायत और पंचायत समितियों के पास में, जिला परिषद् के पास में कोई फण्ड होने चाहिए जिससे कि वे तुरन्त राहत के काम कर सकें। मैंने आपको कहा कि डिबेटिबल पाइन्ट है लेकिन मुझे कई लोगों ने सुझाव दिया और मेरी आशा है पंचायत, पंचायत समिति जितनी भी पंचायत राज की संस्थाएं हैं उनके पास इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि वे तुरन्त राहत के कार्य कर सकें। इसके साथ-साथ श्रीमन् एक बात और देखने में आई कि वहां मरने वालों में पुलिस के तीन सिपाही भी थे और वह मर इसलिये गए कि उनको तैरना नहीं आता था और जिन को तैरना नहीं आता था वह बाढ़ में क्या बचेंगे। इसलिये हमारा सुझाव यह है कि पुलिस की ट्रेनिंग में और बातों के साथ-साथ इस तैराकी को भी अगर शामिल कर लिया जाय तो शायद ऐसे मौकों पर वह कुछ मदद करेंगे। वह खुद भी बच जाते और दूसरों को भी बचा सकते थे।

एक बात और जिसकी कल्पना मैं खुद भी नहीं कर सकता था कुछ लोगों की मृत्यु इसलिये भी हुई कि कुओं के अन्दर पानी भर गया था। उन कुओं में से वह अपने इंजिन निकालने के लिये अन्दर गए। वहां गैसें बनी हुई थी, ऑक्सीजन का अभाव था। उनको पता नहीं था कि यहां पर ऑक्सीजन होती है या नहीं होती है। श्रीमन् इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि सारे कुओं का सर्वे हो जिससे लोगों को पता लग जाए कि इसमें कितनी गहराई तक गैस है जिससे लोग आगे चल कर न मरें। हमको बतलाया गया कि यह गैस से मरने की घटना पहली नहीं है। बहुत सारी घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं। लोग कोशिश करते हैं कि इंजिन का पता लगा लें, लालटेन डालकर कि कहां लालटेन बुझ गई कहां तक जल रही है। फिर उन्होंने कहा कि यह बहुत भीषण समस्या है सारे मारवाड़ के इलाके में। इसलिये हमारा सुझाव यह है कि इस तरह की व्यवस्था सर्वे कराकर करनी चाहिए कि वहां पर कितनी गैस है।

श्रीमन्, एक बार अनाज की बात हमने कही, राशन की बात कही, बरतन की बात कही लेकिन एक बात और देखने को मिली जहां पर बाढ़ आई वहां पर नदी चल रही है, नदी की वजह से बहुत सारे खेतों में जिन में चारा हो सकता था, चारा नहीं होगा। लोगों ने कहा कि चिन्ता इस बात की है कि साहब, हम तो बच गये जितने बचने थे, जितने पशु मरने थे मर गए पर अब हमारे पशुओं का क्या होगा ? क्योंकि वहां पर चारा नहीं है पशुओं के लिये। इसलिये हमारा सुझाव है कि इन स्थानों पर चारा बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि भविष्य के अन्दर इस तरह की घटना घटे तो चारा तुरन्त जानवरों के लिये उपलब्ध करवाया जा सके।

श्रीमन् जान-माल के नुकसान के अलावा पचपदरा के रास्ते में हमने देखा था कि बहुत सारी नमक की खानें, जिनको खानें कहते हैं, जो कुएं हैं वह खराब हो गए, कोई 2–3 हजार के करीब मजदूर बेकार हो गए। उन्होंने कहा कि साहब, अकाल राहत कार्य आपके चल रहे हैं पर हम तो राहत कार्यों में किसी में नहीं आते हैं, हम किसी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सूची में नहीं आते हैं, मकान वालों में भी नहीं आते हैं। हमारी बड़ी मुश्किल है। इसलिए उनके लिये भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। और उसके साथ-साथ कई जगहों पर बहुत सारे छोटे उद्योग थे उन्होंने भी बहुत नुकसान उठाया है। हो सकता है मेरे ख्याल से जिन्होंने इन्श्योरेन्स करवाया होगा उनको तो मदद की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेकिन जिनका इन्श्योरेन्स नहीं था उनको किसी तरह से सालवेंज करें, राहत देकर खड़ा करें, सवाल यह नहीं है कि उनको खड़ा करें, पर क्योंकि उनमें बहुत सारे मजदूर काम करते थे उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। इसलिये इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिये कोई राहत के काम हों।

मैंने कुछ सुझाव आपके सामने रखे हैं, मेरी ऐसी आशा है कि सरकार राजनीति से ऊपर उठ कर, पार्टी से ऊपर उठ कर केवल मानवता को ध्यान में रख कर और बाढ़ का ताण्डव दुबारा भविष्य में न हो, इस बात को ध्यान में रखकर सारी व्यवस्था और राहत के काम करेगी और अब तक जो कमी रह गई है, अब तक जो पीछे रह गई हैं सरकार काम करने में, शायद अपनी गलती को सुधारेगी और तुरन्त राहत के कार्य करेगी।

इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रेमसिंह जी दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय सभापतिजी, सदन में अकाल राहत मंत्रीजी तो नहीं हैं पर मुख्य मंत्रीजी और सरकार को वस्तु स्थिति की जानकारी देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, एक ही जगह 35 व्यक्ति मर गए 19 और 10 तारीख को जो वक्तव्य दिया था वह सिर्फ टेलीफोन की सूचनाओं के आधार पर था। 10 तारीख को भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी, आहोर के हमारे विधायक, मैं और 2 अन्य साथी कितना नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिये टीम बनाकर गए। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 तारीख को पहुंचा। 12 तारीख तक गवर्नमेंट ने किसी तरह की राहत की व्यवस्था नहीं की थी। 12 तारीख को हमारे जाने के बाद, आदेश निकाले गए, 12 तारीख में ही निकाले गए। मेरे विधान सभा क्षेत्र भीनमाल पंचायत समिति में 33 गांवों को बाढ़ पीड़ित घोषित किया गया था। उन गांवों में से दुर्भाग्य की बात यह है कि 2 गांव ऐसे हैं जहां पर किसी तरह की राहत कल तक नहीं पहुंचाई गई थी। न तो कोई स्वयं-सेवी संस्था पहुंच पाई थी, न सरकार पहुंच पाई थी और न प्रशासन पहुंच पाया था। कल हमारे भीनमाल के प्रधान को लेकर मैं लाखनी गांव गया था, लाखनी ग्राम के सम्बन्ध में मैंने पहले भी सदन को जानकारी दी थी कि वह गांव बह गया है। वास्तव में गांव में जाने से पता लगा कि 80 प्रतिशत गांव बह गया है। उसमें ढाई सौ मकानों में से 200 मकान गिर गए और बह गए।

कल जब हम आटे की दो बोरी जीप में डालकर ले गए, कई खेतों को पार करते

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

हुए वहां पर पहुंचे तो मालूम पड़ा कि आज दिन तक न तो वहां पर सरकार पहुंची और न सरकार का कोई नुमाइन्दा, अधिकारी पहुंचा और न किसी तरह की राहत सामग्री पहुंचाई। दो बोरी आटा हम लोग ले गए थे, साधन कम था, एक जीप के अन्दर कितना ले जा सकते थे ? दो बोरी लेकर वहां गये। स्थिति ऐसी हो गई, लोग इस तरह से घेरे हुए थे आटा लेने के लिए, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने आटा नहीं देखा था। इतनी भुखमरी की स्थिति थी। स्थान कौनसा था, सभापति महोदय, वह स्थान चैनपुरा गांव से सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर। जहां पर अकाल राहत मंत्रीजी जाकर आई हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी वहां पर जाकर आए हैं, हमारे पशुपालन मंत्रीजी वहां पर जाकर आये हैं और दूसरे अधिकारी कई जाते हैं वहां पर चैनपुरा के अन्दर जिस परिवार में जहां मौतें हो चुकी हैं वहां पर बैठकर आ जाते हैं लेकिन पास के 6 किलोमीटर दूर गांव के अन्दर जिस तरह की भुखमरी थी वहां पर कोई सरकारी अधिकारी या मंत्री या मंत्रिमण्डल का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा, राहत की बात तो दूसरी रही। सभापति महोदय, वहां पर किसी तरह की राहत मैं समझता हूं कि अभी भी पिछले 2–3 दिनों में नहीं पहुंची है। इतनी विकट स्थिति है।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था, मैं सरकार की नुक्ता-चीनी के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं उस समय भी मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था कि आपका हैलीकाप्टर, आपने एक ही जगह देखी बालोतरा। बालोतरा में नुकसान हुआ होगा जरूर, ज्यादा नुकसान हुआ है आपने वहां पर सामग्री भेजी लेकिन जिन गांवों में आज दिन तक भी कुछ नहीं पहुंच पाया वहां पर भी हैलीकाप्टर से तो सामान गिराया ही जा सकता था। मैंने इस बात के लिए राहत आयुक्त महोदय से भी बात की थी। हैलीकाप्टर एक दिन भेजा, मैंने उनसे दुबारा निवेदन किया तब उन्होंने कहा कि सामग्री बागड़िया के नजदीक डाल दी है, स्थान का हमें पता नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि इतना होते हुए भी, इतना ज्यादा नजदीक होते हुए लाखनी गांव में सरकार नहीं पहुंच पाई।

सभापति महोदय, जहां तक हमारे यहां दूसरे नुकसान का सवाल है यह जो 3-4 लाशें अभी तक नहीं मिली हैं, नहीं मिलने के कारण उन परिवारों को अभी तक राहत नहीं मिल पा रही है, बह बह कर चले गए बीहड़ के अन्दर किधर ? अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि उन परिवारों को भी जो अन्य परिवारों को राहत दी गई है वह राहत दी जानी चाहिए।

इसी तरह हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी जब आगे चले गए तो मैं दूसरे दिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाली गांव के अन्दर गया, यह गांव बिलकुल नदी की कांठी के ऊपर आया हुआ है। नदी वहां पर 30-35 किलोमीटर नीचे बहती है और 30-35 किलोमीटर एरिया नदी से भरा हुआ था गांव वाले ढोल बजाकर रात भर जागते रहे और फावड़े लेकर उन्होंने ज्यों-ज्यों नदी बढ़ती गई त्यों त्यों पाली ऊपर चढ़ाते रहे। उन्होंने टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन किया। वहां पर दुबारा अतिवृष्टि हुई तो वह गांव बचने की स्थिति में नहीं है। इसी तरह मैं कल कोगटा

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

गांव में गया था। स्थिति यह है कि बह पड़ता तो सब डिवीजन भीनमाल के नजदीक है पर उसकी तहसील पड़ती है जालोर के अन्दर। प्रशासन ने उस गांव को सम्भाला नहीं। वह कहते हैं कि जालोर का है जालोर चले जायं। जालोर के बीच में नदियां इतनी हैं, वह गांव बिल्कुल कटा हुआ है। मैं वहां पहुंचा, प्रधान जी भी साथ थे, उस गांव में से चौथाई गांव बह गया। वहां पर भी नदी में 30-35 फीट का किनारा कटा हुआ है। वहां पर जो महाजन बस्ती है उनके पक्के मकान भी बह गए और जो रह गए, नदी के कांटी के ऊपर वह मकान खाली कर रहे हैं। गांव एक तरह से खाली हो रहा है। वह सब भीनमाल के अन्दर आ रहे हैं, उन को किराये पर मकान नहीं मिल रहे हैं, वह बेघर-बार हो रहे हैं। उनकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार से जो नुकसान हमारे गांवों में हुआ है, तालाबों से नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान जो हुआ है वह नदियों से हुआ है, हमारे नीचे नदी बहती है उसके उफान से नुकसान हुआ है, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया उससे जो नुकसान हुआ है, नदियों के कांटी के ऊपर जो गांव है वह जिस तरह से बारूद के ऊपर होते हैं उस तरह से दुविधा में है। उन गांवों में दुबारा बाढ़ आई तो वह गांवों को लेकर चली जायेगी।

मैंने एक टेलीग्राम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी, राहत मंत्रीजी और हमारे शिवचरणजी माथुर को दिया था और उसमें मैंने 5 गाव ऐसे बताये हैं जो दुबारा बाढ़ से नहीं बचने वाले हैं, बाढ़ का पानी बहा ले जायेगा, कोगता, बाली, लाखनी, गुमडिया, मोहरसिंह। इसी तरह से नष्ट होने की स्थिति के अन्दर अगर दुबारा बाढ़ आई तो जो गाव है नया चैनपुरा, जहां पर इतने लोग पहले मर गये थे। दूसरी जगह है वहां पर सुराणा में नदी ने रास्ता बदल दिया उससे ही तिलाड़ा, गेता, चैनपुरा, रावता, गोबडी, लूबाणा, सायला पंचायत समिति में जहां पर धोरा था वहां पर कभी उन्होंने नदी देखी नहीं थी, पाले नहीं देखी थीं उन गांवों के अन्दर भी नदी आ गई है। तीन चार गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सिराड़ा, सांगाण, खारी, आलवाडा और तालियाणा। इन गांवों के अन्दर पानी चला गया है और अन्दर पड़ा रहा क्योंकि चारों तरफ धोरे थे। कई धोरे कट गए कई जगह अन्दर पानी चला गया जिससे सभी घर क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

मेरे सब डिवीजन के अन्दर उप खण्ड अधिकारी ने पहले सर्वे में बताया कि एक लाख से अधिक मकान गिर गए हैं। दुबारा सरकार ने कहा कि क्षतिग्रस्त तो हम उनको मानते हैं जो बाढ़ के अन्दर बह गए हों तो दुबारा उन्होंने अपना सर्वे भेजा है 65,000 मकानों का। उसमें पंचायत समिति भीनमाल के 20-25 हजार मकान हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मिलाकर चालीस एक हजार मकान होंगे। सरकार उसके लिए क्या कर रही है? अब एक तरफ तो वार्निंग मिल रही है कि अतिवृष्टि होगी जोधपुर सब डिवीजन के अन्दर सावधानी के लिए तो उसके लिए सरकार उनको वहां क्या राहत देगी? वह सब या तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, मकान तो उनके चले गए, मकान के साथ उनकी सब सामग्री भी चली गई बहकर। न ओढ़ने को कुछ है और न

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

कुछ और है। हमने वहां कुछ कम्बल भी बांटे थे। वहां ओढ़ने की या और किसी तरह की उनके पास कोई सामग्री नहीं है।

मुझे प्रशासन द्वारा परसों बताया गया कि हम 1500 रुपया जो दे रहे थे, पक्के मकानों के 1750 दे रहे थे, सरकार ने एक आदेश देकर उसको रोक दिया है। कल फिर हमें बताया गया कि वहां वह वापस चालू कर दिया गया है। सरकार भी दुविधा में है कि एक हजार रुपये से क्या होगा। एक टीन सीट लाने के हमारे वहां पर 650 रुपये लेते हैं अगर सरकार हजार रुपये एक मकान का देती है तो डेढ़ टीन सीट आएगी उस डेढ़ टीन सीट से क्या हो पाएगा। अगर हजार रुपया रोकड़ दिया गया उनको तो वह कुछ दूसरी सामग्री ले आयेगा। उनसे वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की सामग्री खरीद लेगा परन्तु मकान तो उससे बनेगा नहीं। यह भवनों की समस्या तो अपने देश की पहले से है। यह गरीब लोग अब बना नहीं सकते, जिन्होंने अपनी उम्र के अन्दर एक दफा मकान बनाया, आज उसका मकान बह गया और आप हजार रुपया देना चाहते हैं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्रीजी से और राहत मंत्रीजी से कि वह इस राशि को बढ़ाएं। जहां तक हो सके ऊपर टीन रखने के लिए तो वह एक मकान में चार पांच टीन तो उनको प्रोवाइड करें बाकी की सामग्री मजदूरी के तौर पर उनको जो अपने मकान बना रहे हैं तो उनको मस्टर रोल बनाकर मजदूरी दी जानी चाहिए।

जहां तक गेहूं वगैरह पहुंचाने का सवाल है। कल और परसों तो गेहू डम्प किया गया है बड़े-बड़े गांवों के अन्दर। अभी तक गांवों के अन्दर जाने के रास्ते नहीं है। डूंगरिया और बाभोडा में जो डम्प किया था गेहूं वह मैंने प्रशासन से भी कहा कि अगर ट्रैक्टर नहीं जाते हैं, फंस जाते हैं तो आप ठेले और गाड़ी में ले जाओ, बैलगाड़ी से ले जाओ। इसी तरह से अगर प्रशासन भी जरा ठीक ढंग से करे और सरकार ने अगर बराबर निर्देश दिए तो यह सब सामग्री पहुंच पाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मुझे अभी तो सुझाव देने हैं। अभी तक तो मैंने मेरे यहां जो नुकसान हुआ है उसकी स्थिति बताई है। मैं किसी तरह की क्रिटीसाइज करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। अब मैं आपको सुझाव यह देना चाहता हूं कि जालोर जिले के अन्दर यह छठा फ्लड है। छठी दफा यहां बाढ़ आई है। इससे पहले पांच दफा बाढ़ और आ चुकी है। उस बाढ़ से जो नुकसान हुआ है वह मैं आपको बता देता हूं, 1973 के अन्दर जो बाढ़ आई थी उसमें 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। उपजाऊ जमीन और बेरे जो गए थे। उसमें 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, 1975 के अन्दर 70 करोड़ का नुकसान हुआ, 1976 में 100 करोड़ का नुकसान हुआ, 1979 में 120 करोड़ का नुकसान हुआ, 1983 में 150 करोड़ का नुकसान हुआ था और इस बार नुकसान हमारा साढ़े तीन करोड़ रुपये का है। माननीय चतुर्वेदी जी आए थे तब मैंने उनको डाक बंगले में भी बताया था कि हमारा साढ़े तीन सौ, चार सौ करोड़ रुपये का नुकसान है। हमारा जहां एक-एक बेरा 9-9 लाख का था, अभी

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

कुछ समय पहले एक बेरा 9 लाख रुपये में बिक रहा था, आज उसको कोई 6 हजार में भी खरीदने वाला नहीं है। चैनपुरा के अन्दर जो परिवार बह गए हैं और जिनकी क्षति हुई है उनके पांच-पांच लाख के बेरे थे आज वह खेत बनकर रह गए हैं। इसलिए उनको बसाने के लिए ऐसी राहत दी जानी चाहिए। अगर किसी मृतक परिवार को या जिस सदस्य की मृत्यु हो गई उसको पांच हजार और पांच हजार मुख्य मंत्री सहायता कोष से, दस हजार रुपये देने पर वह पूरा नहीं पड़ेगा। यह राहत बढ़ाई जानी चाहिए।

फ्लड प्रोटक्शन का जो जिले का नक्शा 1985 में बनाया गया था, पांच दफा बाढ़ आने के बाद यह 12 करोड़ 75 लाख रुपये की पूरी एक स्कीम बनाई हुई है। अगर यह 12 करोड़ 75 लाख रुपये लगा देते हैं तो जो एक हजार करोड़ रु. का नुकसान वहां होता है, अभी मेरा सरकार से निवेदन है कि वापस इस स्कीम को रिवाइज करे। क्योंकि नदी ने कई जगह रास्ते बदल दिए हैं। इसमें सिर्फ 93 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ आ सकती थी, अब वह 120 गांव हो गए हैं। उनका दुबारा सर्वे किया जाना चाहिए। आज वहां राजस्थान बनाम मैदान पर्यवेक्षण विधेयक 1990 मैंने पढ़ा उसके अन्दर, जो आज हमको दिया गया, मैंने देखा कि यह सरकार करने जा रही है जो सरकार का उचित कदम है। परन्तु इसका सर्वे किया जाकर हमारे जालौर जिले के अन्दर और इस बाढ़ के मामले के अन्दर बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए।

मेरे और भी सुझाव हैं। जहां बेरे थे, उपजाऊ जमीन थी वहां नदी ने काटकर उनको धोरे कर दिये, मिट्टी डाल दी। बालू मिट्टी से वह रेगिस्तान बन गया है या नदी के अन्दर आ गया है। उस जगह का रीसैटलमेंट होना चाहिए। अगर री सैटलमेंट नहीं होगा तो बीगोडी तो वापस वैसी की वैसी ली जाएगी और वह जमीन खेती के काम की तो रही नहीं है।

इसी तरह मेरा एक और सुझाव है कि जिनकी सिंचित जमीन चली गई है उनको सरकार दूसरी जगह जमीन दे। वह अपनी जमीन सरेण्डर करना चाहेंगे उस जमीन में कुछ नहीं होता। नदी के अन्दर चली गई तो वह अपनी जमीन सरेण्डर कर रहे हैं। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इन्दिरा गांधी नहर के ऊपर उनको मुरब्बे दिए जाने चाहिए। अगर नियमों में प्रावधान नहीं है तो वह प्रावधान उसके अन्दर किया जाना चाहिए।

इसी तरह पशु जिनके मर गए हैं। कुछ परिवार सिर्फ पशुपालन के ऊपर ही निर्भर हैं। चैनपुरा में भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी गए तब देखा कि दस बारह भैंसें मर गई। इस तरह से यहां पूरे एरिया के अन्दर पशुधन का ज्यादा नुकसान हुआ। जिन पशु पालकों का पशुधन से ही गुजारा होता था उनको पशु खरीदने के लिए लोन दिया जाना चाहिए, पशु उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

इसी तरह भेड़ बकरी पालकों को भी, जिनकी भेड़ों के रेवड़ के रेवड़ बह गए हैं, सभी नष्ट हो गए तो उनको पुनः रेवड़ खरीदने के लिए लोन दिया जाना चाहिए।

इसी तरह से बिजली का, जहां बेरे,

(श्री प्रेमसिंह दहियां)

नष्ट हो गए हैं और बिजली की मोटरें अन्दर रह गई हैं अब उनको वापस बिजली की आवश्यकता नहीं है तो उनके बिजली के बिल तो दुबारा नहीं पहुंचने चाहिए 2 आर.एस.ई.बी. के अधिकारियों को इसके लिए आप निर्दिष्ट करें कि वह इस का सर्वे करा लें और इस तरह की दुबारा परेशानी न हो गांव वालों को कि वह बिल ले लेकर घूमते रहें।

इसी तरह सरकारी भवन काफी नष्ट हुए हैं। स्कूलें डेमेज हो गई, कई जगह गिर गई। पटवार घर थे वह गिर गए और भी भवन गिरे हैं, सरकारी भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्योंकि ज्यादा बाढ़ आती है तो लोगों के कहीं पर भी पक्के मकान गांवों में नहीं होते तो लोग इन भवनों में जाकर रहना चाहते हैं। अगर वह नष्ट होने की स्थिति में है तो उनको भी ठीक किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा एक सुझाव और है। इसी तरह से अभी तो बाढ़ के अन्दर कुछ गांवों को नहीं लिया गया है और जहां ज्यादा नुकसान हुआ है उन गांवों को भी बाढ़ के अन्दर लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतनाराम।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, अब की बार भयंकर बरसात के कारण जालोर जिले में बाढ़ की भयंकर स्थिति बनी है। उसमें जालोर जिले में करीब 60 छोटे-मोटे लोगों की मृत्यु हुई और अभी तक पांच-सात लोगों का अता-पता नहीं है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र, रानीवाड़ा से चुनकर मैं आता हूं। रानीवाड़ा और जसवंतपुरा दोनों में 9 लोगों की मृत्यु हुई और तीन लोग लापता हैं। करवाड़ा में तीन मेघवालों की मृत्यु हुई, जो एक ही परिवार के थे। जाटवाला में चार लुहारों की मृत्यु हुई एक ही परिवार के और कोटड़ा में विश्नोई की मृत्यु हुई। कुल नौ की मृत्यु हुई और चार लोगों का अभी तक कोई अता-पता नहीं है। न मालूम वह पानी के साथ बह गये या रेत में दब गये हैं या पानी उनको बहा कर ले गया। उनका कोई अता-पता नहीं है। सभापति महोदय, रानीवाड़ा, जसवतपुरा में जो ज्यादातर नदियां बाढ़ से बहती है उनमें करीब 6 बांध बने हुये हैं। एक पूरण में बांध बना हुआ था, दूसरा बांध बन्जर में बना हुआ था, तीसरा बांध जाटवाला में बना हुआ था, चौथा बांध खरवाड़ा में बना हुआ था, पांचवां बांध जाजू में बना हुआ था और जालोर में जलराव खुर्द बांध बना हुआ था। सब के सब बांध अतिवृष्टि के कारण एक साथ टूट गये। बन्धे टूट जाने से लोगों की मृत्यु भी हुई। किसानों के हिस्से में जो जमीन, बेरे थे वह बिल्कुल नष्ट हो गये। बेरों में रेती आ गयी और कहीं तो गांवों में बीस-बीस फुट के खड्डे पड़ गये। उनको अगर 25 साल तक किसान मेहनत करके समतल करना चाहें तो समतल नहीं कर सकते। इसी तरह से पूरण के करीब पचास बेरे ऐसे थे जैसे हमारे पूर्व वक्ता दहिया जी ने कहा कि बहुत कीमती एवं उपजाऊ बेरे थे, वह बेरे बिल्कुल नष्ट हो

(श्री रतनाराम चौधरी)

गये। उनकी मोटर, मशीन पानी के साथ, जो बाहर लगी हुई रहती है, वह गयी और बेरे में दब गयी। किसानों की यह स्थिति नहीं है कि बेरों को वापस ठीक करवा कर उन मोटरों को रिपेयर करवा कर वापस काम में ले सकें इसलिए मेरी राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों के साथ मांग है कि कृपा करके उन किसानों को अविलम्ब सहायता प्रदान करावें।

(3.33 म.प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

जिनके कुएं, जिनकी जमीन जायदाद बिल्कुल नष्ट हो गयी हैं उनको समतल करने में कुओं को ठीक करवाने में और पम्पिंग सेट को ठीक करने में उन्हें पूरी पूरी सहायता प्रदान करें और जमीन समतल करने के लिए या तो ट्रेक्टर देवें या रोकड़ रुपयों की सहायता जो कुछ आप मुनासिब समझें करें। ताकि ट्रेक्टरों से अपनी जमीन को वापस ठीक तरह से करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। सभापति महोदय, उस क्षेत्र में किसानों के पशुओं की संख्या तो हम बता ही नहीं सकते कितनी हैं। किसी एक भैंस की कीमत करीब 10 हजार रुपये होती है। चार-पांच हजार की एक गाय होती है। दुर्भाग्य और विड़म्बना से जिनका नुकसान होना था उनका हुआ। मैं यह नहीं कहता कि सारे मर गये। हमारे रेबारी भाइयों के और जो गाडरा से पशुपालक भाई है, उनके रेवड़ के रेवड़ बह गये और उनके पास अब ऊपर आसमान और नीचे धरती रह गयी। उनके पास में न तो जमीन होती है और न कोई उनके पास दूसरा धन्धा होता है। न उनके घर में पढ़ा लिखा कोई बच्चा होता है। उनका धन्धा एक ही है वह है बकरी पालन, पशुपालन। सारे के सारे मवेशी या तो पानी के साथ बह गये या रेत में दब गये। उनको भी हमारे जिलाधीश महोदय ने सभी पटवारियों से और राज्य सरकार से सकेत दिया कि उन का सर्वे करवायें। सर्वे पटवारी लोग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी जिन काश्तकारों की जमीन, कुएं, पशु हैं उनकी अविलम्ब रिपोर्ट मंगा करके कम से कम उनको जो सहायता आप दे सकें वह तुरन्त पहुंचावे। जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग, रेबारी, चौधरी वगैरह के जो मकान इस बाढ़ की चपेट मे आ गये वह मकान बिल्कुल नष्ट हो गये। एक करवाड़ा ग्राम है। एक गांव में 161 घर डूब गये। अब अन्दाजा लगा लें कितने घर डूबे होंगे। 161 घर एक गांव में डूब जाते हैं और मकान बिल्कुल ढह जाते हैं उस में खाने के लिए अनाज था, ओढ़ने के लिए कुछ कपड़े थे, उन लोगों को खाने का अन्न था वह सब बिल्कुल नष्ट हो गया। पानी के साथ बह गया। खाने-पीने के बर्तन पानी ले गया या मिट्टी में दब गये। इसलिए कृपा करके जिन-जिन लोगों के मकान डूब गये हैं उनको अविलम्ब सहायता दिलवाने की कृपा करें। मेरी तो यही मांग है कि कम से कम कच्चे मकानों के लिए आप दस हजार रुपये दिलाने की कृपा करें। ताकि गरीब आदमी वापस अपना घर बना कर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके। अपनी जीविका वापस सही कर सके। जिन काश्तकारों के बेरे, बनिये होते हैं, सेठ साहूकार अगर आज उजड़ जाते हैं वह दूसरी

(श्री रतनाराम चौधरी)

जगह जाकर बस जाते हैं, उनकी दुकानें चल सकती है। जालोर से आकर जयपुर में धन्धा कर सकते हैं परन्तु काश्तकार का बेटा जिसकी जमीन, जिस गांव में है वह जमीन जो उजड़ गयी वह उस जमीन में ही खपता है उसकी दूसरे गांव में जाने की हैसियत नहीं होती है और जाता है तो उनको कोई ठहरने के लिए नहीं कहता। बहुत बड़ा गम्भीर संकट है पश्चिमी राजस्थान पर। लोग गम्भीरता से नही ले रहे हैं, मजाक कि रूप में ले रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए आपको मेरा यही निवेदन है, हमारे मुख्य मंत्री जी यहां बिराजे हुये नहीं है उप नेता श्रीमान् ललित किशोर चतुर्वेदी जी जालोर जिले से पधारे हैं मेरी उनसे पुरजोर शब्दों के साथ मांग है कि आप कृपा करके उन गरीबों के लिए बिना किसी पार्टी का भेदभाव किये बगैर व्यवस्था कराने की कृपा करें दूसरी मेरी एक शिकायत है। जब दूसरे लोग, मैं और तारा भण्डारी जी और चम्पालाल जी यहां से साथ-साथ निकले थे और इन लोगों को तो हेलीकाप्टर का सफर करा दिया चूंकि मैं विरोधी दल का मेम्बर था इसलिए मुझे मेरे क्षेत्र में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुये ये लोग। मैं किसी तरह से पानी में, सारे पैदल चला और मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ जाकर खड़ा हुआ।

(3.40 म.प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

और जाकर मेरे एरिये के लोगों और किसानों से मिला और कहा कि भाई आपके गांव में आपत्ति आई है आप सहायता करो। उन लोगों ने जो उनके पास धान, कपड़े और दूध, चावल वगैरह था उनको देकर बचाव करवाया। भीनमाल के व्यापारियों ने आकर भी राहत दी।

श्री अध्यक्ष : आप काफी बोल चुके हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : दो मिनट। मैं तो सदैव आपकी आज्ञा का पालन करता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पौने चार बज रही है।

श्री रतनाराम चौधरी : सिर्फ दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बोल लीजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : कई गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था थी, टकियां बनी हुई थी उनमें भी रेत आ गई है। बिजली के जो पम्प थे, गांव में पीने के पानी के जो साधन थे वह भी खराब हो गये हैं। आप सरकार में बिराजे हुए हैं, गरीबों के दुःख-दर्द के मसीहा कहलाने वाले भैरोंसिंह जी से पूरे जोर से यह मांग रखता हूं कि आप अविलम्ब सहायता प्रदान करावें और गरीबों को राहत पहुंचावें। भैरोंसिंह जी ने कहा कि कच्चे मकानों के लिए पांच हजार रुपये की सहायता और अन्य सहायता मैं दिलाने के लिए तैयार हूं। आप जब रिप्लाई देदें उसमें क्या-क्या देना चाहते हैं गरीबों को, काश्तकारों को जिनके मकान बिल्कुल खत्म हो गये, जिनके कुए बिल्कुल नष्ट हो गये, गांव खत्म हो गये, जिनके पशु मर गये, उन गरीबों को आप अविलम्ब सहायता दिलवाने की कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री रतनाराम चौधरी)

अध्यक्ष महोदय ने जो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं अध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आभारी हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास (अनुपस्थित)

श्री रतनाराम चौधरी, अब आप 295 पर बोलिये ।

श्री रतनाराम चौधरी : हो गया साहब । कट मोशन तो है नहीं ।

श्री अध्यक्ष : हो गया तो चलिये । श्री हीरासिंह चौहान ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार कुछ नहीं कहना चाहती क्या ?

श्री अध्यक्ष : सरकार कहेगी तो कहेगा । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : +++ सरकार कुछ कहना नहीं चाहती क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी कह रहा हूं, व्यवस्था कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, सरकार को पूछिये कि क्या वह कुछ कहना चाहती है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, रतनारामजी चौधरी बैठिये आप । सुनिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनिये, प्लीज । बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बाढ़ के सम्बन्ध में जो अपने विचार रखे और कई प्रकार के सुझाव दिये मैं उन सुझावों और चर्चा के प्रति अपना आभार प्रगट करता हूं । मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष का प्रतिनिधिमण्डल बाढ़ पीड़ितों की समस्या का अध्ययन करने के लिए गया और जो समस्यायें उनके सामने आई उनका सदन में जिक्र किया । अध्यक्ष महोदय, सात आठ दिन पहले, इसी सम्बन्ध में चर्चा हुई थी उस चर्चा के समय सरकार किस प्रकार से राहत देना चाहती है उसका मैंने विस्तार से उल्लेख किया है । माथुर साहब की यह शिकायत है कि राहत अभी तक बाढ़ पीड़ितों के पास नहीं पहुंची । यह बात तो सही है कि उन्होंने जिला अधिकारियों की प्रशंसा भी की, कि जिला अधिकारी अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं और जहां-जहां भी जिस प्रकार संभव है, सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की बाढ़ की स्थिति है उस स्थिति से कोई अनभिज्ञ नहीं है । बाढ़ पहले भी कई बार आयी है । अचानक स्थिति बनती है । उस अचानक बनने वाली स्थिति के लिए मैं तो यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि न तो जनता का मानस बना हुआ होता है और न प्रशासन का मानस बना हुआ होता है । बाढ़ अचानक आती है और अचानक बाढ़ आने के कारण बाढ़ को रोकने की जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था नहीं होती । न लोग,

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सतर्क रहते और न सरकार की ओर से सतर्कता बरती जाती है। यह उसी का परिणाम है कि जब बाढ़ आती है तो विनाश लीला भी जबरदस्त होती है। इस विनाश लीला के सम्बन्ध में दो-तीन मुख्य रूपसे बातें उठाई गई। एक तो यह कहा गया कि मकान काफी टूटे हैं और जब तक मकान बनाने के लिए सहायता नहीं दी जाएगी लोगों के पास रहने का कोई साधन नहीं होगा। आपको स्मरण होगा कि पिछली बार मकानों के लिए किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता दी जाय उसका मैंने विस्तार से उल्लेख किया था। मैं यह मानता हूं कि केवल मात्र उतनी सी सहायता से मकान नहीं बन सकता। हमें मकान बनाने के लिए और धनराशि की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पिछली बाढ़ में जिस प्रकार से कर्जा दिलाया गया। कर्जा दिलाने के सम्बन्ध में भी विचार किया जायगा और इसी दृष्टि से मैंने आज के तीन दिन पहले हुडको के चेयरमेन से बात की और बात करने के बाद उनसे कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाय, जाकर स्थिति का स्वयं अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद हुडको कितना फण्ड्स राजस्थान सरकार को दे सकता है, उतने फण्ड्स करे। वह शायद कल सुबह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचेंगे और स्थिति का जायजा लेने के बादफिर राज्य सरकार से बात करेंगे। मोटे रूप से जो बात हुई है वह लगभग बीस करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को शोर्ट टर्म लोन के रूप में देंगे। विवाद इतना सा है कि जिन शर्तों पर वह कर्ज मिल रहा है उन शर्तों में कुछ और रियायत हो जाय, इस बात पर चर्चा हो रही है।

दूसरा प्रश्न आता है कि इस सहायता से और सरकारी सहायता से मिलकर हम ऐसी व्यवस्था कर सकेंगे जिस व्यवस्था के आधार पर लोग अपने मकान खड़े कर सकें। एक प्रश्न आया कि मवेशी बहुत मर गये। मैं इन्कार नहीं करता कि मवेशी नहीं मरे। कई स्थानों पर तो भारी संख्या में मवेशी मरे हैं। अगर मैं पुरानी अब तक की व्यवस्थाओं को देखूं तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस व्यवस्था के आधार पर लोगों को इस बार भी पूरी सहायता दी जाय। लेकिन मैं यह मानता हूं कि पुरानी व्यवस्था में कुछ कमियां थी उन कमियों को पूरा कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत किस प्रकार से मिले उसकी व्यवस्था की जाय। सबसे मोटा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ के कारण उत्पन्न हुआ है जो अभी भीनमाल और रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि खेत और कुए खराब हो गये। यह जीविका के स्थायी साधन हैं। यह लोगों के हाथ से निकल जाय या यह नष्ट हो जाय तो उसके कारण से लोगों को कई वर्ष तक परेशानी रहेगी। हमने इस सम्बन्ध में एक बार सर्वे कराना उचित समझा है कि कितने कुए किस प्रकार से खराब हुए हैं, खराब होने का मतलब दो ही तरह से है। कुओं में मिट्टी भर गई, मिट्टी निकलवाने में कितना खर्चा आयेगा, कुओं को वापस चालू करने में कितना खर्चा आयेगा यदि पम्प सेट्स लगे हुए थे, पम्प सेट्स की व्यवस्था किस प्रकार से की जायगी और उसके साथ ही यदि खेतों में मिट्टी आ गई है तो क्या उस मिट्टी को उठाया जा सकता है। उठाया जा सकता है तो किस प्रकार से उठाया जा सकता है और किस सीमा तक उठाया जा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकता है। उन सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद ही सरकार इस निर्णय पर पहुंच सकती है कि उनको किस प्रकार से आर्थिक सहायता दी जाय या किस प्रकार से कर्जा उपलब्ध कराया जाय। मैं आपको यह विश्वास से कह सकता हूं कि कुओं को रेस्टोर करने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जायगी। हम भी चाहते हैं कि स्थायी जीविका के साधन उनके नष्ट न हों और वह जल्दी से जल्दी वापस रेस्टोर हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह भी जिक्र किया गया कि लोगों के पास राशन नहीं है मैं नहीं कहता कि जिस समय बाढ़ आई किसी ने तुरन्त राशन पहुंचा दिया हो पहुंचाना सम्भव भी नहीं है। लेकिन जिस समय भी सम्भव हुआ, सरकार भी पहुंची है और सरकार के साथ-साथ वालंटरी आर्गेनाइजेशन्स भी पहुंची हैं। अगर यह भुखमरी की स्थिति होती तो माननीय माथुर साहब गये थे उन भूखे आदमियों को कुछ न कुछ देकर आते। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। किसी ने भी खाना पहुंचाया हो, पहुंचाया है और यह मैं कह सकता हूं आप चाहे मानें या न मानें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम करने कोई कसर नहीं छोड़ी है.... (व्यवधान) अब आप यह मत करो। सुन लो आप।

एक माननीय सदस्य : यह क्या तरीका है।

एक माननीय सदस्य : यह जगल थोड़ा ही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठिये। माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें। आपके नेता बोल रहे हैं। बस खड़े हो गये जंगल में बैठे हैं जैसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोले हम में से किसी ने व्यवधान नहीं डाला।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कांग्रेस के युवकों ने काम नहीं किया ? कांग्रेस की संस्था ने काम नहीं किया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अखबारों के अन्दर आया है राजस्थान पत्रिका ने नाम खोल खोल कर दिये हैं। यहां पर आप केवल बी.जे.पी. और आर एस.एस. का नाम लेकर पोलिटिकल कैपिटल बनाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यहां बराबर कहा गया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी सारी उन बातों को झुठला कर इस बाढ़ से राजनैतिक लाभ उठाने की कुचेष्टा कर रहे हैं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, जनता दल के कार्यकर्ताओं ने भी जहां जितना हो सका है इसमें अपना योगदान दिया है.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद :....पोल खुल गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने जनता दल की बात कही, मैंने भा. ज पा. और आर.एस.एस. की बात कही लेकिन किसी माई के लाल ने कांग्रेस की बात नहीं कही।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के कार्यकर्ता तो अब भी वहां काम कर रहे हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह हाउस में ही बोलते हैं हाउस छोड़ने की हिम्मत नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह +++ छोड़ दो....

श्री अध्यक्ष : सैनी जी, आर्डर प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : विरोध पक्ष में आपने बहुत +++ किये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अखबारों में आया था श्री शिवचरण जी माथुर, पहाड़ियाजी के नेतृत्व में कांग्रेस की बहुत बड़ी अध्ययन टोली बाढ़ ग्रस्त एरिया में जा रही है। फिर अखबारों में आ गया कि वह टोली वापस आ गई है....

श्री शिवचरण माथुर : हमने कहा सब लोगों ने काम किया हम तो उसको राजनैतिक कैपिटल नहीं बनाना चाहते थे ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कुछ किया हो तो राजनैतिक कैपिटल बनायेंगे। किया तो कुछ है नहीं। आप मुझे बताइये आप एक पैसा वहां देकर आये हैं ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप गये थे ? आप कोई पैसा देकर आये हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप विरोधी दल में बैठते थे आप पैसा देकर आते थे क्या ?

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मुख्य मंत्री जी, यह 80 रुपये में तेल किसने बेचा ?

श्री अध्यक्ष : पहाड़िया जी कुछ कह रहे हैं। पहाड़िया जी और ललित जी यह दोनों कुछ कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : असलियत को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं मैं इसका विरोध करता हूं....

श्री अध्यक्ष : पहाड़िया जी कुछ बोल रहे हैं, ललित जी कुछ बोल रहे हैं। इसके बाद ललित जी बोलेंगे। आप विराजिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप डिसक्शन करवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अध्यक्ष जी को मत पूछिये आपको जो करना है करते जाइये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है जिस पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं....

श्री शिवचरण माथुर : देने की बात, हम दिखाने की बात नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ है। बालोतरा में पर्चे बांटे गये उसमें लिखा गया फलां ट्रस्ट के सौजन्य से। यह दान देकर दिखाने वाली बात करना चाहते हैं। हमारे सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर काम किया है लेकिन सदन में हमने नहीं कहा है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके निरर्थक भाषण सुने, सदन का सारा समय लिया, कोई काम की बात नहीं कही.... (व्यवधान) मैं काम की बात कर रहा हूं अब वह तो सुनो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ....अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : पहाड़ियाजी बोल रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हम यहां गम्भीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें बहुत से लोगों की जानें चली गईं, माल की हानि हुई, खेत बर्बाद हो गये। हम नहीं चाहते थे कि इसको राजनीति में फांसे और इसी लिये हमने जानबूझ कर इस बात की एहतियात बरती कि कहीं हमारी पार्टी का नाम भी न आये। मैं आपकी सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि जहां-जहां भी हम गये उन समाज सेवी संस्थाओं के कर्ता-धर्ता वह सब कांग्रेस वाले थे....(व्यवधान)

श्री अमृतलाल : यह गलत है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री ललित जी। आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। आपके मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठिये न ? वर्मा जी इनकी भी सुन लीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : पहले इनकी सुन लो आप....

श्री चन्दनमल बैद : पहले मैं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बाद में आप भी कह लेना।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर बाढ़ आई केशवनगर राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ के लोगों ने बचाया आज भी उन कालोनियों में लोग रह रहे हैं ...

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ...उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी वॉक आउट करती है.... ।

(कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान। 295 पर बोलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी को सुन लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने उस क्षेत्र में जाकर कुछ किया नहीं सरकार की केवल आलोचना की है। अब जब वास्तविकता सामने आई तो सामने टिकने की भी हिम्मत नहीं हुई, रवाना हो गये। मुझे इससे कोई चिन्ता नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जालोर में, आपने कहा कि सहायता नहीं पहुंची, बाकी जगह सहायता नहीं पहुंची आंकड़े तो हैं नहीं, मैं देना चाहूंगा लेकिन परसों के दिन इसी मामले पर डिबेट होगी, मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने जिस तत्परता से जहां

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जहां भी सम्भव हो सकता था, सरकार पहुंची है, सरकार की पार्टियों के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं ने पूरा परिश्रम करके सब जगह लोगों को सामान पहुंचाया है। यदि इस कारण से विपक्ष नाराज होता है तो कोई चिन्ता की बात नहीं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जिन स्वयंसेवी संस्थाओं ने काम किया है उनके काम का विपक्ष निरादर करने की स्थिति में आया है। उनको एनकरेज करने की आवश्यकता थी। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हमने चद्दरें भेजी हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के ट्रक से भेजी है, जालौर में भेजी हैं, पाली में भेजी हैं। इसी प्रकार से पोलिथिन शीट्स भेजी है ताकि उनको टैम्परेरी शेल्टर मिल सके। कुओं के लिये, मकानों के लिये, सब के लिये रुपया भेजा है। गेहूं भेजा गया है, गेहूं बांटा गया है, डाक्टर्स गये हैं, लोगों का इलाज किया है, पशु चिकित्सक गये हैं। उन्होंने जहां-जहां भी जानवर मरे हुए पड़े थे, उनको किस प्रकार से दबाया जाय या जलाया जाय, इस सम्बन्ध में व्यवस्था की है। सारी प्रशासनिक मशीनरी आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में है। पहले चार सेक्रेटरी गये, उसके बाद में जितने भी प्रोबेशनर्स आई.ए.एस. थे उन सब को वहां पर भेजा गया है, गांव-गांव में प्रवास कर रहे हैं, और प्रवास करने के बाद लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार के पास भेज रहे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं 1981 की बाढ़ में और 1981 के बाद में 83 और 86 में जो बाढ़ आई, उस बाढ़ से बढ़िया इन्तजाम इस बार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किया है। मैं कहना नहीं चाहता शिवचरण जी माथुर साहब हैं जिन्होंने जिस समय कोटा में बाढ़ आई और हरिदेव जोशी जी मुख्य मंत्री थे उस समय उन्होंने इस बाढ़ में किसी प्रकार का इन्तजाम नहीं किया। पूर्व मुख्य मंत्री जी ने बहुत लम्बा-चौड़ा स्टेटमेंट दिया उस समय जोशीजी की सरकार थी। उसी प्रकार से भीलवाड़ा में 1983 में बाढ़ आई, उस बाढ़ के सम्बन्ध में कांग्रेस आई के विधायकों ने यह कहा कि वहां पर सरकार ने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन मै इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति की बात वो कह रहे हैं, राजनीति कैसे लाये तो माथुर साहब और पहाड़ियाजी दोनों अपने भाषण में एक बात कह गये हैं कि हेलीकाप्टर से उन स्थानों के ऊपर पैकेट्स डाले गये जो राजनैतिक दृष्टि से प्रभावित थे। मैंने स्पष्ट कहा था कि हेलीकोप्टर से गांव पहचानना मुश्किल हो रहा था, वहां कौनसी पार्टी का झण्डा लगा हुआ था, किस आदमी से उनका परिचय था। जहां-जहां भी जमीन मिली उसके ऊपर फूड पैकेट्स डाले गये। मुझे यह अफसोस है अध्यक्ष महोदय कि यहां पर सेना की प्रशंसा करने में विपक्ष ने संकोच किया, एयरफोर्स ने जिस प्रकार से काम किया और आर्मी ने जिस प्रकार से काम किया, मैं समझता हूं हमने तो प्रशंसा की है लेकिन विपक्ष को उसी प्रकार से प्रशंसा करनी चाहिये। आज कभी बाढ़ आ जाय या किसी प्रकार का संकट आ जाय, हम सेना की सहायता लेते हैं, उस सहायता के सम्बन्ध में दबी जुबान से उसकी आलोचना करना और कहना कि उनका उपयोग केवल वहीं पर हुआ है जहां पर राजनैतिक आधार पर लाभ दिया जा सकता था। राजनैतिक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लाभ बाढ़ से नहीं मिलता, राजनैतिक लाभ अकाल से नहीं मिलता, राजनैतिक लाभ अगर लेना है राजनीति के आधार पर ही लेना पड़ेगा, अकाल और बाढ़ को इसमें बीच में लाने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर भी सदन को आश्वासन देता हूं कि इन लोगों को सहायता देने में किसी भी प्रकार की राजनीति को लाने की न तो मेरी चेष्टा है और न मैं आने दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल ही तब शिवचरण जी माथुर और पहाड़िया जी वापस आये, मैंने कल ही इन को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर मैंने उनसे कहा कि आप उस क्षेत्र में जाकर आये हैं मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। आप यदि सुझाव देंगे तो उन सुझावों पर बैठकर चर्चा करेंगे और एक इस तरह का मिलाजुला कार्यक्रम बना सकेंगे जिसमें राजनीति जो कुछ भी बची हुई है, वह राजनीति भी लेशमात्र भी न रहे। मैं तो इस भावना से काम कर रहा हूं और वह राजनीति की बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूं जो कुछ भी सरकार ने किया है और जो सरकार आगे करना चाहती है, परसों मेरी इस विषय पर चर्चा होगी मैं विस्तार से सदन के सामने रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास (अनुपस्थित)

श्री हीरासिंह चौहान । (व्यवधान)

The debate is closed. I won't allow. Now, I don't allow. Mr. Hetramji, I say, I don't allow.

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आचार्यों के पद स्थायी करने हेतु

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो विश्वविद्यालय में कार्यरत उप प्राचार्य हैं, उनके बारे में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। दरअसल में यह शुक्रवार के दिन रखा गया था और शनिवार रविवार को उदयपुर में उदयपुर विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक भी हुई थी उसके लिए महत्वपूर्ण था लेकिन आज भी इसको विशेष उल्लेख के लिए रखा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन....

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकारा था, आप नहीं थे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : साहब व्यवधान तो बन्द हो। मैं तो पढ़ रहा हूं। (व्यवधान) माननीय, मैं कैसे पढ़ूंगा, जब सदन में शान्ति होगी तब पढ़ूंगा, मैं क्यों पढ़ूं।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ते जाइये। आप का पढ़ा हुआ आ जायेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : साहब पढ़ा हुआ तो आ जायेगा लेकिन मैं....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ते जाइये। माननीय हीरासिंह जी आप पढ़िये। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। आप पढ़िये अब आप।

श्री हीरासिंह चौहान : निवेदन है

(श्री हीरासिंह चौहान)

सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में 27 सहायक आचार्य तदर्थ रूप से कार्यरत हैं जिन्हें कम से कम दो शैक्षणिक सत्र अधिकतम पांच शैक्षणिक सत्र पूरे हो चुके हैं तदर्थ सहायक आचार्यों के पदों पर नियुक्ति के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार से थी जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था :-

Master's degree in relevant subject with atleast 55% marks or its equivalent grade and good academic record.

Explanation : For determining 'good-academic-record', the following criteria will be adopted :

i. A candidate holding Doctor of Philosophy/Master of Philosophy degree should possess at least IInd class Master's degree, or

ii. A candidate without a Doctor of Philosophy degree should possess a high IInd class Master's degree and IInd class in Bachelor's degree, or

iii. A candidate not possessing Ph. D. degree but possessing IInd class Master's degree should have obtained Ist class in the Bachelor's degree.

पिछले वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए पुनः परिवर्तन किया था जो निम्न प्रकार से है :-

i. Master's degree in the relevant subject with atleast 55% marks.

ii National Educational Test/Junior Research Fellowship/Lecturership. के लिए आयोजित परीक्षा हेतु योग्यता सम्बन्धी विवरण इस प्रकार दिया 55 percent marks in Master's degree only तथा जिन्होंने Junior Research Fellowship की परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा Master of Philosophy/Doctor of Philosophy हो इन्हें इस परीक्षा में बैठने की छूट दी गई जिसका तात्पर्य यह है कि 55 प्रतिशत अंक Master's degree के साथ National Educational Test / Junior Research Fellowship/Master of Philosophy/Doctor of Philosophy ही योग्य है तथा good academic record सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं किया गया है इससे यह स्पष्ट है कि good academic record जो पूर्व निर्धारित था वही रहेगा, जो इस प्रकार से था :-

i. 55% marks in Master's degree with Master of Philosophy/Doctor of Philosophy.

ii. 55% marks Master's degree with second class Bachelor's degree. परन्तु सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की शैक्षणिक परिषद् ने इस वर्ष सहायक आचार्यों के पद हेतु योग्यता सम्बन्धी मानदण्ड निर्धारित किये हैं वो विश्वविद्यालय

(श्री हीरासिंह चौहान)

अनुदान आयोग से भी उच्च तथा निम्न स्तर के निर्धारित किये गये हैं जो हर प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए हैं, उससे भी भिन्न प्रकार के यहां उससे भी अधिक योग्यताए चाहियेगी, जो इस प्रकार है :-

i. 55% marks in Master's degree in the relevant subject with good academic record, that is, throughout second class career.

ii. National Education Test/ Junior Research Fellowship/Master of Philosophy/Doctor of Philosophy.

इस प्रकार की योग्यता सम्बन्धी मानदण्ड राजस्थान तथा भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं है ऐसी स्थिति में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्त सहायक आचार्य योग्य होते हुए भी अयोग्यता के पात्र बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में नियुक्त तदर्थ सहायक आचार्यों के साथ अन्याय हो रहा है।

अतः निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान मैं 295 में विशेष उल्लेख के जरिये चाहता हूं :-

1. क्या विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अतिरिक्त मानदण्ड तय करने का अधिकार रखता है जबकि सेवा शर्तें सभी जगह समान होती है ?

2. क्या एक बार तदर्थ रूप से इन पदों पर नियुक्त सहायक आचार्यों के भर्ती सम्बन्धी मानदण्डों को प्रतिवर्ष बदलना उन के साथ मानवीय आधार पर उचित होगा?

3. राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं ? फिर इस विश्वविद्यालय को भिन्न प्रकार का मानदण्ड करने का अधिकार है ?

4. क्या सुखाड़िया विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कोन्सिल का नया निर्णय वहां कार्यरत तदर्थ सहायक आचार्यों के प्रति द्वेष पूर्वक किया गया है ?

5. यदि तदर्थ सहायक आचार्य अयोग्य थे तो उनसे इतने वर्षों तक अध्यापन कार्य क्यों करवाया गया ?

राजस्थान राज्य में समस्त विश्वविद्यालयों में कितने तदर्थ सहायक आचार्य कार्यरत हैं उन्हें सरकार के स्थाई करने के संदर्भ में क्या नीति निर्धारित की जा रही है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के तथा राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के समान आधार तय कर तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत सहायक आचार्यों की सेवाओं को स्थाईकर के उच्च शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता लाने में सहयोग करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम। पढ़िये आप। पढ़िये आप पढ़िये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति नहीं देंगे तो नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये। आर्डर प्लीज। आप पढ़िये। पहले यह पूरा होने दीजिये जो काम हाथ में लिया गया है।

(4.12 म.प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

पी.बी.एल. अस्पताल में श्रीमती जशोदा की मृत्यु

श्री किशनाराम : सभापति महोदय, श्रीमती जसोदा पत्नी श्री पोखरमल सिंधी उम्र 33 साल निवासी डूंगरगढ़ को दिनांक 17.6.90 को पी.बी.एम. अस्पताल बीकानेर में भर्ती कराया गया था जिसके पहले से ही पांच बच्चे थे। प्रेगनेन्ट अवस्था में उसको 17.6.90 को भर्ती कराया गया जिसके जिस्म का एक्स रे वगैरह टेस्टिंग होने के बाद 19.6.90 को पेट का ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला गया। 26.6.90 को श्रीमती जसोदा की मृत्यु हो गई। ऑपरेशन के बाद श्रीमती जसोदा होश में नहीं आई व उसके शरीर का तापमान 104 या 105 डिग्री से कम नहीं हुआ। श्रीमती जसोदा की मृत्यु रूपम कालरा की लापरवाही से हुई है जिसकी अविलम्ब जांच करवाई जाय। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है अत: माननीय सभापति महोदय, मांग करता हूं कि इस मामले में सदन में चर्चा की अनुमति दी जाय। सभापति महोदय, इसकी रिपोर्ट के बाद जब मैंने जानकारी की तो उन्होंने कहा कि खून का ग्रुप नहीं मिलने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। यह डाक्टर की रिपोर्ट है। इसलिये मैं विभाग से चाहूंगा कि सात दिन के अन्दर इसकी जांच करा कर नियमित जांच आने के बाद कार्यवाही अविलम्ब पुलिस में कराई जाय। यह जो मृत्यु हुई है, डाक्टर की लापरवाही से हुई है, इसकी ताजा रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिये दे रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल इन्दोरा।

गंगानगर जिले में सड़कों का निर्माण

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत कृषि उपज मंडी समिति श्री गंगानगर की सड़कों के सम्बन्ध में।

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सरकार का ध्यान उपज मंडी समिति श्रीगंगानगर की सड़कों की तरफ लाना चाहता हूं। यह है कि कृषि उपज मंडी समिति श्रीगंगानगर की निम्न सड़कें—

1. महियां वाली से लढावाली 4 कि.मी.,
2. 19 जी. जी. से 21 जी. जी. (दुर्गवाला) 5 कि.मी.,
3. दुल्हापुर केरी से रेणुका 4 कि.मी.,
4. श्री करणपुर रोड से 15 जेड. आधा किलोमीटर,
5. हिन्दुमल कोट रोड से 3 वाई. डेढ़ किलोमीटर,
6. हिन्दुमल कोट रोड से खाटलबाना आधा किलोमीटर,
7. हिन्दुमल कोट रोड से कालीयां आधा किलोमीटर,
8. ढिगांवाली जाटान से सुलेमान की हैड 3 किलोमीटर.

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

जिनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां 6 माह पूर्व से ही मिल गई थी और विभाग ने कार्य करने की स्वीकृति भी ठेकेदार को दे दी थी उसके बावजूद भी इन सड़कों का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इन सड़कों का कार्य निश्चित समयावधि में करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकिशोर सैनी।

बसवा पी.एच.सी. में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री रामकिशोर सैनी : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बसवा पी. एच. सी. में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना।

मान्यवर, निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई के बसवा पी. एच. सी. में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच चुका है। बसवा पी एच सी में एक डॉ. के. सी. मीणा कार्यरत हैं जो कभी कभी ही अस्पताल में आते हैं। उनका अधिकांश समय बसवा से बाहर जयपुर में व्यतीत होता है लेकिन उनका हाजरी रजिस्टर उनकी उपस्थिति पूरे महीने दर्शाता रहता है। डा. के. सी. मीणा की पत्नी जो कोई डाक्टर नहीं है लेकिन उन्होंने अस्पताल में ही एक कमरे में प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है। डा. मीणा तो अस्पताल में रहते नहीं हैं और मरीजों को डाक्टर की पत्नी अपने क्लिनिक में ले जाती है, उनका इलाज करती है और मरीजों से मनमाने पैसे वसूलती है। कभी कभी नये मरीज जब यह कहते हैं कि यह तो राजकीय अस्पताल है, पैसा किस बात को तब डाक्टर की पत्नी यह कहती है अस्पताल तो उस कमरे में है और वहां डाक्टर नहीं है मैं तो अपना प्राइवेट कार्य करती हूं। पुराने मरीजों को तो यह व्यवस्था मालूम है। इस अस्पताल का दुर्भाग्य इसी के साथ समाप्तनहीं हो जाता है। इस अस्पताल में श्रीमती विमला चतुर्वेदी जो नर्स के पद पर लगी हुई है, जो अस्तपालमें डिलीवरी न करा कर अपने कमरे में डिलीवरी कराती है और लोगों से अनाप शनाप पैसा वसूल रही है। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बसवा पी. एच. सी. में कुछ स्थानीय व्यक्ति कार्यरत हैं जो अस्पताल में कार्य न कर अपने घर पर ही अस्पताल बना कर कार्य कर अनुचित लाभ ले रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं।

इसी के साथ मैं यह भी सदन को बताना चाहूंगा कि डा. के. सी. मीणा को जब वहां के सभ्य नागरिकों ने अस्पताल में रह कर मरीजों का इलाज करने के लिये कहा तो डा मीणा ने उन व्यक्तियों के साथ मारपीट की और अपने प्रभाव से उन व्यक्तियों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी। बसवा पी.एच.सी. में आज इस तरह का माहौल बन गया है कि वहां आज एक भी मरीज नहीं जाता है। बसवा की जनता ने चिकित्सा अधिकारी, मंत्री महोदय आदि को तार द्वारा सूचना भी दे दी है लेकिन अभी तक बसवा की जनता को किसी भी तरह की राहत प्रदान नहीं की है।

मैं इस प्रस्ताव के अन्तर्गत यह निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त अस्पताल की जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर बसवा की जनता को राहत प्रदान करें

(श्री रामकिशोर सैनी)

व अस्पताल को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का कष्ट करें।

श्री सभापति : माननीय श्री अमृतलाल परमार।

पंचायत समिति, बाली में सरकारी इमारतों की जर्जर हालत

श्री अमृतलाल परमार : माननीय सभापतिजी, नियम 295 के तहत बाली पंचायत समिति के जे. ईएन. मूलचन्द सुथार को अविलम्ब हटाने बाबत।

मान्यवर, कांग्रेस सरकार में मैं स्वयं गांव भीटवाड़ा की शिकायत पर गांव में गया था तो गांव के सम्मुख गेहूं की बोरियां पकड़वाई थी तथा इन्दिरा आवासीय योजना के तहत जो मकान बनाये गये थे व जो टूट रहे थे व चूना गिर रहा था तब मैंने गांव के सम्मुख गांव वालों का बयान कराया व इसकी रिपोर्ट व शिकायत कलेक्टर पाली, माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत व सुश्री पुष्पाजी को भेजी थी व अखबारों में यह बात छपी थी उसमें भूतपूर्व सरपंच श्री शक्ति था परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी मैं 30.6.90 को बाली को ठंड की ढाणी पर स्कूल का उद्‌घाटन करने गया था उस दिन बारिश हुई थी। बारिश कोई खास नहीं हुई उसके बावजूद स्कूल के छज्जे गिर गये, चूना गिर गया उस स्कूल का। यह सारा काम जवाहर योजना के तहत हुआ था।

पूरी छत से पानी पड़ रहा था तथा इस भयकर वर्षा में और छज्जे पड़ गये। स्कूल में पीछे की खिड़कियों से पानी भर गया और पानी बाहर बहने लगा। स्कूल को खतरा पैदा हो गया। इसी प्रकार बाली में ही बाली सेसली मार्ग के बीच जवाहर योजना के तहत बनी स्कूल की हालत अत्यन्त खराब है। वहां भी स्कूल का चूना गिर रहा है। स्कूल कभी भी पड़ सकती है। बच्चों को नुकसान हो सकता है। ऐसी हालत में अविलम्ब जांच की जाये। इसी प्रकार बाली विधान सभा क्षेत्र में ही सेवाड़ी ग्राम के पास गिरासियों के गांव पीपला में भी जवाहर योजना के तहत स्कूल 6 माह पहले बनी है, स्कूल की हालत बहुत खराब है। स्कूल का चूना गिर गया। स्कूल में पानी पड़ रहा है। स्कूल के खिड़कियां दरवाजे नहीं हैं। न ही पूरा फर्नीचर है। इसकी भी जांच की जाय। पूर्व में अभी दस दिन पहले शिकायत मंत्री महोदय जी को मैंने स्वयं व मेरे साथ देसूरी क्षेत्र के विधायक श्री अचलाराम जी एवं खारची क्षेत्र के विधायक श्री खंगारसिंह जी ने की थी। लिखित पत्र दिया था तब माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आज ही मूलचन्द सुथार पंचायत समिति बाली के जे. ईएन. को हटाकर अविलम्ब जांच कराई जायगी। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः मेरी मांग है कि, मंत्री महोदय, इसकी जांच की जावे और जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही जाये और उनको हटाया जाये।

सूचना

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। सभापति महोदय, हमारे जो विधान सभा के उपाध्यक्ष हैं, वह अस्पताल में भर्ती हैं। हमें यह सूचना मिली है कि

(श्री हेतराम बेनीवाल)

वह किसी एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। सही जानकारी हाउस को दी जाय कि उनकी क्या स्थिति है और किस हालत में वह अस्पताल में लाये गये हैं। बड़ी चिन्ता है क्योंकि हाउस को छोड़ कर जा नहीं सकते, अभी मुझे इत्तला मिली है कि उनकी हालत काफी गम्भीर है।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, आपने कहा, चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में मैंने जानकारी की है। वह इमरजेंसी में हैं और कोई ऐसी बात नहीं है जो खतरे की हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह एक्सीडेंट हुआ, तीन बजे एम्बुलेंस गई है....

श्री दिग्विजय सिंह : अभी मैं तो मौजूदा बता रहा हूं, आप कानून की बात तो बाद में करना। सभापति महोदय, जो सदन को जानकारी देने वाली बात है, वह यह है कि अभी वह स्वस्थ हैं और मैंने खुद इमरजेंसी में डाक्टर से बात की है। उन्होंने कहा, अभी स्वस्थ हैं और शाम को एक्स-रे होगा उसके बाद मालूम करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 6 बजे तक तो आपकी एम्बूलेंस अवेलेबल नहीं थी। यह व्यवस्था है।

श्री दिग्विजय सिंह : एम्बूलेन्स अवेलेबल थी, आपकी जानकारी नहीं है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

विद्याधर नगर आवासीय योजना में अतिक्रमण

श्री सभापति: श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं जयपुर नगर में विद्याधर नगर आवासीय योजना में 1987 में कुछ लोगों को योजना के सेक्टर नं. 3 और 4 में लाटरी द्वारा कुछ भूखण्ड आवंटित किये गये थे और कुछ विवाद भी था उनके सम्बन्ध में जिसका फैसला होने के बाद जून, 1989 में करीब 80 लोगों को कब्जा दे दिया गया और 70 लोगों को कब्जा अभी तक नहीं दिया गया। माननीय मंत्री महोदय, जिन 80 लोगों को कब्जा दिया गया उनके मकानों पर भी अवैध अतिक्रमण कर के लोगों ने नाजायज मकान बना लिये और जिनके भूखण्ड आपने आवंटन किये, जिनको कब्जा दे दिया, पैसे जमा करा लिये उन्होंने प्राधिकरण में बार-बार निवेदन किया कि हमारे भूखण्डों पर इस प्रकार असामाजिक तत्व लगातार, जोर-जबरदस्ती से जबरन हमारे भूखण्डों पर मकान बना रहे हैं और प्राधिकरण ने कोई सुनवाई नहीं की। आसके पास गये, आपने भी कोई सुनवाई नहीं की। मुझे बड़ा खेद है कि वह लोग मुख्य मंत्री जी के पास भी गये, मुख्य मंत्री जी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। बड़े दुःख के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिन लोगों का पैसा जमा हो गया, जिनको कब्जा दे दिया उनके भूखण्डों पर मार्च के बाद एक अभियान चला कर उनको बेदखल करके उन पर नाजायज निर्माण हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो जोन–6 के अधिकारी हैं उन्होंने जयपुर डी. जी. को पत्र लिखा और उल्लेख किया कि इस कालोनी के सेक्टर 3 और 4 विद्याधर नगर में अतिक्रमण हो रहा है। इसको रोकने के लिए यहां पर पुलिस की स्पेशल गेंग लगाई जाय पर पता नहीं, यह आपकी

(श्री परसादीलाल मीणा)

शह से हो रहा है या आपकी पार्टी की शह से हो रहा है क्योंकि उन लोगों को आज तक न तो कोई पुलिस कैम्प किया गया और एक भी अवैध निर्माण को तोड़ने की अब तक जे.डी.ए. ने न कोई कार्यवाही की और उन लोगों को बिल्कुल बरबाद करने पर आपका जे.डी.ए. तुला हुआ है। इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही के कारण वह कब्जे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को आपने पट्टे दिये थे उन पर यदि अवैध निर्माण हो गया है तो उनसे उनका कब्जा हटा कर जिन लोगों को भूखण्ड आवंटन किये हैं उनका कब्जा कराया जाय और वहां पर जैसा कि जोन–6 के आफीसर ने पत्र लिखा कि वहां पर स्पेशल पुलिस का कैम्प लगाया जाय इस सम्बन्ध में आप क्या कहना है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है उसमें जो तथ्य आपने रखे हैं वह अधिकांश सही हैं सिवाय इसके कि वह मेरे पास आये और मैंने उनको सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया यह तो आपने राजनीति से प्रेरित होकर बात कही। वह मेरे से अत्यन्त सन्तुष्ट हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : जल्दी में हो क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : और बहुत सारे काम हैं ना। किन्तु आप तो वाक-आउट करोगे, कोप भवन में जाओगे और हम जायेंगे शाखा में।

इसलिए तथ्य इस प्रकार है कि 1982 में इस जमीन को अवाप्त किया गया और यह जे. डी. ए. के कब्जे में आ गई 82 में इसलिए कह रहा हूं कि 90 से पहले की बात है। 82 की बात बता रहा हूं और 82 के बाद वहां एक फौजी है जिनको सरकार ने इस जमीन को अलाट कर दिया वह अलाट करने के बाद उन्होंने पट्टे काट दिये, लोगों को जमीन दे दी। इधर से जे. डी. ए. ने भी पट्टे काट कर अलाटमेंट कर दिया, लोगों का पैसा जमा करा लिया। माननीय सदस्य, यह सब बातें बहुत वर्षों पहले की हैं। जब यह सवाल मेरे सामने आया मैं स्वयं मौके पर गया हूं और मौके पर जाकर अपना काम किया।

श्री कालीचरण सराफ : कब का है, अपनी सरकार का है या पहले का है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, बहुत वर्षों पहले का है वह खुद ही कह रहे हैं कि कई वर्षों से दुःखी हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अवैध निर्माण तो मार्च, 1990 के बाद शुरू किया है। उनको कब्जा 89 में दिया है....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे को तो बोलने दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : यह सारे अवैध कब्जे कांग्रेस की सरकार में हुए हैं और चुनावों में फायदा उठाने की दृष्टि से एक भी कब्जे को नहीं तोड़ा। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप गरीबों के लिए नहीं हो, गरीबों को दबाने के लिए हो। सब आपकी शह से हो रहा है यह काम....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : 1982 का मामला उठा रहे हैं, 8 साल कहां गये थे। अब तक सो रहे थे आप ? आप खुद इसमें इन्वाल्व हो....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप लोगों को जो पूछना है, बाद में पूछिये। माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनिये।

श्री परसादीलाल मीणा : आप मंत्री बनें तो जवाब देना। आपका +++ नहीं है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : खुद ही कब्जे करा रहे हो, खुद ही अवैध निमाण करा रहे हो और खुद ही सवाल पूछ रहे हो। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : गरीब आदमी को भूखण्ड आवंटन होने के बाद भी निर्माण नहीं करने देते हो, उस पर अवैध कब्जा कराते हो। यह सब आपकी शह से हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी का उत्तर तो सुनिये।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, मुश्किल तब होती है जब दोनों तरफ विपक्ष बैठ जाता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य जिस भावना से आपसे प्रश्न उठाया है, उसी भावना से आप इसको लीजिए। इसमें राजनीति मत डालिये। कब्जा और अवैध निर्माण आपके जमाने में हुआ। जो हो गया उसको विषय मत बनाइये। (व्यवधान)

इसलिए माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वास्तव में जिन लोगों को प्लाट हुआ है उनके लिए, आपको संवेदना करनी चाहिए। आप बार-बार बोलते हैं तो उनका कोई हल नहीं निकलेगा।

एक माननीय सदस्य : उधर से नहीं बोलेंगे, यह कह दें आप तो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इनके नेता की परम्परा डाली गई है उसी व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ करने की कोशिश करें। हमें याद है, शिवचरण जी यहां पर जवाब दे रहे थे, भैरोंसिंह जी ने 57 बार टोका था। आप तो पांच बार टोकने से ही....

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे आपत्ति नहीं है, अगर वही कम्पीटीशन है तो कर लीजिए। पर आप इस समस्या के लिए ईमानदारी से बात नहीं कर पायेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्री महोदय, पहले जो कुछ हुआ सो हुआ, पर मामला गम्भीर है....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आई-एग्री विद यू। मैं खुद यही कह रहा हूं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने माननीय सदस्यों को जरा अनुशासित रखें।

श्री सभापति : आप तो बिराजिए।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : इधर तो मुख्य सचेतक मैनेज कर लेंगे, उधर क्या होगा ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, यह सीकर का मामला नहीं है। यह जयपुर के विषय में बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : राज उधर सीकर से ही होकर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत हूं कि जो कुछ हुआ सो हो गया, अब नाजायज कब्जे भी हो गए। आपने नाजायज निर्माण भी करवा दिए। मकान नहीं भी दिए, कब्जे भी नहीं करवाये, छोड़िये उसको। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए ? जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं, जिन्होंने पैसे जमा करवा दिए और धक्के खा रहे थे वर्षों से, चाहे जे. डी. ए के. खा रहे थे या किसी मंत्री के यहां खा रहे थे। अब वे मेरे पास आये हैं। मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। मैंने फाइल देखी है। इस फाइल में रेवेन्यू बोर्ड में यह मैटर गया हुआ है। जिस व्यक्ति ने वहां पर जमीन पर खातेदारी होने के नाते जो कब्जा कर भी रखा था नाजायज, वह व्यक्ति आज रेवेन्यू बोर्ड में गया हुआ है और रेवेन्यू बोर्ड से यह आदेश दिये हुए हैं कि जब तक निर्णय नहीं हो जाए, तब तक हम इस सम्पत्ति का ट्रान्सफर नहीं करे। ऐसे कुछ आदेश हैं। अब मेरा यही निवेदन है आपसे कि जब तक रेवेन्यू बोर्ड का फैसला नहीं हो जाता है तब तक इन गरीबों को राहत मिलना मुश्किल है। हम दो काम करना चाहते हैं एक तो रेवेन्यू बोर्ड में जाकर वह फैसला हमारे खिलाफ भेजते हैं उसको जल्दी से जल्दी निरस्त करवा कर जे. डी. ए. वस्तुस्थिति में आ जाए तो आगे की कार्यवाही कर सकते हैं, एक काम तो मैं यह करूंगा। दूसरा जो माननीय सदस्य अलॉटीज हैं वे आज ही सुबह मेरे से मिले थे, मैंने दो विकल्प उनके सामने रखे हैं। यदि आप यह समझते हो कि हमारी इस योजना से संतुष्ट नहीं हो, चाहे यह हमारी पुरानी सरकार की गलती रही हो हमारी नहीं हो, तो आप रुपये वापस ले लीजिए। हम उनको रुपये वापस दे देंगे और वे लेंगे या हमारी अगली योजना में कहीं भी जो बनेगी उसमें यदि वे वहां जाना चाहेंगे तो हम उनको इस प्लाट की जगह वह प्लाट दे देंगे। तीसरा रेवेन्यू बोर्ड से हमारा फैसला जल्दी हो गया तो इन्हीं प्लाटों पर फिर उनको कब्जा देने की कोशिश करेंगे। ये दो-तीन बातें मैंने सोच रखी है और लगातार मेरे सम्पर्क में भी है। 24 तारीख को विधानसभा की बैठकें समाप्त हो जायेगी। 25 तारीख के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से इस काम को निश्चित रूप से पूरा करने वाला हूं, इसकी चिन्ता मुझे बहुत ज्यादा है। जब वे मेरे सामने आते हैं मुझे बड़ा रहम आता है मैं समझता हूं कि वह सरकार कितनी निर्दयी थी जो इन सब को तड़फाया है। मैं निश्चित रूप से यह इन्तजाम करने वाला हूं, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब तक रेवेन्यू बोर्ड का फैसला होगा, तब तक वे सारा निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे, उसको रोकने की सरकार कोई कार्यवाही कर नहीं रही है। यदि रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हो भी जायेगा तो

(श्री परसादीलाल मीणा)

आप उनको क्या लाभ दे सकते हैं ? पहला प्रश्न तो मेरा यह है। दूसरा मेरा यह है कि जिन 70 लोगों को तो आपने कब्जा ही नहीं दिया है या 80 लोगों को कब्जे दे दिए। तो आपके जे.डी.ए. के अधिकारियों ने कब्जे उनको मौके पर दिए या कागजों में दिए ? और तीसरा मेरा प्रश्न है कि जब आपके जे. डी. ए. के अधिकारी ने वहां के जयपुर शहर के एस.पी. को एक पत्र लिखा कि वहां पर स्पेशल कैम्प लगाया जाकर अवैध निर्माण को रोका जाए। 31.3.90 को यह पत्र लिखा। क्या आपने इसके बाद कोई ऐसी कार्यवाही की जिससे लगता हो कि अवैध निर्माण रुका ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, यह आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अवैध निर्माण वहां पर हो गए और इसलिए यह कहना कठिन होगा कि जब जे. डी. ए. ने उनको जो कब्जा दिया था, उस जमाने में केवल गरीबों को कागज में दिया गया था। केवल कागजों के अन्दर दिया गया था जमीन का कब्जा नहीं करवाया गया था। यदि उस समय कब्जा करवा देते तो आज यह संकट खड़ा नहीं होता। हमको आज इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। पर खैर आपने नहीं करवाया। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि आज मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि यदि आप लोगों का हाथ उसमें पीछे नहीं होगा तो आज के बाद अवैध निर्माण नहीं होने दूंगा। अगर आप साथ दें तो....

श्री परसादीलाल मीणा : हमारा हाथ तो बिल्कुल नहीं होगा। आपके सहयोगियों का हाथ तो रहेगा या नहीं रहेगा यह उनसे पूछो। हमारा हाथ तो बिल्कुल नहीं होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : You don't support them.

श्री परसादीलाल मीणा : आज भी गरीबों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। यह सारे कब्जों की कार्यवाही मार्च से लेकर अब तक आपने रोके रखी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब मैंने कहा चलो इसको छोड़िए। मैं तो आज कहता हूं....

श्री परसादीलाल मीणा : इनको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं कह रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : यह बताओ न कि जे. डी. ए. ने रोकने के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं कह रहा हूं न आपको, आज के बाद अब कोई अवैध निर्माण इन स्थानों पर नहीं होगा। बशर्ते क्योंकि मैं वह बात कहना नहीं चाहता था, कि उन्होंने मुझे आकर क्या कहा ? क्या इशारा किया, क्या गड़बड़ हुई ? कई लोगों के नाम लिये उन्होंने। मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता....

श्री परसादीलाल मीणा : यदि मान लो रेवेन्यू बोर्ड का फैसला आपके माफिक हो जाता है तो क्या आप उस अवैध निर्माण को तुड़वायेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सरकार पहले जैसी ऐसी+++सरकार नहीं है। यह बहुत मजबूत सरकार है और निर्णय कर देंगे, आप चिन्ता मत करो

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री सभापति : माननीय श्री घासीलाल चौपड़ा। 295।

टोडारायसिंह में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा तहसील टोडारायसिंह में चारागाह भूमि पर होने वाले कब्जा काश्त रोकने हेतु। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि तहसील टोडारायसिंह कई पंचायतों कई ग्रामों में कुछ शक्तिशाली लोगों ने चारागाह पर जबरदस्ती लाठी, तलवार के बल पर पिछले पांच सालों से काश्त करते आ रहे है। इस मामले में सम्बन्धित सरपंच ने चारागाह पर अतिक्रमण करके काश्त करने के लिए राजस्व अधिकारियों को लिखकर निवेदन किया लेकिन तहसीलदार व उप जिलाधीश महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा चारागाह लगातार काश्त होता रहा। विशेष तौर से पिछले ग्राम पंचायत अरियाली के ग्राम बाहेडा, मोतीपुरा में कुछ शक्तिशाली लोगों ने चारागाह काश्त कर लिया। अरियाली पंचायत के सरपंच ने तहसीलदार टोडारायसिंह को रिपोर्ट की तथा फसल कुर्की के आदेश कर दिये। अतिक्रमियों ने तहसीलदार के आदेश की अपील की तो तत्कालीन श्री जिलाधीश महोदय श्री सहाय साहब ने फसल कुर्की व सजा के आदेश मिलीभगत करके रोक दिये। इसी प्रकार दूसरी पंचायत के लोगों के हौसलें बढ़ गये क्योंकि चारागाह काश्त करने वाले चारागाह काश्त कर के सैकड़ों क्विण्टल सरसों पैदा करते हैं जिससे उनके हौसलें बुलन्द हो जाते हैं। इस निम्न ग्राम पंचायतों के निम्न ग्रामों में इस साल के लोगों ने नया चरागाह काश्त करना शुरू कर दिया है इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत दाबडदूम्बा में ग्राम पंचायत रीडल्या, रामपुरा के ग्राम पन्द्राहैडा, पंचायत अरियाली के ग्राम बाहेडा, पंचायत बरवास के ग्राम चूली, छान, नया गांव अन्य कई ग्रामों में खुले आम ट्रैक्टरों से चारागाह काश्त करना शुरू कर दिया सभी ग्रामवासियों ने चारागाह काश्त करने वालों को जाकर रोका भी लेकिन वे लोग शक्तिशाली लोग है। लाठी व तलवार की ताकत से काश्त करते हैं। तथा वो लोग सभी बड़े काश्तकार है। उदाहरण के तौर पर ग्राम पन्द्राहैडा में कुछ शक्तिशाली लोगों ने दिनदहाड़े लाठियों व तलवारें ले जाकर ट्रैक्टरों से काश्त कर लिया तथा बरीब ग्राम वासियों ने वहां के सरपंच, पंचों ने जाकर चारागाह काश्त करने पर रोका गया तो नहीं माने व कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर ट्रैक्टर चला देंगे। इस मामले में वहां के सरपंच ने पत्र लिखकर मुझे चारागाह काश्त करने की सूचना भिजवाई है।

अतः माननीय आपके माध्यम से

+++शब्द/माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घासीलाल चोपड़ा)

श्रीमान् राजस्व मन्त्री महोदय, से निवेदन करता हूं कि तहसील टोडारायसिंह में ग्राम दाबड, दूब, टोपा, ग्राम बाहेडा ग्राम पन्द्राहैडा, ग्राम घड़ोली, ग्राम बरवास ग्राम छान, नया गांव, चूली आदि गांवों में जहां चारागाह काश्त किया जा रहा है उसको रोकने के लिए सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को आदेश देकर तुरन्त प्रभाव से रोकने के आदेश देने की कृपा करें। वरना जनता में आक्रोश फैला हुआ है। सो आपस में कोई भी दुर्घटना घट सकती है।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन लाल जी सैनी।

श्री मनीराम सियाग : सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। श्री घासीलाल जी के बाद मेरा कार्यसूची में नाम था।

श्री सभापति : आयेगा, आपका भी।

श्री सम्पतसिंह : श्री सैनी जी भी मंत्री हैं क्या ?

शेखावाटी में निजी शिक्षण संस्थाओं में भ्रष्टाचार

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं नियम 295 के तहत लोकहित में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान शेखावाटी अंचल में चलने वाले निजी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा दुर्भावनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमान्, शेखावाटी अंचल के झुन्झुनू जिले में कई निजी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, इन शिक्षण संस्थाओं में कई महाविद्यालय भी हैं। झुन्झुनू जिले में सभी महाविद्यालय निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। इन शिक्षण संस्थाओं को राजकीय अनुदान भी दिया जाता है। इन अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में झुन्झुनू शहर के सेठ मोतीलाल कालेज का स्थान सर्वाधिक प्रमुख है। सेठ मोतीलाल कालेज में पिछले वर्षों में अनेक अनियमिततायें तथा प्रबन्ध समिति द्वारा अध्यापकों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार एवं पक्षपात की अनेक शिकायतें सामने आई हैं। इस सम्बन्ध में पीड़ित शिक्षकों द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया जाता रहा है। महाविद्यालय में अनुदान नियमों तथा राज्य सरकार के नियमों की निरन्तर अवहेलना हो रही है। यह महाविद्यालय जिला केन्द्र का एक प्रमुख महाविद्यालय होने का लाभ उठाकर कार्यरत शिक्षकों को निरन्तर उत्पीड़ित कर रहा है। इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों एवं अनियमितताओं की ओर आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर सभापति जी, राजनीति विज्ञान में प्राध्यापक श्री सी. पी चतुर्वेदी ने महाविद्यालय में तीन वर्ष कार्य किया, परिवीक्षा अवधि भी पूर्ण की लेकिन बिना नोटिस, चार्जशीट एवं चेतावनी दिये ही उन्हें नियम विरुद्ध, मनमर्जी एव अवैध रूप से नौकरी से निकाल दिया। इस विषय में कोई जांच या प्रक्रिया नहीं अपनाई गई जो कि श्री चतुर्वेदी के साथ घोर

(श्री मदनलाल सैनी)

अन्याय था। कालेज की प्रबन्ध समिति में राजकीय प्रतिनिधि तथा महाविद्यालय का एक प्रतिनिधि नीति विषयक एवं नियुक्ति सम्बन्धी सम्बन्धों के प्रसंग में उपस्थित रहना आवश्यक होता है। लेकिन महाविद्यालय में कभी ऐसे आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया जाता। श्री चतुर्वेदी को हटाने के लिए जो बैठक 29 जुलाई, 89 को बुलाई गई उसमें राजकीय प्रतिनिधि के रूप में श्री कल्याण कालेज, सीकर के प्राचार्य मौजूद थे। राजकीय प्रतिनिधि के अनुसार श्री चतुर्वेदी को सेवा से पृथक करने का निर्णय बैठक में उनके समक्ष नहीं लिया गया। राजकीय प्रतिनिधि ने इस नियम विरुद्ध निष्कासन के सम्बन्ध में निदेशक, कालेज शिक्षा को भी जानकारी दी। निदेशक ने भी श्री चतुर्वेदी की सेवामुक्ति को अवैध ठहरा कर सेवा में लेने के लिए लिखा, लेकिन निदेशक के निर्णय की भी कालेज प्रशासन ने अवहेलना की। श्री चतुर्वेदी द्वारा उच्च न्यायालय से लिए गए स्थगन आदेश को भी कालेज प्राचार्य ने स्वीकार नहीं किया।

श्रीमान्, इसी महाविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका श्रीमती डॉ. अल्पना सैनी प्राचार्य की नारी लिप्सा का शिकार होने से तो बच गई लेकिन प्राचार्य द्वारा अन्यान्य तरीकों से उन्हें तंग किया जा रहा है। चार वर्ष तक कार्य करने के बाद भी वे अभी तक अस्थायी रूप से ही कार्य कर रही हैं। डॉ. सैनी अपने परिवार से दूर रहकर अध्यापन कार्य कर रही हैं। लेकिन प्राचार्य ने डॉ. सैनी को झुकाने के लिए मई, 1989 से फरवरी, 90 तक 9 माह का वेतन भी बिना किसी कारण के नहीं दिया। प्राचार्य ने डॉ सैनी के चरित्र हनन के बारे में भी इधर-उधर चर्चा की तथा उन्हें डराने-धमकाने, असामाजिक तत्वों द्वारा अपमानित करने के भी प्रयत्न किये। डॉ सैनी भी प्राचार्य के षड्यन्त्रों से तंग आकर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर कार्यरत हैं। क्योंकि प्राचार्य द्वारा पूर्ण कार्यभार होते हुए भी नियम विरुद्ध उनका पद समाप्त करने का समय-समय पर प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर प्राचार्य ने कई अयोग्य व्यक्तियों को पूर्ण कार्यभार न होने पर भी अनुदान नियमों एवं राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध सेवा में रखा है। ऐसे लोगों को स्थाई करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं जिन्हें रोकना अत्यावश्यक है।

डॉ. बी. एन. शर्मा के साथ 40 वर्ष की निरन्तर सेवा के बाद भी प्राचार्य का व्यवहार पक्षपात पूर्ण रहा है। प्राचार्य स्त्रैण प्रकृति का व्यक्ति है। ऐसी शिकायतें महिला व्याख्याताओं ने की हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार रहे श्री शिवपूजन त्रिपाठी ने अपने समाचार-पत्रों में समाचार भी दिये हैं, जो शिक्षा जगत के लिए अत्यन्त शर्म की बात है। श्रीमती रेखा प्रकाश (प्रवक्ता अर्थशास्त्र) के मातृत्व अवकाश को भी प्राचार्य ने अमान्य कर दिया? उन्होंने प्राचार्य के उत्पीड़न से तंग आकर सशर्त त्यागपत्र दे दिया। महाविद्यालय में राज्य सरकार के निर्देशों से सभी महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव कराने के निर्देश का भी प्राचार्य ने उल्लंघन किया है। कॉलेज के विभिन्न फंडों में हो रही धांधली के प्रति विद्यार्थियों तथा सामाजिक

(श्री मदनलाल सैनी)

संगठनों ने कई बार आवाज उठाई है। लेकिन न प्राचार्य ने और न ही प्रबन्ध समिति ने इस ओर ध्यान दिया। यू. जी. सी. द्वारा दी जाने वाली पुस्तकालय के लिए राशि से घटिया व हल्की स्तर की पुस्तकें खरीदकर घोटाला किया गया है।

श्रीमान्, वर्ष 88 व 89 की कालेज को मिलने वाली अनुदान राशि को इसी वर्ष में खर्च करना था लेकिन उसका खर्च गलत किया गया जबकि भुगतान सत्र 89-90 में किया गया। यह आयकर नियमों की खुली अवहेलना है। इसकी जांच होना आवश्यक है। प्रबन्ध समिति में अभिभावक प्रतिनिधि के रूप में कालेज में कार्यरत अकाउन्टेन्ट को वर्षों से अभिभावक प्रतिनिधि बना रखा है जो कि नियम विरुद्ध हैं। शिक्षकों की जनवरी, 90 से अप्रैल, 90 की भविष्य निधि राशि भी जमा नहीं कराई गई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में भी प्राचार्य का भयंकर आतंक है। वर्षों से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अकारण हटाना परम्परा बन गई है। पहली बार महाविद्यालय के तीन प्राध्यापकों ने न्याय प्राप्ति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस कारण कॉलेज का शैक्षणिक स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है, विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है। परीक्षा परिणाम भी अनिश्चितता के कारण नीचे आते जा रहे हैं। जिला केन्द्र के प्रमुख एवं पुराने एकमात्र कॉलेज में इस प्रकार अनियमितताओं की अविलम्ब जांच की जाकर दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इस महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि को अविलम्ब बन्द करना चाहिए।

मान्यवर सभापति महोदय, आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान उपरोक्त बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहता हूं तथा मैं इस महाविद्यालय में हो रही अनियमितताओं की तुरन्त जांच करवाकर अनुदान राशि बन्द करने, प्रशासक नियुक्त करने तथा अन्य प्रभावी कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति जी, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची एवं मांग संख्या 42, उद्योग, मांग संख्या-43, खनिज के ऊपर विचार एवं उनके पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री सभापति : माननीय श्री नन्द-किशोर शर्मा।

किसानों को कृषि की नवीनतम जानकारी देने सम्बन्धी

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय सभापतिजी, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव । कृषि प्रधान देश भारत का कृषि विभाग अकर्मण्यता की ओर बढ़ रहा है । "उद्यमे ने ही सिद्धियंती कार्यारिणी नेह मनोरथी ।" जब काम नहीं करता है तो आदमी बेकार हो जाता है, यह बात वही कह सकता है जो ग्राम में रहता है । कृषि विस्तार कार्यकर्ता एवं कृषि अधिकारी क्रय-विक्रय समिति से खाद-बीज की रिपोर्ट लेकर अपना काम पूरा मान लेता है और मासिक रिपोर्ट दे देता है । सरकार से जो खाद-बीज, दवाई मिलती है उसे वितरण करना ही उनका कार्य है । उसमें भी भ्रष्टाचार होता है । खाद-बीज का समय साल में दो बार 15–15 दिन, कुल एक माह का समय होता है । बाकी समय करीब दस माह बेकार जाते हैं । यह विभाग जितना लाभकारी है उतना ही बेकारी की ओर जा रहा है । मेरी राय है कि इस विभाग में काम लेने की कोई अच्छी योजना बनानी चाहिए । इन्हें पंचायत समिति से, पंचायत से जोड़ देना चाहिए । कृषि विस्तार कार्यकर्ता पंचायत में ही रहें, अधिकारियों के भी कार्य बंट जाने चाहिए । सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि वह अपने मुख्यालय पर निवास करेंगे । अधिक अधिकारियों से अन्य कार्य भी लिये जा सकते हैं । जैसे प्रत्येक ग्राम की सिंचाई की सर्वे की योजना, जमीन की जांच, भू-जल की जांच, कृषि गोष्ठियों के बहुसंख्यक ग्राम पंचायत स्तर पर ही लगाने का काम, किसानों को कहां कितने बीज की जरूरत होगी, कहां से व्यवस्था की जायेगी, पंचायत समिति स्तर पर अच्छे किसानों के यहां अच्छे बीज अलग-अलग से पैदा करने की योजना, फिर गांवों में किस तरह से बंटने चाहिए, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए । अभी सदन में बीज निगम की दुर्दशा देखी है कि सोलह किलो की थैली बारह किलो की निकली । अन्त्योदयी परिवार को कृषि में कितनी सहायता किस प्रकार से मिलनी चाहिए, इसकी जानकारी कृषि विभाग को होनी चाहिए । बाढ़, पाला, प्राकृतिक प्रकोप और अन्य बीमारियों के समय किसान के खेत पर जाकर कृषि विभाग को काम करना चाहिए । सरकार को प्रेरित करना चाहिए कि किस प्रकार से उनकी मदद की जा सकती है । किसान को बीज-खाद अच्छा मिले और मिल जाये, यह व्यवस्था आवश्यक होनी चाहिये । स्वयं अपने सामने देशी खाद गांवों में कैसे बनाये, इसकी विधि बतानी चाहिए । कृषि के लिए आवश्यक सस्ते औजारों बाबत कृषकों को बतावें । सूखे क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र में किस तरह से पैदा हो, यह ध्यान रखें । सिंचाई तालाबों के बारे में समझाना चाहिए ।

ग्रामों के सिंचाई तालाबों में ग्राम के लोग श्रमदान भी करें । जमीन का कटाव कैसे रुके इसकी जानकारी किसानों को देवें । इन सब कामों को बंटवारे के अनुसार बांट देना चाहिए । कौन-सा पेड़ जलाऊ लकड़ी का है और कौन-सा पेड़ फल का है यह सब बातें कृषि विभाग के ऊपर डालनी चाहिए । कृषि के जिला अधिकारी एवं प्रांतीय अधिकारी भी इन कार्यों को देखने ग्रामों तक पहुंचने चाहिए । मवेशी गाय, बैल, बकरी की भी पूरी जानकारी ग्रामीण जनता को देनी चाहिए । दूध कैसे बढ़ सकता है, पशु नस्ल कैसे ठीक हो यह

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

सब जानकारी ग्राम स्तर पर देनी चाहिए। मेरा एक और सुझाव है कि पंचायत स्तर पर एक कृषि फार्म होना चाहिए जो ग्राम विस्तार अधिकारी को दें और वह उस पर परीक्षण कर सके। एक पंचायत स्तर पर होना चाहिए, एक पंचायत समिति के स्तर पर होना चाहिए उसमें कृषि विभाग के अधिकारी प्रेक्टिकल पैदावार करके दिखायें और वहां लागत से अधिक उपज की जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए और आदर्श खेती करके सबको दिखलाएं। उसको सभी किसान देखें।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित स्टेनोग्राफरों को नियुक्ति न देने के सम्बन्ध में

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान के बेरोजगार स्टेनोग्राफर्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हो चुके लेकिन जिन्हें आज तक सरकार ने नियुक्ति नहीं दी है। इसलिए ऐसे बेरोजगार जिन्होंने कितने परिश्रम से प्रशिक्षण प्राप्त किया और जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किया गया लेकिन इन स्टेनोग्राफर्स को आज तक सचिवालय में नियुक्ति नहीं दी गयी है। इसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। महोदय, निवेदन है कि दिनांक 15.5.1988 के राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने शासन सचिवालय जयपुर में स्टेनोग्राफर्स के पद पर नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला था जिसके तहत माह नवम्बर, 1988 में परीक्षा आयोजित की गयी थी। तत्पश्चात् माह मार्च, 1989 में इस परीक्षा का परिणाम घोषित कर आयोग द्वारा अभ्यार्थियों की समस्त आवश्यक कमियों को भी पूर्ण कर लिया गया था।

इस परीक्षा में हिन्दी माध्यम के लगभग 70 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था जिनमें से सामान्य श्रेणी के प्रथम 7 तथा मेरिट सूची के अन्त में लगभग 15 अभ्यर्थियों को ही सचिवालय में नियुक्ति दी गयी है। शेष लगभग 48 अभ्यर्थी चयन के 15–16 माह का समय निकल जाने के पश्चात् भी इन्तजार कर रहे हैं। आज वैसे ही इस कमर तोड़ मंहगाई से जीवन निर्वाह करना दुर्लभ हो रहा है। ऐसे समय में क्या स्थिति होती होगी और क्या गुजरती होगी उन परिवार वालों पर जिनके बच्चों ने अपना परिवार छोड़कर अन्यत्र डेढ़ वर्ष तक अथक परिश्रम से स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। इसके उपरान्त 2–3 वर्ष बाद राजस्थान की सर्वोत्कृष्ट निकाय राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जिनका चयन हुआ हो। ऐसे चयनित बेरोजगार व्यक्तियों को अब 15–16 माह का समय निकल जाने के बाद भी राजस्थान सरकार नियुक्ति देने में अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। चयनित व्यक्तियों में अनेक तो ऐसे हैं जिनकी आयु सीमा पूरी होने में कुछ ही समय रह गया है। जिनका भविष्य अधर-झूल में लटका हुआ है जब सम्बद्ध विभाग से सम्पर्क किया जाता है तो

(श्री रामस्वरूप मीणा)

ज्ञात होता है कि अधिकांशत: मंत्री महोदय ने सचिवालय के निर्धारित कोटे के निजी सहायकों को नियुक्त न कर अन्यत्र विभाग जैसे बैंक, विधान सभा आदि से निजी सहायक अपने पास नियुक्त कर रखे हैं जो न केवल अवैधानिक है बल्कि चयनित बेरोजगारों के साथ बड़ा अन्याय है। अत: मैं आपका ध्यान आकर्षित कर मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सचिवालय में रिक्त स्टेनोग्राफर्स के पदों के लिए जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाय और उन के परिवार वालों के साथ न्याय किया जाय और बेरोजगारों के साथ जिन्होंने बड़ा अथक परिश्रम करके प्रशिक्षण प्राप्त किया था और जिन्होंने अपने जीवन की बहुत बड़ी कुर्बानियां इस परीक्षा को पास करने में दी थीं इन व्यक्तियों को चयनित होने के बाद भी आज सरकार रोजगार नहीं दे रही है। ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की ओर मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इनको रोजगार दिया जाय। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (अनुपस्थित)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

पंचायती राज एवं जिला परिषद से शिक्षा को मुक्त करने के सम्बन्ध में

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : महोदय, राजस्थान में, 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत हुई और उस समय राज की ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा को पंचायत राज के अधीन कर दिया गया। तब से लगातार यह शिक्षा पंचायती राज के अधीन ही चल रही है। जिन उद्देश्यों को लेकर इस शिक्षा को पंचायत राज को सौंपा गया है उन उद्देश्यों की पूर्ति करना तो दूर पंचायत राज व्यवस्था इस शिक्षा के सचालन में पूर्ण रूप से असफल रही है। इस असफलता की जानकारी राज्य के शिक्षक संगठन ने समय-समय पर प्रकट कर सरकार को अवगत कराया है और सन् 1968 में इसकी दुर्दशा को देख कर बहुत बड़ा आन्दोलन राज्य के शिक्षकों ने किया। उस समय शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा सरकार ने की परन्तु उन व्यवस्थाओं को करने में सरकार पूर्णतया असफल रही है। इन 31 वर्षों में सरकार के इस उपेक्षित रवैये का ही परिणाम है कि इन विद्यालयों में न तो शिक्षा है और न ही शिक्षा की कोई दृष्टि है राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण शिक्षा संस्थान पूर्ण रूप से असुरक्षित है। शहरी शिक्षा व ग्रामीण शिक्षा के नाम पर शिक्षा को दो पाटों में बांट दिया गया है। यह सब जानते हुए कि पंचायत राज में शिक्षा का सर्वनाश हो गया है, कांग्रेस सरकार ने उच्च प्राथमिक शिक्षा को भी पिछले वर्ष शिक्षकों के घोर विरोध के बावजूद जिला परिषदों को सौंप दिया है।

इन सब परिस्थितियों से राजस्थान का प्रत्येक जन प्रतिनिधि परिचित है और चुनाव के पूर्व यह निरन्तर घोषणा होती रही कि पंचायती राज से सम्पूर्ण शिक्षा को मुक्त कर दिया जायेगा। राजस्थान में इस सम्पूर्ण

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

शिक्षा को पंचायती राज से मुक्त कराने के लिए शिक्षक संगठन निरन्तर आन्दोलनरत रहे हैं और जनवरी, 1990 से तो शिक्षक संगठन ने फिर आन्दोलन का बिगुल बजाया है।

16 जनवरी, 1990 को शिक्षकों ने जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। 21 जनवरी, 1990 को भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। 4 अप्रेल, 1990 को सचिवालय जयपुर पर शिक्षकों ने धरना दिया। तब राज्य मुख्यमंत्री ने यही आश्वासन दिया कि शिक्षा को पंचायत राज से मुक्त किया जा रहा है। इस आश्वासन के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। राज्य के 20 हजार शिक्षकों ने जयपुर में विशाल रैली निकाली और सचिवालय पर प्रदर्शन किया। उस दिन भी राज्य की ओर से शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री कालूराम गुर्जर एवं पंचायत राज्य मंत्री माननीय श्री हरलाल सिंह खर्रा ने पुनः दोहराया कि शिक्षा को शीघ्र ही पंचायत राज से मुक्त किया जा रहा है और यही बात राज्य के मुख्य मंत्री ने 21 अप्रेल, 1990 को शिक्षक संघ के एक शिष्टमण्डल को उनके निवास स्थान पर कही। इस बात को पुनः शिक्षा की अनुपूरक मांगों के समय माननीय श्री हरिकुमार औदिच्य ने दोहराया कि शिक्षा को पंचायतों से शीघ्र मुक्त कराया जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

राजस्थान शिक्षक संघ इसी मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री भंवरलाल सेठ एवं संघर्ष समिति के संयोजक श्री चौथमल सनाढ्य के नेतृत्व में विधान सभा के बाहर हजारों शिक्षकों के साथ घेरने पर बैठे हैं। राजस्थान पंचायत राज में शिक्षा सौंपने का अनुभव बहुत खराब रहा है और इसी कारण समय-समय पर शिक्षक संगठन ने इसका विरोध किया है और भी शिक्षक आन्दोलित हैं। इसलिए मैं सदन का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को पंचायत समिति एवं जिला परिषद् से मुक्त करा प्राथमिक शिक्षा का अलग से निदेशालय बनाकर उसके सुपुर्द कर दिया जावे तभी राजस्थान में शिक्षा, प्राथमिक उच्च शिक्षा का स्तर उन्नत हो सकेगा।

पंचायत समिति एवं जिला परिषदों से शिक्षा क्यों मुक्त हो?

1. पूर्व में पंचायत राज में प्राथमिक शिक्षा का अनुभव अच्छा नहीं रहा है।

2. पंच, सरपंच व अन्य राजनेताओं का शिक्षा के क्षेत्र में आतंक है।

3. यह क्षेत्र शिक्षा को न तो चलाने में सफल हुआ है और न ही चलाने के लिए शिक्षा की कोई दृष्टि ही है।

4. स्थानीय राजनेताओं का शिक्षा एवं शिक्षक पर सीधा दखल है।

5. महिला शिक्षिकाएं पूर्ण रूप से असुरक्षित हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है।

6. प्रशासन पर राजनीति का इतना जबर्दस्त प्रभाव है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता है। इस दृष्टि से शैक्षिक निर्देशन एवं

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

शैक्षिक परिवीक्षण का हमेशा ही अभाव रहा है।

7. प्रशासनिक कार्यों के लिए भी राजनेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है।

8. आर्थिक दृष्टि से राज्य सरकार पर आधारित होने से समय पर वेतन टी.ए. एवं अन्य मेडिकल भत्ते भी नहीं मिलते हैं।

9. नियुक्तियों में भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है शिक्षा विभाग में नियुक्ति का जो आधार है उसे ही यहाँ भी लागू किया जाना चाहिए था पर नहीं किया गया है।

10. अध्यापकों की पदोन्नति का कोई अवसर नहीं है।

11. पंचायत समिति के पास दूसरे अनेक विकासात्मक कार्य होने से शिक्षा के प्रति उपेक्षा रहती है क्योंकि पंचायत समिति का विशेष ध्यान ग्रामीण विकास की ओर ही है।

12. पंचायत समिति में शिक्षा प्रसार अधिकारी के पास शिक्षा का कार्य गौण एवं दूसरे कार्य ही ज्यादा रहते हैं।

13. शिक्षकों के स्थानान्तरण का कार्य स्थानीय लोगों से पूर्णरुप से प्रभावित है ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचा है।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी अनेक कारण हैं जिससे शिक्षकों का व शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरा है। इस व्यवस्था से शहरी व ग्रामीण शिक्षा में एकता के स्थान पर अन्तर प्रादुर्भाव हुआ है। इन सभी परिस्थितियों एवं व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में शिक्षक संघ ने समय समय पर सरकार को अवगत कराया है लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं देने के कारण शिक्षा क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है।

मेरा इस सदन से अनुरोध है कि इस गम्भीर समस्या का समाधान कर पंचायत राज से शिक्षा को मुक्त कराने की कृपा करें। शीघ्रातिशीघ्र हो सके तो आज ही घोषणा की जावे। धन्यवाद।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, लीजिंग कर के विरुद्ध पूरे राजस्थान के लोग आन्दोलनरत हैं और वह बहुत बड़ा जुलूस लेकर आये हैं। 10% जो लीजिंग कर लगाया है उससे राजस्थान की जनता पर काफी भार बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीगणों से निवेदन करता हूं कि जो प्रतिनिधि मंडल आया हुआ हैं, उनको बुलाकर बात की जाए और उन्हें सन्तोषजनक उत्तर दिया जाये।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य आप ले आओ। मैं बात कर लूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री मनीराम।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की व्यवस्था

श्री मनीराम सियाग : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बीकानेर में

(श्री मनीराम)

कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में की गई और उसमें आज यह स्थिति है कि चार माह से पूर्णकालिक उपकुलपति नही है और स्टाप गैप अरेन्जमेन्ट के तहत सिर्फ एक डाइरेक्टर को अस्थाई तौर पर लगा रखा हैं। वह माह में तीन दिन जाकर के बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय की देखरेख करता है। इससे विकास की जो गति है, वह धीमी पड़ गई है। कृषि विश्वविद्यालय को जो 26 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, इसमें और इस वर्ष भी बजट का जो 35 करोड़ रुपया स्वीकृत है वह भी नियमित रूप से नहीं लगाया जा रहा है और विकास को गति रूकी हुई है अतः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उप-कुलपति तुरन्त लगाया जाये और इसका मुख्य कार्यालय बीकानेर रखा जाये और जो 35 करोड़ रुपये इस वर्ष स्वीकृत हुए हैं उनको द्रुत गति से लगाकर विश्वविद्यालय का विकास किया जाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कोटा और अजमेर यूनिवर्सिटी के साथ सन् 1987 में की गई। उस समय एग्रीकल्चर विषय और होम साइन्स विषय में प्रथम वर्ष की कक्षाएं भी प्रारम्भ की गई। उसके बाद सैकन्ड ईयर और थर्ड ईयर की कक्षाएं शुरू की गई। इस वर्ष विद्यार्थी एम.एस.सी. प्रीवियस ईयर में आयेंगे। मैंने इससे पहले सत्र में यह प्रश्न उठाया था तो माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि वहां पर एम.एस.सी की कक्षाएं पहले से ही चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि वहां पर एम.एस.सी. की कक्षाएं नहीं हैं। न एम.एस.सी होम साइन्स की कक्षाएं चल रही हैं। अभी यह कल कह देंगे कि आपने क्या किया। हमारे वक्त में तो....

श्री दिग्विजय सिंह : ऐसा है कि आप पहले वक्तव्य सुन लो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट। मैं पूरा कर लूं।

श्री दिग्विजय सिंह : अगर आप मेरा उत्तर सुन लो तो उसके बाद में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक सैकण्ड साहब।

श्री सभापति : आज आप प्रश्न कर लीजिए। माननीय मंत्रीजी....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसके बाद में मेरे ख्याल से इनको उत्तर देने में सुविधा होगी सभापति महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पहले वक्तव्य सुन लीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ध्यान आकर्षित कर दूं। उसके बाद में मंत्रीजी बोल लेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : सभापतिजी, पहले मंत्रीजी बोल लेंगे तो इनके पास बोलने को कुछ नहीं रहेगा। अखबारों में नाम नहीं छपेगा, इसलिए पहले इनको बोलने दीजिए।

श्री सभापति : आप पहले माननीय मंत्रीजी का....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको अखबारों से घृणा होगी, मुझे तो अखबारों से बहुत प्रेम है।

श्री सभापति : आप बाद में पूछ लेना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि आपने सदन को गुमराह किया कि एम.एस.सी. की कक्षाएं बीकानेर में चल रही हैं। चूंकि 87 में फर्स्ट ईयर, 88 में सैकण्ड ईयर और 89-90 के शिक्षा सत्र में वहां थर्ड ईयर के कोर्स चल रहे थे। अब इनको एम.एस.सी. की कक्षाएं निश्चित रूप से वहां पर खोलनी चाहिये। जहां आपने यूनिवर्सिटी का हैड आफिस खोला है, वहां एम.एस.सी. की कक्षाएं नहीं होने से आप समझ सकते हैं कि वहां के लोगों में, वहां के विद्यार्थियों में कितना रोष होगा दूसरी बात, जो बोर्ड आफ मैनेजमेंट इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें एम. एल. ए. का रिप्रजेन्टेटिव होता है, उनका मनोनयन नहीं हुआ। जो उपकुलपति लगाये हुए हैं, वह जयपुर में बैठे रहते हैं। एक महीने में तीन दिन से ज्यादा बीकानेर नहीं रहते। आई. सी. ए. आर., जो इण्डियन कौन्सिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उनका यह स्पष्ट दिशा-निर्देश है कि वाइस चान्सलर को....

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय कल्ला साहब....

श्री सभापति : आप मंत्रीजी का वक्तव्य सुन लें। उसके बाद ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप उसके बाद मुझे अलाऊ करेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय कल्ला साहब....

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति जी, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर माननीय श्री मनीराम जी ने प्रस्तुत किया है, उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। उसके बाद इस विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्वतन्त्र रूप से कार्य करना प्रारम्भ किया गया। पिछले तीन वर्षों में इस विश्वविद्यालय द्वारा निम्न कार्यवाही विशेष रूप से की गई। बीकानेर में कृषि कालेज व होम साइन्स कालेज प्रारम्भ किये।

प्रारम्भ में इन कालेजों को क्रमशः डूंगर कालेज और सुदर्शन कालेज में चलाया गया। अब इनके लिए अलग से परिसर बनाया जा रहा है और उसके लिए स्टाफ भी इस वर्ष स्वीकृत कर दिया गया है। चूंकि इन कालेजों को शिक्षा विभाग द्वारा ही शुरू किया गया था, अतः प्रारम्भ में वहां के स्टाफ से काम चलाया गया, लेकिन अब उन्हें कृषि विश्वविद्यालय में ले लिया गया है। बीकानेर में कुलपति कार्यालय की स्थापना करने के बाद वहां आवश्यक स्टाफ स्थानान्तरित किया गया। अलग से बीकानेर में सैन्ट्रल कृषि फार्म स्थापित किया गया है। बीकानेर परिसर के लिए आवश्यक मकानों तथा विश्वविद्यालय कार्यालय का निर्माण शुरू कर दिया गया है। प्रति वर्ष विश्वविद्यालय के लिए योजना में 3-4 करोड़ रुपये सरकार द्वारा दिये जाते हैं और विश्वविद्यालय के विकास के लिए एक

(श्री दिग्विजय सिंह)

दीर्घकालीन योजना लगभग 25 करोड़ रुपये की बनायी गयी है,जिसकी शनैः शनैः क्रियान्विति की जा रही है। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉ. के. नाग ने अपने पद से दो माह पूर्व इस्तीफा दे दिया। उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं के बारे में महामहिम राज्यपाल ने कुलाधिपति के रूप में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी श्री मंगल बिहारी की अध्यक्षता में एक संसदीय तथ्यान्वेषण समिति का गठन किया है। इस समिति द्वारा अगले दो माह में अपनी रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल महोदय को पेश कर दी जायेगी। कुलपति डॉ नाग द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बाद कुलपति का कार्यभार डॉ. एस. एल. सक्सेना, निदेशक, रिसर्च को दिया गया। डॉ. सक्सेना विश्वविद्यालय में वरिष्ठतम प्रोफेसर हैं। डॉ. सक्सेना अपना कार्यभार ठीक तरीके से सम्पादित कर रहे हैं। शीघ्र ही नियमित रूप से कुलपति लगाने की कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा रही है। विश्वविद्यालय के दो परिसर उदयपुर तथा जोबनेर में भी हैं। उनके अतिरिक्त रिसर्च फार्म्स भी हैं। कुलपति को इन सब जगहों पर जाना पड़ता है। वर्तमान में कुलपति, बीकानेर में हर महीने 9–10 दिन रहते हैं व शेष समय में उदयपुर, जयपुर तथा दिल्ली बैठकों में जाते हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि बीकानेर में प्रति माह केवल तीन दिन ही रहते हैं। इस वर्ष का राजस्थान विश्वविद्यालय का योजनागत बजट लगभग 4.2 करोड़ रुपये का है। अतः यह कहना भी सही नहीं है कि विश्वविद्यालय की विकास राशि 35 करोड़ रुपये की है। विश्वविद्यालय का गैर योजना व योजना बजट 27.5 करोड़ रुपये का है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत जयपुर स्थित शोध निदेशालय के सुदृढ़ीकरण के लिए आठ पद सृजित हुए थे, जिन्हें भूतपूर्व कुलपति डॉ. के. नाग ने बीकानेर में स्थानान्तरित कर दिया। चूंकि यह पद शोध निदेशालय, जयपुर के लिए भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच हुए इकरार के अनुसार स्वीकृत किये गये थे, अतः इन्हें पूर्व में बीकानेर स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिये था। वर्तमान कुलपति ने इनमें से केवल एक पद रिसर्च एडिटर का, शोध निदेशालय, जयपुर में स्थानान्तरित किया है। इसलिये यह कहना सही नहीं है कि बीकानेर क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यालय बीकानेर से जयपुर बदल दिया गया है। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार प्रबन्ध मण्डल, शिक्षा परिषद् व वित्त समिति, पिछले तीन वर्षों से काम कर रही हैं। अन्य कमेटियां जो भूतपूर्व कुलपति डॉ. नाग ने नहीं बनायी थी, उनको शीघ्रता से बनाने के लिये वर्तमान कुलपति को अनुशंसा कर दी गई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि बोर्ड आफ मैनेजमेण्ट ने डाइरेक्टर एग्रीकल्चरल रिसर्च तथा डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कार्यालयों को विश्वविद्यालय मुख्यालयों पर स्थानान्तरित करने के लिए निर्णय लिया था? क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की आटोनामी को

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

भंग करके दिशा निर्देश दिये कि इन निर्णयों पर पुनर्विचार किया जाये ? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में आप पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं कब चालू करेंगे ? विश्वविद्यालय के वर्तमान वाइस चांसलर वहां तीन दिन नहीं तो आप बता दें कि अब तक वे बीकानेर में कितने दिन तक रहे ? वे यहां जयपुर से उसका संचालन कर रहे हैं। इण्डियन आफ कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि वह अति आवश्यक कार्य के लिये दौरे पर जाये, लेकिन वह अभी तक मुख्यालय में किस मकान में रहते हैं, कहां रहते हैं, कब आफिस में जाते हैं, यही पता नहीं रहता। सिर्फ दो-तीन बार आते हैं, जैसे दौरा करने आडिटर आते हैं, वैसे वाइस चांसलर कहां आते हैं। विश्वविद्यालय भारी अव्यवस्थाओं से ग्रस्त है। वहां पर विश्वविद्यालय का बोर्ड तो लगा हुआ है लेकिन विश्वविद्यालय नाम की कोई चीज इन्होंने वाइस चांसलर आने के बाद खत्म सी कर दी है। जहां तक विश्वविद्यालय के विकास का सवाल है....

श्री सभापति : आपके प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा प्रश्न पूरा कहां हुआ, सभापति महोदय ? मैं प्रश्न पूरा कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपका वक्तव्य शुरू हो रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बिल्कुल क्वेश्चन कर रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : क्वेश्चन आप कर रहे हो, एक मिनट मेरी भी सुन लो आप।

सभापति महोदय, इस ध्यानाकर्षण के आप मुद्दे पढ़ लें। उन्होंने जिन मुद्दों पर ध्यानाकर्षण किया है वह सारा उल्लेख मैंने कर दिया। अब एक नयी बात आप और कह रहे हो उसके लिये अभी मेरे पास कोई जानकारी तो है नहीं। जहां तक वाइस चांसलर सक्सैना साहब का सवाल है वह तो एडहाक बेसिस पर वहां लगे हुए हैं, वहीं पर रिसर्च के अन्दर डीन हैं और अस्थायी तौर पर वाइस चांसलर का काम देख रहे हैं। यह मैंने इसमें कहा भी है। जल्दी ही वी. सी. के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ताकि....

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक सैकण्ड, सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी बिराजे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि क्या आई. सी. ए. आर. के दिशा निर्देशों की पालना करायेंगे। राजस्थान में पहला विश्वविद्यालय है जहां पर वाइस चांसलर हैड आफिस में नहीं रह रहा है। दूसरी बात यह है कि जितने भी हैड आफिस हैं सब के सब बाहर रखे हुए हैं। जहां एम. एस. सी. की कक्षाएं नहीं....

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, आप इतनी जोर से बोल रहे हैं। डेढ़ महीने से है यह स्थिति, बाकी पहले वाइस चांसलर रहता ही बीकानेर था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं डेढ़ महीने की स्थिति के बारे में ही ध्यानाकर्षण कर रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : उनके त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप उनको अस्थायी तौर पर कार्य दिया गया है। जब वाइस चांसलर की नियुक्ति हो जायेगी, वह बीकानेर रहेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो आदमी आफिशियेटिंग है उसको कम से कम विश्वविद्यालय के हैडक्वार्टर पर तो रहना चाहिए।

श्री सभापति : अभी यह वाइस चांसलर डाइरेक्टर रिसर्च भी हैं, यह मन्त्री जी ने बताया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यहां सदन में पूर्व सरकार के माननीय कृषि मंत्रीजी ने यह कहा था कि उदयपुर में शिक्षा की जो एक्टिविटीज चल रही हैं वह चलती रहेंगी। हमें कोई एतराज नहीं है उसमें, लेकिन बोर्ड आफ मैनेजमैण्ट ने डाइरेक्टर, एग्रीकल्चरल रिसर्च और डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और डाइरेक्टर वेटरिनरी का जो निर्णय किया था उनके हैड आफिसों को आप विश्वविद्यालय मुख्यालय पर क्यों नहीं पहुंचाना चाहते हैं ? पब्लिक रिप्रजेण्टेटिव का कालिंग अटेंशन मोशन में जिक्र किया गया है, कि बोर्ड आफ मैनेजमैण्ट में एम. एल. एज. का रिप्रजेण्टेशन होता है उसको आप क्यों नहीं पूरा करते ? इसमें क्या कठिनाई आ रही है ?

श्री दिग्विजयसिंह : एम. एल. एज. का रिप्रजेण्टेशन होता है. आप भी जानते हो। आप खुद ही उसके अन्दर थे। एम. एल. ए. की हैसियत से उसमें थे और मंत्री बन गये फिर भी कन्टीन्यू करते रहे। आपको रिजाइन कर देना चाहिए था। अब उसमें जगह खाली हो गई है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसमें आपके भी मन्त्री रहे हुए हैं, परसराम जी जब मन्त्री थे। जो मन्त्री होता है वह पहले एम एल. ए. होता है।

श्री दिग्विजय सिंह : ज्यादा कल बात कर लेंगे। अब उसमें वेकेंसी हो गई है, वह एम. एल. ए. का पद भर दिया जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 4 महीने से वेकेंसी पड़ी हुई है, आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मन्त्री बनने के बाद भी रहे हैं, बड़े आश्चर्य का विषय है।

श्री दिग्विजय सिंह : मन्त्री बनने के बाद भी कन्टीन्यू करते रहे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तो आपने ऐसी परम्परा डाल दी बहुत गलत।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप 77 से 80 का रिकार्ड देखो, आपके भी रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय मनीराम जी। इनको पूछने दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का जवाब मन्त्री जी ने दिया नहीं। क्या आप बोर्ड आफ मैनेजमैण्ट के इन निर्णयों को लागू करेंगे ? लागू करेंगे तो कब तक करेंगे ? एम. एस. सी. की कक्षाएं कब तक खोलेंगे ? पब्लिक रिप्रजेण्टेटिव का नामिनेशन कब तक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करेंगे ? जब तक वाइस चांसलर सक्सेना जी, जो अभी आफिशियेटिंग वाइस चांसलर हैं उनको कब तक निर्देश देंगे कि वह बीकानेर जाकर वाइस चांसलर के आफिस में बिराजें ?

श्री मनीराम : सभापति महोदय, जब यह विश्वविद्यालय खुला तो इसमें वाइस चांसलर नाग साहब की प्रधानता में काफी पद स्वीकृत हुये। तत्कालीन मन्त्री महोदय की हैसियत से, इनके इशारे पर जो पद भरे गये उन अनियमितताओं से तंग आकर नाग साहब ने इस्तीफा दे दिया। क्या उन पदों को वापस रिक्त घोषित करेंगे और नियमानुसार इनकी नियुक्ति करेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई अनियमितता हुई है तो आप जांच कराइये, कोई दिक्कत नहीं।

श्री मदनलाल सैनी : लेक्चरर्स की वरिष्ठता सूची को टालकर जूनियर्स को अपाइण्टमैण्ट दिया गया और सीनियर्स को छोड़ दिया गया। उस समय यह कार्यवाही भी हुई....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे क्या कह रहे हो आप, आपके पास सरकार है आप करायें उसकी जांच।

श्री मदनलाल सैनी : मैंने माननीय शिक्षा मन्त्रीजी को लिखा है कि आपने उस समय जो घोटाले किये उनकी जांच होनी चाहिये।

श्री दिग्विजय सिंह : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां बातें कहीं। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूं कि गम्भीर अनियमितताएं नाग साहब के वक्त मे हुई वह किस कारण हुई, क्या बात हुई उस सारी जांच के लिये एक सीनियर आई. ए. एस. अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। उनको सारा मामला दे दिया गया है। उन अनियमितताओं के खिलाफ जांच में जो भी निष्कर्ष आयेगा और एक्शन होगा वह निश्चित रूप से किया जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनका तो उत्तर दे दिया और मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।

श्री दिग्विजय सिंह : आपको कल सब बता दूंगा एग्रीकल्चर की डिमाण्ड में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, कालिंग अटेंशन मोशन के प्रश्नों को भी मन्त्रीजी टाल जायें तो यह तो मैं समझता हूं कि सदन की अवमानना है।

श्री दिग्विजय सिंह : कालिंग अटेंशन नोटिस आप पढ़ लें, क्या है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : कालिंग अटेंशन मोशन में यह है....

श्री दिग्विजय सिंह : आपका है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वाइस चांसलर तीन दिन से ज्यादा नहीं बैठता वहां पर और वह आपकी जानकारी में है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपका है क्या ? सभापति महोदय, कालिंग अटेंशन मोशन आप देख लीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आसन से परमिशन लेकर बोला हूं मैं।

श्री दिग्विजय सिंह : परमिशन लेकर बोल दिया लेकिन मेरे पास जो इन्फार्मेशन है वही दूंगा। I Cannot be dictated.

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप डिक्टेट तो मत होइये लेकिन....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मन्त्री जी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो कुछ है उसी का उत्तर देने के लिये बाध्य हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कह रहा हूं, एम. एल. एज. का रिप्रजेण्टेशन कब तक करेंगे, कालिंग अटेंशन में है।

श्री सभापति : आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विश्वविद्यालय की व्यवस्था को सुधारेंगे ? ऐसा लगता है कि कोई धणी-धोरी नहीं हैं वहां। क्या वाइस चांसलर ऐसे विश्वविद्यालय को नहीं चलने देंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं माननीय कृषि मन्त्री जी.... (व्यवधान)।

श्री सभापति : अब आप बिराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वाइस चांसलर को निर्देश दें कि वहां जाकर काम करें और बीकानेर में बैठकर विश्वविद्यालय का संचालन करें। बोर्ड आफ मैनेजमैंट की आटानोमी में जिस-जिस अधिकारी ने दखलन्दाजी की है उसके खिलाफ कार्यवाही करें (व्यवधान)।

श्री सभापति : अब आप बिराजिए, बिराजिए।

श्री मदनलाल सैनी : जो भ्रष्टाचार किया उसकी भी जांच चल रही है। यह सवाल आप कह किससे रहे हैं उस समय जो गड़बड़ हुई उसके कारण से ही जांच हो रही है और इसी कारण से नाग को रिजाइन करना पड़ा, इसकी भी जांच हो रही (व्यवधान)।

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं कल्ला साहब का बहुत आदर करता हूं और यह हो सकता है कि शायद नाग साहब को उपकुलपति पद से हटा दिया इसलिये दर्द है। वो मैं इसलिये नहीं कहता कि इस सम्बन्ध में जांच हो जाएगी और वो निर्दोष हैं तो अपने आप साबित हो जाएगा (व्यवधान)।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बोर्ड आफ मैनेजमैण्ट ने जो निर्णय लिये हैं उनको आप कब लागू करेंगे ? आप एम. एस. सी. की कक्षाएं कब खोलेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप जानते हैं तो एटोनामस बोडी है। एटोनामस बोडी का जो भी निर्णय होगा अपने आप करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आटोनोमस बोडी ने निर्णय किया हुआ है। बोर्ड आफ मैनेजमैण्ट....

श्री सभापति : कल्लाजी अब आप बिराजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, क्या मंत्रीजी को बाध्य किया जा सकता है ?

श्री सभापति : नहीं बाध्य नहीं किया जा सकता। आप भी बिराजिए ।

माननीय मंत्री श्री गोपाल सिंह जी खण्डेला ।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा सोल एजेण्ट की नियुक्ति

श्री गोपालसिंह खण्डेला (दुग्ध विकास राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा किसानों से दूध खरीदा जाता है और उसको दूध व दूध के उत्पादों के रूप में परिवर्तित कर बेचा जाता है। दूध की बिक्री मुख्यतया दिल्ली में मदर डेयरी व देहली मिल्क स्कीम के द्वारा तथा राज्य के विभिन्न शहरों में कमीशन एजेण्टों एवं फैडरेशन के बूथों द्वारा की जाती है। दिल्ली मिल्क स्कीम व मदर डेयरी द्वारा लगभग डेढ़ लाख लीटर दूध प्रतिदिन बिकता है। तरल दूध बेचने के बाद जो दूध बचता है उससे फैडरेशन द्वारा पनीर, घी, पाउडर आदि चीजें बनाई जाती हैं। अच्छे वर्ष में जब किसान फैडरेशन को अधिक दूध देता है तब फैडरेशन के पास दूध काफी सरप्लस हो जाता है और उसे दूध पदार्थों में परिवर्तित करना अनिवार्य हो जाता है। फैडरेशन प्रतिदिन 3·5 लाख लीटर से अधिक दूध नहीं बेच पाता है अतः जिस वर्ष दूध अधिक एकत्रित होता है तब उसके सामने सरप्लस दूध से बनाये गये पदार्थों को बेचने की समस्या खड़ी हो जाती है। यद्यपि फैडरेशन ने विभिन्न स्थानों पर एजेन्ट बनाकर दूध से बने पदार्थों को बेचने की व्यवस्था की है लेकिन अधिक दूध एकत्रित होने पर यह व्यवस्था ठीक तरीके से काम नहीं करती और फैडरेशन के पास घी, दूध पाउडर, मक्खन आदि का बहुत स्टाक हो जाता है और उसमें कार्यशील पूंजी फंस जाती है। कई बार इस कारण किसान को उससे खरीदे गये दूध का मूल्य चुकाने में देरी हो जाती है।

1985-86 में फैडरेशन ने औसतन लगभग 5.6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया था और तब उसके सामने घी, पाउडर आदि बेचने की विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस पर उन्होंने आई. टी. सी. नाम की एक प्राइवेट कम्पनी से अनुबन्ध कर उसे राजस्थान के बाहर सेलिंग एजेन्ट बनाया। आई. टी. सी. द्वारा फैडरेशन के प्रोडक्ट्स 'सरस' के नाम से बेचे जाते थे। यह अनुबन्ध निम्न शर्तों पर किया गया था :—

(1) फर्म को 15 दिन की उधार पर उपभोक्ता पैक में तथा 7 दिन की उधार पर बल्क पैक में 50 लाख रुपये की बैंक गारन्टी के विरुद्ध माल दिया जाएगा।

(2) समय पर भुगतान नहीं होने पर 18 प्रतिशत ब्याज लिया जायगा।

(3) दूध से बने पदार्थों के बेचने पर निम्न कमीशन दिया जाएगा:-

(1) घी (कन्ज्यूमर पैक) 6 प्रतिशत

(2) दुग्ध पाउडर (कन्ज्यूमर पैक) 7 प्रतिशत।

(श्री गोपालसिंह खण्डेला)

(3) बल्क पैक (घी तथा दुग्ध) पाउडर) 3·5 प्रतिशत।

(4) ट्रेट्रा पैक दूध (खुदरा कमीशन सहित) 50 पैसे प्रति लीटर।

(5) डेयरी फेडरेशन द्वारा सीधी बिक्री 1/2 प्रतिशत।

(4) फेडरेशन अपनी जोखिम पर माल देश के विभिन्न स्थानों पर भेजेगा। जब तक यह माल नहीं बिके तब तक जोखिम फैडरेशन की ही रहेगी।

आई टी. सी. से 25 फरवरी, 85 को अनुबन्ध किया गया। लगभग एक वर्ष तक इस कम्पनी ने कार्य किया, फिर माल सप्लाई नहीं करने के कारण उन्होंने अपनी ओर से अनुबन्ध समाप्त कर दिया।

1985-86 के पश्चात् प्रदेश में अकाल की स्थिति के कारण दूध की आमद कम होती गई तथा दुग्ध उत्पाद जैसे-घी, मक्खन, पाउडर आदि कम बनाये जा सके, फलस्वरूप स्थानीय वितरकों द्वारा राजस्थान के जिलों में उत्पाद विक्रय किया जाता रहा तथा कुछ उत्पाद देहली क्षेत्र में भी बेचे गये। किन्तु समस्त देश में विक्रय हेतु एजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उक्त उत्पाद समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकते थे। अकाल के समाप्त होने के पश्चात् 1989-90 में स्थिति में सुधार आया तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ा और फैडरेशन के द्वारा 1989-90 में 4.14 लाख लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया गया। देहली में मिल्क स्कीम तथा मदर डेयरी को अनुबंधित दूध की मात्रा उपलब्ध कराने व राजस्थान में तरल दूध वितरित करने के पश्चात् बचे दूध से घी, दुग्ध पाउडर आदि बनाना आवश्यक हो गया। विक्रय की समुचित व्यवस्था नहीं होने से घी तथा दुग्ध उत्पाद पाउडर का स्टाक धीरे-धीरे बढ़ता गया। 1988-89 व 1989-90 की दूध पदार्थ के उत्पादन, विक्रय व अवशेष स्टाक की स्थिति निम्न प्रकार से रही है :–

	उत्पादन	मै0 ट0	विक्रय	स्टाक
1. घी–	1988-89	1430	1295	225
	1989–90	2316	1473	2039.8
2. वसायुक्त दुग्ध पाउडर–				
	1988–89	1223.6	1010.9	399.7
	1989–90	957.9	737.9	607.8
3. वसा रहित दुग्ध पाउडर–				
	1988-89	1056	424.4	957.5
	1989–90	2778	1858.85	1472.8

(श्री गोपाल सिंह खण्डेला)

जहां 31 मार्च, 89 को 7.44 करोड़ रुपये का स्टाक शेष था वहीं 31 मार्च, 90 को बिक्री की व्यवस्था नहीं होने से यह स्टाक बढ़कर 14 करोड़ रुपये का हो गया। इससे फैडरेशन की सारी क्रियाशील पूंजी उलझ गई और उसके बाद भी बैंकों से 18 प्रतिशत ब्याज पर राशि उधार लेकर किसानों को भुगतान करना पड़ रहा है।

डेयरी फैडरेशन ने नवम्बर, 88 में रसगुल्ला, ट्रेट्रापैक दूध, पशु आहार तथा यूरिया मोलासिस ब्लाक की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया गया।

इसके संदर्भ में 46 आवेदन पत्र रसगुल्ला, टैट्रापैक दूध के लिये व 13 प्रार्थना पत्र पशु आहार के लिये आये। जब उन्हें अनुबंध की शर्तें व फार्म भेजे गए तब उनमें से केवल 13 व्यक्तियों ने ही रसगुल्ला व ट्रेट्रोपैक दूध के फार्म भरकर भेजे व 4 व्यक्तियों ने पशु आहार के लिये आवेदन पत्र दिये। इन प्रार्थना पत्रों के अलावा बाद में जो प्रार्थना पत्र सीधे प्राप्त हुए उन सबको मिलाकर 17 व्यक्तियों को मई, 89 में वार्ता हेतु बुलाया गया। इनमें से 14 व्यक्ति जो पहले से फैडरेशन के दूध के पदार्थ बेचने का काम कर रहे थे उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिये और अनुबंधित कर लिया तथा 10 नये वितरक नियुक्त किये गये। इस प्रकार इस समय 24 वितरक फैडरेशन के दूध पदार्थों को बेचने के लिये राजस्थान में कार्यरत हैं।

श्री महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अलवर ने 7 दिसम्बर, 1988 को विज्ञापन के सन्दर्भ में फार्म भरकर प्रस्तुत किया। इसके बाद 16 दिसम्बर, 1988 को उसने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वे घी, मक्खन, दूध, पाउडर तथा अन्य सभी उत्पाद सारे देश में बेचने को तैयार हैं और उन्होंने यह प्रार्थना की कि पशु आहार, रसगुल्ले तथा ट्रेट्रापैक दूध के साथ अन्य सभी उत्पादों को भी शामिल किया जाये। फैडरेशन द्वारा इस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री मोहनसिंह राघव को दिसम्बर, 88 से जनवरी 90 के बीच में 5 बार नेगोसियेशन्स के लिये बुलाया गया। 14 मार्च, 1989 को मैसर्स मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की देहली की एक पार्टी ने डेयरी फैडरेशन को उसके सभी उत्पादों के लिए विक्रय एजेण्ट की नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। इस पार्टी को भी फैडरेशन द्वारा जून, 89 से जनवरी, 90 के बीच में तीन बार वार्ता हेतु बुलाया गया। चूंकि फैडरेशन की पत्रावली पर दिसम्बर, 1988 में श्री महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज प्रा.लि. अलवर के प्रार्थना-पत्र पर विचार हो रहा था और 14, मार्च 1989 को उपरोक्त कम्पनी के साथ मार्केटिंग इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली के साथ भी वार्ता अखिल भारतीय सेलिंग एजेन्ट की नियुक्ति के लिये हो रही थी अतः फैडरेशन ने इन दोनों प्रस्तावों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद श्री महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अलवर का प्रस्ताव अधिक उपयुक्त पाया। फैडरेशन की पत्रावली के अनुसार श्री महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दी गई आफर का परीक्षण करके फैडरेशन के जनरल मैनेजर (मार्केटिंग) ने दिनांक 6 फरवरी, 1989 को पत्रावली पर निम्न राय दी :—The

(श्री. गोपालसिंह खण्डेला)

party referred at Sl. No. 1, M/s Shree Mahalaxmi is having a varied experience and have handled and are handling quite a few items such as the products of Polson Ltd., Shalimar Biscuits, Hyderabad International foods, Sun Sip Fruit Products, etc. Their representative Shri Mohan Singh Raghav has submitted his letter of 4th Feb. 1989 in which he has referred the discussions that he had with MD regarding marketing of cattle food and other products. He has stated that they are now in process of obtaining the required documents required by us for assessing their financial position and same shall be submitted in due course but have shown willingness to enter into a marketing arrangement for marketing of the products. Their representative has indicated that in case the proposition has to be economically viable, the same can beome viable only in case fast moving items and slow moving items are clubbed together. They would, therefore like to market the entire range of the products of the Federation to make the job worthwhile for them, and they, therefore have indicated the following quantities for which they are prepared to enter into a marketing arrangement :

		(ON ANNUAL BASIS)	VALUE Rs.
1.	Pure Ghee	1500 to 2000 MT	8.66 crore
2.	Butter	300 MT	1.59 "
3.	SMP (Consumer packing)	200 MT	0.68 "
4.	WMP	100 MT	0.41 "
5.	Resgullas	150 MT	0.22 "
6.	Tetrapack	30,000 Lts./Day	6.50 "
7.	Cattle feed inclusive of urea molasses brick.	25,000 MT/Year	4.62 "
			22.68

The above products are of the approximate value of Rs. 23.00 crores. Party have solicited credit facility for a fortnight for the

(श्री गोपालसिंह खण्डेला)

entire range of around Rs. 4 62 crores and the rest is for other products.

In my opinion we may give a counter offer to the party to agree to lift the range of our products i. e, ghee, butter, milk powder, rasgullas and tetrapack against cash payment but for cattle feed we may permit 15 days credit and the bank guaratee should, therefore, be of mutually agreed amount sufficient to cover risk of the Federation and equal to the qty. of cattle feed which we would like to market on fortnightly basis. Representative of the firm, Mr. Raghav who negotiated with us agreed that he would furnish Bank Guarantee equal to the quantity settled for marketing for a fortnight and is agreeable to cover the entire risk of the Federation. Negotiations were conducted with the party by GM (M) & GM (FO). (S K. Sharma) General Manager (Maktg.)

इसके बाद 3 जुलाई, 1989 को इस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री मोहनसिंह राघव ने फैडरेशन के जनरल मैनेजर, मार्केटिंग, वित्तीय सलाहकार व जनरल मैनेजर प्रोडक्शन एवं डिस्ट्रीब्यूशन ने बात की। वार्ता के बाद जनरल मैनेजर (विपणन) ने उसी दिन प्रस्ताव किया कि मिल्क प्रोडक्ट्स, टेट्रापैक दूध व पशु आहार के लिये उपरोक्त फर्म को एक वर्ष के लिये विक्रय एजेन्ट बना दिया जावे।

23-12-89 को जनरल मैनेजर (मार्केटिंग) ने पुन: प्रबन्ध निदेशक को एग्रीमेन्ट के ड्राफ्ट सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसको प्रबन्ध निदेशक ने परीक्षण के लिये 27-12-89 को जनरल मैनेजर (आयोजना) एवं मोनीटरींग को भिजवाया। वित्तीय सलाहकार, जनरल मैनेजर (मार्केटिंग) व जनरल मैनेजर (प्लानिंग) ने श्री मोहनसिंह राघव से 6, जनवरी 1990 को व मार्केट्स इण्डिया लि. के प्रतिनिधि से 8 जनवरी, 1990 को बात कर दोनों प्रस्तावों का विस्तार से परीक्षण किया तथा 16, जनवरी 90 को श्री महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अलवर को एक वर्ष के लिये फैडरेशन का डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने की सिफारिश की। इस सम्बन्ध में पत्रावली का निम्न उद्धरण विचारणीय है।

111. The party has earlier asked for 8 ./· commission on ghee, 10 ./· commission on other products on consumer packs, besides the margin for retailer as per their detailed proposals submitted in Oct. '89 and 4 ./· commission on bulk packs The rate of commission of 8 ./· on ghee because of its high volume sale was negotiated and after persuasion, the representative of the firm has agreed to reduce it to 6 ./· which appears to be reasonable. Since, we are

(श्री गोपालसिंह खण्डेला)

trying to explore the outlets for SMP,WMP and Table butter as well as Tetrapack, within and outside Rajasthan and the volume of sale of these products at present is very negligible, it will not be illogical to provide 10% commission on these products for consumer packs. During negotiations, the party has also stated that all institutional sales including those generated by their effort shall be to their account. This clause or condition of the party also does not appear to be deterimental to our interest and therefore, can be agreed to.

COMMISSION

10% on table butter in consumer packs, SMP & WMP.

4% on SMP & WMP in bulk.

4% on Ghee & butter in bulk.

6% on ghee in consumer pack.

50 paisa/ltr on tetra pack.

5% on direct sale from factory.

The commission is chargeable on ex-factory price excluding the excise duty.

112. It is recommended that party may be considered for appointment as our distributor initially for a period of one year extendable to three years for Rajasthan and Delhi immediately and after judging its performance in the Ist year, we can consider for allotment of further area, We may, however, emphasise the party the need to take H. P. in the first phase itself.

Sd/-(Harilal) G. M. (M&P)
16/1/1990.

इसके बाद पुन: 10 मार्च, 1990 को श्री महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बुलाकर उनसे वार्ता करके कमीशन की दरें और कम कराई गई और उन्हें आई. टी. सी. के समकक्ष लाया गया। माल उठाने की शर्तें आई. टी. सी. की तुलना में फैडरेशन के हित में अधिक उदार कराई गई। इस वार्ता में फैडरेशन के वित्तीय सलाहकार जनरल मैनेजर मार्केटिंग और जनरल मैनेजर योजना ने भाग लिया और इसी आधार पर अन्ततोगत्वा मामला संचालक मण्डल में 5 मई, 1990 को विचारार्थ ले जाया गया। संचालक मण्डल ने फैडरेशन के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी और फैडरेशन ने 1 जून, 1990 को उपरोक्त फर्म को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश व दिल्ली के लिए एजेण्ट नियुक्त करने का आशय पत्र जारी किया। पार्टी ने अभी तक उसके द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी नहीं दी है अत: उससे अनुबन्ध नहीं किया

(श्री गोपालसिंह खण्डेला)

गया है। इस प्रकरण में निम्न बातें मुख्य रूप से विचारणीय हैं।

सेलिंग एजेण्ट का कमीशन स्थानीय वितरक से अधिक होता है क्योंकि उसकी रिस्क भी अधिक होती है और वह एक निश्चित मात्रा में माल बेचने की गारण्टी भी देता है। श्री महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज ने एक वर्ष में 23 करोड़ रुपए का माल बेचने की गारण्टी दी है जबकि डेयरी फैडरेशन द्वारा प्रति वर्ष सात आठ करोड़ रुपए की दूध से बनी चीजें बेची जाती रही हैं। फैडरेशन के पास मार्च, 1989 के अन्त में 7.44 करोड़ रुपए का माल स्टाक में बिक्री नहीं होने के कारण, पड़ा था और मार्च 1990 के अन्त में यह स्टाक बढ़कर 14 करोड़ रुपए हो गया। बिक्री की समुचित व्यवस्था नहीं होने से स्टाक में 18 परसेण्ट ब्याज बैंकों को फैडरेशन द्वारा देना पड़ रहा है। इससे यह माल दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर बने हुए छोटे-छोटे डिस्ट्रीब्यूटर मिलकर भी सात-आठ करोड़ रुपए से अधिक राशि का माल नहीं बेच सकते। अतः फैडरेशन को अधिक दूध खरीदकर पशु पालकों को लाभ पहुंचाना है तो उसे देश के अन्य राज्यों में भी एजेण्ट नियुक्त करने होंगे 1989 में जब आई. टी. सी. सेलिंग एजेण्ट नियुक्त किया गया था तब उसको निम्न प्रकार कमीशन दिया गया था। घी 6%, दूध पाउडर 7% मक्खन 7%, टेट्रा पैक 50 पैसे रिटेलर कमीशन सहित, 15 किलो घी के टिनों पर तथा 25 किलो दूध के पाउडर पर 3.5% डेयरी फैडरेशन द्वारा सीधी बिक्री पर आधा प्रतिशत, उपरोक्त कमीशन सन् 1985 में तय किए गए थे और श्री महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी जो कमीशन 1990 में फैडरेशन द्वारा देना तय किया गया वह भी आई.-टी. सी को अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा के बाद जो कमीशन दिया गया था उसके समकक्ष है। केवल दूध पाउडर पर कन्जूमर पैक के लिए एक प्रतिशत अधिक कमीशन तय किया गया है। इसी प्रकार टेट्रा पैक में रिटेलर कमीशन उसे अतिरिक्त मिलेगा।

सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा वार्ता के बाद सुझाया गया कि जो कमीशन श्री महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए तय किया गया वह अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनी मैसर्स मार्केट्स इण्डिया लिमिटेड से बेहतर होने के कारण दिया गया और यहां तक कि उसके लिए कमीशन की जो दरें तय की गई वे भी 1985 में जो दरें आई. टी. सी. को दी गई थी उसी के समकक्ष हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त फर्म द्वारा माल उठाने की जो प्रणाली रखी गई है वह आई. टी. सी से अधिक उदार है और इस कारण डेयरी फैडरेशन के लिए अधिक लाभदायक है।

जनरल मैनेजर मार्केटिंग, वित्तीय सलाहकार जनरल मैनेजर प्लानिंग ने 1989 से लगातार पत्रावली पर इस फर्म के पक्ष में राय दी है। पिछले दो वर्षों के दौरान कभी किसी भी अधिकारी ने उक्त कम्पनी द्वारा दिये गये प्रस्ताव के विरुद्ध कोई राय व्यक्त नहीं की। वार्ता के बाद दरें अवश्य कम की गई और इसी आधार पर संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया।

(श्री गोपालसिंह खण्डेला)

1988 से लेकर फरवरी 1990 तक किसी भी अधिकारी ने जब श्री भैरोंसिंह शेखावत सत्ता में नहीं थे, पत्रावली पर यह नहीं लिखा कि इसके लिए आल इण्डिया टेन्डर्स मांगे जाने चाहियें। चूंकि फैडरेशन ने 1985 में अखिल भारतीय स्तर पर सैलिंग एजेण्ट हेतु टेण्डर मांगे थे और आई. टी. सी. से जो अनुबन्ध हुआ था वह एक वर्ष से अधिक नहीं चला। अतः इस बार फैडरेशन के पास जो आफर आये उन्हीं के आधार पर निर्णय करना उचित समझा गया विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि आफर आई. टी. सी. की शर्तों के समकक्ष थे और कुछ मायनों में बेहतर भी थे, श्री महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज द्वारा न केवल दुग्ध उत्पादकों को बेचने का प्रस्ताव किया गया अपितु पशु आहार के विक्रय का भी प्रस्ताव किया गया जिसके लिए अन्य कोई व्यक्ति/संस्था तैयार नहीं थी। कुछ लोगों ने पशु आहार बेचने के लिए आवेदन अवश्य दिये थे पर जब उन्हें शर्तें व प्रस्ताव भेजे गये तो वे मुकर गये और श्री महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ही सब प्रकार के दुग्ध उत्पाद एवं पशु आहार बेचने हेतु कम्पोजिट आफर दी। यह कहना सही नहीं है कि फैडरेशन द्वारा उपरोक्त कम्पनी को सेलिंग एजेण्ट बनाने का निर्णय किसी प्रकार मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के सत्ता में आने से प्रभावित हुआ है। 6 फरवरी, 1989 को नहीं जनरल मैनेजर मार्केटिंग ने इस कम्पनी को सेलिंग एजेण्ट बनाने की अभिशंषा की थी, जिस पर विचार होते हुए अन्तिम निर्णय मई 1990 में हुआ।

यह अवश्य सही है कि 1988-89 में इस मामले में पशु आहार टेट्रापैक दूध तथा रसगुल्ले के अलावा अन्य दुग्ध उत्पादों के अखिल भारतीय स्तर पर विक्रय एजेण्ट की नियुक्ति के बाबत अखबारों में कहीं भी विज्ञापन नहीं दिये गये थे परन्तु पहले भी 1982 में फेडरेशन के उत्पादों के विक्रय हेतु अखबारों में विज्ञापित करने के बावजूद भी कोई प्रमुख व्यापारिक संस्था सामने नहीं आई थी और आई. टी. सी. ने भी 12, नवम्बर 1983 को सीधा आवेदन किया था। वर्तमान विक्रय एजेन्ट की नियुक्ति में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है।

इस अनुबन्ध के होने से किसी के बेरोजगार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि वर्तमान वितरक भी यदि चाहे तो आगे वे भी फैडरेशन का माल बेच सकते हैं। आशय पत्र की शर्तों के अनुसार महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज ने शर्तें पूरी करते हुए अभी तक अनुबन्ध नहीं किया है और मैंने फिलहाल इस मामले में आगामी कार्यवाही रोकने के आदेश दे दिए हैं तथा सरकार इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, यह पूरा स्टेटमेंट मिनिस्टर का सुनने से यह तो क्लियर है कि कोई अनड्यू फेवर पार्टी को देना, सवाल यह है कि आपने एग्रीमेंट अब क्यों रोक रखा है? यह जितना वातावरण पैदा हुआ. मई 1990 में निर्णय हो गया, एग्रीमेंट क्यों नहीं करते हो आप?

मैंने तो ध्यान प्रस्ताव में भी यह नहीं कहा है ऐसी निराधार बातें कहने का प्रश्न

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ही नहीं उठता। मैं तो खुद ही यह मानता हूं कि एक लीडिंग डेली के अन्दर अनावश्यक रूप से इस प्रकार का समाचार प्रकाशित हो और यही मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है। सभापति महोदय, यह भ्रांति अनावश्यक रूप से, क्योंकि मेरे एडजोर्नमेंट मोशन पर स्टेटमेंट आया है तो आज यह स्टेटमेंट प्रेस में जाएगा तो पब्लिक में क्लेरिटी तो होगी तो चीफ मिनिस्टर के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह पर्सनली जबरदस्ती कोई बात छाप दे सफाई देते फिरे। चीफ मिनिस्टर को आप अलग कर दीजिए। अब यह ट्रुथ हमें कन्फर्म करना है कि डेयरी ने जो महालक्ष्मी मिनग्रेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसका निर्णय दो साल के अन्दर जाकर हुआ। तो आपका डेयरी का मैनेजमेंट पर्टिकूलरी मैनेजिंग डाइरेक्टर है, दोषी जो है उसी ने माल इकट्ठा किया, दो साल के अन्दर सैल को प्रमोट नहीं किया, नेगोसिएशन में इतना टाइम लिया। मई 1990 के अन्दर जब आपने तय कर लिया और मैं समझता हूं कि बिल्कुल इस बैक ग्राउण्ड के अन्दर ठीक तय किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने अब रोका क्यों है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जो आपने पूरा अपना वक्तव्य दिया है उसमें कई बड़ी अजीब चीजें नजर आती हैं। एक आपने खुद माना है कि हमने तो विज्ञापन दिया। विज्ञापन तो दिया रसगुल्ले का और पशु आहार का, सौदा आपने किया घी का यह समझ में नहीं आया ? इतनी बड़ी संस्था जो 13-14 करोड़ का माल बेचती हो और जिसका माल बिकता भी नहीं करीब 200 टिन घी बच जाता है लेते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान के जो अखबार हैं उनमें अपना जो विज्ञापन देते हैं वह देते हैं कि हम रसगुल्ले बेच रहे हैं और माल आपका पड़ा है घी। माल तो आपका घी फालतू पड़ा है। आपको चाहिए कि सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में यह देते कि हमारे यहां घी बहुत ज्यादा है और किस क्वालिटी का घी है। इसके लिए कोई सोलिंग एजेण्ट या कोई लेने वाला आए तब तो बात जंचती है। इसमें लगता है कि यह मामला जो आप वर्किंग है यह शो करता है कि डेयरी का जो वर्किंग है असल में यह डेयरी जो सहकारिता के नियम के मुताबिक जिस तरह से चलनी चाहिए और उसमें जिस तरह से सहयोग होना चाहिए तो ना तो आप उन का सहयोग लेते हैं जो उसको दूध सप्लाई करते हैं और बेचने में भी निश्चित तौर से जो आपने कहा है, यह बात आपने बड़ी अजीब कही है कि हम सोलिंग एजेण्ट तो किसी और को बना लेंगे और उसके बाद में जो चाहेगा राजस्थान में वह इसका माल बेच सकेगा, यह समझ में नहीं आया कि जो आप सोलिंग एजेण्ट को कमीशन देंगे क्या आप उन छोटे लोगों को कमीशन देने को तैयार हैं जो माल बेचेंगे ? आपका डेयरी का माल कोई भी ले राजस्थान में तीस-चालीस आदमी पहले लेते थे। तीस-चालीस आदमी दिल्ली में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में आपका माल बेचते थे क्या उन लोगों को आप अब भी जो आपने सौदा सोलिंग एजेण्ट से तय किया है कुछ रेट्स को ज्यादा बढ़ाकर किया है पाउडर का। खास तौर से पाउडर काफी बिकता है। इस लिहाज से उनको भी वह सुविधा देंगे। मैं समझता हूं हमारा यह सवाल था वह मुख्य तौर से इस बात पर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

था कि डेयरी फैडरेशन में इतना बड़ा घाटा होता है। इतना माल उसका पड़ा रहता है। यह अखबारों में चर्चा आती है। आप का व्यवहार इस तरह का है तो आप डेयरी की जो फेक्शनिंग है, दो साल से आप सौदा कर रहे हैं और दो साल से तय नहीं हो पा रहा है और अब भी आपने बड़े असमंजस में डाला है कि सौदा फाइनल नहीं किया है। सारा कुछ करने के बाद भी लटका दिया है। यह समझ में नहीं आता। इस बात को स्पष्ट करें।

श्री गोपालसिंह खण्डेला : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यों ने प्रश्न खड़ा किया है कि घी का विज्ञापन नहीं किया था और अखबारों में साया नहीं हुआ था और पाउडर का भी नहीं किया था। माननीय सभापति महोदय, यह इसके बारे में मूलभूत बात है। आपको और हमको यह समझना है वह यही है कि डेयरी के प्रोडक्ट्स बड़े पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं और इनके बिकने के लिए और मार्केटिंग के लिए समय-समय पर जल्दी-जल्दी जैसी आवश्यकता होती है वैसी वैसी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। माननीय पूनमचन्द जी तो इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको इस फैडरेशन के मार्केटिंग के अच्छे और बुरे सभी प्रकार के अनुभव हैं और एक हार्ड लाइन तय करके कह देना बड़ा मुश्किल है इस धन्धे के लिए। फिर भी लगातार कोशिश यह की जाती है कि फैडरेशन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और किसी प्रकार का नुकसान न हो इसी के लिए 1988 में अखबारों में साया किया गया था तब घी के स्टोक्स नहीं थे। यह तो उत्तरार्द्ध में स्टोक्स बने थे और जब कोई पार्टी नहीं आ रही थी और भाग नहीं ले रही थी नेगोशिएशन में तब इस डेयरी के प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज ने ओफर दिया और उनकी ओफर को सभी तरह से विस्तार से देखा और क्योंकि और पार्टियां नहीं आई थीं और घी का विज्ञापन खास तौर से नहीं हुआ था अखबारों में इसलिए बड़ी सावधानी बरती गयी थी। कहीं इस बार डील के अन्दर फैडरेशन को कहीं नुकसान न हो और इसलिए पुराने समय में जो फर्म या व्यापारिक संस्थायें फैडरेशन से डील कर चुकी थीं उनके साथ जो अनुबंध हुआ था उसके बारे में बड़ा कड़ाई से मुकाबला किया गया। फैडरेशन ने कोशिश की जो पहले डील हुआ उससे ज्यादा पैसा नहीं जाये और मैंने जैसा बताया है कि फैडरेशन इसमें खरा उतरा है। सवाल यह आया कि सोलिंग एजेंट बना दिया तो फिर दूसरे लोग कैसे ले सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, कहीं मिसअण्डरस्टेण्डिंग है। मैंने मेरे बयानों में बहुत स्पष्ट किया है। यह सोल सेलिंग एजेन्ट नहीं थे महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज यह केवल सेलिंग एजेण्ट थे और यह माल मार्केटिंग फैडरेशन का बेचे इसके साथ-साथ कोई अन्य भी आ कर इसी शर्तों के साथ बेचे तो निश्चित रूप से खुली छूट है आज भी छूट है। जो वितरक राजस्थान में और अन्य जगह काम करते हैं यदि आगे आते हैं ओफर करते हैं काम भी करते हैं उनको निश्चित रूप से काम दिया जायेगा। उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिए स्थगन प्रस्ताव में आपके द्वारा जो यह प्रश्न उठाया गया था कि कुछ लोगों को काम मिला हुआ है उनके काम बन्द हो जायेंगे, लोग बेकार हो जायेंगे, यह

(श्री गोपालसिंह खण्डेला)

भ्रम है। इसका कोई आधार नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैंने मेरे बयान में सारी बात पर बहुत खुल कर प्रकाश डाला है।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न खड़ा किया है कि अब इसको क्यों रोका। आपका प्रश्न एक तरह से ऊपर ऊपर तो ठीक लगता है लेकिन फैडरेशन अपने माल की लगातार विजिलेन्ट होकर रखवाली करना चाहती है और सरकार भी यह प्रयत्न करती है कि कहीं फैडरेशन को कोई नुकसान न हो। जो यह डील चल रही है महालक्ष्मी मिनग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज के साथ में, साथ ही इसके अन्दर जैसा मैंने अभी बयान में बताया एक प्रतिशत कमीशन अधिक दिया गया है एक आइटम पर यह कितना उचित है कितना अनुचित है इस प्रश्न को देखना बहुत जरूरी है इसलिए जैसे ही मेरे पास सूचना आई मैंने उचित समझा कि on the face of things बात आगे नहीं बढ़े और इसलिए मैंने रोक दिया। हम कोशिश करेंगे मेरिट्स डि-मेरिट्स देखेंगे। सरकार इसके बारे में गम्भीरता से विचार करेगी और जो उचित होगा आवश्यक निर्णय लेकर फैडरेशन अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है फैडरेशन है उसको आवश्यकतानुसार निर्देश दिये जायेंगे मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एतराज किसने किया? आपके पास क्या शिकायत आई, क्या एतराज किया किन एतराजों की वजह से आपने फाइल मंगाकर रोक ली और देयरी फैडरेशन आटोनोमस कारपोरेशन है और डे टू डे वर्क के अन्दर गवर्नमेंट का या मिनिस्टर का कोई दखल नहीं होता है। मिनिस्टर बड़े सरकमस्टान्सेज में फाइल काल फार कर सकता है। फाइल क्यों काल फार की? आपके पास क्या कम्पलेन्ट आई जिसमें यह राजस्थान सरकार, विधान सभा चालू हुई 26 तारीख से, मई के अन्दर यह फैसला हो गया और उसके बाद राजस्थान विधान सभा में मैं नहीं समझता हमारी पार्टी ने कोई भी इस प्रकार का आरोप लगाया हो। आपने खुद ने रोका है तो आप सदन को अवगत करवायें। समाचार पत्र में भी नहीं पढ़ा कि किसी ने प्रोटेस्ट किया हो और जो स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया उससे भी कहीं दिखता नहीं है कि कहीं कोई सन्देहास्पद स्थिति हो। सन्देह जो पैदा किया वह आप ने किया है फाइल मंगवाकर, रोक कर वरना सामान्य प्रक्रिया चल रही थी एक और पर्सनल स्टोक अकुमुलेट किया दो साल तक और नेगोशिएशन में देरी की इसकी रेस्पान्सिबिलिटी आप पास आन करेंगे या नहीं किसी के ऊपर?

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : माननीय सभापति महोदय, बड़ी मात्रा में स्टोक्स अकुमुलेट हो गये यह एक अलग से प्रश्न है और बड़ा सीरियस क्वश्चन है। उसका इस एडजोर्नमेंट मोशन से तो कोई सम्बन्ध नहीं रहा। मैं निवेदन कर रहा हूं और यह स्टाक्स क्यों अकुमुलेट हो गये क्यों नहीं बिके यह आपने बात बताई, अच्छा किया? हम इसको देखेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों माल नहीं बिका, इसके बारे में हम जांच करेंगे एक बात की मुझे बड़ी खुशी है

(श्री गोपालसिंह खण्डेला)

कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एडजोर्नमेंट मोशन रखा है वह एडजोर्नमेंट मोशन की पैरवी तो इस वक्त नहीं कर रहे हैं, मेरा समर्थन जरूर कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पढ़ा है क्या आपने एडजोर्नमेंट मोशन को।

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : आप सुनिये। आपका नम्बर सुनने का है। माननीय सभापति महोदय, बैठते भी छींक और उठते भी छींक। गवर्नमेंट सावधानी से मामले को देख रही है, सतर्कता बरत रही है और कुछ लोगों से शिकायत मिली तो मैंने इस मामले को देखने के लिए फाइल मंगवाई और आवश्यक समझने पर मैंने इस पर रोक भी लगा दी। माननीय सदस्यों को क्या शिकायत है मुझे समझ में नहीं आई। उनको हमारे बैठते भी छींक और उठते भी छींक है। हमने देखा है। मामले को देख रहे हैं और निश्चित निर्णय करके आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या शिकायत थी? क्यों आपने फाइल मंगवाई, क्यों रोका? कुछ कहा ही नहीं आप पूरे प्रदेश के अन्दर अनावश्यक सन्देह पैदा किया है अखबार में भी यही छपा है। कौन शिकायत कर्ता है आप बताते क्यों नहीं? राजस्थान के अन्दर भ्रान्ति पैदा करना चाहते हैं। सदन के अन्दर यह आपकी विवशता है कि आप यह वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : माननीय सभापति महोदय, यह बड़ी बात है। हमने विजिलेन्स बरती है उसको माननीय सदस्य भ्रान्ति कहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या विजिलेन्स बरती वह बताओ? क्या शिकायत है वह बताइये ना आप। क्यों फाइल मंगवाई आपने?

श्री चन्दनमल बैद : आपने फाइल मंगवाई इससे सन्देह होता है कि बोनाफाइड इन्टेन्शन नहीं था आपका।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अनुबन्ध तो मुझे खुद मेलाफाइड नहीं लगता है आपका फाइल मंगाना मेलाफाइड है।

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : माननीय सभापति महोदय, 5 जून को प्रदेश के कुछ वितरक मेरे पास आए और उन्होंने एक आठ प्वाइन्ट का मेमोरेण्डम मुझे दिया जिसमें कई तरह की शिकायतें थीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नाम बताओ।

(6.00 सायं)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : इसके लिए मैंने यह जरूरी समझा और मैंने इस पर मार्क किया एम. डी. को कि इसकी क्या स्थिति है, पत्रावली में संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कर बात करें। एक मेमोरेण्डम मेरे पास आ गया। उसमें एक नहीं दस बातें लिखकर शिकायत की। इसलिए यह मेरे लिए बहुत जरूरी था कि इस मामले की मैं जानकारी करता। इसलिए यह कहना तो बहुत गलत है कि मैंने कोई भ्रम पैदा कर दिया। मैं तो अप्राउट विजिलेंट था।

श्री जुबेर खान : क्या कोई शिकायत आई थी ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अन्त में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हम कांग्रेस के अन्दर बैठ करके, विपक्ष के अन्दर बैठ करके, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की मिली जुली सरकार की कमियां सामने आयेंगी तो उसको निश्चित रूप से उजागर करेंगे। यह हमारा कर्तव्य बनता है, पर सभापति महोदय, यह एक ऐसा मसला है, मुख्य मंत्रीजी ने भ्रष्टाचार हटाने की मुहिम चला रखी है। मुख्य मंत्री जी का इस पूरे प्रकरण में, मेरी अपनी सामान्य बुद्धि से मैं समझता हूं, कोई लेना-देना नहीं है। राजस्थान में कोई आरोप आज तक लगाया नहीं, किसी ने। यह एक मात्र संयोग है कि मई के अन्दर निर्णय हो चुका जो पूर्व में कभी का हो जाना चाहिए था। उसके बाद मन्त्री जी ने फाइल मंगाई, एक भ्रान्ति पैदा हो गई। अखबार में यह रिपोर्टेड है कि गोपालसिंह खण्डेला के और भैरोंसिंह शेखावत के 36 का आंकड़ा है। सभापति महोदय, यह एक बहुत गम्भीर विषय है। यह आदमी सदन का सदस्य नहीं है।

श्री जगतसिंह दायमा : बिल्कुल गलत है। (व्यवधान)

श्री निर्भयलाल : असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : असंसदीय नहीं, अखबार में रिपोर्टेड है। (व्यवधान)

यह मोहनसिंह राघव, देखिये, सभापति महोदय, यह बड़ा नाजुक मसला है। मुख्य मंत्रीजी बहुत सेन्सेटिव हैं। अब तक यूं नहीं बोले। इस आदमी ने स्पष्ट रूप से कहा, हो सकता है कि नुकसान हो जाय। हमको तो इशारे में विजिलेन्ट होना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी की अगर रिश्तेदारी है इससे कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया। हर आदमी अपना इण्डिपेण्डेन्ट बिजनेस करता है। और आपके 36 का आंकड़ा है और अगर आपने फाइल मंगाई है, मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे नहीं। और आप इसका कान्ट्रेक्ट कैंसिल करोगे, फिर वह कोर्ट में जाता फिरेगा। यह पूरे राजस्थान के अन्दर आपने सन्देह पैदा किया है। एक तो यह है कि आपने किस रूल के तहत फाइल मंगाई, यह आप बताइये। फाइल मंगाकर आप क्या डिसीजन लेते, बाकायदा डेयरी बोर्ड का डिसीजन है। इस तरह आप कब तक निर्णय ले लेंगे। निश्चित बात बतायें। सदन तो अभी चलेगा। आप जो एग्जामिन करते हो, मई से जून और जुलाई, आधा जुलाई निकल चुका है। करीब लगभग दो माह हो चुके हैं। आप कितने समय तक देंगे। स्टॉक आपका इकट्ठा हो गया घी सड़ रहा है, और इकट्ठा हो रहा है। सभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि इसका जल्दी निपटारा हो। सदन स्थगित होने से पहले ही। किसी आदमी को अनावश्यक बात से नुकसान नहीं होना चाहिए। राजनीति आपस में लोगों के बीच में हैं, प्राइवेट बिजनस के अन्दर राजनीति नहीं आनी चाहिए।

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता माननीय भैरोंसिह जी के और मेरे बारे में 36 का आंकड़ा....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अखबार कहते हैं।

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : आप मेरी भी सुनेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अखबार की बात तो ठीक है, (व्यवधान) जब आप कोट कर रहे हैं, क्षमा करिये, माननीय सदस्य कोट कर रहे हैं, (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हिन्दुस्तान की प्रेस हमारे खिलाफ थी, इसलिए तो हम इधर बैठे ही हैं।

श्री सभापति : आप विराजिये। मन्त्री महोदय कुछ कह रहे हैं ?

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : हमारे और सदन के नेता....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके लिए भी कहा जाता है कि 36 के आंकड़े हैं।

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : आप बैठिये ना।

एक माननीय सदस्य : आप मानते हो ?

श्री सम्पत सिंह : आंकड़े तो कई फर्जी होते हैं।

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य सत्ता में बैठा करते थे और आज भाग्य या दुर्भाग्य से उधर बैठे हैं। इसमें तो मेरा कोई वश नहीं चलेगा। सदन के नेता श्री भैरोंसिहजी और मेरे बीच में 36 का आंकड़ा की बात कह कर आप क्या अर्जित करना चाहते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भ्रान्ति।

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : मैं समझता हूं सिवाय भ्रान्ति के और आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सदन के नेता भैरोंसिंह जी और मेरे 36 के आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन मेरे और भैरोंसिह जी के एक और एक ग्यारह के आंकड़े जरूर हैं।

आपने प्रश्न किया कि मुझे क्या अधिकार था फाइल मंगाने का। आप तो इधर की और उधर की दोनों बातें करते हैं। मैंने फाइल मंगाली तो क्या अधिकार था, नहीं मंगाते तो आप कहते कि आप क्या कर रहे थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम नहीं कहते।

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : आप भी कहते, और भी कहते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह ज्ञापन में आपने लिखकर दिया जो है। वह ज्ञापन भी आपने खुद ने तैयार करवाया।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गोपालसिंह जी इस तरह की कभी बात नहीं करेंगे। यह बता दूं। यह तो सैद्धान्तिक मतभेद होगा मुख्य मंत्रीजी से, एक दफा नहीं सौ दफा करेंगे। (व्यवधान) यह व्यक्तिगत अटेक आप ही करोगे।

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : अब आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए।

श्री जगतसिंह दायमा : ऐसा काम

(श्री जगतसिंह दायमा)

कांग्रेस में होता था। यहां नहीं होता ऐसा काम। (व्यवधान)

श्री गोपालसिंह खण्डेला : माननीय सभापति महोदय, यह तो सही है ग्रार. सी. डी एफ. एक फैडरेशन है ग्रौर स्वतन्त्र रूप से काम करता है। इसके रेग्यूलर बिजनस में. डे-टूडे बिजनस में राजस्थान को-ग्रापरेटिव एक्ट के ग्रन्तर्गत सरकार का दखल नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि यह जब महसूस किया जाये ग्रौर ग्रावश्यकता पड़े तो चाहे फैडरेशन हो, या को-ग्रापरेटिव एक्ट के ग्रन्तर्गत ग्रौर कोई संस्था हो, उनकी कार्य-प्रणाली में, उनके मैनेजमेण्ट में, प्रान्त के हक में, समाज के हक में कोई विपरीत बात जाती हो, उसको चैक करने के लिए सरकार को प्रत्येक ग्रधिकार है। मुझे यह बताना ग्रावश्यक नहीं है कि सरकार को या मुझे फाइल मंगाने का क्या ग्रधिकार था। मुझे सारे ग्रधिकार थे ग्रौर ग्रधिकारों के ग्रन्तर्गत ही मैंने फाइल कॉल की है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रापने ग्रन्त में बड़े बेताबी से पूछा है कब तक निर्णय ले लेंगे। ग्रापको क्या जल्दी है? (व्यवधान)।

हम देखेंगे इसको, यह मैंने पहले ही निवेदन किया....

श्री चन्दनमल बैद : क्यों नहीं है जल्दी? स्टेट में हमारा इण्टरेस्ट नहीं है क्या? ग्राप ही का इण्टरेस्ट है?

श्री गोपालसिंह खण्डेला : ग्रापके इण्टरेस्ट को ग्रौर मेरे इण्टरेस्ट को मैं एक ही मानता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : फिर जल्दी कैसे नहीं है हमको? माल सड़ रहा है ग्रौर हमको जल्दी नहीं हैं। यह ग्रापने कैसे कह दिया।

श्री गोपालसिंह खण्डेला : ग्राप काण्टेकस्ट को समझिये। ग्राप तो बहुत पुराने हैं।

श्री चन्दनमल बैद : 14 करोड़ का माल सड़ रहा है ग्रौर ग्राप कहते हो क्या इण्टरेस्ट है।

श्री गोपालसिंह खण्डेला : माननीय सभापति महोदय, इस सारे डील को निश्चित ही बहुत जल्दी देखेंगे ग्रौर उसमें उचित निर्णय बहुत जल्दी लेकर दिशा-निर्देश फैडरेशन को दिया जायेगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, एक दो बहुत ग्रहम सवाल हैं इससे सम्बन्धित।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : डेयरी व्यवसाय की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि लगभग दस लाख लीटर दूध हमारे संयंत्रों में सदा ग्राना चाहिये। कभी तो यह हो जाता है केवल दो लाख लीटर ग्रौर कभी चला जाता है यह 12 लाख लीटर तक।

दूसरी कठिनाई यह है कि हमारी दूरियां इतनी ज्यादा है कि पोकरण ग्रौर पोकरण से 60 मील ग्रागे से दूध लाग्रो उसको दिल्ली तक भेजें या जयपुर भेजें।

Page No. 183

(183)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

अगर पाउडर भी बनाओ तो पाउडर बनाने की लागत 33 या 34 रु. किलो आती है और बाजार में 28 रु. किलो का भाव है। तीसरा पशु आहार, मोलासेस और यह जो नये प्रोडक्ट आये हैं उससे इन्फीरियर आहार बिक रहे हैं लेकिन अभी इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं होने से, चूंकि यह नया ही आया है, यह चल नहीं रहा है और इस सबका नतीजा यह होता है कि कभी तो दूध कम आता है, मिलिट्री के पाउडर कोंटेक्टस भी पूरे नहीं कर सकते, दिल्ली को दूध की सप्लाई भी पूरी नहीं रख सकते, पेनल्टी खानी पड़ती है और कभी एक्सेस हो जाता है। मार्केटिंग भी हमारा बनता नहीं है, मार्केट एजेन्ट भी चाहते हैं कि एक्सट्रा सप्लाई हो। और इन्होंने मंगाया तो इसलिये कि अभी चुनाव नहीं हुये हैं, अधिकतर जगह कलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट यूनियन्स के चेयरमेन हैं सब सरकारी अधिकारी हैं और उनका यह मेला बना हुआ है। इस हालत में मन्त्री जी को नियन्त्रण थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है चुनिन्दा संस्थाएं हो जायेंगी तो कठिनाई नहीं होगी।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट....

श्री सभापति : बिल्कुल नहीं, आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सुझाव देना चाहता हूं। सभापति महोदय, सिर्फ एक सवाल।

श्री सभापति : अब आप बिराजिये, काफी चर्चा हो गई है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय के विषय में, कम से कम इनके वक्तव्य से सदन को बिल्कुल विश्वास नहीं है। इससे अन्याय हो जायेगा इसलिये आपको सुझाव देता हूं कि आप एडवोकेट जनरल को फाइल भिजवा दें, उनसे एग्जामिन करवा लें, लेकिन कोई टाइम फिक्स होना चाहिये। क्योंकि कोई पोलिटिकल डिसीशन हो, पोलिटिकल लेवल पर आप एक इन्डीविजुअल को नुकसान करें, that is not permissible.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि इस मामले में मेरा नाम लिया गया है, इसलिये मैं स्पष्टीकरण करना आवश्यक समझता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : अच्छे परिप्रेक्ष्य में किया गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जाते जाते कोई और खतरनाक पाईण्ट उठ जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई खतरनाक नहीं बनने वाला है।

श्री चन्दनमल बैद : लंगड़ी मारने की आपको आदत है, कहीं आप लंगड़ी मार दोगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय ने इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया। मैं इस मामले में मेरिट्स में जाने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं ऐसा समझता हूं कि अखबार के अन्दर यह बात प्रकाशित नहीं होती तो मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि अमुक प्रकार का मोहनसिंह राघव आर. सी. डी.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एफ. से कोई कान्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अखबार में जब यह बात आई....

एक माननीय सदस्य : इन्होंने छपवाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शायद आपको मालूम है या नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि क्यों छपा है। सभापति महोदय, अखबार में जानकारी आई तो पहली बार मुझे पता लगा कि इस प्रकार का कोई कान्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने मोहनसिंह राघव की तलाश की, मिल जायें तो मैं उनसे पूछ लूं, लेकिन मेरे प्रयत्न करने के बावजूद आज तक कभी कान्टैक्ट नहीं हो पाया। सभापति महोदय इस सदन के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के सदस्य और मैं समझता हूं, कांग्रेस के भी पुराने सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते है कि मेरे और इनके बीच में किस प्रकार के सम्बन्ध हैं। चुनाव के दिनों में वह मेरे पास नजदीक आते हैं। और चुनाव से लेकर अगले चुनाव तक हमारा मिलना कोई संयोग से हो जाये तो मैं कह नहीं सकता, मिलना भी नहीं होता है। सभापति महोदय, उनका दुर्भाग्य है, मेरे बहनोई है। सन् 1952 से मैं चुनाव लड़ता आया हूं और 1957 में इस पार्टी के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने मुझे स्वीकार किया है और ये मेरे बहनोई हैं यही कारण है कि इनको आज तक भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं दिया। सभापति महोदय, इस प्रकार की स्थिति मेरे सन इन ला की भी है ..

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इनको कांग्रेस में भेज दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वैसी ही स्थिति उनकी भी है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपको बेटों और पोतों से ही नम्बर नहीं मिलता। कहीं हिरेन्द्र मिर्धा और दिनेश जोशी, आपका तो नम्बर बचता ही नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हम आपको नम्बर दे देते तो आप उधर जाते ही नहीं ...।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस चुनाव से पहले वह भी अच्छी खासी सर्विस में थे राजनीति का शौक लगा और सर्विस से त्यागपत्र दे दिया। मैंने उनसे उस समय भी कहा था कि जब तक राजनीति में अपना निजी क्षेत्र नहीं बनाओगे, तब तक आप पार्टी का टिकट मेरे से लो, इसकी आशा मत करो। त्यागपत्र दे दिया ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपकी देखा-देखी कर रहे थे। आपने अपना क्षेत्र कौन सा बनाया है, कोई एक जगह है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी और मेरी स्थिति एक सी है। आप कभी भीनमाल से फलौदी और फलौदी से भीनमाल और कभी लूणी, इसलिये इसमें कोई विशेष बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं सदन से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 1952 से विधान सभा में आया हूं, 1952 से लेकर आज तक, बहुत पुराने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, बहुत बार चर्चा, आलोचना, कई बार झगड़े भी यहां पर हुए हैं लेकिन इतना कह सकता हूं कि 1952 से लेकर आज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तक इस राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर किसी आदमी ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है और अगर मैं उनकी सिफारिश करता ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : कहा ही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्यों नाराज हो रहे हैं ? इस प्रसंग में नहीं कहना चाहता और मुझे अगर सिफारिश करनी होती तो मैं आपको इतना निश्चित रूप से कहता हूं पूनमचन्द जी विश्नोई को सिफारिश करता....

श्री हीरालाल देवपुरा : काम भी हो गया होता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....और काम भी हो गया होता । पूनमचन्द जी विश्नोई के आने से पहले से कागज चलते आ रहे हैं, लेकिन यह यहीं बैठे है, मैं समझता हूं आज तक मैंने इनको टेलीफोन नहीं किया । तो इनको टेलीफोन करने के बजाय मैं किसी अधिकारी को टेलीफोन करता, यह तो सामान्य बुद्धि वाला आदमी भी सोच सकता है कि राजनैतिक आधार के ऊपर चाहे कितने ही विवाद हों, लेकिन आपस में यदि किसी प्रकार का काम हो तो कह सकते हैं । सभापति महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि यहां पर पुराने सदस्य, मन्त्री, मुख्य मन्त्री सब बैठे हैं । मैंने सिफारिश की होगी, लेकिन मेरा इस बात का रिकार्ड है मैंने अपने परिवार के किसी सदस्य की आज तक किसी भी काम में नौकरी के मामले में सिफारिश नहीं की । अब ऐसी स्थिति में अखबार में यह समाचार छपा....

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई नहीं कहता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और अखबार को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मेरे कारण से उनको कान्ट्रैक्ट मिल रहा है या मिलने वाला है....

एक माननीय सदस्य : इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और आपने इम्प्रेशन क्रिएट किया कि मेरे और गोपाल सिंह जी के बीच में 36 या 63 का आंकड़ा है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह अखबार कह रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक ही बात कह रहा हूं । जरा ऐसे मामलों में अखबार क्या कह रहा है उसको कितना गम्भीरता से लिया जाये सदन के सदस्यों को विचार करना चाहिये । मैं ऐसा समझता हूं कि अखबार में जो लिखा वह किस नीयत से लिखा है । केवल एक नीयत से कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का जो अभियान चलाया हुआ है, उसमें भैरोंसिंह को भी भ्रष्टाचारियों की कैटेगरी में खड़ा करके कह दिया जाये, इस राजस्थान में सब भ्रष्ट हैं । मैं इतना ही समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने लिखा है एक अच्छी सर्विस थी, मुझे कम से कम जानकारी तो मिल गई । लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं इन बातों से डरने वाला नहीं हूं । इन बातों से मेरे मन में किसी प्रकार की घबराहट आने वाली नहीं है । सभापति महोदय, आज मेरे खिलाफ लिखा गया तो सदन एक बात तय करलें तथा इस सदन के माननीय सदस्य, चाहे मन्त्री हो, मुख्य मन्त्री हों, चाहे भूतपूर्व हो, चाहे कोई हों, क्या उनका रिश्तेदार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राज्य में नौकरी नहीं कर सकेगा, क्या उनका रिश्तेदार भूखा रहेगा, क्या उनका रिश्तेदार कोई धन्धा नहीं करेगा ? अगर धंधा तो करेगा क्या इस बात को लेकर आरोप लगाया जायेगा कि अमुक धन्धा केवल इस कारण से उसको मिला है कि उसका अमुक मंत्री, मुख्य मंत्री या विधायक से रिश्ता है। 1988 से बात चली, पूरा 1989 निकल गया, जनवरी का महीना आ गया जनवरी तक सारे निगोशियेशन्स, फाइनल करके उनको चिट्ठी लिख दी गई, मैं तो मार्च में आया हूं जबकि जनवरी तक सारी कार्यवाही हो गई लेकिन अखबारों ने इस प्रकार से इम्प्रेशन क्रिएट किया, अखबारों के कारण मैं समझता हूं कि लोगों में इस प्रकार की भ्रान्ति पैदा हो गई कि अपने रिश्तेदार का पक्ष लेकर राजस्थान डेयरी फैडरेशन से इस प्रकार का कान्ट्रेक्ट करवा रहा हूं। मैं इसी सफाई के लिए खड़ा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वो सफाई तो आपने करवा दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि क्या अखबार के आधार पर यदि इस प्रकार के एडजोर्नमेंट मोशन में यह चीजें उठाई जाये, यह सब....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका फायदा हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुरेन्द्र जी आप बैठ जाइये। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। आप जो फायदे की बात कर रहे थे वह मैं समझ रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : आप जो भाषण दे रहे हैं, किसको इंगित करके दे रहे हैं, वह भी हम समझ रहे हैं। हमको तो भाषण दे नहीं रहे हैं। अखबार वाले यहां मौजूद नहीं है। यह तो गोपाल सिंह को दे रहे हैं आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मौजूद हैं या नहीं है। गोपाल सिंह को भाषण नहीं दे रहा। मैं सबके लिए, सारे सदन के सदस्यों के लिए यह बात रखना चाहता हूं कि अगर विधायक के सम्बन्ध में, मंत्री के सम्बन्ध में कोई बात अखबार में छप गई और उस छपी हुई बात को सदन में लाकर आप रखें तो निश्चित रूप से उसका कुप्रभाव पड़ेगा और ऐसे समाचार लिखने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रसंग में यदि मेरा रत्ती भर भी हिस्सा हो, तो मैं अपनी तरफ से ज्यूडिशियल इन्क्वायरी से नहीं, पूनमचन्द जी विश्नोई, चन्दनमल जी बैद, हीरालाल जी देवपुरा, कोई भी इसकी जांच करने आ जायें और जांच कर लें। मेरा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई हाथ नहीं है और मैं इतना.... (व्यवधान)। मैं एक बात और कहता हूं, अगर यह मंशा नहीं होती तो हाऊस में मामला नहीं आता। अखबार के आधार पर आपने एडजोर्नमेंट मोशन दिया। जिस तरह मामला उठा दिया तो मैं आपको इतना ही कहता हूं, मुझे अखबार के सिवाय और कोई जानकारी नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं केवल इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपके लिये, मेरे लिये और सदन के लिये बहुत भारी पड़ेगी अगर समाचारपत्रों में इस प्रकार की निराधार बातों के आधार पर हमने एडजोर्नमेंट मोशन

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

देने की पद्धति को चालू कर दिया। आज जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, कल आप पर भी लग सकते हैं, कल तीसरे पर भी लग सकते हैं तो इस परम्परा को तो भगवान के नाम पर बन्द करो और जो अखबार मुझे भ्रष्ट सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि उनके कहने से न तो मैं भ्रष्ट साबित होऊंगा, न मैं भ्रष्ट हूं। मैं आज कहता हूं, यदि जीवित आदमी का पोस्ट मार्टम सम्भव हो तो मेरा पोस्ट मार्टम करके कोई देख ले, भ्रष्टाचार का एक कतरा मेरे खून में नहीं मिलेगा। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे समाचारपत्रों के कारण ऐसा कोई भ्रष्ट आदमी बच जाये और सारों को एक लकीर के नीचे ले ले, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा, मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार मिट जायेगा लेकिन जब तक सत्ता में हूं इस बात की कोशिश करूंगा कि भ्रष्टाचार पर ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगाया जाय और अंकुश लगाने का प्रयत्न करूंगा, ऐसे समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने पर कोई मेरे कार्य में बाधा उपस्थित होने वाली नहीं है। धन्यवाद।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, एक बात कहनी पड़ेगी, माननीय मुख्य मन्त्री जी जाते-जाते लंगड़ी मार गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि उनका पोस्ट मार्टम किया जाय तो उनके शरीर से एक खून का कतरा भी भ्रष्टाचार का नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस सदन में आप ही ऐसे नहीं हैं, और भी कई हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां हैं। मैं यह कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : तो फिर आप लंगड़ी मार कर....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने आपको लंगड़ी नहीं मारी है। मैंने तो मेरे लिए कहा है यह सब। मैं ही बहुत ईमानदार आदमी हूं, बहुत निष्ठावान आदमी हूं, यह नहीं है परन्तु कि प्रसंग आपने मेरे लिए खड़ा किया है इसलिए मैंने कहा है। लंगड़ी वंगड़ी नहीं मारी है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : सभापति महोदय, आसन से सम्बन्धित बात है।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, इस विषय पर चर्चा अब नहीं होगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इसकी बात नहीं है। चर्चा की बात यह है कि इस आसन पर बैठने वाले उपाध्यक्ष महोदय जैसे व्यक्ति, जैसी हमें जानकारी मिली है, आज साढ़े पांच बजे उनकी कार दुर्घटना हुई, उसके बाद उनके पास ढाई बजे तक एम्बुलेन्स नहीं पहुंची, डाक्टर स्टाफ नहीं पहुंचा, इसके बारे में बात की जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, एक्सीडेन्ट हुआ था उनका वह अस्पताल में आये, पूरा परीक्षण हो गया उनका, थोड़े टांके आये हैं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, उनको बहुत आग्रह किया कि इन्टेन्सिव

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

केयर यूनिट में आपको थोड़ा समय रखा जाय ताकि आब्जर्वेशन्स हो सकें वे इसके लिए तैयार नहीं थे तो भी आग्रह करके उनको रखा हुआ है। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। ज्यादा चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़े समय में स्वास्थ्य में सुधार हो जायेगा। मिलने जरूर जायें आप उनसे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, प्रश्न इस बात का नहीं है। यह तो बड़ी खुशी की बात है, उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। अच्छा है वह बच गये लेकिन आपकी एम्बुलेन्स ढाई बजे तक आई। दो बार एम्बुलेन्स भेजी। वो लौटकर आ गई, एक बार खराब हो गई उनके साथ कोई डाक्टर भी नहीं भेजा गया। आपको सीरियसली तो लेना चाहिये था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस विषय को देखूंगा मैं, जानकारी के लिए।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री सभापति : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री कालीचरण सराफ, सभापति, याचिका समिति, 1990-91, याचिका समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन को उपस्थापित करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, मैं सभापति याचिका समिति 1990-91, याचिका समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : सभापति महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :

1. ग्राम बलकासा तहसील केशोराय पाटन, जिला बूंदी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने विषयक (7 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित)।

2. बूंदी जिले की कापरेन सीनियर हायर सेकेण्ड्री स्कूल में एन. सी. सी. एवं जीव विज्ञान का विषय खोले जाने वाले विषयक (5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित)

3. जिला बूंदी में कापरेन से टाकरवाड़ा (चम्बल नदी तक) पक्की रोड़ बनाने विषयक (5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित)

4 केशोरायपाटन जिला बूंदी के ग्राम बलकासा को लिंक रोड़ से जोड़े जाने विषयक (7 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित)

5. कोटा से केशोरायपाटन, कापरेन, लाखेरी होकर वाया सवाई माधोपुर जयपुर पर परिवहन निगम की बसों का संचालन किये जाने विषयक (4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित)

6. केशोरायपाटन से कापरेन व लाखेरी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की जर्जरित मुख्य सड़क की मरम्मत एवं अड़ीला कापरेन मुख्य सड़क को चौड़ा करने विषयक (6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित)

श्री सभापति : पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक।

(श्री सभापति)

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक, 1990

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक 1990 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

आय-व्ययक 1990-91 पर विचार अनुदान की मांग संख्या 42 व 43 का उपस्थापन

श्री सभापति : अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 67,21,85,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43, खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,19,48,000 तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से सौ रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

1. जालौर जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार से 25% सब्सिडी दिलाने एवं रानीवाड़ा क्षेत्र में लघु उद्योग के लिये जमीन तथा प्राथमिकता के आधार पर ऋण (लोन) व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

2. बूंदी जिले के नैनवां क्षेत्र में उद्योग लगाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

3 प्रदेश में वांछित औद्योगीकरण नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

4. उदयपुर में उद्योग विभाग द्वारा

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

नियमों की खुलकर अवहेलना करने से विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

5. बीकानेर को पिछड़ा एवं शून्य जिला (जीरो डिस्ट्रिक्ट) घोषित करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

6. भीनमाल शहर में ग्रेनाइट उद्योग स्थापित करानें पर चर्चा के लिये।

7. जालोर जिले के भीनमाल नगर में इसबगोल, जीरा प्रोसेसिंग प्लाण्ट व रायड़ा मिल लगाने पर चर्चा के लिये।

8. भीनमाल के बागोड़ा उप तहसील मुख्यालय पर ऊन उद्योग व कुटीर उद्योग लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

9. जिला बाड़मेर, जैसलमेर के गलीचा उद्योग में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

10. पश्चिमी सीमावर्ती राजस्थान में ऊन की कताई-बुनाई, कशीदा तथा बकरियों व ऊंट की जट पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)

11. राजस्थान में उद्योगों के विस्तार हेतु अनुदान राशि बढ़ाने तथा पिछड़े जिलों में अनुदान राशि देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर)

12. आबू औद्योगिक क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं करवाने पर भी रीको को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

13. मण्डार जिला सिरोही को हीरा उद्योग का क्षेत्र घोषित कर उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. आबू औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों हेतु रैन बसेरा बनाने की रीको द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

15 सिरोही जिले में ग्रेनाइट उद्योग को विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

16 राज्य में नये उद्योग शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाने हेतु नये लाइसेन्स देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)

17. राजस्थान में उद्योग के प्रसार के लिये पिछड़े क्षेत्रों को अनुदान देने पर चर्चा के लिये।

18. राजस्थान में एक खिड़की पर उद्योगों के विकास तथा विस्तार की नीति की शीघ्र क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर)

19. रेवदर के आसपास प्रचुर मात्रा

(श्री टीकमचन्द कांत)

में उपलब्ध मार्बल पर आधारित उद्योग को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर)

20. सवाई माधोपुर व खण्डार विधान सभा क्षेत्र में पानी व साधनों की उपलब्धता को देखते हुए लघु उद्योग लगाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

21. गैस पर आधारित खाद कारखाने पुनः सवाई माधोपुर में स्थापित करने पर चर्चा करने के लिये।

22. सवाई माधोपुर औद्योगिक क्षेत्र खेरदा में सरकारी एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की सहायता से स्थापित उद्योग बन्द होने एवं धन के दुरुपयोग होने पर भी रीको को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

23. सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री जयपुर उद्योगों को शीघ्र चालू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

24. राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन)

25. विभाग द्वारा हिन्डौन क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली पानी एवं सड़कों की समुचित व्यवस्था न की जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

26. राजस्थान में नये उद्योग नहीं लगाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) एवं

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

27. झालावाड़ जिले में शिक्षित बेरोजगारों को छोटे-छोटे उद्योग लगवाने के लिए सरकार द्वारा लोन देने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

28. झालावाड़ भवानीमंडी क्षेत्र में संतरे की पैदावार को देखते हुए ज्यूस बनाने का उद्योग लगाने पर चर्चा के लिये।

29. डग विधान सभा क्षेत्र के चोमेला कस्बे में उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. प्रदूषण निवारण की समुचित व्यवस्था हो जाने के पश्चात ही विभाग द्वारा उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिन्डौली)

32. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग एवं ग्रामोद्योग के विस्तार के लिये सरकार की उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

33. औद्योगिक क्षेत्र मकराना व बिदी-

(श्री मोहनलाल)

याद एरिया के विकास हेतु रीको की असफलता पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34. उद्योग स्थापित करने हेतु शिक्षित बेरोजगारों को जिला नागौर में ऋण उपलब्ध करवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

35. परबतसर शहर के पीरजी के नाका को पूर्व की तरह औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. बिनसरिया से औद्योगिक क्षेत्र बिदीयाद एरिया तक 9 कि. मी. सड़क के निर्माण करने भी में रीको की असफलता पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

37. जिला नागौर में दस्तकारों व लघु कुटीर उद्यमियों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं करवाने पर भी वित्त निगम को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

38. राजस्थान में लघु कुटीर उद्योगों को पनपाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. उद्योग नीति के अनुसार लघु कुटीर उद्यमियों को ऋण देने की प्रक्रिया के सरलीकरण पर चर्चा के लिये।

40. राजस्थान में कृषि व्यवसाय को उद्योग में सम्मिलित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग के विकास हेतु लघु कुटीर उद्यमियों की ऋण सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर)

42. विभाग द्वारा लूणकरणसर क्षेत्र में ग्रामीण उद्योग लगाने में रही असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेरसिंह (फलासिया)

43. उदयपुर जिले में उद्योग के अभाव पर चर्चा के लिये।

44. विभाग द्वारा झाड़ोल एवं कोटड़ा जिला उयदपुर में लघु उद्योग स्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. कोटड़ा जिला उदयपुर में रणकपुर सीमेण्ट फैक्ट्री बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन)

46. अनुसूचित जातियों को राहत देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

47. उदयपुर जिले में उद्योग स्थापित करने हेतु दी गई भूमि निरस्त करने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में फैली निराशा पर चर्चा के लिये।

48. अजमेर जिले में उद्योग हेतु दी गई भूमि निरस्त करने से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों में फैले असन्तोष पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

49. जोधपुर जिले में उद्योग हेतु दी गई भूमि को निरस्त करने से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों में फैले असन्तोष पर चर्चा के लिये।

50. भरतपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को कुटीर उद्योग एवं उद्योगों में पूर्वता नहीं देने में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. अलवर जिले में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को कुटीर उद्योग एवं उद्योगों में प्राथमिकता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. जयपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को कुटीर उद्योग एवं उद्योगों में प्राथमिकता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. रानी बाजार उद्योग क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को भू-भाग देकर निरस्त कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टौंक)

54. नई उद्योग नीति की तत्काल घोषणा की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. टौंक शहर में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. टौंक औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था पर दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

57. टौंक जिला उद्योग केन्द्र को प्रभावी एवं गतिशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. टौंक औद्योगिक क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं होने पर भी रीको को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

59. बून्दी जिले में नया सीमेन्ट कारखाना खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)

60. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में गांव उडवाला, माटीया, नेगरेड़ की पहाड़ियों में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने पर चर्चा के लिये।

61. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में बन्द स्टील फैक्ट्री को पुन: चालू करने पर चर्चा के लिये।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा)

62. अलवर व भिवाड़ी स्थित उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने पर अनुज्ञा पत्र दिये जाने पर चर्चा के लिये।

63. पंचायत समिति तिजारा में स्थित श्रीराम फाइवर्स लि. के खिलाफ प्रदूषण रिपोर्ट आ जाने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

64. अलवर व भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में हुए किसानों के शोषण पर चर्चा के लिये।

(श्री जगमालसिंह यादव)

65. भिवाड़ी स्थित सहारण पल्स एवं बोर्ड उद्योग द्वारा भूमि का कोई पैसा जमा न कराने पर चर्चा के लिये।

66. भिवाड़ी स्थित सहारण पल्स एवं बोर्ड उद्योग 10 साल से बन्द होने पर चर्चा के लिये।

67. भिवाड़ी स्थित सहारण पल्स एवं बोर्ड द्वारा कर चोरी एवं मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न करने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

68. अटरू विधान सभा क्षेत्र में उद्योगों में प्रगति नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा)

69. उद्योगों के जमीन लेने में किसान व उद्योगों के बीच से रीको का बिचौलिए पन हटाने पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर)

70. ग्रेनाइट उद्योग सिरोही, जालौर का मुख्य उद्योग है उस पर कर भार कम करने हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग)

श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़) एवं

श्री कन्हैयालाल (बस्सी)

71. उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को न रोक पाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

72. वन विण्डो सिस्टम के अनुसार नये उद्योगों की सभी आवश्यक पूर्तियां एक ही स्थान पर उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. जिला स्तर, तहसील स्तर एवं पंचायत स्तर पर उद्योग स्थापित करने हेतु सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. जयपुर नगर की बीमार इकाइयों को पुन:जीवित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टौंक)

75. टौंक में नमदा नगर योजना बना कर नमदा उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

76. नसीराबाद तहसील में उपलब्ध क्वारट्ज व फैलसफार कच्चा माल पर आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. राज्य में कच्चे माल का कोटा प्राप्त कर ब्लैक में बाजार में बेच देने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

78. शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग लगाने हेतु प्राथमिकता, सुविधा, मार्गदर्शन

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

एवं धन का विभाग द्वारा प्रबन्ध करने पर चर्चा के लिये।

79. उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण उपकरण न लगाने पर चर्चा के लिये।

80. राज्य के उद्योग विभाग में सिंगल विन्डो सिस्टम के अभाव में उद्योगपतियों द्वारा राज्य में उद्योग लगाने में उत्पन्न अरुचि पर चर्चा के लिये।

81. राज्य में उद्योग विभाग, राजस्थान वित्त निगम व रीको में तालमेल न होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

82. उद्योगों द्वारा की जा रही बिजली चोरी, कर चोरी व चुंगी चोरी को रोकने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

83. विभाग द्वारा बड़े उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली व बिक्री कर तथा चुंगी कर में रियायतों को अनिश्चितकाल तक चलने देने से अन्य उद्योगों को हो रही हानि व उनमें निरुत्साहित होने पर चर्चा के लिये।

84. अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करने तथा केन्द्र व राज्य द्वारा विशेष अनुदान दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

85. पीपल्दा क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ में सीमेन्ट, चूना, लोहा, तांबा आदि के भण्डारों का दोहन एवं उन पर आधारित उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

87. झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में सीमेन्ट कारखाना लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

88. बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ में सीमेन्ट उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

89. पीपल्दा क्षेत्र के इन्द्रगढ़ औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (बाली) एवं

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

90. बाली क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

91. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धन्धों में प्रोत्साहन देने के लिये ग्राम पंचायत स्तर तक उद्योगों की पूर्ण जानकारी प्रसारित की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. निर्वाचन क्षेत्र रायपुर (पाली) के पी.जी. फोइल्स के उद्योगों को जीवित रखने सम्बन्धित उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. कृष्णा मिल ब्यावर को हर सूरत

(196)

(श्री हीरासिंह चौहान)

में प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. राज्य के विकास के लिये रूग्ण पड़े उद्योगों को सूचीबद्ध कर उनसे उत्पादन प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

95. उद्योगों को समय सयय पर विभाग द्वारा कच्चा माल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र अलवर में रीको एवं पिछली कांग्रेस सरकार की मिलीभगत से नियमों के विपरीत उसे जोरिकइपेक्स के जोरावर वनस्पति यूनिट को देने पर भी रीको को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

97. कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार सामान राज्य सरकार द्वारा क्रय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. उद्योगों की दृष्टि से जयपुर जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. ब्यावर की कृष्णा मिल को पुनः चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. उद्योग स्थापित करने में जयपुर नगर के सुदर्शनपुरा क्षेत्र की उपेक्षा किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. जयपुर नगर की बीमार उद्योगों को जीवित करने के लिये सहयोग व राशि जुटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. राज्य में अधिक सीमेन्ट उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. नागौर क्षेत्र में नमक उद्योग के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. सवाई माधोपुर फैक्ट्री को पुनः शीघ्र चालू करवाने पर चर्चा के लिये।

105. उद्योग केन्द्रों पर फंक्शनल मैनेजर लगाये जाने व उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

106. वित्त निगम द्वारा टैक्सी कार, जीप के लिए ऋण देना बन्द कर देने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

107. राज्य में उद्योग अधिकाधिक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

108. ग्रामों में लघु उद्योग खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर खान (रामगढ़)

109. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल चोपड़ा (टोडारायसिंह)

110. टोडारायसिंह कस्बे व ग्रामीण

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

111. नैनवा तहसील में दरी, फर्स, निवार व गलीचा ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने में विभाग द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

112. नैनवां एवं आस-पास के गांवों में दरी, गलीचा, निवार, फर्स बनाने के कुटीर उद्योगों को अनुदान एवं ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

113. कोटपूतली और पावटा को उद्योग क्षेत्र घोषित करने के लिये सैकड़ों लोगों द्वारा धन जमा कराने पर औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं करने पर चर्चा के लिये।

114. कोटपूतली तहसील को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर)

115. प्रस्तावित उद्योग स्थापित किये जाने का अनुज्ञा पत्र जारी करने से पूर्व पर्यावरण प्रदूषण के निवारण हेतु विभाग द्वारा पूर्ण संतुष्टि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

116. जयपुर क्षेत्र में बड़े-छोटे उद्योग बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

117. जयपुर जिले में कुटीर उद्योगों को पर्याप्त संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह)

118. टोडारायसिंह क्षेत्र के बड़े ग्राम नामोदा व पैवालिया आदि में ग्रामीण उद्योग लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. टोडारायसिंह कस्बा व देवली कस्बा में औद्योगिक एरिया घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

120. अजमेर जिले में रोजगार प्रधान उद्योग लगाये जाने की विपुल संभावना पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खांडा (सूरजगढ़)

121. सिंघाना में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

122. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर)

123. उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं की कमियों पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन)

124. लाखेरी सीमेन्ट उद्योग में अनुसूचित जाति के मजदूरों को आरक्षण स्तर

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

पर नियुक्तियां एवं पदोन्नति दिलाने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं पर चर्चा के लिये।

125. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को विशेष ऋण एवं अनुदान दिलाया जाने पर चर्चा के लिये।

126. विभाग द्वारा लाखेरी सीमेन्ट उद्योग में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर 15 से 20 वर्षों से कार्यरत मजदूरों को नियमित किये जाने में विफल रहने पर चर्चा के लिये।

127. विभाग द्वारा लाखेरी सीमेन्ट उद्योग द्वारा सेवा निवृत्ति के नाम पर की जा रही कटौती को रोका जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. लाखेरी सीमेन्ट उद्योग द्वारा फैलाये जा रहे वायु प्रदूषण के प्रति विभाग की अनदेखी पर चर्चा के लिये।

129. सवाई माधोपुर सीमेन्ट उद्योग को पुनः चालू करवाने बाबत चर्चा के लिये।

130. ब्यावर की कृष्णा मिल को पुनः चालू करवाने पर चर्चा के लिये।

131. राज्य के रूग्ण ग्रामीण उद्योगों को विशेष ऋण मुहैया करवाकर पुनः चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. पश्चिमी राजस्थान में नये उद्योग लगाकर गरीबों को घर पर ही सुविधायें दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. केशवराय पाटन क्षेत्र में गत्ता उद्योग लगाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. बूंदी जिले में नया शक्कर उद्योग खोला जाकर कृषक वर्ग को राहत देने पर चर्चा के लिये।

135. केशवराय पाटन में रीको द्वारा प्रस्तावित सोयाबीन पर आधारित उद्योग शीघ्र नही लगाये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

136. नये उद्योगों को प्रदूषण यंत्र लगाने तथा निर्धारित शर्तों के पूरा करने के बाद ही खोलने की अनुमति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी नहीं होने से इनके साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा के लिये।

138. कोटा में विभिन्न उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के प्रति विभाग की अनदेखी से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. उद्योग विभाग में आरक्षित पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाया जाकर अनुसूचित जाति/जनजाति को सहयोग देने पर चर्चा के लिये।

140. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उद्योग लगाने में विशेष ऋण एवं अनुदान राशि दिलाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक)

141. बन्द अथवा रुग्ण उद्योगों को समुचित सहायता समय पर उपलब्ध कराने व उनके बेचान में हो रहे घोटाले व अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

142. स्थापित उद्योगों को समय पर ऋण व अनुदान नहीं दिए जाने से बन्द होते हुए उद्योगों को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

143. वित्त निगम, रीको, लघु उद्योग निगम तथा हाथ कर्घा निगम द्वारा स्वायत्तता के नाम पर मन-मानी करने पर भी दी जा रही सहायता पर चर्चा के लिये ।

144. जोरावर प्लाइवुड उद्योग में हुई अनियमिततायें एवं गम्भीर अवैधानिक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

145. खेरा उद्योग में हुए गबन घोटाले की फाईलें दबाने व कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बिरदाराम (मकराना)

146. मकराना औद्योगिक क्षेत्र स्थित मार्बल के बड़े व लघु उद्योगों को सब्सीडी देकर प्रोत्साहित नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवर लाल (सुजानगढ़)

147. प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में ही उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

148. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिये सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी)

149. ग्राम हाबिच में उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

150. फागी, माधोराजपुरा एवं रेणवाल में उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हजारी लाल (खेतड़ी)

151. खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट से उत्पन्न प्रदूषण के प्रति विभागीय अनदेखी किये जाने पर चर्चा के लिये ।

152. लाईम स्टोन व अन्य खनिज बाहुल्य क्षेत्र खेतड़ी तहसील में नये उद्योग शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

153. खेतड़ी तहसील में मूंज आधारित लघु उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

154. खेतड़ी में स्थित बड़े कारखाने से सम्बन्धित लघुउद्योग चालू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दांतपुर)

155. गांवों में फलों के ज्यूस के छोटे कारखाने खुलवाने व अन्य लघु उद्योग पनपाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री बहादुर सिंह)

156. बांसवाड़ा जिले में दाल मिल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. बांसवाड़ा जिले के गांवों में उत्पादित फसलों के आधार पर छोटे कारखाने खोलने पर चर्चा के लिये।

158. जिला बांसवाड़ा के गांव बारी में सीमेन्ट फैक्टरी बंद होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

159. बांसवाड़ा जिले में लघु उद्योग लगाने में सरकार द्वारा किये जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टौंक)

160. समूचे राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. पड़ौसी राज्यों के समान नये उद्योगों को सुविधायें देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

162. राजस्थान में औद्योगिकरण के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने हेतु विशिष्ट योजनायें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

163. उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने, ऋण एवं आर्थिक सहायता तथा विद्युत देने वाली संस्थाओं को एक दूसरे के लिए पूरक एवं सहयोगी के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. राजस्थान के बन्द उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की नीति पर चर्चा के लिए।

165. बन्द तथा बिमार उद्योगों के श्रमिकों की सेवा सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. राजस्थान वित्त निगम, रीको, विद्युत मण्डल तथा अन्य सम्बन्धित बैंकों के कार्यालय तथा उनकी ब्रान्चें एक ही परिसर में स्थापित करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

167. प्रदेश के औद्योगिकरण के लिए विचार करने हेतु एक समिति बनाने पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश भ्रामनानी (अजमेर पश्चिम)

168. अजमेर परवनपुर रीको क्षेत्र को अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराकर उनका विस्तार नहीं करने भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

169. रीको के औद्योगिक क्षेत्र परबनपुर में पानी की समस्या का समाधान नहीं करने पर दी जा रही सहायता पर चर्चा के लिये।

170. अजमेर में घूघरा से जयपुर रोड़ पर औद्योगिक क्षेत्र तुरन्त घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. केन्द्र सरकार द्वारा अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. अजमेर शहर में नये उद्योगों हेतु भूमि को अनुपलब्धता पर चर्चा के लिए।

173. अजमेर में सेरीमिक उद्योग

(श्री हरीश भामनानी)

लगाने हेतु श्रमिकों के लिए ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. नये उद्योगों को स्थापित करने में होने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिये।

175. उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कम होने पर चर्चा के लिए।

176. अजमेर जिले के केशरपुरा ग्राम में नये उद्योग लक्ष्मी फ्लोर मिल्स लिमिटेड को चालू करने में रीको एवं आर. एफ. सी. द्वारा की जा रही देरी एवं बाधा पर दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

177. उद्योग में काम आने वाली मशीनरी के लिये संयुक्त निदेशक द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की अवहेलना पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा)

178. उदयपुरवाटी में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

179. राज्य सरकार द्वारा बन्द पड़े कारखानों को अपने नियन्त्रण में लेकर पुनः चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. गंगानगर में खाद का कारखाना तेल आधारित उद्योग व कताई मिल के निर्माण पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)

181. खादी उद्योग बोर्ड द्वारा लघु उद्योगों एवं अन्य ग्रामीण स्तरीय इकाईयों को समय पर उचित ऋण सहायता उपलब्ध नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढय (उदयपुर ग्रामीण)

182. हिन्दुस्तान जिंक, पेस्टीसाइड कीटनाशक दवायें बनाने का कारखाना एवं मार्बल उद्योग द्वारा उदयपुर तथा आस-पास के इलाकों में घिसाई का चूरा एवं अनावश्यक गन्दगी फैलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)

183. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में दाल मिल फैक्ट्री के दिवालिया हो जाने एवं बन्द होने उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गूर्जर (नसीराबाद)

184. राजस्थान में उपलब्ध खनिजों पर आधारित उद्योग राज्य सरकार द्वारा न लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) एवं

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

185. डीग भरतपुर क्षेत्र में नये उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

1. रानीवाड़ा क्षेत्र में जालेरा खुर्द के (पटाड) में निकलने वाले कीमती माइन्स (धातु) में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बिना अनुज्ञा-पत्र के भारी लाभ कमाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

2. अवैध खनन कार्य को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

3. अवैधानिक रूप से किए जाने वाले खनन कार्य को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)

4. उदयपुर स्थित विभागीय कार्यालय में अनावश्यक पदों को समाप्त कर मितव्ययता करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

5. प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम दोहन एवं खनिज पदार्थों के अंतिम उत्पाद बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

6. अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को पत्थर की खानों की लीज निःशुल्क दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव)

7. बाड़मेर, जैसलमेर जिलों के पहाड़ों से अवैध रूप से पत्थर निकालने एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

8. सिरोही जिले में मार्बल व अन्य खनिज की खनन प्रक्रिया को सरल एवं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा लिए।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर)

9. जीरावल पहाड़ी में किये जाने वाले अवैध खनन कार्य को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

10. अधिकारियों एवं बड़े व्यापारियों की सांठगांठ से बढ़ते एकाधिकार को समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

11. राजस्थान में खनिजों का व्यापक सर्वेक्षण कर मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर)

12. रेवरदर पंचायत समिति क्षेत्र में उपलब्ध मार्बल के अनुचित दोहन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल (सवाई माधोपुर)

13. सवाई माधोपुर जिले के खनिज उत्पादित क्षेत्रों में मालिक एवं खान मज-

(283)

(श्री मोतीलाल)

दूरों के लिये सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

14. सवाई माधोपुर जिले के करौली क्षेत्र में अवैधानिक रूप से किये जा रहे अवैध खनन कार्य को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

15. राजस्थान में खनिज सम्पदा के सही प्रकार से दोहन नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर)

16. लूणकरण क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के दोहन में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

17. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में सरकार द्वारा खनिज सम्पदा का सर्वे नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. फलासिया निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को खनिज के पट्टे नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हेमराज (किशनगंज)

19. राजस्थान में जंगलात की भूमि पर सम्पूर्ण अवैध खनन को नियमित किए जाने पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल (परबतसर)

20. खनन नीति के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को खनन पट्टे जारी करने के लिए कोटा आरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. मकराना व विदियाद औद्योगिक क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

22. बीकानेर जिले की कोलायत में सफेद मिट्टी, गेरू घीया पत्थर हेतु अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को समुचित भू-भाग आवंटित नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

23. भीलवाड़ा जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को खनिज सम्पदा दोहन हेतु समुचित मात्रा में भू-भाग आवंटित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. कोटा जिले में अनुसूचित एवं जन जाति के लोगों को खनिजों के दोहन हेतु समुचित मात्रा में भू-भाग आवंटित न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

25. मकराना में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को समुचित मात्रा में खाने आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. मकराना में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को समुचित मात्रा में खाने आवंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

27. अलवर जिले में खान आवंटन में सरकारी पक्षपात पर चर्चा के लिये।

28. जोधपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को समुचित मात्रा में खानें आवंटित नहीं किए जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक)

29. टोंक जिले में खनिज विभाग द्वारा सर्वे कर दोहन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

30. राजगढ़ एवं थानागाजी (अलवर) में अवैध खनन कार्य किए जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

31. अलवर जिले में बढ़ते हुए गैर कानूनी खनन कार्य को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

32. खनन कार्य के आवंटन में गरीबों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)

श्री हेमराज (किशनगंज)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग)

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) एवं

श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़)

33. जयपुर नगर की घाटगेट की पहाड़ियों के खनन कार्यों को तत्काल बन्द किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. राक फास्फेट के लिए आवश्यक शोधन संयंत्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. राज्य में खनिजों के पर्याप्त दोहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) एवं

36. जयपुर जिले में नदी ऐरियों से बजरी ले जाने पर टी. पी. टैक्स हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

37. राज्य के मुख्य खनिज ग्रेनाइट व व संगमरमर के पर्याप्त दोहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग)

38. खनिज क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक सड़कों के अभाव एवं मरम्मत न होने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिए।

श्री प्रभुराम गासिया (पिंडवाडा) एवं

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

39. पिण्डवाडा, आबू क्षेत्र में खनिज

(श्री प्रभुराम ग्रासिया)

उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

40. खनिज विभाग में खास तौर पर उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर काबू पाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

41. खनिज के पट्टे दिये जाने की नीति में आमूल परिवर्तन कर खानों पर काम करने वालों को ही पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

42. अवैध खनिज व निर्धारित स्थान से हटकर अन्यत्र खनन करने वाले पट्टाधारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने बाबत चर्चा के लिये ।

43. गोटन स्थित सुन्दर केमिकल्स को स्टीम ग्रेड लाइम के पट्टे का नवीनीकरण करे पट्टा रद्द करे दंडित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. अजमेर जिले के श्रीनगर कस्बे में पत्थर उद्योग में भारी रायल्टी व पेनल्टी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग)

45. जयपुर जिले की जमवा रामगढ़ तहसील के ग्राम साहू में निकलने वाली चीनी मिट्टी के आवश्यक दोहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

46. झालावाड़ जिले में अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं श्री प्रभुराम ग्रासिया (पिंडवाड़ा)

47. खनिज विभाग के क्षेत्र के लिये राज्य का मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

48. बून्दी जिले में अवैध खनन कार्य को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमृतलाल (बाली) एवं श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

49. भीमाणा माइन्स वाली क्षेत्र में खनिज क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

50. अनुसूचित जाति के लोगों को खनिज कार्य में खनिज पट्टे देने में प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

51. जयपुर जिले के जमुवारामगढ़ क्षेत्र के साइवाज नटाटा पंचायत में बेनामी व अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

52. खनिज मजदूरों के लिये बने नियमों की अवहेलना व समय पर वेतन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

53. खानों की खुदाई में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग न किये जाने से श्रम में आधिक्य

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

से हो रही क्षति पर चर्चा के लिये ।

54. बांडी नदी व ढूंढ नदी में हाथ से खोद निकाले जाने वाली बजरी पर रायल्टी आदि की समस्त छूट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. रायसर नीम का थाना क्षेत्र के पत्थरों को मकराना के पत्थरों के नाम से बेचे जाने से राज्य में मकराना की गिरती छवि पर चर्चा के लिये ।

56. बिजोलिया क्षेत्र में फर्जी सोसायटी के द्वारा अलाटमेंट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

57. राज्य खनिज सम्पदा का विस्तृत सर्वे करवाया जाकर प्रकाशित कराया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

58. जयपुर जिले की पंचायत सुकेल के डूंगरों में चेजा पत्थर के पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

59. आंधी जमुवारामगढ़ क्षेत्र में खानों तक पहुंचने के लिये सड़क न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

60. जमवारामगढ़ के पापड़ पंचायत के गांव साहू जहां चीनी मिट्टी के विस्तृत भण्डार हैं उनके पट्टे दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

61. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

62. अधिकृत खनन व रायल्टी की चोरी रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

63. जयपुर जिले की तहसील जमवारामगढ़ की पंचायत राहोरी में कली के प्रसिद्ध भट्टों को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

64. राज्य में आदिवासियों को खनन पट्टा नहीं देकर संपन्न लोगों को आवंटित करने से बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न चिन्ता की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

65. भीलवाड़ा जिले के उपरमाल क्षेत्र में अतिक्रमण कर, अवैध खनन कार्य जारी रहने पर चर्चा के लिये ।

श्री मनोहरसिंह इन्दा (शेरगढ़)

66. ग्राम पंचायतों की गोचर भूमि में खनिज भण्डार की उपलब्धता की स्थिति में खनन कार्य करने की अनुमति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

67. खनिज क्षेत्रों का विज्ञापनों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर राज्य के राजस्व में भारी वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

68 बर, दीपावास, गिरी, लवाचा तहसील रायपुर जिला पाली में निकलने वाले कच्चे पत्थर के कातले व पट्टियों को अन्य विक्रय रायल्टी व अन्य अधिभार मकराना, बिजोलिया व जोधपुर के पत्थरों से अलग कीमत तय की जाकर छूट दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री हीरासिंह चौहान)

69. ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में उपलब्ध नदी की बजरी व खुले रूप से पाये जाने वाले पत्थरों पर रायल्टी लेने हेतु चर्चा के लिये। ग्राम पंचायतों को अधिकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. वर्तमान नियमों के तहत भूमि में खनिज सम्पदा की गहराई निश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. खनिज क्षेत्रों का विज्ञापनों द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रसारण किया जावे ताकि खनिज सम्पदा का पूर्ण दोहन कर राजस्व में भारी वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

72. ग्राम पंचायतों की गोचर भूमि में खनिज भंडार मिलने की स्थिति में गुणावगुण के औचित्यानुसार खनन कार्य करने की अनुमति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज (किशनगंज) :

73. बडौरा (अटरू), निमोदा, परानिया (किशनगंज) राजपुर (शाहबाद) बम्बोरी (किशनगंज) के जंगलात की भूमि पर किये जा रहे अवैध खनन को नियमित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडा रायसिंह) :

74. खनिज विभाग द्वारा टोडारायसिंह, थडोली, बीसलपुर की चल रही खानों के खनिज कार्य में उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

75. बड़े उद्योगपतियों की अपेक्षाकृत बड़े खान मजदूरों को ही खनन पट्टे आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. कोटपूतली तहसील में लाइम स्टोन प्रचुर मात्रा में होने पर भी किसानों व मजदूरों को अपने मकान बनाने के लिये पत्थर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) :

77. बून्दी जिले में हो रहे अवैध खनन कार्य को पुलिस एवं खनिज विभाग के सहयोग से रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं)

78. दौसा की श्रमिक ठेका यूनियन के लाईसेन्स गलत बयानों कर निरस्त करने से बेरोजगार हो गये लोगों की समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा)

79. खेरवाड़ा क्षेत्र में ग्रीन मारबल की खानों की लीज टाईम बॉड हो गई है। उनको निरस्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

80. खेरवाड़ा में पढ़े लिखे युवकों को प्राथमिकता के आधार पर खानें अलोट करवाने की चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन)

81. लाखेरी सीमेन्ट उद्योग द्वारा नगर

Page No. 208

२०१

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

क्षेत्र में आबादी के पास खनन कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल (राजसमन्द)

82. खनिज विभाग में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन)

83. प्रदेश में नये खनन पट्टों के वितरण में मजदूरों एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. बून्दी जिले में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. प्रदेश में खनन आवेदकों को दिये जाने वाले पट्टों पर लगी रोक को हटाई जाने पर चर्चा के लिये।

86. विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षित कोटा अतिशीघ्र पूरा करने पर चर्चा के लिये।

87. खनन कार्यों में लगे मजदूरों का अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा बीमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. प्रति तिमाही खनन कार्यों में लगे मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच करवाने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश में नये खनन पट्टे देते समय गरीब, मजदूर एवं अनुसूचित जाति के लोगों को अनुपातिक स्तर पर पट्टे दिलाने पर चर्चा के लिये।

90. जैसलमेर क्षेत्र में खनिज तेलों की खुदाई में शीघ्रता बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडा रायसिंह)

91. टोडारायसिंह, पड़ोली, बीसवपुर में कार्यरत खनन मजदूरों को खनन कार्य को गलत तरीके से रोकने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री बिरधाराम (मकराना)

92. मकराना में खान आवंटन की प्रक्रिया में की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. मकराना की मार्बल खानों में भरने वाले पानी को विभाग द्वारा निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)

94. विभाग द्वारा रणधीसर तहसील सुजानगढ़ की खनिज पहाड़ी क्षेत्र का विकास नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी)

95. विधान सभा क्षेत्र फागी के खदान क्षेत्रों में विभाग द्वारा रोड़ न बनाने तथा विद्यमान रोड्स की मरम्मत न कराने पर चर्चा के लिये।

96. राजस्थान में सभी प्रकार के खनिजों की लीज पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की आरक्षण के तहत लीज दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा)

97. बांडी व माशी नदी पर बजरी की माईनिंग लीज दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. बनास नदी पर लीज दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. बांडी व माशी नदी पर दिया जाने वाला वार्षिक ठेका समाप्त किये जाने पर विचार करने पर चर्चा के लिये।

100. पहाड़िया डूंगर की लीज समाप्त की जाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों को दिये जाने पर चर्चा के लिये।

101. बांडी नदी से निकलने वाली बजरी के ट्रकों को फागी, रेनवाल होकर निकालने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

102. जिला बांसवाड़ा के गांव उमराई व भूरी तलाई मारबल के खदानें व पट्टे बाहर के पूंजीपतियों को देने से स्थानीय आदिवासियों को हो रहे भारी नुकसान पर चर्चा के लिये।

103. बांसवाड़ा के पास त्रिपुरा खनिज मारबल के लिये कई लोगों द्वारा दिये गये फार्म व प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही कर शीघ्र मन्जूरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. जिला बांसवाड़ा में आदिवासियों को खनिज मारबल के पट्टे नहीं देने व रिश्वत लेने पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

105. अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द)

106. खनिज सम्पदा एवं अन्य उपयोगी सामग्री के परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (वैर)

107. भरतपुर जिले की बयाना एवं रूपवास तहसील में पुनः हथोड़ा सिस्टम लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

108. राजस्थान में ग्रामीणों द्वारा पीढ़ियों से किये जा रहे खनन कार्य को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोके जाने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री हजारी लाल (खेतड़ी)

110. झुन्झुनूं जिले की खेतड़ी तहसील में खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट की खानों की गहराई बहुत ज्यादा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा)

111. निम्बाहेड़ा क्षेत्र में खनिज उद्योग में आने वाली समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

112. किसानों की जमीनों से सरकार द्वारा निकाले जाने पर उन्हें पर्याप्त लाभ दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

113. उदयपुर घाटी में ग्रेनाइट, संगमरमर पत्थर की मण्डी के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

114 खनिज में कार्यरत मजदूरों की दुर्दशा और आवासीय समस्याओं पर चर्चा के लिये।

115. खनिज विभाग द्वारा खानों को अलाट करने व पट्टे देने में की जा रही अनियमितता एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. अवैध खनन के कारण राज्य सरकार को होने वाले करोड़ों के नुकसान पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)

117. विभाग द्वारा खनिजों के पट्टे आवंटन प्रक्रिया में सुधार कर श्रमिकों के हो रहे शोषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

118. उदयपुर निदेशक के कार्यालय में अनावश्यक पदों को समाप्त कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री सभापति : श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42 व मांग संख्या 43 उद्योग एवं खनिज के बारे में सदन में विचार हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, 40 साल के कांग्रेस के शासन में सरकार की गलत औद्योगीकरण की नीति के कारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले.... (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : आप बहस की शुरूआत करो तो बड़े सुरखाब के पर हैं, वह माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो कुछ नहीं।

श्री मोहनलाल चौहान : गांवों में जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हैं, दस्तकारी का धंधा करने वाले लोग हैं, बुनकर, लुहारी का धंधा करने वाले, सुथारी का धंधा करने वाले, चर्म उद्योग, चर्म रंगाई, सूती उद्योग, कुम्हारी धंधा, यह सब उद्योग गलत नीति के कारण बेकार हो गये हैं और गांवों में जो कुटीर उद्योग मे धंधा करने वाले लोग हैं वह बेरोजगार हो गये हैं। यह सारे उद्योग शहरों में आ गये हैं जिससे गांवों में जो गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं उनके पास कोई धंधा नहीं है। इन लोगों को पनपाने के लिए सदन को और सरकार को सोचना चाहिये और विचार करना चाहिये, कुटीर उद्योगों को पनपाना चाहिये और बढ़ावा भी देना चाहिये।

आज राजस्थान प्रदेश में कुटीर उद्योग में धंधा करने वाले लोग काफी पीड़ित हैं। इन लोगों की दशा भी खराब है, गांव के लोग बेकार बैठे हैं, उनके पास कोई

(श्री मोहनलाल चौहान)

धंधा नहीं है और न उनके पास पेट भरने का कोई साधन है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन करके जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पनपाने के लिये अधिक से अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध करायें। जो ऋण की सीमा सरकार द्वारा निर्धारित है, जैसे खादी ग्रामोद्योग संघ से जो ऋण दिया जाता है वह साढ़े चार रुपये तक दिया जाता है, वह बहुत कम है। वित्त निगम द्वारा कई दस्तकारों को ऋण देने की योजनाएं बनाई गई थीं, यह योजनाएं भी काफी असफल रही हैं। उन लोगों को न तो ऋण पूरा दिया जाता है, एक किश्त दे दी जाती है, ऋण देने की जो प्रक्रिया है वह भी जटिल है। ऋण देने की प्रक्रिया में, जो कार्यवाही करनी पड़ती है, उन लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऋण वह लोग आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऋण की सुविधा में सरलीकरण किया जाय तो यह कुटीर उद्योग ज्यादा पनप सकते हैं। मेरा यह सुझाव है कि ऋण सुविधा का सरलीकरण किया जाय और वित्त निगम से ज्यादा से ज्यादा लोन इन कुटीर उद्योगों को दिलवा कर इनको पनपाने की कोशिश करें तो राजस्थान में जो बेकार लोग बैठे हैं कुटीर उद्योग वाले, वह भी पनप सकते हैं और बेकारी दूर हो सकती है। मैं सरकार को यह भी सुझाव देना चाहता हूं, जो कुटीर उद्योग में धंधा करने वाले लोगों को ऋण दिया जाता है, उनके मकान तक गिरवी रख लेते हैं, उनके सभी तरह के जो भी खाने के साधन होते हैं, पट्टे भी गिरवी रख लेते हैं। लेकिन जो फैक्ट्रियों पर ऋण देते हैं, मशीनों पर ऋण देते हैं वह आपके पास कोई पट्टे, मकान, कुछ भी नहीं रखते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो कुटीर उद्योग में धंधा करने वाले हैं, गरीबों के कच्चे झोंपड़े होते हैं, उन प्लाटों तक को गिरवी रख लेते हैं, इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल करें तो गरीबों का उत्थान हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराया जाय तो उद्योग धंधे पनप सकते हैं।

हमारे मकराना का मार्बल का हिन्दुस्तान का माना हुआ उद्योग है। मकराना के मार्बल का काफी बड़ा उद्योग होने के बावजूद आप मकराना की दशा जाकर देखो, तो वहां पर सड़कें तक नहीं हैं। आप मकराना में खड़े नहीं रह सकते। आपकी गाड़ी भी समय पर पार नहीं हो सकती। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मकराना जो मार्बल का हिन्दुस्तान का माना हुआ उद्योग है वहां जाकर सड़कें देखें तो आपकी गाड़ी एक घंटे में मकराना के अन्दर से पार नहीं हो सकती। तो यह उद्योग विभाग वाले इतना पैसा कमाते हैं और सड़कें भी नहीं बना सकते? उद्योग विभाग को यह चाहिये कि मकराना की दशा सुधारने के लिये सड़कें बनायें। औद्योगिक क्षेत्र मकराना का जो ढांचा खराब है, हालत खराब है, उस मकराना में सड़कें बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं एक और सुझाव भी सरकार को देना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में कई बार अकाल की स्थिति होती है, कई

(श्री मोहनलाल चौहान)

बार अकाल पड़ता है, तो हमारी जो कृषि है, उस कृषि को भी उद्योग में शामिल करना चाहिये। अगर कृषि को आप उद्योग में शामिल करेंगे तो जो कृषकों को नुकसान होता है अकाल के समय और बड़ी हालत खराब होती है, उनके नुकसान के सम्बन्ध में कोई ऋण सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। तो मेरा यह सुझाव है, माननीय मंत्री महोदय, अगर कृषि को भी उद्योग में शामिल कर लिया जाय तो राजस्थान के कृषकों को काफी लाभ मिलेगा और कृषकों की माली हालत भी ठीक रहेगी।

खनिज सम्पदा हमारे प्रदेश में बाकी है और काफी मात्रा में बढ़ रही है। तो इस खनिज सम्पदा पर हमको ज्यादा जोर देना चाहिये। इससे रोजगार और धंधा भी लोगों को काफी मिलता है और काफी मात्रा में यह धंधा राजस्थान में आगे बढ़ रहा है।

सभापति महोदय, करोड़ों रुपयों की आय लेता है खनिज विभाग। जहां-जहां भी खानें वगैरह हैं वहां सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। वहां खनिज विभाग सड़कें नहीं बना सकता है? सड़कों के लिये आपकी तरफ से कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो हमारे खानों में काम करने वाले लोग हैं, मकराना में, गोटन में, खनिज से पैसा खर्च करके सड़कें तो बना ही सकते हैं। तो ऐसे मसले पर आपको ध्यान देना चाहिये। आवागमन का अगर साधन होगा तो हमारे व्यापारियों को, मजदूरों को आने जाने में सुविधा होगी। मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह मकराना की जो डबल रायल्टी का मामला है, सरकार को इसको भी सीरियसली लेकर डबल रायल्टी समाप्त कर देनी चाहिये और मकराना के लोगों को सुविधा देनी चाहिये। नहीं तो थोड़े दिन के भीतर भीतर यह उद्योग ठप्प हो सकता है। आपके पास, मंत्री महोदय, कई बार ज्ञापन भी आये हैं और सदन में भी यह मसला उठा है, कई व्यापारी लोगों ने आपको ज्ञापन दिया है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपके खनिज डिपार्टमेंट के ऐसे-ऐसे मसले हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय और सरकार को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो खनन का पट्टा दिया जाता है, गरीब आदमी तो ले नहीं सकता। मैं यह मांग करता हूं, मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का भी आरक्षण कोटा मुकर्रर करके खानों का पट्टा दिया जाय, तो गरीबों को काफी मदद मिलेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : सभापति जी, मैं मांग संख्या 42 व 43 का समर्थन करता हूं और साथ ही इसमें उद्योग मंत्री की बहुत सराहना करता हूं कि उन्होंने एक उद्योग नीति बनाई। इससे पहले भी उद्योग नीति 1978 में बनी थी, उस समय भी शेखावत साहब की सरकार थी। अब पुनः उनकी सरकार आई है

(श्री रमाकान्त शर्मा)

और पुनः उद्योग नीति बनाई गई है। तो यह बहुत ही सराहनीय काम है। मुझे उद्योग नीति की कापी कल शाम को ही मिली ! इसे पढ़ने का ही मौका मिला है, और मैं इस बात की सराहना करता हूं कि उद्योग मंत्री जो बहुत ही भावना के साथ, बहुत ही उद्देश्य को लेकर राजस्थान में उद्योगों का जाल खींचना चाहते हैं। जो उद्योग लगाने में आज तक कमियां रही हैं उनकी पूर्ति हो, उसके सर्वांगीण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। मैं इस नीति के उद्देश्य पढ़ रहा था। खास खास इसके उद्देश्य हैं कि राजस्थान में उपलब्ध खनिज, पशुधन आदि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाय, उन पर आधारित उद्योग हों, उसी प्रकार अधिक से अधिक इन उद्योगों के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ क्षेत्रीय असन्तुलन दूर हो। यह एक प्रकार के आधारभूत उद्देश्य हैं किसी भी प्रान्त के लिए, वहां जो रा-मैटेरियल मिलता है और वहां के रोजगार की बात हो तो इनसे हटकर दूसरा कोई उद्देश्य हो नहीं सकता। परन्तु इस प्रकार के उद्देश्य पहले भी थे। उन उद्देश्यों की पूर्ति क्यों नहीं हुई ? आज भी मुझे शंका है कि यद्यपि हमने एक नीति बना दी, यद्यपि हम चाहते हैं कि हेप हेजार्ड डवलपमेंट न हो और नीति के आधार पर हो, और मैं यह भी चाहूंगा कि जो मेरी शंकाएं हैं उनमें मैं गलत साबित होऊं, परन्तु मेरी आशंका निर्मूल नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब तक इस प्रकार के उद्देश्य आपके राजस्थान वित्त निगम के उद्देश्यों में समाहित न हों, इस प्रकार के आई. एफ. सी. आई और आई. सी. सी. आई जो संस्थाएं हैं वास्तव में जो उद्योग प्रमोट करती हैं और सारे का सारा वित्तीय मदद देती हैं उद्योगपतियों को, उनके उद्देश्य भी इसी प्रकार के नहीं हुए तो आज तक जैसी इंडस्ट्रीज लगती रही हैं उसी प्रकार से लगती रहेंगी और हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी और वह नीति आपकी सारी की सारी निरर्थक रह जाएगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत कम बिजली है. पानी की बहुत कमी है, परन्तु उद्योग में वह दोनों ज्यादा मात्रा में लगते हैं। वित्त की भी कमी है। वह सारे के सारे हमने उद्योग में लगाये परन्तु ऐसे उद्योग कौनसे हैं जिनमें इन सारी चीजों का विनिमय हुआ हो और जिनसे हमारे आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई हो ? सारे हिन्दुस्तान के उद्योगों के आधार पर देखें तो हिन्दुस्तान के सभी क्षेत्रों का, जिसमें पिछड़े क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, आधा उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के प्रदेश भी हैं इन सबके एवरेज एक लाख लोगों पर 1006 आदमी उद्योगों में एम्प्लायड हैं, जब राजस्थान में एक लाख में 500 आदमी एम्प्लायड हैं हालांकि यहां जे. के. का उद्योग लगा हुआ है, डी. सी. एम. का उद्योग लगा हुआ है, एक सिम्को लगा हुआ है जिसका दो करोड़ का टर्न ओवर है। इनमें राजस्थान के एक आदमी को एम्प्लायमेंट नहीं है, न सेल्स टैक्स की इनकी रेवेन्यु हमें मिलती है। सारे का सारा कन्साइनमेंट बेसिस पर दूसरी जगह चला जाता है। न रॉ-मैटेरियल यहां पर खरीदते हैं, न वो चीजें हमारे यहां जो पैदा होती हैं वह लेते हैं। इन बड़े-बड़े उद्योगों के अलावा मेरे पास तीन सौ की लिस्ट है जिनमें हमारी स्केयर्स चीजें तो लग गई परन्तु न

(श्री रमाकान्त शर्मा)

राजस्थान की जनता को न सरकार को कोई लाभ मिला है।

माननीय उद्योग मंत्री जी कुछ दिनों पूर्व अलवर में थे। मैं भी वहां था। वहां आदमी ने कहा था कि यह उद्योग अलवर में लगे हुए हैं लेकिन इनमें नाम लेने को भी एक आदमी मौजूद नहीं है। इसी प्रकार की स्थिति सब जगह चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय हम किसी भी उद्योग को वित्तीय सहायता दें, क्यों नहीं उनको कह सकते कि आप अपना हैड आफिस यहां रखेंगे। सारे का सारा रॉ-मैटेरियल यहीं क्रय करेंगे और यहीं पर माल बेचेंगे, डाउन स्ट्रीम इण्डस्ट्रीज यहीं पर करवायेंगे और यहीं के लोगों को रोजगार देंगे। यह सारी बातें क्रियान्वित नहीं होंगी, तब तक हम जो उद्योग लगवा रहे हैं, हमारा सारा वित्तीय खर्चा हो रहा है, उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, रोजाना हम अखबारों में देखते हैं फलां उद्योग सिक हो गया, बीमार, डिफाल्टर हो गया, इसलिए उसको बेच देना चाहिए, उसकी वसूली कर लेनी चाहिए। सैकड़ों इस प्रकार से बिक गये परन्तु बड़े उद्योगों की ओर कोई नहीं देखता। माडर्न इंसुलेटर बहुत बड़ा डिफाल्टर है। आई.डी बी आई. का बहुत बड़ा डिफाल्टर है और जिस समय डिफाल्टर है उसी टाइम में एक वूलन मिल के नाम पर पब्लिक इश्यू की उसको इजाजत मिल जाती है और 24 करोड़ रुपये जनता से ले लिए जाते हैं। इस माडर्न इंसुलेटर ने न तो राजस्थान में अपनी नीति बनाई है न उसका कोई लाभ मिल रहा है और साथ में जो शेयर होल्डर हैं उनके 8-10 उद्योग हैं जिसमें जीरो से लेकर 100 करोड़ तक के मालिक बन गये परन्तु आज कोई राजस्थान की जनता या सरकार को किसी प्रकार का लाभ हो, ऐसा मुझे दिखता नहीं। मैं समझता हूं इन चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा हूं कि वित्तीय संस्थानों में उद्देश्यों में तो सारे का सारा शायद बदलवा लेंगे परन्तु जो हमारा डाइरेक्टोरेट है उसके बारे में भी सोचें कि वह करता क्या है, उद्योगों के प्रोत्साहन में उसका क्या रोल है। कोई भी साधारण उद्योग 20 लाख की इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं तो इन्टरप्रन्योर आर. एफ. सी. के पास जाता है, उसका अप्रेजल होने के बाद कहा जाता है कि 20 लाख पर तीन लाख की सब्सिडी मिलेगी, इसलिए लोन तीन लाख कम होगा। वह तीन लाख कम करके उस को स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद भारत सरकार कह देती है कि अब सब्सिडी नहीं देंगे। उसे तीन लाख का गैप पड़ जाता है और फिर वह उद्योग सिक होना ही है। इस प्रकार प्रोत्साहन न देकर बीच में रुकावट डालते हैं। तो मैं समझता हूं भारत सरकार ने सब्सिडी बन्द कर दी तो राजस्थान इन उद्योगों को सब्सिडी दे, आर. एफ सी. या रीको के सामने जब अप्रेजल आता है तो उनके द्वारा वहीं पर सब्सिडी सैंक्शन कर दी जाय, इसके लिए आवश्यक है कि डाइरेक्टर के पास में इसकी एक अलग कमेटी हो। आर.एस.ई.बी., रीको, सारे का सारा तंत्र आपका है। इनकी वजह से उद्योगों में रुकावट आती है और समय

(श्री रमाकान्त शर्मा)

पर धनराशि नहीं मिलती या कम मिलती है उसके कारण उद्योग रुग्ण होते हैं। उन का कारण यही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो इण्डस्ट्रीज डाइरेक्टरेट है, यदि आप उनको पूछें कि किस-किस उद्योग के रुग्ण होने में कौन-कौन से कारण हैं तो उनको कुछ पता नहीं है। कौनसे उद्योग की कितनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है या मशीनरी में कोई इम्बेलेन्स है या मैनेजमेंट में कोई प्राब्लम है, उनको इन सारी बातों का पता नहीं। जो उनको मानीटरिंग करने का, उद्योगों को सहयोग देने का काम है, उनको कन्धे से कन्धा मिला कर काम करने की बात है, वह नहीं करेंगे और इस प्रकार से फुलिश फन्क्शन्स हो रहे हैं। मैं समझता हूं उद्योग मंत्री जी इस बारे में ध्यान देंगे तो उद्योगों को स्थान मिलेगा। इसी प्रकार डाइरेक्टोरेट के नीचे जो जिला उद्योग केन्द्र हैं वह इसलिए बनाये गये थे कि जिले में सारे विभागों के काम एक ही छत के नीचे होने लग जायेंगे। वहीं रीको और आर.एफ.सी. के आदमी बैठते हैं, वहीं उद्योग विभाग का जनरल मैनेजर होता है। क्या आप कह सकते हैं कि उनमें किसी प्रकार का को-आर्डिनेशन है? वह सारे अपने-अपने विभाग और निगम की डाइरेक्शन्स से काम करते हैं। एक छत के नीचे जरूर बैठे हुए हैं परन्तु उनमें कोई को-आर्डिनेशन नहीं होने की वजह से जो व्यवस्था पहले चल रही थी वही अब है। उद्योग विभाग ने जो आदमी वहां जनरल मैनेजर लगाया है उसका न कोई इन्जीनियरिंग बैक ग्राउण्ड है न कोई व्यावसायिक या उद्योग के बारे में उसकी कोई समझ है। कोई भी एल. डी. सी., यू. डी. सी. प्रमोशन प्राप्त करके कहीं आकर जनरल मैनेजर बन गया, वह रीको और आर. एफ. सी. से को-आर्डिनेशन कर नहीं पाता। जब तक अच्छी तरह से उद्योगों की समझ का आदमी वहां नहीं बैठायेंगे और कोई न कोई औपचारिक व्यवस्था आप उन के को-आर्डिनेशन की नहीं करेंगे, तब तक उद्योग के अन्दर ये जो हमने डी.आई.सीज. बनाये हैं, ये हमारा कोई साथ नहीं दे सकेंगे। आपने गुजरात की इसी प्रकार की बहुत अच्छी नकल की। गुजरात के अन्दर है एक इण्डस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो। वह सरकारी संस्था नहीं है। एक निजी संस्था है, एक वोलंटरी संस्था है। उस वोलंटरी संस्था का जो मैनेजिंग डाइरेक्टर है उसकी यह ताकत है कि किसी भी उद्योगपति का, किसी भी एण्टरप्रिन्युअर का, काम नहीं होता है तो उनको साथ लेकर के मुख्य मंत्री जी का दरवाजा सीधे, बिना इन्टरव्यू लिये हुए, बिना उनसे टाइम लिये हुए खटखटा सकता है। वह किसी भी विभाग के अधिकारी के पास में, बिजली के चेयरमेन के पास में, जा सकता है कि इसका यह काम होने का है, इसका आज कनेक्शन होने का है, इसको आज जमीन मिलने की है इसको अभी वित्त सेंक्शन नहीं हुआ है। इस प्रकार के जो काम हैं, वह बेधड़क होकर के जा सकता है।

हम तो नकल करने के अन्दर बहुत अच्छे हैं, माहिर हैं, हमने भी यहां पर एक ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रीज, बी आई.पी. बनाया। तो ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन बना रखा है। उसके अन्दर इस तरह के आदमी हैं जो अपने विभाग के अपने से नैक्स्ट

(श्री रमाकान्त शर्मा)

अफसर, डिप्टी डाइरेक्टर के पास में भी जाते हैं तो उनके पांव घूजते हैं। एन्टरप्रिन्युअर को वह न तो बिजली का कनेक्शन दिलवा सकता है न कोई वित्त का लाभ दिला सकता है। वह कुछ भी नहीं दिलवा सकता। वहां पर तीन-चार आदमी बैठा रखे हैं वन विण्डो सर्विस सेन्टर के नाम पर। यह वन विण्डो सर्विस कम्पलीटली थ्यौरिटिकल है, माननीय मंत्री महोदय। जब तक आप वहां पर इस प्रकार का आदमी नहीं बैठायेंगे जो आदमी ऊंचे से ऊंचे अधिकारी और आपके पास, मंत्री के पास या मुख्य मंत्री के पास, बेधड़क होकर के जा सके, बराबर के अफसर से बात कर सके तब तक यहां के जो एन्टर-प्रिन्युअर हैं, उनको सहायता नहीं मिलेगी। आज उद्योग इन्सेंटिव के नाम पर नहीं लगते हैं। आप यह कहें कि हमारे पास बिजली की बहुतायत है, बिजली हम दे देंगे तो इस आधार पर उद्योग नहीं आते। उद्योग उस प्रान्त के अन्दर लगते हैं, जिस प्रान्त के अन्दर उद्योगपति को, एन्टरप्रिन्युअर को, यह महसूस होता है कि जब भी उसको तकलीफ होगी उस समय सरकार के जो अधिकारी हैं वे कंधे से कंधा मिला कर के उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए तत्काल पहुंच जायेंगे। और यही कारण है कि आज गुजरात के अन्दर, महाराष्ट्र के अन्दर, आंध्र और कर्नाटक के अन्दर बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। वहां पर बिजली की वजह से या इन्सेंटिव की वजह से या आप जिस प्रकार का इक्विटी पार्टिशियन्स करते हैं उसके आधार पर उद्योग नहीं लगाये जाते हैं। यह वातावरण यदि आप बनाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी जो औद्योगिक नीति है वह ज्यादा सक्सेसफुल होगी।

मैं थोड़ा-सा जो आपने औद्योगिक क्षेत्र बना रखे हैं, उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। मैंने आपकी रिपोर्ट में पढ़ा है कि 177 औद्योगिक क्षेत्र बन गये। उसके अन्दर अभी तक काम नहीं हुआ है। इनमें 21,199 आपके प्लांट्स हैं, उसके अन्दर उत्पादन केवल मात्र 6461 के अन्दर है। यह हमारी 15 साल की सारी की सारी उपलब्धि है। इसके पीछे अगर यदि कारण देखेंगे तो आपको कारण पता लगेगा कि आपके औद्योगिक क्षेत्र जहां पर लगने चाहिए वहां पर रीको की आंख मींची हुई होती है। माननीय सभापति महोदय, मकराना के अन्दर मार्बल पैदा होता है और उदयपुर में होता है। इन दोनों से कहीं अधिक मात्रा के अन्दर थानागाजी के अन्दर पैदा होता है। और थानागाजी एक ऐसा स्थान है पूरे राजस्थान के अन्दर, जिसमें मार्बल भी है और ग्रेनाइट भी है। और आपके जो कार्पोरेशन है उसके मैं चार महीने से पीछे पड़ा हुआ हूं कि, भाई, जमीन वहां पर उपलब्ध है, पानी वहां पर उपलब्ध है, बिजली वहां उपलब्ध है, आदमी वहां उप-लब्ध हैं, और दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट जो है वह नजदीक है। उसके लिए अभी तक उनकी सर्वे चल रही है। कौन सी सर्वे करना चाहते हैं आप? सर्वे के अन्दर यह बताया हुआ है कि वहां पर मार्केट और रा-मेटेरियल दोनों के दोनों हैं और आदमी काम करने वाले हैं और उद्योग वहां लगाने वाले मौजूद हैं। परन्तु आप पता नहीं कहां किसी आइसोलेटेड कॉर्नर के अन्दर जाकर इण्डस्ट्रियल एरिया बना देंगे। तो नतीजा

(श्री रमाकान्त शर्मा)

यही होगा जो आपके सामने है, कि 21000 प्लांट प्लान करेंगे और उनके अन्दर 6000 का प्रोडक्शन होगा। यह आपके रिपोर्टों में लिखा हुआ है कि आपने इन उद्योगों को लगाने के अन्दर, उन उद्योगों की प्लानिंग के अन्दर, काफी एनरजेटिक तरीका बरता है। पर ध्यान नहीं दिया गया इन सब चीजों के बारे में। आपके यहां पर लेक आफ को-आर्डिनेशन है। पन्द्रह-बीस वर्ष से हम बात कर रहे हैं कि बिजली विभाग, उद्योग विभाग और रीको एवं आर.एफ.सी. इनके बीच में एक कॉर्डिनेशन होगा। एक वन विण्डो होगी। पर हमको उनसे प्राप्ति अभी तक हुई नहीं है। मैं आपसे,....।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

घंटी बजा दी है सभापति महोदय ने। मैं दो बातें बहुत ही संक्षिप्त के अन्दर कहूंगा।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, बहुत ही अच्छे बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छे सजेशन्स दे रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : संक्षिप्त के अन्दर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोगों से कहते हैं कि हमारा जो नेशनल हाइवे है, उस नेशनल हाइवे के दोनों तरफ दुकानें नहीं आनी चाहिए। ये छोटे-छोटे ढाबे हैं ये नहीं आने चाहिए। बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैंने भी यातायात के ऊपर यहां पर कहा है। परन्तु यहां से लेकर के दिल्ली तक नेशनल हाइवे के दोनों तरफ आपने बहुत बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज लगाने दी हैं। बहरोड़ के अन्दर मैं जानता हूं कि एक मिल ऐसी है जिसके अन्दर करीबन बारह सौ आदमी काम करते हैं। यह भी बिलकुल सड़क के दोनों तरफ है। नेशनल हाइवेज पर और छोटे हाइवेज पर भी, आप चाहे अलवर की तरफ जाएं, चाहे आप अजमेर की तरफ जाएं, जो आप इण्डस्ट्रीज एरिया बनाते हैं वह बिल्कुल सड़क के लगे हुए बनाते हैं। आपको तो बहुत मौका मिला है। आप तो बाहर भी गये हैं कई दफा। आपने जर्मनी के अन्दर, जापान के अन्दर कहीं सड़क के किनारे पर कोई उद्योग देखा है क्या? उद्योग को प्लान करने का है तो आप एक किलोमीटर नहीं तो आधा किलोमीटर भीतर जाइए। आप औद्योगिक एरिया डवलप कर रहे हैं। यह इतना सारा खर्च कर रहे हैं। ये तीन लाख रुपया और एडीशनल खर्च कर दीजियेगा एवं भीतर उसके एक एप्रोच रोड बनाइयेगा। जो सड़क है उस सड़क से दूर इस प्रकार उद्योग को डवलप कीजियेगा। तो हमारे आगे आने वाले समय के अन्दर जो बहुत बड़ी ट्रेफिक की प्रोब्लम पैदा होने वाली है, वह प्रोबलम पैदा नहीं होगी। हम अननेसेसरी इस प्रोबलम को कंट्रिब्यूट कर रहे हैं।

मैं एक बात इलेक्ट्रीसिटी पर कहना चाहूंगा। जब भी कोई उद्योग लगाना चाहता है वह चाहता है कि बिजली का कनेक्शन मुझे मिले। हमारे पास बिजली बहुत थी किसी जमाने के अन्दर। परन्तु आज नहीं है। बिजली नहीं है तो हम किसानों का हिस्सा काट कर वह बिजली उद्योग को देना चाहते हैं। कई ऐसे उद्योग हैं जिनको विशेष बिजली तीस मेगावाट या 35 मेगावाट चाहिए यदि वह सौ करोड़ रुपये का उद्योग लगा रहा है। 35 मेगावाट

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है जिसको लगाने के लिए उसको दस-बीस करोड़ रुपया और एडीशनल चाहिए। लोन के पैसे पर, जनता के पैसे पर लगा रहा है। उसका आग्यूमेंट आता है कि साहब, बिजली बहुत महंगी पड़ जायेगी। राजस्थान के अन्दर हजारों किसान हैं, जिनको बिजली नहीं मिलती है और उन्होंने बिजली का इंजन लगा रखा है। उसको भी डीजल की पावर सारी की सारी महंगी पड़ती है। इसके बारे में किसी ने ख्याल किया है क्या? जो सैकड़ों किसान हैं, उनको पहले बिजली देने की आवश्यकता है या उद्योगों को देने की आवश्यकता है? यह महंगी पड़ती है तो महंगी पड़े, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? यह महंगी पड़ती है, इसी आधार पर यदि कोई यहां पर उद्योग नहीं लगाना चाहता है तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम किसान उस बिजली से अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकेंगे। यदि किसी को आधा मेगावाट चाहिए, किसी को 200 किलोवाट चाहिए, दे दीजिए उसको कनेक्शन। परन्तु जिस आदमी को 10 मेगावाट बिजली चाहिए तो उसको एक छोटा पावर हाऊस अपना बनाना चाहिये। यदि महंगा भी पड़ता है तो कोई बात नहीं है। उसको कहना चाहिये कि आपको जितनी भी केपिसिटी की बिजली की आवश्यकता है आप अपनी लगाइयेगा। हम इसके बजाए आपको और इन्सेन्टिव दे देंगे, और सहायता देंगे।

मैं दुबारा रिपीट करना चाहता हूं इस बात को कि अगर आपकी इस बात से विश्वसनीयता प्राप्त हो जाए कि आप उसकी तकलीफ के अन्दर उसका साथ देंगे, तो निश्चित मानिएगा, आप बिजली देते हैं या नहीं देते हैं, वह महंगे भाव की बिजली लेकर भी उद्योग आपके यहां पर लगाएगा। केवल मात्र बिजली के कारण से ही उद्योग की कोई दिक्कत नहीं आती है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। सदन में ही थोड़े दिनों पहले विचार हुआ था पोल्यूशन के बारे में। पोल्युशन एक बहुत बड़ी प्राबलम है और पोल्यूशन बोर्ड यहां पर है। मैं चाहता हूं कि पोल्यूशन बोर्ड जितना अभी सख्त है उससे कहीं ज्यादा सख्त हो। परन्तु पोल्यूशन बोर्ड तो यह बात नहीं बतायेगा कि आपके यहां पर पोल्यूशन है। आप इसका इस तरह से निस्तारण कर दीजिएगा। जो संस्था प्रोसीक्यूट करती है किसी आदमी को वह संस्था कायदे और कानून नहीं बता सकती है। यदि उन्होंने बताना शुरू किया, तो वे किसी को प्रोसीक्यूशन करते हैं तो कोर्ट के अन्दर केस समाप्त हो जायेगा। पोल्यूशन की इतनी भयंकर समस्या है। और हमको खनिज से सम्बन्धित उद्योग लगाने हैं, हमको एग्रो बेस्ड उद्योग लगाने हैं और सारे इन उद्योगों के अन्दर पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्राबलम है। तो आपको रीको के अन्दर या किसी जगह के अन्दर पोल्यूशन के बारे में एक सैक्शन खोलना होगा जिसमें आपको एक्सपर्ट रखने होंगे। जिस समय फैक्ट्री के प्रस्ताव का अप्रेजल करते है अप्रेजल के वक्त में आपको कहना होगा कि उसके अन्दर इस प्रकार का एफलएंट निकलेगा, उस एफलएंट का यह ट्रीटमेंट होगा और हम आपको यह एडवाइज देते हैं। और उसको यह भी एडवाइज देना होगा कि इस

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्रकार का काम करने के लिये फलां-फलां कम्पनियां हैं और उन कम्पनियों से आप कांट्रैक्ट कर लीजिये। यह एक नई चीज है। इसका अभी तक बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। देश के अन्दर और दूसरे देशों के अन्दर भी नहीं हुआ है। पोल्यूशन का मामला यहां पर भी है और दूसरे देशों के अन्दर भी। यदि इस दिशा के अन्दर, पोल्यूशन के बारे में, अच्छी प्रकार से एडवाइज शुरू-शुरू के अन्दर अपन ने नहीं दी तो हमारे बहुत सारे उद्योग तकलीफ पायेंगे। आज सारे का सारा पाली का जो उद्योग है, इस समस्या से ग्रसित है। इन उद्योगों को बन्द कर दें तो हजारों आदमियों का एम्पलायमेन्ट का क्या होगा? और वहां पर दो सौ करोड़ का जो टर्न ओवर होता है उसका क्या होगा? और यदि इसको चालू रखते हैं तो चालीस-चालीस किलोमीटर तक सारे के सारे कुओं का पानी लाल ही नहीं हो जायेगा, विषैला हो जायेगा। इस प्रकार की समस्या आप चाहे किसी प्रकार का उद्योग लगायें, चाहे वनस्पति उद्योग लगायें, चाहे कोई शुगर मिल लगायें, किसी प्रकार का उद्योग लगायें, उन उद्योगों में इस प्रकार की समस्या आने वाली है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस पोल्यूशन के बारे में गम्भीरता से विचार करके शुरू में जो उद्योग लगाना चाहते हैं उसी को उसी वक्त इस प्रकार की एडवाइस दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बी. डी. कल्लाजी।

(7.00 रात्रि)

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग और खनिज विभाग से सम्बन्धित मांगों पर अपने विचार रख रहा हूं। राज्य में जितने भी उद्योग लगे हैं उनमें उद्योगों से सम्बन्धित उत्पादन अन्तिम उत्पाद के रूप में नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए जितना भी खनिज पदार्थ अथवा कच्चा माल राजस्थान में होता है उसको यदि हम गौर से देखें तो हम अभी तक कच्चे माल के निर्यातक प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। जब तक हम अपने प्रदेश में अन्तिम उत्पाद नहीं बनायेंगे तब तक प्रदेश को हमारे प्राकृतिक संसाधनों का और प्रदेश में उपलब्ध कच्चे माल का लाभ नहीं मिलेगा। आज उद्योग नीति जो प्रसारित की गई है वह देरी से मिली लेकिन अभी हमने जो सरकारी निगाह से इसका अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस उद्योग नीति में उन सभी पुरानी बातों को सम्मिलित किया गया है जो कांग्रेस के शासन के वक्त में इस प्रदेश में पहले से चल रही थी। कोई नई दिशा, कोई नया लक्ष्य और कोई नई बात इस उद्योग नीति में माननीय मंत्रीजी ने नहीं रखी है। जो सब्सिडी दी जा रही थी उसके बारे में इन्होंने जरूर एक-दो जगह यह कहा है कि इन जिलों को छोड़ कर हम इन इन उद्योगों के लिये सब्सिडी देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस नई उद्योग नीति से राजस्थान के कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा?

श्री हरिश कुमार औदिच्य : अभी हमने पढ़ी ही कहां, कल तो आई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पढ़ी है अभी। कितने नये उद्योग इससे लग पायेंगे,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कितनी महिला उद्यमियों को आप रोजगार दे पायेंगे ? केवल तीन-चार लाइनें लिख देने से कोई उद्योग नीति हमारे सामने नहीं आ जाती है। इस नीति में पर्यटन के बारे में जो इन्होंने दिया है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पर्यटन को उद्योग नीति का दर्जा तो दे दिया है लेकिन इसको दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सरकार विचार करेगी। यह क्या नीति है ? यह तो कोई नीति नहीं है। इसमें स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए था कि पर्यटन को हमने उद्योग घोषित कर दिया है और जो उद्योग को सुविधाएं दी जाती हैं वह पर्यटन उद्योग को भी दी जाएंगी। यानि हर चीज के बारे में हम कर रहे हैं, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, ऐसा करेंगे, यह मैं समझता हूं कि कोई स्पष्ट नीति नहीं होती है....(व्यवधान)।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : यह कौन कहता था ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ओमप्रकाश जी, यह उद्योग नीति आपने पढ़ी नहीं है। पेज नं० 20 पर 27 नम्बर पर लिखा है "राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है किन्तु इस उद्योग को मिलने वाली रियायतों व सुविधाओं की घोषणा नहीं हो सकी है, राज्य सरकार पर्यटन उद्योग के सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करेगी"....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको आपत्ति है क्या इसमें ? आपको क्या आपत्ति है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब इससे स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि यह केवल मात्र विधान सभा के सदस्यों को बांटने के लिए बना कर दे दी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप तो इनकी बातों में मत आओ। आप तो बोलते रहो, यह तो ऐसे ही करेंगे।

एक माननीय सदस्य : बढ़िया उद्योग नीति बनाई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसलिये मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उद्योग से सम्बन्धित रियायतें, जो कांग्रेस के वक्त में दी जा रही थीं, रीको के माध्यम से, आर. एफ. सी. के माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से, उनका कम्पाइलेशन करके नए रूप में हमको एक किताब के रूप में पकड़ा दी। लेकिन कहीं पर भी इसमें यह नहीं लिखा है। जो पांच लक्ष्य इन्होंने रखे कि प्राकृतिक साधनों का दोहन करके उसका एक ऑप्टीमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा, हम इससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देंगे, इस नीति के अन्तर्गत हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे वगैरह-वगैरह जो आपने लक्ष्य रखे हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहिए था कि हम इस प्रकार से लोगों को यह रियायतें देंगे, इतने उद्योग इससे अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पन्द्रह रुपये से लेकर एक सौ पच्चीस रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति, जो कोई लघु उद्योग लगाना चाहता है, उसके लगभग एक लाख रुपये से अधिक का विनियो-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जन तो भूमि के क्रय में ही लग जाता है और उसके बाद एकल विन्डो सर्विस के बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए, पहले भी कमियां रही हैं और आज भी इसको दुरुस्त करने की जो बात है वह वास्तव में कागजों में हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे अधिकारीगण और मन्त्रीगण गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर जाकर देखें। वहां कोई भी उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स के लोग उसके पीछे घूमते हैं और उसको अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से इस बात के लिए मजबूर कर देते हैं कि वह गुजरात और महाराष्ट्र में उद्योग लगाये। क्या कारण है कि आज प्रवासी लोग राजस्थान के बाहर कलकत्ता, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास सब जगहों पर फैले हुए हैं लेकिन आज राजस्थान में राजस्थान के लोग उद्योग लगाना नहीं चाहते ? इस बात के लिए आपको विचार करना चाहिए। हमने भी समय-समय पर इन बातों के बारे में विचार किया और हमारे उद्योग विभाग के अधिकारी, आर. एफ. सी. और रीको के अधिकारी समय-समय पर विभिन्न प्रदेशों में गये और वहां जाकर लोगों को राज्य में जो सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी और उसके माध्यम से हमारे प्रवासी राजस्थानियों को और अप्रवासी भारतीयों को लाने की समय-समय पर कोशिशें की गई। लेकिन अभी तक इसमें प्रयास जो किये गये हैं वह अधूरे यास हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहिए।

जिलों को अलग-अलग तरीके से जो सब्सिडी दी जाती है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी जो विकसित जिले हैं वहां पर सब्सिडी दी जा रही है और जो अविकसित, अर्द्ध विकसित और पिछड़े जिले हैं उन जिलों को किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। विभाग में, बिजली का अधिक उपयोग होने पर अथवा केवल मात्र ऐसी रूग्ण इकाईयां, जो कि इण्डस्ट्रीज हैं उनका रजिट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन की संख्या ज्यादा होती है उसको आधार मानकर हम यह कह दें कि अमुक जिले में तो उद्योग ज्यादा लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि यह धारणा ठीक नहीं है। इस उद्योग नीति में जो आपने अनुदान देने की बात कही है, मैं समझता हूं कि इसमें आपको कोई मूलभूत परिवर्तन करने चाहिए। एक तो जो उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग हैं, आप बड़ी बातें करते हैं किसानों और किसानों से सम्बन्धित उत्पाद को, मैं चाहता हूं कि कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं, चाहे वह राजस्थान के किसी भी कोने में लगे हों, उन उद्योगों को आपको निश्चित रूप से रियायत देनी चाहिए। आपने इस उद्योग नीति में 'चयनित उद्योग' जो शब्द कहा है इसका मतलब चुनींदा उद्योगों को आप रियायत देंगे। कृषि आधारित उद्योग राजस्थान के किसी भी कोने में लगे, उनको आपको सब्सिडी देनी चाहिए। दूसरी बात, पन्द्रह लाख रुपये तक के जितने भी लघु उद्योग हैं, चाहे राजस्थान के किसी भी कोने में लगें, आपको उनको रियायत देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। उसके साथ-साथ जो उद्योग राजस्थान में उपलब्ध कच्चे माल का अन्तिम उत्पाद बनायेगा उसको भी आपको बीस प्रतिशत, पच्चीस प्रतिशत अनुदान देना चाहिए। ग्रोथ सेंटर्स

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कांग्रेस की सरकार के वक्त में मंजूर हुए.... भीलवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर और माउण्ट आबू, सिरोही ये जो चार ग्रोथ सेण्टर मंजूर हुए वह भी अभी आसेट अवस्था में ही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन ग्रोथ सेण्टर्स को और आने वाले समय में दो-तीन और ग्रोथ सेण्टर राजस्थान के दूसरे हिस्सों में जो मंजूर कराये जा सकते हैं, करायें और वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहिए ताकि उद्यमी वहां आकर उद्योग लगा सकें....

श्री जगमालसिंह यादव : आज आप तैयारी से नहीं बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब तैयारी किस के लिए यहां तो बोलने के लिए बोलना है। कोई कवरेज तो होगा नहीं ?

श्री सम्पतसिंह : आप तो आने वाली मीटिंगों के लिए बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इस उद्योग नीति में, मैं जानना चाहूंगा कि आपने नयी बात क्या की है ? भीलवाड़ा, अलवर और एक दो जिलों का नाम लेकर ही बनायी हैं, इन जिलों को छोड़कर हम बाकी जिलों में किन-किन उद्योगों को कितना-कितना अनुदान देंगे ? इसके बारे में कोई स्पष्ट धारणा नहीं दी गयी है। उससे ऐसा लगता है कि विभाग की जैसी पुरानी परम्परा रही है जिसका मैंने हमेशा विरोध किया है। जैसे पहले आयल इण्डस्ट्रीज के लिए विभाग ने कई बार अनुदान देने की बात की और बीच में ही अनुदान को विथड्रा कर लिया। ऐसे कई उदाहरण हैं कि हमारे उद्योग विभाग ने समय-समय पर कुछ चुनींदा उद्योगों में रियायत देने की बात की लेकिन दो-तीन वर्ष बाद बीच में ही विथड्रा कर लिया। उससे उद्योगों के विकास में जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिलकर उन उद्योगों का विकास रुक जाता है। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट करें कि राजस्थान के किस-किस जिले में किन-किन उद्योगों में आप क्या-रियायत देने जा रहे हैं ? आपने जो नीति बनाकर दी है उसमें विकलांगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ देने की बात, तो वह पहले से ही सुविधा थी। मैं तो उम्मीद करता था कि आप जो नयी नीति ला रहे हैं उसमें ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं क्षमा चाहता हूं जल्दबाजी में आपने उद्योग नीति को नहीं पढ़ा। आप जो कह रहे हैं वह सब इसमें है। पृष्ठ 10-11 को देख लें तो उसमें मिल जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले से ही मिल रही थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं, उसमें हम नयी केपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम ला रहे हैं। पूर्व में जो केन्द्र की इन्वेस्टमेंट पालिसी थी वह तो समाप्त हो गयी। राज्य सरकार स्वयं अपने साधनों से इस स्कीम को ला रही है और उसमें लाभ किस प्रकार दिया जायेगा वह पृष्ठ 10 11 पर है। जो उसकी मुख्य चीज है जो हमने इस उद्योग नीति के अन्दर दी है वह है हम ने सारे राजस्थान को पिछड़ा राजस्थान माना है। केवल यह कह देना कि जयपुर के अन्दर विकास हो गया, जयपुर के विकास का यह मतलब नहीं कि सारे जयपुर जिले का

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

विकास हो गया, कोटा शहर का विकास हो गया इसका मतलब यह नहीं है कि सारे कोटा जिले का विकास हो गया इस नाते से जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम बनायी है वह 10-11 पेज पर है। जो आप कह रहे हैं वह मैंने आपको बताया है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको अपने पत्र में लिखा है-उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप अपने सुझाव राजस्थान में अधिकाधिक उद्योग आकर्षित हों इस हेतु 15 दिन तक भेज दें। फिर अभी यह प्रारूप है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इस उद्योग नीति के अन्तर्गत जो सुझाव चाहे हैं वह सुझाव तो माननीय सदस्य देंगे ही। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो सुविधाएं पहले मिल रही थीं उनको कम्पाईल करके ही किया है बाकी नहीं। केन्द्रीय विनियोजन बंद होने के बाद उन्होंने जो विनियोजन योजना शुरू की है वह एक अच्छी बात है लेकिन यह कुछ चुनींदा उद्योगों के लिए नहीं करके राजस्थान में जितने भी उद्योग हैं, राजस्थान में जितना भी कच्चा माल, खनिज पदार्थ उपलब्ध है उनके ऊपर आधारित उद्योग लगायेगा तो उन सब को जब तक आप अनुदान नहीं देंगे तब तक उसका लाभ राजस्थान के वाहसियों को नहीं मिलेगा।

जहां तक रोजगार देने का प्रश्न है, सभापति महोदय, राजस्थान में लगभग पचास लाख से अधिक शिक्षित और अशिक्षितबेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगारों के लिए उद्योग नीति में विशेष प्रावधान मुझे दिखाई नहीं देता है। आपको चाहिए था शिक्षित बेरोजगार, टेक्नोक्रेट हैं, पोलीटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कालेज से निकले हुए ग्रेजुएट हैं, इन लोगों के लिए आपको विशेष योजना का प्रावधान इस नीति में करना चाहिए था क्योंकि इंजीनियरों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियरों को नौकरी नहीं दे रहे हैं और यदि उद्योगों में इनको प्राथमिकता नहीं देंगे तो टेक्नोक्रेट जो लगभग 1 लाख के सरकारी खर्च पर तैयार होते हैं वह आगे जाकर क्या करेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें इनके लिए विशेष प्रावधान करेंगे।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान में गलीचा उद्योग है वह अभी तक बहुत अविकसित अवस्था में है। राजस्थान से लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए की ऊन बाहर जाती है और बाहर जाकर गलीचा बनकर एक्सपोर्ट होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजस्थान में बीकानेर, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर ऐसे स्थान हैं जहां पर ऊन काफी मात्रा में होती है और ऊन से सम्बन्धित अभी हम इसकी ग्रेडिंग करके बाहर भेजते थे उसके बाद धीरे-धीरे वुल टोप बनाना शुरू किया और लुधियाना भेज देते थे वहां पर होजरी का सामान बन जाता था। उसके बाद हमने कारपेट यार्न बनाना शुरू किया और कारपेट यार्न बनाकर मिर्जापुर, पानीपत और कश्मीर इन स्थानों पर कारपेट यार्न भेजने लग गये। लेकिन अभी तक गलीचा और दरी बनाने का काम जयपुर, टोंक और एक दो स्थानों को छोड़ कर कहीं नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको इसके लिये स्किल लेबर तैयार करनी होगी जब तक हम प्रशिक्षित श्रमिक तैयार नहीं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करेंगे तब तक हम गलीचा उद्योग और दरी उद्योग को प्रोत्साहित नहीं कर पायेंगे। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इस उद्योग में हम राजस्थान को दो लाख कामगारों को, बुनकरों और गलीचा और दरी बनाने वालों को रोजगार दे सकते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में दो लाख लोगों को रोजगार देने के लिए हम राजस्थान के इस उत्पाद का अधिक से अधिक निर्माण राजस्थान में हो और इस ऊन का उद्योग यदि हम राजस्थान में गलीचा और दरी बनाने के लिए करेंगे तो मेरा विश्वास है कि राजस्थान लगभग पांच सौ करोड़ का गलीचा निर्यात कर सकेगा। इससे राज्य की इन्कम भी बढ़ेगी और राज्य के उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और साथ साथ लोगों की बेरोजगारी दूर होगी।

जहां तक कच्चे माल का प्रश्न है हमारे यहां राजसीको इण्डस्ट्रीज को कच्चा माल देता है। उद्योग मंत्री जी कैसी विडबना है कि बड़े उद्योगों को तो स्टाक यार्ड से सस्ती दर पर बिग आयरन मिलेगा लेकिन जो लघु इकाइयां हैं उनको राजस्थान लघु उद्योग निगम 'राजसीको' अपना कमीशन लेकर ऊंची दरों पर बिग आयरन सप्लाई करता है। क्या आपने गौर करके देखा है? इससे जो छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज हैं वह बड़े उद्योगों के सामने टिक नहीं पाती हैं। भारत सरकार की जो स्टील अथोरिटी है उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि लघु इकाइयों को सस्ती दर पर लोहा मिलना चाहिए, बिग आयरन मिलना चाहिए लेकिन उसके बारे में कोई माकूल व्यवस्था नहीं हुई है। मैं बिग आयरन का तो एक उदाहरण दे रहा हूं। राजस्थान के हर उद्योग को जो कच्चा माल सप्लाई किया जाता है वह न्यूनतम दरों पर दिया जाना चाहिए इसके लिए तीन भागों में उद्योगों को विभक्त करना चाहिए। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज, हैवी इण्डस्ट्रीज और तीनों के लिए कच्चा माल आपको जो देना होता है उसमें लघु उद्यम इकाइयों को सबसे सस्ती दर पर देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस मामले पर आप अन्य क्षेत्रों में, अन्य उद्योगों में, बिग आयरन का तो उदाहरण दिया है, जो स्थिति है उसको देखेंगे। कच्चा माल लघु इकाइयों को सस्ती और रियायती दरों पर आप उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो भूमिका बनी है।

श्री सभापति : आपको 20 मिनट हो गए हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सम्पतसिंह : श्रीमान् रमाकांतजी से तो लाख गुना अच्छा बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारा ध्यान आप पहले भूल गये थे, अब आपको ध्यान आया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप हमेशा भैरोंसिहजी की + + +

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सम्पतसिंह : महावीर प्रसाद जैन हंसते हैं तो बहुत सुन्दर लगते हैं जैसे काले घड़े में दही रखा हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो तीन मुद्दे जो इस विधान सभा में कई बार उठे हैं उनको बताना चाहूंगा....

श्री मदनलाल सैनी : सवाल तो यह है कि हांडी तो यहां पड़ी है और दही वहां पड़ा है। हांडी के अन्दर दही कहां है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : खेड़ा उद्योग के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हुई है मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बहुत चला रखी है लेकिन अब तक आपने छोटे-मोटे कीड़ों को ही पकड़ा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया था कि वह बड़ी मुश्किल से नियंत्रण में कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : हाथियों की लिस्ट आप दे दो हम सबको पकड़ लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नाम बता दो उनको भी पकड़ लेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : कीड़े मकोड़ों को ही नहीं पकड़ेंगे हाथी, घोड़े, खच्चर, सब बताइये सब को पकड़ेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप कोई कार्यवाही नहीं कर पाएंगे।

श्री सम्पतसिंह : सभापति महोदय, उद्योग मंत्रालय को पशु चिकित्सालय मत बताइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 69·70 लाख का ऋण दिया गया और यह पहला उदाहरण है कि इस उद्योग को जो ऋण दिया गया, बिना किसी इन्स्ट्रक्शन के दिया गया। किसके इशारे से दिया गया और कौन-कौन इसमें दोषी हैं, आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? पहला मौका है जब इसका पेमेण्ट सीधे फर्म को कैश पेमेण्ट किया गया है, न कि उस फर्म को जिससे मशीनरी खरीदी जानी थी थी। इसी तरीके से कृष्णा फोर्ज एण्ड स्टैम्पिंग्स प्राइवेट लिमिटेड....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब किसके वक्त में क्या हुआ, क्या नहीं....

श्री महावीरप्रसाद जैन : यह अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री हैं। उनके इशारे पर हुआ है राजस्थान में, उत्तर-प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सब जगह इन्होंने यह+++किया है। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या नाम हैं ?

श्री महावीरप्रसाद जैन : नाम भी बता दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कृष्णा फोर्ज एण्ड स्टैम्पिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और खेड़ा कम्पनी, यह दोनों सिस्टर कन्सर्न थीं।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इन दोनों को तीन करोड़ रुपये की लागत के दो प्रोजेक्ट बिना किसी जांच, बिना किसी पूर्व इंस्पेक्शन और बिना किसी जानकारी के दिये गये। और वह जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपको है। आप चार महीने से क्या कर रहे हैं, जब से जानकारी में आया था। आपको चार महीने में कोई न कोई एक्शन लेना चाहिये था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कल्ला जी यह 1986 में जानकारी में आ गया था। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपको लिख दिया था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जब आपसे पूछें, तब बता देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जो +++हो रहा है, उसको रोकिये और 86 के बाद आपने उस फाइल को दबाये रखा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, मैंने दबाये रखी। दबाये रखी है तो मेरे खिलाफ कार्यवाही कर लें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नहीं कल्ला साहब। कल्ला साहब, मैं समझता हूं जिनके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं मैं समझता हूं आपको पूरी जानकारी है। क्योंकि आपको यह भी पता है कि....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप रिप्लाई दें तब बता देना ना। अभी मेरे को क्यों? मेरा सारा फ्लो टूट जायेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं चाहता हूं, अभी बता दूं तो काम आयेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो यह जानता हूं कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो दोषी रहे हैं, उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिये ताकि राजस्थान में इस बात की साख रहे कि आप केवल जिम्मेदारियों को टालकर और छोटे-मोटे लोगों के ऊपर जो कार्यवाही कर रहे हैं, जो सीधा जिम्मेदार आदमी है, उसको आप छोड़ दें। इसी तरीके से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : 25 मिनट हो गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। आपने दो मिनट तो मेरे को इन्टरप्ट कर दिया है। इसी तरीके से सभापति महोदय, राजस्थान में जितने भी हमारे खनिज पदार्थ हैं, उन खनिज पदार्थों का भी आप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उनसे सम्बन्धित उद्योग यहां पर लगें और राजस्थान कच्चे माल का निर्यातक प्रदेश न रहकर अन्तिम उत्पाद बनाने वाला प्रदेश बने, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिये। ताकि राजस्थान अधिक से अधिक बढ़ सके। आज सुबह माननीय मंत्रीजी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि केवल पांच निगमों को छोड़कर हमारे सारे निगम घाटे में चल रहे हैं। और 83 प्रतिशत घाटा हमको आर. एस. ई. बी. में है। मैं बहुत संक्षिप्त में अपने

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमको पब्लिक सेक्टर में आने वाले उद्योगों के प्रशासनिक व्ययों में कटौती करनी चाहिये और जहां-जहां उत्पादन में बढ़ोतरी करके उसको लाभ दिलाने की स्थितियों में हम ला सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को हाउस की एक कमेटी बनानी चाहिये और बनाकर उन सार्वजनिक उपक्रमों को लाभ में लाने के लिए हमको प्रयास करने चाहिये। अब आप समय नहीं दे रहे हैं, इसलिये मुझे समाप्त करना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं): माननीय सभापति महोदय, मैं नयी उद्योग नीति और उद्योग से संबंधित मांग पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, उद्योग दो चीजों पर आधारित होते हैं एक पूंजी पर और एक श्रम पर। नयी उद्योग नीति जो माननीय उद्योग मंत्रीजी ने प्रस्तावित की है, इसमें खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं हस्तशिल्प व श्रम उद्योग को प्रायोरिटी के हिसाब से लिया है। इसके बिन्दु नम्बर दो में लघुतम उद्योग, जिसमें मशीन व संयंत्रों में भी पूंजी विनियोजन 5 लाख रुपये से अधिक न हो। तीसरे वह, लघु उद्योग जिनमें 7 लाख रुपये से अधिक विनियोजित नहीं किये गये और चौथा, मध्यम एवं वृहत उद्योग। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने पूंजी को क्लासिफाई किया है अगर नयी उद्योग नीति में प्रदेश के पिछड़ेपन और प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए अगर इसको श्रम पर आधारित किया जाता या उन उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर लेंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार सुलभ कराने का काम करें, तो मैं समझता हूं कि हर हाथ को काम देने से बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में एक हद तक हम सफल हो सकते हैं। इसके दूसरे, क्षेत्रीय विकास में, कहीं भी कोई भी, पूंजीपति या उद्योगपति अपना नया कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिये कई चीजें आवश्यक होती हैं कि वहां श्रमिक किस दर पर मिल पायेंगे, बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलेगी या नहीं। पानी, वहां की जलवायु, वहां का वातावरण, वहां के यातायात के साधन, इन चीजों को दृष्टिगत रखता है और उसी का कारण है कि भरतपुर की बनिस्पत अलवर का औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ। अजमेर जिला मुख्यालय है, लेकिन अजमेर की तुलना में ब्यावर में इंडस्ट्रलाइजेशन ज्यादा हुआ। जोधपुर और नागौर राजनैतिक दृष्टिकोण से भी प्रभावी रहे हैं। राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार में मंत्री यहां का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पाली का ज्यादा हुआ। उदयपुर की बनिस्पत भीलवाड़ा का औद्योगीकरण ज्यादा हुआ। इसलिये मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम, जो पिछड़े जिले हैं, जहां का औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, उनमें यह सारी सुविधाएं फौरन करानी चाहिये। आखिर क्या कमी रही है कि सीकर और झुंझुनूं का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया? सभापति महोदय, बड़े

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के शासन-काल में, आपको सुनकर ताज्जुब होगा और आप जानते हैं कि झुंझुनूं के पूंजीपति और व्यापारी वर्ग, शायद हिन्दुस्तान का कोई शहर बचा हो, जहां इनकी बड़ी फैक्टरी और कारखाने न हों। झुंझुनूं के लोगों ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, गौहाटी, बैंगलोर, त्रिवेन्द्रम, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा सारे बड़े नगरों में जाकर फैक्टरी और कारखाने लगाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के शासन में झुंझुनूं के साथ वही हुआ कि 'घर का पूत कुंवारा डोले, पाड़ोसी के फेरे।' झुंझुनूं का औद्योगिक विकास नहीं कर पाये। झुंझुनूं के अन्दर नौजवानों को रोज-गार नहीं मिल पाया और माननीय सभा-पति महोदय, आज स्थिति यह है कि झुंझुनूं का साक्षरता का प्रतिशत और हायर एज्युकेशन का प्रतिशत तो बढ़ा है लेकिन साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी, बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ी हैं। यानि, अगर मैं यह कहूं कि आज झुंझुनूं के उच्च शिक्षा प्राप्त लोग केवल अपनी बेरोजगारी को छिपाने के लिए कर रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब लड़का हायर सैकण्डरी पास कर लेता है और उसको कोई कामकाज नहीं मिल पाता, लोग पूछते हैं कि भई क्या कर रहे हो? कि फालतू हैं तो उसमें शर्म महसूस करता है, अपनी इन्सल्ट महसूस करता है। इस-लिए वह आगे की क्लास में दाखिला ले लेता है, ताकि कोई पूछे तो वह उसको जवाब दे कि मैं अभी पढ़ रहा हूं। हायर एज्युकेशन के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। झुंझुनूं के व्यवसायियों और उद्योगपतियों से कई बार मुलाकात हुई है और मैंने भारत सरकार के उद्योग मन्त्रीजी से उनकी एक-दो बार मुलाकात करवायी है। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां भी इसी तरीके से लोगों की एक बैठक बुलायें, जो अपना पैसा लगाना चाहते हैं, लोगों को रोजगार सुलभ कराना चाहते हैं, झुंझुनूं का औद्योगिक विकास करना चाहते हैं। इससे झुंझुनूं के औद्योगीकरण का नया मार्ग प्रशस्त होगा। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में कई लघु उद्योग हैं और दस्तकारी का तो कहना चाहिए कि भण्डार है राजस्थान में कशीदा-कारी' दस्तकारों, हाथ के खिलौने बनाने और दूसरे अनेक काम वालों को यहां कच्चा माल भी सुलभ हो जाता है उनको माननीय उद्योग मंत्रीजी ने वित्तीय सुविधाएं फराहम कराने की जो घोषणायें की हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन सभापति महोदय, एक चीज की कमी रहती है कि मार्केट सही तरीके से नहीं मिल पाता। आज भी दस्तकार अच्छी चीजें बनाते हैं लेकिन वे उसको कहां बेचें? जहां एक तरफ हमने उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, जहां हम उनको वित्तीय साधन सुलभ करा रहे हैं, जहां हम उनको कच्चा माल उपलब्ध करा रहे हैं वहीं उनको मार्केट भी सुलभ कराया जाना चाहिए, उसका कोई एक रास्ता निकालना चाहिए, जैसे राज-स्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से इसको और अधिक कारगर बनाकर, और अधिक चुस्त बनाकर उनके द्वारा बनाए हुए सामान का ताकि सही बाजार भाव मिल पाये और उनको बढ़ावा मिले। माननीय

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

सभापति महोदय, हस्तशिल्प के बारे में माननीय उद्योग मन्त्री जी ने नयी उद्योग नीति में जो प्रस्ताव किया है वह बड़ा ही स्वागत योग्य है। हस्तशिल्प और हस्त-कलाओं को, चाहे लकड़ी के खिलौने बनाने का सवाल हो, चाहे नमदे और जूट की दूसरी चीजों का हो, प्राथमिकता देने की जो बात नयी उद्योग नीति में कही गयी है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विकास में एक सबसे बड़ी कमी विद्युत की आती है। मेरे क्षेत्र झुन्झुनूं में पिछले दो सालों में दो लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गयी हैं, जिनको राजस्थान वित्त निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने ऋण भी दे दिया है, जिनको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है, जिनसे ऋण की किश्तें वसूलना प्रारम्भ हो गयी हैं उनको अभी तक बिजली का कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया। कई बार यह मुद्दा उठा कि उन्होंने अपनी यूनिट वहां एस्टेब्लिश कर ली है यूनिट में बिजली के बिना प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकता। एक तरफ उनके ऊपर कर्जे और ब्याज के भार से उनको वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है, दूसरी तरफ उत्पादन शुरू नहीं होने के कारण कई और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन सुलभ कराने का काम करें।

जहां तक, माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक और संयुक्त उद्योगों का सवाल है, यह सही है कि हम केवल सरकारी माध्यम से ही लोगों को रोजगार सुलभ नहीं करा सकते, उनकी बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते। सरकार कितने प्रयास कर ले, कितने ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दे उसके बावजूद भी हम सबको रोजगार सुलभ नहीं करा सकते। उसका एक कारण है कि आज युवकों में एक भावना पैदा हो गयी कि हमको नौकरी करनी है। उस भावना को समाप्त करके उनको लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का प्रयास करें, चाहे वह संयुक्त रूप से की जाय, पब्लिक सेक्टर में की जाय, को-आपरेटिव बेस पर की जाय या सामूहिक-सार्वजनिक रूप से की जाय। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं जयपुर में जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां नगीने का काम करने वाला एक मजदूर 40-50 रु. रोज कमाता है लेकिन वह भी यही चाहता है कि मेरी चपरासी की नौकरी लग जाय, उसमें हालांकि उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी जितने का वह काम करता है। एक कुम्हार का बेटा अपना पुश्तैनी काम छोड़कर नौकरी की तरफ जाना चाहता है, अगर थोड़ा-बहुत पढ़ गया है तो। एक दर्जी का बेटा पैतृक काम छोड़कर नौकरी की तरफ भागना चाहता है। उसका कारण यह है कि उसका जो पुश्तैनी धंधा है, पुश्तैनी काम है उसको सरकार बढ़ावा नहीं दे पायी और एक तरीके से वह लुप्त होने लगे और सबका रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ बढ़ने लगा। इसलिए माननीय उद्योग मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से प्रचार-प्रसार किया जाय, इस तरीके की नीति बनायी जाय ताकि लोग अपने पुश्तैनी कामों से विमुख न हों, उस काम में ही नया डवलपमेंट, नया

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

सुधार करने का काम करें। वैसे ओवरआल जो नयी औद्योगिक नीति बनायी है, प्रस्तावित की है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं खत्म कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा कि 1977 में जब चौधरी चरणसिंह जी वित्त मंत्री थे तब उन्होंने हाथ से काम करने वाले लोगों को बिक्री कर में रियायत देने की घोषणा की थी। उससे लोगों को बढ़ावा मिला था।

(7.37 सायं)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

अकेले तमिलनाडु में हाथ से दियासलाई बनाने वालों की 15 हजार नयी यूनिट लगी थीं। राजस्थान में जो लोग मशीन की बजाय हाथ से काम करते हैं, मेरा अभिप्राय है कि जो श्रम प्रधान औद्योगिक इकाइयां हैं उनको कुछ न कुछ रियायत दी जानी चाहिए ताकि पूंजी की प्रधानता की बजाय श्रम की प्रधानता रहे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सुलभ हो पाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, उद्योग नीति के बारे में कहते समय मुझे कहना है कि जिस देश का उद्योग खड़ा है वह देश गिर नहीं सकता और जिस देश का उद्योग गिर गया वह देश खड़ा नहीं रह सकता। वास्तव में पहली बार इस प्रकार की उद्योग नीति बनी है जो देश को, प्रान्त को खड़ा रखने में समर्थ होगी। इसके लिए मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक नयी उद्योग नीति यहां पेश की। इस उद्योग नीति में जहां प्रान्त का औद्योगीकरण करने की बात कही गयी है वहीं दूसरी जो बात कही गयी है वह है उद्योगों का श्रमिकीकरण, इन उद्योगों में श्रमिकों की कितनी बड़ी संख्या लगने वाली है। अभी हमारे विपक्षी सदस्य कह रहे थे कि यह उद्योग नीति श्रमिकों के आधार पर नहीं है। बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ उद्योगों को कर में छूट दी थी। उसमें एक रत्न उद्योग भी था। रत्न उद्योग में काम करने वाले अकेले जयपुर में 50 हजार मजदूर हैं। यह इसी उद्योग नीति का परिणाम है जिस के कारण यहां 50 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण पिछले समय में यह उद्योग सिमट कर सूरत में केन्द्रित होने लग गया। अब यह उद्योग वापस राजस्थान की ओर आयेगा और राजस्थान के मजदूर को काम-धंधा मिलेगा।

मान्यवर, इस उद्योग नीति की जो व्याख्या रखी गयी है उसमें मैं एक एडीशन करना चाहता हूं कि उदयपुरवाटी क्षेत्र, झुन्झुनूं जिले का इस प्रकार का क्षेत्र है जो पहाड़ी भी है और रेतीला भी। इस क्षेत्र में लाइमस्टोन भी है, मकान बनाने का पत्थर भी है, ग्रेनाइट भी है, संगमरमर भी है। कई जगह चर्चा हो रही थी कि हमारे यहां

(श्री मदनलाल सैनी)

ग्रेनाइट निकल रहा है, उसकी बराबर व्यवस्था नहीं हो रही, कहीं संगमरमर की बात चल रही है। लेकिन मैं तो ऐसे क्षेत्र की बात कह रहा हूं जहां कातले और पट्टियां भी निकलती हैं, संगमरमर भी निकलता है, ग्रेनाइट भी निकलता है, लाइम भी निकलता है। वह इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पत्थरों का विशाल भण्डार है। उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाय, उस क्षेत्र का बड़ा विकास होगा। यह कृषि प्रधान तहसील है जहां हर एक प्रकार के कृषि बेस्ड उद्योग लगाये जा सकते हैं।

इस प्रकार के वो क्षेत्र हैं जहां इसके लिए वो उपयोगी क्षेत्र हैं, टैक्सटाइल व इन्जीनियरिंग के लिए उपयोगी क्षेत्र है। माननीय उद्योग मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुरवाटी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। यहां से गए हुए लोग आसाम की गिरि कन्दराओं में जाकर व्यापार बिजनस करते हैं। इस प्रकार जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती वहां पर इस क्षेत्र का व्यापारी अपनी पीठ पर सामान लेकर वहां काम करता है। आज आसाम की स्थिति किस प्रकार की है? लोगों से बन्दूक की नोक पर किस प्रकार से पैसा छीना जा रहा है। लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में आना चाहते हैं। यदि इस क्षेत्र में हमको सुविधाएं मिलेंगी तो हम आयेंगे। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के प्रवासी आसाम में रहने वाले राजस्थान के लोगों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए उदयपुरवाटी को यदि औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है तो इस क्षेत्र के बाहर काम करने वाले आसाम में पीड़ित हुए उद्योगपति यहां आयेंगे। राजस्थान के अतिरिक्त और क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लोग भी यहां आयेंगे इसके कारण से इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा।

मान्यवर, इस दृष्टि से वहां पर पर्याप्त जमीन की और पानी की उपलब्धता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस क्षेत्र के साथ जो अन्याय हो रहा है आज तक, उस अन्याय को बन्द करना चाहिए। एक बड़ी चर्चा आ रही थी इस देश में उद्योग बढ़ाने की। उद्योगों की चिन्ता तो हो रही है लेकिन उन उद्योगों को चलाने वाले मजदूरों के बारे में कोई चिन्ता नहीं की गई। आज इन कई उद्योगों के बन्द होने का कारण क्या है? इसकी जांच करनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उन दोषी अधिकारियों को उत्तरदायी ठहरा करके उनके खिलाफ और देश के साथ धोखाधड़ी का काम करने वालों को दण्डित किया जाना चाहिए अन्यथा इन उद्योगों के बन्द होने से वो निजी क्षेत्र में हों, दूसरे सरकारी क्षेत्र में हों, अर्द्ध सरकारी क्षेत्र में हों वो गरीब मजदूर, कर्मचारी अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण से मारा जाता है। इस लिए मेरा यह निवेदन है कि चाहे वह स्टेट टेनरीज का सवाल हो, चाहे जयपुर उद्योग का सवाल हो उन उद्योगों के बारे में जांच की जानी चाहिए, आर. एस. आई. सी. के बन्द होने वाले उन मिलों का सवाल हो उनके बारे में जांच की जानी चाहिए कि किन अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण इस प्रकार के उद्योग घाटे में जा रहे हैं जिसके कारण से कर्मचारियों को बर्बादी का मुंह देखना पड़ रहा है? मैं यह भी

(श्री मदनलाल सैनी)

कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की वो सरकार, जहां राजस्थान में बिजली कर्मचारियों ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया उन बिजली कर्मचारियों के साथ थूककर चाटने का काम किया कांग्रेस के उस समय के लोगों ने। इन सारे कर्मचारियों की छुट्टियों का समायोजन हड़ताल के समय का समायोजन होता था छुट्टियों का, उन कर्मचारियों के साथ नहीं किया। बिजली का कर्मचारी जब सोता है तो 57 दिन उसको याद रहता है। वास्तव में बिजली का कर्मचारी 57 दिन को बड़े ध्यान से सुनता है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा माननीय उद्योग मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि बिजली कर्मचारियों के 57 दिन का जो मामला है जो बिजली उद्योग हैं वो शान्ति से चलें इसके लिए उनका निपटारा करना चाहिए।

यही नहीं मजदूरों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों में जो मांग पत्र पेंडिंग पड़े हैं, अधिकारी अपनी मनमर्जी के कारण से उन मांगपत्र पर उस समय तक कोई कार्यवाही नहीं करते जब तक मजदूर हड़ताल का नोटिस नहीं दे देते और हड़ताल का नोटिस देने के बाद जब तक गेट के बाहर नारेबाजी नहीं करता उस समय तक आज बड़े अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगती और इस प्रकार से अधिकारी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर प्रदेश के साथ और देश की जनता के गाढ़े पसीने की कमाई के साथ जिस प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं उनको भी इंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों का जो भी मांगपत्र आता है उस पर जो भी फैसला करना है वो टाइम बाउण्ड फैसला किया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी और शान्ति से उसको कर सके, शान्ति रह सके इसलिए इसका निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाना चाहिए।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगा कि आज जो स्थिति है उस स्थिति में वन-इन-आल उद्योग लेते हैं। उद्योगपति को आर. एफ. सी. की जरूरत पड़ती है, रीको की पड़ती है और बैंकिंग इण्डस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है, बिजली बोर्ड की जरूरत पड़ती है। इन चारों के कार्यालय भी दूर-दूर हैं और इनका सामंजस्य भी बराबर नहीं है। यदि एक छत के नीचे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों तो उद्योगपतियों को अपने उद्योगों के संचालन के लिए सुविधा रहेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री महोदय कि आज आर.एफ.सी. लोन दे देती है, रीको ने जमीन या पैसा उपलब्ध करा दिया। पैसा चालू हो गया। माहिर आजाद कह रहे थे अभी कि पैसा चालू हो गया, ब्याज चालू हो गया, बिजली नहीं मिली, उद्योग नहीं लगे। इस प्रकार की स्थिति जो है बैंकिंग इण्डस्ट्रीज ने रनिंग कैपिटल नहीं दी इस कारण कठिनाइयां खड़ी हो रही हैं। ये कठिनाइयां न हों और उद्योगपति यहां आकृष्ट होकर आए और कम से कम समय में यह कार्यवाही हो जाए। आज कर्मचारियों को हम देखते हैं, अधिकारी एक बार में नहीं 10 बार उद्योगपति को चक्कर कटवायेंगे। एक-एक बार में एक-एक ऑब्जेक्शन लगायेंगे और फाइल में कमी, हर बार नई कमी आती है। जो कमी निकालनी हो एक बार निकाल दो ताकि उद्योगपति अपने घर जाकर व्यवस्था कर उन कमियों को दूर कर दे लेकिन एक बार

Page No. 233

233

(श्री मदनलाल सैनी)

में कमियां नहीं निकालेंगे। यह भी इंस्ट्रेक्शन जाना चाहिए कि एक बार में कितनी बार आप कमी निकालने के लिए उद्योगपति को अपने दरवाजे पर बुलाते रहेंगे। यह बात ठीक करनी चाहिए।

मैं खान मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में लाइम है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है और जहां पर कातले और पट्टियां निकलती हैं, जहां पर दूसरे चुनाई के पत्थर निकलते हैं उस क्षेत्र में माइन्स डिपार्टमेंट का कोई प्रतिनिधि नहीं और लावारिश की तरह झुन्झुनूं जिले के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इसलिए झुन्झुनूं जिले में एक्स. ईएन. ऑफिस माइन्स डिपार्टमेण्ट का होना चाहिए और यह सारी सम्पदा जिस क्षेत्र में, उदयपुरवाटी में हो वहां ए. ईएन., जे. ईएन. का कार्यालय होना चाहिए ताकि वहां के लोगों को दूर-दराज जाकर और ए. ईएन. का ऑफिस कहां है, जे. ईएन का ऑफिस कहां है, यह तलाश नहीं करना पड़े।

इस प्रकार से मान्यवर सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बताना चाहता हूं कि उदयपुरवाटी क्षेत्र को जरूर औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। माइन्स डिपार्टमेण्ट का एक्स. ईएन. का कार्यालय झुन्झुनूं जिले में स्थापित किया जाना चाहिए। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय खनिज मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो खनिज क्षेत्र है जहां पर माइन्स में से खनिज निकल रहा है, राजस्थान में जो राजस्व इनको प्राप्त हो रहा है उसका 10 पर्सेन्ट राजस्व इनको वहां के विकास पर खर्च करना चाहिए। लेकिन वह खर्च नहीं होने के कारण उन क्षेत्रों के अन्दर सड़कें नहीं बन पा रही हैं। सड़कें कच्ची हैं जिनसे माल ले जाने में भी कठिनाई होती है, महंगा भी पड़ता है और सबसे ज्यादा कठिनाई यह है कि जिन क्षेत्रों में दोहन हो रहा है उन क्षेत्रों में श्रमिकों को, काम तो करते हैं लेकिन उनको पानी भी पीने के लिए ठीक तरह से उपलब्ध नहीं है। उन लोगों को पूरी चिकित्सा सुविधा वहां पर नहीं मिल पाती और सड़कें खराब होने की वजह से और पूरे साधन न होने की वजह से अनेक बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि श्रमिक घायल हुआ और उसे वहां से अस्पताल पहुंचाया गया तो अनेक श्रमिकों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसलिए माननीय खनिज मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो श्रमिक उन खनिजों का दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और उससे राजस्थान को रायल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त हो रहा है उन श्रमिकों की तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिए और यह है इसमें कि उसका जितना राजस्व प्राप्त करेंगे उसका 10 पर्सेन्ट खर्च करेंगे और इस तरह से आपको कम से कम 7 करोड़ रुपया पिछली बार खर्च करना चाहिए था लेकिन केवल उसमें से 25-30 लाख रुपया खर्च हुआ है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ से लेकर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

के जो सिरोही तक का बैल्ट है और जो सिरोही के अन्दर जो उद्योग पनप रहे हैं उन उद्योगों को सब्सिडी दी जा रही है। इस नाम पर कि वह जनजातीय क्षेत्र हैं। जनजातीय क्षेत्र के लोग ही उद्योग लगाएं यह आवश्यक नहीं है। वहां पर कोई भी उद्योग लगा सकता है और उन्हें सब्सिडी दी जाती है लेकिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र हैं यहां पर जो उद्योग लगाने वाले हैं उनको वह सब्सिडी नहीं दी जाती है और उसकी वजह से, क्योंकि यह भी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है इस जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में यदि उद्योग पनपेंगे तो लोगों को काम मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन स्थानों पर भी अगर सब्सिडी दी जाएगी तो वहां उद्योग पनपेंगे और वहां उद्योग पनपेंगे तो जिस जनजातीय क्षेत्र का हम विकास करना चाहते हैं, जिस ग्रामीण क्षेत्र का हम विकास करना चाहते हैं, उनका विकास भी होगा, उनको काम भी मिलेगा। अभी वहां पर संगमरमर की खानें है, खासकर अभी जो प्राप्त हुई हैं उनके उद्योग के कारण से आज उस मेवाड़ अंचल के लोग हैं उनको काम मिला है लेकिन उसकी घिसाई और उसमें निकलने वाला यह पत्थर घिसाई होती है वह सारा का सारा सड़क पर इकट्ठा किया जा रहा है और वह भी ऐसे स्थान पर डाला जा रहा है जो आने वाले समय में एक प्राब्लम खड़ी हो जाने वाली है। मेरा निवेदन है कि खनिज विभाग के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। और वह एरिया ऐसा है जहां बड़े-बड़े खड्डे हैं। वहां तो पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों में समतल भूमि करेंगे तो वहां पर जाकर वह मार्बल घिसाई है वह डाली जाए। उसकी वजह से न तो सड़कें रुकेगी और यदि वह चूने का पानी डाला गया तो जमीन खराब होने वाली है और उसकी वजह से वहां पेड़-पौधे और पर्यावरण पर भी इसका असर होने वाला है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो प्राइवेट काम कराने वाले लोग हैं मेहरबानी करके आप यह देखिएगा कि मजदूरों को कितनी मजदूरी देते हैं, आपके इन्स्पेक्टर्स हैं, आपका प्रशासन है पूरा-पूरा उद्योग विभाग का वह उनको देखें और उसके साथ में जो वहां पर मेट का काम करते हैं उन मेटों को रेडक्रास से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और यदि वह उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उन लोगों को मेट का काम नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उसकी व्यवस्था किसी ने आज तक नहीं की, न चिकित्सा विभाग ने की और न खनिज विभाग ने। उदयपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर दामले थे, जियोलोजी डिपार्टमेण्ट में उन्होंने कुछ समय तक इस कोर्स की व्यवस्था की थी लेकिन आज उस कोर्स की व्यवस्था नहीं है। इसलिए रेडक्रास के माध्यम से या चिकित्सा विभाग के माध्यम से उन श्रमिकों को अगर वह ट्रेनिंग करा दी जाए तो उन लोगों के प्रमोशन के चांसेज बन सकते हैं और उन लोगों को उसमें प्रमोशन मिल सकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खनिज विभाग में कुछ ऐसे पद हैं जो जैसलमेर के लिए हैं, बाड़मेर के लिए हैं विभिन्न क्षेत्रों के लिए हैं लेकिन वह डाइरे-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

क्टर, जाइंट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर केवल उदयपुर के कार्यालय में बैठे हुए हैं जबकि वह उनके क्षेत्रों के नाम पर बने हैं तो उन क्षेत्रों में या तो आफिस ट्रांसफर्स होने चाहिए या ऐसा लगता है कि बड़े लोगों को प्रमोशन देने की दृष्टि से ही वह पद बनाए गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि एक कमेटी बैठाकर, यह जैन कमेटी, चतुर्वेदी कमेटी बैठी है लेकिन इसके अलावा आप अपने विभाग का मूल्यांकन करवाइएगा और जो लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट के नाम पर, दूसरी खनिजों के नाम पर केवल उदयपुर के कार्यालय में बैठे हैं उन लोगों को उनके क्षेत्र में भेजिएगा। अगर वह क्षेत्र में जायेंगे तो सुपरविजन अच्छा होगा, काम अच्छा होगा और उसकी वजह से आपका खनिज विभाग पनपेगा। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में उदयपुर के अन्दर राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेन्ट में जबसे नये एम. डी. पहुंचे हैं उसके पश्चात् बहुत अच्छा काम हुआ है। जिस तरह से भ्रष्टाचार था बेइमानियां थी, उन बेइमानियों को उनके आने के बाद कम किया गया है, वहां पर ऐसे लोग थे उनको कम्पलसरी रिटायर किया गया उसके लिए तो मैं उनकी सराहना करता हूं आज जो वहां की व्यवस्था है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी वहां एक ड्राइवर जो डम्पर चला रहा था, भारी मशीन होती है और उस मशीन में जब वह गिरने लगा तो उसका फाटक नहीं खुला। अगर फाटक खुल जाता तो वह मजदूर कूद सकता था, उसकी जान बच सकती थी लेकिन वह इतने ऊंचे से गिरा कि मजदूर को जान से हाथ धोना पड़ा। इस तरह की मशीन्स, बड़ी-बड़ी उनका रख-रखाव उसी तरीके से होनी चाहिए, उनका सुपरविजन भी उसी तरीके से होना चाहिए। वह आदमी जो ड्राइवर था उसने एक हफ्ते पहले रिपोर्ट की थी कि मशीन ठीक नहीं है और उसका परिणाम यह हुआ कि उसे अपनी मृत्यु से उस मूल्य को चुकाना पड़ा। उसके परिवार की तरफ हमारी सहानुभूति तो हो लेकिन इस एक उदाहरण के द्वारा उन गरीब मजदूरों की जो वहां अपने पेट, रोजी-रोटी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों का सहारा बनें इस तरीके से यह व्यवस्था की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां मजदूरों के दो संगठन हैं और पिछली बार 1977 के करीब में भी उनके बीच में विवाद खड़ा हुआ था। दोनों मजदूर संगठनों को बैठा कर व्यवस्था की गई थी लेकिन अभी जो वहां पर इन्टक का संगठन है और दूसरा भारतीय मजदूर संघ का संगठन है। वहां जब यह विवाद पैदा हुआ है तो यह कहा गया था कि यह मान्यता प्राप्त है। मैं कहना चाहता हूं कि आप उसे देखिएगा कि कौन मान्यता प्राप्त है और कौन नहीं है? केवल इस आधार पर कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो लेबर डिपार्टमेन्ट के द्वारा उनकी गणना करवा ली जाए लेकिन केवल मजदूरों को आपस में लड़वा कर फैक्ट्री में कोई काम नहीं हो सकता है। उनको इन्सेन्टिव्ज दिया जाता

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

है और इन्सेन्टिव्ज के द्वारा वहां के मजदूरों ने काम करके उसके राजस्व को बढ़ाया, उसकी इन्कम बढ़ाई, उसकी प्रतिष्ठा बनाई। मैं चाहता हूं कि उदयपुर में यह उद्योग पनपे उसकी तरफ आपका ध्यान जाए।

मान्यवर इसी के साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर लगभग कुछ आफिसर्स गैर तरीके से लगाए गए हैं। एक आदमी दूसरी जगह काम करता था उस आदमी को वहां पर रख लिया गया है और केवल उसे ओब्लाइज करने के लिए जब वह वहां से निकाल दिया और दूसरी तरफ लगा दिया गया और उसको इन्क्रीमेन्ट दे दिया। अब आप देखिएगा कि ऐसे किन लोगों को वहां पर एपाइन्टमेण्ट दिया गया है? वहां पर कुछ घपले भी हुए हैं, लगभग 156 करोड़ रुपये के; कुछ रुपया कुछ कम्पनियों को दे दिया गया वह तो उसका ब्याज प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिएगा कि वहां पर क्या घपले हैं? यदि उच्च स्तरीय समिति बनाई जाती है और वह उसके सारी डिटेल्स में तो वहां पर जिस तरह का पुनः भ्रष्टाचार पनपने लगा है, कभी भ्रष्टाचार था वह समाप्त हुआ फिर भ्रष्टाचार नहीं पनपे इसके लिए मान्यवर आप ध्यान दीजिएगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे.... कि

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उद्योग पर 1–2 मिनट में मेरी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री सम्पतसिंह : नहीं, साहब अभी क्यों?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपकी सिफारिश पर, सभापति महोदय, मुझे टाइम दें।

श्री सम्पत सिंह : आप समाप्त करेंगे तो हमें मजबूरी में बोलना पड़ेगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन : श्री सम्पत सिंह जी आप कभी बोलना नहीं चाहते हैं क्या?

श्री सम्पतसिंह : हम कभी भी बोलना नहीं चाहते, हम तो श्रोता हैं+++

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर जो उद्योग, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान के उद्योग बाहर जा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह जो उद्योग पनप रहे है उस पुरानी व्यवस्था के अनुसार देखें कि कल-कारखानें तो भारतवर्ष में बहुत खड़े हुए हैं लेकिन वह ग्रामीण उद्योग थे जिनकी वजह से गांव का किसान, जिन दिनों फुर्सत में होता था वह उन उद्योगों के माध्यम से अपनी रोटी भी कमाता था और अपना वक्त भी गंवाता था। ऐसे छोटे-छोटे उद्योग गांव में लगाये जाते थे उन उद्योगों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण उद्योग अगर पनपेंगे तो उनकी इकोनोमी भी बढ़ेगी और गांव के लोग जो आज शहरों

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

237

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

की तरफ आकर्षित हो रहे हैं वह आकर्षण भी उनका रहेगा।

इसी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योग लगे हैं, आज अणु शक्ति बिजली घर कोटा के अन्दर लगा हैं, आज तो उसका पोल्यूटेड वाटर वह डाल रहे हैं चम्बल में लेकिन किसी दिन अगर अणु बिजली घर में कोई दुर्घटना घटती है तो जिस तरह की भोपाल में दुर्घटना घटित हुई वैसी वहां भी घटित हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इण्डस्ट्रीज हैं, कोटा की जो इण्डस्ट्रीज हैं, भरतपुर हैं, अलवर है, उदयपुर हैं।

उदयपुर के अन्दर पेस्टीसाइड्स का कारखाना है जहां कीटनाशक दवाइयां बनती हैं। वहां के जो रहने वाले लोग हैं कम से कम पाच और दस किलोमीटर तक जब वह गैस वहां से छोड़ी जाती है, उस गैस के कारण से वहां के लोगों का जीवन हराम हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो ऐसी मशीनरी लगाई जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से किसी दिन भी उदयपुर में भी भोपाल की तरह जैसे गैस काण्ड होगा। जैसे वहां के हजारों लोग आज बेकार हो गये हैं, हजारों लोग मृत्यु के ग्रास हो गये हैं, किस तरह से जो जीवित हैं, अन्धे हैं, जो विकलांग हैं, वही की वही स्थिति आज कभी भी उदयपुर में आ सकती है। आज हिन्दुस्तान जिंक से जो गैसे छोड़ी जाती है, उसके कारण से वहां पर पनपने वाली जो घास थी, वहां पर जो कृषि होती थी, वह सारी की सारी कृषि आज समाप्त होती चली जा रही है। यह पर्यावरण रोको और उद्योग विभाग इस तरह से यह लाइसेंस इश्यू करते हैं इसका कोई ध्यान नहीं रखते हैं। पर्यावरण जिस तरीके से आज बिगड़ता चला जा रहा है, आदमी की जिन्दगी को शनैः शनैः जो पॉयजन दिया जा रहा है, जो उद्योगों के नाम पर जहर दिया जा रहा है, शनैः शनैः आदमी मृत्यु की तरफ लड़ता चला जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी इण्डस्ट्रीज एरिया हैं इन सबका सर्वे करवाया जाए। जयपुर का सर्वे हुआ है, उसके लिये सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। वहां के कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें उद्योग विभाग का आदमी था। जो चिमनियां होती हैं, जो इन्सपेक्टर कहलाते हैं वह उसमें था, वहां के एस. पी. साहब थे, वहां के चिकित्सा अधिकारी थे और इसका सारा पैसा सेण्ट्रल ने दिया है।

आज यदि जयपुर में कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस को मालूम है कि हमको क्या करना है, पुलिस क्या इन्तजाम करेगी, किस क्षेत्र में कैसे क्या इन्तजाम करेगी, है। दमकल वालों को यह मालूम है कि हमें किस तरफ जाना है, चिकित्सा वालों को यह मालूम है कि हमें क्या करना है। लेकिन आज कोटा के सन्दर्भ में यह सर्वे नहीं हुआ, उदयपुर के सन्दर्भ में यह सर्वे नहीं हुआ, भरतपुर में यह सर्वे नहीं हुआ, अलवर में यह सर्वे नहीं हुआ इसकी योजना नहीं बनी। मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि जहां-जहां इण्डस्ट्रीज डवलप हो रही है खास करके जो पोल्यूशन पैदा करती है, जो पर्यावरण को समाप्त करती हैं, जहां गैसेज लीकेज होती हैं, वहां पर जब उद्योग लगाये जाये तो उनके साथ में इसका सर्वे

Page No. 238

(२३८)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

किया जाए ताकि भोपाल जैसी दुखद स्थिति कभी राजस्थान में पैदा न हो जाए। राजस्थान सरकार के लिए यह कलंक होगा। ऐसा मेरा आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से आग्रह है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उद्योग जो पनपते जा रहे हैं, उन उद्योगों के माध्यम से जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है, श्रमिकों के अन्दर, मजदूरों के अन्दर जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है क्योंकि यह बड़े-बड़े उद्योगपति खुद काम करवाते हैं तो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार उन्हें पैसा देते हैं लेकिन जब ठेके पर काम करवाते हैं तो उस फैक्ट्री का मजदूर और ठेके पर काम करने वाला मजदूर, यह दोनों एक ही विभाग एक तरह का काम करते हैं। वह ठेकेदार उन्हें कम पैसा देते हैं और यह राजस्थान में उदयपुर में ही हो रहा है। इसी स्टेट मिनरल्स में हो रहा है। इन्होंने जो ठेकेदारों से काम करवाया, वहां के मजदूरों को कम पैसा दिया जा रहा है और जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको अधिक पैसा दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का जो औद्योगिक विवाद पैदा हो रहा है सब जगह, उन श्रमिकों के बीच में इस तरह का विवाद पैदा न हो, उनका शोषण नहीं हो, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। केवल यह कहकर के नहीं टाला जा सकता कि यह लेबर डिपार्टमेंट की प्राब्लम है, लेबर डिपार्टमेंट वाले सुनेंगे। यह उद्योग से रिलेटेड है तो उद्योग या लेबर या जो भी संबंधित

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

लोग हैं उनको सुनना चाहिए। आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगमालसिंह यादव।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, आज मैं उद्योग और खनिज की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ने अपनी औद्योगिक नीति अभी श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित की है। राजस्थान की जो औद्योगिक नीति है, राजस्थान में जो लागू होने जा रही है, उसमें पांच उद्देश्य रखे हैं। राजस्थान में जिस औद्योगिक नीति की घोषणा कर रहे हैं, उसके चार पांच उद्देश्य हैं। उनमें से एक यह भी है कि राजस्थान में उपलब्ध खनिज, कृषि एवं अन्य संसाधनों का उपयोग जिससे राज्य के सकल उत्पादन में उद्योगों का योगदान बढ़े अधिक से अधिक रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाना। इन दो के अलावा एक और है, उद्योगों से राज्य सरकार के वित्तीय स्रोत में वृद्धि, जिसमें विकास के और कार्य किये जा सके।

सभापति महोदय, जहां तक रोजगार के मामले का सवाल है, औद्योगिक नीति अच्छी है पिछले 35 साल के शासन में कांग्रेस ने कभी कोई ऐसी प्रभावी औद्योगिक नीति की घोषणा नहीं की जिससे राजस्थान, जो कि औद्योगिक मामलों में पिछड़ा हुआ है, में उद्योगों का विकास हो सके। मैं उम्मीद करूंगा कि इस औद्योगिक नीति से राजस्थान, जो उद्योगों में पिछड़ा

(श्री जगमालसिंह यादव)

हुआ है, में बहुत से ऐसे उद्योग आयेंगे जिससे राजस्थान में पिछड़े हुए औद्योगीकरण का जो मामला है, वह राजस्थान उद्योगों में अग्रणी होगा। लेकिन मुझे इस नीति में एक विशेष निवेदन और सलाह सरकार को देनी है।

सभापति महोदय, जहां तक रोजगार को बढ़ावा देने से सम्बन्धित इस नीति में बात कही गई है, मैं एक सलाह सरकार को देना चाहता हूं कि चाहे वह अलवर का औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे भिवाड़ी का औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वह कोटा का हो, चाहे जयपुर का हो, मेरी यह सलाह है उद्योग मन्त्रीजी को कि आप अपने इन्सपेक्टर भेजकर या स्वयं किसी भी स्तर पर यह जांच करवा लें। आज तक राजस्थान में जो उद्योग हैं, उनमें 80 प्रतिशत बिहार या पूर्वी राजस्थान के लोग लगे हुए हैं। मेरा आपको यह सुझाव है कि जिस तरह से आप एम्प्लायमेंट आफिस की मार्फत दूसरे विभागों में भर्ती करते हैं, जो जिले औद्योगिक क्षेत्र हैं और वहां एम्पलायमेंट आफिस वहां नहीं है तो खोल दीजिए और अगर हैं तो यह निर्देश दे दीजिए उद्योग विभाग की तरफ से कि जो भी भर्ती उद्योगों में की जाएगी, जिन पदों के लिए भी भर्ती की जाएगी, वह राजस्थान के रोजगार दफ्तर से लिस्ट मांगेंगे। इससे एक फायदा तो माननीय मंत्रीजी यह होगा कि एम्प्लायमेंट आफिस में उन्हीं लोगों के नाम दर्ज होंगे जो राजस्थान का मूल निवासी होगा। इसका कानून भी है कि जो फैक्ट्री इन कानूनों का उल्लंघन करती है, बाहर से श्रमिक लगाती है, क्षेत्रीय लोगों को, श्रमिकों को रोजगार नहीं देती उनका भी कानून है कि वह कितने लोगों को दे। लेकिन मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया है कि वह इन कानूनों को तोड़ती है तो पनिशमेंट नाम मात्र का है।

दूसरा, सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं। इस औद्योगिक नीति में सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है जिसमें उद्यमियों और अधिकारियों की एक सलाहकार समिति बनाई जाती है। मेरा एक यह भी सुझाव है, माननीय उद्योग मन्त्रीजी, कि इसमें आप श्रमिकों की भागीदारी रखें। इस औद्योगिक विकास में अगर श्रम को आप निकाल देंगे तो एक-पक्षीय बात होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, चूंकि मेरा क्षेत्र हिन्दुस्तान में एक ऐसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभरता जा रहा है जो शायद आने वाले समय में हिन्दुस्तान के नक्शे पर पश्चिम बंगाल, पजाब और हरियाणा के क्षेत्रों को पीछे छोड़ देगा। मैं इसलिए नहीं कहता हू कि वहां कोई बहुत ज्यादा उद्योग डल गए हैं लेकिन, सभापति महोदय, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की अपनी विशेष स्थिति है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास हरियाणा का जो क्षेत्र है, वहां इतना औद्योगिकरण हो चुका है, सारा बड़ा कन्जेस्टेड एरिया हो गया है। भूमि की रेट आसमान छू रही हैं. श्रम वहां मिलता नहीं है। गलत और सही यूनियन बाजी से उद्योगों को बढ़ावा वहां मिलता नहीं है। राजस्थान में राजस्थान सरकार भूमि सस्ती दे रही है, अनुदान दे रही है, बिजली की प्रायोरिटी दे रही है। इसलिए मेरे यहां क्षेत्र में, विशेष तौर से भिवाड़ी ऐसी स्थिति

(श्री जगमालसिंह यादव)

में आ रहा है कि दिल्ली के आसपास जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें यह सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र उभर रहा है।

इसके साथ-साथ हम एकपक्षीय विकास की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जहां हम उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं वहीं भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की ओट में हम किसानों का शोषण कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय उद्योग मन्त्रीजी से मेरा एक प्रश्न था, अभी परसों शुक्रवार को लगा था। कुछ उद्योग ऐसे भी हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं ध्यान में भी लाया हूं जैसे अलवर में रामनारायण ग्रुप है अधिकारियों को भी मालूम है, उद्योगों को भी भी मालूम है, पिछले पांच सालों में उसको मैंने कई बार उठाया था, 72 बीघा 18 बिस्वा जमीन एक उद्योग के नाम पर अलाट की गयी नाम मात्र के पैसों पर। मैंने इसे विधान सभा में उठाया और उद्योग मन्त्रीजी और रेवेन्यु मिनिस्टर ने एक बात कही, अलवर का दूसरा मेटर बता रहा हूं। इसकी कहानी भी विचित्र है। रामनारायण एण्ड ब्रदर्स, जिसका माइन्स के कामों का गुण है, माननीय सभापति महोदय, यही रेवेन्यु मिनिस्टर कमलाजी ने वायदा किया था कि जितनी उद्योगों की बिल्डिंग, उद्योगों के भवन इस ग्रुप ने खड़े किये हैं यह सारे गैर कानूनी हैं, सरकार इनको तोड़ रही है। यह कांग्रेस की चाहे सदन में कही हुई बात हो, चाहे बाहर कहीं हुई बात हो, उन पर ना पहले हमको विश्वास था, ना आज है। मैं उन उद्योगों को तोड़ना नहीं चाहता था, मुझे मेरी सरकार पर विश्वास है कि उद्योग तो नहीं तोड़े जायेंगे लेकिन जिस तरह से उद्योगपति उद्योगों की ओट में जमीनों को हड़प रहे हैं और उनको कामर्शियल परपज के लिये काम ले रहे हैं, 72 बीघा 18 बिस्वा भूमि अलवर के रेल्वे स्टेशन से बिलकुल जुड़ी हुई, माननीय सभापति महोदय, रामनारायण ब्रदर्स ग्रुप ने उस पर कब्जा कर लिया। इस वक्त उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा तीस बीघा जमीन होगी। 55 और 30 बीघा भूमि पर आज भी काश्त हो रही है, उसी पर पेट्रोल पम्प है उसी पर दिल्ली को जाने वाले रास्ते पर सैकड़ों दुकानें उन लोगों ने बना लीं। यह एक बहुत बड़ा मामला है मैं कहूंगा। इस-माननीय मंत्रीजी, इसकी जांच करावें। दूसरा एक चार पांच रोज पहले मैंने आपसे निवेदन किया था, मेरे क्षेत्र में एक उद्योग है, 1975 में उसकी स्थापना हुई। माननीय सभापतिजी, मैंने उद्योग मंत्री से पूछा था कि इस आदमी को कितनी भूमि अलाट की गई। बताया गया कि 28 हजार वर्ग गज भूमि इसको अलॉट की गयी। इसमें कितने दिन फैक्ट्री चली, उसमें स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा, लेकिन काफी कुछ दिन चली। माननीय उद्योग मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस प्रकार के उद्योगों को अगर रुग्ण उद्योग की परिभाषा में लेकर शरण दी तो इस तरह की परम्परा बढ़ेगी और उद्योग के नाम पर उद्योगपति लूट खसोट मचायेगा। उस उद्योग ने जब से रीको से लोन लिया, आपने स्वीकार किया मेरे जवाब में कि 111 लाख रुपया आज तक बकाया है। जब से उसने लोन लिया 111 लाख रुपयों का, उसने एक पैसा भी वापस जमा नहीं करवाया। उसको भूमि मिली, भूमि का आज भी उस पर 4

(श्री जगमालसिंह यादव)

लाख 61 हजार रुपये बकाया है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी बैठे हैं, मैंने आपको भी पत्र लिखा है; आपको भी दूंगा वह पत्र, उस पर कोई पचास लाख का बिजली का बकाया है। तो ऐसे उद्योग जो विशेषकर उद्योग के नाम पर लूट कर रहे हैं. माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत अर्ज करना चाहता हूं उद्योग मन्त्री जी से, इन पर अंकुश लगाइये और इनकी जांच करवाइये ताकि यह उद्योग के नाम पर लूट खसोट बन्द हो सके।

दूसरा माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ हम उद्योगों को बढ़ावा दें और दूसरी तरफ हम किसानों का शोषण करें। मेरे भिवाड़ी में चार हजार चार सौ रुपये प्रति बीघा के हिसाब से भूमि किसानों की एक्वायर की गयी और वही भूमि एक्वायर की रीको ने उद्योगों को दिया, वह अलग बात है लेकिन उसी भूमि को उन्होंने यू. आई. टी. को ट्रान्सफर किया और यू आई. टी. में जब प्लाट काटे गये, दस रोज बाद ही उन प्लाटों की बिक्री हुई दो हजार रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से, 600 रुपये वर्ग गज से लगाकर दो हजार रुपये प्रति वर्ग गज तक सरकार ने बेचा, रीको ने बेचा, यू. आई. टी. ने बेचा और किसानों को चार हजार चार सौ रुपये बीघा के हिसाब से दिया गया। मैंने जब आवाज उठाई तो भूमि का रेट घटाकर उन्होंने 35 हजार रुपये बीघा कर दिया। यही नहीं वह तुलनात्मक दृष्टिकोण से उद्योग मन्त्रीजी देखते हैं। मेरे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र पिछली बार आप गये दस फीट का फासला है, सड़क हरियाणा की है, इधर भिवाड़ी है, इधर हरियाणा की सीमा है। सात लाख और आठ लाख प्रति एकड़ के हिसाब से किसान बेच रहा है। मैं एक सलाह आप लोगों को और देना चाहता हूं। इन उद्योगों का सन्तुलित विकास कीजिए लेकिन किसान और उद्योग के बीच में मत आइये। उद्योगपति और किसान की जहां बात आती है चूंकि किसान शोषित है, किसान कमजोर है आपको पक्ष किसान का लेना चाहिए। हरियाणा सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के तहत जिस तरह से हमने रीको के मार्फत की थी, उस तरह किसी उद्योगों को जमीन नहीं दी है। हरियाणा सरकार ने बल्कि जनता दल सरकार ने कांग्रेस सरकार ने भी यही नीति रखी कि जिस-जिस उद्योग को जो भूमि चाहिए थी उनसे कह दिया कि मार्केट रेट के आधार पर आप किसान से खरीद लीजिए। मार्केट रेट देने वाले की इच्छा पर होता है सभापति महोदय, उद्योगपति अगर दो पैसे ज्यादा दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन किसान जो बिल्कुल गरीब है और जबरदस्ती रीको की मार्फत उनका शोषण करें, यह आपका तो अब चालू हुआ है लेकिन कांग्रेस के जमाने में अगर किसानों का कहीं शोषण हुआ तो सबसे बड़ी लूट हुई है माननीय सभापति महोदय। यह दो-दो हजार गुना ज्यादा रेट्स लेकर उन्होंने किसानों का शोषण किया है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं नोटिस में लाना चाहता हूं उद्योग मन्त्रीजी के आपके मार्फत। भिवाड़ी में जितने उद्योग हैं, उनमें से 90 फीसदी उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने अपने हैड आफिस दिल्ली में खोले हुए हैं। वह करते क्या हैं कि जो भी उत्पादन होता है उसका स्टाक

(श्री जगमालसिंह यादव)

ट्रान्सफर एन्ट्री करते हैं। आप जांच करवा लीजिए उद्योग विभाग के लोगों से, सेल्स टैक्स के विभाग को लोगों से, आपको राजस्थान को भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से टैक्स क्या मिल रहा है। आपको कुछ टैक्स नहीं मिल रहा है। जितना माल तैयार होता है उस सबकी स्टाक ट्रान्सफर एन्ट्री दिल्ली हो जाती है। टैक्स कोई दूसरा ले रहा है। भूमि राजस्थान ने दी, किसानों का शोषण हमने करने दिया, सस्ते दर पर बिजली हमने दी, सस्ता श्रम हमने दिया, अनुदान हमने दिया और उसका टैक्स आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है।

दूसरा, माननीय उद्योग मन्त्रीजी से एक और निवेदन करूं। आपने इस तरह की पालिसी बना कर, भिवाड़ी में जब पहली बार चुंगी लागू की, कांग्रेस गवर्नमेंट ने तीन दिन चुंगी आक्ट्राय सिस्टम चलाकर बन्द कर दिया। एक लाख छह हजार रुपये प्रति दिन की चुंगी भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र को मिली। जब उद्योगपतियों ने इस बात का विरोध किया तो माननीय हरिदेव जोशीजी मुख्य मंत्री थे, मैंने प्रोटेस्ट भी किया लेकिन उन्होंने स्टे कर दिया। उनको चुंगी नहीं मिली। चुंगी का सवाल नहीं है। मैं यह कह रहा हूं, चुंगी आप बिल्कुल समाप्त कर दें अगर आप उद्योगों को डवलप करना चाहते हैं। लेकिन उसके मार्फत सरकार को एक बहुत भारी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, चुंगी की अगर एन्ट्री नहीं होती है बेरियल पर तो कितना माल किस फैक्ट्री में बना इस बात का आपके पास कोई रिकार्ड नहीं होता। बगैर एन्ट्री किये चाहे वह किसी भी गन्तव्य स्थान पर जाने का हो निकल जाता है। चुंगी आप रखें या नहीं रखें लेकिन बेरियल डालकर एक व्यवस्था तो आप करा ही सकते हैं कि जो भी माल बनकर जाये भिवाड़ी से, उस प्रत्येक ट्रक की एन्ट्री हो, उस प्रत्येक ट्रक का आपके पास रिकार्ड हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। प्रदूषण की जहां तक बात है, मेरे यहां न केवल छोटे उद्योग आ रहे हैं बल्कि डी. सी. एम. ग्रुप का श्री राम फाइबर्स और दूसरे बड़े यूनिट्स भी तिजारा में आ रहे हैं और अभी रीको मेरे यहां पर कुछ और जमीन एक्वायर करने की बात कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आगे आने वाले दस साल में तिजारा विधान सभा क्षेत्र पूर्णतः औद्योगिक क्षेत्र हो जायेगा। जिन उद्योगों के खिलाफ प्रदूषण निवारण बोर्ड की रिपोर्ट आ गयी है आप अपने अधिकारियों से कृपया यह लिस्ट मांग लें कि अलवर जिले में ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं, जिनके खिलाफ भारत सरकार के पर्यावरण विभाग की और राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट आ गयी है। जिनके खिलाफ भी यह रिपोर्ट आई है, मैं पर्टिकुलरली आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जांच करवाओगे तो आप देखोगे, बड़े-बड़े उद्योगों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट आई पड़ी है लेकिन आपके अधिकारी पर्यावरण सम्बन्धी जो भी ट्रीटमेंट प्लान्ट उनको लगाना है, उस पर विशेष जोर नहीं दे रहे हैं। यहां तक होता है, उद्योग मंत्रीजी, मेरे यहां भी श्रीराम फाइबर्स की स्थापना हुई। बहुत आन्दोलन भी चले और मैंने जाकर मौके पर देखा कई

(श्री जगमालसिंह यादव)

बार उनके गैस के सिलेण्डर्स लीक हुए, आस-पास की एक-एक कि.मी. की भूमि में फसल नष्ट हो गयी। बाजरे की फसल, जो उसके आस-पास थी, बिल्कुल गल कर समाप्त हो गयी। मेरा निवेदन है कि पर्यावरण के मामले में आप अपने अधिकारियों से कह कर थोड़ा सा ध्यान देंगे।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि जहां तक उद्योगों को बिजली देने का सवाल है जहां जहां, जिस जगह उद्योग है, बिजली मंत्रीजी गई, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां उद्योगों में सुबह से शाम तक बिजली चलती है वहीं किसानों को आठ घंटा बिजली मिलती है। वहां किसानों की प्रतिद्वन्द्विता बढ़ रही है उद्योगों से। किसान सोचता है कि बिजली नहीं हो तो फैक्ट्री एरिया कैसे चले और किसानों को बिजली चार घंटे नहीं मिले। कम से कम और जगह नहीं कर सके तो जहां-जहां उद्योग हैं, उद्योगपतियों में और किसानों में संघर्ष की भावना पैदा नहीं हो इन्हीं को बिजली क्यों, किसानों को बिजली क्यों नहीं। तो चाहे कोटा हो, अलवर या भिवाड़ी हो ऐसी स्थिति आप करा दें कि जितनी उद्योगों को बिजली मिलती है उतनी नहीं तो कम से कम दिन-दिन में तो उनको बिजली मिले। इससे उनके बीच में शत्रुता और प्रतिद्वन्द्विता पैदा नहीं होगी। ऐसे बहुत से उद्योग हैं, बिजली विभाग के अधिकारी बैठे हैं बिजली विभाग के मंत्रीजी नहीं हैं, मैं एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां भिवाड़ी में और अलवर में जैसे एल्कलीज है कोटा में श्रीराम फर्टिलाइजर्स है, उनका पिछली विधान सभा में भी आया था कि पूरे किसानों का जितना एग्रीकल्चर का बकाया नहीं है जितना उन उद्योग पर बकाया है तो उन उद्योगों को जब आप बिजली देते हैं, उसका भी कुछ न कुछ रिफण्ड हमको मिलना चाहिए। मुफ्त में बिजली का उपयोग करें ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरा मैंने जैसे सहारन पल्प्स एण्ड बोर्डस के बारे में निवेदन किया था कि इस ने 1976 से एक नया पैसा भूमि का चुकता नहीं किया 1976 से राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन को नहीं दिया जिस बैंक से ऋण लिया, उसको नहीं दिया। आप मुझे एक बात बताने का कष्ट करेंगे कि आपका रीको का मैनेजर वहां बैठकर क्या कर रहा है? उसके खिलाफ वसूली की कार्यवाही 1976 से नहीं हुई, उसको एक नोटिस नहीं दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो रीको का आदमी वहां जाता है अलवर में या भिवाड़ी में, जिनकी तरफ भूमि का पैसा बकाया है, वह उद्योगपतियों से मिला हुआ होता है। इसलिए भिवाड़ी के रीको के मैनेजर के मामले में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसकी जांच करायें। उद्योगों की तरफ बकाया है, करोड़ों रुपये बकाया है भूमि का। मेरे यहां तो एक विचित्र तमाशा और हुआ है, दो रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से भूमि अलॉट की गई उद्योगों को और उस पर भी यह कि चूंकि नया औद्योगिक क्षेत्र है, इसको प्रोत्साहन देना है इसलिए उसका 10 पर्सेन्ट जमा कराया गया बीस नये पैसे प्रति वर्ग गज में उनको 28 28 हजार वर्ग गज भूमि अलाट कर दी और बीस नये पैसे वर्ग गज के हिसाब से उन्होंने अपनी फसल चालू कर दी। रिहायशी और कॉमर्शियल परपज के लिए प्लाट काट रहे हैं। इसलिए इस मांग का समर्थन करते हुए मैं आपसे

(श्री जगमालसिंह यादव)

निवेदन करूंगा कि जो उद्योग नीति में कमियां हैं, जिनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है, उम्मीद है सरकार उस का नोटिस लेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को खनिज और उद्योग विभाग से सम्बन्धित कुछ अपने सुझाव पेश करना चाहूंगा। माननीय सभापतिजी, राजस्थान का औद्योगीकरण, यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसकी देन यदि कोई है तो राजस्थान के स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया है जिसने राजस्थान में औद्योगीकरण को एक तरह से जन्म दिया और हिन्दुस्तान भर के लोगों को औद्योगिक दृष्टि से और बड़े उद्योग लगाने की दृष्टि से यहां पर लाये। उनकी देन के बाद जो भी सरकार आई, उसने अपने-अपने हिसाब से औद्योगीकरण की नीति को प्रोत्साहित करते हुए अलग-अलग समय आगे बढ़ाने की कोशिश की।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उद्योग मंत्रीजी हों, चाहे मुख्य मंत्रीजी हों, जब-जब राजस्थान के प्रवासियों के बारे में चर्चा की जाती है, चाहे आसाम में जावें, चाहे कलकत्ता में जावें, चाहे बम्बई में जावें, चाहे साउथ में जायं, हमेशा एक ही बात कही जाती है कि राजस्थान के अन्दर आप लोग आइये, आपका स्वागत है, हम आपको पूरी सहूलियत देंगे। जब कोई नया मुख्य मंत्री बनता है, वह हमेशा इस बात को तेजी से बोलता है। चाहे कांग्रेस का जमाना हो, चाहे वह आपका जमाना हो और हमेशा आशा लगती है कि शायद राजस्थान का औद्योगीकरण बढ़ेगा। आज प्रातः औद्योगीकरण के सम्बन्ध में आपका एक नोट मिला। लगता है, माननीय उद्योग मंत्रीजी निश्चित तौर से राजस्थान में औद्योगीकरण बढ़ाने की दृष्टि से कुछ नये काम हाथ में लेंगे और राजस्थान के लिए शायद कीर्तिमान साबित हों। यह तो आगे आने वाला समय ही बता पायेगा कि इस नीति के तहत कितनी प्रगति हुई और कितना औद्योगीकरण बढ़ा है। लेकिन आपने जो प्रारूप रखा है, जिस आशा के साथ रखा है, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के अनुपात में हम पीछे क्यों हैं। वहां पर जो नये उद्योगपति आ रहे हैं उतने शायद राजस्थान में नहीं आ रहे. उसका मूल कारण क्या है? उसके अन्दर गम्भीरता से जाने की आवश्यकता है। औद्योगिक दृष्टि से सरकार की जिस समय जिस बात के लिए आवश्यकता है, वह एजेन्सी उनको दिल्ली में उपलब्ध हो जाती है। राजस्थान सरकार ने भी वहां अपना एक कार्यालय खोला है। यह बात सही है इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो सुविधायें सरकार द्वारा मुहैया होनी चाहिए उतनी क्या हो रही है? इसका आपको मूल्यांकन

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

कराना है। उसके अनुपात में जहां जमीन की आवश्यकता है वहां उसको सही कीमत पर मिल रही है या नहीं ? उसकी फार्मेलिटीज पूरी करने के लिए अधिकारी कितना कोआपरेट कर रहे हैं ? आज मैं देखता हूं राजस्थान के अन्दर लोग उद्योग लगाने के लिए कई जगह से आते हैं। लेकिन जितनी रूचि लेनी चाहिए, अन्य प्रान्तों के मुकाबले उसमें कमी है। मैं नहीं कहता कि सभी अधिकारी इस दृष्टि से उसके लिए चिन्तनशील नहीं हैं। मेरा कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है। लेकिन आप सोचिये कि अन्य प्रान्तों के मुकाबले में, जो लोग उपलब्ध होते हैं, जैसी खातिरदारी के तौर पर, जहां वे लोग इस ढंग से लगते हैं कि कैसे न कैसे इस उद्योगपति को हमारे प्रान्त में लाया जाय। वह एक बार काण्टेक्ट करता है तो दस बार सरकार की एजेन्सी खुद उनके पास पहुंचती है कि आपको हम जमीन सस्ती उपलब्ध करायेंगे, आपको फाइनेन्स उपलब्ध करायेंगे, आपको बिजली उपलब्ध करायेंगे, पानी उपलब्ध करायेंगे आपको लोन उपलब्ध करायेंगे। इस दृष्टि से, उद्योग मंत्री जी, थोड़ी और मानिटरिंग की आवश्यकता है अगर दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हमें आगे बढ़ना है।

यह भी बात सही है कि राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से एक विण्डों में सर्विस देने की बात कांग्रेस सरकार ने की और उसी का नतीजा है कि उद्योग भवन निर्मित किया गया। एक ही छत के नीचे रीको का ऑफिस, आर.एफ.सी. का ऑफिस, मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन का ऑफिस, इण्डस्ट्रीज ऑफिस और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का ऑफिस रखा। उसके पीछे यह मंशा है कि उद्यमी को एक ही जगह पर सारी सुविधायें मिल जाय। यह तो सही है कि एक बिल्डिंग के अन्दर वह सुविधायें मुहैया कराने की व्यवस्था तो राजस्थान की पिछली सरकार ने कर दी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी भी एक-विण्डो सर्विस देने में क्या कोई तालमेल है हमारा। जितना तालमेल होना चाहिए उतना तालमेल आज भी नहीं है, उसका अभाव है। आज भी जिसको जमीन चाहिए उसको उसी स्थान पर मिले, अन्य सारी सुविधायें जल्दी से कोडिनेशन के रूप में देने के लिए कोई कमेटी बनी हुई नहीं है। आपस में सरकार की कोई एजेन्सी नहीं है। उसको उसी माध्यम से जाना पड़ता है जैसे सरकारी कार्यालय। चाहे वह सेक्रेटेरियेट में हो, चाहे वह दूसरे स्थान पर हो। उसको अलग-अलग कार्यालय के रूप में काम कराना पड़ता है और वहां जाकर उसको उसी दृष्टि से काम करना पड़ता है। कोडिनेशन की दृष्टि से कोई ऐसा स्थायी स्वरूप आपने नहीं बनाया। उद्योग मंत्रीजी, आपको भारत सरकार में भी रहने का मौका मिला और यहां भी आप रहे हैं, मैं सोचता हूं आप इस प्रकार का कोई नया स्वरूप बनायेंगे ताकि एक-विण्डों का मामला सही मायने में लोगों को लग सके।

श्री जगमालसिंह यादव : लघु उद्योग निगम आपके पास था, उस समय आपने सुझाव नहीं दिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बता दूं कि लघु उद्योग क्या है, मेरे ख्याल से आपको जानकारी नहीं है। लघु उद्योग

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

निगम केवल मात्र छोटे उद्योगों के रॉ-मेटेरियल का काम है, हैण्डीक्राफ्ट्स का काम है।

श्री जगमालसिंह यादव : आपसे सीखूंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य अलवर और भिवाड़ी के औद्योगीकरण की बात करते हैं, उसमें राजस्थान लघु उद्योग निगम नहीं आता और बहुत बड़ा काम इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपसे कभी पाला नहीं पड़ा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : थोड़ा सा कम बोल रहे हैं आज। हमारे व्यवधान मंत्रीजी आज कम बोल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि....

श्री महावीर प्रसाद जैन : भैरोंसिंहजी नहीं है, मैं आपको बधाई देता।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : कल दे दीजिये सुबह।

मुझे यह कहते हुए गौरव महसूस होता है कि राजस्थान के अन्दर आज आर्टिजन्स की कमी नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : सबसे बढ़िया सरकार वही है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : राजस्थान का हैण्डीक्राफ्ट हिन्दुस्तान में काफी अग्रणी है, इसमें दो राय नहीं। जो राजस्थान में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उससे ज्यादा सही मायने में दिल्ली में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से माल उपलब्ध कराते हैं, यहां से माल परचेज करते हैं और एक्सपोर्ट का सारा काम दिल्ली से करते हैं। राजस्थान के कई अधिकारियों ने भी एक्सपोर्ट का काम, इण्डस्ट्री विभाग से जुड़े हुए काफी लोग हैं, चाहे सरकारी ऑफिस में सर्विस करते हों लेकिन उनकी बीबियों के नाम से, या कोई बीबी है तो पति के नाम से एक्सपोर्ट का काम करते हैं। यह बात भी सही है, इसमें दो राय नहीं है कि उन अधिकारियों को सारी जानकारी तो सरकारी लेवल पर हो जाती है लेकिन एक्सपोर्ट का काम प्राइवेट लेवल पर लेकर सप्लाई करने का काम भी किया जाता है। इसमें दो राय नहीं है। मैं सोचता हूं इस बात को गम्भीरता से चैक करेंगे कि जहां-जहां ऐसा हो रहा है उसके ऊपर नियन्त्रण करने की आप भी कोशिश करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको ध्यान होगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : चैम्बर में बता देंगे। उद्योग मंत्री जी को चैम्बर में बता देंगे। उनके पास पहुंचवा देंगे। यह बात सही है कि राजस्थान के अन्दर बाड़मेर मिनरल वर्क्स का काम, चाहे चन्दन का काम हो, चाहे हाथी दांत का काम हो, चाहे छपाई का काम हो, सांगानेरी, बगरू की छपाई का काम हो, हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं, विश्व के अन्दर ख्याति प्राप्त है।

लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई चाहे हमारे

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

सामने भी थी और चाहे आपके सामने भी है और आयेगी, उसमें किस तरह से सोल्युशन निकालते हैं। आज साधारण आर्टिजन को जो लोनिंग सिस्टम है, लोन उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता और नहीं हो पा रहा है। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य फिर कह सकते हैं आप उद्योग में रहे हैं लेकिन जो सही प्रेक्टिल बात है, आज भी चन्दन और हाथी दांत के काम करने वालों को राजस्थान सरकार की एजेन्सीज के माध्यम से माल नहीं ला पाये, कर्नाटक से या दूसरे प्रान्तों से वह माल आज भी हम अपने आर्टिजन्स को नहीं उपलब्ध करा पाये हैं। यह आप कह सकते हैं कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस की गवर्नमेंट में आप नहीं कर पाये, मैं मानता हूं कि हम इस मामले में नहीं कर पाये। इसके लिये अगर आप कोई प्रयत्न कर सकते हैं। चन्दन के ऊपर काम करने वाले आज लालकोठी के अन्दर, झोटवाड़ा में इतने आर्टिजन्स बैठे हैं, उन्हें सही माने में ब्लैक के अन्दर सामान खरीदना पड़ता है। उनको वह सामान हम उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। आर. एफ. सी. ने एक नीति लोनिंग के लिये बनाई थी कि हम उसको मकान भी देंगे, सामान बनाने की मशीनरी के लिये भी देंगे लेकिन सही माने में वह नीति कोई कारगर हो नहीं पाई है। लोगों को उतना लोनिंग हो नहीं पाया है। उद्योग मंत्री जी आप मंगवा लीजियेगा, आर.एफ. सी. के अन्दर प्रिन्टेड बुक है उसके अन्दर है उसके बाद आप पूछिये कि कितने लोगों को उसके माध्यम से लोन मिला है कितने लोग अपना धन्धा लगा पाये हैं। सही माने में हमें बहुत सफलता नहीं मिली है....

(8.30 रात्रि)

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपका इशारा शिल्पी योजना की तरफ तो नहीं है ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप जानकारी करें कि कितने लोगों को राजस्थान में उससे बैनिफिट मिल पाया है। उसको और कारगर करने की दृष्टि से क्या हो सकता है इसको गम्भीरता से लेने की बात है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के आर्टिजनों को प्रोत्साहित करने की नीति में राजस्थान हिन्दुस्तान में जरूर अग्रणी है। राजस्थान के अन्दर आर्टिजन्स को जिस प्रकार से पुरस्कृत किया जाता है, भारत सरकार जितनी राशि देती है उसके समान राजस्थान सरकार ही दे रही है। हिन्दुस्तान का कोई प्रान्त नहीं दे रहा है और अब वह नीति जिला हैड क्वार्टर तक पहुंची है क्योंकि जिले लेवल पर चयनित करने का काम किया है। इससे निश्चित तौर से राजस्थान के आर्टिजन्स को प्रोत्साहन मिला है लेकिन राजस्थान में एक बात और आ रही है कि जिन कामों को करने वाले आर्टिजन्स है वह नये लोगों को काम नहीं सिखा रहे हैं। आज प्रतापगढ़ के थेवा वर्क्स का ही मामला हो, कुछ सीमित परिवारों तक रह गया है। वह नये लोगों को आगे सिखाने के लिये ला नहीं रहे हैं। अपने परिवार से बाहर वह निकल नहीं पाये हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर कहीं ऐसा न हो कि थेवा जैसा काम हमारे राजस्थान के हाथ से निकल जाये। कोई ट्रेनिंग का कार्यक्रम का रूप बनाकर, चाहे वह प्रतापगढ़ में ही उस का सेन्टर खोले, वहीं के थेवा वर्क के कारीगर को एम्प्लाय करके तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के आर्टिजन्स का यह जो

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

काम है वह स्थाई रूप से टिक पायेगा। जैसे केमल वर्क के ऊपर काम करने वाले राष्ट्रपति पुरस्कृत उस्ताद जी थे जिन्होंने बीकानेर में एक सेन्टर खोला। उससे निश्चित तौर से कुछ नये लोगों को सीखने का मौका मिला। वह आज नहीं रहे लेकिन हमारा केमल पर काम करने वाला आज जिन्दा है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राजस्थान में जो जो ऐसे ऐसे आर्टिजन्स हैं जो सीमित परिवारों तक रह गये हैं उस को आगे बढ़ाने की दृष्टि से....। माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी का जितना समय है उसमें शायद हमारे पांच नाम कुल हैं और कल्ला साहब केवल मात्र एक बोले हैं और हमारे दो आदमियों के अलावा और कोई बोलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के रत्न उद्योग के बारे में कई माननीय सदस्यों ने यह कहा इस साल सरकार ने बहुत छूट दी है उससे रत्न उद्योग बढ़ेगा। मेरा यह मानना है, सही माने में जो रत्न में छूट दी है यह व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिये दी है, उससे मजदूर को कहीं मिलने वाला नहीं है, जिसकी चिन्ता सैनी साहब और माननीय कालीचरण जी कर रहे हों।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सदस्य, रत्न का काम करने वाले मजदूरों की स्थिति अच्छी है और वह स्वयं अपना काम लगे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : बल्कि यदि मैं यह कहूं सभापति महोदय, जो भारत सरकार का डायमण्ड का प्रोजेक्ट यहां आ रहा था कल को सही माने में उसको धक्का लगने वाला है....

श्री मदनलाल सैनी : ....वह केवल मजदूरी नहीं कर रहे हैं। आप आर. एफ. सी. की शिल्पवाड़ी पर बोल रहे थे, शिल्पवाड़ी का रिजल्ट राजस्थान में बहुत अच्छा है और सारे जिलों में इसका काम बढ़ रहा है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आज जिस प्रकार से डायमण्ड कार्पोरेशन का प्रोजेक्ट लालकोठी पर लगने वाला था, उसको धक्का लगने वाला है। इस उद्योग को बढ़ाने की सरकार की मंशा तो कम लगती है। जो रत्न उद्योग में काम करने वालों को प्रोत्साहन देने की नीति है- उसमें कोई दो राय नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी से इस बात का जिक्र किये बिना नहीं रह सकता जहां राजस्थान के औद्योगीकरण की बात कर रहे हैं। राजस्थान में जो उद्योग बन्द पड़े हैं, उसके लिये आपकी क्या नीति है। सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री बन्द पड़ी है। आपकी सरकार ने उसके लिये क्या किया है ? जब हमारी सरकार थी, आपने बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किये और प्रदर्शन करके यह भी कहा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और कई आपके नेताओं ने कहा कि अगर हमारी सरकार आ जायेगी, आप कांग्रेस सरकार का धुआं निकाल दीजिये, हमारी सरकार आते ही सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकलेगा....

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम क्या करने वाले हैं आपको बता देंगे। अभी हम आये हैं, हमारे मन में क्या क्या है, सारे सपने पूरे होंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप क्या कर सकते हो, उस फैक्ट्री का धुआं कब निकल रहे हो ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो काले झण्डे आपके साखा जी को दिखा कर आई थी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं तो सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री का धुआं निकालने की बात कर रहा हूं। मैं उद्योग मंत्रीजी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री का जल्दी से धुआं निकलवाइये। आप सरकार में नहीं थे, आपका वायदा था....

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले आप का धुआं निकल गया, अब उसका धुआं निकलेगा। हम तो यह देख रहे थे, आप क्या कर सकते हो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपके एम. डी. साहब भूख हड़ताल कर रहे हैं हम क्या करें ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुझे तो कल मालूम पड़ा कि वहां पर भूख हड़ताल पर हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब आप कुछ नहीं कर सकते तो हमको ही करना पड़ेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जनतांत्रिक तरीके से जो कुछ भी करना होगा, करेंगे। सरकार भी करेगी और हम भी करेंगे....

एक माननीय सदस्य : वह तो पेट साफ करने के लिये भूख हड़ताल करते हैं.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतने ही हितैषी हो तो आपने क्यों नहीं किया ? पहले स्पष्टीकरण दो, उसके बाद बात आगे बढ़ाओ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जनतांत्रिक तरीके से आप फैक्ट्री चालू करना चाहती हैं तो वोटों से फैक्ट्री चलेगी बहिनजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने बन्द की वह तरीके से नहीं, हम तो उसको खोलना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नये उद्योग मंत्री आये हैं भगवान की कृपा है, नई औद्योगिक नीति लाये हैं। उसको चालू कीजिये। यह तो आपका पोलिटिकल स्टंट था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके बिगाड़े काम सब ठीक करेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैंने तो इसलिये जिक्र कर दिया था कि जयपुर उद्योग की सीमेन्ट फैक्ट्री को दुबारा चलाने का सरकार आने से पहले इनकी घोषणा और वायदा था। इसलिये मैं तो इनको याद दिलाना चाहता हूं। आप अपने वायदे से मुकरना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूं। कई मामलों के अन्दर प्रदूषण की बात

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

की जाती है यह बात सही है कि प्रदूषण को रोकने के लिए अगर कोई फैक्ट्री रुकावट में आती है तो उसके लिये सख्त कार्यवाही की जाये लेकिन उद्योग मन्त्री जी मैं आपको इस बात का इसलिये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कई सरकारी अधिकारी इस प्रदूषण के नाम पर लोगों को ऐठने में और पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। प्रदूषण के नाम पर उस फैक्ट्री को नोटिस भिजवा देते हैं, फैक्ट्री उसमें आती है या नहीं आती है लेकिन कई जगह इस प्रकार से नाजायज हरेसमेंट भी हो रहा है। उस बात को भी आपको खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है, वाकई अगर है तो आप उससे सख्ती से निपटिये, अगर नहीं हैं तो कम से कम नाजायज तौर पर फैक्ट्रियां बन्द नहीं हों। एक नोटिस देते हैं प्रदूषण हो गया, बाद में सैटिसफाई हो जायें तो अब ठीक है उस फाइल को क्लियर कर दिया जाता है। इसलिए इस बात को आप गम्भीरता से लें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति जी, आपके माध्यम से खनिज की बातें मैं कुछ आपके सामने रखना चाहूंगा।

यह तो अभी उद्योग हुआ है। करौली से आने वाला मैं ऐसे क्षेत्र से हूं....

श्री सभापति : आपको 20 मिनट हो गये हैं माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : 20 मिनट मैं दूसरे साथी के ले लेता हूं।

श्री सभापति : आपको 20 मिनट हो गये हैं। आज इतना ही बहुत है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं, नहीं। अगर आप मेरे समय में इण्टरप्ट न करें तो मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा। आज राजस्थान के अन्दर, मैं पूछना चाहता हूं खनिज मन्त्री जी से, आपके खनिज विभाग ने, उद्योग विभाग ने जैसे नीति बनाई है, आप भी कोई नई नीति बनाने जा रहे है ? अगर कोई नयी नीति नहीं बनाने जा रहे हैं तो पुरानी नीतियों पर आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं ? आज नवीनीकरण की जो नीति राजस्थान सरकार की बनी हुई है। वो भी खनन कार्य है, उनके नवीनीकरण की नीति आलरेडी पहले से बनी हुई है, प्रेस्क्राइब्ड है और यह मालूम है कि 5 रिन्यूअल तक उनको देना है। आज क्या राजस्थान-व्यापी कोई लिस्ट बना रहे हैं आप किन-किन के खनिज पट्टे केन्सिल करने हैं ? क्या आपने कोई ऐसी नीति हमारे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जैसे उद्योग मन्त्री जी ने तो अपनी नीति की घोषणा कर दी, आपकी कोई इन्टर्नल नई नीति चल रही है क्या ? आप यहां कुछ मामलों के अन्दर, लोग प्लाण्ड वे के अन्दर एक्शन कर रहे हैं और जिन लोगों का रिन्युअल का टाइम खत्म ही नहीं हुआ, उसका आप कोई न कोई बहाना ढूंढकर रिन्युअल को खत्म करने में लगे हुए है। क्या कोई आपने इस नीति में परिवर्तन कर लिया पहले रिन्युअल को ही आपको नहीं करना है तो कोई नीति साफ कीजिये आप। कोई कारण तो समझ में आये मेरे पास कई ऐसे मामले हैं, खनिज मन्त्री जी चाहेंगे और मुख्य मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। कई मामलों के

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

अन्दर आप उस नीति के अन्दर नहीं आते हैं। उसके अलावा भी लोगों को आप पट्टे निरस्त करने में लगे हुए हैं या आप यह बता दीजिये कि राजस्थान भर में आपने कोई उस सम्बन्धित व्यक्ति विशेष या जाति विशेष से लोगों को मन्त्रिमण्डल का ठेका दे दिया हो तो उनसे बात कर लें हम। मेरे यहां से करौली के अन्दर नाजायज तौर पर कुछ लोग लगे हुए हैं जिसके अन्दर आपने कई ऐसे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो आपकी बी. जे.पी. पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं जो कि व्यक्तिगत तौर से किसी व्यक्ति की नाराजगी है उसके तहत वो आपसे खनिज पट्टे केन्सिल कराने में लगे हैं। इस प्रकार के मामलों को आप अगर कोई (व्यधान) माननीय मन्त्री महोदय मैं सही कह रहा हूं। आज....(व्यवधान) मैं उदाहरण भी दे दूंगा...(व्यवधान) मन्त्री महोदय पूछना चाहते हैं क्या ? बता दूं मैं ? अगर ऐसा है आप मन्त्री हो तो आपको बता दूं और वो मन्त्री है तो उनको बता दूं। (व्यवधान)।

श्री सम्पत सिंह : माननीय सभापति महोदय... , माननीय मंत्रीजी ने जैसे हिदायत दी कि आप नाम बता दें सदन में, यह अच्छी परम्परा नहीं होगी कि जो अपने आपको डिफेंड नहीं कर सकते, उनके बारे में बगैर नोटिस ऐसी चर्चा नहीं करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, आप व्यवस्था दे दें नाम बताना हो तो बता दूं। सरकार की तरफ से आप....

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य सरकार पर आरोप लगा रहे है....

श्री सम्पत सिंह : सरकार पर नहीं लगा रहे हैं। मैं तो व्यक्तिगत....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्यों नहीं लगाया ? सरकार पर लगा रहे हैं।

श्री सभापति : अपना भाषण शुरू रखिये।

श्री सम्पत सिंह : ये व्यक्तिगत लगा रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप नाम बताइये, किन-किन व्यक्तियों के हैं ? आरोप सरकार पर नहीं हैं तो किस पर है ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, बात नाम की है तो मैं नाम बताता हूं। श्री शिवचरण सिंह, भूतपूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी। वे आज भी कई लोगों के लिस्ट बना बना करके मन्त्री जी के चैम्बर में बैठकर नोटिस जारी करा रहे हैं। कई मन्त्रियों, कई लोगों के आपके झुम्मा नाम का व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके लिये भी कह सकता हूं। मेरे भी कई लोग हो सकते हैं। उनका भी, शिवचरणसिंह जी के कहने से इन्होंने वहां पर इसकी कार्यवाही ...

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज मंत्री) : आप यह बतावें कि किसी का गैर-वाजिब किया हुआ हो। गैर कानूनी रूप से जिसका निरस्त किया गया हो, उसका नाम बतावें।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अपनी बात को तस्दीक करें कि किसका गलत केन्सिल किया। तस्दीक तो करें अपनी बात को। कोई तस्दीक नहीं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैंने कहा झुम्मा नाम का व्यक्ति का केन्सिल किया और वो कोर्ट से आर्डर लाया है स्टे का। करौली कोर्ट से स्टे लेकर आया है। अब वो पजेशन लेने के लिए पहुंच गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें।

श्री हीरासिंह चौहान : कोई नियमों में नहीं है। कोइ और कारण होगा, उस कारण से केन्सिल हो गया (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, अब आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सदस्य, जब मैं अपनी बात समाप्त ही नहीं कर पाया तो....बात तो करने दें समाप्त आप।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कितनी देर में करेंगे ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : 5–7 मिनट में कर दूंगा। जब आप व्यवधान समाप्त कर देंगे तो करा दूंगा समाप्त (व्यवधान) यह बात सही है कि जब हमारी नीति में जो रिन्युअल का टाइम फिक्स है उसके तहत। माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : सवाल यह उठता है कि पिछली बार जब उनको आवंटन किया गया इन खानों का, जो नियमानुसार थे या नहीं। जो नियमों के विरुद्ध था जो केवल कांग्रेस पार्टी के होने के कारण किसी को आवंटन किया गया हो, वह गलत नीति और सिद्धान्तों की रीति-नीति में आता नहीं है, नियमों में उसका प्रावधान नहीं है। बिना प्रावधान के केवल कांग्रेस पार्टी का कोई है इसलिये इसको आवंटन किया, बेइमानी से किया, उसका क्या हो माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैंने तो एग्जाम्पल आपकी ही पार्टी के आदमी का दिया है। खननधारी भी आपकी पार्टी का है और शिकायत करने वाला भी आपकी पार्टी का है और मन्त्री भी आपकी पार्टी के हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : किसने पट्टे केन्सिल किये, आप तो ये बताओ।

श्री सभापति : आप चेयर को सम्बोधित कीजिये।

श्री हेमराज मीणा : जो नियमानुसार नहीं है, वह तो रद्द होगा ही होगा।

श्री सभापति : माननीय, आप बिराजिये। आप चेयर को सम्बोधित कीजिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। इनके खनिज विभाग की गलतियों को छिपाने के लिए भी एक काम होता है। किसी की रिन्युअल के टाइम के ऊपर सही समय के ऊपर एप्लीकेशन लग गई, कागजी कार्यवाही पूरी करके उसने सारे कागज पेश कर दिये, डाइरेक्ट्रेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एस. ई. लेवल के ऊपर डाइरेक्ट्रेट में वो चक्कर काटते रहते हैं। टाइम निकल जाता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

और टाइम निकल जाने के बाद....माननीय सभापति मेरी बात को पूरी होने दें।

श्री सभापति : 30 मिनट हो गये हैं। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, ये तो कोई बात नहीं हुई।

श्री सभापति : 30 मिनट हो गये। इतना समय किसी माननीय सदस्य ने नहीं लिया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : 15 मिनट तो व्यवधान में ही हो गये। आप प्रोसिडिंग उठाकर देख लीजिये मैं कितनी देर बोला हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नियमों के विरुद्ध कोई भी काम होगा तो व्यवधान उत्पन्न होगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अगर आप करेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। सभापति महोदय, मैंने जिस बात का जिक्र किया, वह यह निवेदन है, राजस्थान भर के लोगों के मामले जिसने समय पर अपनी एप्लीकेशन्स दे दी है, समय पर उसने कागजी कार्यवाही कर दी है और प्रशासनिक दृष्टि से वह फाइल चक्कर काटती रहती है तो क्या खननधारी की गलती है ? ऐसे कई मामले आ रहे हैं कि जिसमें सही मायने में....

श्री कालूलाल गुर्जर : ऐसा कोई मामला नहीं है। जो समय लगता है, उसमें भी पार्टी की कमी रहती है। कमी-पूर्ति समय पर नहीं होती, इसलिए देरी लगती है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अगर आप चाहेंगे, वे मामले भी अगर आप चाहेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा। लेकिन प्रश्न इस बात का है जिसने प्रोपर टाइम पर कागजी कार्यवाही और एप्लीकेशन लगा दी है। आपके सर्वेयर ने गलत अगर सर्वे कर लिया हो, आपके किसी एक्स ई. एन. ने गलत रिपोर्टिंग करके....

श्री कालूलाल गुर्जर : अगर हमारे सर्वेयर ने गलत सर्वे किया है तो उसकी शिकायत करनी चाहिये और उसकी कमी-पूर्ति तत्काल पूरी करनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति जी, मुझे माफ कीजियेगा, मंत्री महोदय जवाब उस समय दें जब ये सारी बातों का जिक्र करें तब तो मुझे समझ में आता है। लेकिन माननीय मंत्रीजी अभी नये हैं। लगता है इनको मालूम नहीं। खननधारियों को मालूम नहीं। खननधारी

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

को क्या मालूम है कि यह जब सर्वे आपका....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब समाप्त करें। बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : समय हो गया साहब, इनको बिठाइये आप। बहुत देर हो गई। काफी समय हो गया है, आप इनको बिठाइये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ये बात कड़वी सुनने के आदी नहीं है। माननीय उद्योग मंत्रीजी ने पूरी अच्छी तरह बात सुनी.

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : समाप्त क्यों करूं, साहब ? यह तो कोई तरीका नहीं।

एक माननीय सदस्य : मैं कह रहा हूं, इसलिये समाप्त करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बड़ी मुश्किल से इन्होंने जैसे तैसे करके पता नहीं किन-किन को आवंटन कराया है और मंत्रीजी देख रहे हैं ....

श्री जगतसिंह दायमा : सभापति महोदय, बहुत टाइम हो गया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, मुझे माननीय सदस्यों से इस बात की तकलीफ है कि उनको मैंने किसी की सिफारिश नहीं की, मैंने किसी खननधारी को बचाने की बात नहीं की, किसी की सिफ़ारिश नहीं की है। मैं राजस्थान भर की बात कह रहा हूं जो कि सबके लिए है। हो सकता है कल आपके एरिये की समस्या हो। आज राजस्थान भर में किसी ने टैक्नीकल तौर पर अगर डिपार्टमेंट में प्रोपर लगाया है तब तो उसे इत्तला करें आपकी एप्लीकेशन में यह त्रुटि है। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट को कागज चलता है। सर्वेयर ने क्या लिखा और सब मामला डाइरेक्टरेट में तब जाकर यह मामला आया कि इसमें यह गलती है। खननधारी को इस बात का मालूम ही नहीं है और रिन्युअल की डेट और टाइम निकल जाय तब वह सामने आता है। तब वह भागता है। खननधारी को क्या पता कि उसका रिन्युअल क्यों नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : दोष इसमें आपकी सरकार का है, पहले का है यह।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अगर आप यह चाहते हैं कि हमारी सरकार के दोष हैं तो वह दोष आप भी करिये।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उसके अन्दर माननीय मंत्री महोदय को देखने की आवश्यकता है। दूसरा, सभापति महोदय, बेसिक जो राजस्थान की दृष्टि से एक बहुत बड़ा इम्पार्टेण्ट इश्यू है ....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, क्या राजस्थान की कोई बात कह ही नहीं सकता। एक ऐसा मामला है जिसको मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सरकार के लिये बहुत फायदेमंद मामला है, अब आप उसको सुनना ही नहीं चाहते। आपकी ही सरकार के मंत्री जब....

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, क्या हमारे सदस्यों को

(श्री कालीचरण सराफ)

भी इतना ही टाइम मिलेगा ? बोलते जा रहे हैं और आप बैठा नहीं रहे हो ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के पांच आदमी बोल चुके हैं, तब मैं बोला हूं ।

श्री सभापति : लेकिन आप एक ही तीन आदमी के बराबर बोल चुके ।

श्री कालीचरण सराफ : श्रीमानजी, वह ज्यादा हैं हमारे इसलिये ज्यादा बोलेंगे ही ।

श्री सभापति : माननीय कल्लाजी भी 22 मिनट बोले हैं । अब आप जल्दी समाप्त करें ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति जी, समय का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अगर यह परम्परा पड़ गई कि सरकारी चीफ व्हिप हमारे समय की पाबन्दी निर्धारित करें, आपने अगर कोई उत्तरदायित्व आपको दे दिया है ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : परम्परा की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जब आपका नियम है कितना टाइम किसका निर्धारित है, हमारी पार्टी का समय है. उसमें हम बोलेंगे ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मैं और इनके सचेतक महोदय टाइम निर्धारित करते हैं । टाइम निर्धारित करने के बाद लिस्ट देते हैं । उसी के अनुरूप आपसे अनुरोध है कि हम समय के निर्धारण के हिसाब से बोलें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो विपक्ष का गला दबाने की बात है । यह तो विपक्ष का गला घोटने की बात करना चाहते हैं ।

श्री सभापति : माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, आपका समय ले रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, यह तो आपकी अनुकम्पा होगी तो बोल लेंगे अन्यथा हम नहीं बोलेंगे, हमारा क्या है । यह ही हमारा गला दबा रहे हैं आप इसमें शरीक मत होइये ।

श्री सभापति : कृपया शीघ्र समाप्त करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रद्युम्न सिंहजी, बीच-बीच में इतना बोल लिये कि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं रही ।

एक माननीय सदस्य : काफी बोल गये यह तो ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : और किसी को बुलवा लीजिये । सभापति महोदय, अगर यही परम्परा रहेगी ...

श्री सभापति : जल्दी खत्म करें ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : कैसे खत्म करें, साहब । आप तो सभापति के पद पर बैठे हैं, आपसे ही यह आशा करते हैं, गलती किसकी है ?

श्री सभापति : मैं ग्रापसे निवेदन कर रहा हूं. शीघ्र समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : साहब, करें कैसे ? यह तो कोई तरीका ही नहीं है।

सभापति महोदय, राजस्थान के ग्रन्दर फारेस्ट एक्ट के तहत यह नियम बन चुका है ग्रौर भारत सरकार के निर्णय के तहत इस फारेस्ट एरिया के ग्रन्दर जो भी एरिया ग्रा जाता है उसको राजस्थान सरकार की तो नीति है पांच रिन्युग्रल के बाद नहीं देंगे। नतीजा क्या होता है, भारत सरकार के फारेस्ट एक्ट के तहत ग्राप नया एरिया ग्राप किसी दूसरे को दे नहीं सकते । उससे राजस्थान भर के ग्रन्दर ग्रापका एक ऐसा समय ग्रा जायेगा कि ग्रापके खनन क्षेत्र सारे करीब-करीब बंद हो जायेंगे ग्रौर उस एरिया में नाजायज खनन चालू हो जायेगा।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं। जो-जो एरिया हैं, जो ग्रा गये, ग्राज उसके ग्रन्दर लगभग बिना खनन के पट्टे मिले हुए नाजायज काम कर रहे हैं ग्रौर राजस्थान सरकार की ग्राय का उससे नुकसान हो रहा है। इसलिये मैं सोचता हूं, मंत्री महोदय गंभीरता से लेकर या तो उसके ग्रन्दर इसके रिन्युग्रल का कोई तरीका निकालें कि उसके ग्रन्दर सात ग्रौर ग्राठ रिन्युग्रल कर देंगे ताकि कम से कम यह फारेस्ट एरिया में नहीं जाय। नतीजा क्या होगा, सारा एरिया ग्रापका फारेस्ट में निकल जायगा ग्रौर ग्रापके खनन के एरिया का काम बन्द हो जायगा।

सभापति महोदय, एक निवेदन ग्रौर करना चाहूंगा....

श्री सभापति : ग्रब समाप्त करें, माननीय सदस्य । समाप्त करें। ग्रापको बोलने के लिये बहुत समय है ग्रभी। पांच वर्ष हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : राजस्थान सरकार ने 1977 से 1980 के बीच में एक निर्णय किया था कि नया एरिया जो मिलेगा वह पचास बाई पचास से ज्यादा नहीं देगी। उसके ग्रन्दर मशा सरकार की यह थी कि ज्यादा से ज्यादा छोटे लोगों को एरिया मिल सकता है। एक ग्रच्छे उद्देश्य से यह नियम बनाया गया था कि पचास बाई पचास का एरिया दिया जाय। ग्रब, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ग्रब यह हो गया पचास बाई पचास के दस एरिया की नीलामी हुई तो नीलामी कराने वाले लोग एक नम्बर प्लाट की नीलामी करा लेते हैं, फिर चार की करा लेते हैं, सात की करा लेते हैं, 9 की करा लेते हैं ग्रौर 18 की करा लेते हैं। पूरे एरिया के ग्रन्दर 20 में से पांच सात एरिया की नीलामी हो जाती है बाकी एरिया खाली रह जाता है। खाली रहने का नतीजा क्या है ? जिसने एक ग्रौर चार लिया है वह दो ग्रौर तीन के ग्रन्दर स्वयं ही ग्रागे बढ़कर काम करता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिये इस नीति के बारे में गंभीरता से सोचें कि राजस्थान सरकार की ग्रार्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं ग्रौर खनन के क्षेत्र में जो नाजायज काम कर रहे हैं उनको ग्राप किस प्रकार रोकेंगे।

श्री सभापति : बस ग्रब ग्राप समाप्त करें। समाप्त करें ग्रब कृपया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह मेरे कुछ मामले ग्रापके सामने थे....

श्री सभापति : फिर आगे और अवसर मिलेगा आपको। आगे अवसर मिलेगा आपको।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, अवसर आप दें, नहीं दें उससे मेरी कोई सेहत बहुत बिगड़ने वाली नहीं है, कोई बहुत सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि माननीय विद्याजी पाठक जब कल मंत्री की हैसियत से वहां सुन रही थीं, उन्होंने इस बात को एप्रीशियेट किया हमने कुछ सुझाव दिये उनको पसंद आये। प्रश्न इस बात का है, आपका एक नेगेटिव एटीट्यूट ही बना हुआ है कि आप कोई सही बात को सुनने को ही तैयार नहीं हैं तो आपकी मर्जी है, आप चलिये और आप यह कह कर चलायें कि कांग्रेस सरकार ने गलत काम किया उसी से सब चल रहा है। अगर यही कहकर आप चलना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आपको मुबारक। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42 और 43 उद्योग और खनिज पर विचार हो रहा है। मैं मेरे सुझाव आपके सामने रख रहा हूं। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान हिन्दुस्तान के पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। आज भी हमारे राज्य के जो उद्योग हैं वह पिछड़े हुए हैं। इस पिछड़ेपन के कुछ कारण हैं जिनसे राजस्थान औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उनमें प्रमुख रूप से राजस्थान की विषम भौगोलिक स्थिति है, जल संकट है, विद्युत संकट है और यातायात है। इन कारणों से राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन में आ रहा है। मैं कुछ पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना के साथ अपनी नई सरकार जो शुरू कर रही है उससे अपनी बात को प्रारम्भ करूंगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना से अगर इनको देखा जाय तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में लघु और कुटीर उद्योगों की जो पंजीकरण की संख्या थी वह हजार के लगभग थी। उस वक्त केवल औद्योगिक दृष्टि से प्रशिक्षण के बतौर राजस्थान का कार्यक्रम शुरू हुआ था। इस गति को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया है तो मैं अपनी बात पांचवी पंचवर्षीय योजना से शुरू करूंगा जो 1974 से 1979 के बीच में शुरू हुई थी उस वक्त जनता शासन का कार्यकाल आया था। उस वक्त राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने के लिये औद्योगिक दृष्टि से पूरा ध्यान दिया गया था। जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई थी उसमें रीको का सबसे बड़ा योगदान रहा था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 476.36 लाख का प्रावधान करके इस पर खर्चा करके औद्योगिक दृष्टि से इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। इस तरह से अब जो सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, इसमें जो कार्यक्रम सरकार ने,

(9.00 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

लिया है अभी उद्योग मंत्रीजी ने उद्योग नीति के द्वारा इस तरह के रुग्ण उद्योगों को ऊंचा उठाने के लिये जो घोषणा की है वह बहुत ही सराहनीय है। उनके द्वारा जो घोषणाएं हुई थी कि रुग्ण उद्योगों के बकाया बिलों की वसूली 5 साल रोक दी

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

जाय और उन पर दण्ड या जुर्माने में भी रियायत की जाय, इसके साथ-साथ राजस्थान के परम्परागत उद्योगों को ऊंचा उठाने के लिए उनमें छूट देकर गरीबों और लघु, सीमान्त लोगों को छूट दी जाए इससे उनको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। इस प्रकार की योजनाएं राजस्थान में शुरू हुई हैं, इससे हमारा उद्योग आगे बढ़ेगा।

यह भी सही है कि खनिज सम्पदा में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में राजस्थान आता है। यदि इसका भरपूर दोहन किया जाए तो यह बिहार राज्य को भी पछाड़ सकता है लेकिन आज हमारा खनिज क्षेत्र कई कारणों से पिछड़ा हुआ है। मैंने खनिज के सम्बन्ध में जिस जिले से आता हूं, उसमें एक प्रश्न लगाया था। नीमकाथाना क्षेत्र खनिज में सबसे अग्रणी है। वहां लाइम स्टोन, मार्बल और डोलोमाइट की बहुत बड़ी खानें हैं, इनका बहुत बड़ा भण्डार है लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही परिवारों ने इस सारी सम्पदा पर कब्जा कर रखा है। वहां पर कई तरह की अनियमितताएं हैं। वहां मजदूर कीड़े मकोड़े की तरह मर जाते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहां कई ऐसे असुरक्षित क्षेत्र भी हैं जिनके पास रेल्वे लाइन और सड़क है, वहां कई प्रकार की क्षति हुई है और उनकी शिकायत होने पर रोक भी लगी लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्हीं क्षेत्रों का नवीनीकरण करके पुनः बढ़ाया जाता है। एक तरफ तो उत्तर दिया गया कि असुरक्षा के कारण इनका कार्य बन्द कर रखा है लेकिन यह भी उत्तर दिया गया कि इनके नवीनीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार की अनियमितताएं नीमकाथाना क्षेत्र में हो रही हैं। माननीय खनिज मंत्री बैठे हैं। वे इन सब चीजों की जांच करवायें। मैं उनके सामने और भी मुद्दे रखूंगा।

हमारे कई गांवों के पास लाइम स्टोन और मार्बल की बड़ी-बड़ी खानों के चारों ओर आबादी होने के कारण जब ब्लास्टिंग होती है तो उसके पत्थर से गांव वालों के पशु और जन-धन की हानि होती है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इसकी शिकायत भी हो रही है। इसकी जांच करवायें। आबादी के पास के खनिजों के काम को बन्द करवावें व सर्वे करवावें। इसके बाद मैं अपने जिले की कुछ बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। राजस्थान का सीकर जिला औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है वहां आज तक एक भी उद्योग नहीं है जबकि वहां खनिजों का बहुत बड़ा भण्डार है। मैं एक बात उद्योग मंत्री से निवेदन करूंगा। वहां सलादीपुरा में पेस्टिसाइड्स के आधार पर बहुत बड़ा खाद का कारखाना बन सकता था। 1980 में भारत सरकार के रसायन मंत्री माननीय रामचन्द्र रथ वहां आये थे और उसका सर्वे करवाया था तब यह पाया गया कि वहां पेस्टिसाइड्स के बहुत बड़े भण्डार हैं। उन्होंने 800 करोड़ से भी ज्यादा की योजना बना कर भारत सरकार को सौंपी लेकिन दुर्भाग्य है कि इस जिले से माननीय बलरामजी जाखड़ जैसे आदमी चुन कर गये और उन्हीं के कारणों से वह सारी कारखाने की योजना इस प्रकार से मिट्टी में मिल गई और केवल मात्र 30-40 करोड़ का सल्फर एसिड कारखाना वहां पर खोला जा रहा है। उस का यह दुर्भाग्य है कि-

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर

(श्री अध्यक्ष)

प्लीज। पहले आप मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। आप एक बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि तीन घंटे में केवल 11 आदमी बोले हैं और कांग्रेस ने इसमें से 110 मिनट लिये हैं इसलिये यदि आप समय बचाना चाहते हैं तब तो समय में रहना पड़ेगा और उस हिसाब से बोलिये और कृपया बीच में प्रवोक न करें वर्ना प्रवोक करके 40 मिनट माननीय जनार्दन सिंह जी गहलोत के लगवा दिये। आप अनावश्यक रूप से प्रवोक करके अपना ही समय खराब कर रहे हैं। इसलिए समय में बोलिए।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं सलादीपुरा कारखाने की बात उद्योग मंत्री जी से निवेदन कर रहा था कि आज भी वहां बहुत बड़ा भण्डार है, उसका सर्वे करवावें। वहां कम से कम 10-15 हजार आदमियों को रोजगार मिल सकता है और इतने बड़े भण्डार का उपयोग किया जा सकता है इसलिए इसकी गलतियों का सुधार करवाकर खाद का कारखाना लगवाया जाए। इसके अलावा नीमकाथाना में सीमेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्री चल सकती थी, वहां लाइम स्टोन का बहुत बड़ा भण्डार है लेकिन दुर्भाग्य है कि केवल मात्र दो परिवारों का उस पर आधिपत्य है जिससे रायल्टी की चोरी और मजदूरों का शोषण हो रहा है। इस बारे में विचार करें। मैं कुछ सुझाव रखकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग काफी मात्रा में लग सकते हैं। इससे गांव वाले जो शहरों की तरफ भाग रहे हैं और गांव का कच्चा माल शहरों तक ले जाने में परिवहन खर्चा लग कर मंहगा पड़ रहा है। इससे दोहरा फायदा हो सकता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों का सर्वे करवावें और छोटे-छोटे उद्योग कायम करने की व्यवस्था करें।

इसी तरह से सवाई माधोपुर के सीमेंट के कारखाने के बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार बैठे हुए हैं उसको शुरू करवावें। इसी प्रकार 11 प्रकार के खनिज राजस्थान में हैं उनका दोहन होना चाहिए।

अन्त में मेरा निवेदन है कि मोदी परिवार पर इतनी बड़ी रायल्टी और बिलों का भुगतान बकाया पड़ा हुआ है उनकी जांच करवा कर वसूली करवाइये और उनकी जो-जो लीजें विवादग्रस्त हैं, जिन पर उनके केस चल रहे हैं उनको तुरन्त खारिज करके गरीब हरिजनों को लीज दे दी जाय जिससे गरीबों का उद्धार हो सकता है। इसके साथ खनिजों का मास्टर प्लान बनाया जाय और एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि नीमकाथाना और राजगढ़ के मार्बल के जो पत्थर हैं वह मकराना के नाम से मकराना में जाकर बिकते हैं इससे मकराना के अच्छे संगमरमर की साख गिर रही है इसलिए ऐसी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करें। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र का औद्योगिकीकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण के आधार पर आपने जो उद्योग नीति बनाई है उसके बारे में मैं मंत्री महोदय का अभिनन्दन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करना चाहूंगी। मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। सुझाव के रूप में उन्हें लिया जाय, यह मेरा आग्रह है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि हमारे जो जिले हैं उनका स्थानीय तौर पर आप सर्वे करवावें और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आप कार्य करें, यह मेरा आपसे आग्रह है। इससे शहरों की बढ़ती हुई आबादी भी रुकेगी, माल पर लागत कम होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

हमारे यहां कुटीर और गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आप अधिक ऋण दें और कच्चा माल मुहैया करवावें, साथ ही उन्हें काउण्टर भी उपलब्ध करवावें जिससे उनका रोजगार अच्छी तरह चल सके। हमने वन-विण्डो सिस्टम की बात कही है लेकिन वास्तव में कलकत्ता, बंगलौर, नेपाल, आसाम की तरफ जाने पर लोगों ने निराशा व्यक्त की है कि हमको वहां जाने पर भटक कर आना पड़ता है। यह सच है कि वह बात कांग्रेस के शासन में थी। हमें एक ही शेड के नीचे सारी चीजें मुहैया कराने के लिए विभिन्न विभाग के अधिकारियों को सजग और तैयार रखना पड़ेगा कि उनको वन-विण्डो सिस्टम के माध्यम से सभी चीजें मुहैया हो जाए और वो उद्योग लगा सकें मैं इसलिए यह बात कहना चाहती हूं कि आसाम और नेपाल में जो हमारे उद्योगपति हैं वो बहुत दुःखी हैं। मुझे खेद है कि किसी तरफ से भी यह आवाज नहीं आई। उनसे कह दिया गया है कि आप बैंकों से अपना पैसा नहीं निकाल सकते वे उद्योग बन्द करने पर मजबूर हैं वह राजस्थान में आना चाहते हैं। हम अगर उनको ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें तो वह निश्चित रूप से राजस्थान में उद्योग लगाएगे और उद्योग लगाने से उसका यहां पर लाभ होगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं यह बात कहना चाहूंगी कि जो बीमार इकाइयां हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए हमें तत्काल कदम उठाना चाहिये और जो इस तरह की तालाबन्दी कर दी गई है, जो नहीं खुल सकती, उनके मजदूरों को हमें कहीं भी समायोजन करने के लिए तात्कालिक रूप से कदम उठाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सवाई माधोपुर का सीमेन्ट उद्योग बन्द है, उसके लिए हम संकल्पबद्ध थे। उसके लिए आन्दोलन भी चला, उसमें तत्काल कदम उठाकर उसको चालू करना चाहिये। इसमें देरी बर्दाश्त नहीं होगी। गुजरात प्रांत केवल कपड़ा उद्योग के बल पर खड़ा है और हमारे यहां जितने भी कपड़ा उद्योग हैं, सूत मिलें हैं, सब बन्द पड़ी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर की पोद्दार मिल के लोग भटकते फिरते हैं, उनका कहीं भी समायोजन नहीं हुआ। कृष्णा मिल बद पड़ी हैं। किशनगढ़ की सारी मिलें बंद पड़ी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कपड़ा उद्योग को आप जागृत कीजिये, जीवित कीजिये जिससे कि यहां के लोगों को मजदूरी मिल सके और हमें पैसा मिल सके ताकि हम इसको बढ़ावा दे सकें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे इलाके में गंगापोल का क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं है। इसके बावजूद उसमें 150 इकाइयां लगी हुई है जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन दूभर है आप उसको गंगापोल क्षेत्र से हटाकर औद्योगिक क्षेत्र में शिफ्ट करें। मैं समझती हूं कि वहां इकाइयों का रहना कदापि उचित नहीं है। इसको आप देखेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बिजली के मजदूरों ने 57 दिन की हड़ताल की। उस समय श्रीमती कमला ने यह कहा था कि हमको इन मजदूरों की जरूरत ही नहीं है, हम तो अधिकारियों से काम चला लेंगे। लेकिन वे अधिकारियों से काम नहीं चला पाये और उस समय हमने वायदा किया था, हमने जो छेड़छाड़ की थी कि उनको 57 दिन का पैसा मिले। माननीय बिजली मंत्रीजी भी उस वक्त मेरे साथ में बोली थी कि उनको 57 दिन का पैसा मिलना चाहिए। वे भी यहां पर बैठी हैं। इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे उन 57 दिन की हड़ताल का पैसा, जिसको काम में समायोजन कर चुकी है उसे तात्कालिक रूप से उपलब्ध करवाये। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि बिजली की चोरी के मामले में मैंने औद्योगिक क्षेत्र के बारे में प्रश्न रखा। जिसमें तत्कालीन मंत्री जो इस समय नहीं हैं। वे खादी विभाग के मंत्री भी रहे और पिछले दिनों वे आवासन मण्डल के चैयरमेन रहे, अपने खुद के उद्योग में ही उन्होंने चोरी की थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसने चोरी की....।

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्री श्रीराम गोटेवाला ने। यह मैंने वैसे बतला दिया है आपको, मैं वैसे नाम नहीं लेती किसी का। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि करीब 17 हजार मामले उस समय चोरी के उस प्रश्न के उत्तर में बताये गये थे। यह इस तरह की चोरी रोकने की बहुत सख्त जरूरत महसूस करती है। आप मेहरबानी करके इस तरह की चोरी को रोकें और साथ ही उनके ऊपर जुर्माना भी करें। मैं जयपुर के हैण्डीक्राफ्ट के बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि यहां का पीतल का नक्काशी का कार्य, यहां का लाख उद्योग यहां का मूर्ती उद्योग, ये सभी कार्य ऐसे हैं जो आकर्षित भी करते हैं, सस्ते भी हैं और उपयोगी भी हैं। अगर इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, अगर इनको कुछ छूट भी देनी पड़े तो आप इसकी विस्तृत जांच भी करवाकर देखें कि हम इन श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए और उसके मार्फत पैसा कमाने के लिए क्या कार्य कर सकेंगे। मैं यह भी निवेदन करूंगी कि वित्त निगम के कर्मचारियों के साथ एक समझौता हुआ था। खेद है कि उसका पालन प्रबन्धकों ने नहीं किया, आप इसको करें। खनिज क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगी कि इसका मास्टर प्लान बनाना चाहिए। केवल खनिज का ही दोहन कर लिया जावे तो यह बात निश्चित है कि राजस्थान में विकास के लिए अन्य किसी स्रोत से, या शराब जैसी चीज पर कर लगाकर पैसा मुहैया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इन खनिजों तक पहुंचने के लिए ना हमारे पास सड़कें हैं, ना अन्य साधन हैं। इनको मुहैया करवाया जाना चाहिए। वहां पर जो मजदूर लगे हुये हैं, श्रम कानूनों के तहत उनकी पालना करवाई जाने के माध्यम से उनको संरक्षण देना चाहिए। ग्रेनाइट संगमरमर,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

और रॉक फास्फेट की खानें, जो हमारे यहां पर है, उनका प्रोपर दोहन नहीं किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उनके दोहन से ही हमको बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है जो यहां का विकास कर सकता है। मेरे खुद के क्षेत्र में साहू नामक गांव है जो जमवारामगढ़ की पहाड़ियों के नीचे आता है। वहां पर चीनी मिट्टी के, खनिज के भण्डार मिले हैं। वहां के लोग चोरी करके ले जा रहे हैं, इनके पट्टे नहीं दिये गये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उन खानों को आप लें और उसके पट्टे काटें। इसके अतिरिक्त मान्यवर मंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जयपुर की पहाड़ियों की कटाई बन्द करें। जो चेजा पत्थर की खानें हैं इसके पीछे मेरे इलाके में सुमेर क्षेत्र में आती है। आप चाहे तो नजदीक पड़ने वाले, उस सुमेर की पहाड़ियों को आप हाथ में ले सकते हैं और जयपुर की पहाड़ियों को तत्काल काटना इसलिए बन्द करें कि इसके ऊपर नाहरसिंह जी का मन्दिर है, अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह का पहाड़ हो गया कि किसी दिन भी वह मन्दिर नीचे गिर जायेगा और नीचे के मजदूर उसके नीचे दब जायेंगे। सुन्दरता के नाम पर हम गुलाबी नगरी की प्रशंसा करते हैं यह एक उसमें दाग है। इस पहाड़ी का विकास करके हरियाली से पनपाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब आपका हो गया। अब आप बिराजिये। माननीय श्री सम्पतसिंह जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक निवेदन और करके मेरी बात समाप्त करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आपका निवेदन समाप्त हो गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नदी क्षेत्र में जो बांडी और ढूंड और सूकड़ी में अपने-अपने लड्ढों में बजरी खोद कर ले जाते हैं उस पर किसी किस्म की रॉयल्टी या किसी किस्म का टैक्स नहीं लेना चाहिए मगर एक लड्डे पर दस रुपया आप लेते हैं, आप उन को कुछ देते नहीं है वे हाथ की मेहनत करते हैं, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसको समाप्त करें।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। माननीय श्री सम्पत सिंह जी।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, उद्योग और खनिज विभागों की मांगों पर अब तक इतने सुझाव माननीय मंत्रीजी को आये है कि कोई नई बात कहने को नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : फिर भी आप तो कहेंगे ही।

श्री सम्पत सिंह : मेरे मन में एक पीड़ा निश्चित रूप से है, जिसे मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राजा को दार्शनिक जरूर होना चाहिए और किसी भी दार्शनिक को राजा जरूर होना चाहिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : आप फिलोसिफी के लिए कह रहे हैं....।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया बोल लेने दीजिए। क्या पूछेंगे आप ? उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, दो शब्द कहे हैं फिलोसफर और राजा, आप पूछने लगे लेकिन जब आपके पूछने की बात आये तब पूछ लेना।

श्री सम्पत सिंह : आपने ठीक पकड़ी बात को, और मैं समझता हूं कि जब कनिष्ठ मंत्री जी इतने कुशाग्र है तो वरिष्ठ मंत्री जी तो और भी ज्यादा हमारे लिए धरोहर है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं मैं तफसील से कोई बात निवेदन नहीं करना चाहता। संक्षेप में मैं यहीं निवेदन करना चाहता हूं और आपने बजा इशारा किया कि ये रोज रोज जो नीतियां बन रही है। इनमें एक राजनैतिक पार्टी के रूप में, राजनैतिक सरकार के रूप में आपको इस बार मेहरबानी करके निश्चित रूप से दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमने चुनावों के वक्त एक वायदा किया था, हमारे सभी शीर्ष नेताओं ने, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने एक वायदा किया था और मैं स्वयं चश्मदीद गवाह हूं कि अनेक सभाओं में माननीय श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह जी ने कहा था और प्रान्त की सरकार के साथ-साथ केन्द्र की सरकार का दृष्टिकोण और मदद इसमें ज्यादा कारगर होगी। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार बहुत गम्भीरता से अपनी बात को दिल में रखे। तभी हमारे प्रान्त में आमूल-चूल परिवर्तन आयेगा। आपने यह वायदा किया था कि राजस्थान में, हिन्दुस्तान में श्रमिकों को भागीदारी हम देंगे, जैसा तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। आपके नीति-पत्र को देखने के बाद, मुझे क्षमा करें अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भान नहीं होता कि हम इस कदम की तरफ कोई भी मन-मानस रखते हैं। अगर सरकारों के वाक्यों के ऊपर से ही आम नागरिकों का विश्वास हट जायेगा तो अध्यक्ष महोदय, फिर सरकारों का आना और सरकारों का जाना कोई मायने नहीं रखेगा। निश्चित रूप से आप इस राजनैतिक सोच को आप जब एक दार्शनिक की तरह सोच रहे हैं तो आपको एक राजा की तरह पहल भी करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त के अन्दर उद्योग की बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। रेगिस्तान है, अकाल पड़ता है, खेती हम उतनी कर नहीं सकते और फिर भी 45% के लगभग हमारा सकल उत्पादन है राजस्थान जैसे सूखे प्रान्त में। लेकिन फिर भी उद्योग पर हमारा ध्यान नहीं जाता। आज एक दर्जन से ज्यादा बड़े उद्योग रुग्ण पड़े हुए हैं। मंत्री महोदय, आप स्वयं चार-पांच महीने से गहन अध्ययन करने में जुटे हुए हैं, यह हमको भी पता है। लेकिन आपने पता किया होगा कि ये उद्योग बन्द क्यों पड़े हुए हैं ? आज एक व्यापारी इस बात को अपनी बुद्धिमानी समझ रहा है जिसमें बिजनेस स्किल है कि वह पब्लिक एक्सचेकर से पैसा तो ले ले लेकिन क्या प्रोड्यूस वह कर रहा है सोसायटी के लिए, क्या प्रोड्यूस वह कर रहा है हमारी इकॉनोमी के लिए ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लिये यह एक कोट बनता जा रहा है। आज नब्बे, सौ फीसदी रुपया हमारा बड़ा उद्योगपति ले जा रहा है और उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा है हमारी सोसायटी में, यही हमारी मुद्रा स्फीति का सबसे बड़ा कारण है, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी तो नहीं रहा, लेकिन

(श्री सम्पत सिंह)

एक साधारण नागरिक की तरह मैं भी सोचता हूं कि इस उद्योग में बीमारी का कारण आप अवश्य सोचिये। एक यूनिट में उसने 12, 14 करोड़ रुपया लिया और क्या वजह है अध्यक्ष महोदय, 6 महीने वह यूनिट नहीं चलती और वही आदमी, वही उद्योग समूह को किसी दूसरी जगह पर लाइसेन्स मिल जाता है और वह उस दूसरे उद्योग में आपका रुपया ले जाता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सब्सिडी की बहुत बड़ी बीमारी है। आज विश्व बैंक चिल्ला रहा है, इन्टर नेशनल मॉनिटरिंग फण्ड चिल्ला रहा है कि आप सब्सिडी पर अपना नजरिया बदलिये। वह जहां बेजा शर्त हम को बतायें वह हम न मानें यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वह हमारे हक में कहता है उसको तो मानिये। जैसे मैंने शुरू में बताया-हमें एक दार्शनिक की तरह सोचना होगा। आप एक व्यक्ति को सब्सिडी देंगे तो हरेक के मुंह में लार टपकती है। चाहे जापान में तकनीक सीख कर आ रहा है, चाहे वह अमेरिका में तकनीक सीख कर आ रहा है और चाहे वह बिल्कुल ले-मैन है, उसमें सिर्फ उसकी या उसके खानदान की बिजनस स्किल है तो आपके करोड़ों रुपये सब्सिडी में ले जाता है। यह आकर्षण जब तक है तब तक नये-नये उद्योग लगते रहेंगे, नये-नये उद्योग अपने शैशव काल में ही पीड़ित होते रहेंगे, रुग्ण होते रहेंगे, मरते रहेंगे और दूसरे खुलते रहेंगे। मेरे विचार से और बहुत सारे नागरिकों के विचार से आपके सामने यह विनती लगातार आ रही है कि आप सब्सिडी को एरिया के ऊपर लगाइए, चाहे वह बैंक में जमा कराइए, चाहे वह दूसरी संस्थाओं से। आपकी सड़कें खुद-ब खुद बनेंगी। जैसा जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि सड़कों की हालत कैसी है। सड़क बनेंगी, स्कूल-कालेज बनेंगे, औद्योगिक नगरियों में, एकदम सर्वांगीण विकास होगा अगर एरिया के ऊपर आप सब्सिडी को लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, उद्योगों में एक बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। भोपाल की त्रासदी हुई, पूरे राजस्थान के औद्योगिक नगरों की बात तो मैं नहीं निवेदन करना चाहता, सदन का मूड भी नहीं है, मैं सिर्फ जयपुर का उदाहरण आपके चरण कमलों में निवेदन करना चाहता हूं। जान बूझकर जयपुर का विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर जैसे राजधानी यूनिवर्सिटी टाउन के पश्चिम में लगाया गया। उद्योग का कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी सरकार का मंत्री, किसी को भी यह भान नहीं हुआ कि तमाम वर्ष ज्यादातर पछुआ हवाएं चलती हैं। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, सन् 1973 में उस वक्त महारानी गायत्री देवी ने स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी को एक पत्र लिखा था कि कम से कम आप अपने उद्योगों के विशेषज्ञ को इतनी तो हिदायत दीजियेगा कि किसी भी बड़े शहर के पश्चिम में तो वह उद्योग नहीं लगायें। जान बूझकर यह हो रहा है, जरूरत से ज्यादा हम कोई नादानी दिखा रहे हैं इसमें, हमारे विशेषज्ञों के होने का क्या मतलब है? पश्चिम में यह औद्योगिक क्षेत्र लग गया, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा खड़ा होगा, आश्चर्य खड़ा होगा, इतनी बड़ी औद्योगिक नगरी होगी विश्वकर्मा। छोटी-छोटी बातों पर आप, जैसा रूटिन में दफ्तरी बाबू सोचता है और कोई

(श्री सम्पत सिंह)

उसमें ग्रामूल-चूल परिवर्तन करने की बात नहीं करता. मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इसको कड़ाई से लागू करेंगे। खैर, हिन्दुस्तान में अगर हम गलती पर गलती करते चले जायेंगे तो आपको कोई बढ़िया वजीर कैसे कहेगा ?

अध्यक्ष महोदय, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है, ऐसे हमारे यहां छोटे उद्योग निगले जा रहे हैं। बढ़िया-बढ़िया टेलेन्टेड लड़के इन्जीनियर बन कर आ रहे हैं। मैं दूसरे-चौथे रोज इन्जीनियर्स से मिलता हूं। अभी 18 तारीख को वह अपनी यूनिवर्सिटी में जलसा कर रहे हैं। किसी न किसी बनाने से राजनेताओं के सम्पर्क में आते हैं। तीन-चार हजार से ज्यादा इन्जीनियर आज बेरोजगार हैं उनको आप उद्योग का लाइसेन्स नहीं दे रहे हैं। उनको आप उद्योग का लाइसेन्स देंगे तो भी टेलेन्टेड इन्जीनियर एक साधारण किराड़-व्यापारी के सामने असफल हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उसको आप लाइसेंस देंगे, अभी तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य एक उदाहरण दे रहे थे मोदी एल्का-लीज का। मोदी एल्कालीज को तो आपने बिजली के तरीके से वह टर्म्स-कण्डीशन्स लिख दी, राजस्थान में घुप्प-अन्धेरा होगा, राजस्थान के तमाम अस्पतालों में बिजली नहीं होगी लेकिन मोदी एल्कालीज को बिजली मिलेगी। यानि लघु उद्योग में कोई भी आदमी आयेगा, वह कम्पीटीशन में मारा जायेगा। इसमें निश्चित रूप से आप प्राइटम्स तय करिये। रूई लघु उद्योग में बने, अच्छी बात है। हवाई जहाज बड़े उद्योग में बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही धागा मोदी बना रहा है और वही धागा बनाने में छोटे उद्योगों में हमारे गरीब बुनकर, जुलाहे लगे हुए हैं। करोली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे – छपाई, रंगाई आदि उद्योगों की बात। मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि आप को अपनी नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए वरना आप कागज की बात करते चले जायेंगे। हमारे यहां कहावत है अध्यक्ष महोदय – "कागज बोले ऐसे और कुनबा डूबे कैसे"। कागज के सहारे कोई आदमी नदी में उतर गया, उसका पूरा कुटुम्ब डूब गया। पत्नी किनारे पर आकर कह रहा है कि कागज बोले। तो आपको निश्चित रूप से परिवर्तन करना चाहिए। मंत्रीजी ने एक बात कही थी कि हम पूरे प्रान्त को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करेंगे, मैं समझ नहीं सका कि क्या माउण्ट आबू का उद्योग और भरतपुर का उद्योग फिर एक फूटिंग पर होगा। मेरी समझ से यह है कि एक तरफ तो आप उद्योगों को पिछड़े क्षेत्र में घोषित कर रहे हैं, आप भरतपुर की औद्योगिक स्थिति देखिए – एक तरफ तो ताजमहल भरतपुर के उद्योगों से प्रदूषित होता है और दूसरी तरफ मथुरा में मथुरा रिफाइनरीज से इतना प्रदूषण हो रहा है कि उस पर कोई रोक नहीं है। आपके क्षेत्र के उद्योग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के करीब हैं, वह कम्पीटीशन में पिट रहे हैं। निश्चित रूप से आप कम से कम बोर्डर के जिलों में अपनी नीति तब्दील करिये और खास तौर से भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर या भरतपुर को आप पिछड़ा क्षेत्र घोषित करिये। अध्यक्ष महोदय, उद्योगों के बारे में मैं इतना निवेदन

(श्री सम्पत सिंह)

करके सिर्फ एक अन्तिम बात कहना चाहता हूं। यह यद्यपि पूरे मंत्रिमण्डल का विषय है, खेती को आप उद्योग घोषित करिये, फिर आप अपनी आर्थिक नीति, अर्थ व्यवस्था को देखिए। आपको बार-बार कटोरा लेकर जो दिल्ली और दूसरी संस्थाओं के यहां जाना पड़ता है, मैं समझता हूं पांच या दस साल में अगर आप आत्म निर्भर होते हैं तो आप यह नीति रखिये, बाकी फिर बदल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, खनिज के बाबत मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि जब हमारे यहां इतने मोनोपोली आइटम्स हैं तो उन को आप दूसरी कम्पनियों से क्यों बिजनेस कराते हैं? उदाहरण के लिए जिप्सम है– आप जिप्सम तो दे रहे हैं 60 प्रतिशत और ठेकेदार उसको दिखा रहे हैं – मिट्टी 60 प्रतिशत और जिप्सम 40 प्रतिशत। जो मोनोपोली आइटम्स हो सकते हैं उनको आप क्यों लीज दे रहे हैं। एक तरफ तो हम अकाल में पीड़ित होते हैं, एक तरफ हमारे घाटे का बजट आता है, दूसरी तरफ हम अपनी ही धन-दौलत को लुटा रहे हैं। उत्पादन के साधनों पर आप बेहतर जानते हैं अध्यक्ष महोदय, उत्पादन के साधनों पर जिस वर्ग का कब्जा होगा, कानून निश्चित रूप से उसी के मुताबिक बनेगा। अब यहां बहस की कोई आवश्यकता नहीं है, आप और हम सब समझते हैं कि राजस्थान की खनिज सम्पदा पर किसका अधिकार है? आज बेनामी ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं। छोटी दीवाली के दिन एक-एक व्यक्ति के तीस-तीस, चालीस-चालीस लाख की पगड़ी आ जाती है। वह पैसा तो राज खजाने में आना चाहिए न? तो आप निश्चित रूप से यह देखिये कि कितने बेनामी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं? मजदूरों के नाम आपने खनिज दे रखी है और उनको सबलेटिंग हो रही है और उनको कर कोई और रहा है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं है, पांच-दस बड़ी कम्पनियां ऐसी हैं जो आपके बेशकीमती खनिज का दोहन कर रही है और सरकार को उसमें कुछ नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, समय कम है, आपने इतनी ही मुझे आज्ञा दी है, मैं सरकार से विनम्र शब्दों में लेकिन दृढ़ता के साथ यह निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके रूटिन की बातों को छोड़िये। अपनी आर्थिक–खनिज और उद्योग, दोनों की नीतियों में एक दार्शनिक की तरह आमूल-चूल परिवर्तन करिये। तब तो इन मांगों के कोई मायने हैं वरना तो यह आयेंगे, चले जायेंगे और यह उद्योग ऐसे ही चलते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : अध्यक्ष जी, मैं तुरन्त खत्म करूंगा इसलिए घंटी की आवश्यकता रहेगी नहीं, लेकिन प्रारम्भ मैं लक्ष्मी से करता हूं और खत्म खून से कर रहा हूं इस कागज को। यह कागज मेरे सामने है। मुझे उद्योग चाहिए, उद्योगों का विकास चाहिए लेकिन उद्योगपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना पत्र/निवेदन मेरे पास में है, इस पर मजदूरों के खून से दस्तखत किये हुए हैं। लक्ष्मी सीमेन्ट नाम का उद्योग हमारे सिरोही जिले के अन्दर है। स्थान का नाम बनास की जगह जे. के. पुरम् रख दिया उन्होंने, वह 53 मजदूर दमन के चक्र

(श्री टीकमचन्द कांत)

में पिस रहे हैं। उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, कुलबुला रहे हैं। उन उद्योगों के गुण्डे जाकर उनको पीटते हैं। दो-दो किलोमीटर के एरिया के अन्दर इन लोगों को आने तक नहीं देते हैं। अपनी मांगों को लेकर जब कहीं जाकर मिल तक पहुंचते हैं तो उनके पाले हुये गुण्डे उनको मारने के लिये आ जाते हैं। काफी समय गुजर गया उनको प्रशासन से कोई संरक्षण नहीं मिला। आज वहां पूरे के पूरे मजदूर हड़ताल करने के लिये तैयार बैठे हैं। औद्योगिक शांति को कोई खतरा वहां खड़ा हो जायेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा यह प्रार्थना पत्र मुख्य मन्त्री जी के नाम है, उद्योग से सम्बन्धित है, मैं सदन की मेज पर रखूंगा। समय कैसा है ? रखना चाहिए या नहीं पर मैं रखूंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह तो लेबल मिनिस्टर को देना पड़ेगा।

श्री टीकमचन्द कांत : अब मैं उद्योगपतियों से उद्यमी पर आता हूं। मुझे उद्यमी से सहानुभूति है और उद्यमियों को पनपाना चाहिये, जो साहसी हैं, अपने जीवन के साथ सब कुछ दाव पर लगाकर इस प्रदेश में विकास करना चाहते हैं उन उद्यमियों की ओर ध्यान देना पड़ेगा और यह बिल्कुल सत्य है कि यदि इस प्रदेश में उद्योगों का विकास नहीं होगा तो कृषि पर बढ़ता हुआ भार इस किसान को दिन-प्रतिदिन कमजोर करता जायेगा। मैं चाहता हूं कि सर्व प्रथम उस किसान के बेटे को एक को हल पकड़ाइये और दूसरे को कहिये कि उद्योग में आ और इस प्रकार कम से कम जो किसान है वह किसान का बेटा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लघुतम से लेकर लघु उद्योगों तक में आये। यह नीति हमारे सामने पड़ी है अगर आप दो लाइनें इसमें यह भी डाल दें कि किसान का पुत्र हल छोड़कर अपने छोटे भाई के नाम पर छोड़कर उद्योग में आ जाये तो इसी प्रकार प्रदेश का विकास होगा, उससे पहले नहीं। यह बिल्कुल सत्य बात है। सारे अर्थशास्त्री, विकास और विकासशील की परिभाषा देने वाले, सबने कहा है कि जब तक उद्योगों की संख्या नहीं बढ़ेगी और उद्योगों का विकास नहीं होगा, खेतों का भार कम नहीं होगा तब तक कोई देश या प्रदेश विकसित नहीं बन सकता है और उन्होंने यह सत्य कहा है। मेरा आपसे निवेदन है उद्योग मन्त्री जी, नीति तो काफी ठीक है। मैंने भी पढ़ा है इसमें बहुत सारे क्षेत्रों को इसके अन्दर लेने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है, लेकिन इस नीति को लागू करने वाली भावना जब तक नहीं होगी, तब तक क्या होगा आप भी जानते हैं उद्योग मंत्री जी "रीको" अलग कारपोरेशन है, आर. एफ. सी. अलग कारपोरेशन है आपके उद्योग मन्त्रालय के तहत तो सिर्फ उद्योग विभाग है। एक बार मैं आपके पास लेकर आया था तो आपने कहा था यह आर. एफ. सी. का मामला है, अलग कारपोरेशन है। जब तक यह संगठित भावना पैदा नहीं होगी....

श्री अध्यक्ष : आप उद्योग मन्त्री को बार बार नहीं दोहरायेंगे। दोहरायेंगे तो मुझे घण्टी बजाने के लिये बाध्य करेंगे, यदि आप लगातार इसी पर बोलते रहे तो।

श्री टीकमचन्द कांत : आपके माध्यम से सम्बोधन था।

श्री अध्यक्ष : आप तो चेलेंज दे रहे हैं। जैसे सारा भाषण ही उद्योग मन्त्री पर है।

श्री सम्पत सिंह : उद्योग मन्त्री के ऊपर से निकलेंगे तो फिसलकर गिर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : एक और निवेदन करूंगा। आपने सम्पतसिंह जी का भाषण सुना होगा केवल पाइण्ट्स बोले थे नीतिगत समझिये भावना कम रखिये और बात ज्यादा।

श्री टीकमचन्द कांत : मैं इनकी नकल नहीं कर सकता हूं। वह मेरे से ज्यादा सीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार हैं।

श्री अध्यक्ष : नकल की नहीं कह रहा हूं।

श्री सम्पत सिंह : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, नकल की नहीं कह रहे हैं कह रहे हैं, ऐसी गलती मत करना। अपने क्षेत्र की बात जरूर करना।

श्री टीकमचन्द कांत : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जब तक यह संगठित नहीं होंगे, उनमें ऐसी भावना नहीं आयेगी कि हमारे राजस्थान को विकसित करना है तब तक हम उद्योगों में आगे नहीं बढ़ेंगे। आबू रोड़ के पास में रेवदर के पास में गुजरात आया हुआ है। गुजरात की तरफ दृष्टि दौड़ाइये। सारे काम जैसे ही उद्यमी जाकर खड़ा होता है एक महीने के अन्दर, 15 दिन के अन्दर पूर्ण हो जाते हैं। आदमी अपने कार्य में लग जाता है। हमारे यहां महीनों निकल जाते हैं बाधायें उत्पन्न होती है। हमारे क्षेत्र के अन्दर भी उद्योग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गुजरात के अन्दर ज्यादा सब्सिडी है। मेरा निवेदन है कि हमें भी इसी प्रकार की नीति अपनानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमें भी अफसरशाही से नीचे उतरकर कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करना होगा तब जाकर उद्योगों को विकसित कर सकेंगे, उद्योगों को आकर्षित कर सकेंगे। रेवदर के अन्दर अध्यक्ष महोदय, मारबल होता है पर वहां 132 के. वी. की लाइन नहीं पहुंची। उद्योग मन्त्री थोड़ी सिफारिश कर दें तो 132 के. वी. की लाइन तुरन्त पहुच जाये। इतने सारे संगमरमर को ढोकर ले जाना पड़ता है। वह रेवदर मुख्यालय पर ही उद्योग लगाये जायें। संगमरमर का उद्योग वहां आसानी से पनप सकता है और लोगों को रोजगार मिल सकता है। पास में गुजरात में पालमपुर में हीरा घिसाई का काम होता है। हमारे यहां पर भी बहुत अच्छे कारीगर तैयार हुए हैं। मण्डार के अन्दर अगर पांच करोड़ रुपया लगाया जाय और 100 कारखानें 5-5 लाख की कीमत के लगा दें। तो चार हजार लोगों को वहां हीरे के उद्योग का रोजगार मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उद्योग मन्त्री जी की थोड़ी दृष्टि रेवदर की तरफ जाय ताकि वहां उद्योग पनपे और लोगों को रोजगार मिले।

(श्री टीकमचन्द कांत)

खनिज के बारे में जीवारण, रेवदर और अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन हो रहा है उसको रोकने के प्रयास पूरे करें नहीं तो यह अवैध खनन का कार्य जो आरम्भ हुआ है वह न मालूम किस-किस ढंग के लोगों को पैदा करेगा और वे हमको कितना घाटा देंगे।

(समय समाप्ति सूचक-घन्टी)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री टीकमचन्द कांत : मैं समाप्त तो करूं। समाप्ति की दो लाइन तो बोल दूं।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा घण्टी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तीन बजा दी।

श्री टीकमचन्द कांत : आपने बजायी उससे पहले खत्म ही करने जा रहा था। मैं समाप्त करता हूं। बोलिए राजेन्द्रजी।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्षजी, उद्योग और खनिज विभाग की मांगों पर मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं मैं भी मेरे क्षेत्र जोधपुर की कुछ समस्याएं आपके माध्यम से रखूंगा। जोधपुर क्षेत्र में मखानिया औद्योगिक क्षेत्र में 1980-81 में "रीको" ने औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था। पानी बिजली व अन्य विकास के कार्य न होने के कारण 250 प्लाट एक साथ कट जाने के बाद भी, आवंटन होने के बाद भी आज वहां चार उद्योग भी नहीं लगे हैं। क्या कारण था कि प्रवासी राजस्थानियों ने उद्योग लगाने के लिये भूमि आवंटन कराई थी और आज वहां ऐसी की ऐसी स्थिति बनी हुई है। उसके बाद मंडोर औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर "रीको" ने भूमि आवंटन की थी। उसका भी समुचित विकास आज तक बिजली और पानी की व्यवस्था न होने के कारण नहीं हो पाया। इस औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर तीन सौ प्लाट कटे हुए है उसके बावजूद भी आज 6 उद्योग ही लग सके है। आठ, नौ और दस साल होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में इस प्रकार की "रीको" द्वारा उपेक्षा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

इसके बाद हमारे जोधपुर क्षेत्र के पास प्रथम और द्वितीय चरण में अनेकों उद्योग लगे हुए हैं उसके बाद भी वहां की सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। "रीको" विकास दर के नाम से शुल्क लेता है उसके बावजूद आज तक उस शुल्क में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। इसके साथ-साथ रोड़ लाईटों की स्थिति ऐसी हो चुकी है। न तो यू. आई. टी. उसमें काम करता है और न नगरपरिषद उसमें काम करती है। सड़कों पर रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ टैक्सटाइल मिलों के कारण हमारे किसानों की जो भूमि आ रही है, जिसका जल प्रदूषित हो रहा है, उसके लिए सरकार ने आज भी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगाना चाहिये, जिससे आस-पास के जो जोजरी नदी में जो यह प्रदूषित जल जा रहा है, जिसके कारण कुओं का जल खराब हो रहा है, जमीन खराब हो रही है, उसको रोका जाना चाहिये। इस बाढ़ के कारण उस क्षेत्र के

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

अन्दर जो प्रदूषण फैला था, वह बह चुका है। आने वाले समय में उद्योग मन्त्रीजी को आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उस पर ध्यान दें, जिससे ट्रीटमेण्ट प्लान करें तो जल की व्यवस्था करायें, जिससे वह पाली नदी, जोजरी नदी दूषित न हों और आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि इस बाढ़ के कारण हमारे बालोतरा क्षेत्र के अन्दर, बासना क्षेत्र के अन्दर, जो नुकसान हुआ है, बालोतरा टैक्सटाइल मिल में कम से कम 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, इसके लिये तुरन्त सरकार ऐसी व्यवस्था करें, उनको ऋण दें, उनको अनुदान दे, उनकी क्षति-पूर्ति करे। इसके साथ-साथ मैं आपको एक निवेदन खनिज नीति की ओर भी करना चाहूंगा मेरे जोधपुर क्षेत्र के अन्दर सूरसागर, मण्डोर, बालेसर, इन क्षेत्रों के अन्दर जो स्टोन है. उसकी सड़कों का जो निर्माण है, आज 15 साल से नहीं हो रहा है। पी. डब्ल्यू. डी. इसलिये नहीं करती, खनिज विभाग उनको पैसा नहीं देता है और खनिज विभाग को इस ओर देखना चाहिये। उस क्षेत्र के अन्दर सड़कों का निर्माण करवायें, उस क्षेत्र के अन्दर मजदूरों के लिए अन्य व्यवस्थायें हैं. स्वास्थ्य के लिये पीने के पानी की व्यवस्था कराये, और अन्य व्यवस्थायें उस क्षेत्र में करानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर और पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के अंदर स्टोन, लाइम स्टोन है। आज वह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो जाने के बावजूद भी इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के ब द भी आज एक भी ऐसा उद्योग वहां पर नहीं लगा है, जिससे रोजगार मिल जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं ऐसी औद्योगिक नीति बनानी चाहिये, जिससे बेरोजगारों को काम मिल सके और उद्योग के नाम पर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, उस पर रोक लग सके। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, जो खनिज निगम हैं, और अन्य निगम हैं, उसके अन्दर अनियमितता के जो आरोप हैं, उन आरोपों की जांच करायी जाये। जिससे इस क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, राजस्थान का विकास हो सके। पश्चिमी राजस्थान और पूरे राजस्थान को पिछड़ा घोषित किया है, परन्तु पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, उसको अधिक मात्रा में सुविधा देने के लिए वहां पानी और बिजली की कमी है। बेरोजगारी ज्यादा है, इसको ओर भी माननीय मंत्रीजी ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगतसिंह दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, यह देश आजाद हुआ तो हमें विरासत में गरीबी, बेरोजगारी, कम रोजगारी, काम न करने की प्रवृति मिली। देश के पहले प्रधान मन्त्री ने इस सबका हल ढूंढने के लिए, इस देश की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, जितनी भी परिस्थितियां हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनका हल ढूंढने के लिए वह भारत से बाहर रशिया गये और रशिया में जाकर अपने मित्र मोलन वेस्की से इस देश के लिये क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे इन प्रोब्लम्स का हल हो सकता है, उसके लिए

(श्री जगतसिंह दायमा)

हिस्कर्स किया और यह देश का दुर्भाग्य था कि जब सबसे पहले उन्होंने बड़े उद्योगों को स्थापित करने का फैसला लिया। अध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिये था कि सबसे पहले जब देख रहे हैं कि यह देश बहुत गरीब है, रोटी नहीं मिल रही है, रोजी नहीं है, कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, तो होना यह चाहिये था कि वह सबसे पहला दर्जा कृषि को देते। परन्तु उन्होंने सबसे पहले दर्जा दिया उद्योगों को। गांधीजी ने कहा था कि गांव को इकाई मानकर और इसको आधार मानकर फिर इस देश की प्रोबलम्स हल की जायें, उल्टा हुआ यह कि इस देश के प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने शहर को अपना केन्द्र माना। और शहर को केन्द्र मानकर इस देश की समस्याओं को हल करने के लिए, हल ढूंढने के लिए उन्होंने अपना काम शुरू किया। आज हम यह देखते हैं कि जब शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हजारों-हजारों, लाखों-लाखों झोपड़ियां, झुग्गी झोपड़ियां वहां पड़ी हुई हैं और सैकड़ों छोटे-छोटे बच्चे मांगते खाते-फिरते हैं हम शहरों में देख रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सब कहां से आया। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसी तरफ ध्यान देंगे तो पायेंगे कि यह सारे झुग्गी झोपड़ियों वाले व्यक्ति या भीख मांगने वाले व्यक्ति गांव से आये हैं। अगर हम गांव को केन्द्र मानकर के काम वहां से शुरू करते तो आज जो पलायन गांव से शहर में हो रहा है. कम से कम वह नहीं हो पाता। आज भूखमरी, बेरोजगारी जितनी हम गांव में देखते हैं, उतनी आज शहरों में भी है। और इन सबका कारण मैं एक ही बात मानता हूं कि गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और शहरों की तरफ ध्यान दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर गांव की तरफ उद्योग नीति में हम ध्यान देते और गांव को केन्द्र मानकर के वहां के छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करते तो निश्चित रूप से वहां का पलायन रुकता। 80 प्रतिशत जो गांवों का हिस्सा है, उसको रोजी-रोटी मिलती। आज हम कल्पना करते हैं इस बात की कि देश का जहां 80 प्रतिशत रहता है, उसकी ओर तो ध्यान नहीं दिया जाये और जहां 20 प्रतिशत रहते हैं, वहां हजारों-हजार उद्योग लगें, आज कितने ही उद्योग लगा दें, परन्तु देश की हालत तभी सुधरेगी, जब 3/4 हिस्से को हम रोजगार देंगे, तभी जाकर के रोटी, कपड़ा और मकान की बात होगी। इसलिये मैं कहना चाहूंगा इस सरकार से और गैलेरी में बैठे हुये हमारे उद्योग के जो अधिकारी है, विकास की ऐसी नीति बनाये कि हमारे गांव के गरीब, मजदूरों को मजदूरी मिले, गरीब को काम मिले, उसको रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले और ऐसा कार्य नही करे कि एक तरफ उद्योगपति तो बहुत अमीर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे गांव के आदमी को रोटी भी नहीं मिल रही है। मैं इसके बारे में अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगा और वह यह है कि हमें सबसे पहले कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिये। जब तक हम कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं देंगे, जब तक गांव का व्यक्ति भूखा है, उसको रोटी नहीं मिल रही है, तब-तक वह अपना दिमाग बड़े-बड़े कल-कारखानों में या काम करने में वह शक्ति कहां लगायेगा कोई भी काम वह नहीं कर

(श्री जगतसिंह दायमा)

सकता है। इसलिए अगर हम कृषि को उद्योग का दर्जा दे दें तो एक बहुत बड़ा समाधान हो जायेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उनका अन्तिम समय था, इस बात के लिए उन्होंने अपनी गलती मानी। 1963-64 मई की बात हैं। 63 की बात है. उन्होंने इस बात के लिए गलती मानी कि हां मुझे बड़े उद्योग यहां नहीं लगाने चाहिये थे। छोटे-छोटे उद्योग हमें गांवों में लगाने चाहिये थे। एक मशीन जो सौ व्यक्तियों के रोजगार को खतम कर सकती है, ऐसी मशीन हमारे देश के लिए आवश्यक नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी थोड़े दिन पहले मैंने जिक्र सुना कि दिल्ली में एक ऐसी मशीन आ रही है जो एक ही मशीन सड़कों पर झाड़ू लगा देगी। हजार-हजार बेरोजगारों की, जिनको आज काम मिल रहा है सफाई करने का, क्या हालत होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि बड़े उद्योगों की आवश्यकता है, जैसे सीमेण्ट का उद्योग है, इस्पात का उद्योग है, वह लगाये जायं। छोटे उद्योगों को गांवों में लगाया जाय। अगर आप गांवों में छोटे उद्योग लगायेंगे तो हमारी उद्योग की नीति ऐसी है कि उनको पनपाया जाय तो रोड़ वहां पर बनानी पड़ेगी, रोड़ बनेगी तो वहां पर लोग रहेंगे। लोग रहेंगे तो उनकी सुविधा के लिए पानी-बिजली के सारे प्रबन्ध होंगे। आज गांवों में न बिजली का प्रबन्ध है। उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। हमारी नीति ऐसी हो जो आम आदमी को रोजगार दे सकें, मैं उस नीति की सराहना करना चाहता हूं, ऐसी नीति बनायी जाय। दूसरी तरफ मैं जो ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि उद्योग हम लगा रहे हैं राजस्थान में। यह रिपीट हो रहा है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं कहूंगा इस बात को।

उद्योग हम लगा रहे हैं। भूमि जा रही है किसानों की। जिस किसान की जमीन जा रही है उसको कम से कम यह तो हो कि उसके बच्चों को फैक्ट्री में श्रम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यह नियम तो कम से कम बना दिया जाय। आज हम यह देखते हैं कि जमीन भी हमारी चली गयी और भूखों मरने की नौबत आ रही है। मैं मानता हूं कि तीन तरह के कारीगर होते हैं–कुशल, कम कुशल और अकुशल कारीगर। मानते हैं कि कुशल कारीगर उद्योग-पतियों को यहां नहीं मिलते, उनको बाहर से लाना पड़ता हैं, परन्तु कम कुशल और अकुशल कारीगरों की तो हमारे यहां पर भरमार है। इसलिए मै मांग करना चाहूंगा कि सबसे पहले यह नियम बनाया जाय कि राजस्थान के किसान की जमीन जा रही है तो राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार बच्चों को सबसे पहले उस उद्योग में नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरा मेरा यह सुझाव है....

श्री अध्यक्ष : आप खनिज पर नहीं बोलेंगे ?

श्री जगतसिंह दायमा : नहीं खनिज पर नहीं बोलूंगा।

किसान कपास बोता है, किसान अनाज बोता है या वह धरती से जो कुछ भी

(श्री जगतसिंह दायमा)

उपजा रहा है उसके उद्योग लगाये जायं तो उद्योग लगाने की परमिट उसी को दिया जाना चाहिए जो उसे पैदा कर रहा है, न कि बड़े व्यापारी को। दाल मिल आप दो किसानों को, क्यों आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हो कि आप दाल तैयार कीजिए? रोज के काम आने वाली छोटी-छोटी चीजों के लिए आपको चाहिए कि उनके लाइसेंस आप गांव के व्यक्तियों को दें, किसानों को दें। जो चीज पैदा कर रहा है उसी को अगर आप लाइसेंस देंगे तो गांव का उद्धार होगा। दूसरी चीज मैं यह चाहूंगा कि छोटी-छोटी चीजें ज्यादा से ज्यादा बनायी जायं, यह नहीं कि बड़ीबड़ी मशीनों से उनको बनाया जाय। मेरा लास्ट निवेदन है कि जो काम हम हाथ से कर सकते हैं उसका लाइसेंस उससे आगे किसी भी फैक्ट्री को, उद्योग को दिया ही नहीं जाना चाहिए। जैसे कपड़े का है, अगर आप नयी-नयी मशीनें जो वहां पर लग रही हैं, बन्द कर दें और हाथ से कपड़ा बनाया जाय तो कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जब तक हम चौधरी चरणसिंह की बतायी हुई नीतियों पर नहीं चलेंगे, महात्मा गांधी की बतायी हुई नीतियों पर नहीं चलेंगे इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बिरदाराम। यह आपको मैंने पहले बताया था कि 2 घण्टा 10 मिनट आपकी पार्टी ने लिये हैं, बी. जे. पी. ने 1 घण्टा 2 मिनट और जनता दल ने 1 घण्टा। इसको ध्यान में रखकर बोलें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 2 घण्टा 10 मिनट ? श्रीमन्, अभी तो दो ही बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको एक एक के नाम गिना दूं ? श्री चन्दनमल बैद 30 मिनट.

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये बोले ही नहीं, साहब। सिर्फ दो आदमी बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : हां तो इसमें से 30 मिनट कम कर दीजिये। बुलाकीदास कल्ला बोले हैं 40 मिनट.

श्री प्रद्युम्न सिंह : 22 मिनट, पहले घोषणा 22 मिनट की हुई थी, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : रमाकान्त शर्मा ने 6.40 पर समाप्त किया और इन्होंने 7.25 पर समाप्त किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको चेलेंज नहीं कर रहा....

श्री अध्यक्ष : खैर आप इसको ध्यान में रखिये और बोलिये।

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग और खनिज की डिमाण्ड पर मेरे सुझाव और विचार आपकी मार्फत रखना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, उद्योग नीति पर काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं विशेष तौर से उसी क्षेत्र की बात आपकी मार्फत सदन के समक्ष रखना चाह रहा हूं। मेरा मकराना विधान सभा क्षेत्र मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। मकराना का मार्बल विश्व विख्यात मार्बल है। यह मार्बल इटली के मार्बल से भी सुपीरियर मार्बल है। यह बात मैं

(229)

(श्री बिरदाराम चौधरी)

जियालाजी के आधार पर भी आपको बता देना चाहता हूं कि यह मार्बल सबसे सुपीरियर मार्बल है। लेकिन मकराना के मार्बल उद्योग की तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मकराना के मार्बल उद्योग की नयी तकनीक अपनाकर यदि विकास किया जाय तो एक तो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और उद्योग नीति के अन्दर रोजगार मुहैया कराने की जो बात कही गयी है उसको भी बल मिलेगा। नागौर जिला, विशेषकर मकराना औद्योगिक क्षेत्र बार बार अकाल की चपेट में आता है। इससे वहां गांवों के मजदूर मकराना में काम पर लग सकते हैं। मकराना एक औद्योगिक नगर है। उसमें करीब 50 हजार लेबर और दूसरे व्यक्ति हैं इस उद्योग में लगे हुए। लेकिन नयी तकनीक नहीं होने की वजह से तथा इस उद्योग की तरफ बाहर का ध्यान नहीं जाने की वजह से यह मार्बल उद्योग जैसा पहले चल रहा था उसी ढर्रे पर आज भी चल रहा है। इसके लिए मैं मेरे सुझाव देना चाहता हूं। यहां सबसे बड़ी कठिनाई है बिजली सप्लाई में इर्रिगुलिरिटी। इस उद्योग में काम आने वाली बिजली रेगुलर हिसाब से आती नहीं। जब कभी भी बिजली की कटौती की जाती है तो सबसे पहले यही होता है कि मार्बल उद्योग की बिजली काट दी जाय। मेरा सुझाव यह है कि बार-बार होने वाली यह बिजली की इर्रिगुलरिटी नहीं हो। जब बिजली की कटौती हो तो यहां भी समान रूप से कटौती की जाय, न कि केवल मकराना उद्योग की बिजली की कटौती ही की जाय। दूसरी बात यह है कि जो मकराना में उद्योग लगाना चाहता है उसकी बिजली की फाइल 5-5 साल तक पैण्डिंग रहती है। आज भी पड़ी हैं। उद्योग के लिए कई डिपार्टमैण्ट्स का सामंजस्य है, उनमें एक बिजली विभाग भी शामिल है। कोई आदमी उद्योग लगाने के लिए मशीन लाता है, पैसा खर्च करता है लेकिन 4-5 साल तक उसको बिजली नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में उस व्यापारी की, उस उद्योगपति की क्या हालत होगी? जिसको पांच साल तक बिजली नहीं मिल रही है उसके लिए यह व्यवस्था भी वहां की जानी चाहिए।

दूसरा यह कि मकराना के अन्दर बाहर से मार्बल आता है। जहां से मार्बल आता है उसमें रायल्टी लग जाती है और उसकी मकराना में एक बार रायल्टी लग जाती है इसलिए इस मार्बल उद्योग पर दबाव पड़ता है और इस डबल रायल्टी की वजह से उद्योग पर प्रेशर पड़ने की वजह से मेरा यह सुझाव है कि यह जो डबल रायल्टी की प्रथा है उसे समाप्त किया जाय। मकराना में बाहर से जो पत्थर आता है उस पर रायल्टी ली जानी चाहिए लेकिन मकराना में पत्थर आने के बाद दुबारा से उस पर रायल्टी न ली जाए। इसके बाद में जो मकराना कस्बा है और जहां पर मार्बल की फैक्टरीज हैं, उद्योग हैं, वैसे तो वहां मकराना में बाहर से जो व्यक्ति आता है वह देखता है कि मकराना के अन्दर मार्बल है तो मार्बल की सड़कें होंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत बता देना चाहता हूं कि मकराना के अन्दर इतना पैसा गवर्नमेंट को आता है, रेवेन्यूज कलेक्ट होता है, लेकिन 5 किलोमीटर तक डामर की सड़क नहीं। इसलिए बाहर के जो व्यापारी आते हैं, जो उद्योग लगाना

(श्री बिरदाराम चौधरी)

चाहते हैं, वह भी उद्योग लगाने में हिचकिचाते हैं। दूसरी बात जो मकराना में ट्रक आपरेटर्स हैं, उनमें और व्यापारी में हमेशा कन्फ्यूज रहता है। ट्रक आपरेटर्स का यही कहना है कि वहां सड़कों का रख-रखाव न होने से उनका मरम्मत पर पैसा ज्यादा खर्च होता है। जाने-आने के साधन न होने से उनमें कन्फ्यूज होता है। इसलिए इस मकराना उद्योग को पनपाने के लिए सड़कों का होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आस-पास के करीब 10-15 हजार लेबर आते हैं और सड़कों की वजह से वह मार्बल उद्योग में आ नहीं सकते। दूसरी बात मकराना उद्योग की दृष्टि से है। जो रॉ-मैटेरियल है, खनिज जो मकराना में मिल रहा है और मकराना में मार्बल का भी भण्डार है लेकिन आज जो मार्बल निकालने का तरीका है, जो खानों का तरीका है, वह आज से जो 30 साल पहले था वही अपनाया जा रहा है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि खानों में से मार्बल निकालने के लिए भी नई तकनीक अपनाई जावे और इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि जैसे क्रेनें पुरानी लगाई हुई हैं 8-10 डीजल के इंजिन उसको खींचते हैं....

(10.00 रात्रि)

श्री हरिकुमार औदिच्य (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंह जी को जगाइए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)। मैं सो नहीं रहा, चिन्तन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आंखें खोलकर चिन्तन करिए।

श्री बिरदाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो माइनिंग एरिया है, उस माइनिंग एरिया के अन्दर बिजली की लाइन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एरिये में बिजली लग जाती है तो खानों में जो क्रेनें हैं वह बिजली से चलने लग जायेंगी और उससे मार्बल खानों से ज्यादा निकल सकता है।

मैं खनिज मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मारवाड़ शासन के टाइम से जो मकराना के मार्बल का क्षेत्र है उसका सर्वे हुआ था और ब्ल्यू प्रिंट बना था उसके बाद में वही की वही स्थिति आज भी चल रही है। इससे क्या होता है कि वहां पर जो माइनिंग का गार्ड रहता है, या कर्मचारी रहते हैं उनके भ्रष्टाचार की ज्यादा सम्भावना रहती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए लेटेस्ट ब्ल्यू प्रिंट बनाया जाय जिससे पता लगे कि किसकी खान कहां तक है। जहां मर्जी आए फोरमैन जाकर पत्थर गाड़ देता है और उसके बाद में वह 5 मीटर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए नये ब्ल्यू प्रिंट होने बहुत जरूरी है। दूसरे, खान के अन्दर

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

ज्यादातर बाहर के लेबर आते हैं। उनके लिए मेडिकल सुविधा कोई नहीं है। खनिज विभाग की खानों में जो मजदूर रहते हैं, उनके बार-बार एक्सीडेंट्स भी होता है और किसी तरह की पत्थर वगैरह की लगती भी है उनके लिए मेडिकल एड उपलब्ध

(श्री बिरदाराम चौधरी)

करानी चाहिए और मेडिकल एड की फैसेलिटी उनको दी जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दूसरा, यह है कि जो खानों का आवंटन हो रहा है उसमें ज्यादातर पूंजीपतियों को ही खानें मिलती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो खान आवंटित होती है उसके लिए गरीब आदमी, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अलग से कोटा होना चाहिए और अलग से कोटा होने की वजह से उनको अलग से खानें आवंटित होनी चाहिए ताकि उनको भी खानें मिल सकें अन्यथा जो पैसे वाला होगा वही खान का आवंटन करा लेगा और गरीब आदमी रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, 10 मिनट हो गए।

श्री बिरदाराम चौधरी : दूसरी...

श्री अध्यक्ष : अब दूसरी नहीं यह आप की 10वीं है।

श्री बिरदाराम चौधरी : जो एम्प्लायमेंट है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : श्री कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 43 जो खनिज के बारे में है उसका समर्थन करते हुए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की सार्वजनिक समस्याओं की तरफ माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

निम्बाहेड़ा क्षेत्र खनिज के मामले में काफी समृद्ध है लेकिन क्योंकि 40 साल तक कांग्रेस का शासन रहा और उनकी हमारे क्षेत्र पर कृपा दृष्टि रही नहीं इस वजह से निम्बाहेड़ा के खनिज क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। आज भी निम्बाहेड़ा के खनिज क्षेत्र से करोड़ों की सालाना रायल्टी खनिज विभाग को मिलती है।

निम्बाहेड़ा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है एप्रोच रोड। जब 77 में जनता पार्टी की सरकार थी तब 2 एप्रोच रोड बनी थी, उसके अलावा आज तक कभी भी खनिज विभाग ने निम्बाहेड़ा की रोडों की तरफ ध्यान नहीं दिया।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा में जो एप्रोच रोड खनिज विभाग की तरफ से बननी चाहिए उसमें बरोली घाटा मसाबल माइन्स रोड, कतल्या खेड़ी माइन्स रोड, अम्बा माता माइन्स रोड, बाबरी खेड़ा माइन्स रोड, सेडवा माइन्स रोड। इनके अलावा भी अनेक ऐसी माइन्स रोड हैं जिन में सड़कें न होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं और कच्चा माल जो लाइम है, लाने में काफी तकलीफ होती है। करीब 25000 व्यक्ति खनिज के माध्यम से मेरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मजदूरों के पीने के पानी की व्यवस्था न होने से मजदूरों को 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। मेरा माननीय खनिज मंत्री जी निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाये जायें, ट्यूब वैल लगाये जायें और चिकित्सा सुविधाओं का भी वहां अभाव है। वहां से 5 किलोमीटर दूर जो विनोता गांव है वहां पर छोटा सा अस्पताल है वहां पर चिकित्सा सुविधा है। इस वजह से भी काफी तकलीफ

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

आती है अतः चिकित्सा सुविधाओं की पूर्ति की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से खनिज मंत्री जी से खास आग्रह है कि लिफ्ट योजना की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। चूंकि निम्बाहेड़ा माइन्स एरिया में जब भी अधिकतम बारिश पड़ती है तो पानी भरा रहता है। 8-9 महीनों तक पानी भरा रहता है। वह पानी सूखता नहीं है। इस वजह से जो अच्छा पत्थर है वह माइन्स में हमेशा नीचे निकलता है, उसको मजदूर निकाल नहीं पाते हैं। इससे काफी नुकसान होता है। अभी 2-3 लिफ्ट योजनाएं शुरू हुई हैं और लिफ्ट योजना शुरू होने के बाद खनन बढ़ा है। लिफ्ट योजना के माध्यम से इरिगेशन भी हो सकेगा और सिंचाई जो कि हमारी बहुत बड़ी समस्या है, उसकी पूर्ति भी हो सकेगी। नई खानों के लाइसेंस जो पिछले 6 वर्षों से सरकार ने बन्द कर रखे थे उनको भी शुरू करना चाहिए ताकि जो मजदूर बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। चालू खानों के ऊपर जो भोटें होती हैं, उनका भी आवंटन होना चाहिए। 16.1.88 को पुरानी पद्धति के अनुसार अलाटमेंट के आदेश सरकार ने किए थे लेकिन उसके बावजूद भी आज तक निम्बाहेड़ा क्षेत्र में खानों के भोटों का आवंटन नहीं किया गया वह शीघ्र ही शुरू होना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो छोटी सादड़ी क्षेत्र है। छोटी सादड़ी तहसील में एक आदिवासी इलाका है, धोला पानी काला कुआ क्षेत्र। वहां पर ग्रेनाइट के बारे में पता चला है और काफी लोगों ने आवेदन भी लगाये हैं, पर उस सम्बन्ध में खनिज विभाग की तरफ से कोई योगदान नहीं मिला है। अतः आगे इसमें रुचि लेकर खनिज विभाग ध्यान दे तो ग्रेनाइट की खानों का पता लग सकता है। चूंकि यह आदिवासी इलाका है, इससे इस आदिवासी इलाके की काफी उन्नति हो सकती है। ग्रेनाइट की खानों की तरफ ध्यान दे इसके लिए यही

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरा निवेदन है। चित्तौड़गढ़ जिले में केशरपुरा में हीरों का भण्डार मिला है, उसकी तरफ भी खनिज विभाग ध्यान दे।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा खनिज क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है ओवर बर्डन की। हमारे यहां लाखों टन ओवर बर्डन होता है अगर यह ओवर बर्डन हट जाय तो नई खानें भी निकल सकेंगी, उससे रायल्टी भी बढ़ सकेगी। जैसा कि मुझे पता लगा है कि कोटा के कलक्टर ने वहां की ओवर बर्डन की नीलामी के आदेश दिये थे और मैसर्स मंगलम सीमेन्ट इसका सीमेन्ट में उपयोग करती है, इसी प्रकार से निम्बाहेड़ा की जे. के. सीमेन्ट फैक्टरी, जो वहां पास में से पीला खेड़ा से लाइम स्टोन लाकर ओवर बर्डन लेना शुरू कर दे, वह दूर जरूर पड़ती है तो उससे खानों का ओवर बर्डन भी हट जाएगा, खानों का विकास भी होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि ओवर बर्डन के बारे में आप सीमेन्ट फैक्टरी को निर्देशित करें।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका क्षेत्र में जो खनन पट्टाधिकारी हैं

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

उन पर भूमि एवं चुंगी कर नहीं लगता है जबकि नगर पालिका क्षेत्र के बाहर चुंगी एवं भवन कर लगता है तो इस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि इससे उनको लाभ अधिक मिल रहा है और बाहर उनको लाभ नहीं मिल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा में काफी खनिज भण्डार हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही गांवों में जो बजरी पाई जाती है उसकी भी नीलामी होती है, उसके भी ठेके होते हैं, उसकी नीलामी और ठेके नहीं होने चाहिए। क्योंकि बजरी तो गरीब किसान अपना मकान बनाने के काम में लेते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बजरी पर से रायल्टी और ठेके हटाए जायं। पाली जिले के अन्दर सोजत खनिज उप खण्ड है उसमें बरगरीलवाचा में एक कच्चा पत्थर निकलता है। उस पर रायल्टी हटाई जाए और टैक्स हटाया जाय, क्योंकि कच्चा पत्थर वैसे भी किसी काम का नहीं होता है, गरीब किसानों के काम में आता है।

इतना ही कहकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश झामनानी।

श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) - माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 और 43 का मैं समर्थन करता हूं। राजस्थान में उद्योगों की जो स्थिति आज है वह आपसे छिपी हुई नहीं है। भारत को आजाद हुए 42 साल हो गए हैं। विभिन्न प्रान्तों में जिस तरह से औद्योगीकरण हुआ है उसकी तुलना में राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से उद्योगों को जिस तरह से पनपाया जा सके उसमें मूलत: कमी पाई जाती है। उद्योग को तीन विभाग में यदि लिया जाय-नये उद्योगों की स्थापना, उद्योग चलते हुये रूग्ण नहीं हों, और रूग्ण उद्योग वापस किस तरह से ठीक हो इनको यदि गम्भीरता से चिन्ता की जाए तो राजस्थान में अच्छा औद्योगीकरण हो सकता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार से भ्रूण हत्या होती है इण्डस्ट्री लगाने से पहले पहले, इण्डस्ट्री लगती नहीं है, उद्योग लगता नहीं है लेकिन उसके पहले पहले उसकी हत्या कर दी जाती है, निरुत्साह किया जाता है इण्डस्ट्री लगाने वालों को तो, यहां पर कैसे इण्डस्ट्री लगेंगी। अजमेर जिले की एक लक्ष्मी रोलिंग फ्लोर मिल का आपको निवेदन करना चाहता हूं कि तीन माह से लेकर करीब 2 करोड़ रुपए की इण्डस्ट्री लगी हुई तैयार पड़ी है, रीको और आर. एफ. सी. से पैसा स्वीकृत हो गया है, उसमें से पार्ट-पेमेण्ट हो गया है, पार्ट पेमेण्ट बाकी है ताकि वह उद्योग चल सके। गत 19 तारीख को माननीय मंत्री महोदय जब अजमेर पधारे थे तब उस उद्योग का निरीक्षण कराया था तो उन्होंने कहा था कि वास्तव में इण्डस्ट्री को स्टार्ट करने की आवश्यकता है। वर्किंग केपिटल के लिए 11-12 लाख और आर. एफ. सी. के पास 12 लाख रुपए रुके पड़े हैं। कई बार इन्सपेक्शन हो चुका है लेकिन बार-बार कहने के बावजूद, 19 तारीख के इन्सपेक्शन बाद में, और 22 तारीख को मंत्री महोदय के लिख कर देने के बाद भी आज दिन तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लगभग

(श्री हरीश भामनानी)

15 हजार रुपए रोज का उसमें खर्चा हो रहा है। यह दिखती हुई बात है कि आने वाले महीने दो महीने में अन्तर नहीं पाया गया तो उसकी रुग्ण स्थिति हो जायेगी।

दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार से अधिकारियों की स्थिति रही, इस प्रकार की मनोवृत्ति रही तो राजस्थान में इण्डस्ट्री पनप ही नहीं पायेगी, इसलिए उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

रीको के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे तेल की घाणी होती है, घाणी का एक चिन्ह अपने दफ्तर के बाहर लगाना चाहिए उसमें यहां पर लिखना चाहिए कि यहां पर आदमी का तेल निकाला जाता है। आदमी को चक्कर लगाते लगाते कभी तो उसकी इच्छा होती है इण्डस्ट्री नहीं लगानी चाहिए। जब जमीन की उपलब्धि के लिए इनके पास में जाता है तो जमीन की उपलब्धि इनके पास नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर इण्डस्ट्री लगाने की बात करता है तो भूमि रूपान्तरण के लिए चक्कर काटते काटते कलेक्टर के पास पसीना आ जाता है और कई बार तो इण्डस्ट्री लगाने का स्वप्न धूमिल हो जाता है। मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार का जिस प्रकार का उद्देश्य है राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी दृढ़ संकल्प हैं, माननीय मंत्रीजी भी इस प्रकार का संकल्प लिए हुए हैं उद्योगों में परिवर्तन लाने के लिए तो इस प्रकार की सोच की आवश्यकता है। (व्यवधान)

माइन्स पर नहीं बोलूंगा इसलिए मेहरबानी करके घण्टी मत बजाना।

श्री अध्यक्ष : मैं अपने टाइम पर घण्टी जरूर बजाऊंगा।

श्री हरीश भामनानी : नहीं, नहीं, मेहरबानी करके घण्टी मत बजाना।

श्री अध्यक्ष : I am to regulate the time. You may speak on any subject.

श्री हरीश भामनानी : इण्डस्ट्री घण्टी तो पहले ही बज रही है मेहरबानी करके मेरी घण्टी मत बजाना। मैं बोलूंगा ही नहीं। खनिज पर नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : You have taken on minute.

श्री हरीश भामनानी : भूमि रूपान्तरण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि नियमों में इस प्रकार का सरलीकरण करना चाहिए जिस तरह से कि पूर्व सरकार ने 500 गज जमीन के लिए एक माह में कोई आवेदन करेगा इण्डस्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए और यदि कलेक्टर ने निर्णय नहीं किया तो स्वत: उसका भूमि रूपान्तरण माना जाएगा लेकिन वह 500 गज की जो सीमा है वह बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि आटोमेटिकली इस प्रकार की स्थिति हो कि भूमि रूपान्तरण की व्यवस्था हो जिसमें जमीन पर अंकुश का अन्तर नहीं हो, असीमित जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए। कच्चे माल के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान में उद्योग लगाने के बाद कच्चे माल की कमी

(श्री हरीश भामनानी)

रहती है और यदि कच्चा माल दिया भी जाता है तो उसके साथ कल्म्प करके इस प्रकार का माल दिया जाता है जो उस इण्डस्ट्री के काम में नहीं आता है। इस सम्बन्ध में मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार की नीति निर्धारित की जाय कि जिसमें कच्चा माल पूर्णतया से उपलब्ध हो और उसके साथ में अनचाहे माल को नहीं दिया जाना चाहिए।

अजमेर नगर की स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि वहां पर काफी समय से लेकर रीको के पास जमीन नहीं है इसलिए कई उद्योग लगाने वाले बन्धु उद्योग लगाना चाहते हुए भी नहीं लगा पाते हैं मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि माखुपुरा इण्डस्ट्री एस्टेट को एक्सपान्शन की दृष्टि से वहां पर जमीन की उपलब्धता कराई जाए। अगर इण्डस्ट्री एस्टेट में इण्डस्ट्री लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है तो उसको तुरन्त क्रियान्विति करने के लिए कोई कार्यक्रम लेना चाहिए।

रीको के पास में जितनी जमीन हैं, उसमें कई बार अनाधिकृत रूप से जगह के अभाव के कारण आफिस लगाने के लिए, शेड एक्सपान्शन करने के लिए उद्योगी बन्धु करते हैं। रीको उनसे जबर्दस्ती जुर्माना चार्ज करती है....

मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में वह अनाधिकृत कन्स्ट्रक्शन्स हैं उनको बजाय जुर्माना करने के उसको रेगुलराइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इण्डस्ट्री सरलता से चल सके। जाइंट डाइरेक्टर साहब को अधिकृत किया हुआ है नई मशीनरी लाने के लिए वह एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं जिससे चुंगी कर मुक्ति हो जाती है। पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनके प्रमाण-पत्र को यहां के स्थानीय चुंगी विभाग वाले मानते नहीं हैं कहते हैं कि हमारे आका तो कमिश्नर है उनसे लिखाकर लाइएगा। सरकार ने जो नीति निर्धारित की हुई है इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए ताकि नये नये उद्योग लग सकें उनको चुंगी कर मुक्ति से राहत दी जा सके इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को दृढ़ता से पालना की जानी चाहिए इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि नये उद्योग लगाते समय एक अनुबन्धन होता है, बिजली बोर्ड वाले जबर्दस्ती एक अनुबन्धन करते हैं, माननीय मंत्री महोदया भी बैठी हुई हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली नीति नहीं है। यदि किसी कारण से इण्डस्ट्री साल भर चलने के बाद रूग्ण हो जाती है और वापस चालू करने में साल-दो साल लग जाते हैं या नहीं भी चालू होती है तो उस पर स्टेंनिग चार्जेज अनायास ही लगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रद्युम्न सिंह जो बोलेंगे, बोलिए। नहीं तो मैं मन्त्री महोदय को निवेदन कर रहा हूं।

श्री हरीश भामनानी : प्रदूषण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा है यह बात धीरे धीरे समझ में आएगी कि विधानसभा में कम समय में ज्यादा बोलने के लिए जल्दी बोलना पड़ता है। समय नहीं रुकता है । माननीय सदस्य आप बिराजिए ।

श्री हरीश भामनानी : एक निवेदन है। प्रदूषण के सम्बन्ध में निवेदन यह है, उसको रोकने की दृष्टि से जो नये उद्योग लगाते हैं या उद्योगों को प्रदूषण की दृष्टि से उसमें तकनीकि काम में लाए जाने के लिए अनुदान दृष्टि से देखना चाहिए। जो भी उसमें पैसा लगे 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था हो ताकि प्रदूषण रोकने के लिए वह इण्डस्ट्री वह सामान लगा सके ।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप। प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री हरीश भामनानी : मेरा सुझाव है, कांग्रेस के सदस्य चालीस-चालीस मिनट तक तक बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप उनसे आगे बढ़िये। मैंने हिसाब लगा लिया है अब आप बिराजिए। मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवाल हैं। माननीय मंत्री जी जब उत्तर दें खनिज मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी से तो मैं सीमित हो गया दो मिनट के लिए। खनिज मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसलमेर के अन्दर जो आपका स्टीलग्रेड लाइमस्टोन है उसके लिए इनीशियली आर. एस. एम. डी. सी. को 400 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र उनको दे दिया था क्या कारण है कि आपने उसको रिड्यूज करके 10 किलोमीटर कर दिया। कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, कि भारत सरकार की जो नीति है, क्योंकि देहरादून के अन्दर लाइम स्टोन निकलना बन्द हो गया सिर्फ जैसलमेर के अन्दर ही लाइम स्टोन निकल रहा है जो कि आपके स्टील मिल्स के काम आ रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसको प्रिजर्व किया जाए अन्यथा कहीं भारत सरकार की निगाह इसके ऊपर लगी और उन्होंने इसको ले लिया तो राजस्थान सरकार को काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। मेरा एक सुझाव तो उनको यह है।

लेकिन साथ ही साथ यह भी सुनने में आ रहा है कि आप उस क्षेत्र को किसी प्राइवेट लिमिटेड, टाटा को देने जा रहे हैं। क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की उस आमदनी का, जो राजस्थान सरकार को हो रही है या भविष्य में होने की सम्भावना है उसका क्या होगा ? इसलिए इसका उत्तर दे दें।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा लिग्नाइट के बारे में। लिग्नाइट के अन्दर, आपका जो है नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन यहां आ रहा है, आपके लिग्नाइट के बिजली घर की स्थापना होने जा रही है तो उसके पहले कि स्थापना हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजस्थान के अन्दर चूंकि कोयला कहीं से प्राप्त नहीं होता है और यहां की सीमेण्ट इण्डस्ट्री जितनी है और दूसरे उद्योगों के लिए उसकी आवश्यकता है। तो राजस्थान सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए एक जरिया हो हो सकता है अगर वहां पर गुढ़ा की जो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माइन्स हैं आपकी। बरसिंहपुर को आप पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। गुढ़ा माइन्स से आप लिग्नाइट को निकाल करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहां की इण्डस्ट्रीज की भी आवश्यकता की पूर्ति होगी। साथ साथ राज्य सरकार की आमदनी का जरिया भी बढ़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं क्योंकि पूर्व के अन्दर भी आपने अगूचा, रामपुरा अगूचा लीजिंग को ले लिया। भारत सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक में ले लिया। लेकिन एक नया डिपोजिट अजमेर के अन्दर सुनने में आया है। अभी एक नया डिपोजिट अजमेर के अन्दर सुनने को मिला है तो उसको प्रिजर्व कर लीजिएगा। वह भी उनको नहीं दे दीजिएगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप माइनिंग करके उसको स्वयं बेचेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ने का जरिया हो सकता है।

यह तीन मुद्दे मेरे दिमाग में थे, अध्यक्ष महोदय और बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता था लेकिन आपने समय को पाबन्द कर दिया और मैं खुद कमिटेड हूं दो मिनट लेने के लिए। मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने उद्योग के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। कई माननीय सदस्यों ने उद्योग और उद्योग की नीति के सम्बन्ध में अपने महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर दिए हैं। मैं उन सुझावों पर औपचारिक रूप से उत्तर नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने दिशा संकेत दिए हैं अपने सुझावों में, जहां तक कि राजस्थान का सम्बन्ध है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुछ नीति सम्बन्धी बातें आई हैं जो शायद वह भी समझते हैं कि केवल राज्य के सम्बन्ध से उसका सम्बन्ध नहीं जुड़ा हुआ है। जब भी व्यक्तिगत अवसर आएगा केन्द्र से बातचीत करने का या किसी विशेष सेमिनार में चर्चा का, तो मैं भी उसी प्रश्न का हामी हूं कि मजदूरों को कारखानों के अन्दर साझेदार होना चाहिए। अभी परसों औद्योगिक नीति 1990 का प्रारूप तैयार किया है। अध्यक्ष जी, मैं यह जानता था कि समय इतना कम है कि शायद इस पर चर्चा खुलकर के सदन में न हो पाए। इसलिए मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि अगर 15 दिन के अन्दर अन्दर इस सम्बन्ध में मुझे सुझाव देना चाहें तो वह सुझाव दें ताकि उन पर विचार करके राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से किस प्रकार से अपने कदम आगे बढ़ा सके। उन नीतियों का समावेश या उन विचारों का समावेश इस नीति में कराया जा सके।

सभी सदस्यों ने इस बात को कहा है कि राजस्थान के अन्दर औद्योगिकरण की आवश्यकता है और हम सारे राजस्थान में औद्योगिकरण के हामी हैं और यह इसलिए आवश्यक है अध्यक्ष जी, कि देश की बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ प्रदेश के अन्दर भी बेकारी की समस्या बढ़ी है उस बेकारी की समस्या का समाधान अगर हम केवल कृषि पर करना चाहेंगे तो यह असम्भव है।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

खेती सीमित है। खेती को हर दृष्टि से प्राथमिकता मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी को, इस बेकारी को और बेकार हाथों को हम केवल खेती पर काम दे सकें यह असम्भव है और इसलिए आवश्यक है कि राजस्थान के अन्दर गति देकर के औद्योगिकरण किया जाए।

लेकिन साथ-साथ जहां हम औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं इस बात की हम सावधानी रखेंगे कि अकारण छोटी-छोटी बातों में कहीं किसान, उद्यमी या उद्योगपति के बीच में प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या उत्पन्न न हो जाए। उसका सबसे बड़ा सावधानी रखने का ढंग है कि जिस स्थान पर उद्योग लगाये जाते हैं मैं तो इस बात का हामी हूं कि स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके बाद जिला, जिले के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद देश आता है। चूंकि हमने स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार नहीं दिया, कारखाने लग गये, वहां का स्थानीय आदमी बेरोजगार है तो स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या बढ़ेगी और इसके साथ-साथ यह भी तय है कि जिस किसान की जमीन ली जाती है उस किसान को यह भी अनुभव होना चाहिए कि उसकी जो जमीन ली गयी है कारखाने के लिए उस पर कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया गया है। इसकी भी हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं माननीय सदस्यों को आपके मार्फत कहना चाहता हूं जो औद्योगिक नीति हमने तैयार की है उसके अन्तिम चरण को यदि आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें सावधानी बरती गयी है। फिर भी आपको लगता है कि आवश्यक है इसके अन्दर और इस दृढ़ता के साथ रखा जाये तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से उसको उस चीज में शामिल किया जायेगा। अध्यक्ष जी, मैं इस बात का हामी हूं जैसे करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थान के अन्दर औद्योगिक विकास हुआ है निश्चित रूप से उद्योग राजस्थान में लगे हैं लेकिन जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितना बड़ा हमारा क्षेत्र है, जिस प्रकार बढ़ते हुये क्षेत्र में बेकारी बढ़ती जा रही है उस दृष्टि से देखें तो राजस्थान के अन्दर औद्योगिक विकास बहुत पीछे है। सकल उत्पादन जो राजस्थान का है, उसमें राजस्थान के उद्योगों का केवल 8 प्रतिशत योगदान है। इस 8 प्रतिशत योगदान में भी अगर बिजली के उत्पादन को और उसके वितरण को जो पब्लिक सेक्टर में है, हम निकाल दें तो यह प्रतिशत काफी नीचे आ जायेगा और इसी प्रकार से जो केन्द्र का विनियोजन है हमारे राजस्थान के अन्दर वह भी 2 प्रतिशत कम है। राजस्थान इसमें चौदहवें स्थान पर है। अगर इन सब बातों को हम दृष्टिगत रखें, ध्यान में रखें और यह विचार करें कि राजस्थान की बढ़ती हुई आबादी को राजस्थान के अन्दर खपाना है तो उद्योगों के विकास और विस्तार के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुये अध्यक्ष जी, हमने इस बार जो बजट एलोकेशन हुआ उस बजट एलोकेशन के अन्दर 89-90 के मुकाबले में प्लान के अन्दर लगभग दुगना रुपया राजस्थान को इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबले में मिला है। इसके लिए मैं थोड़ी सी तुलना करना चाहूंगा अध्यक्ष जी, योजना के अन्दर वर्ष 1989-90 के

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

अन्दर जो आवंटन हुआ था योजना का वह 26 लाख 54 हजार हुआ था उसको रिवाइज किया गया वह केवल 24 लाख 44 हजार रह गया लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो वास्तविक खर्चा हुआ वह 83 करोड़ 82 लाख 85 हजार था। 26 करोड़ 54 लाख का अलाटमेंट रिवाइज हुआ 24 करोड़ 44 लाख, एक्चुअल खर्चा हुआ 23 करोड़ 82 लाख 85 हजार। इसके मुकाबले में वर्ष 90-91 के अन्दर योजना में उद्योग को विकसित करने के लिए, उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए 49 करोड़ 35 लाख रुपये का आवंटन हुआ है जो लगभग दुगना है। केवल यही नहीं कुल मिला करके उद्योग विभाग को 4 करोड़ 11 लाख 79 हजार के मुकाबले में 17 करोड़ 75 लाख मिला है। राजस्थान लघु उद्योग निगम को 1 करोड़ 8 लाख 80 हजार के मुकाबले में 1 करोड़ चालीस लाख मिला है। राजस्थान हाथ कर्घा विकास निगम जिसका सीधा सम्बन्ध गांवों से है, गांवों के बुनकरों से है, गांवों की बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने से है, इस हाथकर्घा विकास निगम को अध्यक्ष जी, पिछली बार केवल 58 लाख 13 हजार था, उसके मुकाबले में 90 लाख रुपया इसमें दिया गया है। इसी प्रकार से खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को जो केवल 54 लाख 13 हजार था।

श्री देवेन्द्र सिंह : एचिवमेंट क्या है यह बताइये। फिजीकल एचिवमेंट क्या है यह बताइये आप।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि गत वर्ष के मुकाबले में प्राइस राइस दुगनी भी नहीं हुई ना।

श्री देवेन्द्र सिंह : तिगुनी हुई है।

श्री सम्पत सिंह : मंत्री महोदय, आपने जैसे अभी पिछले वर्ष का बताया सकल उत्पादन करीब 8 प्रतिशत और अब जो नया बजट एलोकेशन आपने किया है अन्दाज से 8 प्रतिशत से ज्यादा बहुत करेंगे तो 10 प्रतिशत चला जायेगा तो क्या इससे यह बात साबित नहीं होती कि जितना रुपया पब्लिक एक्सचेकर का है उसको इण्डिविजुअल बिजनेसमेन ले जा रहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इससे यह तर्क निकालना कि इसका मतलब केवल इतना है कि जितना पैसा या जितनी गति से उद्योगों का विकास राजस्थान में होना चाहिए था वह विस्तार नहीं हुआ। जितना इस उत्पादन में अनुपात उद्योगों का कम है वह इसलिए है कि उद्योग जिस गति से जिस मात्रा के अन्दर राजस्थान में आने चाहिए थे वह नहीं आये।

श्री सम्पत सिंह : इसका मतलब यह है कि कोई प्रोड्यूस हमारा नहीं आ रहा है मार्केट में, न विदेशी मुद्रा आ रही है और जितना 70 से तो कम नहीं है 90 हो सकता है तो पब्लिक एक्सचेकर का रुपया हम उद्योग का ले रहे हैं, उद्योगपति ले रहे हैं, तो उसका रिटर्न तो आना चाहिए ना।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कनफ्यूजन है। यह सच है कि राजस्थान के अन्दर उद्योग सिक हैं।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, छोटे उद्योग यह तीनों सिक हैं और इसके कई कारण है।

श्री देवेन्द्र सिंह : अभी आपने जो अमाउण्ट बताया है उससे 8 प्रतिशत से कितना प्रतिशत बढ़ जायेगा ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह सब निर्भर करेगा कि जो हमने अपनी योजनायें दी हैं अपनी जो इण्डस्ट्रीयल पालिसी बनाई, इसके आधार पर अट्रेक्ट करने के लिए जो इन्सेन्टिव्ज दिये हैं, उन इन्सेन्टिव्ज के आधार पर हमारे प्रचार के आधार पर, हमारे प्रयास के आधार पर अधिक से अधिक कितने लघु उद्योग, कितने मध्यम उद्योग राजस्थान में आते हैं यह उस पर निर्भर करेगा।

श्री अध्यक्ष : वह लक्ष्य पूछ रहे हैं आपको। आपका लक्ष्य क्या है लक्ष्य बता दीजिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इस लक्ष्य को 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 और 13 प्रतिशत के बीच करना है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : 12 और 13 कैसे हैं आप जो अपने आंकड़े बता रहे हैं उसमें बताइये। हो सकता है हम अगर आप पर ज्यादा जोर देते आप 15 कर देते 12 को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप। इस पर हम डिबेट करने को तैयार हैं अगर 12 प्रतिशत आप कहते हैं तो लक्ष्य किस बात से। जो आप दे रहे हैं इन्सेन्टिव उससे करेंगे ना।

श्री अध्यक्ष : असल में परम्परा यह आंकड़ों की पड़ गई वरना तो यह होना चाहिए था कि फिजिकल एचिवमेंट क्या हुआ है, क्या होना चाहिए। यह परम्परा बनी हुई है आंकड़ों की। बिराजिये आप।

श्री सम्पत सिंह : मैं मंत्री जी से यह क्लियरीफिकेशन और चाह रहा हूं कि क्या इन्हीं आंकड़ों में आपके नान रेजिडेंट इण्डियन्स का पूंजी निवेश है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : यह वैसे तो जुदा चीज है आप 8 प्रतिशत दे रहे हैं सकल उत्पादन।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वह बिलकुल अलग है। ऐसा है कि फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूट केवल आर. एफ. सी. नहीं है, केवल रीको नहीं है. इसके अलावा आल इण्डिया जो दूसरे इन्सिटयूशन्स है फाइनेंस की, आई. डी. बी. आई. भी है, उन सबके माध्यम से पैसा आता है वह अलग है।

श्री सम्पत सिंह : आज की तारीख में देश के परिप्रेक्ष्य में नान रेजिडेंट इण्डियन्स का पूंजी निवेश हमारा नेग्लिजेबल है; नगण्य है ना ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने 45 करोड़ तक का दिया है तो यह पैसा कहां से आयेगा और कहां जायेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह सारा बजट से है। आप कोई अनुमान न लगायें बिना बजट के कोई बात नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सहकारिता मंत्रीजी कह रहे हैं आपको क्या मतलब है ? लगता है अफीम पिनक के अन्दर हैं। अफीम की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पिनक के अन्दर वह बोल रहे हैं।(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, आप इसको एक्सप्लेन तो कर दें श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं शायद अपने आपको स्पष्ट नहीं कर पाया या इन आंकड़ों के कारण कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ है।

श्री सम्पत सिंह : मंत्री महोदय मुझे क्षमा करें, एक-एक रुपया हम राजस्थान में किस तरीके से जुटाते हैं। पड़ौस के प्रान्तों में सिर्फ गुजरात का आप उदाहरण ले लें, अध्यक्ष महोदय, वह रुपया नोन-रेजिडेण्ट्स इण्डियन्स का वहां पूंजी निवेश हो रहा है और आप ही फरमा रहे हैं, हम नगण्य हैं। तो ऐसी सूरत में हम राजस्थान के उद्योग का क्या भविष्य रख रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय सदस्य ने जो अपने विचार रखे हैं वह बिल्कुल सही हैं। इसीलिए इस बार हमने तय किया है कि राजस्थान के अन्दर अप्रवासी भारतीय जिनको एन.आर.आई. कहते हैं, नोन-रेजिडेण्ट इण्डियन्स, उनको राजस्थान के अन्दर अधिक से अधिक आकर्षित किया जायगा। जो हमने नई औद्योगिक नीति दी है, उस नई औद्योगिक नीति के नाते जो हमने जमीन के सम्बन्ध में, बिजली के सम्बन्ध में सैल्स टैक्स के सम्बन्ध में और दूसरी अनेक प्रकार की सुविधा दी हैं और हमारा सारा आर्गेनाइजेशन इण्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट का चाहे वह रीको का हो, चाहे वह आर.एफ.सी. का हो, चाहे सेक्रेटेरियेट का हो, उसके अन्दर जिस प्रकार का बदलाव और परिवर्तन हम लायें, इसके आधार पर हमारा विचार है कि हम एक विण्डो सर्विस राजस्थान के अन्दर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दे सकें, यह जो हम व्यवस्था लाने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्थायें हमने की हैं, इस आधार पर उद्योगपति राजस्थान में आकर यह अनुभव न करें कि मैं यहां जूते घिसता फिर रहा हूं, एक विभाग से दूसरे विभाग में जा रहा हूं, कोई कारखाना लगाने को उसको प्रेरित करने के लिए तैयार नहीं है, उसको प्रेरणा मिले यहां आकर, इस आधार पर हमको विश्वास है कि राजस्थान के अन्दर उद्योग स्थापित करने के लिए एन.आर.आईज. हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई और राजस्थान के दूसरे लोग अधिक से अधिक राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होंगे, ऐसी हमारी मान्यता है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा आरोप है, फिर तो हमारी सरकार इग्नोरेन्ट है। आज एन.आर.आई. चालीस-चालीस हजार रुपया बीघा राजस्थान में जमीन खरीद रही है, उद्योग में तो वह इन्वेस्ट कर नहीं रही, जमीन खरीद के पटक दी उन्होंने. न तो सीलिंग एक्ट उन पर लागू हो रहा है राजस्थान का, और आज भी उनमें लगातार पांच-पांच साल से खेती हो रही है और नया जागीरदार पैदा हो रहा है। नियो केपिटलिस्ट पैदा हो रहा है, वह मुफ्त के पैसे से। या तो वह चोरी कर रहा है, आपकी पकड़ में नहीं आ रहा, हमारी सरकार टोटल इग्नोरेन्ट है।

मांग संख्या 42 व 43 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री अध्यक्ष)

1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 67,21,85,000/- (सड़सठ करोड़ इक्कीस लाख पिचासी हजार) रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

खनिज मन्त्री जी (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह भी ले लो साथ में।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 – खनिज के सम्बन्ध में.... (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्रीजी से गाइड नहीं हों। हम भी बैठे हैं। नहीं तो इनका रुतबा बढ़ जायगा कल से न मालूम सवेरे-सवेरे आदेश प्रसारित करने लग जायें। आप बिराजो उनकी सुनें साहब। उन्होंने बड़ी मेहनत करके तैयारी की है।

श्री अध्यक्ष : देवपुराजी से गाइड हो रहा हूं। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,19,48,000/- (उन्नीस करोड़, उन्नीस लाख, अड़तालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही दिनांक 17 जुलाई, 1990 मंगलवार के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.45 बजे मंगलवार दिनांक 17 जुलाई, 1990 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(288)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 353 का विवरण

राज्य सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा के विकास के लिये
किये गये प्रयास

राज्य सरकार ने राजस्थानी भाषा के विकास के लिये 25 जनवरी, 1983 में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय बीकानेर है। अकादमी के माध्यम से राजस्थानी भाषा के साहित्यकारों का सम्मान किया जाता है। उन्हें उनकी कृतियों पर पुरस्कार दिये जाते हैं, पाण्डुलिपि प्रकाशन हेतु सहायता दी जाती है। एक साहित्यकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है। मासिक पत्रिका "जागती जोत" के प्रकाशन के साथ साथ राजस्थानी भाषा में भी पुस्तकों का प्रकाशन कराया जाता है।

जोधपुर विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा के अध्ययन हेतु एक अलग विभाग है।

जयपुर के आकाशवाणी से राजस्थानी कार्यक्रम एवं समाचार प्रसारित किये जाते हैं। दूरदर्शन पर भी राजस्थानी लोकगीत/लोकनृत्य प्रसारित होते हैं।

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बाली क्षेत्र में तालाब निर्माण

375. **श्री अमृतलाल परमार(बाली)** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली में पूर्व के वर्षों में एक बड़े तालाब का कार्य अकाल राहत में प्रारम्भ किया गया था जिसमें करीब दो लाख अस्सी हजार रुपये अब तक खर्च किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रश्न स्पष्ट नहीं होने से जवाब देना सम्भव नहीं है क्योंकि बाली विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत के अन्तर्गत कई तालाबों के कार्य कराये गये थे।

(2) भाग 1 के अनुसार।

आमेर क्षेत्र में 132 के. वी. स्टेशन

376. **श्री गोपीराम जाट (आमेर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में कहां कहां 132 के. वी. ए. पावर ग्रिड स्टेशन सरकार द्वारा लगाना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रिड स्टेशन हेतु पंचायत पचार के तहत ग्राम मण्डा भोपावास में भूमि एवं अन्य सुविधाओं का सर्वे किया जा चुका है ?

(3) इन पावर स्टेशन (ग्रिड) का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्तमान में सिर्फ एक 132 के.वी. कुण्डा की ढाणी सब स्टेशन है और अभी कोई नया सब स्टेशन प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं, क्योंकि कोई सब स्टेशन प्रस्तावित नहीं है अतः सर्वे करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के हैण्डपम्प

377. **श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने पेयजल हेतु प्रस्तावित योजना के अनुसार एक पंचायत समिति में केवल 14 हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था की है ? क्या यह व्यवस्था पर्याप्त है ?

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

(2) क्या राज्य सरकार ने गत सत्र में यह घोषणा की थी कि 15 अप्रेल, 1990 तक राज्य के सारे हैण्ड पम्प ठीक करा दिये जावेंगे ? यदि हां, तो इसकी क्या प्रगति है ?

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में अब तक कोई हैण्ड पम्प ठीक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) उक्त क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प खराब हैं और वे कब तक ठीक करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) हैण्डपम्पों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

(2) घोषित हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में 15.4.90 तक 13472 तथा 30.6.90 तक 35121 हैण्डपम्प ठीक किए गये।

(3) संदर्भित क्षेत्र में 30.6.90 तक 219 हैण्डपम्प ठीक करवाये जा चुके हैं।

(4) उक्त क्षेत्र में 51 हैण्डपम्प सूखे तथा 76 हैण्डपम्प परित्यक्त हैं जिन्हें ठीक किया जाना सम्भव नहीं है।

रीको में पारिश्रमिक दर

378. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या रीको में प्रति घण्टा पारिश्रमिक दर प्रणाली के नाम से घण्टों पर कार्य हेतु कनिष्ट अभियन्ता, प्रारूपकार कनिष्ट सहायक, चौकीदार, गाड़ी चालक, पम्प ड्राइवर आदि को 7-9 वर्ष से रखा है ?

(2) क्या प्रति घण्टा पारिश्रमिक दर प्रणाली पर कार्यरत कर्मचारियों एवं नियमित कर्मचारियों से कैडर के हिसाब से एक जैसा कार्य लिया जाता है ? यदि हां; तो क्या वेतन भी समान कार्य करने वालों को समान रूप से दिया जाता है ?

(3) प्रति घण्टा पारिश्रमिक दर प्रणाली के विरोध में रीको के विरुद्ध कितने वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं ? निर्णित वादों में से कितनों में रीको जीता और कितनों में हारा है ?

(4) क्या रीको में पद रिक्त होते हुए भी कर्मचारियों को 7-8 वर्षों से प्रति घण्टा पारिश्रमिक दर पर रखा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रीको में दिसम्बर, 1983 से लागू प्रति घंटा पारिश्रमिक दर योजना के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर कार्य होने की स्थिति में कार्य की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में व्यक्तियों को प्रति घण्टा पारिश्रमिक दर पर कार्य करने के लिए रखा गया है।

(2) प्रति घण्टा पारिश्रमिक दर पर समय-समय पर कार्य की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में पार्ट टाइम व्यक्ति रखे जाते हैं जिनसे उनकी श्रेणी के अनुसार कार्य लिया जाता है। चूंकि इनकी

(उद्योग मन्त्री)

नियुक्ति नियमित आधार पर नहीं की जाती है, अतः इन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन नहीं दिया जा सकता है।

(3) प्रति घंटा पारिश्रमिक दर प्रणाली से पीड़ित 248 व्यक्तियों के वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। अब तक निर्णित वादों में से 10 वाद में निगम जीता है तथा 10 में हारा है।

(4) पद रिक्त होने की दशा में प्रति घण्टा पारिश्रमिक दर पर कार्य कर रहे कई व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर रीको (रिक्रूटमेंट एण्ड सलेक्शन) रूल्स, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता को ध्यान में रखते हुए नियमित नियुक्तियां दी गई है।

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 559 के आदेश की प्रति

राजस्थान सरकार
श्रम एवं नियोजन विभाग

क्रमांक : प. 9 (2) श्रनि/90 जयपुर, दिनांक 29 जनवरी, 90

आज्ञा

विषय :– नियोजन कार्यालय से नाम मंगवाने की अनिवार्यता के समाप्ति बाबत।

जिन राजकीय कार्यालयों, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र व अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में नियुक्ति करने हेतु नियोजन कार्यालयों द्वारा संप्रेषित आशार्थियों की सूची में से ही चयन करना अनिवार्य हैं के संबंध में राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्न प्रक्रिया अपनाई जावे :—

1– नियुक्ति हेतु नियोजन कार्यालय से नाम मंगाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता हैं। केवल नियोजन कार्यालयों में नाम दर्ज का कार्ड ही प्रथम नियुक्ति हेतु पर्याप्त माना जावेगा।

2– कानून के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों की अधिसूचना नियोजन कार्यालयों को पूर्ववत जाती रहेगी। पूर्ववत ही नियोजन विभाग उक्त अधिसूचना पर सम्प्रेषण जारी रखेंगे, पर नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह नियोजन कार्यालयों द्वारा सम्प्रेषित आशार्थियों की सूची में से ही नियुक्ति करें, चयन करते समय उनको यह स्वतन्त्रता होगी कि वह नियोजन कार्यालयों द्वारा सम्प्रेषित आशार्थियों के अतिरिक्त अन्य ऐसे आशार्थियों के प्रार्थना पत्रों पर योग्यता एवं पात्रता के आधार पर विचार कर ले जो नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत हैं। प्रत्येक नियोक्ता नियुक्ति आदेश (जिसमें प्रत्येक नियुक्त आशार्थियों का पंजीयन क्रमांक अंकित हो) की एक प्रति संबंधित नियोजन कार्यालय को अनिवार्यतः भेजे।

3– राजकीय क्षेत्र तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र एवं अर्द्ध शासकीय संस्थाओं पर उपरोक्त प्रक्रिया समान रूप से लागू रहेगी। केन्द्रीय लोक क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।

4– जो भी राजकीय विभाग, लोक क्षेत्र या अर्द्ध सरकारी संस्थायें नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी करना चाहें, उस विज्ञापन को अनिवार्य रूप से 'रोजगार संदेश' में छपने हेतु शीघ्र नियोजन सेवा निदेशालय को भेजें।

आज्ञा से,
ह.
(अब्दुल हई)
उप शासन सचिव, नियोजन

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 562 की सूची

कनिष्ठ अभियन्ता प्रथम (यान्त्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची–

1. आदेश क्रमांक 669 दिनांक 14 फरवरी, 1990 के द्वारा नियुक्त :

1. श्री विक्रम शर्मा
2. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
3. श्री अनिल पाटनी
4. श्री देवेन्द्र श्रृंगी
5. श्री पंकज दिवाकर
6. श्री महेन्द्र प्रकाश सोनी
7. श्री धर्मेन्द्र शर्मा
8. श्री महेश कुमार यादव
9. श्री अरुण शर्मा
10. श्री राजेश चौधरी
11. श्री दीपक गुप्ता
12. श्री अशोक कुमार घीया
13. श्री आलोक गुप्ता
14. श्री ललित प्रकाश महावर (अ.जा.)
15. श्री खुशीराम मीणा (अनु.ज.जा.)
16. श्री मदन मोहन रावत
17. श्री अनिल गुप्ता
18. श्री मदनलाल मीणा (अ.ज.जा.)
19. श्री सुनिल कुमार (अ.जा.)
20. श्री सुखदेवसिंह दैया (अ.जा.)
21. श्री रमेश चन्द्र मीणा (अ.ज.जा.)

2. आदेश क्रमांक 1219 दिनांक 24 मार्च, 1990 के द्वारा नियुक्त :–

22. श्री गजेन्द्र कुमार त्रिवेदी
23. श्री दीपक सोलंकी
24. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा
25. श्री अशोक कुमार शर्मा
26. श्री रवीन्द्र नाथ गुप्ता
27. श्री सुरेश कुमार नागरानी
28. श्री सुरेन्द्र वशिष्ठ
29. श्री मुकेश कुमार टीबड़ीवाल
30. श्री ललित सोनी
31. श्री मोहम्मद साजिद आदिल
32. श्री उम्मेद कृष्ण व्यास
33. श्री संजय सिंह नेहरा उर्फ भंवरलाल
34. श्री अशोक कुमार आर्य
35. श्री राजेन्द्र कुमार टांक
36. श्री रमेश चन्द्र गुप्ता

294

रशिष्ट

ची

य की सूची, पदस्थापित स्टाफ, वितरित की गई दवाइयां (पट्टियां
र्ष 1989-90

कोटन. रित की	सर्जिकल सामान का विवरण	स्टेशनरी वितरित	अन्य विवरण
	7	8	9
य रूई व	—	वितरित	भवन के अभाव में अभी औष. आरम्भ नहीं हुआ है
य बैण्डेज	वितरित	वितरित	—
ने के कारण इसे अन्यत्र परिवर्तन के प्रस्ताव विचाराधीन है)			
	—	—	भवन के अभाव में औषधालय आरम्भ नहीं हुआ है।
य बैण्डेज	वितरित	वितरित	—
	—	—	यहां पर पूर्व में यूनानी औषधालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। राज्यादेश दिनांक 2.5.90 से आयुर्वेद में परिवर्तित किया गया है। अब सप्लाई की जावेगी।
य रूई व बैण्डेज	वितरित	वितरित	—
य रूई व बैण्डेज	वितरित	वितरित	—

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 573 की सूची

केन्द्रीय सरकार के विनियोजन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विवरण

(1) इलेक्ट्रोनिक्स स्विचिंग सिस्टम की तीसरी परियोजना जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा, और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है, को राजस्थान में लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से आग्रह किया गया है।

(2) इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन की वी. सी. आर. एवं वी. सी. पी. परियोजना जिसमें 30 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा, को भी राजस्थान में लगाने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील हैं।

(3) सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया से बून्दी में 2.5. मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का सुपर सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु भी मई, 1990 में उक्त कार्पोरेशन से पुन: अनुरोध किया गया है।

(4) राजस्थान में गैस पर आधारित पेट्रोकेमिकल/अमोनिया पर आधारित काम्पलेक्स के विकास के लिये मुख्य मन्त्री राजस्थान की ओर से केन्द्रीय पेट्रोलियम व नेच्युरल गैस राज्य मन्त्री, नई दिल्ली को दिनांक 2–6–90 को पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है।

(5) हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद की नई दिल्ली में सम्पन्न हुई बैठक में माननीय मुख्य मन्त्री, राजस्थान द्वारा अपने भाषण में केन्द्र से आग्रह किया गया कि राज्य में केन्द्रीय विनियोजन बढ़ाया जायें।

(6) राज्य में लोंग प्रुफ रेंज इकाई को स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव किया गया था परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त इकाई लगाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई। अत: आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस पर केन्द्र से पुर्नविचार करने हेतु भी शीघ्र ही निवेदन किया जा रहा है।

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 833 की सूची

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना डूंगरी सलालपुर

क्रमांक	विवरण	राशि (रु०)
1.	नलकूप के निर्माण हेतु	52500.00
2.	पम्पिग मशीनरी की आपूर्ति एवं इन्सटालेशन हेतु	96000.00
3.	राईजिग की आपूर्ति एवं बिछाने जोड़ने हेतु	19500.00
4.	वितरण प्रणाली की आपूर्ति एवं बिछाने जोड़ने हेतु	536600.00
5.	सिविल कार्य हेतु	70000.00
6.	उच्च जलाशय 150000 लीटर 22 मीटर ऊंचाई हेतु	75000.00
7.	विभिन्न स्थानों पर भूतल जलाशय बनाने हेतु	45500.00
8.	ब्लीचिग पाउडर डाजिग प्लांट की आपूर्ति एवं लगाने हेतु	2000.00
9.	इल व प्लान्ट हेतु	2000.00
	योग :	899100.00
	4.5 प्रतिशत कन्टीन्जेन्सी चार्ज	40460.00
	योग :	939560.00
	दर वृद्धि हेतु 10 प्रतिशत सिविल कार्य पर व 20 प्रतिशत पाइप लाइन पर	135520.00
	योग :	1075080.00
	14 प्रतिशत प्रोरेटा	150500.00
	सकल योग :	1225580.00
	रु०	12.256 लाख

योजना के निर्माण कार्य शुरू होने से अब तक पदस्थापित अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची

1.	अधिशाषी अभियन्ता	श्री आर. के. जैन
		श्री एच. सी. नकरा
		श्री आर. के. जैन
		श्री देवीसिंह
		श्री एस. के. कालरा
		श्री रतन सिंह
		श्री डी. एस. दर्दी
		श्री आर. एम. गुप्ता
2.	सहायक अभियन्ता	श्री रतन सिंह
		श्री आर. के. अरोड़ा
		श्री एस. एल. माथुर
		श्री डी. सी. खण्डेलवाल
		श्री एल. आर. गुप्ता
		श्री ए. के. सैनी
3.	कनिष्ठ अभियन्ता	श्री जी. पी. शर्मा
		श्री मनोहर लाल
		श्री अनिल कुमार सैनी
		श्री रामलाल

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 591 की सूची

केन्द्र सरकार से राज्य में अधिक पूंजी निवेश हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण

1– इलेक्ट्रोनिक्स स्विचिंग सिस्टम की तीसरी परियोजना जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा और जो आठवीं पंच वर्षीय योजना में प्रस्तावित है, को राजस्थान में लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से आग्रह किया गया है।

2– इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलोजी डवलपमेन्ट कारपोरेशन से वी. सी. आर. एवं वी. सी. पी. परियोजना जिसमें लगभग 30 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा, को भी राजस्थान में लगाने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

3– सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया से बून्दी में 2.5 मिलीयन टन प्रति वर्ष क्षमता का सुपर सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु भी मई, 1990 में उक्त कार्पोरेशन को पुनः अनुरोध किया गया है।

4– राजस्थान में गैस पर आधारित पेट्रोकेमिकल/अमोनिया पर आधारित काम्पलेक्स के विकास के लिए मुख्य मन्त्री राजस्थान की ओर से केन्द्रीय उद्योग मन्त्री एवं केन्द्रीय पेट्रोलियम व नेच्युरल गैस राज्य मन्त्री, नई दिल्ली को दिनांक 2.6.90 के पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है।

5– हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद की नई दिल्ली में सम्पन्न हुयी बैठक में माननीय मुख्य मन्त्री, राजस्थान द्वारा अपने भाषण में, केन्द्र से आग्रह किया गया कि राज्य में केन्द्रीय पूंजी निवेश बढ़ाया जायें।

6– राज्य में लोंग प्रुफ रेंज की इकाई स्थापित करने हेतु केन्द्र से प्रस्ताव किया गया था, परन्तु सातवीं योजना में उक्त इकाई लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई थी। अतः आठवीं पंच वर्षीय योजना में इस पर केन्द्र से पुनर्विचार हेतु भी शीघ्र ही कार्यवाही की जा रही है।

299

परिशिष्ट-9
अतारांकित प्रश्न संख्या 601 की सूची
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
ओ एण्ड एम पैटर्न संख्या-18 वितरण, एवं निर्माण कार्यालयों की रचना

Code No.	Category	Staffing Pattern Designation	No. of posts
1	2		
OMP 18.2	b) Sub-offices having 600 to 1000 consumers in a load density up to 30 consumers transformer centre. OR Sub-office having 800 to 1600 consumers in a load density between 31 to 75 consumers per transformer centre OR Sub-office having 1100 to 2500 consumers in a load density of above 75 consumer per transformer centre	Junior Engineer	1
OMP	c) Sub office having 2501 to 5000 consumers in a locality	Junior Engineer	1
OMP 18.3	New Sub-divisions will be created when the following conditions are fulfilled :		
	a) Sub division having 5001 to 6000 consumers in locality	Asstt. Engineer	1
		Junior Engineer.	1
	b) Sub division having 6001 to 12000 consumers in a locality	Asstt. Engineer	1
		Junior Engineer	2
	c) Sub-division having 4 S/offices Jr. Eng. as per OMP-18.2(b))	Asstt. Engineer	1
	d) Sub division having 3 to 5 s/offices of 18.2 (a), (b), (c)	Asstt. Engineer	1

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 604 की सूची

अलवर जिले में वर्ष 1988-89 एवं वर्ष 1989-90 के दौरान सतर्कता दल द्वारा विद्युत चोरी करते हुये पकड़े गये उद्योगों की सूची

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	ग्राम/बस्ती	उपभोक्ता की श्रेणी
1988-89			
1.	श्री पांचाराम/नारायणलाल सैनी	रामबास (लक्ष्मणगढ़)	लघु उद्योग
2.	मैसर्स सर्राफ सिन्थेटिक्स लिमिटेड	अलवर	उच्च दाब (एच.टी. उद्योग)
1989-90			
1.	मैसर्स न्यू जय भारत आयल मिल	किशनगढ़बास	लघु उद्योग
2.	श्री बतन पुत्र रूड़ा	केमाला (अलवर)	"
3.	श्री बाबूलाल रामस्वरूप	बारेडा (बहरोड)	"
4.	श्री सोमदत्त/अर्जुनलाल	बडसरा (खैरथल)	"
5.	श्री मेहरान खां/चांद खां	भोजपुरा (लक्ष्मणगढ़)	"
6.	श्री दीनू खां/भूपसिंह	चीडता (राजगढ़)	"
7.	श्री विनोदसिंह पुत्र जगद्दीर सिंह	छोपुर (मुण्डावर)	"
8.	मैसर्स रावत इन्डस्ट्रीज	राजगढ़	"
9.	श्री बलवीर सिंह	तलवाना (बहरोड)	"